NOT TO BE ISSUED

श माला, खंड 9, अंक 13

बुधवार, 9 अगस्त, 2000
18 श्रावण, 1922 (शक)

FOR REFERENCE ONLY.

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

जे.एस. वत्स
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

ऊरुणा वशिष्ट
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 9, चौथा सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 13, बुधवार, 9 अगस्त, 2000/18 श्रावण, 1922 (शक)

विषय	कालम
भारत छोड़ो आन्दोलन की 58वीं वर्षगांठ, 55 वर्ष पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बमों के गिराये जाने से हुई त्रासदी के बारे में उल्लेख और निधन सम्बन्धी उल्लेख	1–3
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 241, 243, 244 और 246	4–32
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 242, 245 और 247 से 260	33–68
अतारांकित प्रश्न संख्या 2637 से 2861	68–480
सभा पटल पर रखे गए पत्र	480–484
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	
सातवां प्रतिवेदन	484
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
नियम 184 के अधीन जम्मू और कश्मीर में हुई हत्याओं की घटनाओं की जांच के लिए जांच आयोग के गठन के प्रस्ताव की सूचना	492
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
जम्मू-कश्मीर की स्थिति	
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	493–496
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
जूट पैकेजिंग मानदंडों को समाप्त करने और पैकेजिंग के प्रयोजनार्थ गैर-जूट सामग्री की अनुमति दिए जाने के कारण जूट के लाभकारी मूल्य का भुगतान न किया जाना	533–545
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	533
श्री काशीराम राणा	534
श्री रूपचन्द पाल	538

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
नियम 377 के अधीन मामले	456–552
(एक) बिहार में सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के कारण विस्थापित लोगों को समुचित मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता	
श्री राम टहल चौधरी	546
(दो) हरियाणा में यमुना नगर के यात्रियों को और अधिक रेल सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री रतन लाल कटारिया	546
(तीन) उड़ीसा में ब्रह्मणी नदी को प्रदूषण रहित बनाने के लिए एक कार्य योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता	
श्री के.पी. सिंह देव	546
(चार) डिब्रूगढ़ और उसके आस-पास के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी से हो रहे भूक्षरण को रोकने के लिए असम सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री पवन सिंह घाटोवार	547
(पांच) 1921 में पाकिस्तान में रह रहे केरलवासियों को भारत भ्रमण के लिए वीजा दिया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी	548
(छह) महाराष्ट्र में नासिक में रामकुण्ड और तपोवन में कुम्भ मेले के तीर्थयात्रियों को आधारभूत सुविधाएं उगलब्ध कराये जाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री उत्तमराव ढिकले	548
(सात) उत्तर प्रदेश में चित्रकूट को हवाई सेवा से जोड़े जाने की आवश्यकता	
श्री रामसजीवन	549
(आठ) पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा बिहार में कर्पूरीग्राम और सिहो के बीच रेललाइन के दोहरीकरण के कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री मंजय लाल	550
(नौ) तमिलनाडु में नीलगिरी जिले के चाय उत्पादकों के हितों की सुरक्षा की आवश्यकता	
श्री पी.एच. पांडियन	550
(दस) देश में, विशेपकर राजस्थान में मार्बल और ग्रेनाइड उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के हितों की सुरक्षा की आवश्यकता	
प्रो. रासा सिंह रावत	551

विषय	कालम
राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक	552–559
विचार करने के लिए प्रस्ताव	552
श्री हन्नान मोल्लाह	552
श्री थावरचन्द गहलोत	554
श्री यशवन्त सिन्हा	557
खण्ड 2 से 37 और 1	559
पारित करने के लिए प्रस्ताव	559
सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन करने के लिए अधिसूचना के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प – *स्वीकृत*	560–564
श्री यशवन्त सिन्हा	560
श्री वरकला राधाकृष्णन	560
नियम 193 के अधीन चर्चा	
देश के विभिन्न भागों में आई बाढ़ के कारण हुई जान-माल की हानि	564–648
श्री रामजी लाल सुमन	564
श्री महेश्वर सिंह	567
श्री राजकुमार वंग्चा	570
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति	573
श्री लक्ष्मण सेठ	574
श्री नवल किशोर राय	577
श्री रवि प्रकाश वर्मा	581
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे	584
श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी	586
श्री अनन्त गंगाराम गीते	588
श्री बालकृष्ण चौहान	590
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	592
श्री राजीव प्रताप रूडी	595
श्री विजय हान्दिक	598
श्री प्रभुनाथ सिंह	600
श्री जोवाकिम बखला	603

विषय | कालम

श्री सुरेश चन्देल 604
श्री सन्तोष मोहन देव 606
श्री रामपाल सिंह 609
श्री अमर राय प्रधान 611
श्री रामजीवन सिंह 613
श्री हरीभाऊ शंकर महाले 615
श्री सुबोध राय 616
कुंवर अखिलेश सिंह 616
श्री प्रियरंजन दासमुंशी 618
श्री शीशराम सिंह रवि 622
श्री रामदास आठवले 622
श्री अर्जुन सेठी 623
श्री एन. जनार्दन रेड्डी 631
श्री नीतीश कुमार 634

कार्य मंत्रणा समिति

बारहवां प्रतिवेदन 647

सभा की अवमानना 647–648

लोक सभा

बुधवार, 9 अगस्त, 2000/18 श्रावण, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, जम्मू कश्मीर के अंदर जो विकट स्थिति पैदा हुई है, ...*(व्यवधान)* मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सात लोग मारे गये हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

पूर्वाह्न 11.01 बजे

भारत छोड़ो आन्दोलन की 58वीं वर्षगांठ, 55 वर्ष पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बमों के गिराये जाने से हुई त्रासदी के बारे में और निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, देश आज "भारत छोड़ो आन्दोलन" का 58वां वर्ष मना रहा है।

अठावन वर्ष पूर्व आज ही के दिन महात्मा गांधी के आह्वान पर गुलामी से मुक्त होने के लिए पूरा देश "भारत छोड़ो आन्दोलन" में शामिल हो गया था। राष्ट्रपिता ने देश की आजादी के लिए युवा और वृद्ध, तथा धनी और निर्धन सभी को देश की आजादी के लिए "करो या मरो" का नारा दिया।

देश की जनता हमारे बहादुर नेताओं के साथ उठ खड़ी हुई है उन्होंने देश की आजादी को अपने जीवन सहित सभी चीजों से अधिक महत्व दिया।

"भारत छोड़ो आन्दोलन" ने देश में साम्राज्यवादी शासन की जड़ें हिला डाली और अंतत: करोड़ों भारतीयों का स्वतंत्र भारत का प्रिय स्वप्न साकार हुआ।

हम बड़े गर्व और आभार के साथ सभी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करके उन देशभक्तों की याद में सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

माननीय सदस्यों को 6 और 9 अगस्त, 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के दो शहरों पर गिराए गए परमाणु बम से विनाश की घटना याद होगी। हजारों लोगों की मौत और लाखों की विकलांगता ने दुनिया को दिखला दिया था कि परमाणु अस्त्रों का बिना सोचे-समझे प्रयोग कितना घातक हो सकता है। रेडियोधर्मिता के दुष्प्रभाव परमाणु बम के विध्वंस से बचे लोगों का पीछा आज भी नहीं छोड़ रहे हैं।

हिरोशिमा और नागासाकी ने विश्व को यह सीख दी है कि विध्वंसकारी अस्त्रों का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाना चाहिए। यदि विश्व परमाणु अस्त्रों को नष्ट किए जाने के महत्व को स्वीकार नहीं करता तो नई सहस्राब्दि में लोग शांतिपूर्वक नहीं रह पाएंगे। परमाणु अस्त्रों और बड़े पैमाने पर विध्वंस करने वाले अन्य पारम्परिक अस्त्रों को कम या समाप्त किए जाने संबंधी सिद्धांत और संधियां सार्वभौमिक, अविभेदकारी और विश्व की जनता के लिए न्याय, समानता, समृद्धि और शांति सुनिश्चित करने वाली होनी चाहिए।

परमाणु बमों से हुई त्रासदी को देखकर हमें दुनिया में मानव जीवन को बेहतर और शांतिपूर्ण बनाने के लिए और अधिक दयालु, न्यायशील, स्नेही और बुद्धिमान बनना चाहिए।

हिरोशिमा और नागासाकी जैसी घटनाएं और न हों इसके लिए हमें दुनिया को अहिंसापूर्ण और शांतिपूर्ण बनाने का अपना संघर्ष जारी रखने की आवश्यकता है। हमें इस दिशा में सभी प्रयासों का पुरजोर समर्थन करना चाहिए। हमें अपनी पूरी शक्ति और आत्मबल के साथ सारी विनाशकारी गतिविधियों का विरोध करना होगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय सदस्यगण, मुझे अपने एक पूर्व साथी श्री एम. निजलिंगप्पा के दु:खद निधन की भी सूचना सभा को देनी है।

श्री एस. निजलिंगप्पा 1948 से 1950 तक संविधान सभा और 1950 से 1952 तक अन्तरिम संसद तथा मैसूर के चित्रदुर्ग संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 1952 से 1956 तक प्रथम लोक सभा के सदस्य रहे।

श्री निजलिंगप्पा एक योग्य प्रशासक थे, 1956 से 1968 की अवधि के दौरान पूर्व मैसूर के चार बार मुख्य मंत्री रहे।

इससे पूर्व 1937 से 38 के दौरान श्री निजलिंगप्पा मैसूर विधान परिषद के सदस्य थे। वे मैसूर संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे।

श्री निजलिंगप्पा पेशे से वकील थे और एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वे अलग-अलग हैसियत से विभिन्न संगठनों से सम्बद्ध रहे। उन्होंने भाषायी आधार पर राज्य बनाने हेतु कार्य किया। उन्होंने उद्योगों के विकेन्द्रीकरण, गांवों के विकास और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित किया।

वे कर्नाटक के वयोवृद्ध व्यक्ति (ग्रांड ओल्ड मैन) थे और इस विशाल राज्य के निर्माता थे। वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी श्री निजलिंगप्पा को 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेने के लिए दो वर्ष का कारावास दिया गया था।

8 अगस्त, 2000 को श्री एस. निजलिंगप्पा का 98 वर्ष की आयु में चित्रदुर्ग, कर्नाटक में निधन हो गया।

अब सदस्यगण स्वतंत्रता सेनानियों, हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणवीय विनाश के शिकार लोगों और श्री एस. निजलिंगप्पा के सम्मान में कुछ क्षण मौन खड़े होंगे।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

चूककर्ता एकक

***241. श्री ए. नरेन्द्र :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन चूककर्ता एककों/प्रतिष्ठानों की संख्या कितनी है जिन्होंने गत तीन वर्ष के दौरान, आज तक, प्रत्येक वर्ष, राज्यवार भविष्य निधि में नियोक्ता की अंशदान राशि जमा नहीं कराई है;

(ख) चूककर्ता एककों का ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक पर कितनी धनराशि बकाया है; और

(ग) चूककर्ता एककों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार, 21698 ऐसे चूककर्ता प्रतिष्ठान थे जो कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों के पास नियोजक के अंश सहित भविष्य निधि देयों को जमा कराने में असफल रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे चूककर्ताओं तथा अंतर्ग्रस्त कर्मचारी भविष्य निधि देयों की धनराशि का राज्य वार ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है। चूंकि कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं की संख्या काफी अधिक है अत: अलग-अलग ब्यौरे उपलब्ध करवा पाना कठिन है। चूककर्ता प्रतिष्ठानों पर बकाया कर्मचारी भविष्य निधि देयों की वसूली के लिए कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7क, 8, 8ख, 14 और 14ख के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार तथा जहां कहीं आवश्यक हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत भी आवश्यक कानूनी और दण्डात्मक कार्रवाई पहले से ही की जा रही है।

अनुबंध

कर्मचारी भविष्य निधि चूककर्ताओं का विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र	1997-98		1998-99		1999-2000	
		प्रतिष्ठानों की संख्या	चूक की राशि (लाखों में)	प्रतिष्ठानों की संख्या	चूक की राशि (लाखों में)	प्रतिष्ठानों की संख्या	चूक की राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2088	1699.25	1945	2299.40	1825	5348.47
2.	बिहार	771	1606.24	778	1561.02	676	2809.46

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	दिल्ली	117	268.01	395	360.99	406	816.56
4.	गुजरात	1477	2390.30	1142	2034.28	687	37689.35
5.	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	118	1525.28	127	327.32
6.	हरियाणा	933	2393.58	1116	1521.01	905	4169.62
7.	कर्नाटक	889	734.01	753	1356.56	1427	6987.21
8.	केरल	733	500.59	616	689.41	951	1687.31
9.	मध्य प्रदेश	1800	4150.19	1497	4925.73	1760	7751.74
10.	महाराष्ट्र	951	4626.38	992	5864.66	1008	8970.69
11.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	185	166.63	208	184.78	230	727.71
12.	उड़ीसा	659	1671.82	588	2059.29	1062	5588.63
13.	पंजाब	1155	910.97	842	952.48	1025	1947.23
14.	राजस्थान	1691	646.58	1755	1932.57	1528	4802.46
15.	तमिलनाडु	2485	1802.47	3172	2366.35	3608	5773.96
16.	उत्तर प्रदेश	2313	4506.03	1339	7207.39	2492	12082.74
17.	पश्चिम बंगाल	2808	18324.86	1902	20477.55	1890	32270.59
	योग	21355	46397.91	19158	57318.75	21698	105831.05

श्री ए. नरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि इस समय देश में 31.3.2000 तक 17 स्टेट्स में 21698 ऐसे डीफॉल्टिंग यूनिट्स एस्टेबिलिशमेंट्स हैं जिन्होंने पहले तीन वर्षों के दौरान एम्पलॉइज शेयर्स उनके प्रोवीडेंट फंड में डिपॉजिट नहीं किया था। यह उत्तर हमें मिला है लेकिन यह नहीं बताया कि इनके डिपॉजिट न करने के क्या कारण हैं तथा उनके डिटेल्स क्या हैं? मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इन डिफॉल्टर्स के विरुद्ध क्या कोई जांच की गई है और क्या जांच के आदेश दिए गए हैं? जांच के क्या परिणाम निकले, यह भी मैं जानना चाहता हूं।

डा. सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष जी, जैसा कि प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया गया था कि 31 मार्च, 2000 की स्थिति में 21698 ऐसे संस्थान थे जिन्हें चूककर्ता माना गया और उसमें जो राशि इंवॉल्व थी, उस राशि की भी हमने जानकारी लेने का काम किया है। मोटे तौर पर जो राशि एक हजार अठावन करोड़ इकतीस लाख रुपये की है, इसमें से जो कुछ वसूल की जा सकती है और वह केवल 290 करोड़ 56 लाख रुपये है। बाकी की राशि वसूल नहीं किये जाने के कारण कोर्ट के द्वारा स्थगन लेना है। बी.आई.एफ.आर. के प्रकरण में जाने के कारण 'सिका' के सैक्शन 22 के प्रतिषेध और निषेध के कारण भी यह राशि वसूल नहीं की जा रही है। कुछ संस्थान लिक्विडेशन की स्थिति में आ गये हैं, इसलिए भी यह वसूल नहीं हो रही है। कुछ एस्टेबिलिशमेंट्स बंद हो गये हैं और इसके कारण भी वसूली नहीं हो रही है। कुछ लोगों ने किश्तों में भुगतान करने की सुविधा मांगी है। इसके कारण भी वसूली नहीं हो रही है। इस प्रकार से यह जो राशि 1058 करोड़ 31 लाख रुपये की दिखाई दे रही है, इसमें से 290 करोड़ 56 लाख रुपये वसूल करने योग्य है। इसकी वसूली करने के लिए हम जो कानून, नियम उपलब्ध है, उसके तहत भी कार्रवाई कर रहे हैं। जिन लोगों ने इसमें चूक की है, उनके खिलाफ हम भारतीय दंड विधान संहिता की धाराओं के अन्तर्गत भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और वसूली की कार्रवाई करने का काम भी जारी है।

श्री ए. नरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, डिफाल्टर्स के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए इपीएफ की धारा 7क, 8, 8ख, 14 और 14ख मध्य प्रदेश अधिनियम, 1952 है। इसके अलावा आई.पी.सी. की धारा 406 और 409 है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या ये सभी एक्ट पुराने हैं और इन एक्ट्स में संशोधन लाने के बारे में कभी विचार किया है? अगर नहीं किया है, तो क्यों नहीं किया है? इसके अलावा मंत्री जी यह भी बतायें, जैसा कि उत्तर में लिखा है कि जहां आवश्यक होगा। एक्शन लिया जाएगा, मैं जहां आवश्यक होगा का मतलब नहीं समझा हूं। देश में इतने डिफाल्टर्स यूनिट्स हैं जिन पर आईपीसी की धारा 406 और 409 के तहत कार्यवाही की गई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन धाराओं के तहत कितनी यूनिट्स के खिलाफ कार्यवाही की गई है?

डा. सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, जैसी कि माननीय सदस्य को चिन्ता है जैसा कि वे जानते भी हैं, आई.पी.सी. की धारा 406 और 409 के तहत ब्रीच-आफ-ट्रस्ट, अमानत में खयानत भंग करने के कारण 1999-2000 में 1035 मामले दर्ज किए गए हैं, जिन पर कार्यवाही की जा रही है। भविष्य निधि में धारा 7(क) के अन्तर्गत 17367 प्रकरणों पर कार्यवाही की जा रही है। धारा 14 के अन्तर्गत 11108 प्रकरणों पर कार्यवाही की जा रही है। 14(ख) में 50 करोड़ 12 लाख रुपए विलम्ब से भुगतान करने के कारण शासकीय कार्यवाही की जा रही है। संगठनों से भविष्य निधि की राशि वसूल करने का काम हो रहा है, लेकिन जहां-जहां कठिनाइयां हैं, उनकी वैद्धिक बाध्यताओं को छोड़कर, पिछले वर्ष काफी राशि वसूल करने का काम निरन्तर जारी है। इस काम में सतर्कता लाने की दृष्टि से हमने कम्प्यूटर प्रणाली लागू करने का काम किया है, जिससे पता लग सके कि वसूली कब, कहां और कैसे हो रही है और उसको ठीक करने का काम किया जा सके। इस दृष्टि से हर कोशिश की जा रही है।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : महोदय, अगर हम मंत्री जी द्वारा उपलब्ध कराई गई तालिका को देखें तो वर्ष 1999-2000 में चूक की राशि सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में और फिर उत्तर प्रदेश में है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे यह बता सकते हैं कि देश के विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत कानूनी और दण्डात्मक कार्रवाई करने के बाद कितने मामलों में चूककर्ता इकाइयों से देयराशि की उगाही सरकार के लिए सम्भव थी। मेरे पास गुजरात राज्य से प्रत्यक्षत: प्राप्त सूचना है कि जब कोई कर्मचारी दुराचरण करता है तो उसकी वेतन-कटौती की जाती है और ज्यादातर मामलों में तो उसे नौकरी से सीधे बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन नियोक्ता के मामले में हम इतने धीमे क्यों हैं? अब तक कितने नियोक्ताओं को दण्डित किया गया है? कितने मामलों में अपने उक्त राशि की सफलतापूर्वक वसली की है?

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को चिन्ता है कि मजदूरों का पैसा जमा कराया जाना चाहिए और पैसा जमा नहीं कराने पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, जिससे कि ठीक प्रकार से भविष्य निधि का पैसा वसूल किया जा सके। उनकी चिन्ता से मैं भी सहमत हूं। हम जानते हैं कि भविष्य निधि की योजना में कामगार के वेतन का 12 प्रतिशत पैसा इस निधि में कटता है। उतना ही 12 प्रतिशत नियोक्ता के वेतन से कटता है। इस 24 प्रतिशत को प्रत्येक नियोक्ता को अगले महीने के 15 तारीख तक जमा कराना होता है। उसे पांच दिन की सुविधा जमा कराने के लिए और दी जाती है, किन्तु यदि 20 दिनों तक यह राशि जमा नहीं कराते हैं तो फिर वह चूककर्ता की श्रेणी में आ जाता है। ऐसे सारे चूककर्ताओं के साथ भविष्य निधि के कानून के अंतर्गत जो धाराएं हैं, उसके अंतर्गत कार्यवाही करने का काम किया जाता है। अभी जो माननीय सदस्य ने पूछा है, उसमें उनकी यह चिन्ता थी कि कानून बहुत पुराना है, इसमें संशोधन करने का काम करना चाहिए। इस दृष्टि से समय-समय पर जो भी सुझाव आते हैं, उन पर विचार करने का काम किया जा सकता है। भविष्य निधि का कानून मजदूरों के भविष्य और पेंशन के साथ जुड़ा हुआ है, इस दृष्टि से इस बारे में बहुत ही सतर्कता और सावधानी बरतते हुए हर कार्यवाही करने की कोशिश की जाती है। जैसा कि आपने पूछा है, इस कानून के तहत मैंने अभी धारा 7क के अंतर्गत आंकड़े बताए थे, क्योंकि धारा 7क के अंतर्गत कानून भी है। आप कहें तो मैं बता सकता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : कार्यवाही के बाद क्या सफलता मिली, यह मैं जानना चाहता हूं। इतने सारे कानून के बाद आपने जो कार्यवाही की, उसकी वजह से इन तीन सालों में आप कहां-कहां सफल हुए और कितने केसों में कितना पैसा रिकवर किया?

डा. सत्यनारायण जटिया : मेरे पास जो जानकारी उपलब्ध है वह मैं आपको बता देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप बाद में माननीय सदस्य को जानकारी भेज देना।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ : भविष्य निधि किसी कर्मचारी के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ है। कर्मचारियों से हर महीने अंशदान लिया

जा रहा है। लेकिन खेद की बात है कि नियोक्ता चूक कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि प्रधान अधिनियम में चूककर्ता कम्पनियों को दण्डित करने के मामले में कमी है। इसलिए क्या मैं मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार प्रधान अधिनियम में कुछ बेहद कड़े अंश जोड़ने पर विचार कर रही है ताकि चूककर्ता संस्थाओं को दण्डित किया जा सके और कर्मचारीगण भविष्य निधि के लाभ से वंचित न हों। भविष्य निधि के पेंशन के संबंध में भी कई प्रभाव हैं। अत: इस विशेष पहलू पर मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : कानून को और सुदृढ़ करने की दृष्टि से, और एफिशिएंट बनाने के लिए प्रावधान करने के बारे में आपने चिन्ता जाहिर की है, किन्तु इन सारी बातों के आधार पर भी कार्यवाही करने का काम हमने किया है। ऐसे मामलों में जहां नियोक्ता कामगारों की मजदूरी से भविष्य निधि का अंशदान काट लेते हैं और उसे जमा नहीं कराते हैं, उन पर भी हमने आईपीसी की धारा 406 और 409 के अंतर्गत आपराधिक मामले चलाए हैं। मैं आपको पिछले तीन वर्षों की जानकारी देता हूं, उसके आधार पर हमने जो एफआईआर दर्ज करवाए थे, वे 1997-98 में 496, 1998-99 में 111, 1999-2000 में 1035 थे। पुलिस ने भी इस बारे में चालान दायर किए थे, वे 1997-98 में 43, 1998-99 में 12 और 1999-2000 में 21 थे। इस प्रकार से आईपीसी की धारा 406 और 409 के अंतर्गत भी कार्यवाही करने का काम हम करते हैं। इसके साथ ही जो भविष्य निधि के कानून हमारे पास उपलब्ध हैं, उसके तहत जो भी कार्यवाही धारा 7 का, 14 और 14बी के अंतर्गत मौका उपलब्ध होता है तो इन सारी धाराओं को हम करते हैं। यदि माननीय सदस्य के सुझावों में कुछ और बातें आती हैं तो हम उन्हें भी स्वीकार करेंगे।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की योजनाएं

***243. श्री अनंत गुढे :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए हाल में तैयार की गई चालू योजनाओं की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान राज्य-वार, विशेषत: महाराष्ट्र में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और क्या उपलब्धियां रहीं;

(घ) क्या सरकार का विचार सहकारी क्षेत्र की रुग्ण कताई इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए कोई नई योजना तैयार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) द्वारा तैयार की गई योजनाएं कृषि संबंधी स्थायी समिति, वित्त संबंधी स्थायी समिति और अन्य संबंधित निकायों द्वारा अनुमोदित मौलिक बातों और शर्तों से भिन्नता रखती हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी हां।

(ख) से (छ) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग ने प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास के लिए नौवीं योजना के दौरान लागू करने हेतु विभिन्न योजना स्कीमें तैयार की हैं। उद्यमियों समेत विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त जानकारियों और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप खासतौर पर कार्य प्रक्रियाओं जिनमें सहायता का स्वरूप शामिल है, के संदर्भ में योजना स्कीमों की समीक्षा करने की जरूरत है ताकि कठिनाइयों को दूर किया जा सके और समग्र उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बीच में संशोधन किए जा सकें।

(ग) विभाग की स्कीमें परियोजना विशेष होती हैं न कि राज्य विशेष। विभाग स्वयं खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना भी नहीं करता और केवल गैर-सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, निजी उद्योगों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, मानव संसाधन विकास तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के वास्ते आसान शर्तों पर ऋण एवं अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है। महाराष्ट्र समेत विभिन्न राज्यों को पिछले तीन वर्षों (1997-98, 1998-99 और 1999-2000) के दौरान उपलब्ध कराई गई सहायता इस प्रकार है:-

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को उपलब्ध कराई गई
वित्तीय सहायता के राज्यवार ब्यौरे

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	57.50	20.85	233.650
2.	असम	4.80	192.00	247.560
3.	बिहार	52.00	—	9.780
4.	गुजरात	25.00	75.00	187.400
5.	हिमाचल प्रदेश	113.08	166.15	15.750
6.	जम्मू एवं कश्मीर	—	7.50	82.565
7.	कर्नाटक	56.75	25.80	126.625
8.	केरल	102.00	100.32	334.100
9.	मध्य प्रदेश	50.00	73.00	44.565
10.	महाराष्ट्र	179.80	146.77	254.940
11.	मणिपुर	14.43	30.41	56.680
12.	नागालैण्ड	10.05	99.00	104.720
13.	उड़ीसा	16.55	131.90	87.100
14.	पंजाब	89.45	48.15	25.000
15.	तमिलनाडु	99.50	22.43	122.913
16.	उत्तर प्रदेश	52.75	78.74	204.726
17.	पश्चिम बंगाल	—	205.60	177.956
18.	अंडमान-निकोबार	—	7.50	—
19.	दिल्ली	—	6.00	0.065
20.	मिजोरम	36.87	—	—
21.	मेघालय	—	—	44.300
22.	हरियाणा	—	—	57.500
23.	गोवा	—	—	1.248
	कुल	980.53	1437.12	2419.143

(घ) और (ङ) ग्रोअर कॉपरेटिव स्पिनिंग मिल्स की सहायता के लिए 1974-75 से केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम लागू है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रुग्ण सहकारी मिलों के पुनर्वास के लिए एक नया घटक शामिल किया गया है जिसमें पुनर्गठन के वास्ते रुग्ण स्पिनिंग मिलों हेतु आवधिक ऋण और पूंजी निवेश ऋण, ऋण का पुनर्निधारण, ब्याज दर में कमी, दण्डात्मक ब्याज और अन्य दण्ड, अतिरिक्त सीमान्त धनराशि, कार्यकारी पूंजी, भुगतान की विशेष शर्तें, नए ऋण के लिए सरकारी गारण्टी, ऋण को इक्विटी में बदलना, शुल्क से छूट/स्थगन, कर, शास्तियां, शुल्क, किसी अन्य प्रकार की राहतें/रियायतें आदि शामिल हैं।

(च) और (छ) स्कीम को सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार लागू किया जा रहा है। रुग्ण स्पिनिंग मिलों के पुनर्वास संबंधी नए घटक को कृषि तथा वित्त संबंधी संसद की स्थाई समिति की सिफारिशों पर शामिल किया गया था। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम इस स्कीम को लागू कर रहा है और उसने एक विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के अनुसार मार्गनिर्देश तैयार किए हैं। विशेषज्ञ दल की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:-

(1) सभी संबंधित पक्षों की संयुक्त रूप से और सख्ती से सहभागिता और सहमति।

(2) अलग-अलग समिति का अलग-अलग मामला।

(3) पुनर्वास की संभावना।

(4) समिति को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा 5 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता।

तदनुसार केवल उन्हीं रुग्ण स्पिनिंग मिलों, जो स्कीम के तहत सहायता की पात्रता को पूरा करती होंगी, पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पुनर्वास पैकेज हेतु विचार किया जाता है। इसलिए सिद्धांततः विभिन्न संबंधित निकायों द्वारा अनुमोदित मूल विशेषताओं व शर्तों में कोई अंतर नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढे : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि जो नौवीं पंचवर्षीय योजना में इनवेस्टमेंट की गई है वह केवल 24 करोड़ रुपए हैं, जो 1999 और 2000 में की गई है। उसके पहले दो साल में और भी कम है।

अध्यक्ष जी, भारत कृषि प्रधान देश है और इसकी 80 प्रतिशत आबादी का आधार कृषि है, लेकिन कृषि पर आधारित उद्योग बहुत कम हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि नौवीं पंचवर्षीय योजना को छोड़कर क्या कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए आपके पास कोई मोटीवेशन प्रोग्राम है? क्या आपने इस बारे में कोई अलग से विचार किया है और आगे आने वाली दसवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में ज्यादा इंवेस्टमेंट के लिए क्या आपने महाराष्ट्र के लिए कोई योजना बनाई है?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न कृषि प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित है। इस प्रश्न के दो हिस्से हैं। एक का संबंध डिपार्टमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से है और दूसरे का संबंध डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोओपरेटिव से है। अब कृषि के क्षेत्र में जो उन्होंने पूछा है वह फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के बारे में पूछा है। इस क्षेत्र में जो भी आउट-ले मूल प्रश्न के उत्तर में दिया गया है और जो पिछले तीन साल के खर्च के बारे में बताया गया है ...*(व्यवधान)* महाराष्ट्र के बारे में जो उन्होंने पूछा है वह जानकारी इसमे दी गई है कि महाराष्ट्र में कितना खर्च किया गया है।

श्री अनंत गुढे : मैंने पूछा है कि नौवें प्लान के सिवाय फूड प्रोसेसिंग प्लान में आपके डिपार्टमेंट का कोई अलग प्लान है?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष जी, फूड प्रोसेसिंग का काम कई क्षेत्रों में आता है। कई किस्म की स्कीमों को वे सपोर्ट करते हैं। अगर कोई फूड प्रोसेसिंग का यूनिट लगाना चाहता है उसको मदद दी जाती है तथा और कई प्रकार के प्रोजैक्ट्स में मदद होती है। रिसर्च एंड डेवलेपमेंट प्रोजैक्ट्स में मदद होती है, लैबोरेट्रीज को मदद होती है, कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स जो प्रोसेसिंग यूनिट्स के साथ जुड़े होते हैं, उनको मदद होती है, प्रोडक्शन यूनिट्स में मदद होती है तथा फूड प्रोसेसिंग और ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए भी मिनिस्ट्री की तरफ से मदद की जाती है। मोटे तौर पर मिनिस्ट्री का काम प्रमोशनल तथा और कई तरह का होता है। लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए होता है कि किस तरह से प्रोसेस फूड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इसके लिए ये एडवरटाइजमेंट का काम भी करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज भी देते हैं तथा कॉमन फैसिलिटीज स्थापित करने के लिए भी पैसा देते हैं। इस प्रकार से एक नहीं कई प्रकार की स्कीमें हैं जिनके बारे में अगर सदस्य जानकारी चाहेंगे तो हम उनको जानकारी दे देंगे। अध्यक्ष जी, अगर आपकी इजाजत हो तो हम इस बारे में सारी सूची पढ़ भी सकते हैं। पिछले तीन सालों में जो पैसा लगाया गया है उसका इसमें उल्लेख किया गया है। दसवीं योजना के बारे में अभी कोई तैयारी तो हुई नहीं है। कृषि नीति अभी आई है और उसमें वैल्यू एडीशन पर प्रोसेसिंग पर जोर दिया गया है कि इन क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जायेगा।

श्री अनंत गुढे : अध्यक्ष जी, पूरे नागपुर से लेकर नरखेड़ तक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में संतरा काफी उत्पन्न होता है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि संतरे के ऊपर फूड प्रोसेसिंग के लिए राज्य सरकार ने क्या कुछ प्लान बनाया है, अगर बनाया है तो केन्द्र सरकार की उसके लिए क्या मदद होती है और ऐसी कौनसी स्कीमें आपके पास मंजूरी के लिए पड़ी हुई हैं, जिनके लिए मंजूरी नहीं मिली है, उसकी जानकारी दें। ट्रेनिंग सेंटर के बारे में आपने कहा है तो मैं पूछना चाहता हूं कि विदर्भ में कहां पर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष जी, फूड प्रोसेसिंग में ज्यादा थ्रस्ट है क्योंकि जो हमारे फल और सब्जियां हैं उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर वे वहां उन्हें लगाना चाहें तो उनके लिये रॉ-मैटीरियल उपलब्ध है। यह हमारे मुल्क का दुर्भाग्य है कि हम दुनियाभर में फल और सब्जी उत्पादन करने के मामले में पहले और दूसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं। जहां तक प्रोसैसिंग का सवाल है, दो परसेंट से थोड़ा ज्यादा हमारे यहां प्रोसैसिंग हो पाता है और 30 परसेंट से ज्यादा प्रोडक्शन का नुकसान पोस्ट हारवैस्ट के समय हो जाता है। इसके लिये फूड प्रोसैसिंग सैक्टर में बहुत कुछ किया जाना चाहिये, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। इसलिये हम एंटरप्रीन्योअर्स को प्रोत्साहित करने के लिए कई स्कीम्स चलाते हैं। राज्य सरकारों की भी मदद करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण योजना फूड पार्क मान सकते हैं जिसमें कॉमन फैसिलिटी डेवलेप की जाती है। उसके लिये फूड प्रोसैसिंग डिपार्टमेंट चार करोड़ रुपये तक की मदद देता है। राज्य सरकार या अन्य संस्थायें आगे आयें तो बिजली, प्रोसैसिंग, कोल्ड चेन, वेस्ट डिस्पोज़ल इन सब चीजों के लिये कॉमन फैसिलिटी डेवलप करते हैं। एक तरह से फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्रियल पार्क या इंडस्ट्रियल एस्टेट की तरह है। अगर माननीय सदस्य इस तरह की कोई योजना बतायेंगे कि उनके इलाके की कौन सी समस्या हमारे मंत्रालय में रुकी हुई है, हम उस पर विशेष गौर करेंगे।

श्री अनंत गुढे : संतरे के बारे में?

श्री नीतीश कुमार : संतरा हो या कोई और फल हो, सबकी योजना है।

श्री मंजय लाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि जो प्रशिक्षण केन्द्र इसके लिये खोलते हैं, उनमें मानव संसाधन विकास अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं को प्रसंस्करण के लिये पैसा भी देते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने जो फिगर्स दी हैं, उसमें असम को 1997-98 में 4.80 लाख रुपया, 1998-99 में 192 लाख रुपया और इस साल 247.56 लाख रुपया दिया गया है। उसी तरह केरल को बहुत कुछ दिया गया है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को दिया गया है मगर बिहार को मात्र इस साल 9.78 लाख रुपया दिया गया। बिहार में साग-सब्जी बड़े पैमाने पर होता है। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि केन्द्र संस्थान को पैसा देते हैं....

अध्यक्ष महोदय : आपकी सप्लीमेंटरी क्या है?

श्री मंजय लाल : अध्यक्ष महोदय, बिहार में दो-दो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जहां अनुसंधान का काम होता है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जहां इन दोनों विश्वविद्यालयों में अनुसंधान का काम हो रहा है, क्या वे वहां पैसा देने के लिये तैयार हैं? साथ ही वहां के किसान जो साग-सब्जी पैदा कर रहे हैं, उन्हें सही कीमत मिल सके, इसके लिये क्या कर रहे हैं?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, हम रुपया देने के लिये तैयार हैं लेकिन लेने वाला होना चाहिये। बिहार में एक कहावत है:

"का पर करूं सिंगार, पिया मोरे आंगन।"

[अनुवाद]

डा. बिक्रम सरकार : अध्यक्ष महोदय, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए 1988 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई थी। ग्यारह वर्षों के बाद अक्टूबर, 1999 में इस मंत्रालय का स्तर कम करके इसे कृषि मंत्रालय का एक विभाग बना दिया गया। मूलत: 27 विषय हैं जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को आवंटित होने योग्य हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ से एक प्रश्न के लिए दो से अधिक अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति नहीं दी जा सकती।

डा. बिक्रम सरकार : सूची में 'एपीडा', एम.पी.ई.डी.ए., नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड, टी बोर्ड, स्पाइसेज बोर्ड, मैरीन प्रोडक्ट्स और डीप सी फिशिंग शामिल हैं। इन सभी संबंधित विषयों को वाणिज्य, कृषि आदि जैसे नौ या दस मंत्रालयों के अधीन रखने के बजाय समेकित कार्यकरण के लिए एक जगह लाने का विचार है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका पूरक प्रश्न क्या है? आपको सारी सूचना मंत्रालय को देने की जरूरत नहीं है।

डा. बिक्रम सरकार : मैं पूरक प्रश्न कर रहा हूं। सितम्बर, 1998 में इन्होंने यह सिफारिश भी की थी कि इन 27 विषयों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग को दिया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग या जो भी आप कहें, को केवल नौ विषय ही आवंटित किए गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि शेष 18 विषय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग को कब तक अन्तरित किए जाएंगे सभा को यह

बताया जाए। क्या वे यह सोचते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग को अंतरित किए जाने वाले इन विषयों के बिना यह विभाग उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगा जिसके लिए 1988 में मूलतः खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का सृजन किया गया था?

पूर्वाह्न 11.29 बजे

(इस समय दर्शक दीर्घा से कुछ नारे सुनाई पड़े और वहां से सभा में कुछ पर्चे फेंके गए।)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है तथा इन्होंने जो उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताया है, जिन परिस्थितियों में डिपार्टमेंट ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): अध्यक्ष महोदय, कोई दर्शक दीर्घा से सभा में कुछ फेंक रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सुरक्षाकर्मी इस पर कार्रवाई करेंगे।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए कामों के बारे में जानकारी दी है और उन्होंने जो इसकी पृष्ठभूमि की चर्चा की है कि किन परिस्थितियों में इस मिनिस्ट्री का गठन किया गया था और कौन-कौन से काम इसे दिये जाने थे और आज कौन से काम हैं, इसकी उन्होंने चर्चा की है तथा जो उन्होंने सवाल पूछा है कि जिस काम के लिए उसका गठन किया गया है, कब तक वे काम उन्हें सौंप जायेंगे, इसका जवाब देना हमारे डोमेन के बाहर है। लेकिन जहां तक इस सवाल का प्रश्न है कि जो भी काम आज डिपार्टमेंट के साथ अलॉटिड है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ एक डिपार्टमेंट है, उसमें हम इतना जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो काम फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, उन कामों में तेजी लाई जायेगी और इसी को ध्यान में रखते हुए फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए जितने सब अलग-अलग आइटम्स हैं, अलग-अलग लॉ हैं, उन्हें एक जगह इकट्ठा करने के लिए इस डिपार्टमेंट में प्रयत्न हो रहा है और उसे लेकर अगर उसकी तैयारी हो जायेगी तो एक फूड प्रोसेसिंग लॉ के रूप में उसे सरकार के अन्य मंत्रालयों के पास विचार के लिए भेजा जायेगा।

दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जो तकलीफ आ रही है, वह तकलीफ कई तरह के दूसरे कारणों से है, जिसके बारे में उन्होंने प्रश्न नहीं किया है, इसलिए मैं उसका उत्तर नहीं दे रहा हूं, उसके सामने जो बाधाएं हैं, वे दूसरी बाधाएं हैं। जिस ढंग से इसकी ग्रोथ हो रही थी और अचानक 1997 के बाद निगेटिव ग्रोथ हो रही है, उसमें टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर कुछ बातें हैं, वह एक अलग सवाल है, उसे हम फाइनेन्स मिनिस्टर के साथ टेक-अप कर रहे हैं। एक पालिसी के तौर पर फूड प्रोसेसिंग के लिए देश में पालिसी होनी चाहिए। उस पर भी एक अप्रोच पेपर हमारे डिपार्टमेंट ने तैयार किया है, उस अप्रोच पेपर पर सम्बद्ध लोगों की राय ली जा रही है और इस तरह के सेमिनार करने के बाद जो एक नीति उभर कर आयेगी, उसे हम सरकार में विचार के लिए ले जायेंगे और उसके बाद संसद में लायेंगे।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, पूर्वी भारत में – त्रिपुरा, असम में और पश्चिम बंगाल में मालदा में अनानास और संतरों की काफी पैदावार होती है। मंत्री जी ने खुद कहा है कि हमारा खाद्य उत्पादन दुनिया में अधिकतम उत्पादनों में से एक है; लेकिन हमारा प्रसंस्करण सबसे कम है। इसे देखते हुए क्या मंत्री जी खाद्य प्रसंस्करण परियोजना शुरू करने के लिए मंत्रालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को संसद सदस्यों को परिपत्रित करने पर विचार करने की कृपा करेंगे ताकि हम आपके मंत्रालय से सीधे सम्पर्क कर सकें? मंत्रालय को इसे राज्य सरकार को भेजने की प्रक्रिया छोड़ देनी चाहिए। इससे एक और समस्या पैदा हो रही है। राज्य सरकारें इन्हें महीनों लम्बित रखती हैं और संबंधित लोगों तक नहीं भिजवातीं। हम संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से खर्च करने को तैयार हैं। अधिकांशतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग इस पर काम कर रहे हैं। क्या मंत्री जी संसद सदस्यों को विस्तृत मार्गनिर्देश भेजने पर विचार करने की कृपा करेंगे ताकि हम संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में उपलब्ध धनराशि का उपयोग कर सकें?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट से जो भी नॉर्थ ईस्ट से संबंधित काम हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जो माननीय सदस्य आते हैं, उन्हें मैं उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। लेकिन इसके साथ ही मैं उन्हें सूचना देना चाहता हूं कि सरकार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हॉर्टीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए बहुत जल्दी एक टैक्नोलोजी मिशन लॉन्च करने वाली है। जिसमें रिसर्च का भी कंपोनेन्ट है, प्रोडक्शन

डैवलपमेंट मार्केटिंग का भी कंपोनेन्ट है और प्रोसेसिंग का भी कंपोनेन्ट है। जो उस टैक्नोलॉजी मिशन में प्रोसेसिंग का कंपोनेन्ट है, वह फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के माध्यम से किया जाएगा और जैसे ही उसके बारे में अंतिम मंजूरी प्राप्त होती है, उसकी जानकारी हम माननीय सदस्यों को कराएंगे।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों की सूची से अनारक्षित की गई वस्तुएं

***244. श्री +श्रीनिवास पाटील :**
श्री सुबोध मोहिते :

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में लघु उद्योगों की सूची से कुछ चुनिंदा वस्तुओं को अनारक्षित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप लघु उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) सरकार द्वारा लघु उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

श्री श्रीनिवास पाटील : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या लघु उद्योग क्षेत्र में आरक्षण समाप्त करने के मुद्दे पर प्रधान मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है जिन्होंने वाणिज्य, वस्त्र, लघु उद्योग, वित्त मंत्रियों और योजना आयोग के उपाध्यक्ष को शामिल करके अंतर-मंत्रालयीय ग्रुप का गठन किया है जैसाकि 3 जुलाई, 2000 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है।

श्री उत्तमराव ढिकले : अध्यक्ष महोदय, प्रतिदिन मैं कुछ पूरक प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मुझे अवसर नहीं मिल रहा है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी स्लिप भी देख ली है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्रीमती वसुंधरा राजे : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 3 फरवरी, 2000 को हुई सलाहकार समिति की बैठक ने कुछ बातों की सिफारिश की थी और उन सिफारिशों को प्रधान मंत्री के ध्यान में लाया गया था। इन सिफारिशों में से कुछ सिफारिशें इन तीन मदों की नामावली में परिवर्तन करने, या वस्तुओं पर निवेश सीमा को एक करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाने और 15 वस्तुओं पर आरक्षण समाप्त करने आदि में परिवर्तन करने के लिए थी। तथापि सरकार ने किसी वस्तु को आरक्षणमुक्त नहीं किया है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में 28 जून, 2000 को मंत्रियों का एक दल गठित किया गया था और वाणिज्य तथा उद्योग, वस्त्र वित्त मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष सभी इस दल में थे। उनका सार यह था लघु उद्योग क्षेत्र को शक्तिशाली बनाया जाए और चुनींदा आरक्षणमुक्त क्षेत्रों के लिए एक सड़क मानचित्र भी बनाया जाए। किसी प्रकार के आरक्षण समाप्त करने के बारे में कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

श्री श्रीनिवास पाटील : महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या लघु उद्योग मंत्री ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने तथा संयंत्र और तंत्र पर निवेश सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने का भी कोई प्रस्ताव अग्रेषित किया है।

श्रीमती वसुंधरा राजे : महोदय, कुछेक बातें जिन पर यहां चर्चा की जा सकती है। वे कुछ ऐसे अनुरोध थे जो हमें कुछ चीजों का आरक्षण समाप्त करने हेतु क्षेत्रों तथा मंत्रालयों से प्राप्त हुए थे। एस.पी. गुप्ता समिति ने हाल ही में एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। समिति ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। ये सुझाव मंत्रियों के दल के समक्ष है और इन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते : स्माल स्केल इंडस्ट्रीज का जो सवाल है, वह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

[अनुवाद]

इस समय तीन प्रकार के उद्योग हैं। पहली, बड़ी कम्पनियां अर्थात् बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं। दूसरी टाटा और बिरला की कंपनियां हैं जिन्हें हम निगमित बड़ी सधर्मी कम्पनियां कहते हैं, तीसरे स्थान पर मध्यम और लघु उद्योग आते हैं। पुरानी प्रौद्योगिकी, उच्च लागत और बाल श्रम छोटे उद्योगों की कंपनियां हैं। तथापि, इनके कुछ

लाभ भी हैं नामतः इनसे अधिक से अधिक रोजगार सृजन होता है तथा महाश्रम वाले उद्योग आदि स्थापित होते हैं। इसके अतिरिक्त लघु उद्योगों में तैयार 50 प्रतिशत वस्तुओं का निर्यात किया जाता है।

[हिन्दी]

मैं एक पेपर मंत्री जी को दिखाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

तथापि, हमारे मंत्री जी बहुत सक्षम हैं। मंत्री जी ने एक वक्तव्य इस प्रकार दिया है:

> ''हम छोटे उद्योगों को समर्थन देंगे, परंतु हम उन्हें संरक्षण नहीं देंगे।''

[हिन्दी]

मैं जानना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री का कनसेप्ट क्या है?

[अनुवाद]

मैं जानना चाहता हूं कि वे उनको संरक्षण दे रहे हैं अथवा वे उनको केवल समर्थन दे रहे हैं। यह मेरा पहला प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न है......

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप दो प्रश्न नहीं पूछ सकते। आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री सुबोध मोहिते : दूसरे, मौजूदा समस्याओं को निपटाने के लिए सरकार के पास विशेष योजनाएं क्या हैं? लघु उद्योगों को सुदृढ़ बनाने और उनमें सुधार करने हेतु क्या योजनाएं हैं?

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, सर्वप्रथम, मैं नहीं समझती कि वक्तव्य मैंने दिया हो। जहां तक मेरा संबंध है, हमारी स्थिति इस मंत्रालय और सरकार में स्पष्ट है कि लघु उद्योगों को शक्ति प्रदान करने के लिए उन्हें समर्थन देना आवश्यक है ताकि नई सहस्राब्दि में लाने का उनमें विश्वास जगाया जा सके। इसे ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री ने विशेषकर इस विचार के साथ लघु उद्योग मंत्रालय बनाया है। अतः मुझे लगता है कि यह वक्तव्य निश्चित रूप से मैंने नहीं दिया है।

मैं यहां उन कदमों के बारे में बताना चाहती हूं जो सरकार लघु उद्योग को सुदृढ़ करने हेतु उठा रही है। सदस्य इसी विषय में पूछ रहे थे। हमने पता लगाया कि लघु उद्योग को दरपेश प्रमुख समस्या ऋण सुविधा की है। इस बात को ध्यान में रखकर अब हमने ऋण गारंटी योजना शुरू की है जो एक माह के भीतर चालू हो जाएगी।

प्रौद्योगिकी उन्नयन भी इस क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक है। यह मुद्दा भी मंत्रियों के दल के समक्ष है। हमें विश्वास है कि कुछ विलंबित भुगतान और राजकोषीय विसंगतियां हैं और तो और उत्पाद शुल्क ढांचे में भी कर संबंधी विसंगतियां हैं। इस समय ये सभी बातें मंत्रियों के दल के समक्ष हैं। इन पर चर्चा की जा रही है और इनका हल निकाला जा रहा है।

इस सबके अतिरिक्त, हमने लघु उद्योग को समान क्षेत्र पर लाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। उनमें राजकोषीय उपायों जैसे अनेक उपाय हैं जो हमने हाल ही में किए हैं। यह कुछ राष्ट्रीय इक्विटी कोष जैसा ही करना है। इससे ऋण की सीमा समानान्तर बिना एक लाख रुपये से बढ़कर पांच लाख तक हो जाएगी। राजकोषीय क्षेत्र में हमने और भी उपाय किए हैं।

मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नेशनल इक्विटी फंड के तहत आज सिडबी द्वारा दिए गए ऋणों के लाभानुभोगियों की संख्या 11992 है जो काफी बड़ी संख्या है। इसमें 130 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई है। 107 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं। लघु उद्योग को सुदृढ़ करने हेतु उठाया गया यह एक प्रमुख उपाय है।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, लघु उद्योगों, ग्रामीण उद्योगों कृषि उद्योगों और छोटे उद्योगों के संबंध में माननीय मंत्री के अब तक पुष्ट विचार और लघु उद्योगों के लिए आज तक आरक्षित नए क्षेत्र खोलने के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, बड़े भारतीय घरानों और अन्यों द्वारा दिए जा रहे दबाव सुविदित हैं। मेरा प्रश्न आरक्षण समाप्त करने के बारे में नहीं है। भारतीय संविधान में निर्यात क्षमता और रोजगार क्षमता के कारण लघु उद्योगों, ग्रामीण उद्योगों और संबंधित क्षेत्रों में मौजूदा कौशल को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रालय का विचार क्या कदम अथवा ठोस उपाय करने का है?

दूसरे, बेहतर और पर्याप्त ऋण सुविधाएं ठोस रूप में किस प्रकार उपलब्ध कराई जा सकती है? सरकार का विचार क्या करने का है?

तीसरे, जहां तक उल्लिखित प्रौद्योगिकी मिशन और क्षेत्र-वार और सैक्टर-वार छोटे उद्योगों को उन्नत बनाने का संबंध है। बढ़ते दबावों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रवेश जो सरकार द्वारा ऐसी घोषणा के बिना ही प्रवेश कर गई हैं, के मद्देनजर सरकार का विचार क्या व्यापक नीति बनाने का है?

अध्यक्ष महोदय : इन तीन प्रश्नों का एक ही उत्तर है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, जहां तक उदारीकरण का संबंध है, हां, लघु उद्योग के समक्ष कुछ समस्याएं आएंगी। लेकिन हम सुरक्षा के उपाय करने जा रहे हैं। वे सुरक्षोपाय निर्धारित दर तक, यदि यह दर इस समय कम नहीं है तो शुल्क लगाने का है और पाटन-रोधी शुल्क लगाने का है। निर्धारित दरों से आगे शुल्क के मामले में हम कुछ उपाय करने जा रहे हैं, और वह है निर्यातकर्ता देशों के निर्यातकों द्वारा आरोपित राजसहायता के विरुद्ध सी.वी.डी. लगाना और गुणात्मक और मात्रात्मक प्रतिबंध लगाना। मैं यहां कहना चाहती हूं कि उन सभी उपायों जो हमने किए हैं, के साथ-साथ हम अनुसंधान और विकास क्षमता, प्रौद्योगिकी क्षमता और प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण तेजी से करने पर अधिक जोर दे रहे हैं क्योंकि जब तक यह कार्य नहीं किया जाता, तब तक लघु उद्योग उपभोक्ताओं के साथ समान अवसर पर प्रतिस्पर्द्धा करने की स्थिति में नहीं आएगा जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है।

इस समय हम, प्रौद्योगिकी का उन्नयन और आधुनिकीकरण कोष पर ध्यान दे रहे हैं जो इस समय मंत्रियों के दल के समक्ष बड़ी राशि हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। हमें आशा है कि इस विषय पर शीघ्र ही कुछ प्रगति होगी।

जहां तक ऋणों का संबंध है, मैं इसका पहले ही उल्लेख कर चुकी हूं कि हमारे पास एक ऋण प्रतिभूति प्रणाली है जिसका उल्लेख पिछले वर्ष माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण में पहले ही कर दिया गया है जो अगले माह शुरू होने जा रही है। इस समय 125 करोड़ रुपये की योजना पर सिडबी और लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा एक साथ काम करने की बात सोची गई है। इसमें से 100 करोड़ रुपये सरकार, लघु उद्योग मंत्रालय और 25 करोड़ रुपए सिडबी द्वारा दिए जाने हैं। एक न्यास बनाया गया है जिसके साथ हम बिना किसी गारंटी के 10 लाख रुपए तक ऋण देने के लिए साधन और उपाय तैयार कर सकेंगे। हमें आशा है कि ऐसा बहुत जल्दी होगा।

श्री बिक्रम केशरी देव : महोदय, लघु उद्योग के उत्पाद विशेषकर वस्त्र का निर्यात यूरोप में किया जा रहा है। क्या माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जिस वस्त्र का निर्यात यूरोपीय संघ के बाजार में किया जाता है, लघु उद्योग का अधिकतर सामान डम्प कर दिया जाता है महोदय, मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देश में लघु क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश करने के कारण अधिकतर लघु उद्योग अनुप्रयोज्य आस्तियां बनकर रह गई हैं। क्या माननीया मंत्री उनके नाम लिखाएंगी कि ऐसे कितने उद्योग हैं जिन पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने हमला किया है और जिन्होंने स्वदेशी आन्दोलन की रक्षा की है?

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, यहां मेरे पास लघु उद्योग क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र का 1991-92 से लेकर 1999-2000 तक का एक तुलनात्मक वृद्धि चार्ट है। मुझे सभा को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि 1991 में लघु उद्योग क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र का कार्य निष्पादन 3.1 प्रतिशत था जबकि औद्योगिक क्षेत्र का कार्य निष्पादन 0.6 प्रतिशत था। यह वृद्धि बढ़ती रहती है और इसमें सुधार होता रहता है। 1997 तक हमारे पास 8.43 प्रतिशत वृद्धि दर थी जबकि औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत का बढ़ गया।

श्री बिक्रम केशरी देव : महोदय, मैंने भारतीय सामान की डंपिंग के बारे में पूछा है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मैं उसी पर आ रही हूं।

यही कारण है कि मैं इस तथ्य के बावजूद उल्लेख कर रही हूं कि लघु उद्योग क्षेत्र ने बिना मंत्रालय और बिना किसी प्रमुख सहायता प्रणाली के काम किया है और अब भी अच्छा काम किया है। अब उस सहायता प्रणाली से जो हम बनाने जा रहे हैं, मैं सभा को आश्वस्त करती हूं कि हम इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, सभी उपाय करेंगे।

जहां तक पाटन-रोध का संबंध है, जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है, हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं। यह 'हितसाधन उपाय' के तहत आता है। यह विश्व व्यापार संगठन के समक्ष आएगा और यह वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आता है। इस पर कड़ी निगरानी रखने के लिए एक निकाय बनाया गया है। मुझे सभा को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वाणिज्य मंत्रालय के पाटन-रोधी निदेशालय के समक्ष कोई भी मामले नहीं लाए गए हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, आज 9 अगस्त अर्थात् 'भारत छोड़ो' दिवस है। यह प्रश्न यहां इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नई दिल्ली में एक सार्वजनिक समारोह में कहा था: 'देश की आत्म-निर्भर अर्थ-व्यवस्था में लघु उद्योगों का महत्व विशद क्षेत्र के उद्योग को सहायक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में हैं।' तो क्या माननीया मंत्री अपने मंत्रालय की ओर से निम्नलिखित क्षेत्रों, नामत: चाय उद्योग के घटक, हथकरघा या बिजली करघा उद्योग, वस्त्र, मोटर साइकिल, साइकिल और रेशम अपशिष्ट, को सुरक्षा प्रदान कराएंगी? इन लघु उद्योगों में पुर्जों के विनिर्माण में (लुधियाना) पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आए बहुत ही कुशल कामगार काम करते हैं। पिछले एक वर्ष से इकाइयां बंद हो रही हैं। ये इकाइयां

समाप्त हो रही हैं और इन पुर्जों का भारत में बड़े पैमाने पर आयात हो रहा है। क्या माननीया मंत्री इस नीति के प्रभाव की पहचान करने के लिए और लघु उद्योग क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर श्वेत-पत्र जारी करेंगी और अगले सत्र में संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी?

इन इकाइयों को बचाने के लिए क्या-क्या विशेष उपाय किए गए हैं। लुधियाना से चीखें आ रही हैं, वहां कुछ इकाइयां बंद हुई हैं। उत्तर प्रदेश में, आधा दर्जन इकाइयां बंद हो गई हैं। मैं आपको बताता हूं कि इस नीति के कारण हावड़ा में मोटर साइकिल और एम्बैसडर कार के पुर्जे बनाने वाली लघु क्षेत्र की इकाइयां बंद हो गई हैं। क्या मंत्री महोदया, इसके प्रत्यक्ष प्रभाव की पहचान करने के लिए श्वेत-पत्र जारी करेंगी और प्रत्येक चुनिंदा क्षेत्र के लिए बचाव के उपाय सुनिश्चित करेंगी?

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, लघु उद्योग क्षेत्र के प्रति सरकार की चिन्ता इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि लोकतंत्र के 50 वर्ष के बाद पहली बार लघु उद्योग मंत्रालय बनाया गया है। हम लघु उद्योग क्षेत्र की संवेदनशीलता के प्रति चिन्तित हैं। इस बात में हमारी रुचि है कि इन्हें अधिकार प्राप्त हों। हमारी इस बात में रुचि है कि जहां हम उन्हें मजबूत कर सकते हैं, मजबूत करेंगे, और इसी उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।

एक ऐसी गणना कराने का सुझाव है जिससे यह पता चल सके कि किस क्षेत्र में क्या दोष है और कहां है। हम यह गणना इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि पिछले सात महीने की अल्प अवधि में हमने कई अध्ययन किए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप अपने अधिकारियों के साथ लुधियाना और हावड़ा जाकर कारखानों को स्वयं देखें। इसके लिए आपको मुझ पर भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं, आप स्वयं जाएं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती वसुंधरा राजे : मैं भी वही कह रही हूं जो अभी-अभी माननीय सदस्य ने कहा है। हम प्रयास कर रहे हैं। किसी मंत्रालय के लिए सात महीने की अवधि बहुत कम होती है। हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं और अगले कुछ वर्षों में आपके सामने संतोषजनक परिणाम सामने लाएंगे।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : अध्यक्ष महोदय, आप महिला सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। लघु उद्योग क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

परियोजनाओं की समीक्षा

***246. श्रीमती रेनु कुमारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान योजना आयोग द्वारा वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित धनराशि से शुरू की गई परियोजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने उक्त प्रयोजनार्थ आवंटित की गई धनराशि का उपयोग नहीं किया है; और

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित की जाने वाली राशि में वृद्धि/कटौती करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गए हैं?

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। योजना आयोग द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं में किए गए योजना आबंटनों और विभिन्न क्षेत्रकों के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इन समीक्षाओं की परिणति, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना चर्चाओं के दौरान विभिन्न स्कीमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समग्र समीक्षा में होती है। वर्तमान मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत, राज्य उस समय तक एक स्कीम से दूसरी स्कीम में निधियों का विचलन कर सकते हैं जब तक उद्दिष्ट क्षेत्रकों/स्कीमों में परिवर्तन नहीं किया जाता। मार्गनिर्देशों के अनुसार अनुमोदित अथवा संशोधित अनुमोदित योजना परिव्यय के संदर्भ में, उद्दिष्ट परिव्ययों से किए गए किसी विचलन और योजना व्यय में कमी के लिए भी सामान्य केन्द्रीय सहायता का समायोजन किया जाता है/आनुपातिक आधार पर उसमें कटौती की जाती है।

(ख) पिछले 2 वर्षों के दौरान कथित प्रयोजन के लिए आबंटित निधियों का उपयोग न करने वाले राज्यों के नाम संलग्नक में दिए गए हैं।

(ग) किसी निर्दिष्ट वर्ष में राज्यों के वार्षिक योजना आबंटनों का निर्धारण, उनके अपने वित्तीय संसाधनों और योजना वित्त पोषण के लिए राज्य सरकार के पास उपलब्ध केन्द्रीय सहायता के आधार पर किया जाता है। जबकि सामान्य केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत आबंटन दिसम्बर, 1991 में राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी.) द्वारा अनुमोदित गाडगिल फार्मूला पर आधारित है, क्षेत्र कार्यक्रमों और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ई.ए.पी.) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) के अन्तर्गत आबंटन भारत सरकार द्वारा उपलब्ध सकल बजटीय सहायता की सीमाओं के भीतर राज्यों की क्षेत्रक/परियोजना आवश्यकताओं पर आधारित हैं।

संलग्नक

वे राज्य, जिन्होंने वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान नियत प्रयोजन के लिए आबंटित निधियों का उपयोग नहीं किया है

1998-99

1. अरुणाचल प्रदेश
2. असम
3. गोआ
4. गुजरात
5. महाराष्ट्र
6. मिजोरम
7. नागालैंड
8. राजस्थान
9. तमिलनाडु
10. त्रिपुरा
11. उत्तर प्रदेश
12. पश्चिम बंगाल

1999-2000

1. गुजरात
2. सिक्किम

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती रेनु कुमारी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैडम, अब महिला सदस्य प्रश्न पूछ रही हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती रेनु कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहती हूं कि जिन राज्यों ने योजना आयोग द्वारा नियत प्रयोजन के लिए आबंटित निधियों का उपयोग नियत समय तक नहीं किया है, उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाई की है और उसके क्या परिणाम निकले हैं? क्या बिहार राज्य ने उस राशि का उपयोग किया है और अगर किया है तो उसकी प्रगति रिपोर्ट क्या है?

श्री अरुण शौरी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में बताया गया है। उसमें इन्होंने पूछा था कि कौन-कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ईयरमार्कड स्कीम्स का पूरा प्रयोग नहीं किया। जिन-जिन राज्यों में कटौती हुई है, उनकी लिस्ट दी गई है। आप देखिए, बिहार उसमें नहीं है इस स्कीम का स्पैशल महत्व है कि करीबन 50 प्रतिशत सैंट्रल असिस्टैंस कुछ सैक्टर्स के लिए ईयरमार्क की जाती है। अगर उन सैक्टर्स में वह ऐक्सपैंडीचर हो जाता है तो कटौती नहीं होती और बिहार में इम्प्लीमैंटेशन और चीज है मगर ऐक्सपैंडीचर जरूर हो जाता है। इसलिए कटौती नहीं हुई। उनकी ऐक्सपैंडीचर स्टेटमैंट भी आ जाती है। *...(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह : जब बिहार का कोई प्रश्न आता है *...(व्यवधान)* आपके नियम में लिखा हुआ है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.54 बजे

(इस समय डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री राजो सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीटों पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, आप बैठ जाइये। आप, प्लीज अपनी सीट पर जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। बहुत हो गया।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट पर बैठ जाइये। यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, यहां से वहां जाकर बैठ जाइये। यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राजो सिंह, कृपया अपने स्थान पर जाएं। प्लीज, आप बैठ जाइये।

पूर्वाह्न 11.56 बजे

(इस समय डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री राजो सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल न किया जाए।

...(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, अब आप बोलिए। कृपया बैठ जाइए। यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए। यह क्या हो रहा है? यह ~~प्रश्न काल है।~~ कृपया आप इसे समझिए।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, सभा में आपका व्यवहार सही नहीं है। यदि आपको कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो आप मांग सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप पहले सुनिए। आपको कोई क्लैरीफिकेशन चाहिए तो सप्लीमेंटरी में पूछना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, आपसे अनुरोध है कि मंत्री महोदय को परामर्श दें।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को बात पूरी करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए। यह क्या हो रहा है? मैं अपनी बात कहने के लिए खड़ा हूं। यह क्या हो रहा है? आप कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले बैठिए। यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, प्लीज।

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, मेरे सहयोगी ने उत्तर देते समय जो कुछ कहा है, उससे उनका इरादा बिहार के माननीय सदस्यों की भावनाओं को आहत करने का नहीं था। ...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार : और क्या था? ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वे बोलेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री तरित बरण तोपदार, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया बैठ जाइए। आप बैठ जाइये, प्लीज।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री तरित बरण तोपदार, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ कहा गया, वह इसलिए नहीं था कि भावनाओं को चोट लगे। बिहार के सारे सदस्यों का इस तरह से उत्तेजित होना, अगर कोई उत्तर ...*(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे : सारे सदस्य नहीं ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप तो बैठें। मेरा मतलब प्रतिपक्ष के सारे सदस्यों से है ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : बिहार की दस करोड़ आबादी से मंत्री जी माफी मांगें ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, मैं आपके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं? यह सब क्या हो रहा है?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

कच्चे काजू/काजू का उत्पादन

*242. **श्री पी. राजेन्द्रन :**
श्री प्रभात सामन्त राय :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना में काजू/कच्चे काजू के बागानों को प्रोत्साहन देने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) वर्तमान वर्ष के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) और (ख) जी, हां। सरकार नौवीं योजनावधि में काजू विकास हेतु 70.00 करोड़ रुपये के परिव्यय से भारत में काजू और कोको संबंधी समेकित विकास कार्यक्रम पर एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित कर रही है। नौवीं योजना के लिए कार्यक्रम का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे काजू के उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

(ग) कच्चे काजू के उत्पादन का लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित नहीं किया जाता है। तथापि नौवीं योजना के अंत तक कच्चे काजू का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य एक मिलियन मी. टन होने की परिकल्पना की गई है।

विवरण-I

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान काजू-विकास-कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम	लक्ष्य है. में	परिव्यय (लाख रु.)
1	2	3	4
(क) राज्यों द्वारा निष्पादित करने के लिए कार्यक्रम			
1.	नए बागानों का विकास और रखरखाव	85400	4672.773
2.	पुराने काजू बगानों में पुन: पौधरोपण		
	(क) निजी जोत	8000	583.228
	(ख) निगम	7500	158.721
3.	पादप रक्षण उपायों को अपनाना	82115	656.920
4.	निष्पादन अवसंरचना	-	408.650
	कुल (क)		6480.292
(ख) काजू और कोको विकास निदेशालय द्वारा मानिटरन किए गए कार्यक्रम क्षेत्रीय नर्सरियों की स्था (सं.)			
1.	क्षेत्रीय नर्सरी की स्थापना (सं.)	103.5	162.000
2.	माडल क्लोनल काजू बागानों का विकास प्लाटों की (सं.)	1085	43.292
3.	कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम (किसानों की सं.)	2[illegible]650	48.320
4.	पादप रक्षण अभियान (सं.)	140	10.360

1	2	3	4
5.	काजू और कोको के लिए प्रचार उपाय	-	39.750
6.	विपणन और प्रसंस्करण के लिए अवसंरचना विकास (यूनिट की सं.)	10	50.000
7.	काजू सेव के लिए मॉडेल प्रसंस्करण एकक (सं.)	-	15.000
8.	काजू और कोको विकास निदेशालय के लिए निष्पादन अवसंरचना	-	162.246
	कुल (ख)		530.958
	कुल योग (क+ख)		7011.260

विवरण-II

कच्चे काजू का राज्यवार उत्पादन

	राज्य	उत्पादन (000 मी. टन)		
		1997-98	1998-99	1999-2000
1.	आंध्र प्रदेश	50	80	100
2.	गोवा	25	20	30
3.	कर्नाटक	35	40	60
4.	केरल	100	130	100
5.	महाराष्ट्र	60	85	125
6.	उड़ीसा	45	50	40
7.	तमिलनाडु	30	35	45
8.	पश्चिम बंगाल	6	8	8
9.	अन्य	9	12	12
	कुल	360	460	520

विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास केन्द्र

***245. श्री नारायण दत्त तिवारी :**
श्री पुष्प जैन :

क्या समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विकलांग व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों (वी.आर.सी.) और जिला पुनर्वास केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि वर्तमान व्यवस्था बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो देश में राज्यवार ऐसे और केन्द्रों की स्थापना हेतु क्या कदम उठाए जा रहे है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने विकलांग व्यक्तियों की संख्या पर सूचना एकत्र करने के लिए वर्ष जुलाई-दिसम्बर, 1991 के दौरान 47 दौर का एक राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण किया है, वर्ष 1991 में किए गए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार पर जनसंख्या का लगभग 5% किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से पीड़ित होने का अनुमान है। विकलांग व्यक्तियों की जनसंख्या के राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	विकलांग व्यक्तियों की अनुमानित संख्या (2000 में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1572
2.	असम	271
3.	बिहार	1361
4.	गुजरात	695
5.	हरियाणा	304
6.	हिमाचल प्रदेश	140
7.	कर्नाटक	876
8.	केरल	556
9.	मध्य प्रदेश	1287
10.	महाराष्ट्र	1819
11.	उड़ीसा	720
12.	पंजाब	531
13.	राजस्थान	723
14.	तमिलनाडु	1236
15.	उत्तर प्रदेश	2550
16.	पश्चिम बंगाल	1179
	अखिल भारत	16154

नोट : 1. इन आंकड़ों में दृष्टि, (2) श्रवण, (3) वाणी, तथा (4) चलन संबंधी विकलांगता शामिल है।

2. शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए परिणाम प्रस्तुत नहीं किए गए हैं क्योंकि प्रतिदर्श के आकार को विश्वसनीय अनुमान प्रदान करने की दृष्टि से पर्याप्त रूप से बड़ा नहीं माना गया। तथापि, अखिल भारतीय स्तर पर प्रस्तुत परिणामों में सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। व्यक्तियों को दी गई अनुमानित संख्या प्रक्षेपित जनगणना जनसंख्या के प्रति सर्वेक्षण आधारित अनुपात का प्रयोग करके प्राप्त की गई है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने भी जुलाई-दिसम्बर, 1991 के दौरान सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विलम्बित मानसिक विकास वाले बच्चों (आयु 0-14 वर्ष) के लिए एक अलग सर्वेक्षण (रिपोर्ट सं. 391) किया गया। इस सर्वेक्षण से बच्चों में लगभग 3 प्रतिशत के देर से मानसिक विकास के संभावित स्तर का पता चला। इसके अतिरिक्त देश में 4 मिलियन व्यक्तियों के कुष्ठ रोग से प्रभावित होने का अनुमान है। इस प्रकार देश में समस्त रूप से विकलांगता की व्यापकता लगभग 5 प्रतिशत है। सरकार ने अब घरेलू अनुसूची में विकलांग व्यक्तियों के बारे में एक प्रश्न शामिल करने का निर्णय लिया है जिसे शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या का पता लगाने के लिए भारत की वर्ष 2001 की जनगणना के दौरान लोगों की राय जानने के लिए शामिल किया जाएगा।

(ख) इस समय 10 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से ग्यारह जिला पुनर्वास केन्द्र हैं। आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में श्रम मंत्रालय के अंतर्गत सत्रह व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र हैं।

(ग) और (घ) हाल ही में सरकार ने विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों को व्यापक रूप से शामिल करने तथा उनके समग्र पुनर्वास के लिए अनेक योजनाएं तैयार की हैं जो इस प्रकार हैं:-

1. विकलांग व्यक्तियों को घरों पर व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए सौ से अधिक जिलों की पहचान की गई है। पहचान की गई सेवाओं में संयुक्त पिटमेंट और पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना करना शामिल है। ऐसे केन्द्रों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

2. विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं के लिए पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए और प्रशिक्षण तथा जनशक्ति विकास हेतु अवसंरचना सृजन के लिए जम्मू और

कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों के लिए संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों (सी.आर.सी.) की एक योजना अनुमोदित की गई है।

3. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उड़ीसा राज्यों के लिए सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु मेरूदंड क्षतिग्रस्त व्यक्तियों और अन्य अस्थि विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए चार क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्रों की एक योजना 90:10 के आधार पर केन्द्र और राज्य की हिस्सेदारी से केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के रूप में अनुमोदित की गई है।

4. इसके अतिरिक्त विकलांग व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य/जिला/ब्लाक और ग्राम पंचायत स्तर पर अवसंरचना सृजन के लिए राज्य क्षेत्र में एक नई चार आयामों वाली योजना नामतः विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया है।

ये कदम विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए इस मंत्रालय की चल रही योजनाओं/कार्यक्रमों के अतिरिक्त उठाए गए हैं। प्रत्येक बड़े क्षेत्र में स्थापित छः राष्ट्रीय संस्थान/शीर्ष स्तरीय संस्थान हैं जो दीर्घावधि और अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जनशक्ति विकास के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास सेवाओं, पुनर्वास वाह्य पहुंच कार्यकलापों के माध्यम से पहुंच में न आए व्यक्तियों तक सेवाएं पहुंचाने तथा अनुसंधान और विकास सहित सेवाएं प्रदान करते हैं। विकलांगों के उद्यमीय कार्य में सहायता करने के लिए 1997 से राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एन.एच.एफ.डी.सी.) कार्य कर रहा है। व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र विकलांग व्यक्तियों की अवशिष्ट क्षमता का मूल्यांकन करते हैं तथा उन्हें आवश्यक व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मंत्रालय अपनी दो योजनाएं अर्थात् विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने की योजना (समग्र योजना) तथा सहायक यंत्र और उपकरणों की योजना (ए.डी.आई.पी.) के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकलापों को समर्थन भी देता है।

विवरण

विकलांग व्यक्तियों हेतु जिला फिटमेंट केन्द्रों की राज्यवार संख्या

ज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रों की संख्या
1	2
न्ध्र प्रदेश	3
सम	4
अरुणाचल प्रदेश	2
बिहार	11
गुजरात	5
गोवा	1
हरियाणा	3
हिमाचल प्रदेश	2
जम्मू और कश्मीर	2
कर्नाटक	5
केरल	2
मिजोरम	1
मेघालय	1
मणिपुर	1
महाराष्ट्र	5
मध्य प्रदेश	11
नागालैंड	1
उड़ीसा	5
पंजाब	3
राजस्थान	5
सिक्किम	1
त्रिपुरा	1
तमिलनाडु	6
उत्तर प्रदेश	17
पश्चिम बंगाल	3
अंडमान और निकोबार	1
चंडीगढ़	1
दमन और दीव	1
लक्षद्वीप	1
दादर और नगर हवेली	1

सूखा राहत

***247. श्री रामजीवन सिंह :**
श्री रामचन्द्र पासवान :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में पड़े सूखे से प्रभावित राज्यों ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए अपने कोटे के आवंटित खाद्यान्न के भंडार से नगण्य मात्रा में खाद्यान्न उठाया और वित्तीय सहायता प्राप्त करने को प्राथमिकता दी:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मांग के अनुसार राज्य सरकारों को कितनी मात्रा में केन्द्र से वित्तीय सहायता दी गई है;

(घ) क्या सूखा प्रभावित क्षेत्रों को राहत मुहैया कराने में केन्द्रीय वित्तीय सहायता के वास्तविक उपयोग का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई आंकलन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) और (ख) गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सूखा पड़ने के कारण इससे प्रभावित लोगों को आपूर्ति हेतु गरीबी-रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्नों का विशेष आवंटन किया गया। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा दी गयी सूचनानुसार आबंटित मात्रा और उठायी गयी मात्रा का विवरण निम्नवत है:-

(लाख मी. टन में)

राज्य	खाद्यान्न	
	मात्रा आवंटित	मात्रा उठायी गयी
गुजरात	4.19	0.88
राजस्थान	5.26	3.23
आंध्र प्रदेश	4.36	4.29

(ग) इन राज्यों को आपदा राहत कोष का केन्द्रीय अंश वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान निर्मुक्त किया गया। इसके अलावा वर्ष 1999-2000 के दौरान सूखे की स्थिति में उन्हें राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता दी गई। विवरण निम्नवत है:-

(करोड़ रु.)

राज्य	आपदा राहत कोष		राष्ट्रीय आपदा राहत कोष सहायता	
	1999-2000	2000-2001	मांगी गयी	निर्मुक्त की गई
गुजरात	121.05	131.14	722.16	54.58
राजस्थान	155.25	168.18	1144.40	102.93
आंध्र प्रदेश	107.69	77.78	720.36	75.36

(घ) और (ङ) आधार स्तर पर राहत सहायता का वितरण और राहत उपाय शुरू करना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है।

कृषि नीति

***248. कुंवर अखिलेश सिंह :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सुविख्यात कृषि-वैज्ञानिकों ने सरकार की कृषि नीति का विरोध किया है और इसे किसान विरोधी नीति कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय दबाव में आकर देश के किसानों को दी जा रही राजसहायता कम कर रही है जबकि अमेरिका जैसे देश अभी भी किसानों को 25 प्रतिशत राजसहायता प्रदान कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने किसानों को दी जाने वाली राजसहायता में किसी अंतराष्ट्रीय दबाव के कारण कटौती नहीं की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

क्रेडिट गारंटी योजना

***249. श्री टी.एम. सेल्वागणपति :**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग एसोसिएशनों के परिसंघ ने सरकार से लघु उद्योग इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी-योजना लागू करने का आग्रह किया है और इसके लिए इसने उत्पाद शुल्क की छूट सीमा को भी बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकारी खरीद के माध्यम से लघु उद्योग इकाइयों को विपणन समर्थन दिए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फण्ड स्कीम को स्वीकृति प्रदान कर दी है जिसके अन्तर्गत थर्ड पार्टी गारंटी सहित बिना कोलेटरल के वाणिज्यिक बैंकों और अच्छे कार्यनिष्पादक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा लघु उद्योग इकाईयों को दिए जाने वाली 10 लाख रु. तक की राशि के ऋण के लिए 75% तक (सावधि ऋण के साथ-साथ कार्यशील पूंजी) की गारंटी दी जाएगी। उत्पाद शुल्क छूट सीमा के सम्बन्ध में भारतीय लघु उद्योग एसोसिएशन संघों ने सुझाया है कि लघु उद्योग इकाइयों के लिए पूर्ण उत्पाद-शुल्क छूट सीमा के मौजूदा स्तर को 50 लाख रु. से बढ़ाकर 1.0 करोड़ रुपये किया जाए। वित्त मंत्रालय द्वारा उक्त अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) सरकारी खरीदों के माध्यम से सरकार पहले ही लघु उद्योग को विपणन सहायता प्रदान कर रही है। केन्द्रीय सरकार स्टोर खरीद नीति के अन्तर्गत हाल ही में 358 मदों की खरीद को लघु उद्योगों से खरीदने के लिए आरक्षित किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों का सम्मेलन

***250. श्री शिवाजी माने :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक दीर्घावधि सूचना प्रौद्योगिकी नीति तैयार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो उसकी कार्यसूची क्या थी;

(ग) क्या मंत्रालय ने इस विषय पर राज्य सरकारों के दृष्टिकोण की जानकारी पहले ही प्राप्त कर ली थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने जुलाई, 2000 में 'भारत का कम्प्यूटरीकरण' विषय पर एक सम्मेलन में भाग लिया था;

(च) यदि हां, तो इसमें लिए गए प्रमुख निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(छ) प्रत्येक राज्य द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि की मांग की गई और कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(ज) उसके क्रियान्वयन के लिए तैयार की गई कार्य योजना क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ज) राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों की एक बैठक 15.7.2000 को आयोजित की गई जिसमें 14 मुख्य मंत्रियों ने भी भाग लिया। इस बैठक की कार्यसूची नीचे दिए अनुसार थी:-

(1) जनसाधारण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी

(2) विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षण

(3) ई-वाणिज्य

(4) पथ का अधिकार

(5) सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं

(6) सॉफ्टवेयर उद्योग को शहरों के आवासीय क्षेत्र में अनुमति

व्यापक तथा विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् एक समान कार्य योजना बनाई गयी जो संलग्न विवरण में दी गई है।

राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा वास्तविक आबंटन वित्तीय नियंत्रण के अधीन किया जाता है।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन

भारत में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए समान कार्य योजना

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 15 जुलाई, 2000 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया जिसमें विभिन्न राज्यों के चौदह मंत्रियों ने भी भाग लिया।

सम्मेलन में प्रधानमंत्री को निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा करने के लिए धन्यवाद दिया गया:

(1) 15 अगस्त, 2000 के पहले लंबी दूरी के राष्ट्रीय प्रचालनों (एन.एल.डी.ओ.) पर पूर्णरूपेण नियंत्रण हटाना इसमें जारी किए जाने वाले लाइसेंसों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

(2) 15 अगस्त, 2000 तक इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ताओं (आई.एस.पी.) के लिए समुद्र की तली में ऑप्टिकल फाइबर संपर्क पर एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त करना। निजी आई.एस.पी. को अकेले अथवा अंतर्राष्ट्रीय अध: समुद्र बैंडविड्थ प्रचालकों के साथ मिल कर संयुक्त रूप से भारत में कहीं भी अपना लैंडिंग स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी।

(3) सुप्रशिक्षित सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायविदों की संख्या पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने के लिए दीर्घावधि नीति तैयार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास पर एक कार्यदल का गठन। यह कार्यदल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों, अन्य इंजीनियरिंग कालेजों एवं शिक्षण संस्थानों की वर्तमान मूलसंरचनात्मक सुविधाओं के अनुकूलतम उपयोग के लिए योजना बनाएगा ताकि अगले शैक्षिक सत्र में विद्यार्थियों की भर्ती की क्षमता दुगुनी एवं अगले दो वर्षों में तिगुनी हो जाए। इस कार्यदल में मानव संसाधन विकास, सूचना प्रौद्योगिकी एवं वित्त मंत्री तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

इन निर्णयों के फलस्वरूप देश की दूरसंचार की आधारभूत सुविधाओं और सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षण की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने में अत्यधिक सहायता मिलेगी।

विस्तृत एवं अत्यधिक सार्थक विचार-विमर्श के बाद सम्मेलन में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित आम सहमति वाली कार्य योजना स्वीकार की गई:

(1) संघ सरकार एवं राज्य सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग एवं अन्य सड़कों पर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए अभिगम उपलब्धकर्ताओं को राह सुविधा का स्वतंत्र अधिकार देगी तथा नकद अथवा वस्तु के रूप में कोई शुल्क नहीं लेगी। यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नाममात्र का मरम्मत शुल्क लिया जाएगा।

(2) वर्तमान एवं उभरते हुए सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रों की भौतिक एवं नागरिक आधारभूत सुविधाओं में सुधार किया जाएगा।

(3) कम्प्यूटरों पर भारतीय भाषाओं के विकास तथा इंटरनेट पर सभी भारतीय भाषाओं के उपयोगी विषय के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा।

(4) सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षण एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा तथा उनमें सुधार किया जाएगा। इसके लिए निजी क्षेत्र के शैक्षिक संगठनों के संसाधनों एवं विशेषज्ञता का सरकारी एवं अन्य स्थापित शैक्षिक संस्थानों के साथ सहक्रिया की जाएगी।

(5) पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं कार्यकुशलता में सुधार करने के प्रयोजन से इलेक्ट्रॉनिक शासन को बढ़ावा देने के लिए संघ एवं राज्य सरकार विशेष उपाय करेंगे।

(6) सरकार सुदूर शिक्षण एवं विस्तार कार्यक्रमों के लिए ऑप्टिकल फाइबर, सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर, सेट टॉप बॉक्स, अन्य इंटरनेट अभिगम युक्तियों तथा टेलीविजन सेटों के लिए सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क व्यवस्था को कम करेगा।

(7) अगले तीन से पांच वर्ष तक सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर कोई बिक्री कर एवं अन्य राज्य कर नहीं लगाए जाएंगे।

(8) अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों को ए.आई.सी.टी.ई. की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करने के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षण के लिए मान्यता तंत्र को सुदृढ़ किया जाएगा।

(9) निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के निर्णय को तीव्र किया जाएगा। निजी विश्वविद्यालय राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके स्थापित किए जाएंगे।

(10) मांग से पहले बैंडविड्थ उपलब्ध होना चाहिए। यह आवश्यक है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय लंबी दूरी, अन्तिम छोर एवं उपग्रह नामक बैंडविड्थ की मांग एवं आपूर्ति में अंतर है। विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता के संदर्भ में दूरसंचार की आधारभूत सुविधाओं की सभी चारों तत्वों के संवर्धन एवं सुधार की आवश्यकता है।

(11) शैक्षणिक संस्थानों के लिए इंटरनेट अभिप्राय के प्रयोजन के विशेष दर पर विचार किया जाएगा। सभी आई.एस.पी. से विशेष दरों का निर्धारण करने के लिए अनुरोध किया जाए। सभी अन्य इंटरनेट डायल-अप ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रयोग के प्रयोजन से एक समान शुल्क लेने के लिए भी सभी आई.एस.पी. से अनुरोध किया जाए।

(12) पहले से ही स्वीकृत इंटरनेट अंतर्राष्ट्रीय गेटवे को 15 अगस्त, 2000 तक प्रचालन आरम्भ कर देना चाहिए।

(13) शैक्षिक, स्वास्थ्य एवं अन्य सरकारी प्रसारणों के लिए केयू बैंड के उपयोग की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

***251. डा. अशोक पटेल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में निजी क्षेत्र को शामिल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन से क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ग) प्रस्तावित निर्णय को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) जी, हां। अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लक्ष्य द्वारा निर्देशित, उद्योगों के साथ भागीदारी को निविध प्रयासों तथा सहकारी उद्यमों के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया है। अन्तरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) ने प्रापण ठेके, जानकारी हस्तांतरण और तकनीकी परामर्शिता के प्रावधान के माध्यम से 500 से अधिक छोटे, मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों से संबंध स्थापित किए हैं। इसमें निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों के उद्योग शामिल हैं तथा यह एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

कावेरी जल विवाद

***252. श्री पी. कुमारासामी :**
श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में कावेरी नदी प्राधिकरण की कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या निर्णय किया गया; और

(ग) कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा पांडिचेरी के बीच जल विवाद को किस सीमा तक हल कर लिया गया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (ग) कावेरी जल विवाद अधिकरण के दिनांक 25.6.1991 के अंतरिम आदेश तथा उसके समस्त उत्तरवर्ती आदेशों के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए कावेरी जल प्राधिकरण का गठन 11.8.1998 को किया गया है। कावेरी नदी प्राधिकरण की दूसरी बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 14.7.2000 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में प्राधिकरण ने पहली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करने के साथ ही कावेरी नदी प्राधिकरण के कार्य-व्यवहार संबंधी नियम एवं विनियमों को अनुमोदित किया। बैठक में यह भी सहमति हुई थी कि कर्नाटक जून, 2000 के लिए मैत्तूर जलाशय में आने वाले अंत:प्रवाहों में हुई कमी को आगामी 30 दिनों में पूरा करने का प्रयास करेगा तथा तमिलनाडु सरकार जल की अपेक्षित मात्रा पांडिचेरी को उपलब्ध कराएगी।

सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल

***253. श्री वरकला राधाकृष्णन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने हेतु राज्यों में सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों का निर्माण कराने के संबंध में राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में अब तक राज्य-वार ऐसे कितने अस्पतालों का निर्माण किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम को आश्रमम, कोल्लम, केरल में कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में एक 50 बिस्तरों के उच्च विशेषज्ञता वाले अस्पताल की स्थापना के लिए केरल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) शून्य।

(घ) तीव्र औद्योगिक प्रगति और मौजूदा संस्थानों में अपेक्षित परिवर्तनों को देखते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवाओं में सुधार लाने के लिए एक कार्रवाई योजना का अनुमोदन किया है। तद्नुसार, निगम ने मौजूदा कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में उच्च विशेषज्ञता सेवाओं की स्थापना करने का निर्णय लिया है ताकि दुर्घटना, आपातकालीन और संकटकालीन चिकित्सा देख-रेख सेवाओं की रात-दिन उपलब्धता के साथ-साथ चिकित्सा, शल्य निदान संबंधी और पुनर्वास के बारे में सुविधाएं मुहैया करायी जा सके। चूंकि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा देख-रेख का प्रशासन राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा किया जा रहा है, अतः निगम ने उनसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से आंचलिक आधार पर व्यापक रूप में उच्च-विशेषज्ञता सेवाओं सहित सभी क्रियाकलापों के लिए समुचित अस्पतालों का चयन करने और योजनाबद्ध विकास करने का अनुरोध किया है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि कर्मचारी राज्य बीमा लाभ भोगियों को उच्च विशेषज्ञता इलाज मिल सके, राज्य सरकारों से प्रतिष्ठित स्थानीय चिकित्सा संस्थानों के साथ ठेकागत व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है। बीमित व्यक्तियों को उच्च विशेषज्ञता इलाज हेतु अग्रिम राशि/चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए अधिकांश राज्यों में क.रा.बी. निगम के क्षेत्रीय निदेशकों के पास एक चक्रीय निधि की स्थापना की गई है।

अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत-अमरीकी सहयोग

***254. श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने पृथ्वी तथा वायुमंडलीय अध्ययन के क्षेत्र में सहयोग हेतु अमेरिका स्थित 'नेशनल एरोनोटिकल एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन फार कोआपरेशन' के साथ समझौता करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) पृथ्वी तथा वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्रों में सहयोग हेतु अन्तरिक्ष विभाग तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अमेरिका स्थित राष्ट्रीय वैमानिकी तथा अन्तरिक्ष प्रशासन (नासा) और राष्ट्रीय समुद्रविज्ञानीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन (एन.ओ.ए.ए.) के बीच 1997 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) मानसून तथा चक्रवातों के अध्ययनों जैसे पृथ्वी तथा वायुमण्डलीय विज्ञान के क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए दोनों देशों के उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करते हुए पारस्परिक हित की विविध परियोजनाओं की पहचान कर ली गई है तथा ये प्रगति में हैं।

[हिन्दी]

भू-जल

***255. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :**
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को भू-जल संरक्षण परियोजनाओं के लिए धनराशि आवंटित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य, विशेषतः सूखा प्रभावित राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(घ) अब तक क्या परिणाम प्राप्त किए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (घ) जल, राज्य का विषय होने के कारण, भूजल संरक्षण से संबंधित स्कीमों की आयोजन करना, उनका वित्त-पोषण एवं कार्यान्वयन करना मुख्यतः राज्य सरकारों का दायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार ऐसे बहुत से कार्यक्रम चला रही है, जिनसे स्वस्थाने मृदा संरक्षण, मृदा में जल का अन्तःप्रवेश (इनफिल्ट्रेशन) और उसके परिणामस्वरूप भूजल का पुनर्भरण तथा जल उपयोग की क्षमता में सुधार करने में सहायता मिलती है।

जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, पुनर्भरण अध्ययन संबंधी प्रायोगिक स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम का नौवीं योजना के लिए परिव्यय 25.00 करोड़ रुपये है। वर्ष 1997-98 से वर्ष 1999-2000 के बीच भूजल पुनर्भरण तथा बरसात के जल संचयन के लिए 3.53 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। व्यय का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

केन्द्रीय कृषि मंत्रालय विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है। इन स्कीमों में भूजल संरक्षण के घटक अर्थात् - वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.), नदी-घाटी परियोजनाओं (आर.वी.पी.) के आवाह क्षेत्र में मृदा संरक्षण, बाढ़ प्रवण नदियों में मृदा संरक्षण (एफ.पी.आर.), पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती खेतों में जल विभाजक विकास योजना (डब्ल्यू.डी.पी.एस.सी.ए.) तथा क्षारीय भूमि का सुधार, शामिल है। विगत तीन वर्षों (1997-1998 से 1999-2000) में इन स्कीमों के तहत जारी निधियों की राज्यवार-स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भूजल संरक्षण की विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। इन स्कीमों में भूजल संरक्षण के घटक अर्थात् - त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरू विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) शामिल हैं। गत तीन वर्षों में (1997-98 से 1999-2000 तक) इन स्कीमों के तहत जारी की गई निधियों की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण-III से V में दी गई है।

वर्ष 2000-2001 से, प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना के रूप में एक नई योजना शुरू की गई है, जिसके तहत सरकार के कुछ प्राथमिकता क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चुनिंदा मूल न्यूनतम सेवाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इस स्कीम का एक घटक ग्रामीण पेयजल है। प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना - ग्रामीण पेयजल के तहत मरू विकास कार्यक्रम/सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम क्षेत्रों, अति दोहित, डार्क/ग्रे ब्लाकों तथा जल की कमी वाले अन्य क्षेत्रों/सूखा प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित जल संरक्षण, जल संचयन, जल पुनर्भरण तथा पेयजल स्रोतों के स्थायीकरण संबंधी परियोजनाओं/स्कीमों पर संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस घटक के कुल आबंटन का न्यूनतम 25 प्रतिशत उपयोग किया जायेगा।

संबंधित अभिकरणों द्वारा किए गए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों से यह देखने में आया है कि भूजल पुनर्भरण तथा भूजल स्तरों में सुधार से संबंधित उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

विवरण I

भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययन संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के तहत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पुनर्भरण अध्ययन के लिए 1997-98 से 1999-2000 के दौरान तीन वर्षों में आवंटित निधियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98 व्यय (रुपये)	1998-99 व्यय (रुपये)	1999-2000 में आवंटित निधियां (रुपये लाख में)
1	2	3	4	5
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	5,12,361	—	17.96
2	हरियाणा	—	9,24,000	34.52
3.	हिमाचल प्रदेश	—	—	25.37

1	2	3	4	5
4.	जम्मू व कश्मीर	—	—	19.00
5.	कर्नाटक	6,60,265	—	—
6.	केरल	24,35,000	6,25,000	—
7.	मध्य प्रदेश	4,64,000	8,27,000	17.94
8.	महाराष्ट्र	2,20,820	12,99,000	37.32
9.	पंजाब	—	10,75,000	97.74
10.	राजस्थान	—	4,50,000	14.50
11.	तमिलनाडु	6,50,000	8,00,000	—
12.	उत्तर प्रदेश	—	—	5.00
13.	पश्चिम बंगाल	38,250	—	29.37
14.	चंडीगढ़	5,28,000	—	—
	कुल	5508678	6000000	298.72*

*प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1999-2000 के दौरान कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम में किया गया कुल व्यय 237.89 लाख रुपये है।

विवरण II

कृषि मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के तहत राज्यवार जारी निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1368.00	1551.50	1665.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	210.00	181.00	127.00
3.	असम	145.00	170.00	120.00
4.	बिहार	98.00	125.00	0.00
5.	गोवा	0.00	8.00	3.00
6.	गुजरात	988.00	2433.00	2480.00
7.	हरियाणा	180.00	465.77	245.00
8.	हिमाचल प्रदेश	770.00	1088.20	762.00
9.	जम्मू और कश्मीर	588.00	637.00	665.00

1	2	3	4	5
10.	कर्नाटक	3050.00	3115.00	3200.00
11.	केरल	500.00	1502.88	390.00
12.	मध्य प्रदेश	3028.00	4013.59	4750.00
13.	महाराष्ट्र	3320.00	4360.00	1500.00
14.	मणिपुर	605.00	265.00	460.00
15.	मेघालय	120.00	360.00	410.00
16.	मिजोरम	525.00	1140.00	866.00
17.	नागालैंड	460.00	1000.00	900.00
18.	उड़ीसा	1300.00	662.39	500.00
19.	पंजाब	242.60	321.00	123.00
20.	राजस्थान	4198.00	5559.00	5130.00
21.	सिक्किम	90.00	150.00	200.00
22.	तमिलनाडु	1500.00	2230.00	2075.00
23.	त्रिपुरा	261.00	480.00	551.00
24.	उत्तर. प्रदेश	3255.40	4184.44	3575.03
25.	पश्चिम बंगाल	110.00	620.00	750.00
26.	अंडमान व निकोबार	25.00	65.00	34.00
27.	दादर व नगर हवेली	1.00	1.00	0.00
	कुल जोड़	26894.00	36668.77	31481.03

विवरण III

वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 के लिए ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के तहत निधियों का राज्य-वार आबंटन

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7964.00	9991.36	9143.26
2.	अरुणाचल प्रदेश	1444.00	3623.00	2476.00
3.	असम	2438.00	6120.00	4180.00

1	2	3	4	5
4.	बिहार	9380.00	11768.50	9380.00
5.	गोवा	227.00	283.75	352.92
6.	गुजरात	4672.00	5860.51	6028.52
7.	हरियाणा	1746.00	2190.91	1883.91
8.	हिमाचल प्रदेश	1568.00	1967.07	2275.77
9.	जम्मू व कश्मीर	4395.00	5514.58	6381.44
10.	कर्नाटक	7325.00	9177.40	8402.25
11.	केरल	3724.00	4673.49	4307.88
12.	मध्य प्रदेश	8817.00	11063.07	9444.68
13.	महाराष्ट्र	10602.00	13301.46	13614.41
14.	मणिपुर	529.00	1330.00	907.00
15.	मेघालय	568.00	1425.00	974.00
16.	मिजोरम	406.00	1018.00	696.00
17.	नागालैंड	422.00	1058.00	724.00
18.	उड़ीसा	4173.00	5236.47	4847.93
19.	पंजाब	1330.00	1668.62	1720.64
20.	राजस्थान	8732.00	10954.54	12676.22
21.	सिक्किम	372.00	434.00	460.83
22.	तमिलनाडु	6314.00	7922.54	6534.66
23.	त्रिपुरा	503.00	1262.00	862.00
24.	उत्तर प्रदेश	14775.00	18537.93	14775.00
25.	पश्चिम बंगाल	5704.00	7169.63	7008.15
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	12.50	12.50	12.50
27.	दादर व नगर हवेली	12.50	12.50	12.50
28.	दमन व दीव	12.50	12.50	12.50
29.	दिल्ली	5.00	5.00	0.00
30.	लक्षद्वीप	12.50	12.50	12.50
31.	पांडिचेरी	5.00	5.00	5.00
	कुल	108190.00	143611.83	130112.47

विवरण IV

दिनांक 1.4.2000 को डी.डी.पी. के तहत गत तीन वर्षों के दौरान जारी निधियां

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	आन्ध्र प्रदेश	421.6900	482.6200	437.06250
2.	गुजरात	1101.1400	860.1800	2750.84700
3.	हरियाणा	796.6200	608.2200	453.55000
4.	हिमाचल प्रदेश	150.0000	30.0000	255.00000
5.	जम्मू व कश्मीर	225.0000	585.0000	486.02000
6.	कर्नाटक	841.6800	350.4500	215.38000
7.	राजस्थान	3463.8900	5063.5600	3901.21550
	कुल	7000.0200	7980.0300	8499.07500

विवरण V

दिनांक 1.4.2000 को डी.पी.ए.पी. के तहत गत तीन वर्षों के दौरान जारी निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	केन्द्र द्वारा जारी निधियां 1997-98	केन्द्र द्वारा जारी निधियां 1998-99	केन्द्र द्वारा जारी निधियां 1999-2000	1.4.2000 को आदिशेष
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	2292.50	2290.62	2670.75	480.00
2.	बिहार	115.13	238.28	229.99	1065.00
3.	गुजरात	528.48	776.95	878.81	2265.00
4.	हिमाचल प्रदेश	69.50	52.00	90.00	158.00
5.	जम्मू और कश्मीर	112.50	40.00	219.55	195.00
6.	कर्नाटक	786.39	908.28	801.91	985.00
7.	मध्य प्रदेश	892.55	882.51	1401.76	2459.00
8.	महाराष्ट्र	1986.06	552.00	644.50	5505.00
9.	उड़ीसा	63.84	274.55	46.25	572.00

1	2	3	4	5	6
10.	राजस्थान	419.00	173.50	385.75	663.00
11.	तमिलनाडु	707.34	272.71	827.30	169.00
12.	उत्तर प्रदेश	842.06	838.61	1093.18	911.00
13.	पश्चिम बंगाल	259.67	—	209.25	962.00
	कुल	9075.02	7300.01	9499.00	16389.00

[अनुवाद]

मंत्री का सिलिकॉन घाटी का दौरा

***256. श्रीमती रेणूका चौधरी :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्री के सिलिकॉन घाटी के हाल के दौरे के दौरान किन्हीं समझौतों अथवा समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो उनके अनुपालन में क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) इस संबंध में ब्यौरे नीचे दिए गए अनुसार है:-

सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान, शिक्षा, मानव संसाधन विकास और अनुप्रयोग विकास के कार्य करने के लिए भारत और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम.आई.टी.), संयुक्त राज्य अमेरिका में एक-एक सूचना प्रौद्योगिकी उत्तमता केन्द्र स्थापित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मेसाच्यूसेट्स इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बीच एक समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए गए।

2. दूसरा समझौता-पत्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई और कॉम्पैक कम्प्यूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच भारत में यूनिक्स आधारित ई-वाणिज्य अनुप्रयोगों के लिए एक एल्फा सक्षमता केन्द्र स्थापित करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया।

3. तीसरा समझौता पत्र अर्नेट इंडिया नामक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्वायत्त संस्था और मेसर्स सिस्को सिस्टम इंकोर्पो., संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित किया गया।

4. भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित संबंधित एजेंसियां आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई कर रही हैं।

सरकारी उपक्रमों के कार्यकारी अधिकारियों की सेवा शर्तें

***257. श्री किरीट सोमैया :**
श्री अनंत गंगाराम गीते :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकारी अधिकारियों, पूर्णकालिक निदेशकों और प्रबंध निदेशकों की सेवाशर्तों को आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों के समान बनाने का है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को अपना त्याग-पत्र दे देने/सेवानिवृत्त हो जाने के तत्काल बाद गैर-सरकारी कम्पनियों, प्रतिद्वंद्वी कंपनियों में नौकरी करने की अनुमति दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उन निदेशकों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने गत दो वर्षों के दौरान, आज की तिथि तक कंपनियों से अपना त्याग-पत्र देकर प्रतिद्वंद्वी कंपनियों में अपनी नौकरी शुरू कर दी थी?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) अप्रैल 1969 में तत्कालीन लोक उद्यम ब्यूरो (अब लोक उद्यम विभाग) ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शीर्ष स्तर के कार्यपालकों की सेवानिवृत्त के बाद नियोजन के संबंध में कुछ अनुदेश जारी किए थे। उन अनुदेशों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम का कोई शीर्ष स्तर का कार्यपालक अपनी सेवानिवृत्ति पर किसी गैर-सरकारी निजी फर्म में नौकरी करता है तो ऐसी फर्म के साथ उक्त अधिकारी की सेवानिवृत्ति के बाद दो वर्ष की अवधि तक कोई करार संबंधित उद्यम के निदेशक मण्डल की अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) (1998-99) ने 'सार्वजनिक उपक्रमों में वरिष्ठ स्तर के पद—नियुक्ति तथा संबद्ध विषय' पर अपनी चौथी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शीर्ष कार्यपालकों की सेवानिवृत्ति के बाद नियोजन से संबंधित प्रतिबंधों के बारे में मौजूदा अनुदेश, मुख्य कार्यपालकों और निदेशकों द्वारा प्रतिस्पर्धी और गैर-सरकारी निजी फर्मों में सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद नौकरी करने पर प्रतिबंध लगाने की दृष्टि से समीक्षित/आशोधित किए जाएं।

सार्वजनिक उपक्रम समिति की सिफारिशों के आधार पर, लोक उद्यम विभाग द्वारा 25.1.2000 को यह निर्धारित करते हुए अनुदेश जारी किए गए हैं कि किसी कंपनी का मुख्य कार्यपालक सहित कोई कार्यात्मक निदेशक जो कंपनी से सेवानिवृत्त हो गया हो, ऐसी सेवानिवृत्ति के बाद देशी अथवा विदेशी किसी ऐसी फर्म अथवा कंपनी में परामर्शकारी अथवा प्रशासनिक स्वरूप की कोई नियुक्ति अथवा पद, अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर, सरकार की पूर्वानुमति के बिना स्वीकार न करे जिसके साथ कंपनी का कारोबारी संबंध हो अथवा रहा हो।

(घ) ऐसा ब्यौरा रखा जाना उपेक्षित नहीं है।

पेटेंटों का विरोध

***258. श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभाग ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में चार और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंटों का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा दाखिल किए जा रहे नए पेटेंटों की जानकारी रखने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) अन्तरिक्ष विभाग और इसरो द्वारा जिन पेटेंट आवेदनों का विरोध किया गया है वे उपग्रह संचार प्रणाली से संबंधित हैं। ये सभी चारों आवेदन संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा दायर किए गए थे। इसरो ने इन आवेदनों का स्पष्टता और नवीनता/मौलिकता में कमी के आधार पर विरोध किया है।

(ग) भारत में दायर किए जाने वाले पेटेंट आवेदनों पर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) की प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद् (टाइफैक) के पेटेंट सुसाध्य सैल द्वारा प्रकाशित की जाने वाली बौद्धिक संपदा अधिकार जैसी पत्रिकाओं तथा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित 'विरोध हेतु पेटेंटों' की नियमित जांच के माध्यम से कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

पुरूलिया में शस्त्र गिराने का मामला

***259. श्री अशोक ना. मोहोल :**
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुरूलिया में शस्त्र गिराने के मामले में कलकत्ता की जेल में आजीवन कारावास भुगत रहे ब्रिटिश व्यवसायी को रिहा करने के लिए सरकार पर दबाव डाला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार का क्या रवैया है;

(ग) क्या विदेशी सांठगांठ के दृष्टिकोण से पुरूलिया में शस्त्र गिराए जाने के मामले की नए सिरे से जांच कराये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) सरकार का दृष्टिकोण वही है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बहुभाषी इंटरनेट प्रौद्योगिकी

***260. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :** क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंटरनेट आधारित शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए बहुभाषी इंटरनेट प्रौद्योगिकी और वेबसाइटों के सृजन हेतु उपयुक्त कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या पहलें की गई हैं/विचाराधीन हैं और इसके क्या परिणाम होंगे; और

(ग) इस संबंध में तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ग) मार्च, 2000 में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास संगठनों में 13 ''भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी समाधान स्रोत केन्द्रों'' की स्थापना की गई है। इनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

ये केन्द्र निम्नलिखित कार्य करेंगे:–

1. इंटरनेट आधारित बहुभाषी अभिकलन, सामग्री सृजन और अधिगम प्रणाली के लिए कार्यपद्धति और साधनों का विकास।
2. भारतीय भाषाओं में वेबसाइटों और सामग्री का सृजन।
3. भारतीय भाषाओं में पाठ्य सामग्री का विकास।

विवरण

संगठन	भाषाएं
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	हिन्दी, नेपाली
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई	मराठी, कोंकणी
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी	असमिया, मणिपुरी
भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	कन्नड़, संस्कृत (ज्ञानात्मक स्वरूप)
भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता	बंगला
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	विदेशी भाषाएं (जापानी, चीनी) तथा संस्कृत (भाषा अधिगम प्रणालियां)
हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	तेलुगू
अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नै	तमिल
एमएस विश्वविद्यालय, बड़ौदा	गुजराती
उत्कल विश्वविद्यालय, उड़ीसा और उड़ीसा कम्प्यूटर अनुप्रयोग केन्द्र (ओसीएसी)	उड़िया
थापर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला	पंजाबी
इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (ईआरएण्डडीसीआई), तिरुवनन्तपुरम	मलयालम
उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी–डैक), पुणे	उर्दू, सिंधी, कश्मीरी

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन

विदेशों में सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय को बढ़ावा और प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने लाइसेंसिंग समाप्त कर दी है तथा प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए उन्हें सरल कर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं:

1. देश में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को सहज बनाने के प्रयोजन से कानूनी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का प्रारूप तैयार किया है। इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ इलेक्ट्रानिक संविदाओं की स्वीकार्यता, कम्प्यूटर अपराधों के रोक तथा इलेक्ट्रानिक फाइलिंग/दस्तावेजों आदि की मान्यता के लिए कानूनी ढांचे का प्रावधान किया गया है। क्षेत्राधिकार, अधिप्रमाणन एवं मूल स्रोत जैसे विषयों का समाधान करने के लिए अंकीय हस्ताक्षर के तंत्र का अनुमोदन किया गया है।
2. शून्य सीमा शुल्क पर पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (ईपीसोजी) योजना।
3. 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश की अनुमति।
4. सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना।
5. एडीआर/जीडीआर निर्गमों से जुड़े भारतीय सॉफ्टवेयर कम्पनियों के लिए विशेष स्टॉक विकल्प स्कीम।
6. सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए कार्यशील पूंजी वित्त।
7. कम्पनी अधिनियम में श्वेट इक्विटी को शामिल कर लिया गया है।
8. निर्यातोन्मुखी इकाई (ई.ओ.यू.)/निर्यात संसाधन क्षेत्र (ईपीजेड)/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस.टी.पी.) योजना के अंतर्गत इकाइयों के निर्यात के लदान पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत तक घरेलू शुल्क क्षेत्र (डी.टी.ए.) अभिगम।
9. कम्प्यूटर पर 60 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से मूल्यह्रास।
10. कम्प्यूटर एवं पेरिफेरलों पर सीमा शुल्क घटाकर 15 प्रतिशत तक लाना। सभी भंडारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों, सूक्ष्म संसाधकों, रंगीन मॉनीटरों के डेटा प्रदर्श ट्यूबों एवं विक्षेपण संघटक-पुर्जों पर सीमा शुल्क 0 प्रतिशत है।
11. सॉफ्टवेयर को सीमा-शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।
12. निर्यातोन्मुखी इकाइयों/निर्यात संसाधन क्षेत्र/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की सॉफ्टवेयर इकाइयों को आयकर से छूट।
13. बाह्य व्यावसायिक उधारियों पर ब्याज पर कर के अवरोधन से छूट।
14. कम्प्यूटर प्रणालियां नि:शुल्क रूप से आयात की जा सकती हैं। निर्यातोन्मुखी इकाइयों/निर्यात संसाधन क्षेत्र/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क/इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ई.एच.टी.पी.) की इकाइयों से शैक्षिक संस्थानों, अस्पतालों आदि को प्रयुक्त कम्प्यूटरों को उपहार में देने की शुल्क मुक्त अनुमति दी गई है।
15. उद्यम पूंजी निधि के लाभांश से आय पर कराधान से छूट।
16. अमेरिका में महत्वपूर्ण गठजोड़ स्थापित करने में लघु एवं मध्यम उद्यमियों की सहायता करने के लिए "सिलिकन घाटी", कैलीफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में "व्यवसाय सहायता केन्द्र" खोला गया है।

कपास का उत्पादन

2637. श्री पवन कुमार बंसल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कपास की एफ-414 किस्म खत्म हो गई है और बाजार से गायब है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कपास की इस किस्म को फिर से तैयार करने अथवा उसके बराबर की दूसरी किस्म विकसित करने अथवा उससे भी बेहतर किस्म विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) कपास की एफ-414 किस्म की उपलब्धता बाजार में बहुत कम हो गई है।

(ख) एफ-414 किस्म को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना द्वारा 1978 में जारी किया गया जोकि 1987-88 तक लोकप्रिय रही। तब से एफ-414 किस्म की खेती धीरे-धीरे कम होती गई।

(ग) एफ-414 से बेहतर अनेक किस्में 1980 के दशक के अंत में और 1990 के दशक के शुरू में विकसित की गई और जारी की गई। जिनके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं - एफ-286, एफ-505, एफ-1054, एफ-846 और एफ-1387, ये नई किस्में पैदावार और गुणवत्ता दोनों ही दृष्टियों से एफ-414 से बेहतर पाई गई। तथापि, उत्तरी भारत में श्रेष्ठ मध्यम रेशे वाली किस्म के लिए एफ-414 का नाम अभी भी लिया जा रहा है।

असंगठित क्षेत्र को कर्मचारी राज्य बीमा की सुविधा

2638. श्री तिरूनावकरसू : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल की सुविधा प्रदान किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा योजना अंशदायी स्वरूप की है और यह कतिपय अधिसूचित क्षेत्रों में लागू है। इस प्रकार, असंगठित श्रमिकों के लिए क.रा.बी. सुविधा विस्तारित करना संभव नहीं समझा गया है।

[हिन्दी]

विसंगति संबंधी समिति

2639. प्रो. रासासिंह रावत :
श्री रामसागर रावत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की शिकायतों पर ध्या देने के लिए एक विसंगति संबंधी समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के समक्ष रखी गई उन शिकायतों का ब्यौरा क्या है जिनका समाधान अभी किया जाना है; और

(ग) विसंगति संबंधी समिति कर्मचारियों के प्रतिनिधि निकायों से प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों का अंतिम निपटान कब तक करेगी?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से उत्पन्न विसंगतियों का निपटान करने के लिए दो अथवा दो से अधिक विभागों में एक समान तथा एक ही प्रकार की श्रेणियों के कर्मचारियों की विसंगतियों पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय विसंगति समिति और केवल संबंधित विभाग की ही विसंगतियों और जिनका अन्य मंत्रालयों/विभागों के कर्मचारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पर कार्रवाई करने के लिए विभागीय विसंगति समितियां गठित करने संबंधी अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। संबंधित परिषद के कर्मचारी पक्ष के सचिव के माध्यम से प्राप्त विसंगति संबंधी शिकायतों पर कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों के साथ हुई सहमति प्रक्रिया के अनुरूप कार्रवाई की जाती है। विसंगति समितियों से, सभी प्राप्त विसंगतियों को यथाशीघ्र निपटाने की अपेक्षा की जाती है।

भारत-पाकिस्तान संयुक्त व्यापार परिषद्

2640. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री हरीभाई शंकर महाले :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत-पाकिस्तान संयुक्त व्यापार परिषद् के गठन का है;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इसे कब तक गठित कर दिये जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

असंगठित क्षेत्र के श्रमिक

2641. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आज की तारीख के अनुसार असंगठित क्षेत्र में क्षेत्र-वार और राज्य-वार अलग-अलग कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): एक विवरण संलग्न है।

विवरण

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों की 31.3.94 की स्थिति के अनुसार क्षेत्र-वार अनुमानित संख्या

(संख्या हजारों में)

क्र.सं.	क्षेत्र	रोजगार
1.	कृषि	207371
2.	खनन और उत्खनन	1584
3.	विनिर्माण	29286
4.	विद्युत, गैस, जल	321
5.	निर्माण	10382
6.	व्यापार	25937
7.	परिकलन और भंडारण	7059
8.	वित्तीय सेवाएं और सामुदायिक सेवाएं	24281
	कुल	306221

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों की 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार अनुमानित संख्या

(संख्या हजारों में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	32513
असम	6047
बिहार	26857
गुजरात	15051
हरियाणा	4249
हिमाचल प्रदेश	1999
जम्मू और कश्मीर	2269
कर्नाटक	18550
केरल	8935
मध्य प्रदेश	26883
महाराष्ट्र	31366
मणिपुर	574
मेघालय	918
नागालैण्ड	288
उड़ीसा	11689
पंजाब	5832
राजस्थान	17392
सिक्किम*	163
तमिलनाडु	24365
त्रिपुरा	834
उत्तर प्रदेश	45364
पश्चिम बंगाल	20982
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	74
अरुणाचल प्रदेश*	410
चंडीगढ़	211
दादर और नगर हवेली*	58
दिल्ली	2686
गोवा	353
दमन और दीव	33
लक्षद्वीप*	16
मिजोरम	255
पांडिचेरी	247
कुल	307428

*यह संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों की कुल संख्या है। संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों का अलग-अलग विवरण उपलब्ध नहीं है।

टिप्पणी: दोनों विवरणों का योग समान नहीं होगा क्योंकि कुछ आंकड़ों को पूर्णांक कर दिया गया है।

आप्रवासी संरक्षक कार्यालय की स्थापना

2642. श्री टी. गोविन्दन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार केरल के कालीकट में आप्रवासी संरक्षक कार्यालय खोलने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) कामगारों का काम के लिए और अनेक कारणों से, विदेश गमन में कमी को ध्यान में रखते हुए, केरल में तिरुअनन्तपुरम और कोचीन में उत्प्रवास संरक्षी के दो कार्यालय पहले से ही कार्य कर रहे हैं। अतः, वर्तमान में कालीकट में उत्प्रवास संरक्षी का कार्यालय खोलना व्यवहार्य नहीं है।

बांधों का निर्माण

2643. श्री जयभद्र सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विदेशी सहायता से कुछ बहुउद्देशीय बांधों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बांधों पर कितनी अनुमानित लागत आएगी, इनकी वर्तमान स्थिति क्या है और इन पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है; और

(घ) इन बांधों को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (घ) देश में बाह्य सहायता से किसी भी वृहद बहुउद्देशीय बांध का निर्माण नहीं किया जा रहा है। तथापि, तमिलनाडु तथा उड़ीसा में बांधों का निर्माण शामिल करते हुए कुछ मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को बाह्य सहायता प्राप्त हो रही है। इस प्रकार के बांधों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

ऐसी उप-परियोजनाओं का ब्यौरा जिनमें दी जा रही बाह्य सहायता के अन्तर्गत निर्माण के लिए बांधों के निर्माण की योजना सम्मिलित की गई है

बांध के निर्माण वाली उप परियोजना	बांध के निर्माण की स्थिति	अद्यतन अनुमानित लागत (मिलियन रु.)	मार्च, 2000 तक किया व्यय (मिलियन रु.)	पूर्ण होने का संभावित वर्ष
1. तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना (सी.आर. 2745-आई.एन.)				
अदविनाइआरकोयल	निर्माणाधीन	586.246	195.627	2001-2002
कोकुमुदियार	निर्माणाधीन	185.515	3.814	2001-2002
मोर्चाना	निर्माणाधीन	742.313	333.063	2001-2002
नाम्बियार	निर्माणाधीन	195.219	101.946	2001-2002
पोईगाइयार	पूर्ण	97.885	71.176	2000-2001
राजथोपेकनार	निर्माणाधीन	19.25	16.078	2000-2001
सोथुपारी	निर्माणाधीन	280.314	176.601	2000-2001
वदाक्कुपचयार	निर्माणाधीन	460.376	124.2	2001-2009
2. उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना (सी.आर. 2801-आई.एन.)				
भगुआ चरण-II	बांध पूर्ण (द्वार लगने हैं)	298.75	216.31	मार्च, 2002

मछुआरों को राजसहायता की सुविधा

2644. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार परम्परागत मछुआरा समुदाय के कारुणिक आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए मछली पकड़ने के प्रयोजनार्थ उनकी ईंधन जरूरतों के संबंध में उन्हें राजसहायता की सुविधा देने पर विचार करेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) पारम्परिक मछुआरों को मात्स्यिकी प्रयोजनों के लिए उनकी आउटडोर मोटरों में इस्तेमाल करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा राज्यों को आबंटित मिट्टी के तेल के समूचे कोटे से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राजसहायता प्राप्त मिट्टी के तेल की सप्लाई की जाती है।

(ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार तटवर्ती राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को आबंटित राजसहायता प्राप्त मिट्टी के तेल का कुल औसत कोटा लगभग 53 मिलियन टन है जिसमें पिछले कुछ वर्षों से धीमी वार्षिक वृद्धि हुई है।

किसानों के लिए प्रशिक्षण विद्यालय

2645. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को समन्वित कीट प्रबंधन व्यवहार का प्रशिक्षण देने हेतु खेतों में प्रशिक्षण-शाला आयोजित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में विशेषकर महाराष्ट्र में कितनी प्रशिक्षणशालाओं का आयोजन किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र में 744 प्रशिक्षण-शालाओं के आयोजन सहित अब तक देश में कुल 6,222 समेकित कीट प्रबंध संबंधी कृषक खेत प्रशिक्षण-शालाएं आयोजित की गई हैं तथा वर्ष 2000-2001 के लिए खेतों में ऐसी 520 प्रशिक्षण-शालाओं के आयोजन का लक्ष्य है जिनमें महाराष्ट्र के लिए 24 प्रशिक्षण-शालाएं भी शामिल हैं।

माम्बलाथार बांध

2646. श्री पोन राधाकृष्णन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को तमिलनाडु राज्य सरकार से राज्य के कन्याकुमारी जिले में पारालियार नदी पर माम्बलाथार बांध बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दे दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) केन्द्रीय जल आयोग में तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में पारालियार नदी पर माम्बलाथार बांध के निर्माण के संबंध में कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आर्गेनिक खेती

2647. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.सी.ए.आर. ने भारतीय कैट्ल रिसोर्स डेक्लपमेंट फाउण्डेशन (बी.सी.आर.डी.एफ.) के सहयोग से आर्गेनिक खेती पर ''ब्रेन स्टॉमिंग सेशन'' का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सेशन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशें क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

मुख्य सिफारिशें

1. कार्बनिक खेती के लिए उपलब्ध संसाधनों को सूचीबद्ध करना।

2. राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के तहत "कार्बनिक खेती के उत्कृष्ट केन्द्र" की स्थापना करना।

3. देशव्यापी "कार्बनिक खेती पर अनुसंधान नेटवर्क" की स्थापना करना।

4. भारत में कार्बनिक खेती के संबंध में उपलब्ध देशी प्रौद्योगिकीय जानकारी तथा विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान केन्द्रों/गैर-सरकारी संगठनों/व्यक्तियों द्वारा विभिन्न पहलुओं पर विकसित अन्य प्रौद्योगिकियों का प्रलेखन करना।

5. विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य कृषि संस्थानों में स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम में "कार्बनिक खेती में धारणाएं एवं पद्धतियां" पर कोर पाठ्यक्रम शुरू करना।

6. कार्बनिक खेती की प्रणाली से जुड़े सफल किसानों के यहां दौरा करने के लिए प्रतिष्ठित कृषि और सामाजिक वैज्ञानिकों तथा प्रगतिशील किसानों को मिलाकर विशेषज्ञ दलों का गठन करना। यह दल कार्बनिक खेती के विभिन्न पहलुओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

7. "कार्बनिक खेती" को उपयुक्त रूप से आंकड़े/वर्गीकृत करने के तंत्र/विधियों का मानकीकरण करना।

8. देश की महत्वपूर्ण उत्पादन पद्धतियों के लिए कार्बनिक खेती के क्षेत्र में उचित कृषि प्रक्रियाओं का पैकेज तैयार करना।

9. कृषि विज्ञान केन्द्रों, खेत प्रदर्शनों, दूरदर्शन-कार्यक्रमों और अन्य उपयुक्त संचार माध्यमों (मीडिया) द्वारा कार्बनिक खेती पर जानकारी का प्रसार करना।

10. इन सिफारिशों की जांच की गई है। "खेतों और शहर के अपशिष्टों के सूक्ष्म जैविकीय विघटन एवं पुनश्चक्रण" पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्बनिक खेती के नेटवर्क को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है।

कुप्पम सिंचाई परियोजना

2648. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र से कुप्पम सिंचाई परियोजना, जो राज्य में 25 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई है, के लिए 15 करोड़ रुपए के अनुदान का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है; और

(ग) परियोजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार से कुप्पम सिंचाई परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये के अनुदान के वास्ते कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकता एवं उनकी अपने संसाधनों के आधार पर की जाती है।

सरकार द्वारा सूखे की पूर्व-सूचना की उपेक्षा

2649. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी के कथनानुसार, उपग्रह से प्राप्त चित्रों सहित इस बात के स्पष्ट संकेत होने कि देश के कई हिस्सों में इस वर्ष भीषण सूखा पड़ सकता है - ऐसा प्रतीत हुआ कि इन सूचनाओं की सरकार द्वारा उपेक्षा कर दी गई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय उपग्रहों से प्राप्त चित्रों में, पिछले वर्ष ही राजस्थान के प्रायः दो-तिहाई हिस्से और गुजरात के क्षेत्रों में वानस्पतिक संपदा में गंभीर कमी दर्शाई गई थी;

(घ) यदि हां, तो इन संकेतों की उपेक्षा किए जाने के और स्थिति से निपटने के लिए कोई उपाय न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्राथमिक प्रेक्षणों से यह पता चलता है कि इस बार का सूखा 1987 में पड़े पूर्ववर्ती सूखे की अपेक्षा बदतर हो सकता है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए कोई आकस्मिक योजना बनाई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (घ) अन्तरिक्ष विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय दूर संवेदन अभिकरण द्वारा सूचनानुसार 11 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,

उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में उपग्रह दूर संवेदन आंकड़ों का उपयोग करके खरीफ मौसम के दौरान सूखे से संबंधित स्थितियों का सतत अनुश्रवण किया जा रहा था। और इसका प्रतिवेदन संबंधित राज्य सरकारों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भिजवाया जा रहा था। अंतरिक्ष विभाग के अनुसार उपग्रह चित्रों से सामान्य विभिन्नता वानस्पतिक सूचकांक के बारे में सृजित आंकड़ों से राजस्थान के लगभग दो तिहाई क्षेत्रों एवं गुजरात के कुछ क्षेत्रों में वनस्पति कम होने के संकेत प्राप्त हुए।

सूखा धीरे-धीरे आने वाली प्रक्रिया है। स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकारों ने आवश्यक उपाय प्रारम्भ कर दिए। राजस्थान, गुजरात तथा आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय दल भेजे गए। सूखा पड़ने पर आपदा राहत निधि के केन्द्रीय अंश की राशि जारी किए जाने के अलावा राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से भी उन्हें सहायता जारी की गई। केन्द्रीय सरकार द्वारा इन राज्यों के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी तथा चारे के परिवहन एवं गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर अनाज की आपूर्ति जैसे उपाय भी किए गए। केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न उपायों से गंभीर स्थिति के दौरान कारगर ढंग से कार्रवाई की गई।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय दूर संवेदन अभिकरण द्वारा 1987 के दौरान रही सूखे की स्थिति के संबंध में कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया गया।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादन में कमी

2650. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पानीपत तेल शोधक कारखाने द्वारा किये जा रहे प्रदूषण के परिणामस्वरूप आसपास के क्षेत्र के किसानों की फसलों के उत्पादन में कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार उनके नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को मुआवजा देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) हरियाणा राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार पानीपत तेल शोधक कारखाने के प्रदूषण के कारण समीपवर्ती क्षेत्रों के किसानों की फसलों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

टैस्ट ट्यूब मैंगोज

2651. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवनचन्द्र खण्डूड़ी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 मार्च, 2000 के 'दि हिन्दू' दिल्ली संस्करण में "टेस्ट ट्यूब मैंगोज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के साथ बातचीत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थिति क्या है; और

(घ) इस संबंध में अनुसंधान और विकास कार्य कौन-कौन से हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने ऊतक संवर्धन द्वारा आम के पुनर्जनन के लिए एक पूर्ण प्रौटोकॉल के मानकीकरण हेतु बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में अनुसंधान विकास परियोजना को समर्थन दिया है। यह परियोजना (1) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, (2) भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर, (3) केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ, (4) राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, और (5) राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे के नैटवर्क कार्यक्रम का एक भाग है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने आम की उत्तर भारतीय किस्म 'चौसा' और 'संकर आम्रपाली' के सूक्ष्म प्रवर्धन से संबंधित सूचना 'करन्ट साइन्स' नामक वैज्ञानिक पत्रिका के जनवरी, 2000 के अंक में प्रकाशित करवाई है।

(घ) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की परियोजना के तहत आम की चार किस्मों—आम्रपाली, चौसा, मल्लिक और लंगड़ा के पादपों के पुनर्जनन पर अध्ययन किया जा रहा है। कायिक भ्रूणोद्भव (सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के माध्यम से पादप पुनर्जनन के प्रोटोकॉल का मानकीकरण किया गया है। इन पादपों के दृढ़ीकरण और

मिट्टी में स्थानान्तरण करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को और अधिक सक्षम बनाने की आवश्यकता है क्योंकि इस समय मिट्टी में इन पादपों के जीवित रहने का प्रतिशत बहुत कम है।

राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एन.सी.आर.एफ.) से सहायता

2652. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान उड़ीसा में महाचक्रवात से प्रभावित क्षेत्र में राहत और पुनरुद्धार कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एन.सी.आर.एफ.) से कितना धन जारी किया गया है; और

(ख) केन्द्र सरकार को किस तिथि को अप्रयुक्त धनराशि लौटायी गयी और राहत कोष का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) वर्ष 1999-2000 के दौरान, उड़ीसा को बाढ़ तथा चक्रवातों (महाचक्रवात सहित) के समय में राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 828.15 करोड़ रु. निर्मुक्त किए गए। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष की स्कीम 31.3.2000 को समाप्त हो गई है।

(ख) बाढ़ और चक्रवातों के समय राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए राज्य को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता दी गई जो कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर है।

श्रम कानूनों की समीक्षा

2653. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग ने पुराने/अत्यधिक पुराने कानूनों की व्यापक रूप से समीक्षा शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अत्यधिक पुराने कानूनों की समीक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या चालू वर्ष के लिये कोई समयबद्ध कार्य-योजना बनाई गई है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान संशोधन करने/उसके स्थान पर नए कानून लाने हेतु प्रस्तावित श्रम कानूनों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या निहितार्थ हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) श्रम कानूनों की समीक्षा/अद्यतीकरण एक सतत प्रक्रिया है और समीक्षा के परिणामों के आधार पर संशोधन/नए विधान बनाये जाते हैं। किसी समय विशेष पर जिन अनेक मुद्दों और समस्याओं में महत्व हासिल किया और ध्यानाकर्षित किया उनके समाधान के लिये विगत में अनेक श्रम कानून बनाये गये हैं। जबकि इनमें से अधिकांश चिन्ताएं सदैव विद्यमान रहने वाली हैं, इनमें से कुछ के पूर्ववर्ती महत्व समाप्त हो गये हैं और वास्तव में वे कालातीत और निष्प्रभावी हो गई हो सकती हैं। अतएव श्रम कानूनों की व्यापक तौर पर समीक्षा करने की जरूरत सदैय रहती है ताकि आर्थिक नीति में हो रहे सामान्य परिवर्तनों के साथ-साथ श्रम कानूनों में तारतम्य लाने और कर्मकारों को बेहतर कल्याण उपलब्ध कराया जाना भी दोनों ही सुनिश्चित हो सकें। सरकार द्वारा 15.10.99 को गठित राष्ट्रीय श्रम आयोग, श्रम कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगा और श्रम विधान/नीति में समुचित परिवर्तनों के सुझाव देगा। आयोग संगठित क्षेत्र में श्रम से संबंधित मौजूदा कानूनों के यौक्तिकरण और असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों को संरक्षण कारक न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिये एक व्यापक संरक्षणदायी विधान का सुझाव देगा। आयोग का कार्यकाल उसकी गठन की तिथि से 24 माह अर्थात् 15.10.2001 तक है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में पदोन्नति के अवसर

2654. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में वरिष्ठ समय वेतनमान तथा इससे ऊपर के स्तर के सभी 'ड्यूटी पदों' (परिचालन पदों) पर केन्द्रीय सेवाओं के ग्रुप-ए में गैर-कार्यरत चयन ग्रेड में नियुक्ति हेतु वर्तमान 15 प्रतिशत की सीमा को बढ़ा कर 30 प्रतिशत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पदोन्नति के सीमित अवसरों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों को निदेशक तथा चयन ग्रेड के पदों पर पदोन्नति के लिए उपरोक्त लाभ प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) सरकार का, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के संबंध में ऐसा लाभ देने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि गैर-कार्यात्मक चयन-ग्रेड, केवल संगठित समूह 'क' केन्द्रीय सेवाओं के संबंध में लागू है। केन्द्रीय सचिवालय सेवा संगठित समूह 'क' सेवा न होने के कारण यह लाभ इस सेवा के संबंध में लागू नहीं होता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

परमाणु विद्युत उत्पादन क्षमता

2655. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में परमाणु विद्युत का उत्पादन अपेक्षाकृत कम दरों पर किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा परमाणु विद्युत संयंत्रों में अधिक क्षमता में विद्युत का उत्पादन करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) प्रत्येक परमाणु विद्युत संयंत्र की औसत विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है और सरकार द्वारा देश में परमाणु विद्युत संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस उद्देश्य हेतु कोई विदेशी सहायता मांगी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) परमाणु बिजलीघरों में उत्पादित बिजली की लागत, कोयले की खानों से दूर स्थित और कोयले से चलने वाले ताप बिजलीघरों में उत्पादित बिजली की लागत से सस्ती पड़ती है।

(ख) वाणिज्यिक रूप से काम कर रहे परमाणु बिजलीघरों के क्षमता गुणकों (सी. एफ्स) में निम्नलिखित प्रयासों के आधार पर उत्तरोत्तर प्रगति देखने में आई है, (1) अनुकूलन मानीटरन को और निवारक तथा प्रागुक्तीय अनुरक्षण को सुदृढ़ करना (2) संयंत्रों के बंद होने संबंधी प्रबंध-व्यवस्था को बेहतर बनाना, (3) अनुरक्षण और परिचालक स्टाफ के लिए गहन प्रशिक्षण, और (4) ग्रिड के आवृत्ति नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए क्षेत्रीय बिजली बोर्डों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करना। वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के परमाणु विद्युत संयंत्रों के समग्र क्षमता गुणक क्रमशः 71 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 80 प्रतिशत रहे हैं।

(ग) निम्नलिखित सारणी, वाणिज्यिक रूप से काम कर रहे प्रत्येक परमाणु विद्युत संयंत्र की मौजूदा उत्पादन क्षमता के साथ-साथ वर्ष 1999-2000 के दौरान हासिल किए गए क्षमता गुणकों को दर्शाती है।

बिजलीघर का नाम तथा स्थल	यूनिट	वर्तमान क्षमता (मेगावाट)	क्षमता गुणक % 1999-2000
तारापुर परमाणु बिजलीघर, महाराष्ट्र	टीएपीएस-1 तथा 2	2×160	77
राजस्थान परमाणु बिजलीघर, राजस्थान	आरएपीएस-1	100	71
	आरएपीएस-2	200	80
मद्रास परमाणु बिजलीघर, तमिलनाडु	एमएपीएस 1 तथा 2	2×170	75
नरोरा परमाणु बिजलीघर, उत्तर प्रदेश	एनएपीएस 1 तथा 2	2×220	81
ककरापार परमाणु बिजलीघर, गुजरात	केएपीएस 1 तथा 2	2×220	88

उपर्युक्त के अलावा, कर्नाटक में कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र के कैगा यूनिट-2 (220 मेगावाट) और राजस्थान में राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र में आरएपीपी यूनिट-3 (220 मेगावाट) को क्रमशः 16 मार्च, 2000 और 1 जून, 2000 को परिचालन योग्य बनाया गया।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं

2656. श्री धर्मराज सिंह पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 1997 में लिपिकों की भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो गई है और कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हुई है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शेष सफल अभ्यर्थियों को कब तक नियुक्त किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड परीक्षा, 1997 के आधार पर नियुक्ति हेतु 5186 अभ्यर्थियों की संस्तुति की गई थी। 121 संस्तुत अभ्यर्थियों को छोड़कर सभी संस्तुत अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु विभिन्न प्रयोक्ता विभागों को नामित कर दिए गए हैं। किन्तु, नामित अभ्यर्थियों में से कुछ प्रयोक्ता विभागों द्वारा 66 डोजियर, रिक्तियों में कटौती, प्रतिबंध आदेशों आदि जैसे कारणों से वापस भेज दिए गए हैं। ये अभ्यर्थी अन्य प्रयोक्ता विभागों को पुनर्नामित किए जा रहे हैं। शेष 121 अभ्यर्थियों के डोजियरों की जांच-पड़ताल की जा रही है तथा उनका नामांकन जांच-पड़ताल की सभी अपेक्षाएं पूरी किए जाने पर निर्भर होगा।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा प्रोत्साहन

2657. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु किसानों, कृषक संगठनों, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को विभिन्न फलों और फूलों की अत्याधुनिक तरीकों से खेती करने के लिए कृषि के विकास के लिए स्थापित "राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड" द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त बोर्ड द्वारा बिहार को मामूली प्रोत्साहन/सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि नहीं, तो अभी तक बिहार में कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई और उनमें से कितनी सफल रही; और

(ङ) क्या सरकार "राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड" में आई.सी.ए.आर. अथवा नाबार्ड से सक्षम एवं कुशल अधिकारियों को स्थानान्तरित करके इस महत्वपूर्ण बोर्ड के कार्य में सुधार लाने हेतु प्रयासरत है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (घ) राष्ट्रीय बागवानी विकास बोर्ड द्वारा अपनी 'उदार ऋण में भागीदारी के माध्यम से बागवानी उत्पादों के विपणन के विकास' नामक योजना के अंतर्गत विभिन्न फलों और पुष्पों की अत्याधुनिक कृषि जैसे कि फ्लोरीकल्चर और टीशुकल्चर इकाइयों को प्रोत्साहन दिए जाने के लिए जारी की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वाणिज्यिक पैमाने पर सिद्ध प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। चूंकि यह योजना मांग पर आधारित है इसलिए इसका कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। बागवानी के समेकित विकास के लिए अन्य योजनाओं के अंतर्गत बिहार समेत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को राष्ट्रीय बागवानी विकास बोर्ड द्वारा दी गई वित्तीय सहायता को संलग्न विवरण-III में दर्शाया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय बागवानी विकास बोर्ड बागवानी के समेकित विकास के लिए अपने पास सौंपी गई अनुमोदित योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा है और इनके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा नाबार्ड के अधिकारियों की सेवाएं लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण I

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा अपनी स्कीम "सरल ऋण में सहभागिता के माध्यम से बागवानी उत्पादों का विकास तथा विपणन" के अंतर्गत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को वर्ष 1993-94 से 1999-2000 के दौरान प्रदत्त वित्तीय सहायता

क्र.सं.	राज्य	निर्मुक्त सहायता (लाख रु. में)	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	553.50	7
2.	कर्नाटक	1337.84	15

1	2	3	4
3.	केरल	3.52	1
4.	महाराष्ट्र	1148.83	14
5.	तमिलनाडु	307.14	4
6.	उत्तर प्रदेश (मैदानी)	215.70	3
7.	हरियाणा	680.00	8
8.	पंजाब	75.50	1
9.	राजस्थान	147.00	2
	कुल	4469.03	55

विवरण II

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा अपनी स्कीम "बागवानी में नई प्रौद्योगिकी एवं अवधारणाओं की शुरुआत" के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 से 1999-2000 के दौरान राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को प्रदत्त वित्तीय सहायता

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्मुक्त सहायता (लाख रुपये में)
1	2	3
1.	कर्नाटक	3.92
2.	केरल	23.15
3.	महाराष्ट्र	237.94
4.	तमिलनाडु	9.86
5.	उत्तर प्रदेश (मैदानी)	30.28
6.	मध्य प्रदेश	20.60
7.	उड़ीसा	4.41
8.	गुजरात	20.00
9.	बिहार	5.33
10.	नागालैण्ड	22.10
11.	हिमाचल प्रदेश	115.07
12.	पंजाब	59.43
13.	जम्मू एवं कश्मीर	25.00
14.	दिल्ली	51.40
15.	पश्चिम बंगाल	16.42
	कुल	643.91

विवरण III

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की निम्नलिखित स्कीमों के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 से 1999-2000 के दौरान राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को प्रदत्त वित्तीय सहायता

(1) बागवानी फसलों के फसलोपरान्त अवसंरचना प्रबंध संबंधी समेकित परियोजना

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में पोषणिक उद्यानों की स्थापना

(3) बागवानी किसानों के प्रशिक्षण एवं दौरों के माध्यम से प्रौद्योगिकी अन्तरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्मुक्त सहायता (लाख रुपये में)		
1	2	3 (1)	4 (2)	5 (3)
1.	आंध्र प्रदेश	320.13	96.61	8.76
2.	गोवा	—	23.32	3.05

1	2	3	4	5
3.	महाराष्ट्र	765.87	36.00	10.50
4.	तमिलनाडु	109.20	76.60	4.68
5.	कर्नाटक	497.10	59.71	5.28
6.	केरल	14.65	52.50	2.00
7.	लक्षद्वीप	—	0.20	—
8.	उत्तर प्रदेश (मैदानी)	212.27	160.09	10.75
9.	मध्य प्रदेश	510.16	61.50	2.00
10.	उड़ीसा	208.43	81.95	5.00
11.	गुजरात	190.44	53.91	9.50
12.	बिहार	86.73	154.55	19.45
13.	पश्चिम बंगाल	394.00	108.07	8.50
14.	मेघालय	—	13.00	3.05
15.	मणिपुर	—	66.75	5.00
16.	मिजोरम	9.80	10.15	3.50
17.	असम	—	15.77	0.995
18.	अरुणाचल प्रदेश	—	41.75	2.82
19.	नागालैण्ड	18.91	38.25	9.50
20.	त्रिपुरा	—	3.75	—
21.	सिक्किम	—	7.10	4.40
22.	राजस्थान	179.75	67.00	6.75
23.	हरियाणा	71.68	48.50	4.12
24.	हिमाचल प्रदेश	197.75	42.60	4.09
25.	पंजाब	600.50	28.00	1.50
26.	जम्मू एवं कश्मीर	100.00	28.50	1.50
27.	दिल्ली	37.87	13.92	1.80
28.	उत्तर प्रदेश (पर्वतीय)	13.90	30.00	2.50
29.	पाण्डिचेरी	—	—	0.28
30.	दमण एवं दीव	—	—	0.50
31.	अंडमान एवं निकोबार	—	—	0.475
32.	चण्डीगढ़	—	—	—

[अनुवाद]

एस.आई.एस.आई. में सूचना प्रौद्योगिकी विकास की क्षमता

2658. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योग सेवा संस्थान ने सूचना प्रौद्योगिकी विकास के व्यापक विस्तार और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम का आधुनिकीकरण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1999-2000 के दौरान आंध्र प्रदेश में कोई आधुनिक कैम्प लगाए गए हैं;

(घ) क्या लघु उद्योग सेवा संस्थान ने वर्ष 2000-2001 के दौरान आंध्र प्रदेश में कुछ खास उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी हां।

(ख) लघु उद्योग सेवा संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बहुत से मामलों में सूचना प्रौद्योगिकी जैसे कि नेटवर्क, ई-मेल, ई-कामर्स, कैड/कैम, लेखाकरण के लिए साफ्टवेयर/फैहरिस्त/आफिस प्रबन्धन इत्यादि क्षेत्रों को सम्मिलित करने के लिए उनके पाठ्यक्रमों को अद्यतन किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) लघु उद्योग सेवा संस्थान, हैदराबाद ने वर्ष 2000-2001 के लिए पहले ही एक विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किया है जिसमें आन्ध्र प्रदेश के कम से कम 1500 भावी और मौजूदा उद्यमी प्रशिक्षण क्रियाकलाप की श्रृंखला के माध्यम से जिसमें उद्यमिता विकास कार्यक्रम, प्रबन्धन विकास कार्यक्रम, निपुणता विकास कार्यक्रम और सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध कार्यक्रम शामिल हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। अब तक 850 मौजूदा और भावी उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निधि

2659. **श्री जोरा सिंह मान :**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने आने वाले वर्षों में देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए धन की आवश्यकता के संबंध में अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष और आने वाले वर्षों के दौरान अनुमानतः कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ग) क्या सरकार ने आवश्यक धनराशि की उपलब्धता के लिए स्रोतों की पहचान कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (घ) ग्रामीण क्षेत्रक के विकास को केन्द्र और राज्य सरकारों की विकास योजनाओं में उच्च प्राथमिकता दी गई है। केन्द्र सरकार, विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्रक के और केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों तथा स्कीमों के माध्यम से, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूर्ण करती है। राज्य सरकारें अपने संसाधनों और भारत सरकार द्वारा राज्यों को उनकी वार्षिक योजनाओं हेतु उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता के आधार पर, ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक कार्य शुरू करने के लिए निधियों की उपलब्धता का अनुमान लगाती हैं। केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को दी जाने वाली कुल बजटीय सहायता का निर्धारण राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों हेतु मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुमानित निधियों की आवश्यकताओं पर, ग्रामीण क्षेत्रक के विकास पर वृहत्तर ध्यान देने वाली राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को देखते हुए विचार किया जाता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय को ग्रामीण विकास हेतु उपलब्ध कराया गया नौवीं योजना (1997-2000) आबंटन, आठवीं योजना अवधि के 31682 करोड़ रुपये की तुलना में 42278 करोड़ रुपये था। चालू वर्ष के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय को, ग्रामीण जनता की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने वाली स्कीमों के लिए

9760 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष में प्रधान मंत्री की ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई.) को 5,000 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं जिसमें से निधियों का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रक में जाएगा।

[अनुवाद]

एम्बेसी कार्मिकों द्वारा देश त्यागना/भगोड़ा होना

2660. **श्री नरेश पुगलिया :**
श्री सुबोध मोहिते :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में तैनात अनेक कर्मचारियों/अधिकारियों ने अपने देश को त्याग कर दूसरे देश में शरण ले ली है/भगोड़े हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस प्रकार देश का परित्याग करने वाले भगोड़ो को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) हाल के वर्षों में विदेशों में तैनात किसी भी कार्मिक अथवा अधिकारी ने अपने देश को त्याग कर दूसरे देश में शरण नहीं ली है। कर्मचारियों द्वारा विदेशों में ड्यूटी से अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कुछ मामले आए हैं 1996 से अब तक ऐसे 10 मामले सामने आए हैं।

(ग) और (घ) ऐसे सभी मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है। ड्यूटी से अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थिति को रोकने के लिए सरकार ने विदेशों में तैनात कर्मचारियों के पासपोर्टों की वैधता अवधि सीमित करने तथा अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित कर्मचारियों के पासपोर्ट जब्त करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना

2661. **श्री उत्तमराव पाटील :**
श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल :
श्रीमती रेनु कुमारी :
श्री पी.सी. थामस :
डा. वी. सरोजा :
श्री जार्ज ईडन :
श्री शीशराम सिंह रवि :
श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार स्थान-वार कितने कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इन केन्द्रों को सुचारू ढंग से चलाने हेतु कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई;

(ग) इन कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना हेतु स्थानों के चयन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को देश में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो उक्त केन्द्रों की स्थापना हेतु स्थानों के साथ इन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) पिछले तीन वर्षों (1997-98 से 1999-2000) के दौरान आठ कृषि विज्ञान केन्द्र (के.वी.के.) स्थापित किए गए हैं। इनकी स्थापना के जिले ग्वालियर और सिहोर (मध्य प्रदेश); जहानाबाद (बिहार); पीलीभीत, उन्नाव और प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश), कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश); और लक्षद्वीप हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कृषि विज्ञान केन्द्रों को 53.71 लाख रु. की राशि जारी की गई है। वर्ष 2000-2001 के लिए 76.26 लाख रु. की राशि आबंटित की गई है।

(ग) कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना सामान्यत: ग्रामीण तथा पिछड़े जिलों में की जाती है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से 33 जिलों के लिए नए कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) अधिक कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

विवरण

नए कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	संख्या	जिले
1.	आंध्र प्रदेश	4	कुडप्पा, कृष्णा, खम्मम और निजामाबाद
2.	असम	2	बड़पेटा, डिब्रूगढ़
3.	बिहार	1	गया
4.	जम्मू और कश्मीर	5	बारामूला, डोडा, कुपवाड़, राजौरी और श्रीनगर
5.	मध्य प्रदेश	7	उज्जैन, भिंड, छतरपुर, डिंडोरी, कावरधा, नीमच और मांडला
6.	नागालैंड	3	फेक, मोकोकचुंग और मॉन
7.	पंजाब	6	मुक्तसर, मनसा, जालंधर, फतेहगढ़, मोगा और अमृतसर
8.	उत्तर प्रदेश	5	उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून एवं बुलन्दशहर
	कुल .	33	

[अनुवाद]

आई.सी.ए.आर. में अनियमितताएं

2662. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिकायतें मिली हैं कि कृषि विज्ञान केन्द्रों के नाम पर सरकार के करोड़ों रुपए का गबन किया गया है उनमें से अनेक वास्तव में नहीं हैं और उनकी निधियों के उपयोग की गलत लेखा परीक्षा रिपोर्टें भेजी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रथा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) इस समय 261 कृषि विज्ञान केन्द्र हैं जिनमें 149 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं के तहत, 27 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के तहत, 74 गैर-सरकारी संगठनों के तहत तथा शेष 11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के तहत हैं।

इन कृषि विज्ञान केन्द्रों की गतिविधियों की आठ क्षेत्रीय समन्वयकर्ता एककों के द्वारा नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। गतिविधियों की समीक्षा हेतु प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है जिसमें किसानों, विकास विभागों, अनुसंधान तथा विस्तार अभिकरणों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। कार्य निष्पादन के अनुरूप लेखा परीक्षा उपयोग प्रमाण-पत्र के आधार पर निधि जारी की जाती है। यह प्रमाण-पत्र कृषि विज्ञान केन्द्र में निष्पादन के आधार पर दिया जाता है। किसी विसंगति के मामले में रिकार्डों की जांच के लिए विशेष लेखा परीक्षा दल तैनात किए जाते हैं।

नौ पंचवर्षीय समीक्षा दलों ने भी कृषि विज्ञान केन्द्रों के कामों की समीक्षा की है।

भारत-बांग्लादेश वार्ता

2663. श्री समर चौधरी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बांग्लादेश कॉरिडर होकर देश के पूर्वोत्तर भाग के भूमि क्षेत्रों के साथ रेल, सड़क और जल मार्ग संचार व्यवस्था बनाने संबंधी बांग्लादेश के प्रस्ताव पर उक्त देश के साथ बातचीत की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) भारत के पास अन्तर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोतोकोल, जो 1972 से कारगर है, के प्रावधानों के अन्तर्गत बंगलादेश होकर सीमित पारगमन सुविधाएं हैं। भारत सरकार ने बंगलादेश की सरकार को उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए सड़क और रेल मार्ग से पारगमन के लिए बार-बार अनुरोध किया है। बंगलादेश इन प्रस्तावों से सहमत नहीं है।

बाढ़ नियंत्रण

2664. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अरूणाचल प्रदेश में बाढ़ के कारण जन जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ा है और कई महत्वपूर्ण पुलों के बह जाने के कारण गांवों का शेष राज्य से सम्पर्क टूट गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अरूणाचल प्रदेश सरकार ने यह उल्लेख किया था कि चीन में सैंग्यो कही जाने वाली सियांग नदी बिनाशकारी बाढ़ का मुख्य कारण है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और भविष्य में राज्य को बाढ़ से बचाने के लिए इस मुद्दे को चीन की सरकार के साथ उठाने का है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) जी, हां। अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सियांग नदी में 11.6.2000 को अचानक आई बाढ़ में 26 व्यक्ति मर गए और तीन पुल अर्थात सागरम पुल, ढाइट डाइम पुल और नूबो पुल बह गए। इस बाढ़ से चार जिले अर्थात् पूर्व सियांग, अपर सियांग, पश्चिम सियांग और दिबांग घाटी प्रभावित हुए।

(ख) जी, हां। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने उल्लेख किया है कि भारत में बहने वाली सियांग नदी, जिसे चीन में त्सांग पो कहा जाता है, इस बाढ़ का मुख्य कारण है।

(ग) चालू वित्त वर्ष 2000-2001 के दौरान, केन्द्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार को आपदा राहत निधि से 4.40 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस राज्य में भविष्य में ऐसी बाढ़ों को रोकने के लिए भारत सरकार ने इस मुद्दे को चीन की सरकार के साथ उठाया है।

[हिन्दी]

बिहार में बाढ़ नियंत्रण

2665. श्रीमती रेनु कुमारी :
श्री निखिल कुमार चौधरी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक केन्द्रीय दल ने हाल ही में उत्तरी बिहार के बाढ़ और अत्यधिक भू-क्षरण तथा जल-भराव से प्रभावित कटिहार और खगड़िया जिलों का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या निर्णय लिए गए हैं; और

(घ) रिपोर्ट की सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) और (ख) जी हां। अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के नेतृत्व में एक केन्द्रीय दल ने मौके पर निरीक्षण और संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से गंगा नदी से होने वाले कटाव की समस्या की गंभीरता के आकलन के लक्ष्य के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल (बिहार में कटिहार सहित) के कटाव से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दल ने जनवरी, 2000 में अपनी रिपोर्ट इस मंत्रालय को प्रस्तुत की। केन्द्रीय दल ने खगड़िया जिले का दौरा नहीं किया।

(ग) विशिष्ट सिफारिशों को शामिल करते हुए इस दल की रिपोर्ट को कार्यान्वयन के लिए बिहार सहित संबंधित राज्यों को भेजा गया है। इस दल ने कटिहार जिले के लिए दो स्कीमें अभिज्ञात की हैं, अर्थात्- 17.91 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली कार्हागोला-जारलही (गंगा नदी का बायां किनारा) में कटाव और 5.25 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली गोवागाची (गंगा नदी का बायां किनारा) में कटाव स्कीम। भारत सरकार ने केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इन स्कीमों को "गंगा बेसिन राज्यों में 140.83 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले गंभीर कटावरोधी कार्य" नामक कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया है। व्यय वित्त समिति ने उपरोक्त कार्यक्रम को जुलाई, 2000 में अनुमोदित कर दिया है।

(घ) इन स्कीमों को पूरा करने के कार्यक्रम सहित इनका कार्यान्वयन राज्य सरकार के कार्यों की परिधि में आता है।

[अनुवाद]

कताई मिलों की शेयर पूंजी

2666. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा कताई मिलों को कितनी शेयर पूंजी दी गई है;

(ख) इस धन के प्रयोग की निगरानी का कार्य किस एजेंसी को सौंपा गया है;

(ग) क्या धोखाधड़ी का कोई मामला प्रकाश में आया है;

(घ) यदि हां, तो मिल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) कृषि एवं सहकारिता विभाग ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से कृषक सहकारी कताई मिलों की सहायता के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 31.3.2000 तक देश में 25 सहकारी कताई मिलों को 4868.48 लाख रुपये निर्मुक्त किये हैं।

(ख) क्षेत्रगत दौरों, आवधिक प्रतिवेदनों तथा समीक्षा बैठकों आदि के जरिए कार्यक्रम के कार्यान्वयन के मानीटरन के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का अपना तंत्र है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चीन में युद्धबन्दी

2667. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चीन की जेलों में बंद पड़े। भारतीय युद्धबन्दियों के बारे में कोई सूचना प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनकी रिहाई के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) सरकारी रिकार्ड के अनुसार चीन में कोई भारतीय युद्ध-बन्दी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चीन द्वारा मिसाइलें तैनात किया जाना

2668. श्री तरूण गोगोई : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने भारत की ओर लक्ष्य करके प्रक्षेपास्त्र तैनात कर रखे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका भारत तथा भारतीय उपमहाद्वीप की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (ग) सरकार अपने क्षेत्र में और अपने क्षेत्र से बाहर भी सामूहिक विनाश के हथियारों के विकास और उनकी तैनाती और उन्हें चलाये जाने के साधनों पर कड़ी नजर रखती है। सरकार खतरों के प्रति अपनी निजी अवधारणा के अनुरूप भारत की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की कारगर संरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है।

[अनुवाद]

उड़ीसा को धनराशि दिया जाना

2669. श्री भर्तृहरि महताब : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा सरकार को चालू पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या उड़ीसा के लिए विशेषकर वहां आये महाचक्रवात के बाद कोई विशेष आर्थिक पैकेज तैयार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री

(श्री अरुण शौरी): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा के लिए अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्यय इस प्रकार है:-

वार्षिक योजना 1997-98	2529.46 करोड़ रु.
वार्षिक योजना 1998-99	3084.43 करोड़ रु.
वार्षिक योजना 1999-2000	3309.17 करोड़ रु.

वर्ष 2000-01 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) उड़ीसा को चक्रवात प्रभावित तटीय क्षेत्रों के पुन: निर्माण हेतु नीचे बताए गए अनुसार सहायता उपलब्ध कराई गई है:-

बाढ़/चक्रवातों के बाद राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता	828.15 करोड़ रु.
वर्ष 1999-2000 के लिए आपदा राहत कोष का केन्द्रीय हिस्सा	450.50 करोड़ रु.
वर्ष 2000-01 के लिए आपदा राहत कोष का केन्द्रीय हिस्सा	30.70 करोड़ रु.
पुनर्वास के लिए अग्रिम सहायता	450.00 करोड़ रु.
पुनर्निर्माण कार्य के तात्कालिक चरण के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त करने हेतु प्रतिपक्ष वित्तपोषण को पूरा करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	43.00 करोड़ रु.

इमारती लकड़ी उद्योग के लिए यूरिया

2670. श्री परसुराम माझी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा इमारती लकड़ी उद्योग के लिए यूरिया का कोई कोटा निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त कोटे में यूरिया की मात्रा बढ़ाने का है; और

(ग) सरकार द्वारा - किसानों को उनका वह कोटा मिल सके जो कि इमारती लकड़ी उद्योग को चले जाने के कारण वंचित रह जाते हैं - यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यूरिया की राज्य-वार मौसमी आवश्यकताओं का निर्धारण राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके किया जाता है निर्धारित आवश्यकता उर्वरक नियंत्रण आदेश के अधीन आबंटित आपूर्ति के जरिए पूरी की जाती है। मौसम के दौरान राज्यों को यथा आवश्यक अतिरिक्त आबंटन भी किये जाते हैं। राज्य के भीतर आपूर्ति की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति आय में असंतुलन

2671. श्री जे.एस. बराड़ :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सकल घरेलू उत्पाद में परम्परागत संसाधनों से होने वाले उत्पादन में कमी आ रही है और देश में वैश्वीकरण और उदारीकरण से नए संसाधनों से उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस अंतर से देश में प्रति व्यक्ति आय में असंतुलन होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या मूल्यांकन किया है और देश में नब्बे के दशक के अंत तक अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी थी?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में कृषि और उद्योग जैसे पारंपरिक क्षेत्रकों से उत्पादन का योगदान वर्ष 1993-94 में क्रमश: 31% तथा 26.3% से कम होकर वर्ष 1998-99 में क्रमश: 29.1% तथा 25.7% हो गया है। इसी अवधि के दौरान जी.डी.पी. में सेवा क्षेत्रक का योगदान 42% से बढ़कर 45.2% हो गया है। सेवा क्षेत्रक के अंतर्गत, व्यापार, परिवहन व

संचार, बैंकिंग व बीमा और समुदाय, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाओं से योगदान में तेजी से वृद्धि हो रही है।

(ग) और (घ) वर्ष 1998-99 के लिए, निवल राष्ट्रीय उत्पाद द्वारा मापी गई देश की प्रति व्यक्ति आय 14,682 रुपये अनुमानित की गई है। तथापि, देश में प्रति व्यक्ति आय के असंतुलन के संबंध में, जी.डी.पी. के क्षेत्रकीय शेयर में परिवर्तन के आधार पर, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

ग्रामीण उद्योगों को निधियां

2672. श्री अरुण कुमार :
श्री राजो सिंह :

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष ग्रामीण उद्योगों हेतु राज्यों को विशेषतः बिहार को कुल कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राशि के जिला-वार उपयोग से संबंधित प्रगति रिपोर्टें मांगी हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में ग्रामीण उद्योगों विशेष तौर से बिहार में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संवितरित की गई कुल राशि सम्बन्धी विवरण:-

(लाख रुपये में)

वर्ष	खादी ग्रामोद्योग आयोग		कनसोरटियम बैंक
	खादी	ऋण	क्रेडिट
अखिल भारतीय			
1997-98	33682.69	1128.78	7114.04
1998-99	34276.62	1281.74	14591.58
1999-2000	33141.24	735.85	4729.37
बिहार			
1997-98	752.45	30.81	8.82
1998-99	1230.49	60.85	4.01
1999-2000	349.84	26.87	-

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

तिलहन का उत्पादन

2673. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों से तिलहन और चावल के आयात के कारण इनके मूल्यों में आई गिरावट से किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या तिलहन और चावल का उत्पादन करने वाले किसान इन फसलों की जगह दूसरी लाभ देने वाली फसल उगाने का मन बना रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में इस खतरनाक प्रवृत्ति को रोकने और तिलहन के उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (ग) देश में बड़ी मात्रा में खाद्य तेलों के आयात से तिलहन के मामले में किसान निश्चित रूप से प्रभावित हुए हैं। हालांकि चावल के मामले में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है तथा वास्तव में पिछले वर्ष की तुलना में देश में अधिक उत्पादन हुआ है। तिलहन के मामले में किसी तिलहन उत्पादक प्रदेश से तिलहन क्षेत्र को अन्य फसल में तब्दील करने की कोई सूचना नहीं मिली है। तिलहन का उत्पादन बढ़ाने तथा किसानों के हितों के संरक्षण के लिए, 25 राज्यों के 397 चयनित जिलों को कवर करने वाला केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस स्कीम के तहत किसानों को महत्वपूर्ण आदानों पर राजसहायता मुहैया कराकर विभिन्न प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार तिलहन फसलों की बुवाई से काफी पहले प्रत्येक वर्ष तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करती रही है तथा तिलहन के बाजार मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरने की दशा में तिलहन उत्पादकों के उत्पाद को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए नैफेड केन्द्रीय शीर्ष अभिकरण है।

[हिन्दी]

धन का आवंटन

2674 श्री बृजलाल खाबरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत धनराशि कम कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे विकास कार्यों के संबंध में निर्धारित किये गये लक्ष्य प्रभावित होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) किसी पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के लिए पांच वर्ष की अवधि हेतु अनुमानित केन्द्रीय बजटीय सहायता मात्र निर्देशात्मक होती है, इस पर अमल इसकी वार्षिक योजनाओं में किए गए आबंटनों के माध्यम से किया जाता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में, वर्षवार बजट में की गई कुल बजटीय सहायता और वास्तविक/संशोधित अनुमान संलग्न विवरण में दिए गए हैं। विवरण से पता चलता है कि आबंटन प्रति वर्ष बढ़ाया गया है और वर्ष 1997-98 से 1999-2000 की अवधि के दौरान बजट बनाए गए और वास्तविक/संशोधित आवंटनों के बीच अन्तर वर्ष-दर-वर्ष भिन्न रहा है।

(ग) से (ङ) यह केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं को केन्द्रीय सहायता के संबंध में) का उत्तरदायित्व है कि वे योजना के आवंटनों के अनुसार और उनके विकास कार्यों के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने की दृष्टि से योजना व्यय करे। केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए वार्षिक योजना आबंटनों को तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता को अंतिम रूप देते समय, योजना आयोग विभिन्न योजना कार्यक्रमों/स्कीमों के संबंध में वास्तविक उपलब्धियों के साथ-साथ बजट बनाए गए और वास्तविक/संशोधित योजना व्यय की समीक्षा करता है। तदनुसार, अनुवर्ती वर्ष के लिए योजना आवंटन निश्चित किया जाता है। विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों से सम्बद्ध स्थायी वित्त समितियां भी संबंधित मंत्रालयों को बजटीय आबंटनों के कम उपयोग के संबंध में समय-समय पर सुझाव देती रही हैं। इसके अतिरिक्त, योजना लागू किए जाने वाले वर्ष में योजना के निष्पादन का मूल्यांकन करने तथा समग्र रूप से योजना अवधि के लिए निर्धारित उद्देश्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त करने के वास्ते सुधारात्मक उपाय करने के लिए योजना आयोग द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन की प्रक्रिया आरम्भ की गई है। यह प्रक्रिया इस समय जारी है।

विवरण

केन्द्र की कुल बजटीय सहायता (जी.बी.एस.)

(चालू कीमतों पर करोड़ रुपये में)

	1997-98			1998-99			1999-2000			2000-01
	बजट अनुमान	वास्तविक	प्रतिशव कमी	बजट अनुमान	वास्तविक	प्रतिशत कमी	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	प्रतिशत कमी	बजट अनुमान
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
केन्द्र क्षेत्र योजना को जीबीएस	36130.34	32331.00	-10.52	42464.27	37108.00	-12.61	44000.00	43660.58	-0.77	51275.60
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं को केन्द्रीय सहायता	26722.01	26746.00	0.09	29538.01	29710.00	0.58	33000.00	35734.66	8.29	36824.40
वार्षिक योजनाओं को केन्द्र की कुल बजटीय सहायता	62852.35	59077.00	-6.01	72002.28	66818.00	-7.20	77000.00	79395.24	3.11	88100.00

टिप्पणी: कालम (3), (6) और (9) के नकारात्मक आंकड़े संबंधित वार्षिक योजना के बजट अनुमानों की कमी दर्शाते हैं।

बेरोजगार व्यक्ति

2675. योगी आदित्यनाथ :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री त्रिलोचन कानूनगो :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रोजगार कार्यालयों के रिकार्ड के अनुसार मार्च, 2000 तक देश में राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार अलग-अलग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित कितने शिक्षित/अशिक्षित बेरोजगार युवा हैं; और

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से प्रतिवर्ष कितने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित/अशिक्षित, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, की वर्ष 1997 के अंत तक (नवीनतम उपलब्ध) श्रेणीवार संख्या संलग्न विवरण पर दी गई है।

(ख) वर्ष 1997, 1998 तथा 1999 के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा नियोजितों की संख्या क्रमशः 2.75, 2.33 एवं 2.21 लाख के लगभग थी।

विवरण

दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 की स्थिति के अनुसार देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की राज्य-वार संख्या

(हजार में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	शिक्षित (10वीं कक्षा पास तथा इससे ऊपर)	10वीं कक्षा से नीचे अशिक्षित (असाक्षरों सहित)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	2026.9	1060.6	542.4	82.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.0	8.8	0.2	5.8

1	2	3	4	5	6
3.	असम	925.2	549.8	81.8	146.1
4.	बिहार	2386.8	964.5	459.7	248.6
5.	गोवा	81.8	27.2	1.7	—
6.	गुजरात	682.5	259.8	200.4	94.5
7.	हरियाणा	504.0	283.1	135.5	@
8.	हिमाचल प्रदेश	552.9	165.5	136.3	20.2
9.	जम्मू और कश्मीर	64.8	99.9	7.5	0.8
10.	कर्नाटक	1219.2	612.4	239.4	47.2
11.	केरल	2831.3	700.5	402.5	17.5
12.	मध्य प्रदेश	1932.2	445.2	321.5	241.5
13.	महाराष्ट्र	2904.9	1018.6	573.1	139.1
14.	मणिपुर	206.4	111.7	2.5	87.4
15.	मेघालय	18.5	15.9	0.4	27.1
16.	मिजोरम	30.9	37.0	—	67.9
17.	नागालैण्ड	13.9	7.8	0.2	20.9
18.	उड़ीसा	738.0	239.3	142.4	91.5
19.	पंजाब	380.4	200.1	169.4	@
20.	राजस्थान	597.9	275.9	132.6	63.0
21.	सिक्किम*	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	2746.2	1149.9	756.6	9.6
23.	त्रिपुरा	70.4	142.1	15.2	17.9
24.	उत्तर प्रदेश	2011.5	685.3	522.0	11.3
25.	पश्चिम बंगाल	3333.4	2405.6	557.9	109.7
26.	अं. और नि. द्वीप समूह	8.6	16.5	—	0.7
27.	चण्डीगढ़	76.0	48.7	29.4	0.1
28.	दादर और नगर हवेली	1.2	4.3	0.2	0.9

1	2	3	4	5	6
29.	दिल्ली	839.9	257.6	185.6	27.7
30.	दमन और दीव	2.0	3.5	0.4	0.2
31.	लक्षद्वीप	1.7	7.1	—	6.4
32.	पाण्डिचेरी	90.6	53.9	10.4	@
	योग	27282.0	11857.9	5626.0	1586.6

पूर्णांकों के कारण हो सकता है आंकड़े मूल से मेल न खाएं।
*इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।
@आंकड़े 50 से कम।

[अनुवाद]

विमान अपहरणकर्त्ताओं का प्रत्यर्पण

2676. श्री आर.एल. भाटिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इण्डियन एयरलाइन्स के विमान आइ.सी.-814 के अपहरणकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर उन्हें देश को सौंपने के लिए इंटरपोल से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ब्रिटेन और अन्य कई देशों में ''रेडकार्नर'' नोटिस जारी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या प्रगति की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) इण्डियन एअरलाइन्स उड़ान सं. आई सी-814 का काठमाण्डु से कन्धार तक अपहरण के मामले में शामिल सात वांछित अपहरणकर्ताओं के विरुद्ध ''रेड कार्नर नोटिस'' जारी करने के लिए सी.बी.आई.-इण्टरपोल विंग ने 7 जून, 2000 को इण्टरपोल सैक्रेटेरियेट जनरल (आई.पी.एस.जी.), नोटिस सेक्शन, लियान्स, फ्रांस को एक अनुरोध भेजा है।

(ग) आई.पी.एस.जी. द्वारा उनके विरुद्ध ''रेड कार्नर नोटिस'' अभी भेजे जाने हैं।

[हिन्दी]

हिन्दी को मान्यता प्रदान करना

2677. श्री महेश्वर सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा हिंदी को मान्यता प्रदान नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या केंद्र सरकार ने हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संगठन में मान्यता दिए जाने हेतु कोई प्रयास किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (घ) संयुक्त राष्ट्र में इस समय 6 आधिकारिक भाषाएं यथा अंग्रेजी, फ्रैंच, स्पेनिश, अरबी, रूसी और चीनी हैं। एक और आधिकारिक भाषा का शामिल किया जाना संगठन के स्थापित प्रक्रिया नियमों से अधिशासित है और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों के बहुमत अर्थात् 185 सदस्यों में से 93 सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 51 (आधिकारिक और कार्यकारी भाषाओं को विनिर्दिष्ट करने वाला नियम) में संशोधन करना होगा।

पर्याप्त समर्थन जुटाने में महत्त्वपूर्ण बात ऐसे राष्ट्रीय प्रतिनिधिमण्डलों की संख्या, जो भाषा का प्रयोग करते हों और ऐसे कदम के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। एक और आधिकारिक भाषा को शामिल करने से संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में से भारी व्यय होगा जिसका पूरी तरह से वित्त-पोषण सदस्य राज्यों द्वारा किया जाना है। अध्याय के अनुच्छेद 17(2) में यह प्रावधान है कि 'संगठन का व्यय महासभा द्वारा निर्धारित अनुमान के अनुसार सदस्यों द्वारा वहन किया जाएगा'।

भारत सरकार पिछले अनेक वर्षों से भारतीय शिष्टमण्डल के ऐसे नेता और सदस्यों को अनुवाद सुविधाएं उपलब्ध करा रही है

जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्रों में हिन्दी में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करना चाहते हैं।

सरकार हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने के प्रस्ताव पर ऐसे सदस्य राज्यों, जहां बड़ी मात्रा में हिन्दी भाषी लोग रहते हैं, की प्रतिक्रिया जानने के लिए बातचीत कर रही है।

अल्पसंख्यक आयोग

2678. **डा. बलिराम : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन ने संसाधनों के अभाव में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने में अपनी असमर्थता जाहिर की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कर गए धन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अल्पसंख्यक आयोग के संसाधनों की कमी को कब तक पूरा किए जाने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आई.सी.ए.आर. घोटाला

2679. **श्री राजैया मल्याला :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मुद्दागाड़ा पद्मनाभम् :
श्री धर्म राज सिंह पटेल :
श्री आत्माराम भाई पटेल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 मई, 2000 के 'दि इण्डियन एक्सप्रेस' में 'साईंटिस्ट इज शन्टेड आउट फॉर हाइलाइटिंग एनआई.सी.ए.आर.-स्कैम' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में लगाए गए आरोपों की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसका परिणाम क्या निकला?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां। तथापि वैज्ञानिक को बाहर नहीं निकाला गया है।

(ख) और (ग) मामले की जांच की जा रही है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में निदेशक के रिक्त पद

2680. **श्री भेरूलाल मीणा : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "एस.सी./एस.टी. पार्लियामेंटेरियन्स" ने प्रधान मंत्री को दिनांक 17.12.1996, 1.9.1997 तथा 23.7.1998 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है तथा विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत महत्वपूर्ण पदों/दायित्वों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को नियुक्त किए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत सभी राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों में निदेशक के कितने पद हैं तथा 1.1.96 और 1.1.2000 की स्थिति के अनुसार उक्त पदों में से कितने पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग कार्यरत थे तथा कुल पदों में इनका प्रतिशत क्या है; और

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के सांसदों की मांग को पूरा नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कम्प्यूटर केन्द्र

2681. **श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्य पिछड़े वर्गों के लिये कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित करने के लिये कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे केन्द्र स्थापित करने के लिये राज्यवार किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ग) ये केन्द्र कब तक स्थापित किये जायेंगे और इसके लिये राज्यवार कितना धन आवंटित किया गया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित करने के लिए 152 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए कोई विनिर्दिष्ट समय नहीं है। आवेदनों का निपटान प्राप्त दस्तावेजों के पूर्ण होने तथा निर्धारित प्राधिकारियों की सिफारिश रिकार्ड में उपलब्ध होने पर निर्भर करता है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के अंतर्गत निधियों का आबंटन राज्यवार नहीं किया जाता है।

विवरण

आंध्र प्रदेश अभिज्ञात स्थान और प्राप्त प्रस्तावों की सं.	असम अभिज्ञात स्थान और प्राप्त प्रस्तावों की सं.	बिहार अभिज्ञात स्थान और प्राप्त प्रस्तावों की सं.	गुजरात अभिज्ञात स्थान और प्राप्त प्रस्तावों की सं.	हरियाणा अभिज्ञात स्थान और प्राप्त प्रस्तावों की सं.	मध्य प्रदेश अभिज्ञात स्थान और प्राप्त प्रस्तावों की सं.
अनंतपुर-6	हैइलाकांडी-1	दरभंगा-1	अहमदाबाद-1	फरीदाबाद-1	भिंड-3
चित्तूर-6	नागांव-2	समस्तीपुर-1	गांधीनगर-2	सोनीपत-1	भोपाल-7
कुडडापा-2			जामनगर-1		ग्वालियर-4
गुन्टूर-6			जूनागढ़-1		जबलपुर
हैदराबाद-7			मेहसाना-1		मोरेना-5
खाम्माम-4			साबरकंथ-1		रायपुर-1
कुरनूल-3					रतलाम-2
महबूबनगर-2					सतना-1
मेडक-1					
नालगोंडा-1					
नैल्लोर-1					
प्रकाशम-8					
रंगारेड्डी-8					
विजियानाग्राम-1					
वारंगल-1					
कुल 55	3	2	7	2	24

महाराष्ट्र अभिज्ञात स्थान और प्राप्त प्रस्तावों की सं.	मणिपुर अभिज्ञात स्थान और प्राप्त प्रस्तावों की सं.	उड़ीसा अभिज्ञात स्थान और प्राप्त प्रस्तावों की सं.	उत्तर प्रदेश अभिज्ञात स्थान और प्राप्त प्रस्तावों की सं.	पश्चिम बंगाल अभिज्ञात स्थान और प्राप्त प्रस्तावों की सं.	दिल्ली अभिज्ञात स्थान और प्राप्त प्रस्तावों की सं.
औरंगाबाद-2	इम्फाल-2	भुवनेश्वर-2	इलाहाबाद-1		ईस्ट दिल्ली-2
बुलधाना-1		कटक-2	बुलन्दशहर-2		वेस्ट दिल्ली-1
जालना-1			लखनऊ-3		साउथ दिल्ली-2
कोल्हापुर-1			कानपुर-1		सेन्ट्रल दिल्ली-2
लातूर-2			प्रतापगढ़-1		
नागपुर-2			रामपुर		
नांदेड-11					
ओसमानाबाद-1					
पुणे-2					
यावतमल-1					
कुल-32	2	6	11	1	7

"फूड पार्क" की स्थापना

2682. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणुका चौधरी :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार को बढ़ावा देने हेतु तीन और राज्यों में "फूड पार्क" स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) विभाग स्वयं खाद्य पार्कों की स्थापना नहीं करता। वैसी इसकी योजना स्कीमों के तहत राज्य सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों/संयुक्त/सहायताप्राप्त/निजी क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों/सहकारिताओं समेत विभिन्न उद्यमियों को सहायता दी जाती है। इसके लिए दी जाने वाली सहायता की राशि 400 लाख रुपये है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब और तमिलनाडु में खाद्य पार्कों की स्थापना के लिए विभिन्न संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। प्रस्ताव कई दृष्टियों से अधूरे थे इसलिए कमियों को दूर करने और पूर्ण प्रस्ताव पेश करने हेतु उन्हें वापस भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

बिहार में ई.एस.आई. का विस्तार

2683. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ई.एस.आई. निगम ने बिहार के नए क्षेत्रों में ई.एस.आई. का विस्तार करने हेतु एक चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु राज्य को सहायता उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी, हां।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने राज्य सरकार के परामर्श से बिहार में चक्रधरपुर, डाल्टनगंज, तेतुलमारी और गिरीडीह में कर्मचारी राज्य बीमा योजना क्रियान्वित करने की योजना बनाई है।

(ग) चूंकि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन चिकित्सा देखरेख के प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, इसलिए इस संबंध में चिकित्सा देखरेख हेतु उपयुक्त व्यवस्था बिहार सरकार द्वारा की जानी है। राज्य सरकार को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने नए क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के क्रियान्वयन का पहले तीन वर्षों के लिए पूरा व्यय उठाने का निर्णय पहले ही कर लिया है।

[अनुवाद]

बाल श्रम योजना

2684. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कामगार बच्चों के उत्थान हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं के अंतर्गत कितने कामगार बच्चे लाभान्वित हुए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) भारत सरकार कार्य से हटाए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की योजना तथा स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान की योजना नामक दो योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। वर्तमान में 11 बाल श्रम बहुल राज्यों में 1.9 लाख बच्चों के पुनर्वास के लिए 93 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं चल रही हैं। सरकार ने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की योजना नौवीं योजना अवधि के दौरान जारी रखने और परियोजनाओं की संख्या 100 तक बढ़ाए जाने का अनुमोदन कर दिया है।

सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत, कामकाजी बच्चों के लाभ के लिए कार्योन्मुख परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर स्वयंसेवी संगठनों को निधियां सीधे जारी की जाती हैं। योजना के अंतर्गत वर्तमान में 8500 बच्चों के पुनर्वास के लिए 60 से अधिक परियोजनाएं चल रही हैं।

उपर्युक्त योजनाएं वर्ष 2000-2001 में भी जारी हैं।

विदेशों में सांस्कृतिक केन्द्रों की संख्या बढ़ाना

2685. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में इस समय स्थित 14 सांस्कृतिक केन्द्रों की संख्या को बढ़ाने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रोत्साहन में उनकी भूमिका का ब्यौरा क्या है;

(घ) देश के अंदर और बाहर आई.सी.सी.आर. द्वारा पिछले वर्ष आयोजित किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक कितने विद्वानों/कलाकारों ने विदेश यात्रा की; और

(ङ) आगामी कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और भारतीय विरासत को देश के बाहर प्रोत्साहन देने और प्रचार करने वाले ऐसे कार्यक्रम कहां-कहां आयोजित होंगे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी हां।

(ख) सरकार ने वाशिंगटन (अमरीका) में सांस्कृतिक केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त विदेश स्थित विभिन्न भारतीय मिशनों से अन्य प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिन पर विचार किया जा रहा है।

(ग) इस समय मौजूदा 14 भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों के कार्य-कलाप स्थानीय जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। इन केंद्रों के कार्य-कलापों में वार्ताएं, व्याखान-मालाएं दृश्य कलाओं की प्रदर्शनियां, निबन्ध प्रतियोगिताएं, नृत्य एवं संगीत कार्यक्रम का आयोजन, नाटकों का मंचन, भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग, समाचार बुलेटिन का प्रकाशन आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से सांस्कृतिक केन्द्रों में गायन, नृत्य, हिन्दी भाषा तथा योग जैसे विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं पर कक्षाएं चलाई जा रही हैं।

इन केन्द्रों में आगंतुकों के लिए पुस्तकालय, वाचनालय तथा दृश्य-श्रव्य सुविधाएं भी मौजूद हैं। अपने कार्य-कलाप आयोजित करने के अतिरिक्त भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र विभिन्न सांस्कृतिक कार्य-कलापों के समन्वयन के लिए अपने-अपने भारतीय मिशनों को सहायता प्रदान करते हैं। ये सांस्कृतिक केन्द्र स्थानीय नागरिकों, विशेष तौर पर विद्यार्थियों, अध्यापकों, अकादमिकों, मत-निर्माताओं और सांस्कृतिक व्यक्तियों के साथ सम्पर्क बढ़ाते हैं तथा कायम

करते हैं ताकि भारत की सम्पन्न विविध सांस्कृतिक धरोहर की छवि प्रस्तुत की जा सके।

(घ) वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 (अद्यतन) के दौरान विदेशों में भेजे गए प्रतिनिधिमण्डलों का विवरण-I संलग्न है। 1999-2000 तथा 2000-2001 (अद्यतन) में भारत में आयोजित किए गए कार्यक्रमों का विवरण-II संलग्न है। 1997-98, 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 (अद्यतन) के दौरान विदेशों में भेजे गए विद्वानों/कलाकारों का विवरण-III संलग्न है।

(ङ) परिषद के शासी निकायों ने अप्रैल, 2000—मार्च 2001 की अवधि के दौरान भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की प्रस्तावित कार्य योजना का अनुमोदन कर दिया है। क्रियान्वयन की मदों (अप्रैल-जुलाई 2000) के विवरण ऊपर पैरा (घ) में दिए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष की बाकी अवधि में क्रियान्वयन के अन्य प्रस्तावों को विदेश स्थित भारतीय राजनयिक मिशनों/विभिन्न संगठनों के परामर्श से अंतिम रूप दे दिया गया है। अस्थायी कार्यक्रम का विवरण-IV संलग्न है।

विवरण I

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद

1997-98 में बाहर जाने वाले सांस्कृतिक शिष्टमंडल

क्र.सं.	देश	मंडली का स्वरूप	अवधि	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
1.	पाकिस्तान	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली से संगीत विशेषज्ञ सुश्री शर्बरी मुखर्जी	2-7 अप्रैल, 1997	एशिया मुस्लिम वर्ल्ड और मध्य एशियाई क्षेत्र में संगीत की जीवंत परम्परा पर विचार गोष्ठी में भाग लेने के लिए पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्टस से निमंत्रण प्राप्त हुआ।
2.	उत्तरी कोरिया	श्री नन्दू भेंडे लोकप्रिय संगीत मंडली × 7 मुम्बई	7 से 18 अप्रैल 1997	प्योंगयांग में 15 अप्रैल स्प्रिंग फेस्टीवल में भाग लेने के लिए
3.	अमरीका	पंडित शिव कुमार शर्मा (सन्तूर), मुम्बई और उस्ताद शफात अहमद खान, तबला, नई दिल्ली	18 अप्रैल से 19 मई 1997	सेन्टर फॉर द परफोर्मिंग आर्टस ऑफ इंडिया, पिटसबर्ग विश्वविद्यालय से डा. बी.एन. दीक्षित से निमंत्रण प्राप्त हुआ। सेन्टर फॉर परफोर्मिंग आर्टस के साथ भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सहयोग से चल रहे कार्यक्रम।
4.	यू.के.	श्री उमापलपुरम के. शिवरमन (मृदंगम वादक) चेन्नई, तमिलनाडु	17 अप्रैल से 30 मई 1997	लिवरपूल में रिलेटेड आर्टस के निदेशक श्री के.एस. भवानीशंकर के निमंत्रण पर प्रस्तुति।
5.	दक्षिण कोरिया	श्री तरुण प्रधान के नेतृत्व में साराभुज की लोक नृत्य मंडली × 15 कलकत्ता	11-15 मई 1997 (सहायता)	अन्तर्राष्ट्रीय संबंध विभाग, पूसान द्वारा आयोजित 'एशिया वीक फेस्टीवल' में भाग लेने के लिए।
6-7	फ्रांस मोरक्को	(क) पंचवादयम और थयाम्बका (केरल के ड्रम) × 12 तिरुवनंतपुरम	15 मई से 4 जून 1997	थियेटर डि ला विले पेरिस के निमंत्रण पर उनके नए थियेटर में प्रस्तुति के लिए।
	फ्रांस	(ख) सुश्री भारती शिवाजी (मोहिनीअट्टम नृत्यांगना) × 6, नई दिल्ली	8-20 जून, 1997	-यथोपरि-
8.	हंगरी	श्री शुभेन्द्र राव (सितार वादक) नई दिल्ली	21 जून से 22 जून 1997	अन्तर्राष्ट्रीय संगीत दिवस में प्रस्तुति दे. लिए।
9.	आस्ट्रेलिया	सुश्री कृष्ण चक्रवर्ती (सरोद वादक) × 2 बनारस	12 जून से 28 जून 1997	न्यू साउथ वेल्स की कला दीर्घा द्वारा आयोजित बांसुरी पर नृत्य नामक प्रदर्शनी के दौरान प्रस्तुति।

1	2	3	4	5
10.	अमरीका	सुश्री मदन बाला सिद्धू (पंजाबी लोक गायिका) × 5, नई दिल्ली	5 जुलाई से 20 जुलाई 1997	पंजाबी सम्मेलन में प्रस्तुति के लिए
11.	यू.के.	बडाली ब्रदर्स (सूफी गायक)×6 अमृतसर	1 जुलाई से 14 जुलाई 1998	म्यूजिक विलेज प्रोजेक्ट में भाग लेने के लिए म्यूजिक लंदन के आर्टिस्टिक डायरेक्टर श्री प्रकाश दसवानी से निमंत्रण प्राप्त हुआ।
12.	जर्मनी मोरक्को	श्री केशव बागड़े लोक संगीत मंडली × 4 पुणे	4 जुलाई से 16 जुलाई 1997	जर्मनी में रुडोल्फ स्टाड लोक नृत्य संगीत महोत्सव में प्रस्तुति के लिए। प्रस्तुतियां रबात में मिशन द्वारा की गई।
13.	मारीशस रियूनियन द्वीप	पुंग चोलम और ढोल चोलम मंडली (जगोई मरूप मंडली)× 9, इम्फाल	1 से 14 जुलाई, 1997	भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित किये गये 'मेड इन इंडिया शो' के अवसर पर प्रस्तुति के लिए।
14.	नेपाल	सुश्री वाणी जयराम, गायक × 5	15-22 जुलाई, 1997	मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए
15.	किर्गीजस्तान	10-12 बाल सांस्कृतिक मंडली, बाल भवन, नई दिल्ली	30 जुलाई से 5 अगस्त 1997	किर्गीजस्तान के राष्ट्रपति की पत्नी के अनुरोध पर अन्तर्राष्ट्रीय युवा प्रतिभा महोत्सव में भाग लेने के लिए।
16-17.	मालदीव	श्री आर. गणेश और श्री आर. कुमारेश (वायलिन) × 4 चेन्नई और सुश्री अलकनन्दा दास गुप्ता (कथक)×5, नई दिल्ली	11 से 18 अगस्त 1997	प्रस्तुति के लिए
18.	बंगलादेश	पंडित बिरजू महाराज (कथक) नृत्य निपुण × 12 नई दिल्ली	10 से 14 अगस्त 1997	प्रस्तुति के लिए।
19.	श्रीलंका	श्री रजन थियाम के वृन्दगान रिपर्टरी थियेटर द्वारा उत्तर प्रियदर्शी × 28, इम्फाल	11 अगस्त से 19 अगस्त 1997	प्रस्तुति के लिए।
20.	कनाडा	तीन यात्रा अनुदान (क) सुश्री एच. बैजयन्तीमाला देवी (मणिपुरी) नई दिल्ली (ख) श्री शशिधर आचार्य (छाऊ) नई दिल्ली (ग) श्री पी. विजयन (कथकली), तिरुवनन्तपुरम	12 अगस्त से 19 अगस्त 1997	विशेष मल्टीमीडिया डांस थियेटर प्रोडक्शन 'मुक्तिनाद' की प्रस्तुति के लिए मिशन से निमंत्रण प्राप्त हुआ।
21.	अमरीका	उस्ताद अली अकबर खान (सरोद) × 3 अमरीका	15 अगस्त 1997	संयुक्त राष्ट्र महासभा, न्यूयार्क के मुख्य हाल में प्रस्तुति।
22.	अमरीका	श्री चन्नूलाल मिश्रा हिन्दुस्तान गायन × 5, बनारस	24 अगस्त से 15 सितम्बर 1997	स्मिथसोनियन इंस्टीच्यूट से निमंत्रण प्राप्त हुआ।
23.	यू.के.	श्री लोकेन्द्र अरमबम थियेटर मंडली × 5 इम्फाल	7-27 अगस्त 1997	वाटरमैन इंक लंदन के साथ मैकबेथ की संयुक्त प्रस्तुति करने के लिए।
24.	जर्मनी	सुश्री दक्षा सेठ कत्थक और समकालीन नृत्य × 5 तिरुवंतपुरम	22-30 अगस्त 1997	प्रस्तुति के लिए।

1	2	3	4	5
25-26	दक्षिण अफ्रीका जाम्बिया लेसोथो	बसन्त रास और पुंग् चोलम मंडली × 5 इम्फाल	15 से 30 अगस्त 1997	प्रस्तुति के लिए।
27.	स्विटजरलैंड जर्मनी	श्री शुजात खान (सितार) × 5 नई दिल्ली	5 से 17 अगस्त 1997	जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुति और जेनेवा फेस्टीवल में भाग लेने के लिए और 16 अगस्त को बर्लिन में रात्रि संगीत गोष्ठी में प्रस्तुति के लिए।
28.	मिस्र	श्री ब्रह्म दत्त शर्मा लोक नर्तकों के नेतृत्व में लोक नर्तक दल काकोग × 16 शिमला	24 अगस्त से 31 अगस्त 1997	प्रस्तुति के लिए।
29.	कोलम्बिया	श्री अमल अल्लाना की थियेटर मंडली द्वारा 'बेगम बरवे' × 8 नई दिल्ली	25 अगस्त से 7 सितम्बर 1997	छठा इंटरनेशनल फेस्टीवल ऑफ थियेटर सिपूडाड डि सिजूटा में प्रस्तुति के लिए।
30.	टर्की जोर्डन सीरिया साइप्रस यूनान	श्री जया राम राव और श्री वनश्री राव (कुचपुडी) × 6 नई दिल्ली	1 अगस्त, 1997 से 6 सितम्बर, 1997	प्रस्तुति के लिए।
31.	अमरीका	पंडित बिरजू नारायण शर्मा (सरोद) मुम्बई और पंडित अनिंदो चटर्जी (तबला)	24 अगस्त से 20 सितम्बर 1997	डा. बी.एन. दीक्षित सेन्टर फॉर द परफोर्मिंग आर्टस ऑफ इंडिया, पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय से अनुरोध। सेन्टर फॉर परफोर्मिंग आर्टस के साथ भारतीय सांस्कृतिक सहयोग संबंधी परिषद के सहयोग से चल रहे कार्यक्रम।
32-33.	घाना नाइजीरिया मोरक्को आइवरी कोस्ट बेनिन टोगो बुरकीना फासो कैमरून	राजस्थान से लोक नृत्य/संगीत मंडली गणगौर झूमर मंडली × 11 मुम्बई और पंजाब से (भांगड़ा) (सी.जी.एच. पुलिस सांस्कृतिक) मंडली × 8 चंडीगढ़	9 अगस्त से 22 सितम्बर 1997	प्रस्तुति के लिए।
34-35.	तंजानिया उगान्डा इथोपिया कीनिया बोत्सावाना जाम्बिया	बांसुरी-हिन्दुस्तानी श्री पशुपति नाथ आर्य, नई दिल्ली और श्री मधुकर आनन्द और सुश्री किरन चौहान कत्थक × 7 पटना, नई दिल्ली	7 अगस्त से 6 सितम्बर 1997	प्रस्तुति के लिए।
36.	आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पोर्ट मोर्सबी	केदार कला केन्द्र की गरबा नृत्य मंडली बड़ौदा × 15	13 अगस्त से 5 सितम्बर 1997	प्रस्तुति के लिए।
37-38.	उजबेकिस्तान	डा. सन्नो खुराना (हिन्दुस्तानी गायन) सुश्री शैलेष श्रीवास्तव लोक गायिका × 9, नई दिल्ली	25 अगस्त-3 सितम्बर 1997	अन्तर्राष्ट्रीय संगीत महोत्सव में भाग लेने के लिए।

1	2	3	4	5
39.	अमरीका कनाडा	सुश्री प्रोतिमा गौरी बेदी, ओड़ीसी मंडली × 7 बंगलौर	14 अगस्त से 10 अक्तूबर 1997	न्यूयार्क और अमरीका के अन्य शहरों तथा कनाडा में प्रस्तुति के लिए।
40.	भूटान	श्री गौतम राय (पाप मंडली) × 8 मुम्बई	12-24 अगस्त 1997	प्रस्तुति के लिए।
41-42.	इंडोनेशिया मलेशिया सिंगापुर	सुश्री कनका श्रीनिवासन और उसके शिष्यों द्वारा प्रस्तुति × 13 नई दिल्ली और श्री शाहिद परवेज की संगीत मंडली (सितार) × 3 पुणे	12 अगस्त से 30 अगस्त 1997	भारत-इंडोनेशिया संघ के निमंत्रण पर प्रस्तुति के लिए।
43.	पाकिस्तान	पंडित हरि प्रसाद चौरसिया हिन्दुस्तानी बांसुरी × 5 मुम्बई	1-8 सितम्बर 1997	संजन नगर कला और दर्शनशास्त्र संस्थान, लाहौर के निमंत्रण पर व्याख्यान देने और इस्लामाबाद में मिशन द्वारा आयोजित संगीत-गोष्ठी प्रस्तुति के लिए।
44.	अमरीका	उस्ताद असद अली खान (रूद्र वीणा) × 3, नई दिल्ली	13 सितम्बर से 23 दिसम्बर 1997	अमरीका में प्रस्तुति के लिए।
45-50.	कजाकस्तान	सांस्कृतिक मंडलियां - श्री दुर्गा चरण रणबीर (ओड़िसी नृत्य) × 12 भुवनेश्वर - सुश्री एमोनी गगोई (बीहू मंडली) × 11 - डोलू कुनीठा मंडली गुवाहटी (कर्नाटक के ड्रम) × 10 - पंडित अमरनाथ (बांसुरी) नई दिल्ली - सुश्री रेणू बस्सी/मंगला भट्ट (कथक मंडली) - श्री टी.वी. गोपालकृष्णन × 5 (तलवाद्य और सामूहिक) चेन्नई	3 सितम्बर से 9 सितम्बर 1997	'डेज ऑफ इंडियन कल्चर' में भाग लेने के लिए।
51-52.	हंगरी पोलैंड रोमानिया क्रोएशिया बल्गारिया आस्ट्रिया ब्रातिस्लावा	सुश्री रंजना गौहर (ओड़िसी) × 5 नई दिल्ली और श्री रवि किरण (गोट्टूवादयम) × 5 चेन्नई	2 सितम्बर से 21 सितम्बर 1997	प्रस्तुति के लिए।
53-54.	रूस बेलारूस	सांस्कृतिक मंडली × 15 1. सुश्री मंगी बाई (तेराताली मंडली) लोक नृत्य मंडली × 6 जोधपुर 2. श्री सिकन्दर लंगा लोक संगीत मंडली × 5 जोधपुर	1-16 सितम्बर 1997	मास्को की 850वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित वन वर्ल्ड समारोह में भाग लेने के लिए।
55.	जर्मनी आयरलैंड	तोल्पावकुट्टू कठपुतली मंडली × 8 तिरुवनंतपुरम	11 सितम्बर से 22 सितम्बर 1997	आयरलैंड में अन्तर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में प्रस्तुति के लिए।
56.	इटली	श्री रजाज मोहम्मद चूड़ी निर्माता (शिल्पकार) जयपुर	19 सितम्बर से 1 अक्तूबर 1997	तूरीन में आयोजित की गई प्रदर्शनी के लिए भेजे गए शिल्पकार के लिए मिशन से अनुरोध प्राप्त हुआ।

1	2	3	4	5
57-58.	संयुक्त अरब अमरीका कत्तर कुवैत बहरीन मिस्र ट्यूनिश मोरक्को ओमान यमन	(क) सुश्री वैशाली त्रिवेदी (कत्थक) अहमदाबाद × 5 (ख) श्री कैलाश शर्मा (बांसुरी हिन्दुस्तानी) × 1 नई दिल्ली	17 सितम्बर से 2 नवम्बर 1997	प्रस्तुति के लिए।
59.	त्रिनिडाड और टोबागो सूरीनाम गयाना बारबोडोस	सुश्री ममता शंकर की समकालीन नृत्य मंडली × 15 कलकत्ता	13 सितम्बर 97 से 6 अक्तूबर 1997	प्रस्तुति के लिए।
60.	चिली पेरू अर्जेण्टीना ब्राजील मैक्सिको क्यूबा पनामा, कोस्टा रीका कोलम्बिया और वेनेजुएला	सुश्री सोनल मानसिंह नृत्य मंडली (ओड़िसी) × 6 नई दिल्ली	28 सितम्बर से 28 नवम्बर 1997	सरवेन्तिनो फेस्टीवल और लातिन अमरीका के एक के बाद एक यात्रा में भाग लेने के लिए।
61.	अमरीका	सुश्री विद्या डेंगले (वायलन वादिका) × 2 मुम्बई	16 सितम्बर से 16 अक्तूबर 1997	प्रस्तुति के लिए।
62.	स्वीडन फिनलैंड आयरलैंड बेलारूस जर्मनी यू.के.	सुश्री कविता द्विवेदी (ओड़िसी)×5 नई दिल्ली	26 सितम्बर से 21 अक्तूबर 1997	प्रस्तुति के लिए।
63-64.	(क) इटली जर्मनी माल्टा और लीबिया	1. पंडित जगन्नाथ (शहनाई) × 5 नई दिल्ली	26 सितम्बर से 18 अक्तूबर 1997	भारत-जर्मनी सोसायटी द्वारा आयोजित किए गए की एक के बाद एक यात्रा के बाद 'इंडिया नाइट' आल्टर ओपर, फ्रैंकफर्ट
	(ख) इटली जर्मनी	2. सुश्री प्रतिमा प्रहलाद भरतनाट्यम नृत्यांगना बंगलौर × 5	26 सितम्बर से 18 अक्तूबर 1997	
65-66.	नोर्वे	लोक नृत्य मंडली × 14 1. श्री सुभाष निर्वाण (तबला) × 3 तिरुवनंतपुरम 2. डा. एल. सुब्रह्मणियम (वायलिन वादक) × 5 बंगलौर	19 सितम्बर से 30 सितम्बर 1997 25 अक्तूबर से 15 नवंबर 1997	नोर्वे सरकार की रिकस्कोनसर्ट द्वारा आयोजित की गई प्रस्तुतियां।

1	2	3	4	5
67.	दक्षिण कोरिया	श्री के.एन. पाणिक्कर्स सोपानम थियेटर × 16 तिरुवनंतपुरम	1 सितम्बर से 11 सितम्बर 1997	आई.टी.आई. यूनेस्को इंटरनेशनल थियेटर फेस्टीवल सियोल
68.	इराक जोर्डन	लोक नृत्य मंडली साराभुज × 15 मिदनापुर	25 सितम्बर से 4 अक्तूबर 1997	बेबीलोन महोत्सव में प्रस्तुति के लिए।
69.	जापान	आचार्य छाऊ नृत्य बिचित्र (क) सेरईकेल्ला छाऊ नृत्य × 12 (ख) सुश्री रमा वैद्यनाथन भरतनाट्यम नृत्यांगना × 18 नई दिल्ली	2-21 सितम्बर 1997	मिन-आन-कन्सर्ट में भाग लेने के लिए।
70-71.	किर्गीजस्तान	दर्पण अकादमी (लोक नृत्य मंडली)× 14 अहमदाबाद सुश्री पीनाज मसानी (पॉप संगीत मंडली) × 9 मुम्बई तकनीकी दल × 3	17-24 अक्तूबर 1997	'डेज ऑफ इंडियन कल्चर' में भाग लेने के लिए।
72.	फिनलैंड	श्री गुलफाम साबरी और तबला वादक, नई दिल्ली	9-25 अक्तूबर 1997	प्रस्तुति के लिए।
73.	पुर्तगाल स्विटजरलैंड	उस्ताद अमजद अली खान (सरोद निपुण) × 3 नई दिल्ली	6-12 अक्तूबर 1997	प्रस्तुति के लिए।
74.	मारीशस नामीबिया सेशैल्स	सुश्री गोपा बिस्वास (ओडिसी) × 6 भुवनेश्वर	27 अक्तूबर से 7 नवम्बर 1997	प्रस्तुति के लिए।
75.	तुर्कमेनिस्तान	'आविष्कार' मंडली लोक नृत्य मंडली × 21 अहमदाबाद	24 अक्तूबर से 31 अक्तूबर 1997	तुर्कमेनिस्तान के स्वाधीनता की छठी जयंती समारोह में भाग लेने के लिए।
76.	कजाकस्तान	श्री शुभेन्द्र राव सितार वादक × 1 नई दिल्ली	17-27 अक्तूबर 1997	कजाकस्तान संगीत महोत्सव में प्रस्तुति के लिए।
77-78.	चीन	सुश्री मधुमिका रॉय (कत्थक) × 5 कलकत्ता और श्री जी.एस. राजन (कर्नाटक बांसुरी) × 4 नई दिल्ली	22 अक्तूबर से 1 नवम्बर 1997	प्रस्तुति के लिए।
79.	हांग कांग चीन	सुश्री शेरॉन प्रभाकर लोकप्रिय संगीत मंडली × 11 मुम्बई	22 अक्तूबर से 5 नवम्बर, 1997	प्रस्तुतियों के लिए।
80.	कनाडा अमरीका	सुश्री चंद्रलेखा की मंडली (विशेष कोरियोग्राफिक) संयोजन ''महाकाल'' × 16 चेन्नई	6 अक्तूबर से 9 नवम्बर 1997	ब्रुकलिन ऐकेडमी ऑफ म्यूजिक के निमंत्रण पर कनाडाज इयर ऑफ एशिया पैसिफिक के अवसर पर प्रस्तुति के लिए।
81.	बेल्जियम	पंडित रामनारायण सारंगी) × 4 मुंबई	30 अक्तूबर से 6 नवम्बर 1997	भारत-बेल्जियम सोसायटी के निमंत्रण पर प्रस्तुति के लिए।

	2	3	4	5
:.	जर्मनी	सुश्री अरुन्धती राय ओड़िसी नृत्यांगना × 1, भुवनेश्वर	4 अक्तूबर से 4 नवंबर, 1997	प्रस्तुतियों के लिए।
:.	सीरिया यूनान	डा. लालगुडी जयरामन (वायलिन) × 5 चेन्नई	7 नवम्बर से 29 नवम्बर 1997	व्याख्यान/कला प्रस्तुति दौरा।
1.	अमरीका	श्रीमती वीणा सहस्त्रबुद्धे (हिन्दुस्तानी गायन) × 3 पुणे	3 नवंबर से 15 दिसंबर 1997	एशिया सोसायटी द्वारा आयोजित गीतोत्सव। भारतीय गा... संगीत का राष्ट्रीय महोत्सव।
;.	दक्षिण कोरिया म्यांमां वियतनाम	सुश्री अनन्दा शंकर आधुनिक नृत्य मंडली, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ि, हैदराबाद से × 12	7-30 नवम्बर 1997	सियोल में चांग मू अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव में भाग लेने के लिए तथा कम्बोडिया में अन्तर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में मंचन करने।
;.	इटली	5 सदस्यीय दर्पण अकादमी (कठपुतली) अहमदाबाद	30 नवम्बर - 5 दिसम्बर 1997	'ला ग्रान्डे ओपेरा' के निमंत्रण पर मंचन करने
·-89.	बंगलादेश	श्री मन्ना डे, पार्श्व गायक × 5, मुम्बई सुश्री अलारमेल वल्ली भरतनाटयम नृत्यांगना × 6 चेन्नई श्री टी.आर. दण्डपनई तालवादय कचहरी × 5, नई दिल्ली	1-4 दिसम्बर 1997	दक्षिण एशियाई गायन महोत्सव में कार्यक्रम पेश करने।
).	नेपाल	सुश्री किरण सहगल (ओडिसी) रामायण प्रस्तुतिकरण × 16, नई दिल्ली	1-6 दिसम्बर 1997	कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।
1-92.	श्रीलंका	हिन्दुस्तानी और कर्नाटक वायलिन, जुगलबंदी सुश्री एन. राजन × 3 बनारस से तथा श्री टी.एन. कृष्णन × 4 चेन्नई से	7-14 दिसम्बर 1997	कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।
.	थाईलैंड इण्डोनेशिया	सुश्री नलिनी और कमलिनी (कथक नृत्यांगनाएं) × 6 नई दिल्ली	7 दिसम्बर-20 दिसम्बर 1997	कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।
.	इटली	सुश्री ज्योत्सना सैरि भरतनाटयम	17-22 दिसम्बर 1997	अपना नृत्य 'यीशू का जन्म' प्रस्तुत करने के लिए नृत्यांगना × 6 नई दिल्ली
-96.	श्रीलंका	सुश्री श्रीकला भरत (भरतनाटयम) सुश्री एस. गायत्री (गायन) चेन्नई से	20-22 दिसम्बर 1997	कार्यक्रम प्रस्तुत करने/भाषण देने
.	फ्रांस	केरल कला मंडलम तिरुअनन्तपुरम का 16 सदस्यीय कुडिअट्टम दल	10 जनवरी - 10 फरवरी 1998	कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।
.	पाकिस्तान	पंडित जसराज (हिन्दुस्तानी गायन) × 6 मुम्बई	23 जनवरी-26 जनवरी 1998	गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।
.	अमरीका	पंडित जसराज (हिन्दुस्तानी गायन) × 6मुम्बई	जनवरी 1998	कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।
0.	यू.के.	श्रीमती कुमुदनी लाखिया, निदेशक, 'कदम्ब' अहमदाबाद	11 फरवरी-23 मार्च 1998	सम्पाद (दक्षिण एशियाई कला विकास) यू.के. के निमंत्रण पर भाषण देने के लिए।

1	2	3	4	5
101.	मेडागास्कर	गीतांजलि ग्रुप की श्रीमती सूर्या मुखर्जी	12 फरवरी-	कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।
102.	तंजानिया जिम्बाब्वे केन्या दक्षिण अफ्रीका	× 11, कलकत्ता और श्रीमती शर्मिष्ठा मुखर्जी (कथक नृत्यांगना) × 4 नई दिल्ली	3 मार्च 1998	
103.	यू.ए.ई. कत्तर कुवैत बहरीन ओमान	सुश्री सरला कुमारी (कुचिपुडि) × 6 हैदराबाद (आंध्र प्रदेश	17 फरवरी-10 मार्च 98	कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।
104.	मारीशस	सुश्री सुमित्रा गुहा (गायन) × 7 नई दिल्ली	20 फरवरी-3 मार्च 98	कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।
105.	आस्ट्रेलिया	करिकुडि मणि तालवादय सामूहिक × 4 चेन्नई	24 फरवरी-20 मार्च 98	कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।
106.	स्वाजीलैंड मोजाम्बिक बोत्स्वाना तंजानिया	सुश्री स्वाती सोमनाथ का कुचिपुडि दल × 6, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	28 फरवरी-10 मार्च 98	कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।
107	नेपाल	पंडित रविशंकर (सितार) × 7 नई दिल्ली	28 फरवरी-1 मार्च 98	कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।
108.	फ्रांस	पं. शिवु तरलघाटी सितार तथा उसके तबला वादक × 2, चेन्नई को यात्रा अनुदान	1 मार्च 98-5 जून 98	पेरिस आधारित कला विस्तार संघ के निमंत्रण पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।
109.	मैक्सिको पनामा सूरीनाम बारबाडोस गुयाना तंजानिया	सुश्री पीनाज मसानी, लोकप्रिय ग्रुप × 9 मुम्बई	2 मार्च से 6 अप्रैल 98	भारतीय व्यापार संवर्धन प्रदर्शनी में कार्यक्रम प्रस्तुत करने तथा इस क्षेत्र की श्रृंखलाबद्ध यात्रा करने के लिए।
110.	मैक्सिको अलसल्वाडोर पनामा वेनेज्युएला सुरीनाम	सुश्री अदिति मंगलदास (कथक ग्रुप) × 6, नई दिल्ली	2 मार्च - 29 मार्च 98	-वही-
111.	बंगलादेश	सुश्री सोका सेन के नेतृत्व में 'जात्रा' पीपुल्स लिटिल थियेटर, कलकत्ता × 6	8-13 मार्च 1998	कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।
112.	श्रीलंका	सुश्री जया बिसवास (सितार) × 6 कलकत्ता	12 मार्च-7 अप्रैल 1998	कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।
113.	मारीशस	श्रीराम भारतीय कला केन्द्र, नई दिल्ली की रामलीला मंडली	13-20 मार्च 1998	कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।
114.	फ्रांस	श्री पवन दास बाउल बाउल गायक प. बंगाल × 4	18 मार्च-18 अप्रैल 98	कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।

1	2	3	4	5
115.	मोरक्को मिस्र	श्री गणेश महतो, पुरूलिया छाऊ ग्रुप, प. बंगाल × 14	20 मार्च-4 अप्रैल 1998	कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।
116.	रीयूनियन प्रायद्वीप	श्री वी.पी. धनंजयन के नेतृत्व में भारत कलांजलि ग्रुप	22 मार्च-16 अप्रैल 1998	हमारे मिशन के अनुरोध पर सेन्ट डेनिस में कार्यक्रम
117.	इजरायल सीरिया साइप्रस इटली रोमानिया	सुश्री अलारमेल वेल्ली (भरतनाटयम) × 6, चेन्नई	23 मार्च-17 अप्रैल 1998	कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।
118.	कोलंबिया	श्री बंसी कौल के नेतृत्व में थिएटर ग्रुप × 16 भोपाल, मध्य प्रदेश	30 मार्च - 4 अप्रैल 1998	VI इब्रो-अमरीकी थिएटर महोत्सव में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद—बाहर जाने वाले सांस्कृतिक शिष्टमंडल 1998-99

क्र.सं.	देश	मंडली का नाम	अवधि	यात्रा के ब्यौरे
1	2	3	4	5
1.	यू एस ए	श्री एम.एस. शशांक (कर्नाटक बांसुरी) × 4 चेन्नई	23/3/-14/4/98	लॉस एंजेलेस में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और गेटे हाल में मंचीय प्रस्तुति के लिए
2.	उत्तरी कोरिया	सुश्री पद्मनी राय (पोल मंडली) × 9 मुम्बई	10-18 अप्रैल 98	प्योंगयांग में बसंत उत्सव में भाग लेने के लिए
3-5.	ब्राजील	सांस्कृतिक मंडलियां 1. पंडित हरी प्रसाद चौरसिया × 5 (बांसुरी) मुम्बई 2. सुश्री मालविका सारुकाई (भरतनाट्यम) × 6 चेन्नई 3. सुश्री कुमुदीनी लखिया (कथक) × 16	1-2 मई 98	भारत महोत्सव में भाग लेने के लिए
6.	अमरीका, जर्मनी	श्री अतुल देसाई (हिन्दुस्तानी गायन) × 3 अहमदाबाद	1 मई से 13 अगस्त 98	मंचीय प्रस्तुति के लिए
7.	जर्मनी, अमरीका	गुंडेचा बंधु (ध्रुपद) × 4 मुम्बई	8 मई से 30 जून 99	भारत-जर्मनी समुदाय के आमंत्रण पर मंचीय प्रस्तुति के लिए
8.	यूनान	श्री हेमंत चौहान (लोक नायक) × 6 अहमदाबाद	14-28 मई, 98	भारत दर्शन, 98 में भाग लेने के लिए
9-10.	जापान, फिलिपीन्स हांगकांग सिंगापुर	सुश्री मालविका सारुकाई (भरत नाट्यम) × 6 चेन्नई उस्ताद शमीम अहमद खान (सितार) × 3, मुम्बई	15 मई से 2 जून, 98	जापान तथा इस क्षेत्र की यात्रा के दौरान लघु संगीत गोष्ठी द्वारा आयोजित समारोह में मंचीय प्रस्तुति के लिए।

1	2	3	4	5
11.	बारबडोज, सुरीनाम त्रीनीडाड और टोबैगो	दीपा माला मोहन का लोक गायन (भोजपुरी लोक गायक) × 4 नई दिल्ली	15 मई से 14 जून 98	मंचीय प्रस्तुति के लिए
12.	मोरक्को, यू ए ई हंगरी, फ्रांस	प्रो. देबु चौधरी (सितार) × 4 दिल्ली	23 मई से 15 जून, 98	फेस, मोरक्को शहर और इस क्षेत्र की यात्रा के दौरान संगीत समारोह में मंचीय प्रस्तुति के लिए
13.	सिंगापुर	पंचवाद्यम और थंबाका, प्रक्यूशन ऐनसेमवे × 10 केरल	30 मई से 4 जून 98	सिंगापुर कला महोत्सव में मंचीय प्रस्तुति के लिए
14.	फ्रांस	*श्रीमती गंगुबाई हैंगल हिन्दुस्तानी गायन × 5 हुबली कर्नाटक (यात्रा अनुदान)	1-12 जून, 98	आमंत्रण पर यूनेस्को, पेरिस में मंचीय प्रस्तुति के लिए
15.	यू एस ए	*श्री देमपती बीना, सत्यम कुचीपुड़ी आर्ट अकादमी × 10 चेन्नई (यात्रा अनुदान)	3 जून से 29 सितम्बर, 98	मंचीय प्रस्तुति के लिए
16.	यू.के.	फिरोजखान का थियेटर महात्मा बनाम गांधी, मुम्बई	8 जून, 98	भारतीय हाई कमीशन के आमंत्रण पर ब्लूमबेरी थियेटर में मंचीय प्रस्तुति करने के लिए
17-19.	बंगलादेश	1. सुश्री कुमकुमधर (कथक) × 5, लखनऊ	9-16 जून, 98	मंचीय प्रस्तुति के लिए
		2. पंडित विश्वमोहन भट्ट (मोहन वीणा) × 4, जयपुर	15-21 जून, 98	
		3. सुश्री मालिनी सखुरकार (हिन्दुस्तानी गायन) × 5, हैदराबाद	21-27 जून, 98	
20.	सिंगापुर	*श्री ओ.एस. अरुण, कर्नाटक ज्ञापन × 5, चेन्नई	9-22 जून, 98	सिंगापुर कला महोत्सव में मंचीय कला प्रस्तुति के लिए
21.	यू के	*श्री आनंद शंकर तथा श्री गोपाल मिश्र, कलकत्ता	जून 98	भारत-ब्रिटिश संगीत परियोजना में भाग लेने के लिए
22.	ब्रूनी	सुश्री निलिमा अजीम तथा पंडित राम मोहन मिश्रा	जून 98	मंचीय प्रस्तुति के लिए
23.	यू एस ए	निजामुद्दीन लंगा, दिल्ली का सात सदस्यीय राजस्थानी लोक नृत्य तथा संगीत मंडली में एक दस्तकार श्री जफर अली (ब्रोकेड विवर)	25-28 जून, 98	ईदाहो स्टेट में बोसे रीवर समारोह में भाग लेने के लिए
24.	फ्रांस	*भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की पांच सदस्यीय कठपुतली मंडली	28 जून से 5 जुलाई, 98	सुर आई एयर डे आई इंडिया-पेरिस समारोह में एन टेटे थियेटर के आमंत्रण पर मंचीय प्रस्तुति के लिए
25.	पुर्तगाल, हंगरी डेनमार्क	*मंजु के नेतृत्व में श्री बक्की सरकार कलकत्ता का नृत्य ग्लीडग × 16	जुलाई, 98	वर्ल्ड एक्सपो 98 में भाग लेने और उसके बाद क्षेत्र का दौरा करने के लिए
26.	पुर्तगाल	*श्री बुद्धदेव दास गुप्ता (सरोद) × 3 कलकत्ता	जुलाई, 98	वर्ल्ड एक्सपो, 98 में भाग लेने के लिए

*यात्रा अनुदान।

1	2	3	4	5
27.	पुर्तगाल, डेनमार्क, हंगरी, इटली	*पुंग चोलम और ढ़ोल चोलम × 10 मणिपुर	जुलाई, 98	वर्ल्ड एक्सपो 98 में भाग लेने तथा उसके बाद इस क्षेत्र की यात्रा के लिए
28.	पुर्तगाल, हंगरी, जर्मनी	*रंग बहार × 14 लोकनृत्य मंडली, गुजरात	जुलाई, 98	-वही-
29.	स्वीटजरलैंड	आर्य वैद्यशाला कोट्टाकल मायापुरम × 10 जिला केरल	8 से 14 जुलाई, 98	मंचीय कला प्रस्तुति के लिए
30.	दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बोतसवाना, तंजानिया	हरविन्दर सिंह बवेजा (भांगड़ा) और और (गिद्धा) × 16	10 जुलाई से 10 अगस्त, 98	डर्बन में विरासत महोत्सव में भाग लेने के लिए
31.	वियतनाम, लाओस, कम्बोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया	सुश्री लीला समसन (भारतनाट्यम) × 7 नई दिल्ली	14 जुलाई से 10 अगस्त, 98	मंचीय कला प्रस्तुति के लिए
32.	सूडान, जोर्डन, सऊदी अरब, कीनिया, तंजानिया, सं.अ. अमीरात	श्री जाफर हुसैन (कव्वाली) × 9 बदायूं	14 जुलाई से 10 अगस्त, 98	-वही-
33.	फिलीस्तीन	पं. नरेन्द्र शर्मा, नई दिल्ली के नेतृत्व में 13 सदस्यीय नृत्य मंडली 'भूमिका'	17-20 जुलाई, 98	छठे फिलीस्तीन अन्तर्राष्ट्रीय महोत्सव में मंचीय कला प्रस्तुति के लिए
34.	बंगलादेश	सुश्री उमा गांगुली (थियेटर) × 25 कलकत्ता	20-30 जुलाई, 98	मंचीय कला प्रस्तुति के लिए
35.	इथोपिया, सिबूती	श्री जोहर अली (वायलीन) × 3	24-28 जुलाई, 98	-वही-
36.	यू एस ए	प्रो. रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता, कलकत्ता की नन्दीकार मंडली	29 जुलाई-25 अगस्त, 98	न्यूयार्क अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मंचीय कला प्रस्तुति के लिए तथा गोबहीन नाटक की संयुक्त प्रस्तुति के लिए
37.	कतर, यू ए ई	नीना थापा राजिन्द्रा मेहता (मधुर संगीत) मुम्बई	2-15 अगस्त, 98	मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए
38.	मैडागास्कर, मारीशस	श्री पारथो बोस (सितार वादक) कलकत्ता	9-17 अगस्त, 98	जुगलबंदी प्रस्तुति के लिए
39.	मालदीव	दुम्मी होर्स लोक नृत्य मंडली × 14 चेन्नई, तमिलनाडु	11-18 अगस्त, 98	मंचीय कला प्रस्तुति के लिए
40.	नेपाल	लोक नृत्य तथा संगीत मंडली (गीत तथा नाटक प्रभाग) × 25 नई दिल्ली	11-18 अगस्त, 98	मंचीय कला प्रस्तुति के लिए
41-42.	इराक, जोर्डन	श्री दीपक चौधरी (सितार) × 3 कलकत्ता सुश्री शीखा चौधरी (कथक) × 5 दिल्ली	11-18 अगस्त, 98	-वही-

*यात्रा अनुदान

1	2	3	4	5
43.	थाइलैंड	सिंहजीत सिंह तथा चारू माथुर (मणिपुर नृत्य) × 14	11-19 अगस्त, 98	मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए
44.	नार्वे, डेनमार्क, इटली, जर्मनी	सुश्री कल्प रामनाथ (हिन्दुस्तानी वायलिन) × 3 मुम्बई	12-22 अगस्त, 98	-वही-
45.	भूटान	सुश्री उषा उथुप (पाप संगीतकार) × 11 कलकत्ता	12-24 अगस्त, 98	-वही-
46.	इटली, यू.के. नीदरलैंड, जर्मनी	सुश्री उमा शर्मा (कथक) × 6 दिल्ली	12-24 अगस्त, 98	-वही-
47.	सैशेल्स, रियूनियन आईलैंड, दक्षिण अफ्रीका	हैनरबेडी असीम कला केन्द्र (बिहू मंडली) × 14 गुवाहाटी, असम	13-23 अगस्त, 98	-वही-
48.	आस्ट्रेलिया	*श्री वी.टी.वी. गोपालकृष्णन (जुगलबंदी) × 6 चेन्नई	14-24 अगस्त, 98	-वही-
49.	यू एस ए	*सुश्री प्रभा आंतर (हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत) × 3 मुम्बई	14-30 अगस्त, 98	-वही-
50.	श्रीलंका	*20-सदस्यीय बम्बई मेम्बर आरकेस्ट्रा	15 अगस्त, 98	श्रीलंका के सिम्फोनी आरकेस्ट्रा के साथ संयुक्त संगीत के लिए
51.	ईराक, सीरिया तुर्की, अजरबेजान	रंगला (भांगड़ा और गिद्धा) × 12 लुधियाना, पंजाब	26 अगस्त से 12 सितम्बर, 98	इराक में बेबीलोन अन्तर्राष्ट्रीय समारोह, सीरिया में भारत महोत्सव तथा तुर्की में अजमीर लोक नृत्य महोत्सव में भाग लेने के लिए
52.	यू एस ए	*श्रीमती पुष्पा भूयान (सात्रिया नृत्य) × 4 गुवाहाटी	*29 जुलाई 29 अगस्त, 98	इंडियन फार्म उत्पाद, लास्ट लेह के आमंत्रण पर मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए इस प्रस्ताव को मूल रूप से भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के पूर्व अध्यक्ष ने अनुमोदित किया था। सुश्री भूयन की बीमारी की वजह से यह यात्रा पहले नहीं हो सकी
53.	आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, हांगकांग, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया	सुश्री स्वपन सुन्दरी (कुचिपुड़ी) × 5 नई दिल्ली	7 अगस्त से 13 सितम्बर, 98	मंचीय कला प्रस्तुति के लिए
54.	नाईजीरिया, आइवरी कोस्ट, कैमरून, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी	सुश्री अरूणा मोहन्ती (ओड़िसी) × 15 भुवनेश्वर	7 सितम्बर से 15 अक्तूबर, 98	मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए
55.	नाईजीरिया, आइवरी कोस्ट, स्पेन, फ्रांस	श्री एम.एन. राव (सितार) × 3 बंगलौर	7-30 सितम्बर, 98	-वही-
56.	पोलैण्ड, चेक गणराज्य	सुश्री वसुन्धरा दोरास्वामी (भरतनाट्यम) × 5 बंगलौर	9-14 सितम्बर, 98	सांस्कृतिक कला की प्रस्तुति के लिए
57-59.	यू एस ए	*श्री उल्हास बनसालकर (शास्त्रीय गायन) श्री पार्थसारथी (सरोद) श्री शुभेन्द्र राव (सितार)	15 सितम्बर से 1 नवम्बर, 98	सेन्टर फार परफॉर्मिंग आर्ट आफ इंडिया द्वारा व्यवस्थित डा. वी.एम. दीक्षित के अनुरोध पर भारतीय संगीत गोष्ठी

*यात्रा अनुदान

1	2	3	4	5
60.	यू एस ए	*श्री के.जे. वेत्तूमन तथा श्रीमती सुधा रघुनाथन (कर्नाटक शास्त्रीय गायन) × 7 चैन्नई	16-30 सितम्बर 98	भारतीय विद्या भवन, यू एस ए के आमंत्रण पर मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए
61.	यू.के., फ्रांस, आस्ट्रिया	श्रीमती सामो खुराना (हिन्दुस्तानी शास्त्रीय गायन) × 5 नई दिल्ली	22 सितम्बर से 20 अक्तूबर, 98	मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए
62.	मलेशिया	सुश्री गुरमीत बावा (भांगड़ा और गिद्धा मंडली) × 18	11 से 29 सितम्बर, 98	राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए
63.	फ्रांस	प्रो. गोरा सर्वाधिकारी (रविन्द्र संगीत) विश्वभारती, कलकत्ता	28 सितम्बर से 7 अक्तूबर, 98	मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए
64-65.	रूस	पं. लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित (हिन्दुस्तानी शास्त्रीय गायन) × 2, नई दिल्ली, श्री सुनील मुखर्जी (सरोद), नई दिल्ली	29 सितम्बर से 6 अक्तूबर, 98	व्याख्यान देने तथा मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए
66-67.	तुर्की, कुवैत, कतर, ओमान यू ए ई	सुश्री विजयलक्ष्मी (मोहिनीअट्टम) × 6 सुश्री वन्दना कौल (कथक) × 5	2-21 अक्तूबर, 98	मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए
68.	मैक्सिको, वेनेजुएला, अर्जेन्टीना, क्यूबा	श्री उस्ताद देबू (समकालीन नृत्य) × 8 मुम्बई	9-27 अक्तूबर, 98	केरवान्तिनो समारोह, मैक्सिको में भाग लेने और इस क्षेत्र की यात्रा करने के लिए
69.	नीदरलैंड, यू.के., जर्मनी, डेनमार्क	सुश्री महिमा केसवा (सुगम संगीत) × 4, नई दिल्ली	9-21 अगस्त, 98	मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए
70.	जर्मनी, यू.के., स्वीडन	स्व. श्री शिव राम कारंत की यक्षक मंडली × 14 नई दिल्ली	16-26 अक्तूबर, 98	भारत-जर्मन समाज के आमंत्रण पर मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए
71.	आस्ट्रिया, फ्रांस	*श्री संजय वंद्योपाध्याय (सितार) × 3 खैरागढ़, म.प्र.	23 अक्तूबर से 30 नवम्बर, 98	आस्ट्रिया-भारत सोसाईटी के अनुरोध पर मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए
72.	फ्रांस, यू.के.	*सुश्री सुलोचना बृहस्पति (हिन्दुस्तानी शास्त्रीय गायन) × 5 नई दिल्ली	23 अक्तूबर से 30 नवम्बर, 98	मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए
73.	बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी	*सुश्री शोभना राव (सुगम संगीत) × 5	23 अक्तूबर से 20 नवम्बर, 98	मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए
74.	फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम	*श्री एम.वी. नरसिम्हाचारी (भरतनाट्यम) × 3 चेन्नई	30 अक्तूबर से 15 दिसम्बर, 98	त्रिवेणी के आमंत्रण पर मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए
75.	फिलीपींस	प्राणज्योति अकादमी की कोरल मंडली, मुंबई को हवाई यात्रा के 5 टिकट	8 से 15 नवम्बर, 98	अन्तर्राष्ट्रीय कोरल समारोह में भाग लेने के लिए
76.	श्रीलंका	सुश्री ज्योति श्रीवास्तव, ओड़िसी नृत्यांगना × 5 नई दिल्ली	12 से 19 नवम्बर, 98	नृत्य समारोह में भाग लेने तथा व्याख्यान देने के लिए
77.	फ्रांस	उस्ताद इमरत खान (सितार) × 2, सेंट लुईस, यू एस ए	15-18 नवम्बर, 98	यूनेस्को मदनजीत सिंह, पुरस्कार के संबंध में मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए

*यात्रा अनुदान

1	2	3	4	5
78.	फ्रांस, नीदरलैंड, क्रोएशिया	सुश्री गीतांजलि लाल (कथक) × 5 नई दिल्ली	19-30 नवम्बर, 98	पेरिस में मन्दथा के आमंत्रण पर मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए
79.	कनाडा	*श्री मजहर अली खान/जावेद अली खान (शास्त्रीय गायन) × 3	8-20 दिसम्बर, 98	उस्ताद बड़े गुलाम अली खान संगीत अकादमी आफ टोरन्टो के के आमंत्रण पर मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए
80.	थाईलैंड	सरगम मंडल × (लोक नृत्य मंडली) तमिलनाडु	7-13 दिसम्बर, 98	एशियाई खेलों के दौरान मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए
81-82.	श्रीलंका	*सुश्री रामा वैद्यनाथन (भारतनाट्यम) × 4 नई दिल्ली	10-22 दिसम्बर, 98	व्याख्यान देने/कार्यशाला आयोजित करने और मंचीय कला की प्रस्तुति
83.	थाईलैंड	*सुश्री रीना जैना (ओडिसी) × 5 भुवनेश्वर	13 से 26 जनवरी, 99	मंचीय कला प्रस्तुत करने और व्याख्यान देने के लिए
84.	दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, जाम्बिया, बोत्सवाना	उस्ताद असलम सबरी (कव्वाली) × 6 नई दिल्ली	20 जनवरी से 11 फरवरी, 99	मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए
85.	यू ए ई, ओमान, कतर	गुजरात की समन्वयन लोक नृत्य मंडली ×18	21 जनवरी से 11 फरवरी, 99	-वही-
86.	मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया	सुश्री माधवी मुदगल (ओडिसी) × 7 नई दिल्ली	24 जनवरी से 12 फरवरी, 99	मंचीय कला की प्रस्तुति करने तथा व्याख्यान देने, नृत्यकों के साथ क्रियाकलाप करने तथा नृत्य संस्थाओं की यात्रा करने के लिए
87-88.	जर्मनी, बोस्निया, डेनमार्क, इटली	सुश्री दीप्ता आमचेरी भल्ला (मोहिनी अट्ट) × 5 तथा उस्ताद उल्लासद्दीन खान (सितार वादक) × 3	25 जनवरी से 22 फरवरी, 99	मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए
89.	दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया, बोत्स्वाना	श्रीमती मणि कृष्णाराव (कर्नाटक शास्त्रीय गायन) × 6 चेन्नई	27 जनवरी से 20 फरवरी, 99	-वही-
90.	श्रीलंका	सुश्री रेखा सूर्या (सुगम संगीत) × 5 नई दिल्ली	6 से 13 फरवरी, 99	मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए
91-92.	नेपाल	सुश्री प्रतिमा प्रहलाद (भारतनाट्यम) × 6 बंगलौर सुश्री अलार्मेल वल्ली (भारतनाट्यम) × चेन्नई	3 से 7 फरवरी, 99 14 से 17 फरवरी, 99	-वही-
93.	बंगलादेश	सुश्री रंजाबोनी सिरकार (समसामयिक नृत्य) × 5 चेन्नई	16 से 19 फरवरी, 99	-वही-
94.	स्वीडन, नीदरलैंड, पोलेण्ड, बेल्जियम, जर्मनी	सुश्री शोभना नारायणन (कथक) × 5 नई दिल्ली	17 फरवरी से 7 मार्च, 99	मंचीय कला की प्रस्तुति, व्याख्यान देने और कार्यशाला आयोजित करने के लिए
95.	आस्ट्रेलिया	*सुश्री नीलम मानसिंह चौधरी की थियेटर मंडली × 21 चंडीगढ़	20 फरवरी से 12 मार्च, 99	पर्थ महोत्सव और केनबरा में केनबरा बहु सांस्कृतिक महोत्सव में भाग लेने के लिए

*यात्रा अनुदान

1	2	3	4	5
96-101.	बंगलादेश	श्री रतन थियाम (थियेटर) × 30 इम्फाल	7 से 12 मार्च, 99	भारत के हाई कमीशन, ढाका के सहयोग से आई.टी.पी.ओ. द्वारा आयोजित भारतीय व्यापार प्रदर्शनी के दौरान मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए
		सुश्री पदमा तलवारकर (शास्त्रीय गायन) × 3 मुम्बई	9 से 12 मार्च, 99	
		सुश्री संगीता दास (ओडिसी) × 5, भुवनेश्वर	10 से 14 मार्च, 99	
		सुश्री कुमुदिनी लाखिया (कथक) × 16, अहमदाबाद	11 से 17 मार्च, 99	
		पं. शिवकुमार शर्मा (बांसुरी) × 4, मुम्बई	12 से 17 मार्च, 99	
		कोहिनूर लंगा (लोकनृत्य) × 10, जोधपुर	13 से 18 मार्च, 99	
102.	कीनिया, उगांडा, तंजानियां, जाम्बिया	सुश्री अंजना चोपड़ा (सुगम संगीत) × 5, नई दिल्ली	11 से 31 मार्च, 99	मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए
103.	न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया	श्री भगवान साहू की 15 सदस्यीय लोकनृत्य मंडली (ओडिसी), नई दिल्ली	14 मार्च से 7 अप्रैल, 99	एशिया-2000 उत्सव में भाग लेने के लिए
104.	अमरीका	*परमेश्वर हेगड़े (हिन्दुस्तानी गायन) × 3 बंगलौर	मार्च/अप्रैल, 99	मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए
105.	श्रीलंका	कत्थकली मंडली × 14, (मारगी कत्थकली) त्रिवेन्द्रम	25 से 31 मार्च, 99	मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए
106.	दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया, रियूनियन-आईलैंड, मारीशस	सुश्री मीनू ठाकुर (कुचिपुड़ी) × 5, नई दिल्ली	25 मार्च से 20 अप्रैल, 99	मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्

विदेश गए सांस्कृतिक शिष्टमंडल-1999-2000

1-2	सीरिया, ट्यूनिशिया, मिस्र, कतर, कुवैत, टर्की	सुश्री श्रीकला भरत (भरतनाट्यम) × 5 चेन्नई और डा. मुस्तफा राजा (विचित्र वीणा) × 3 नई दिल्ली	1 अप्रैल से मई, 1999	कार्यक्रम प्रस्तुत करने
3.	उत्तरी कोरिया	कथक केन्द्र, नई दिल्ली की 10 सदस्यीय मण्डली	10-18 अप्रैल, 1999	प्योंगयांग में वसंत कला उत्सव में भाग लेने
4-5.	फिनलैण्ड, यू.के.	उस्ताद साबरी खान और कमाल साबरी (सारंगी) नई दिल्ली	15 अप्रैल से 15 जुलाई, 1999	सुर्या प्रोडक्शन्स हेलसिंकी और साबरी एनसेम्बल, यू.के. के आमंत्रण पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने
6.	कनाडा	श्री कुमार बोस (तबला) कलकत्ता	15 अप्रैल से 20 अगस्त, 1999	पंडित जसराज स्कालरशिप फण्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरण्टो के आमंत्रण पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने
7-8.	फिनलैण्ड, एस्तोनिया	सुश्री कलावती देवी (मणिपुरी) × 15, कलकत्ता (मोहिन्दी अट्टम) × 6, त्रिवेन्द्रम	1-9 मई, 199	'एशिया इन हेलसिंकी फेस्टीवल' में भाग लेने
9.	दक्षिणी अफ्रीका	सुश्री जयति चटर्जी (ओडिसी) × 1 मुम्बई	22 मई से जून, 1999	प्ले हाउस कम्पनी सिवेला सौंकी डांस थियेटर के निदेशक श्री जय पाथेर के अनुरोध पर ताकि वे कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, पारम्परिक अफ्रीकी शास्त्रीय बेले और सामयिक नृत्य जैसी विविध नृत्य शैलियों के सम्मिश्रण से "सिद्धार्थ" नृत्य कार्यक्रम पर कार्य कर सकें।

*यात्रा अनुदान

1	2	3	4	5
10.	उक्रेन, रोमानिया, लातविया,	सुश्री गीता चन्द्रन (भरतनाट्यम) × 5 नई दिल्ली	22 मई से 22 जून, 1999	मोरक्को में मराकेश उत्सव में भाग लेने और अन्य देशों में कार्यक्रम प्रस्तुत करने
11.	पोलैण्ड	रंगपुतली कठपुतली मण्डली × 8 बंगलौर	23 मई से 2 जून, 1999	कार्यक्रम प्रस्तुत करने
12.	जर्मनी	श्री परमजीत सिंह सिद्धू की 10 सदस्यीय भंगड़ा मण्डली/पंजाब	9-22 जून, 1999	कार्यक्रम प्रस्तुत करने
13.	स्वीडन, जर्मनी, स्लोवाकिया, पोलैण्ड	श्री टी.आर. दण्डपाणि की ताल मण्डली (कर्नाटक) × 6 नई दिल्ली	11-25 जून, 1999	कार्यक्रम प्रस्तुत करने
14.	संयुक्त राज्य अमरीका और यू.के.	*पंडित राजन और साजन मिश्र × 3 (हिन्दुस्तानी गायन) नई दिल्ली	18 जून से 9 अगस्त, 1999	भारतीय विद्या भवन के आमंत्रण पर सहस्राब्दी संगीत गोष्ठी में भाग लेने
15.	दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जम्बिया	श्री आर.के. श्रीनिवासन (कर्नाटक/हिन्दुस्तानी बांसुरी-वादक) × 4, वाराणसी	21 जून से 10 जुलाई, 1999	कर्नाटक हिन्दुस्तानी संगीत कार्यक्रम में भाग लेने और दक्षिण अफ्रीका की भारतीय अकादमी द्वारा आयोजित त्यागराज उत्सव
16.	हंगरी, जर्मनी, बुल्गारिया	सुश्री रत्नश्री चित्रक बेहेरा (ओडिसी) × 5 भुवनेश्वर	24 जून से 14 जुलाई, 1999	बुडापेस्ट फेयरवैल फेस्टीवल और बुलगारिया में एलोवदिव फेस्टीवल में भाग लेने
17.	श्रीलंका	सुश्री नन्दिनी सिंह, कथक नृत्यांगना × 5 नई दिल्ली	2 से 8 जुलाई, 1999	कार्यक्रम में भाग लेने
18.	फ्रांस	*श्री उदय भावलकर हिन्दुस्तानी गायन, मुम्बई	16 जुलाई से 30 अगस्त, 1999	फ्रांस में फेस्टीवल ओलिवट मैसेन में भाग लेने
19.	इटली	*इलेना सितारेस्ती के 4 साथी, ओडिसी नर्तक भुवनेश्वर	18 जुलाई से 9 अगस्त, 1999	कार्यक्रम में भाग लेने
20.	ट्युनिशिया, मिस्र	सुश्री मुक्ता मिश्र, कथक नृत्यांगना × 5 नई दिल्ली	22 से 28 जुलाई, 2000	कार्यक्रम में भाग लेने
21.	सिंगापुर, थाईलैण्ड, वियतनाम, मलयेशिया, इण्डोनेशिया	श्रीराम भारतीय कला केन्द्र की रामायण मण्डली × 25 नई दिल्ली	7-31 अगस्त, 1999	बैंकाक के अन्तर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत उत्सव में भाग लेने और अन्य देशों में कार्यक्रम प्रस्तुत करने
22.	हंगरी, मिस्र वियतनाम,	हिमाचल प्रदेश से 16 सदस्यीय नृत्य और संगीत मण्डली	9 से 22 अगस्त, 2000	पेप्सी आईलैण्ड फेस्टीवल हंगरी और इस्लामिया फेस्टीवल, काहिरा में भाग लेने
23.	मारीशस, दक्षिण अफ्रीका, उगांडा, तन्जानिया	सुश्री अमला शंकर (आधुनिक नृत्य) × 15 कलकत्ता	9 अगस्त से 3 सितम्बर, 1999	मेड इन इण्डिया शो, तन्जानिया में भाग लेने और अन्य देशों में कार्यक्रम प्रस्तुत करने
2·	यू.के. और मिस्र	*श्री रामस्तेन अबेल के नेतृत्व में यूनाइटेड प्लेयर्स गिल्ड इण्डिया (थियेटर मण्डली) × 6 नई दिल्ली	11 अगस्त से 11 सितम्बर, 1999	एडिनबर्ग फेस्टीवल, यू.के. में भाग लेने और एक्सपेरिमेन्टल थियेटर फेस्टीवल काहिरा में भाग लेने

1	2	3	4	5
25.	भूटान	सुश्री इला अरुण की जयपुर संगीत मण्डली × 25, मुम्बई	12 से 19 अगस्त, 1999	भारतीय स्वतंत्रता दिवस समारोहों में भाग लेने
26.	नेपाल	पंडित जसराज, हिन्दुस्तानी गायन × 6 मुम्बई	13 से 16 अगस्त, 1999	भारतीय स्वतंत्रता दिवस समारोहों में भाग लेने
27-30.	बेल्जियम और यू.के.	(1) सुश्री अनुराधा कृष्णमूर्ति कर्नाटक गायन × 4 चेन्नई	14 से 19 अगस्त, 1999	एडिनबर्ग, यू.के. में भारत महोत्सव में भाग लेने
	यू.के. उत्तरी आयरलैण्ड (बेलफास्ट), स्विटजरलैण्ड, डेनमार्क	(2) सुश्री उर्मिला सत्यनारायण (भरतनाट्यम) × 5 चेन्नई	21 से 31 अगस्त, 1999	-वही-
	डेनमार्क, स्विटजरलैण्ड, यू.के. और उत्तरी आयरलैण्ड (बेलफास्ट)	(3) श्री किरीट खान (सितार) × 3 कलकत्ता	14-26 अगस्त, 1999	-वही-
	यू.के.	(4) श्री अजय पोहनकर (हिन्दुस्तानी गायन) × 4 मुम्बई	18 अगस्त से 21 अगस्त, 1999	-वही-
31.	मंगोलिया	लेह, लद्दाख के स्पितुक मठ से 15 सदस्यीय चाम नृत्य मण्डली	20 अगस्त से 5 सितम्बर, 1999	उलान बटोर में मठ उद्घाटन के लिए आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने
32.	जर्मनी, आस्ट्रिया	श्री आशीष कर (सेराकिल्ला छाऊ) × 10 बिहार	27 अगस्त से 26 सितम्बर, 1999	जर्मनी और आस्ट्रिया में कार्यक्रमों में भाग लेने और नाट्य मन्दिर एसोसिएशन आस्ट्रो इण्डियन एसोसिएशन के आमंत्रण पर आस्ट्रिया जाना
33.	सीरिया, मिस्र, इराक	पुंग, ढोल चोलम और मार्शियल कला मण्डली मणिपुर × 14 रंगनिकेतन इण्टरनेशनल मण्डली	2 सितम्बर से 27 सितम्बर, 1999	बोसरा इण्टरनेशनल नृत्य उत्सव सीरिया और इजमीर उत्सव काहिरा और बेबीलोन उत्सव, इराक में भाग लेने
34.	जापान	*उस्ताद वसीफुद्दीन डागर हिन्दुस्तानी गायन × 4 नई दिल्ली	3 सितम्बर से 14 अक्तूबर 1999	कार्यक्रम में भाग लेने
35.	संयुक्त राज्य अमरीका	*सुश्री शुभा मुद्गल (हिन्दुस्तानी गायन) × 3 नई दिल्ली	8 सितम्बर से 15 नवम्बर, 1999	श्री बी.एन. दीक्षित, निदेशक, सेण्टर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ इण्डिया (एशियन स्टडीज - यू.सी.आई.एस.) यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग
36.	संयुक्त राज्य अमरीका	*रोनू मजूमदार (बांसुरी) × 2 मुम्बई	13 सितम्बर से 9 नवम्बर, 1999	-वही-
37.	यू.के., नीदरलैण्ड्स	**सुश्री शोभना नारायण, कथक × 5 नई दिल्ली	13 सितम्बर से 26 सितम्बर, 1999	छठे विश्व हिन्दी सम्मेलन (एजेन्सी कार्य के रूप में विदेश मंत्रालय की ओर से) में कार्यक्रम प्रस्तुत करने और नीदरलैण्ड में कार्यक्रम प्रस्तुत करने
38.	फ्रांस	*सुश्री अरुणा साईराम (सम्मानित गायक) × 6 चेन्नई	16 सितम्बर से 14 अक्तूबर, 1999	द इली द फ्रांस उत्सव में भाग लेने
39.	नेपाल	सुश्री मालविका सारुक्काई भरतनाट्यम × 6, चेन्नई	17-24 सितम्बर, 99	मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए

*यात्रा अनुदान
**एजेंसी कार्य

1	2	3	4	5
40.	अमरीका, मैक्सिको, सैल्विडोर अल सल्वाडोर	सुश्री तनुश्री शंकर के नेतृत्व में आनन्द शंकर को आधुनिक नृत्य मंडली × 12 कलकत्ता	23 सितम्बर से 25 अक्तूबर, 99	मुख्यकुमारों, मैक्सिको में केरवानेव सम्मेलन में भाग लेने तथा मैक्सिको के सिनवस्तूल पेन द्वारा आयोजित भारत माह उत्सव में भाग लेने के लिए
41-42.	बहरीन, दोहा, यूएई	मुकेश शर्मा (सरोद) और अनुप्रिया (वायलीन) की जुगलबंदी मंडली × 4, नई दिल्ली	29 सितम्बर से 9 अक्तूबर, 1999	संगीत कला की प्रस्तुति के लिए
43.	फ्रांस	*श्री अरुण मुखर्जी की चेतना थियेटर मंडली × 5 कलकत्ता	1-24 अक्तूबर, 1999	मलक्का के मोजीने सोहैंग विश्वविद्यालय के संगीत कला विभाग के प्रमुख श्री एन. विलिस रोमुसर के आमंत्रण पर संगीत कला की प्रस्तुति के लिए
44.	बेलारूस, पोलैण्ड	छोटे सबीर खान × 3, सारंगी वादक, नई दिल्ली	2-10 अक्तूबर, 1999	संगीत कला की प्रस्तुति के लिए
45.	चेक गणराज्य, हंगरी	सुश्री केतकी नारायन (भरतनाट्यम) × 5, नई दिल्ली	12-23 अक्तूबर, 1999	-वही-
46-48.	बंगलादेश	(1) सुश्री अश्विनी भेदे, हिन्दुस्तानी गायक × 4, मुम्बई (2) श्री शहीद परवेज, सितार × 3, पुणे (3) श्री विनायक तोरवी, कर्नाटक गायन × 4, बंगलौर	23-27 अक्तूबर, 1999	संगीत उत्सव में संगीत कला की प्रस्तुति के लिए
49-50.	श्रीलंका	(1) सुश्री कविता और सुश्री त्रिवेणी सरस्वती (कर्नाटक गायन) × 6, बंगलौर (2) सुश्री मिनाक्षी चितरंजन भरतनाट्यम × 3, चेन्नई	28 अक्तूबर से 4 नवम्बर, 1999 28 अक्तूबर से 4 नवंबर, 1999	श्रीलंका की कला परिषद द्वारा आयोजित संगीत और नृत्य महोत्सव में भाग लेने के लिए
51-54.	बंगलादेश	(1) श्री कवालम नारायण पणिकर थियेटर के नेतृत्व में सोपन संगीत कला संस्थान एवं अनुसंधान × 18, तिरुवनन्तपुरम (2) श्री करमाने शम्भु हेगडे के नेतृत्व में श्री इडगुंजी महागणपति यक्षगान मंडली × 10, कर्नाटक (3) केरल कला मंडलम की कुडियाट्टम मंडली × 9, तिरुवनन्तपुरम (4) सी यशोदा राव, कुचिपुडी नृत्यक × 5, हैदराबाद	3-8 दिसम्बर, 1999	सेन्टर फार एशियन थियेटर, ढाका के सहयोग से आयोजित किए जा रहे नाट्योत्सव संस्कृत थियेटर संगोष्ठि में भाग लेने के लिए
55-56.	चीन, म्यांमां, मलेशिया, चीन	(1) पं. बिरजु महाराज कत्थक × 4, नई दिल्ली (2) जवाहर लाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी, इम्फाल की पुंग और धूल चोलम मंडली × 10	28 दिसम्बर से 16 जनवरी, 2000 28 दिसम्बर से 9 जनवरी, 2000	चीन अन्तर्राष्ट्रीय जातीय संस्कृति वर्ष, 1999 में भाग लेने के लिए
57-61.	फ्रांस	8 संगीतज्ञ: *(1) श्री विश्वजीत राय चौधरी (सरोद) × 2, नई दिल्ली *(2) श्री प्रकाश वढेरा (बांसुरी) × 2, नई दिल्ली *(3) फैज खान (तबला) × 1, नई दिल्ली *(4) श्री सोमनाथ मुखर्जी (तबला) × 2, नई दिल्ली *(5) श्री रफीउद्दीन साबरी (तबला) × 2, कलकत्ता	31 दिसम्बर से 4 जनवरी, 2000	मंत्रालय के सुश्री विनोद वालावीले से प्राप्त अनुरोध पर 24 घंटे की संगीत गोष्ठि में भाग लेने

*यात्रा अनुदान

1	2	3	4	5
62-63.	जर्मनी, यू.के., स्विटजरलैंड	सुश्री चित्रा विश्वेश्वरन (भरतनाट्यम) और आर. विश्वेश्वरन (तम्बूर) × 6 चेन्नई	20 जनवरी से 20 फरवरी, 2000	शंकर एशियाई आर्ट, लन्दन तथा जर्मनी के अन्य सांस्कृतिक संगठनों के आमंत्रण पर
64-65.	जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, फीलिपीन्स, थाईलैंड	(1) श्री राधा और राजा रेड्डी (कुचिपुडी) × 6, नई दिल्ली	26 जनवरी से 19 फरवरी, 2000	मिन आन संगठन के आमंत्रण पर मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए
	जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया	(2) श्री भजन सोपोरी (संतूर) × 4, नई दिल्ली	26 जनवरी से 12 फरवरी, 2000	
66.	श्रीलंका	सुश्री मंजु भरत (कुचिपुडी) × 5, हैदराबाद	22-30 जनवरी, 2000	गणतंत्र दिवस की 50वीं वर्षगांठ के समारोहों में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने के लिए
67.	यू.ए.ई., तुर्की	श्री कालू नाथ कालबेलिया (राजस्थानी लोक नृत्य) × 10, राजस्थान	22 जनवरी से 8 फरवरी, 2000	सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने के लिए
68-69.	श्रीलंका	डा. बालमुरली कृष्णा, कर्नाटक गायक और अनुगामी कलाकार × 11, चेन्नई	30 जनवरी से 2 फरवरी, 2000	नीलन तिरुचेलवम स्मारकोत्सव कार्यक्रमों में भाग के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय जातीय अध्ययन केन्द्र और विधि एण्ड सोसाइटी न्यास के आमंत्रण पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने के लिए
70-71.	बंगलादेश	(1) श्री मधुप मुद्गल (शास्त्रीय गायक) × 5 (2) श्री शुभो घोष (सारंगी) × 3	फरवरी, 2000	नृत्य और संगीत महोत्सव में भाग लेने के लिए
72.	मारीशस, रियूनियन, आईलैंड	सुश्री मैत्रेयी पहाड़ी की लोक नृत्य मंडली × 18		

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद

बाहर जाने वाले सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डल 2000-2001

क्रियान्वयन रिपोर्ट अप्रैल 2000–अद्यतन

क्र.सं.	देश	मण्डली का नाम	अवधि	यात्रा का विवरण
1	2	3	4	5
1.	वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राजील	अन्तर्राष्ट्रीय कथकली केन्द्र की कथकली मण्डली × 12 दिल्ली	1 अप्रैल-4 मई 2000	कोलम्बिया में द्विवार्षिक इबेरोअमेरिकन महोत्सव के सातवें संस्करण तथा कराकास में 12वें अंतर्राष्ट्रीय थिएटर महोत्सव में भाग लेने के लिए
2.	इण्डोनेशिया, द. कोरिया, चीन, मलेशिया	सुश्री जयलक्ष्मी ईश्वर का 10 सदस्यीय भरत नाट्यम, दिल्ली	8 अप्रैल-1 मई 2000	प्योंगयांग में वसंत कला महोत्सव में भाग लेने तथा अन्य देशों में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए
3.	अमरीका	डा. एम. बाला मुरली कृष्णा (कर्नाटक गायन) × 5 चेन्नई	20 अप्रैल-30 अप्रैल 2000	त्यागराज संगीत महोत्सव में भाग लेने के लिए
4.	अमरीका	*सुश्री अश्विनी भिड़े (गायन) × 3 मुम्बई	4 अप्रैल-24 मई 2000	अमरीकी विश्वविद्यालय सर्किट में संगीत कार्यक्रम के लिए प्रो. दीक्षित के आमंत्रण पर अमरीका की यात्रा

*यात्रा अनुदान

1	2	3	4	5
5.	इजरायल	हलट लोक कला मण्डल जामनगर का 12 सदस्यीय गुजराती लोक नृत्य दल	1-10 मई 2000	इटवी द्वारा आयोजित भारत व्यापार मेले में 'इंडिया चौक' में भाग लेने के लिए
6.	अमरीका	जवाहर लाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी मंचीय कला इम्फाल का 10 सदस्यीय पुंग ढोल चोलमदल	4-30 मई 2000	3-14 मई के बीच मेम्फिस में मई 2000 महोत्सव में भाग लेने के लिए तथा अमरीका में अन्य शहरों में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए
7.	ट्रिनिडाड और टुबैगो	सुश्री दीपा राघवन (भरतनाट्यम) × 1 तथा सुश्री बानी राय (ओडिसी) × 1	17-31 मई 2000	भारत महोत्सव में भाग लेने के लिए
8.	चीन	**डा. एल. सुब्रमणियन (वायलिन) × 11	24 मई से 5 जून 2000	मई 2000 में भारत के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान भारत और चीन लोक गणराज्य से बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए
9.	सिंगापुर	श्री मुरली लाल शर्मा के नेतृत्व में 12 सदस्यीय चारिकुला नृत्य एवं वृन्द गीत मंच **एजेंसी कार्य	30 मई से 5 जून 2000	सिंगापुर की राष्ट्रीय कलापरिषद एन.ए.सी. द्वारा आयोजित सिंगापुर कला महोत्सव 2000 में भाग लेने के लिए
10.	जर्मनी, स्लोवाकिया, रोमानिया, रूस	सुश्री प्रगति सूद (कथक) × 5 दिल्ली	2-23 जून 2000	अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में क्षेत्र में हनोवर एक्सपो में भारतीय पैविलियन में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए
11.	दक्षिण कोरिया, मलेशिया	श्री अम्मानूर चक्कियार मधोम केरल के नटनाकइरेली से कोडियट्टम नृत्य दल	7-20 जून 2000	कोरियाई राष्ट्रीय नृत्य स्कूल विश्वविद्यालय के आमंत्रण पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए
12.	पोलैण्ड, यू.के., मोरक्को	सुश्री शरण रानी बाकलीवाली (सरोद) × 4, दिल्ली	11-28 जून 2000	14वें इंटरनेशनल आर्गन एण्ड चेम्बर म्यूजिक फेस्टिवल कोलोब्रज्को - 2000 में भाग लेने तथा क्षेत्र में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए
13.	मोरक्को, मिस्र	रहमत खान लंगा (राजस्थानी लोकगायक) × 6 दिल्ली	15-28 जून 2000	माराकेश में प्रसिद्ध कला के राष्ट्रीय महोत्सव में भाग लेने के लिए
14.	यू.के., हंगरी, बोस्निया और हर्जेगोविना, पोलैण्ड, फ्रांस	कौशल्या रेड्डी के नेतृत्व में कुचिपुडि नृत्य दल × 6 दिल्ली	23 जून 16 जुलाई 2000	बुडापेस्ट फेयरवेल महोत्सव-2000 बुडापेस्टमहोत्सव में भाग लेने तथा इस क्षेत्र में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए
15.	दक्षिण अफ्रीका	सुश्री प्रियदर्शिनी गोविन्द का भरतनाट्यम नृत्य दल × 5 चेन्नई	24 जून-12 जुलाई 2000	'गृह मस्टाउन' महोत्सव में भाग लेने तथा क्षेत्र में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए
16.	पोलैण्ड, जर्मनी	सुश्री प्रीति पटेल के नेतृत्व में 'अंबिका' मणिपुरी नृत्य दल × 9 कलकत्ता	8 जुलाई-3 अगस्त 2000	कराकाओ महोत्सव में भाग लेने तथा हैनोवर एक्सपो में भारतीय पैविलियन में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए
17.	अमरीका	लिलित दुबे के नेतृत्व में प्राइम टाइम थियेटर दल × 6 मुम्बई*	13 जुलाई-2 अगस्त 2000	न्यूयार्क तथा अमरीका के अन्य शहरों में 'डांस लाइक ए मैन' को प्रस्तुत करने के लिए
18.	कनाडा, अमरीका	सुश्री सुतापा तालुकदार (ओडिसी) × 5 कलकत्ता*	25 जुलाई-27 सितम्बर	भारत-अमरीकी संघ ह्यूस्टन के आमंत्रण ह्यूस्टन तथा इस क्षेत्र में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए
19.	केन्या, तंजानिया, जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, मारीशस, सेशेल्स	राजकी पूरन नाथ सपेरा का राजस्थान लोक नृत्य दल × 10	4 अगस्त-4 सितम्बर 2000	कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए

*यात्रा अनुदान

**एजेंसी कार्य

विवरण II

देश में आने वाले सांस्कृतिक दल

क्र.सं.	देश	सांस्कृतिक मण्डली
		1999-2000
1.	म्यामां	15 सदस्यीय रामायण दल
2.	बंगलादेश	32 सदस्यीय सांस्कृतिक दल
3.	नामीबिया	22 सदस्यीय सांस्कृतिक दल
4.	जर्मनी	14 सदस्यीय एन्सोम्बिल ओरियल बर्लिन
5.	बुल्गारिया	श्रीमती डायना डोप्पोवा का 5 सदस्यीय नृत्य दल
6.	चीन (बीजिंग)	20 सदस्यीय गान्सू एक्रोबेटिक दल
7.	उगांडा	7 सदस्यीय लोक नृत्य एवं ड्रम दल
8.	इटली	सोलिस्टी केनेटी आर्केस्ट्रा
9.	इटली	टीट्रो कोरोस
10.	फ्रांस	4 सदस्यीय जाज कन्सर्ट स्टीफन कोचायन
11.	आस्ट्रिया	आर्ट ऑफ ब्रास क्विन्टिट (पश्चिमी गायन दल)
12.	मिस्र	27 सदस्यीय अल तालिया थिएटर दल
13.	श्रीलंका	13 सदस्यीय लोकनृत्य एवं गायन दल
14.	नेपाल	आनन्द कार्की का 6 सदस्यीय गायन दल
15.	वियतनाम	15 सदस्यीय लोकनृत्य दल
16.	फ्रांस	बास्कू डू गायन दल
17.	सिंगापुर	16 सदस्यीय रामायण दल
18.	यू.के.	शेयर्ड एक्सपीरियंस थिएटर दल
19.	नीदरलैंड	स्टोरिओनी पियानो त्रियो
20.	आस्ट्रिया	103 सदस्यीय वियना सिम्फोनी आर्केस्ट्रा
21.	जापान	ओकिनावा लोक दल
22.	दक्षिण अफ्रीका	रोनी गोविन्दन का 6 सदस्यीय थिएटर दल
23.	यूनान	9 सदस्यीय आटिस थिएटर दल
24.	जर्मनी	तुंजी बियर का 4 सदस्यीय गायन दल
		2000-2001
1.	हंगरी	19 सदस्यीय लिस्जट फ्रांज चैम्बर आर्केस्ट्रा
2.	ट्यूनिशिया	लाटफी बुकनेक का 10 सदस्यीय गायन दल

भारतीय कार्यक्रम - हॉरिजन श्रृंखला, नई दिल्ली

क्र.सं.	कलाकार का नाम	क्षेत्र	कार्यक्रम की तारीख
1	2	3	4
		1999-2000	
1.	गौरव मजुमदार	सितार	9 अप्रैल 99
2.	पियूषा कैलाश अनुज	भक्ति गायन	16 अप्रैल 99
3.	अग्रवाल बहनें	सितार एवं सरोद	21 मई 99
4.	इफ्तिखार अहमद और पार्टी	बज्म-ए-कव्वाली	25 जून 99
5.	प्रियदर्शनी घोष शोमे	मोहिनी अट्टम	27 अगस्त 99
6.	सरस्वती राज गोपाल और सईद जाफर खान	वीणा सितार	17 सितम्बर 99
7.	मल्ल श्री प्रसाद	मधुर शास्त्री गायन	29 अक्तूबर 99
8.	प्रभात कुमार और मोहसिन अहमद नियाजी	सरोद वादन हिन्दुस्तानी संगीत	19 नवम्बर 99
9.	अभय शंकर मिश्रा और शिखा खरे	कत्थक	11 फरवरी, 2000
10.	उमा गर्ग	हिन्दुस्तानी गायन	18 फरवरी 2000
11.	प्रकाश संगीत	हिन्दुस्तानी गायन	10 मार्च 2000
		2000-2001	
1.	राजीव जनार्दन अमरीश मिश्रा	सितार सुगम संगीत	21 अप्रैल 2000
2.	कलाए वाणी राजमोहन	भरत नाट्यम	5 मई 2000
3.	श्रुति बनर्जी	मणिपुरी नृत्य	12 मई 2000

भारतीय कार्यक्रम-हॉरिजन सीरीज, दिल्ली से बाहर

क्र.सं.	कलाकार का नाम	क्षेत्र	कार्यक्रम की तारीख
1	2	3	4
		1999-2000	
बंगलौर			
1.	शफीक खान, गुलबर्गा	सितार	2 अप्रैल 99
2.	शुभा धनन्जय	भरतनाट्यम	9 अप्रैल 99

1	2	3	4
3.	सुश्री वाणी यदुनंदन	वीणा वादन	16 अप्रैल 99
4.	अनापार्थीणीदास मायसार्क	भरतनाट्यम	23 अप्रैल 99
5.	रमेश कुलकर्णी	सुगम संगीत	30 अप्रैल 99
6.	श्री जे. कृष्णकुमार चेन्नई	भरतनाट्यम	7 मई 99
7.	एम.के. नीलकंठाचार	वीणा वादन	14 मई 99
8.	ए. रश्मि	भरतनाट्यम	21 मई 99
9.	रूपा और दीपा	कर्नाटक संगीत कंसर्ट	28 मई 99
10.	पद्मा मुरली	भरतनाट्यम	4 जून 99
11.	निखिल जोशी	कर्नाटक तरीके से गिटार	11 जून 99
12.	प्रिया वी. रमण	भरतनाट्यम	18 जून 99
13.	एम.के. सिद्धराज	सुगम संगीत	25 जून 99
14.	रंगनाथ राव	नरकासुरवध कठपुतली शो	2 जुलाई 99
15.	शिल्पा उथापा	भरतनाट्यम	9 जुलाई 99
16.	सरस्वती मूर्ति	सुगम संगीत	16 जुलाई 99
17.	अजय विश्वनाथ	भरतनाट्यम	23 जुलाई 99
18.	एच. गीतागोपाल	बांसुरी वादन	30 जुलाई 99
19.	अनीता महेश		6 अगस्त 99
20.	वाई. के. मुद्दुकृष्णा और रत्नमाला प्रकाश	ड्रामा नक्काबू नक्षत्र	13 अगस्त 99
21.	बंगलौर म्यूजिकल एसो.	सुगम संगीत	20 अगस्त 99
22.	सुमैया नारायण	भरतनाट्यम	27 अगस्त 99
23.	बी.जी. विनूथा बुद्धिहल	सुगम संगीत	3 सितम्बर 99
24.	ए.आर. श्रीधर	भरतनाट्यम	10 सितम्बर 99
25.	पल्लवी प्रभा	भक्ति संगीत	17 सितम्बर 99
26.	नयना आर. शास्त्री	भरतनाट्यम	24 सितम्बर 99
27.	लक्ष्मी बी. कौशिक	कर्नाटक गायन	1 अक्तूबर 99
28.	शुभा रानी बोलर	भरतनाट्यम	8 अक्तूबर 99
29.	बी. शिवनंदा	कर्नाटक गायन	15 अक्तूबर 99

1	2	3	4
30.	चंद्रिका वी. राव	भरतनाट्यम	22 अक्तूबर 99
31.	आर.के. सुब्रमणिया	सितार वादन	29 अक्तूबर 99
32.	एस.बी. वनूमा	सुगम संगीत	5 नवम्बर 99
33.	फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट एसो.	अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संध्या	12 नवम्बर 99
34.	गैले यारा बालागा	कन्नड़ ड्रामा नेरालू	19 नवम्बर 99
35.	जी. लक्ष्मीबाई	भरतनाट्यम	26 नवम्बर 99
36.	वी.सी. मालती	भरतनाट्यम	3 दिसम्बर 99
37.	सईद सलाउद्दीन पासा	कत्थक	10 दिसम्बर 99
38.	सरस्वती नारायण	कर्नाटक गायन	17 दिसम्बर 99
39.	सूर्यानारायण पंजाबी एंड पार्टी	यक्षगण शिशुपाल वध	24 दिसम्बर 99
40.	अनुलेखा टैगोर	भरतनाट्यम	31 दिसम्बर 99
41.	दत्तात्रेय अरालिकट्टी	कठपुतली शो कुमारसंभव	7 जनवरी 2000
42.	वी.जी. रजनी	भरतनाट्यम	14 जनवरी 2000
43.	एम.एस. प्रशांत	वीणा वादन	21 अप्रैल 2000
44.	यूथ राइटर्स एंड आर्टिस्ट गिल्ड	वैराएटी कल्चरल प्रोग्राम	28 फरवरी 2000
45.	क्योको नोबी, जापान	भरतनाट्यम	4 फरवरी 2000
46.	नंदा दल	ड्रामा डोनी	11 फरवरी 2000
47.	आर. ज्योति	भरतनाट्यम	18 फरवरी 2000
48.	अशोक पंत	हिन्दुस्तानी गायन	25 फरवरी 2000
49.	पूर्णिमा अशोक	भरतनाट्यम	3 मार्च 2000
50.	गणश्री	कर्नाटक गायन	10 मार्च 2000
51.	टी.के. शोभा	भरतनाट्यम	17 मार्च 2000
52.	प्रकाश कुमार हैगड़े	बांसुरी हिन्दुस्तानी	24 मार्च 2000
53.	रश्मि सुधेन्द्र	भरतनाट्यम	31 मार्च 2000
चण्डीगढ़			
1.	शहीद बाबा दीप सिंह	मार्शल आर्ट	12 अगस्त 99
2.	हिमाचली लोकनृत्य एवं गायन	लोकनृत्य	16 सितम्बर 99

1	2	3	4
3.	पंजाबी लोकनृत्य और गायन आत्मजीत और चंडीगढ़ पुलिस	लोकनृत्य	14 अक्तूबर 99
4.	पंजाबी लोकनृत्य और गायन आत्मीजीत और चंडीगढ़ पुलिस	लोकनृत्य	24 फरवरी 2000
5.	उस्ताद सलीम इकबाल का गजल कार्यक्रम	गजल	9 मार्च 2000
6.	हिमाचली लोकनृत्य और संगीत	लोकनृत्य	23 मार्च 2000
लखनऊ			
1.	अरुण भट्ट और इलमास हुसैन	तबला	अप्रैल 99
2.	श्री रवि नागर	अर्द्धशास्त्री गायन	मई 99
3.	पंडित चंद्रप्रकाश	हवेली संगीत	जून 99
4.	बृजेंद्रनाथ श्रीवास्तव	गजल	जुलाई 99
5.	हरिमोहन श्रीवास्तव	बांसुरी	अगस्त 99
6.	रूना डे	शास्त्रीय संगीत	सितम्बर 99
7.	सदाना रहतगांका	अर्द्धशास्त्रीय गायन	अक्तूबर 99
हारिजन की दूसरी वर्षगांठ			
8.	सुश्री नीता पंडित	शास्त्रीय गायन	10 नवम्बर 99
	सुनील कांत गुप्ता	बांसुरी	10 नवम्बर 99
	गिरजा श्रीवास्तव और अल्का भट्ट	कत्थक	11 नवम्बर 99
	राजीव जनार्दन	सितार	11 नवम्बर 99
	पंडित चंद्रप्रकाश	मांड संगीत	12 नवम्बर 99
	सुष्मिता बनर्जी	कत्थक	12 नवम्बर 99
त्रिवेन्द्रम			
1.	विजयंती कौशी	कुचिपुड़ी	6 जुलाई 99
2.	मार्गी	नंगीयार कूथू	13 अगस्त 99
3.	लीना मोहन्ती	ओड़ीसी	10 अक्तूबर 99
4.	सुब्रमणिया सर्मा	वायलिन	27 जनवरी 2000
5.	हरिहरन नायर	कर्नाटक	17 फरवरी 2000

1	2	3	4
		2000-2001	
बंगलौर			
1.	सी.पी. विद्याशंकर	सुगम संगीत	7 अप्रैल 2000
2.	रामदेव	हारमोनियम	14 अप्रैल 2000
3.	कुमारी मंजूला विश्वनाथ	भरतनाट्यम	21 अप्रैल 2000
4.	बी. दीपक कुमार	भरतनाट्यम	28 अप्रैल 2000
5.	नरसिंहहालू वोदावट्टी	क्योरियो नट	5 मई 2000
6.	विवेकानन्द कला केन्द्र	वैरायटी कार्यक्रम	12 मई 2000
7.	कुमारी एस. स्नेहश्री	भरतनाट्यम	19 मई 2000
8.	एम.एस. शांता	कर्नाटक गायन	26 मई 2000
9.	बी.जे. वर्षा और कुमारी युक्ता राव	सुगम संगीत	2 जून 2000
10.	श्री मल्लिाक	कर्नाटक गायन	16 जून 2000
11.	के.एस. विजयलक्ष्मी	भरतनाट्यम	23 जून 2000
12.	पद्माजा सुरेश	ग्रुप डांस 'नवदर्शन'	30 जून 2000
13.	श्री श्रीवास्तव	सुगम संगीत	1 जुलाई 2000
14.	प्रकृति गुरूराज और पल्लवी गुरूराज	भरतनाट्यम	7 जुलाई 2000
15.	वीणा मर्दू	हिन्दुस्तानी गायन	14 जुलाई 2000
16.	मोली के. शाह और इशरा पारिख	कत्थक	21 जुलाई 2000
त्रिवेन्द्रम			
1.	वैजयंती कौशिक	कुचिपुड़ि	6 जुलाई 99
2.	मार्गी	नांगीयार कुद्दू	13 अगस्त 99
3.	लीना मोहंती	ओड़िसी	10 अक्तूबर 99
4.	सुब्रमणिया सर्मा	वायलिन	27 जनवरी 2000
5.	हरिहरन नायर	कर्नाटक गायन	17 फरवरी 2000
लखनऊ			
1.	अभिजीत राय चौधरी	सरोद	26 मई 2000
2.	ओमप्रकाश	बांसुरी	9 जून 2000
3.	अजीत श्रीवास्तव और दल	लोक गायन	14 जुलाई 2000

1	2	3	4
चंडीगढ़			
1.	पंजाबी लोक कला अकादमी संगरूर	पंजाबी लोकनृत्य और संगीत	1 जून 2000
2.	माजसिंह रंगीला टहल सिंह का पंजाब युवा क्लब	लोकनृत्य	21 जून 2000

भारतीय कार्यक्रम—क्रमानुसार, नई दिल्ली

1999-2000

1.	उस्ताद अलाउद्दीन खान	इसराज	19 अप्रैल 99
2.	वसुन्धरा दोरास्वामी	भरतनाट्यम	19 अप्रैल 99
3.	उस्ताद शमीम अहमद खान	सितार	20 अप्रैल 99
4.	दीप्ति ओसचेरी भल्ला	मोहिनी अट्टम	20 अप्रैल 99
5.	शोभना नारायण	कत्थक	22 अप्रैल 99
6.	माधवी मुदगल	ओड़िसी	23 अप्रैल 99
7.	सुलोचना बृहस्पती	हिन्दुस्तानी गायन	12 मई 99
8.	दीपमाला मोहन	उत्तर प्रदेश का लोक गायन	13 मई 99
9.	महिमा केस्वा	गजल	14 मई 99
10.	पंडित पशुपति नाथ आर्य	हिन्दुस्तानी बांसुरी	19 जुलाई 99
11.	रेखा सूर्य	गजल	20 जुलाई 99
12.	पं. लक्ष्मण कृष्णराव पंडित	हिन्दुस्तानी गायन	21 जुलाई 99
13.	गुरू केलूचरण मोहपात्र	ओड़िसी	10 अगस्त 99
14.	डा. मुस्तफा रजा	विचित्र वीणा	19 अगस्त 99
15.	कत्थक केंद्र	नृत्य संयोजन कम्पोजिशन	20 अगस्त 99
16.	गुरू सिंगाजीत सिंह और चारू माथुर	मणिपुरी	14 सितम्बर 99
17.	पं. राजन और साजन मिश्रा	भक्ति संगीत	15 सितम्बर 99
18.	जोहर अली खान मुकेश शर्मा और अनुप्रिया देओताले	हिन्दुस्तानी वायलिन सरोद वायलिन	 27 अक्तूबर 99

1	2	3	4
19.	रमा वैद्यनाथन	भरतनाट्यम	28 अक्तूबर 99
20.	कलावती देवी और दल	मणिपुरी	3 नवम्बर 99
21.	राजेन्द्र और नीना मेहता	शाम-ए-गजल	12 नवम्बर 99
22.	वसिफुद्दीन डागर	हिन्दुस्तानी गायन	16 नवम्बर 99
23.	कविता द्विवेदी	ओड़िसी	17 नवम्बर 99
24.	श्रीकला भरतन	भरतनाट्यम	18 नवम्बर 99
25.	शुभा मुदगल	हिन्दुस्तानी गायन	15 दिसम्बर 99
26.	उस्ताद अमजद अली खान	सरोद	16 जनवरी 2000
27.	पं. रामनारायण	सारंगी	17 फरवरी 2000
28.	पं. सोपोरी	संतूर	18 मार्च 2000
		2000-2001	
1.	मधुप मुदगल	हिन्दुस्तानी गायन	26 अप्रैल 2000
2.	पं. बिरजू महाराज	कत्थक	27 अप्रैल 2000

विवरण III

विदेश यात्रा पर गए व्यक्ति 1997-98

क्र.सं.	अतिथि का नाम	देश	उद्देश्य	अवधि
1	2	3	4	5
1.	डॉ. एन. राधाकृष्णन निदेशक गांधी स्मृति और दर्शन समिति तीस जनवरी मार्ग नई दिल्ली	पेरू	कैथोलिक यूनिवर्सिटी, लीमा में गांधी जी पर आयोजित सम्मेलन में भाग लेने हेतु	7-12 अप्रैल 1997
2.	प्रो. मीनाक्षी मुखर्जी 329, हौज खास (एस.एफ.एस. अपार्टमेंट्स), नई दिल्ली	अमेरिका	दो सप्ताह के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने हेतु	15-30 अप्रैल 1997
3.	श्री विवान सुंदरम 3/9, शांति निकेतन नई दिल्ली	क्यूबा	छठवें हवाना द्विवार्षिकी में भाग लेने हेतु	25 अप्रैल-7 मई 1997

1	2	3	4	5
4.	श्री के.एस. दुग्गल संसद सदस्य पी-7, हौज खास एंक्लेव नई दिल्ली	अमेरिका	अमेरिकन यूनिवर्सिटी में उत्तर अमेरिका की पंजाबी अकादमी के तीसरे वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने और "पंजाबी अस्तित्व का प्रश्न (पूर्व और पश्चिम)" पर निबंध प्रस्तुत करने हेतु	26-27 अप्रैल 1997
5.	प्रो. लीला दुबे डी-504, पूर्वाशा आनंद लोक सोसायटी मयूर विहार फेज-1 दिल्ली	मेक्सिको	अल-कोलेजियो दे मेक्सिको के एशियाई और अफ्रीकी अध्ययन केंद्र द्वारा "भारतीय संस्कृति और समुदाय" विषय पर व्याख्यान देने और गोष्ठी में भाग लेने हेतु	2 मई-जून 97
6.	सुश्री गीता धर्मराजन कार्यपालक निदेशक कथा ए-3, सर्वोदय एंक्लेव नई दिल्ली	यू.के.	दक्षिण एशियाई अनूदित साहित्य के 50 वर्ष पूर्ण होने को प्रचारित करने के लिए साउथ एशियन आर्टस द्वारा आयोजित गोष्ठी/गोलमेज बैठक में भाग लेने हेतु	12-16 मार्च 97
7.	डॉ. प्रमोद तलगेरी कुलपति सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज, हैदराबाद	किर्गीजस्तान	किर्गीज छात्रों को भुगतान के आधार पर सी.आई.एफ.एल. में अंग्रेजी पढ़ाने हेतु व्यवस्था संबंधी चर्चा करने के लिए	14-21 मई 1997
8-12.	5-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल श्री एल.सी. जैन डॉ. देविका जैन सुश्री शशि राजगोपालन श्री जे.एन. दीक्षित श्री निखिल चक्रवर्ती	दक्षिण अफ्रीका	वेस्टर्न केप विश्वविद्यालय के दक्षिण अफ्रीकी विकास शिक्षा नीति अनुसंधान एकक द्वारा आयोजित भारत-दक्षिण अफ्रीका गोल मेज बैठक में भाग लेने हेतु	15-16 मई 1997
13.	सुश्री सीमा राय चौधुरी 55/3 बी, बालीगंज सर्कुलर रोड, कलकत्ता	पोलैंड	भारतीय कला और संस्कृति पर व्याख्यान श्रृंखला देने हेतु	18-29 मई 1997
14.	डॉ. आबिद हुसैन उपाध्यक्ष, राजीव गांधी फाउंडेशन, नई दिल्ली	स्विटजरलैंड	आधुनिक एशिया अनुसंधान केंद्र में नेहरू स्मृति व्याख्यान देने हेतु	19 मई-7 जून 1997
15.	सुश्री रेखा टंडन 102, वसंत एंक्लेव नई दिल्ली	यू.के.	लबान सेंटर, लंदन में अनुसंधान परियोजना और भारतीय नृत्य सिखाने के तरीकों के संबंध में	20 मई 1997

1	2	3	4	5
16.	प्रो. एन. कमला 41 दक्षिण पुरम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली	कनाडा	कॉनकोर्डिया विश्वविद्यालय और मांट्रियल विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित गोष्ठी ''उत्तर-उपनिवेशवादी अनुवाद'' में भाग लेने हेतु	22-25 मई 1997
17.	डॉ. सुजीत मुखर्जी 329, हौज खास, (एस. एफ.एस. अपार्टमेंट्स) नई दिल्ली	यू.के.	''सपद'' द्वारा ''एशियाई साहित्य का अंग्रेजी अनुवाद'' पर आयोजित गोष्ठी में भाग लेने हेतु	22-25 मई 1997
18.	श्री एस.डी. हलभावी प्राचार्य स्कूल ऑफ आर्ट सिविल कोर्ट के सामने धरवाड़	दक्षिण अफ्रीका	भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाने हेतु राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा द्वारा डरबन में समकालीन भारतीय कला पर आयोजित एक प्रदर्शनी में व्याख्यान देने हेतु।	3-29 जून 1997
19.	प्रो. जी.एन. दास भाषाविज्ञान विभाग बहरामपुर विश्वविद्यालय उड़ीसा	जर्मनी	''जगन्नाथ का पुनःदर्शन : उड़ीसा के समाज, धर्म और शासन का अध्ययन'' पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने हेतु	19-22 जून 1997
20-23.	जनोत्सव, बंगलौर का 4-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल श्री राजेन्द्र नाथन सुश्री एंजेला सुदर्शन सुश्री टेरेसा चिनप्पा श्री वर्नाडेट्ट देवारज	आस्ट्रिया	आस्ट्रिया में आयोजित राष्ट्रों के संयुक्त खेलों में भाग लेने हेतु	21 जून-2 अगस्त 1997
24.	श्री रवि चतुर्वेदी सहायक प्रोफेसर अभिनय कला विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	मेक्सिको	चुलूला, मेक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच अनुसंधान परिसंघ के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने और उसमें निबंध प्रस्तुत करने हेतु	23-25 जून 1997
25-26.	2-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल श्री दुर्योधन महापात्र भुवनेश्वर श्री सुरेन्द्र मेहर बारगढ़, उड़ीसा	अमेरिका	सान फ्रांसिस्को के एशियाई कला संग्रहालय में जीवंत प्रदर्शन	27 जून-27 अगस्त 1997

1	2	3	4	5
27.	डॉ. कपिला वात्स्यायन शैक्षणिक निदेशक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र राष्ट्रीय कला केंद्र जनपथ नई दिल्ली	किर्गीजस्तान	भारत अध्ययन केंद्र की स्थापना के संबंध में	29 जून-6 जुलाई 1997
28.	डॉ. शकुंतला नरसिम्हन 217, 8 एफ मेन 27वां क्रास बंगलौर		कमला देवी चट्टोपाध्याय की जीवनी के संबंध में सामग्री जुटाने हेतु	30 जून- 4 जुलाई 1997
29.	सुश्री सुषमा देशपांडे 20 साई कुंज आनंद नगर के सामने पंड रोड, पुणे	यू.के./ आयरलैंड	प्रस्तुति दौरा	जून-अगस्त 1997
30-31.	2-सदस्यीय दल प्रो. के.वी. सुब्बाराव दिल्ली श्री ओंकार नाथ कौल मैसूर	रूस	मास्को विश्वविद्यालय द्वारा दक्षिण एशियाई भाषाओं पर आयोजित सम्मेलन में भाग लेने हेतु	30 जून-4 जुलाई 1997
32.	डॉ. हरनाम सिंह शाह 405, सेक्टर 16 चंडीगढ़	हंगरी	बुडापेस्ट में आयोजित 35वें अंतर्राष्ट्रीय एशियाई और उत्तर अफ्रीकी अध्ययन महासम्मेलन में भाग लेने हेतु	7-12 जुलाई 1997
33.	प्रो. बृज मोहन पांडे वाई-81 हौज खास नई दिल्ली	इटली	दक्षिण एशियाई पुरातत्वविद् संघ द्वारा आयोजित गोष्ठी में भाग लेने हेतु	7-11 जुलाई 1997
34.	डॉ. (श्रीमती) सुधा मिश्रा सचिव उड़ीसा संगीत नाटक भवन, भुवनेश्वर	अमेरिका	उड़ीसा की मंचीय कलाएं और मंदिर संस्कृति पर प्रदर्शन सहित व्याख्यान श्रृंखला प्रस्तुत करने हेतु	जुलाई 1997
35.	सुश्री वी.आर. देविका टी 74 ए, 30वां क्रास बसंत नगर, चेन्नई	फिनलैंड	यूनेस्को से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था डांस एंड चाईल्ड इंटरनेशनल द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग लेने हेतु	19 जुलाई- 11 अगस्त 1997
36.	डॉ. सोमवीर डीसी-6 ग्वायर हाल हॉस्टल, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	इंडोनेशिया	उदयन विश्वविद्यालय, इंडोनेशिया में अध्यापन कार्य हेतु	एक वर्ष

1	2	3	4	5
37.	श्री जगदीश चतुर्वेदी सी-2/32 ए, लारेंस रोड दिल्ली	दक्षिण कोरिया	कोरिया की टैगोर सोसायटी द्वारा "आज की भारतीय कविता और टैगोर" पर आयोजित गोष्ठी में व्याख्यान देने हेतु	27 जुलाई-6 अगस्त 1997
38.	श्री अमित खनेजा डीजे/1170 वसंत कुंज नई दिल्ली	जर्मनी	बायरुथ में 47वें अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन के समवेत गायन (कोरस) के लिए आयोजित कार्यशाला में भाग लेने हेतु	7-29 अगस्त 1997
39.	सुश्री दर्शना झवेरी शांति कुटीर 215 मरीन ड्राइव, मुंबई	केन्या	नैरोबी में आयोजित वार्षिक केन्या संगीत महोत्सव में निर्णायक के रूप में भाग लेने हेतु	9-10 अगस्त 1997
40.	डॉ. एन.एस. बोस 94 रामकृष्णपुर लेन हावड़ा (प. बंगाल)	मॉरीशस	महात्मा गांधी संस्थान, मॉरीशस में व्याख्यान/वार्ता देने हेतु	11-17 अगस्त 1997
41.	श्री पी. स्तोब्दान अध्येता, रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान ब्लाक-1, पुराना जे. एन. यू. परिसर, नई दिल्ली	मंगोलिया	उलान बटोर में आयोजित मंगोलिया विशेषज्ञों के महा सम्मेलन में भाग लेने हेतु	11-17 अगस्त 1997
42.	सुश्री पूनम त्रिवेदी ए 5, सैक्टर 14 नोएडा	यू.के.	सेंट जान्स कॉलेज, कैम्ब्रिज में "स्काएना: शेक्सपियर और उनके समकालीनों का मंचन पक्ष" पर आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में निबंध प्रस्तुत करने हेतु	13-15 अगस्त 1997
43-44.	श्रीमती राधा रैना परामर्शदाता इनटैक, भारतीयम हुमायूं के मकबरे के निकट, नई दिल्ली श्री मदन मेहता फोटोग्राफर	उज्बेकिस्तान	"14 से 18वीं शताब्दी तक भारत और मध्य एशिया के बीच प्राचीन सांस्कृतिक सामंजस्यता की झलक" प्रदर्शनी की अंतिम परियोजना को पूर्ण करने हेतु	13-23 अगस्त 1997
45.	प्रो. हेमलता स्वरूप 111/98 ए, अशोक नगर कानपुर	दक्षिण कोरिया	सियोल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शास्त्र संगठन (इप्सा) के सत्रहवें विश्व महासम्मेलन में भाग लेने हेतु	17-21 अगस्त 1997
46.	प्रो. हिरण्मय कार्लेकर 54 ई, सुजान सिंह पार्क नई दिल्ली	मलेशिया	मलेशिया के सामरिक अनुसंधान केंद्र पुसात पेनीएलिदिकोन स्ट्राटेजिक मलेशिया द्वारा "एशियाई संस्कृतियों के मध्य संवाद" पर आयोजित दूसरी अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में भाग लेने हेतु	17-19 अगस्त 1997

2	3	4	5
जस्टिस एस. मोहन न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, 41, वेंकट कृष्ण रोड, राजा अन्नामलाईपुरम, चेन्नई	दक्षिण कोरिया	सियोल में आयोजित 17वें विश्व कवि सम्मेलन में भाग लेने हेतु	20–24 अगस्त 1997
डॉ. एस.आर. राव भूतपूर्व महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और परामर्शदाता समुद्री पुरातत्व केंद्र, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान दोना पावला (गोवा)	आस्ट्रेलिया	फ्रेमेंटल, पश्चिम आस्ट्रेलिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय सम्मेलन में भाग लेने हेतु	30 अगस्त-9 सितंबर 1997
डॉ. सत्यनारायण चक्रवर्ती रीडर, संस्कृत विभाग रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय कलकत्ता	नीदरलैंड	लीडेन विश्वविद्यालय नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक साहित्य संगठन के पंद्रहवें महासम्मेलन के सत्र की अध्यक्षता करने हेतु	अगस्त 1997
श्री प्राण नेविले 16/35 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली	यू.के.	"राज के दौरान भारतीय महिलाएं" पुस्तक के संबंध में	5–14 सितंबर 1997
श्री काजिम अली खान सदस्य, रामपुर राजा पुस्तकालय, रामपुर हाउस 19-बी फ्रेंड्स कालोनी (पश्चिम) नई दिल्ली	तुर्की और उज्बेकिस्तान	तुर्की में भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाने के संबंध में रामपुर राजा पुस्तकालय से तुर्किश पांडुलिपियों की छाया प्रकृतियों की भेंट करने हेतु	7 सितंबर-12 अक्तूबर 1997
सुश्री गोमी सरोज पाल ए 32, तारा अपार्टमेंट्स अलकनदा नई दिल्ली	अमेरिका	मिल्स कॉलेज, ऑकलैंड द्वारा आयोजित प्रदर्शनी "भारत की महिला कलाकार-स्वतंत्रता का उत्सव" में भाग लेने हेतु	7 सितंबर-6 अक्तूबर 1997
प्रो. पी. भाटिया इतिहास विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली	जर्मनी	"अजमेर राजस्थान में पाए गए हेपथालाइट ससानियन और इंडो-ससानियन सिक्के" पर आयोजित गोष्ठी में भाग लेने हेतु	7–12 सितंबर 1997
ललिता लाजमी चित्रकार मुंबई	अमेरिका	भारतीय महिला चित्रकारों की कला प्रदर्शनी के ग्रुप शो में भाग लने हेतु	9 सितंबर-2 नवंबर 1997

1	2	3	4	5
55.	डॉ. (श्रीमती) शारदा श्रीनिवासन, होमी भाभा अनुसंधान अध्येता धातु विभाग, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	अमेरिका	हारवर्ड विश्वविद्यालय में "प्राचीन काल में धातु" सम्मेलन में भाग लेने हेतु	10-13 सितंबर 1997
56.	सुश्री प्रेमलता पुरी फ्लैट नं. 4, त्रिवेणी कला संगम, 205 तानसेन मार्ग नई दिल्ली	अमेरिका	कोलंबिया अंतरविषयी कला कॉलेज और शैक्षणिक अध्ययन विभाग के स्नातक कार्यक्रमों में काम करने और सिएटल में व्याख्यान-सहित-प्रदर्शन देने हेतु	14 सितंबर-20 नवंबर 1997
57.	सुश्री अनुपम सूद 3 डी, कड़कड़डूमा दिल्ली	यू.के.	स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्टस लंदन मे मानद अनुसंधान सहायतावृत्ति में भाग लेने हेतु	20 सितंबर-15 सितंबर 1997
58.	डॉ. सुरेश के. श्रीवास्तव रीडर इतिहास विभाग हंसराज कॉलेज दिल्ली	अमेरिका	न्यू ओरलियन्स, अमेरिका में मौखिक इतिहास संगठन के सम्मेलन में भाग लेने हेतु	25-28 अक्तूबर 1997
59.	प्रो. वरयम सिंह 1318 पूर्वांचल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	किर्गीजस्तान	किर्गीज गणराज्य में "मानस" के हिंदी अनुवाद के विमोचन समारोह में भाग लेने हेतु	2-12 अक्तूबर 1997
60.	श्रीमती प्रकाशवती पाल यशपाल निवास बी 335, महानगर गोल मार्केट लखनऊ	कनाडा	गांधी जी पर व्याख्यान दौरा और कॉनकॉर्डिया विश्वविद्यालय मांट्रियल में "भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका और भागेदारी" पर व्याख्यान देने हेतु	15 अक्तूबर-6 नवम्बर 1997
61.	श्री एन. पट्टाभी रमन मुख्य संपादक "श्रुति" अल्पना 276-बी जे.जे. रोड, चेन्नई	कनाडा	"भारतीय शास्त्रीय नृत्य की समालोचना" पर आयोजित गोष्ठी में भाग लेने हेतु	17-19 अक्तूबर 1997
62.	प्रो. रोमिला थापर 23बी, रोड महारानी बाग नई दिल्ली	दक्षिण अफ्रीका	आधुनिक भारतीय इतिहास पर व्याख्यान दौरा	21 अक्तूबर-8 नवम्बर 1997

1	2	3	4	5
63.	श्री निर्मल कांति भट्टाचार्य, क्षेत्रीय सचिव साहित्य अकादेमी कलकत्ता	यू.के.	"सार्क देशों के साहित्य के अविभाज्य इतिहास की ओर" परियोजना के संबंध में इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी और ब्रिटिश म्यूजियम से परामर्श करना	21 अक्तूबर-3 दिसंबर 1997
64-65.	सुश्री प्रमिता मलिक रवीन्द्र संगीत विशेषज्ञ 25 सी, मोहिनी मोहन रोड कलकत्ता श्री श्रीकुमार बनर्जी सरोद वादक कलकत्ता	यू.के.	व्याख्यान-सहित-प्रदर्शन हेतु	24 अक्तूबर-24 नवंबर 1997
66-68.	स्पंदन थियेटर के 3 प्रतिभागी सुश्री बसवाराज जयश्री सुश्री शिल्पा आनंद राव श्री मैसूर नरसिम्हैया पद्मनाभन	यू.के.	थियेटर वर्कशाप, एडिनबर्ग के सहयोग से एक भारतीय नाटक के पूर्वाभ्यास व प्रस्तुति में भाग लेना	26 अक्तूबर-24 दिसंबर 1997
69.	श्री मणि शंकर अय्यर राजीव गांधी फाउंडेशन नई दिल्ली	यू.के. और अमेरिका	व्याख्यान श्रृंखला	1-17 नवंबर 1997
70.	डॉ. (श्रीमती) एस.ए.के. दुर्गा निदेशक नृजाति संगीतशास्त्र (एथनोम्यूजिकॉलजि) केंद्र श्याम मनोहर वृंदावन स्ट्रीट चेन्नई	यू.के.	एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, यू.के. के संगीत संकाय और दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र में ब्रिटिश नृजाति संगीत शास्त्र मंच द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में भाग लेने और निबंध प्रस्तुत करने हेतु	1 नवंबर 1997
71.	श्री गौतम कौल मानद सचिव दिल्ली सिम्फनी सोसायटी सी-1/22, हुमायूं का मकबरा, नई दिल्ली	जापान	एशियाई आर्केस्ट्रा पर आयोजित तीन दिवसीय गोष्ठी में भाग लेने हेतु	2-16 नवंबर 1997
72-73.	2-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल श्री अब्दुल माजीद उदयपुर (राजस्थान) श्रीमती रशीदा बानू उदयपुर (राजस्थान)	चीन	चीन-गुइझाउ अंतर्राष्ट्रीय बाटिक शैक्षणिक परिचर्चा और बाटिक कार्य की प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु	14-20 नवंबर 1997

1	2	3	4	5
74.	श्री तुर्लप्ति कुटुम्ब राव प्रख्यात पत्रकार विजयवाड़ा	मॉरीशस	मॉरीशस विश्वविद्यालय में "वैश्विक समाज में समाचार रिपोर्ताज" पर गोष्ठी और "भारत में मीडिया टेलीविजन और फिल्में" विषय पर गोलमेज परिचर्चा में भाग लेने हेतु	25 नवंबर- 2 दिसंबर 1997
75.	प्रो. विजय गुप्ता अध्यक्ष, अफ्रीकी अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली	दक्षिण अफ्रीका	30 नवंबर 1997 को दिये गए द्वितीय डॉ. यूसुफ दादू स्मृति व्याख्यान में भाग लेने हेतु	27 नवंबर- 3 दिसंबर 1997
76.	सुश्री नयनतारा सहगल 181 बी, राजपुर रोड देहरादून	यू.के.	ग्रेशम कॉलेज, लंदन में व्याख्यान देने हेतु	1 दिसंबर 1997
77.	कारी मोहम्मद साजिद मदरसा आलिया के इमाम फतेहपुरी, दिल्ली	मलेशिया	39वें अंतर्राष्ट्रीय कुरान वाचक सभा में भाग लेने हेतु	10-16 दिसंबर 1997
78.	प्रो. एस. सिराजुद्दीन अंग्रेजी के प्रोफेसर उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद	यू.के.	मिर्जा गालिब के द्वि-शताब्दी समारोह में भाग लेने हेतु	14-21 दिसंबर 1997
79.	डॉ. एस.आर. भट्ट दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली	अमेरिका	हवाई विश्वविद्यालय, होनोलुलु में एशियाई और तुलनात्मक दर्शन पर आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन में भाग लेने और निबंध प्रस्तुत करने हेतु	5-9 जनवरी 1998
80.	श्री वसंत चौधरी कवि/अनुसंधानकर्ता कलकत्ता	म्यानमार	"अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था: दक्षिण एशिया के कुछ देशों का ऐतिहासिक और समकालीन अध्ययन" पर एशियाई अध्ययन विश्वविद्यालय, यांगोन द्वारा आयोजित सम्मेलन में "अराकान के सिक्के" विषय पर निबंध प्रस्तुत करने हेतु	10-12 जनवरी 1998
81.	श्री चिदानंद दासगुप्ता प्रख्यात नाटककार कलकत्ता	यू.के.	द्वारकानाथ टैगोर के जीवन और उनके समय पर अनुसंधान के संबंध में	जनवरी 1998
82.	श्री धर्मवीर गहलोत स्वतंत्र पत्रकार हरियाणा	इस्रायल	किब्बुत्ज और माशव समुदायों के रीतिरिवाजों के समकालीन अध्ययन पर आधारित अनुसंधान परियोजना के संबंध में	फरवरी 1998

1	2	3	4	5
83-84.	2-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल श्री अमिताभ चौधुरी कलकत्ता, श्री पवित्र सरकार कलकत्ता	एंडोनेशिया	रवीन्द्रनाथ टैगोर पर आयोजित गोष्ठी में भाग लेने हेतु	16-17 फरवरी 1998
85.	प्रो. हरीश त्रिवेदी प्रोफेसर तथा अध्यक्ष अंग्रेजी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली	यू.के.	भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाने हेतु एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित गोष्ठी श्रृंखला में भाग लेने हेतु	3-21 मार्च 1998
			50वीं वर्षगांठ समारोह	
1-2.	श्री नरेंद्र कुमार अध्यक्ष भारतीय प्रकाशक संघ 18/1-सी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, निकट जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर नई दिल्ली श्री शक्ति मलिक मानद महासचिव भारतीय प्रकाशक संघ	यू.के.	प्रदर्शनी में भाग लेने तथा लंदन में आयोजित भारतीय पुस्तक मेले में सहयोग करने हेतु	7-14 जुलाई 1997
3-4.	श्री गुलाम अहमद जान काठमौदान आलमगरी बाजार, श्रीनगर श्री एस. राजन राजन इंडस्ट्रिज, 107 एस.डब्ल्यू.एम. मेन रोड बाबूराजपुरम पंचायत थिम्माकुड्डी	यू.के.	ऑक्सफोर्ड में "कला का क्रिया व्यापार" महोत्सव में भाग लेने हेतु	17-20 जुलाई 1997
5-7.	श्री मो. रिजवान अंसारी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली सुश्री सी. उषा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली श्री बत्तीलाल बैरवा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली	क्यूबा	क्यूबा की राष्ट्रीय उपक्रमात्मक समिति द्वारा आयोजित 14वें विश्व युवा एवं छात्र महोत्सव में भाग लेने हेतु	28 जुलाई-5 अगस्त 1997

1	2	3	4	5
8-12.	कुंवर बहादुर कवितायन 2 जी-51 नेहरू नगर गाजियाबाद (उ.प्र.) श्री बालकवि बैरागी 19, शिक्षक नगर नीमच, पोस्ट-मनरा म.प्र. डॉ. रामदरश मिश्र आर-38, वाणी नगर उत्तम नगर, नई दिल्ली प्रो. वाचस्पति उपाध्याय कुलपति लाल बहादुर शास्त्री भारतीय विद्यापीठ नई दिल्ली श्री शीन कौज निजाम कबूतरों का चौक जोधपुर (राजस्थान)	यू.के.	लंदन में भारतीय भाषाओं पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने हेतु	11-14 सितंबर 1997
13-14.	श्री कालीचरण गुप्ता गांव-गढ़ी, नई दिल्ली श्री जगदीश चंदर गांव-गढ़ी, नई दिल्ली	रूस	आर्तैतान गैलरी, व्लादीवोस्तोक द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु	17 सितंबर-7 अक्तूबर 1997
15.	प्रो. कैलाश वाजपेयी हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली	कनाडा	टोरंटो विश्वविद्यालय द्वारा "वास्तविकताओं की पूर्णता: दक्षिण एशियाई साहित्य के पचास वर्ष" विषय पर आयोजित सम्मेलन में भाग लेने और शोध-पत्र प्रस्तुत करने हेतु	19-21 सितंबर 1997
16-20.	श्री के.सी. पंत पूर्व रक्षा मंत्री 20 एल, ब्लाक, केंद्रीय सचिवालय, नई दिल्ली सुश्री नीरजा चौधुरी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली श्री के.पी. सक्सेना 16, समाचार अपार्टमेंट्स मयूर विहार फेज-1 दिल्ली	अमेरिका	वाशिंगटन में "भारतीय लोकतंत्र के पचास वर्ष" पर आयोजित सम्मेलन में भाग लेने हेतु	24-27 सितंबर 1997

2	3	4	5
श्री अशोक नंदी 29 राजपुर रोड दिल्ली श्री मुचकुंद दुबे फ्लैट 5 डी. गिरधर अपार्टमेंट्स 28 फिरोजशाह रोड नई दिल्ली			
श्री सी.ए. मेनन अध्यक्ष गांधी स्मारक निधि 4, राजघाट, नई दिल्ली	किर्गीजस्तान	बिशकेक विश्वविद्यालय के गांधी अध्ययन केंद्र में "सहिष्णुता संबंधी गांधी का दर्शन और उसकी प्रासंगिकता" पर आयोजित सम्मेलन में भाग लेने हेतु	26 सितंबर-3 अक्तूबर 1997
श्री जे.एन. दीक्षित पूर्व विदेश सचिव नई दिल्ली	यू.के.	"भारत की बिदेश नीति का उद्‌भव और विश्व शांति में उसकी योगदान" विषय पर लंदन में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने हेतु	1-5 अक्तूबर 1997
डॉ. रामजी सिंह निदेशक गांधी अध्ययन संस्थान वाराणसी प्रो. के.डी. गंगरादे 156, वैशाली नई दिल्ली	केन्या	"महात्मा गांधी" पर आयोजित एक संगोष्ठी में भाग लेने हेतु	2-7 अक्तूबर 1997
डॉ प्रमोद कुमार मिश्र रीडर, राजनीति शास्त्र रामलाल आनंद कालेज दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली	रूस	सुदूर पूर्व राजकीय विश्वविद्यालय के प्राच्य संस्थान द्वारा भवन की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर "भारतीय दार्शनिकों की कृतियों और आधुनिक क्रियाकलापों में अन्तरात्मा की समस्या" पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद में भाग लेने हेतु	4-10 अक्तूबर 1997
श्री सबितेन्द्रनाथ राय प्रतिनिधि प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता गिल्ड, 5 ए भवानी दत्ता लेन कलकत्ता	जर्मनी	फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेले में भाग लेने हेतु	13-28 अक्तूबर 1997

1	2	3	4	5
27-34.	कलाकारों/संग्रहाध्यक्षों का 8-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल श्री आर. शिव कुमार कलकत्ता श्री जोगेन चौधुरी कलकत्ता सुश्री जयश्री चक्रवर्ती कलकत्ता श्रीमती राखी सरकार कलकत्ता श्री पी.बी. सरकार कलकत्ता श्रीमती अर्पिता सिंह नई दिल्ली श्री मनजीत बाबा नई दिल्ली श्री सुदर्शन शेट्टी मुंबई	सिंगापुर	सिंगापुर कला संग्रहालय में "नियति से पूर्वनिश्चित मिलन-आधुनिक भारत की कला-1947-97" विषय पर आयोजित एक प्रमुख प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु।	23 अक्तूबर-नवंबर 1997
35-39.	साहित्य अकादेमी का भारतीय लेखकों का 5-सदस्यीय दल	स्वीडन	स्वीडिश लेखकों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों से परिचर्चा करने तथा विभिन्न साहित्यिक अकादमियों, प्रकाशन गृहों, पुस्तकालयों आदि को देखने हेतु	अक्तूबर 1997
40.	प्रो. यू.आर. राव पूर्व सचिव (अंतरिक्ष) एवं अध्यक्ष, इसरो अंतरिक्ष विभाग अंतरिक्ष भवन न्यू बेलरोड बंगलौर	जर्मनी	स्वर्ण जयंती व्याख्यान देने हेतु	1-5 दिसंबर 1997
41.	श्री असगर अली इंजीनियर प्रख्यात भारतीय चिंतक एवं सामाजिक कार्यकर्ता	उज्बेकिस्तान	भारतीय धर्मनिरपेक्षता पर व्याख्यान देने हेतु	24-28 सितंबर 1997
42.	सुश्री अंजलि इला मेनन 8, श्रॉफ अपार्टमेंट्स 2, निजामुद्दीन ईस्ट नई दिल्ली	हांगकांग	सात प्रसिद्ध समकालनी भारतीय कलाकारों की चित्र प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु	17-24 जनवरी 1998

1	2	3	4	5
43.	सुश्री क्रिस्टीन माइकल सेरेमिक कलाकार गढ़ी स्टूडियो नई दिल्ली	अमेरिका	अमेरिका में आवासी कलाकार के रूप में क्ले स्टूडियो, फिलाडेल्फिया में व्याख्यान देने हेतु	23 जनवरी— 30 अप्रैल 1998
44.	डॉ. ए.एम. खुसरो प्रख्यात भारतीय अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक विचारक	उज्बेकिस्तान	भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में भारत के आर्थिक विकास के संपूर्ण ढ़ांचे के अंतर्गत भारत के आर्थिक सुधारों की दिशा पर व्याख्यान देने हेतु	25-30 जनवरी 1998
45-47.	डॉ. सुशीला नायर प्रख्यात गांधीविद् सेवाग्राम जिला वर्धा	दक्षिण अफ्रीका	महात्मा गांधी के बलिदान की 50वीं वर्षगांठ के संबंध में लोगों, संस्थाओं व कार्यकर्त्ताओं से चर्चा करने और गांधीजी व दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्ष से संबंधित दस्तावेज और स्रोत सामग्री एकत्रित करने हेतु	29 जनवरी- 13 फरवरी 1998
	डॉ. ए.पी. जैन व्यक्तिगत चिकित्सकीय अनुरक्षक डॉ. हरि देव शर्मा नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय			
48-49.	प्रो. बैरिस्टर पाकेम कुलपति नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग मेघालय प्रो. (सुश्री) ए.एस. देसाई अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली	मलेशिया	मलेशियाई सामरिक अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित एशिया यूरोप विश्वविद्यालय गोष्ठी में भाग लेने हेतु	17-19 मार्च 1998
50.	सुश्री मृणालिनी मुखर्जी मूर्तिकार दिल्ली	स्वीडन	गोथेनबर्ग में आयोजित समकालीन भारतीय कला प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु	25 मार्च - 2 अप्रैल 1998
51.	श्री विवेक मल्होत्रा परियोजना सलाहकार संस्कृति	अमेरिका और यू.के.	भारत के एक कला प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान के लिए कार्य सूची तथा पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाने, परिभाषित करने तथा उसे तैयार करने के लिए अपने प्रतिपक्षियों से मिलने हेतु	28 मार्च—8 मई 1998

1	2	3	4	5
52-53.	श्रीमती विजयलक्ष्मी नागराज अध्यक्ष ए.डब्ल्यू.आई.सी. 1998 कांग्रेस प्रचार समिति भारतीय बी.बी.वाई. श्रीमती कुसुमलता सिंह सदस्य, ए.डब्ल्यू.आई.सी. की कार्यकारी समिति भारतीय बी.बी.वाई.	इटली	बोलोन्या अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक मेले में भाग लेने हेतु	28 मार्च—6 अप्रैल 1998

अप्रैल, 1999-मार्च, 2000 की अवधि के दौरान बाहर जाने वाले व्यक्ति

क्र.सं.	जाने वाले का नाम	देश	उद्देश्य	अवधि
1	2	3	4	5
1.	श्री अमरनाथ वीड कलाकार	थाईलैंड	कल्चरल रोड परियोजना में भाग लेने के लिए : राष्ट्रीय सांस्कृतिक आयोग द्वारा आयोजित दी शो केस ऑफ लोकल विजडम	25.3.99-5.4.1999
2.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा, प्रबंधक, व दुभाषिया	-वही-	-वही-	
3.	श्री बोध सिंह वीड कलाकार	-वही-	-वही-	
4.	श्री शान्ति स्वरूप	-वही-	-वही-	
5.	प्रो. जफर इमाम प्राध्यापक, सोवियत/सी.आई.एस. अध्ययन, अन्तरराष्ट्रीय अध्ययन विद्यालय, जे.एन.यू., नई दिल्ली	बंगलादेश	ढाका और चटगांव विश्वविद्यालयों में व्याख्यान और संगोष्ठी यात्रा	5-22.4.99
6.	श्री पुलक दत्त, (चित्रकार) प्रसिद्ध कलाकार, शान्ति निकेतन, पश्चिम बंगाल	श्रीलंका	जार्ज केट के जन्म वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए	15-20.4.99
7.	प्रो. विनोद एस. दुबे अंग्रेजी विभाग, भागलपुर विश्वविद्यालय, बिहार	सिंगापुर	सीमियो रिक (दक्षिण पूर्व एशिया शिक्षा मंत्री संगठन क्षेत्रीय भाषा केन्द्र) में भाग लेने और अपना दस्तावेज प्रस्तुत करने	19-21.4.99

1	2	3	4	5
8.	प्रो. केदार नाथ मिश्रा सेवानिवृत्त (प्राध्यापक, दर्शनशास्त्र) विभाग, बी.एच.यू. वाराणसी)	इजरायल	तेल अबीब और हैब्रू विश्वविद्यालय, इजरायल में व्याख्यान देने और संगोष्ठी में भाग लेने के लिए	29.4.99-30.5.1999
9.	सुश्री लिपि विश्वास शान्ति निकेतन, पश्चिम बंगाल	मलेशिया	भाषा साहित्य और संस्कृति से संबद्ध पुत्रा विश्वविद्यालय मलेशिया द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन : अंतर साहित्य और संस्कृति : नयी सहस्त्राब्दि में अंत: संबंध पर सम्मेलन में भाग लेने के लिए	8-14.5.99
10.	सुश्री सोनाली नाग अरूल मणी	-वही-	-वही-	
11.	डा. विद्या निवास मिश्र संस्कृत विद्वान, वाराणसी	अमरीका	कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, शांताक्रुज, अमरीका द्वारा आयोजित "शरीरा", आस्पेक्ट ऑफ इम्बोडिमेन्ट इन इंडियन आर्टस एंड कल्चर्स नामक थीम से संबद्ध एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए	14-16.5.99
12.	श्री संदीप रे, फिल्म निर्माता, कलकत्ता	-वही-	-वही-	
13.	श्रीमती पुर्णिमा चौधरी ठुमरी कलाकार, वाराणसी	-वही-	-वही-	
14.	सुश्री माधुरी संतानम सौंधी भूतपूर्व फैलो, भारतीव दर्शन शोध परिषद, बंगलौर	-वही-	सेंट लुई मिशौरी अमरीका में आयोजित इंटरनेशनल सोसायटी फॉर दी कम्पेरेटिव स्टडीज ऑफ सिविलाईजेशंस के अट्ठाइसवें वार्षिक अधिवेशन द्वारा आयोजित "गांधी और मलिक", नॉन वायलेंस और अब्सटेंशन ऐज इथिकल स्ट्रेटजीज फार ए पीसफुल वर्ल्ड" पर एक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए	16.5.99-2.8.99
15.	सुश्री लतीका कट्ट मूर्तिकार, नयी दिल्ली	आस्ट्रेलिया	कला संस्थान कैनबरा, आर्ट आस्ट्रेलियन स्कूल, कैनबरा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने/कार्यशाला लगाने और अपने कार्यों का प्रदर्शन करने	18.5.99-30.6.99

1	2	3	4	5
16.	डा. (सुश्री) शैल मायाराम विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर	इजरायल	जेरूसलम में आयोजित नरेटिव कविता और दृश्य कला में प्रक्रियाओं में मॉडलों के निर्माण से संबंधित समस्याओं के लिए कार्यशाला में भाग लेने	20-30.5.99
17.	प्रो. सच्चिदानन्द सहल प्राध्यापक और प्रमुख, प्राचीन इतिहास एवं एशियाई अध्ययन विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया बिहार	थाईलैंड	किंग चुलालौंककोंण की भारत यात्रा नामक परियोजना पर कार्य करने के लिए	20.5.99-20.6.99
18.	श्री सुशील कुमार कलाकार, दिल्ली	पोलैंड	बियूरो विस्ताव आर्स्टिसटिकनिक (दी ब्यूरो ऑफ आर्टिस्टिक एक्जीवीसन) ग्रोडका गैलरी ल्यूबलीन द्वारा आयोजित की जा रही इंटरनेशनल परफॉरमेंस आर्टस फेस्टिवल न्यू फेसेस एंड आर्टस इन एशिया में भाग लेने के लिए	25-29.5.99
19.	श्रीमती मायाकृष्ण राव प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना नई दिल्ली	यू.के.	"डिपार्ट" फॉर लिफ्ट (लंदन इंटरनेशनल फेस्टिवल और थियेटर) में रिहर्सल करने और कार्यक्रम पेश करने	29.5.99-6.6.99
20.	सुश्री नीता ठकोरे कलाकार, बदोदरा, गुजरात	फ्रांस	फ्रांस में "क्यूटेन सूढ" (कियूल्ट इन साऊथ) नामक इंटरनेशनल फ्रेंच पैचवर्क इक्जीवीसन में भाग लेने के लिए	2-5.6.99
21.	सुश्री जसलीन धमीजा, नई दिल्ली	मलेशिया	कुचिंग सरावक में अटेलियर सरावक सोसायटी द्वारा आयोजित इंटरनेशनल इकेट वीविंग फोरम में भाग लेने के लिए	11-16.6.99
22.	सुश्री वीणा राव हैदराबाद	-वही-	-वही-	
23.	श्री वी.आर. भर्गव भूतपूर्व उप सचिव, संगीत नाटक अकादमी (नाटक) नई दिल्ली	जर्मनी	इस्सेन, जर्मनी में फॉक वांग होचच्यूले अकादमी में व्याख्यान देने के लिए	14.6.99

1	2	3	4	5
24.	प्रो. अनिल सरकार महासचिव, एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता	जर्मनी	हमबोल्ट विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दक्षिण एशिया में "फंडामेंटलिष्म् वर्सेस टोलरेंस" एंड न्यूक्लियर इसूज नामक दो मसलों पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए	17-19.6.99
25.	प्रो. एस.एम. माइकल निदेशक, भा.सां.सं., सामाजिक संस्कृति और धर्म शोध केन्द्र, मुम्बई	-वही-	-वही-	
26.	श्री सुरजीत पतर पंजाबी कवि, लुधियाना, पंजाब	कोलम्बिया	मेडेलीन में आयोजित नौवें अन्तर्राष्ट्रीय कविता महोत्सव में भाग लेने	18-26.6.99
27.	श्रीमती रूबी पाल चौधरी मानव महासचिव, पश्चिम बंगाल करघा परिषद, कलकत्ता	यू.के.	प्रेशले म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी में आयोजित "अनकट क्लॉथ एक्जीबीशन एंड एजुकेशन प्रोग्राम" में भाग लेने	19.6.99-20.10.99
28.	श्री विजय कौशिक स्टेंड गलास कलाकार, दिल्ली	हंगरी	हंगरी के प्रसिद्ध कलाकार और रेस्टोरर श्री लेस्जलो हाफ्टर के साथ कार्य करने और रविन्द्र नाथ टैगोर पर स्लाइड प्रदर्शनियों, व्याख्यानों में भाग लेने	30.6.99-30.8.99
29.	डा. मौ. नवाज खान प्रसिद्ध नाटिया कवि, सहारनपुर उ.प्र.	मारीशस	इस्लामिक सांस्कृतिक केन्द्र मारीशस द्वारा आयोजित ईद ए मिलाद समारोह के अवसर पर	30.6.99-10.7.99
30.	डा. बसन्त जी गदरे स्पेनिश अध्ययन केन्द्र में प्राध्यापक जे.एन.यू., नई दिल्ली	स्पेन	मैड्रिड विश्वविद्यालय में "भारत में विविधता में एकता" पर व्याख्यान देने	3-12.7.99
31.	सुश्री सेजल क्षीरसागर कलाकार, द्वारा राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी, मुम्बई	श्रीलंका	जार्ज केट फाउन्डेशन द्वारा आयोजित तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय कलाकार शिविर में भाग लेने	5-15.7.99
32.	सुश्री अनिता दुबे, कलाकार, नई दिल्ली	अमरीका	चौदहवें लॉस एंजिलस अन्तर्राष्ट्रीय द्विवार्षिक कला अंतर्राष्ट्रीय के एक भाग के रूप में समकालीन भारतीय कला पर एक प्रदर्शनी की अध्यक्षता करने	10.7.99-21.8.99
33.	सुश्री पुष्पमाला एन. कलाकार, बंगलौर	अमरीका	-वही-	

1	2	3	4	5
34.	श्री जतीन दास पेन्टर, नई दिल्ली	इजरायल/मिस्र	प्रसिद्ध कलाकार श्री मेनासे कादिसमन के साथ एक संयुक्त कलाकार कार्यशाला के लिए काम करने तथा मौलाना आजाद भारतीय संस्कृति केन्द्र काहिरा में व्याख्यान देने	28.7.99-24.8.99
35.	श्री एन.एस. हर्ष कलाकार, बंगलौर	आस्ट्रेलिया	"एशिया पैसेफिक ट्रेनेल ऑफ कन्टेम्प्रेरी आर्ट" में भाग लेने	3.8.99-10.11.99
36.	प्रो. सोमदत्त बट्टू संगीतशास्त्री, गुड़गांव	केन्या	"कैन्या संगीत महोत्सव" में निर्णायक की भूमिका निभाने	5-10.8.99
37.	श्री नन्द कुमार नायर कथकली कलाकार, त्रिवेन्द्रम केरल	पोलैंड	तांडव और लौज विश्वविद्यालय के नाटक और थियेटर विभाग द्वारा आयोजित व्याख्यान व कार्यशाला में भाग लेने	18.8-21.9.99
38.	श्री एच.के. कौल निदेशक, दिल्ली पुस्तकालय नेटवर्क, नई दिल्ली	थाईलैंड	पैंसठवें इन्टरनेशनल फेडरेनश ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन (आई. एफ.एल.ए.) काउंसिल कान्फ्रेंस में भाग लेने के लिए	20-28.10.99
39.	श्री के.एल. नन्दन लेखक (हिन्दी) नई दिल्ली	हंगरी/जर्मनी /यू.के.	अमृता शेरगील पर अपनी पुस्तक का हंगेरियन और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने, "फ्रंकफर्ट में इंडीसचेस कल्वरीनस्टीटूट" में व्याख्यान देने और लंदन में आयोजित छठे विश्व हिन्दी सम्मेलन में भाग लेने	28.8.99-19.9.99
40.	प्रो. अनुराधा कपूर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली	अमरीका	कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय बरकले की सेंटर फॉर साऊथ एशियन स्टडीज, डिपार्टमेंट औफ ड्रामेटिक आर्ट्स एंड साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज में व्याख्यान देने	5-8.9.99
41.	प्रो. के.एन. पंडिता जवाहर नगर, जम्मू	ताजिकिस्तान	समानिद राज्य की 1100वीं वर्षगांठ में भाग लेने	6-11.9.99

1	2	3	4	5
42.	प्रो. एस.ए.एच. अबीदी पर्सियन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय	ताजिकिस्तान	समानिद राज्य की 1100वीं वर्षगांठ में भाग लेने	
43.	प्रो. ए.के. मौर्य निदेशक, भारत-रूसी शिक्षा केन्द्र दिल्ली विश्वविद्यालय	रूस	यासनाया पॉलयाना लेखकों की वार्षिक बैठक में भाग लेने और "एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ" टॉलस्टाय, गांधी और मॉडर्न इंडियन लिटररी हिरोज पर एक लेख प्रस्तुत करने	8-12.9.99
44.	सुश्री अपर्णा कौर चित्रकार, नई दिल्ली	अमरीका	बॉस पेशिया माडर्न गैलेरी में अपने एकल प्रदर्शन के लिए न्यूयार्क की यात्रा करने	13-23.9.99
45.	श्री मृणाल सेन फिल्म निदेशक और राज्य सभा सदस्य नई दिल्ली	जर्मनी	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र बर्लिन के सहयोग से फ्रेंडर डयूटसेन कीनेमैथेक द्वारा आयोजित मृणाल सेन का रेट्रोस्पेक्टिव के अवसर पर	28.9.99-5.10.99
46.	श्री करतार सिंह दुग्गल प्रसिद्ध विद्वान और राज्य सभा सदस्य नई दिल्ली	अमरीका	खालसा पंथ के निर्माण की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर विभिन्न अजायबघरों/विश्वविद्यालयों में व्याख्यानमाला के लिए	29.9.99-25.10.99 25.10.99
47.	सुश्री निस्ता जैन फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र	-वही-	शिकागो फिल्म महोत्सव संस्थान, में शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और श्रीमती जैन की पुरस्कार विजेता डिप्लोमा फिल्म "जैम इनवैलिड" के दिखाये जाने में भाग लेने	6-21.10.99
48.	डा. श्रीमती इंदुजी अवस्थी, विद्वान, नई दिल्ली	मलेशिया	अन्तर्राष्ट्रीय तमिल शोध संघ, भारतीय अध्ययन विभाग, मलेय विश्वविद्यालय, द्वारा रामायण और महाभारत पर आयोजित प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन/संगोष्ठी में भाग लेने और अपना लेख प्रस्तुत करने	21-24.10.99
49.	श्री ए.वी. सुब्रमण्यम विद्वान, चेन्नई	-वही-	-वही-	

1	2	3	4	5
50.	सुश्री सरयू दोसी, मानद निदेशक, एन.जी.एम.ए, मुम्बई	न्यूयार्क	"बच्चों की शिक्षा में कला की भूमिका" से सम्बद्ध सम्मेलन में भाग लेने और व्याख्यान देने	11-13.11.99
51.	डा. मादवन पलत मानद कौंसलर, आई.जी.एन.सी.ए., नई दिल्ली	आस्ट्रिया	भारत आस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित पिछले पचास वर्षों की राजनीतिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समीक्षा पर एक संगोष्ठी में भाग लेने	21-24.11.99
52.	डा. ब्रह्मा चेलानी नीति शोध केन्द्र, नई दिल्ली	-वही-	-वही-	
53.	प्रो. आर.के. जैन जे.एन.यू, नई दिल्ली	-वही-	-वही-	
54.	कारी मो. अब्दुल समद हैदराबाद	मलेशिया	क्वालालम्पुर में 41वें अंतर्राष्ट्रीय अलकुरान सभा में भाग लेने	23-28.11.99
55.	डा. मृदुल कीर्ति विद्वान, मेरठ, उ.प्र.	मियामी (अमरीका)	"तुलसीदास और उनके कार्य" पर एक सम्मेलन में भाग लेने	26-28.11.99
56.	श्री शेख सलेम अहमद नई दिल्ली	-वही-	-वही-	
57.	प्रो. अब्दुल कलाम कासमी उर्दू विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	म्यांमा	बहादुर शाह जफर की रचनाओं से संबंधित मुशायरा में भाग लेने	4-9.12.99
58.	श्री इकबाल सिद्दकी उर्दू कवि, लखनऊ	बंगलादेश	-वही-	
59.	डा. (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन अकादमिक निदेशक, आई.जी.एन.सी.एन., नई दिल्ली	बंगलादेश	ढाका में एशियाई थियेटर केन्द्र और भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित "नाट्योत्सव" संस्कृत थियेटर में भाग लेने	1-9.12.99
60.	श्री बी.वी. करांत थियेटर विशेषज्ञ	-वही-	-वही-	
61.	श्री एम.के. रैना थियेटर विशेषज्ञ	-वही-	-वही-	

1	2	3	4	5
62.	श्री बंशी कौल थियेटर विशेषज्ञ	बंगलादेश	ढाका में एशियाई थियेटर केन्द्र और भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित "नाट्योत्सव" संस्कृत थियेटर में भाग लेने	
63.	डा. रामगोपाल बजाज निदेशक, एन.एस.डी., नई दिल्ली	-वही-	-वही-	
64.	प्रो. वीरभद्र सिंह प्राध्यापक और प्रमुख, सिविल इंजीनियरिंग तकनीकी संस्थान, वाराणसी और संकट मोचन फाउंडेशन के अध्यक्ष	स्वीडन	गंगा कार्य योजना और शुद्ध गंगा योजना और एक विडियो फिल्म "वाराणसी महोत्सव" जो एक भारत विज्ञानी और कार्लस्टैड विश्वविद्यालय में इतिहास और धर्म के एसोसिएट प्राध्यापक डा. मार्क कट्ज द्वारा निर्मित है, पर व्याख्यान देने	25.12.99-9.1.2000
65.	श्री रघु राय प्रसिद्ध फोटोग्राफर	ढाका	एक फोटोग्राफिक संगोष्ठी और कार्यशाला में भाग लेने	10-15.2.2000
66.	डा. सत्यदेव त्रिपाठी	मारीशस	विश्व भोजपुरी सम्मेलन में भाग लेने	24.2.2000
67.	डा. प्रकाश उदय भोजपुर जिला			
68.	डा. अउनेश नीरन			
69.	श्रीमती मालिनी अवस्थी			

अप्रैल से अगस्त, 2000 तक की अवधि के दौरान विदेश गए व्यक्ति

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	देश	प्रयोजन	अवधि
1	2	3	4	5
1.	श्री राज मोहन गांधी	तेहरान	भारत और ईरान के बीच "सभ्यता के बीच वार्ता" पर सेमिनार की कार्य-सूची और विवरण को अन्तिम रूप देना	16-28 अप्रैल, 2000
2.	श्री जे.एन. दीक्षित (सेवा-निवृत्त)	काहिरा	नेशनल सेण्टर फॉर मिडल ईस्ट स्टडीज काहिरा और यूनाइटड सर्विसिज इंस्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित सेमिनार में भाग लेने	5-8 मई, 2000
3.	ले.जन. बी.के. नायर (सेवा-निवृत्त)			
4.	जे.जन. सतीश नाम्बियार (सेवा-निवृत्त)			
5.	मेजर जन. अफसर करीम (सेवा-निवृत्त)			
6.	रियर एड. के.आर. मेनन (सेवा-निवृत्त)			

1	2	3	4	5
7.	एअर कमो. एन.बी. सिंह (सेवा-निवृत्त)			
8.	तुरिन के लिए दो विद्वानों की यात्रा (क) सुश्री कौशल्या वाली (संस्कृत विद्वान) (ख) श्री समर दत्ता (संस्कृत विद्वान)	इटली	सी.ई.एस.एम.ई.ओ. इण्टरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड एशियन स्टडीज द्वारा आयोजित 11वें विश्व संस्कृत सम्मेलन में भाग लेने	3 से 8 अप्रैल, 2000
9.	श्री बहाउद्दीन डागर संगीतकार (रूद्रवीणा)	लन्दन	रायल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट, लन्दन में आयोजित स्कूल ऑफ साउण्ड में भाग लेने	12-15 अप्रैल, 2000
10.	श्री रणबीर सिंह उपाध्यक्ष, आई.पी.टी.ए.	पैरिस	मारसील्स में इण्टरनेशनल थियेटर एसोसिएशन की कांग्रेस में भाग लेने	14-21 मई, 2000
11.	श्री जे.एन. दीक्षित (सेवानिवृत्त भारतीय विदेश सेवा)	पोलैण्ड	21वीं शताब्दी के अवसर पर भारतीय विदेश सेवा और सुरक्षा अवधारणा पर भाषण देने	14-17 मई, 2000
12.	प्रो. देवेन्द्र कौशिक और डा. जयन्त कुमार राय विद्वान	त्रिनिडाड और टोबेगो	इण्डिया एराइवल डे की 155वीं वर्षगांठ के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टइण्डीज में व्याख्यान देने	19-31 मई, 2000
13.	डा. सत्यव्रत शास्त्री विद्वान सुश्री सुष्मिता बनर्जी कलाकार	हंगरी	सोलर डॉयनेस्टी और ओल्ड हंगेरियन ट्रेडीशन पर सम्मेलन में भाग लेने	2-4 जून, 2000
14.	डा. सुशील अहमद फारूख नाबखान	मारीशस	ईद-मिलाद-उन-नबी समारोहों में भाग लेने	14-28 जून, 2000
15.	डा. कैलाश वाजपेयी प्रसिद्ध कवि	कोलम्बिया	मेडिलिन में 10वें अन्तर्राष्ट्रीय उत्सव में भाग लेने	23 जून से 2 जुलाई, 2000
16.	डा. लोकेश चन्द्र	चीन	डुंग हुआंग स्टडीज पर 2000 अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने	27 जुलाई से 3 अगस्त, 2000
17.	दो शिल्पकार			
	(क) श्री जय प्रकाश (ख) श्री कालिंगा महाराणा	कनाडा	"इण्डिया-द लिविंग आर्ट्स" प्रदर्शनी में भाग लेने	19-31 जुलाई, 2000 2-14 अगस्त, 2000
18.	श्री जे.एन. दीक्षित (सेवा-निवृत्त भारतीय विदेश सेवा)	पोलैण्ड	21वीं शताब्दी के अवसर पर भारतीय विदेश नीति और सुरक्षा अवधारणा पर व्याख्यान देने	14-19 मई, 2000

विदेश यात्रा पर गए व्यक्ति (1998-99)

क्रमांक	अतिथि/प्रतिनिधिमंडल का नाम	देश	उद्देश	अवधि
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती मृणालिनी मुखर्जी सिंह चित्रकार, नयी दिल्ली	स्वीडन	गोटेनबर्ग में समकालीन भारतीय कला की प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए	25 मार्च-2 अप्रैल 98
2.	श्री सुनील दास चित्रकार, कलकत्ता	फ्रांस	गैलरी ग्रेवाल मोहनजीत में अपनी कृतियों के प्रदर्शन हेतु	31 मार्च-22 अप्रैल 98
3.	डा. आर.सी. अग्रवाल निदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नयी दिल्ली	उज्बेकिस्तान	उज्बेकिस्तान में इस्लाम पूर्व स्थल पर 'ज्वाइंट आरकियो-लॉजिकल एक्सकेवेशन प्रोजेक्ट' की संभावनाओं का पता लगाने	1-10 अप्रैल, 98
4.	श्री आर.के. वर्मा सहायक पुरातत्वविद् भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नयी दिल्ली	उज्बेकिस्तान	-उपर्युक्त-	-उपर्युक्त-
5.	डा. मनीषा टिकेकर प्रोफेसर राजनीति विज्ञान बम्बई विश्वविद्यालय मुम्बई	ब्रिटेन	स्वतंत्र भारत में सामाजिक व राजनीतिक प्रक्रियाओं पर ओहियो स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों और महा-विद्यालयों में वार्ता देने के लिए	4-20 अप्रैल, 98
6.	डा. सलेम जयलक्ष्मी कारनेटिक संगीतकार चेन्नई	दक्षिण अफ्रीका	डरबन में अंतर्राष्ट्रीय कारनेटिक संगीत सम्मेलन में भाग लेने के लिए	10-12 अप्रैल, 98
7.	प्रोफेसर एस. शनमुगा सुंदरम् प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय अद्यार, चेन्नई	दक्षिण अफ्रीका	-उपर्युक्त-	-उपर्युक्त-
8.	डा. रामचंद्र गुहा विद्वान बंगलौर	अमरीका	एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के दक्षिण एशिया संबंधी अध्ययन केंद्र में आयोजित व्याख्यान-श्रृंखला में भाग लेने के लिए	23 अप्रैल-6 मई 1998

1	2	3	4	5
9.	प्रोफेसर मरुयंक जी जोशी चित्रकार मुम्बई	फ्रांस	"भारतीय कला का मूल्यांकन" पर व्याख्यान देने और पेरिस व मारसिली में पर्सपेक्टिव एशियन स्थल पर अपने चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए	26 अप्रैल-15 मई 98
10.	श्री सुरेश छाबरिया निदेशक भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे	पुर्त्तगाल	भारतीय फिल्म महोत्सव में भाग लेने हेतु	28 अप्रैल-28 मई 98
11.	श्री अमरनाथ सहगल स्कल्पटर नयी दिल्ली	स्विटजरलैंड	"द कैप्टिव" स्कल्पचर प्रदान करने के लिए	24-29 अप्रैल, 98
12.	प्रोफेसर स्वप्न मजूमदार निदेशक (संस्कृति) रवीन्द्र भवन विश्व भारती शांतिनिकेतन	श्रीलंका	टैगोर जयंती पर भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र में टैगोर की कृतियों के कुछ पहलुओं पर व्याख्यान देने हेतु	5-9 मई, 98
13.	श्री बिरेन डे चित्रकार नयी दिल्ली	स्वीडन	स्टॉकहोम में आयोजित समकालीन भारतीय कला प्रदर्शनी के सिलसिले में	10-13 मई, 98
14-16.	तीन सदस्यीय दल श्री भूपतलाल पांढी जादूगर श्रीमती चंद्र पांढी सहायक जादूगर सुश्री प्रारूल पांढी सहायक सचिव	ब्रिटेन	लंदन में आयोजित सातवें विश्व बधिर जादूगर महोत्सव में भाग लेने हेतु	14-29 मई, 98
17.	प्रोफेसर एम.एल. सोंढी विशिष्ट शिक्षाशास्त्री नयी दिल्ली	अमरीका	वाशिंगटन डी.सी. के सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज और पेनसिलवेनिया विश्वविद्यालय के भारत संबंधी उच्च अध्ययन केन्द्र में विचार-विमर्श करने और व्याख्यान देने के लिए	मई-जून, 98
18-19.	श्रीमती व श्री सतीश गुजराल चित्रकार, नयी दिल्ली	आस्ट्रेलिया	सिडनी, मेलबोर्न में अपने चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए	जून-अगस्त, 98

1	2	3	4	5
20.	श्री सुनील गंगोपाध्याय लेखक कलकत्ता	ब्रिटेन	"लेखक से मिलिये" श्रृंखला के तहत नेहरू केन्द्र, लंदन में संबोधन हेतु	जून-जुलाई, 98
21.	श्री एस.के.एन. नायर नेशनल काउंसिल ऑफ एपलायड रिसर्च नयी दिल्ली	स्विटजरलैंड	जिनीवा में आधुनिक एशिया शोध केन्द्र द्वारा आयोजित "भारत में ससटेनेबुल ऊर्जा" संगोष्ठी में भाग लेने हेतु	8-9 जून, 98
22.	प्रोफेसर आर.आर. कृष्णन अध्यक्ष पूर्व एशिया अध्ययन केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नयी दिल्ली	कोरिया गणराज्य	भारत संबंधी अध्ययन के लिए गठित कोरियाई सोसाइटी द्वारा स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ के समारोहों के सिलसिले में आयोजित परिसंवाद "स्वतंत्रता के समय से भारत : 21वीं सदी की ओर" में भाग लेने के लिए	8-15 जून, 98
23.	श्री रमाकांत रथ कवि उड़ीसा	कोलम्बिया	मेडलिन, कोलम्बिया में आयोजित आठवें अंतर्राष्ट्रीय काव्य महोत्सव में भाग लेने हेतु	12-22 जून, 98
24.	श्री पार्थ नाथ मुखर्जी निदेशक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान मुम्बई	चीन	पेकिंग विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की शताब्दी समारोहों के स्मरणोत्सव पर आयोजित व्याख्यान-श्रंखला के लिए	14-20 जून, 98
25.	श्री नीरज गोस्वामी	फ्रांस	पेरिस में आयोजित प्रदर्शनियों की श्रृंखला में भाग लेने हेतु	15-30 जून, 98
26.	प्रोफेसर एस.आर. किदवई प्रोफेसर, उर्दू भारतीय भाषा केन्द्र भाषा विद्यालय जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय नयी दिल्ली	जर्मनी	हेडेलबर्ग विश्वविद्यालय स्थित दक्षिण एशिया संस्थान में गालिब पर व्याख्यान देने के लिए	15 जून-20 जुलाई, 98

1	2	3	4	5
27.	प्रोफेसर एस.पी. गांगुली अध्यक्ष स्पेनिश अध्ययन केन्द्र भाषा विद्यालय जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय नयी दिल्ली	अर्जेंटीना	व्याख्यानों व वार्ताओं की श्रृंखला में भाग लेने तथा शिक्षाविदों के साथ बैठक करने के लिए	22 जून-2 जुलाई, 98
28.	श्री एस.सी. मलिक व्यावसायिक शोध वैज्ञानिक, एंथ्रोपोलॉजी नेहरू स्मारक संग्रहालय व पुस्तकालय से संबद्ध	अमरीका	विलियम्सबर्ग, वर्जीनिया में आयोजित चौदहवें एंथ्रोपोलॉजी व इथनोलॉजी विज्ञान कांग्रेस में भाग लेने के लिए	25 जून-अगस्त, 98
29.	श्री मणि कौल फिल्म निदेशक मुम्बई	पुर्तगाल	भारतीय फिल्म महोत्सव में भाग लेने हेतु	30 जून-4 जुलाई, 98
30.	श्री सैयद अब्दुल अज़ीज़ जफ़र मस्जिद शाही ख्वाजा पीर नयी दिल्ली	मॉरीशस	पोर्ट लुई में इस्लामी सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा आयोजित पैगम्बर मुहम्मद जयंती समारोहों में भाग लेने हेतु	3-16 जुलाई, 98
31.	डा. एन.एस. प्रभु पूर्व प्रोफेसर भाषा विज्ञान बंगलौर विश्वविद्यालय बंगलौर	दक्षिण अफ्रीका	उत्तरी विश्वविद्यालय में दक्षिण अफ्रीकी भाषा विज्ञान संघ के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए	7-9 जुलाई, 98
32.	प्रोफेसर के. सुधा राव अध्यक्ष उच्च शिक्षा इकाई राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान नयी दिल्ली	आस्ट्रेलिया	सिडनी विश्वविद्यालय द्वारा "बदलते परिवेश: महिला और विश्वविद्यालय की संस्कृति" विषय पर आयोजित सम्मेलन में भाग लेने हेतु	9-19 जुलाई, 98
33.	डा. सुनील कोठारी नृत्य समीक्षक एवं विद्वान कलकत्ता	अमरीका	न्यूयार्क में नृत्य समीक्षक एसोसिएशन सम्मेलन में भाग लेने के लिए	11-13 जुलाई, 98
34.	श्री ए.एन. राम अवकाशप्राप्त राजनयिक नयी दिल्ली	केन्या	"भारत-केन्या संबंध-दृष्टि 2000" संगोष्ठी में भाग लेने के लिए	13-16 जुलाई, 98

	2	3	4	5
5.	श्री अमित मित्रा महासचिव फिक्की नयी दिल्ली	-वही-	-वही-	-वही-
6.	श्री मंगलेश डबराल कवि-लेखक नयी दिल्ली	मॉरीशस	हिंदी बोलने वाले संगठनों द्वारा आयोजित सप्ताह भर के सम्मेलन में भाग लेने हेतु	17-13 जुलाई, 98
7.	श्रीमती गगन गिल कवयित्री-लेखक नयी दिल्ली	-वही-	-वही-	-वही-
8.	डा. ए. करुणाकरण कुलपति तमिल विश्वविद्यालय थंजावुर	ब्रिटेन	यार्क विश्वविद्यालय में आयोजित 19वें दक्षिण एशियाई भाषा सम्मेलन में भाग लेने के लिए	18-20 जुलाई, 98
9.	डा. डी.पी. पटनायक अध्यक्ष भारतीय भाषा एवं विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर, उडीसा	-वही-	-वही-	-वही-
0.	श्री जयराजन अध्यक्ष फोकलैंड लोक एवं संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र त्रिवेंद्रम	जर्मनी	गॉटिंगन में आयोजित लोक वर्णनात्मक शोध अंतर्राष्ट्रीय सोसायटी के बारहवें कांग्रेस में भाग लेने के लिए	26-31 जुलाई, 98
11.	डॉ. प्रोफेसर लीला ओमचेरी संगीतकार दिल्ली	केन्या	नैरोबी में आयोजित वार्षिक केन्या संगीत समारोह में निर्णायक के रूप में भाग लेने के लिए	30 जुलाई- 4 अगस्त, 98
2.	प्रोफेसर ललन प्रसाद व्यास अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व साहित्य संस्कृति संस्थान नयी दिल्ली	त्रिनिडाड एवं टोबैगो	रामायण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने हेतु	31 जुलाई- 3 अगस्त, 98

1	2	3	4	5
43.	प्रोफेसर (श्रीमती) इंदिरा गोस्वामी दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली	-वही-	-वही-	-वही-
44.	डा. सतकारी मुखोपाध्याय समन्वयक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नयी दिल्ली	-वही-	-वही-	-वही-
45.	अवकाशप्राप्त जस्टिस श्री ए. अब्दुल हादी अद्यार, चेन्नई	श्रीलंका	श्रीलंका इस्लामी केन्द्र द्वारा मिलादे-उन-नबी समारोहों के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रमों में अतिथि वक्ता के रूप में व्याख्यान देने हेतु	5-13 अगस्त, 98
46.	प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र विद्वान वाराणसी	सूरीनाम	माता गौरी संस्थान द्वारा आयोजित तुलसीदास जयंती वार्षिक समारोहों में भाग लेने हेतु	6-8 अगस्त, 98
47.	प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री विद्वान कलकत्ता	-वही-	-वही-	-वही-
48.	डा. यशपाल जैन सदस्य सस्ता साहित्य मंडल नयी दिल्ली	-वही-	-वही-	-वही-
49.	श्रीमती अनंदा पाटनी द्वारा सस्ता साहित्य मंडल नयी दिल्ली	-वही-	-वही-	-वही-
50.	प्रोफेसर (डा.) लक्ष्मी नारायण दुबे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा एवं संस्कृति फाउंडेशन सागर (मध्य प्रदेश)	अमरीका	कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय वैदिक अध्ययन सम्मेलन में भाग लेने हेतु	7-9 अगस्त, 98

1	2	3	4	5
51.	डा. मदन एम. संखदर आई.पी.एस.ए. अध्ययन समूह दिल्ली	अमरीका	कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय वैदिक अध्ययन सम्मेलन में भाग लेने हेतु	7-9 अगस्त, 98
52.	प्रोफेसर आर. बालसुब्रमण्यम अध्यक्ष अफ्रीकी-एशियाई दर्शन संघ नयी दिल्ली	-वही-	-वही-	10-12 अगस्त, 98
53.	प्रोफेसर भुवन चंदेल सभ्यता अध्ययन केन्द्र नयी दिल्ली	-वही-	-वही-	-वही-
54.	प्रोफेसर प्रणव कुमार सेन कलकत्ता	-वही-	-वही-	-वही-
55.	डा. रमाकांत शर्मा अंगीरस संस्कृत विभाग पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़	-वही-	-वही-	-वही-
56.	श्रीमती निर्मला देशपांडे संसद सदस्य राज्य सभा	स्विटजरलैंड	"विश्व दार्शनिक सम्मेलन 98- विज्ञान, धर्म एवं दर्शन की दूसरी संसद" में भाग लेने हेतु	14-22 अगस्त, 98
57.	श्रीमती जयंती सेन कलकत्ता	जापान	सातवें अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन समारोह, हिरोशिमा-98 में भाग लेने हेतु	20-24 अगस्त, 98
58.	प्रोफेसर पुष्पा खन्ना नयी दिल्ली	अमरीका	न्यू ओर्लिएंस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संचार कला के 25वें रजत जयंती कांग्रेस में भाग लेने हेतु	30 अगस्त- 6 सितम्बर, 98
59.	श्री संजय धर केन्द्र निदेशक भारतीय राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति विरासत ट्रस्ट नयी दिल्ली	-वही-	हारवर्ड विश्वविद्यालय कला संग्रहालय के स्ट्रॉस संरक्षण केन्द्र में इन्फ्रारेड रिफ्लेक्टग्राफी पर लगी ग्रीष्मकालीन कार्यशाला में भाग लेने हेतु	अगस्त, 98

1	2	3	4	5
60.	श्री तपस सेन कलकत्ता	ब्रिटेन	ब्रैडफोर्ट, यू.के.-शोलाइट-93 में "फिल्म, टेलीविजन एंड थियेटर लाइटिंग कोलोक्विम" पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद में भाग लेने हेतु	1-9 सितम्बर, 98
61.	प्रोफेसर अब्दुल गफूर नूरानी संवैधानिक विधिवेत्ता मुम्बई	चेक गणराज्य	चार्ल्स विश्वविद्यालय, प्राग द्वारा "आधुनिक दक्षिण एशियाई अध्ययन" पर आयोजित 15वें यूरोपीय सम्मेलन में भाग लेने हेतु	8-12 सितम्बर 98
62.	श्री अशोक वाजपेयी कुलपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया. इटली, नीदरलैंड्स	साथी-कवियों से मिलने, साहित्यिक व कला संस्थानों को देखने और हिंदी के विद्वानों से सीधा सम्पर्क स्थापित करने हेतु	8-29 सितम्बर 98
63-65.	तीन हिंदी कवि श्री सोम ठाकुर, आगरा श्रीमती इंदु जैन, दिल्ली श्री हुल्लड़ मुरादाबादी मुरादाबाद	ब्रिटेन	कवि सम्मेलन में भाग लेने हेतु	11-13 सितम्बर 98
66.	श्री रुस्तम बरुचा विद्वान मुम्बई	इंडोनेशिया	अंतर्राष्ट्रीय कला सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय एशियाई इतिहासकार एसोसिएशन के सम्मेलन में भाग लेने हेतु	15-25 सितम्बर 98
67.	प्रोफेसर आनंद लाल रीडर, अंग्रेजी जादवपुर विश्वविद्यालय कलकत्ता	अमरीका	कनेक्टीकट विश्वविद्यालय में रवीन्द्रनाथ टैगोर पर आयोजित सम्मेलन में भाग लेने हेतु	18-20 सितम्बर 98
68-69.	श्री मोहम्मद सलीम पाशा वेज. डाई प्रिंटर श्रीमती जगंदा राजप्पा रिसोर्स पर्सन भारतीय क्राफ्ट परिषद् चेन्नई	थाइलैंड	औद्योगिक संवर्द्धन मंत्रालय द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन कार्यशाला में भाग लेने हेतु	20-30 सितम्बर 98

1	2	3	4	5
70.	श्रीमती गीती सेन जवाहरलाल नेहरू फेलो कला इतिहासकार और समीक्षक नयी दिल्ली	फ्रांस/ब्रिटेन/ ऑस्ट्रिया	अपने क्षेत्र के लोगों से विचार- विमर्श करने के लिए व्याख्यान यात्रा	22 सितम्बर- 3 नवम्बर 98
71.	श्रीमती सविता सिंह उप निदेशक (कार्यक्रम) गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति नयी दिल्ली	किर्गीस्तान	मध्य एशिया में विवादों के निराकरण और सहनशीलता के विचार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने हेतु	26 सितम्बर- 3 अक्टूबर 98
72.	प्रोफेसर रमानाथ त्रिपाठी पूर्व प्रोफेसर, हिंदी दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली	मॉरीशस	रामायण सम्मेलन में भाग लेने हेतु	2-9 अक्टूबर 98
73.	प्रोफेसर वाचस्पति उपाध्याय कुलपति राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ नयी दिल्ली	-वही-	-वही-	-वही-
74.	श्री डी. एबेनेजर कलाकार चेन्नई	श्रीलंका	कलाकार शिविर में भाग लेने के लिए	5-14 अक्टूबर, 98
75.	श्री उत्पल के. बनर्जी परामर्शदाता एवं सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी	वेनेजुएला	लॉस एंडिस विश्वविद्यालय, मेरीडा द्वारा आयोजित संगोष्ठी "भारत : स्वतंत्र विचारकों को इसका विश्वव्यापी योगदान" में भाग लेने हेतु	8-9 अक्टूबर, 98
76.	प्रोफेसर एम. आलम प्रोफेसर फारसी एवं मध्य एशिया संबंधी अध्ययन केन्द्र जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय नयी दिल्ली	उज्बेकिस्तान	ताशकंद राजकीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अमीर खुसरो संगोष्ठी में भाग लेने एवं पेपर प्रस्तुत करने हेतु	8-9 अक्टूबर, 98

1	2	3	4	5
77.	रोगंसेनला अध्यक्ष जनजातीय कला एवं वस्त्र संग्रहालय सोसाइटी दीमापुर नागालैंड	आस्ट्रेलिया	मेलबोर्न में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद् के 18वें साधारण सम्मेलन में भाग लेने हेतु	8-30 अक्टूबर 98
78.	श्री जयंत महापात्र कवि कटक	श्रीलंका	पेरादेनिया विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रकुल साहित्य एवं भाषा अध्ययन पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने हेतु	10-12 अक्टूबर 98
79.	श्री एम.एन. आशीष गंजु आर्किटेक्ट नयी दिल्ली	ब्रिटेन	शहरी एवं ग्रामीण विकास पर किये अपने कार्यों पर व्याख्यान देने और कार्यशाला में भाग लेने हेतु	22 अक्टूबर- 8 नवम्बर 98
80.	श्री सी.वी. रंगनाथन अवकाशप्राप्त राजनयिक नयी दिल्ली	चीन	चीन अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्पर्क एसोसिएशन द्वारा तान-युन-शान शताब्दी पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लेने हेतु	24 अक्टूबर- 8 नवम्बर 98
81.	श्री परेश मैत्री चित्रकार कलकत्ता	फ्रांस	गैलरी ग्रेवाल मोहनजीत, पेरिस में भारतीय कलाकारों की सामूहिक प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु	1-8 नवम्बर 98
82.	प्रोफेसर अमिय कुमार देव कुलपति विद्यासागर विश्वविद्यालय मिदनापुर पश्चिम बंगाल	यूनान	एथेंस में नेशनल हेलनिक रिसर्च फाउंडेशन द्वारा "18वीं से 20वीं शताब्दियों के साहित्य में पहचान एवं परायापन" विषय पर आयोजित समतुल्य साहित्य के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेने हेतु	3-17 नवम्बर 98
83-84.	वेन करुणानंद महातिरो अध्यक्ष जगत ज्योति विहार सभा नयी दिल्ली और वेन प्रज्ञातिसा भिक्खु बुद्ध बिहार महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया नयी दिल्ली	श्रीलंका	बौद्धों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने हेतु	9-15 नवम्बर 98

1	2	3	4	5
85-87.	तीन विद्वान श्री अशोक मित्रन तमिल लेखक चेन्नई प्रोफेसर रुकमणि भाया नय्यर अंग्रेजी लेखक नयी दिल्ली श्री कंडास्वामी तमिल लेखक चेन्नई	श्रीलंका	भारत-श्रीलंका लेखक सम्मेलन में भाग लेने हेतु	13-18 नवम्बर 98
88.	श्रीमती शोभा डे लेखिका मुम्बई	ब्रिटेन	नेहरू केन्द्र में अपनी पुस्तक 'सेलेक्टिव मेमोरी' जारी करने और व्याख्यान-श्रृंखला में भाग लेने हेतु	20-28 नवम्बर 98
89-90.	वाणी विश्वास अल्पना विशेषज्ञ कलकत्ता सरला शेलवराज रंगोली व कोलम विशेषज्ञ चेन्नई	-वही-	बर्मिंघम में आयोजित मेघा कारीगर मेले में भाग लेने हेतु	23-30 नवम्बर 98
91-93.	तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल श्री ए.पी. वेंकटेश्वरन् पूर्व विदेश सचिव प्रोफेसर राजेन्द्र के. जैन एसोसिएट प्रोफेसर अमरीकी एवं पश्चिम यूरोपीय अध्ययन केन्द्र जे.एन.यू. नयी दिल्ली श्री पई पानंदिकर महानिदेशक नीति अनुसंधान केन्द्र नयी दिल्ली	हंगरी	'इंडो-हंगेरियन रिलेशंस-रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट' संगोष्ठी में भाग लेने हेतु	26-29 नवम्बर 98

1	2	3	4	5
94.	हाफिज कारी मोहम्मद नसीरुद्दीन एच. नं. 16-9-710 नूर मस्जिद के समीप ओल्ड मलकपेट हैदराबाद-500036	मलयेशिया	क्वालालम्पुर में 40वें इंटरनेशनल अल-कुरान रिसाइटर्स एसेम्बली में भाग लेने हेतु	30 नवम्बर-9 दिसम्बर 98
95.	श्री जोगन चौधरी चित्रकार कलकत्ता	फ्रांस	गैलरी ग्रेवाल मोहनजीत, पेरिस में भारतीय कलाकारों की सामूहिक प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु	7-28 दिसम्बर 98
96.	प्रोफेसर मुशीरुल हसन प्रोफेसर, इतिहास जामिया मिलिया इस्लामिया नयी दिल्ली	मॉरीशस	पोर्ट लुई स्थित महात्मा गांधी संस्थान में "डिकोलोनाइजेशन" विषय पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लेने व पेपर प्रस्तुत करने हेतु	8-16 दिसम्बर 98
97.	श्री नरेन्द्र पंजवानी सिटी एडिटर बाम्बे टाइम्स मुम्बई	अमरीका	बर्कले विश्वविद्यालय स्थित दक्षिण संबंधी अध्ययन केन्द्र में भारत संबंधी अध्ययन की अध्यक्षता करने हेतु	14 जनवरी-मई 99
98.	अंजली इला मेनन 8 शॉफ अपार्टमेंट्स 2 निजामुद्दीन पूर्व नयी दिल्ली	फ्रांस	पेरिस स्थित गैलरी ग्रेवाल मोहनजीत में भारतीय कलाकारों की सामूहिक प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु	16-23 जनवरी 99
99.	प्रोफेसर अपर्णा बसु अवकाश प्राप्त प्रोफेसर इतिहास दिल्ली विश्वविद्यालय	मॉरीशस	पोर्ट लुई स्थित महात्मा गांधी संस्थान में बी.ए. डिग्री पाठ्यक्रम और इतिहास में अनुसंधान की योजना तैयार करने हेतु	19-23 फरवरी 99
100-105.	छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंल डा. वर्षा दास श्री एच.के. दुआ प्रोफेसर एस.एस. भट्टाचार्य प्रोफेसर एन.एन. झा श्री एस.के. सिंह श्री एम. वरदराजन	इस्राइल	भारत-इस्राइल संगोष्ठी "भारत एवं इस्राइल: समाज, संस्कृति और विश्वदृष्टिकोण" में भाग लाने हेतु	3-10 मार्च 99

1	2	3	4	5
106.	डा. (श्रीमती) शशि प्रभा कुमार रीडर दर्शनशास्त्र विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय (शंकर पुरस्कार प्राप्त)	त्रिनिडाड एवं टोबैगो	वेदांत पर दसवें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने और पेपर प्रस्तुत करने हेतु	8 मार्च-4 अप्रैल 99
107-108.	दो पतंग विशेषज्ञ श्री मुख्तार अहमद जामा मस्जिद दिल्ली	बंगलादेश	अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भाग लेने हेतु	18-16

विवरण IV

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद

देश से बाहर जाने वाले सांस्कृतिक दल 2000-2001

भावी परियोजनाएं और अस्थायी कार्यक्रम

क्र.सं.	देश	दल का नाम	अवधि	यात्रा का विवरण
1	2	3	4	5
1.	म्यामां, लाओस, मलेशिया सिंगापुर, फिलीपींस	श्री इदागुंजी महागणपति यक्षगणि मंडली केरेमाने का लोक नृत्य दल × 10 कर्नाटक	13-29 अगस्त, 2000	भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोहों में कार्यक्रम प्रस्तुत करने तथा अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।
2.	यू.के.	*सुश्री रोशन दाते (कथक) × 1 पुणे (टी.जी.) *यात्रा अनुदान	16 अगस्त-7 सितम्बर, 2000	नीलमणि कथक केन्द्र—भारतीय शास्त्रीय नृत्य केन्द्र यू.के. के निमंत्रण पर सहस्राब्दि में दीवाली समारोह 'नवरंग' परियोजना में भाग लेने के लिए।
3.	मिस्र, तुर्की	श्री आत्मजीत सिंह के नेतृत्व में सीजी एच पुलिस सांस्कृतिक दल	22 अगस्त-20 सितम्बर 2000	काहिरा में 'इस्लामिया इन्टरनेशनल फोकलोर फैस्टिवल' में भाग लेने के लिए।
4-6.	उजबेकिस्तान, किर्गिजिस्तान, तुर्कमेनिस्तान	(1) श्री राजेन्द्र प्रसन्ना (शहनाई एवं बांसुरी) × 5 दिल्ली (2) सुश्री मंजरी चतुर्वेदी (सूफी गायन पर कथक) × 10 (3) टहल सिंह के नेतृत्व में पंजाब सांस्कृतिक युवा क्लब पंजाब का 12 सदस्यीय भांगड़ा/गिद्धा ग्रुप 'बंगला'	26 अगस्त-10 सितम्बर, 2000	ओश शहर की 3000वीं वर्षगांठ समारोह के उपलक्ष्य में कार्यक्रम प्रस्तुत करने तथा तुर्कमेनिस्तान में बैरम खां की 500वीं वर्षगांठ के संबंध में सांस्कृतिक महोत्सव में भाग लेने के लिए।
7.	जर्मनी और क्षेत्र	सुश्री मीरा दास (ओडिसी) × 5 उड़ीसा	11 सितम्बर-2 अक्तूबर 2000	कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।

*यात्रा अनुदान

1	2	3	4	5
8.	सऊदी अरब, सीरिया, कतर, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात	सुश्री किरण सहगल (ओडिसी) × 5 दिल्ली	2 सितम्बर-20 सितम्बर 2000	कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।
9.	अमरीका	*सुश्री पदमा तलवाकर (गायन)× 3	5 सितम्बर-24 अक्तूबर 2000	अमरीकी विश्वविद्यालय सर्किट में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।
10.	अमरीका	*श्री टी.के. एस स्वामीनाथन और सुश्री टी. के. एस. मीनाक्षी सुन्दरम नदस्वरम × 5 चेन्नई	9 सितम्बर-24 सितम्बर 2000	वेसलेयन विश्वविद्यालय के संगीत विभाग द्वारा आयोजित नई सहस्राब्दि के लिए भारतीय संगीत और नृत्य के नवरात्रि महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए।
11.	अमरीका	*रतन थियम के नेतृत्व में समसामयिक थियेटर × 7 इम्फाल	17 सितम्बर-30 अक्तूबर 2000	उत्तरा प्रियदर्शिनी के कार्यक्रम के लिए एशिया सोसायटी न्यूयार्क से आमंत्रण प्राप्त हुआ।
12.	अमरीका	*भारती शिवाजी (मोहिनीअट्टम) × 5	17 सितम्बर	इण्डो अमेरिकन कल्चरल एण्ड रीजनल फाउण्डेशन, न्यूजर्सी के निमंत्रण पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।
13.	फिनलैण्ड, जर्मनी, आयरलैण्ड स्पेन, हंगरी	कोहिनूर लंगा (राजस्थानी लोक नृत्य दल) × 10	21 सितम्बर-29 अक्तूबर 2000	हेलसिंकी महोत्सव 2000 में भाग लेने के लिए तथा इस क्षेत्र में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।
14.	इराक, मिस्र, टर्की	*सुश्री अलोका कानूनगो (ओडिसी) × 5	22 सितम्बर-4 अक्तूबर 2000	सीरिया में बसरा महोत्सव तथा इराक में बेबीलोन महोत्सव में भाग लेने के लिए।
15.	अमरीका	*गुरू केलूचरण महापात्र के नेतृत्व में सरजन ओडिसी नृत्य दल × 5 उड़ीसा	28 सितम्बर-25 नवम्बर, 2000	सेंटर फार साउथ एशियन आर्ट पालो आल्टो केलिफोर्निया के आमंत्रण पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।
16.	मेक्सिको	सचिन शंकर बैलेट × 12 मुम्बई	1-18 अक्तूबर 2000	सरवेन्टीनो फेस्टिवल (4-22 अक्तूबर 2000) में भाग लेने तथा इस क्षेत्र में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।
17.	खाड़ी क्षेत्र	श्री इरशाद खान (सितार और सरबहार) × 3	अक्टूबर, 2000	बहरीन में संगीत महोत्सव में भाग लेने के लिए तथा इस क्षेत्र में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।
18.	खाड़ी क्षेत्र	करागम/डमी हार्स लोकग्रुप (चेन्नई) × 10	अक्तूबर 2000	ओमान में फोकलोर इन्टरनेशनल फेस्टिवल में भाग लेने के लिए तथा इस क्षेत्र में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।
19.	नीदरलैण्डस	*लालगुडी बी जे आर कृष्णन (वायलिन) × 4 चेन्नई (टीजी)	8-15 अक्तूबर 2000	रायल ट्रापिकल ईस्टीट्यूट के आमंत्रण पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।
20.	दक्षिणी अफ्रीका	गुलाम वारिस और गुलाम सबीर (कव्वाली) × 6	दिसम्बर, 2000	कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।
21	मध्य पूर्व क्षेत्र	'आविष्कार' अहमदाबाद का 12 सदस्यीय गुजराती लोक संगीत एवं नृत्य दल	जनवरी, 2001	भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।
22.	आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड	छाऊ नृत्य दल × 10	मार्च 2001	कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।

*यात्रा अनुदान

[हिन्दी]

मछुआरों के गांवों का विकास

2686. **श्री दिनेश चन्द्र यादव :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार कितने मछुआरों के गांवों (फिशरमैन विलेज) का विकास किया गया; और

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश में विशेषकर बिहार में अब तक ऐसे कितने गांव विकसित हुए हैं और इस हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) आठवीं और नौवीं योजना के दौरान विकसित गांवों की संख्या के संबंध में संगत सूचना राज्यों से एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

फरक्का बैराज

2687. **श्री अनिल बसु :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरक्का बैराज प्राधिकरण नियमित रूप से बैराज के दरवाजों का रखरखाव करता है; और

(ख) यदि हां, तो किए गए रखरखाव कार्यों का ब्यौरा क्या है और किस संगठन को इस कार्य को सौंपा गया है तथा गत तीन वर्षों के दौरान इस पर कितना व्यय किया गया?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) और (ख) फरक्का बराज परियोजना के द्वारों का अनुरक्षण कार्य एक नियमित प्रक्रिया है, जिसमें रबड़ सील, बीयरिंग, रस्सी बदलना, बिजली की फिटिंग, ग्रीस देना, चल पुर्जो को तेल देना, उन्हें पेंट करना तथा उन्हें साफ करने सहित होयूस्ट प्रणाली की मरम्मत करना शामिल है। इस समय मैसर्स एन.पी.सी.सी. लिमिटेड तथा मैसर्स जोसेफ एंड कंपनी लिमिटेड नामक दो कम्पनियों द्वारा फरक्का बराज परियोजना के द्वारों की विशेष मरम्मत की जा रही है। गत तीन वर्षों अर्थात् 1997-98 से 1999-2000 तक इन अधिकारियों को क्रमश: 53.3 लाख रुपये और 74.84 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया है जिसमें मोबलाईजेशन अग्रिम भी शामिल है।

[हिन्दी]

बीज ग्राम

2688. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दलहन और तिलहन के उत्पादन हेतु राजस्थान में बीज ग्रामों की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे किसानों के किस प्रकार लाभान्वित होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) राजस्थान राज्य में क्रियान्वित की जा रही राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना और तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अधीन गांव की भूमि के सघन क्षेत्र में दलहन और तिलहन के गुणवत्ता बीजों के उत्पादन के लिए बीज ग्राम कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण घटक है। इस कार्यक्रम के अधीन दलहन और तिलहन बीज फसलों के उत्पादन के लिए 500/- रुपए प्रति क्विंटल की सहायता दी जाती है, ताकि बीजों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके तथा संभाल की लागत को कम किया जा सके। बीज ग्राम स्कीम का घटक काफी दिन से क्रियान्वित किया जा रहा है।

भूमि की उर्वरता

2689. **श्री हरिभाई चौधरी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिन क्षेत्रों में अक्सर सूखा पड़ता है वहां की भूमि में उर्वरता कम होती जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान ऐसे क्षेत्रों में भूमि की उर्वरता बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) जी, हां। सूखा प्रवण क्षेत्रों की मिट्टी में सामान्यत: आरगैनिक कार्बन तत्व तथा उपलब्ध पोषण तत्व की कमी होती है। ये मिट्टियां अधिकतर बहुत कम फसल गहनता वाले लंबी, सूखा युक्त शुष्क पर्यावरण पद्धति में पाई जाती हैं।

(ख) साधारणतया मिट्टी की उर्वरता मिट्टी में मौजूद नमी के बेहतर होने से सुधरती है। कृषि और सहकारिता विभाग मृदा उर्वरता के निर्माण के लिए कार्बनिक संसाधनों के अधिक पुन: चक्रण से समेकित पोषण प्रबंधन का पक्षधर है।

कृषि और सहकारिता विभाग विभिन्न भूमि आधारित कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। ये हैं: (1) नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र में मृदा संरक्षण (2) वर्षा सिंचित क्षेत्रीय राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (3) झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना, तथा (4) क्षारीय मृदा में सुधार। ये कार्यक्रम मृदा क्षरण भूमि अवक्रमण को न्यूनतम करने के लिए हैं, जिससे देश के वर्षा सिंचित/जलसंग्रहण क्षेत्रों में उर्वरता/उत्पादकता बढ़े। उपर्युक्त के अतिरिक्त, राज्य सरकारें अपने राज्यों में उर्वरता में सुधार के लिए अपनी योजना स्कीमों का कार्यान्वयन करती हैं।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान, कृषि और सहकारिता विभाग की विभिन्न स्कीमों के तहत 681.5 करोड़ रुपए की कुल लागत से 17.80 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का सुधार/विकास किया गया है।

[अनुवाद]

पासपोर्ट कार्यालयों की स्थापना

2690. डा. वी. सरोजा :
श्री उत्तमराव ढिकले :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ और पासपोर्ट कार्यालयों की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसद की स्थायी समिति की अनुशंसा के अनुसार किसी पासपोर्ट कार्यालय को शहर के बीच में अवस्थित होना चाहिए, इसके आस-पास कार्यालय होने चाहिए और इसे तीन वर्ष तक के लिए प्रति वर्ष औसतन 5000 आवेदन प्राप्त होने चाहिए। कर्मचारियों की निरंतर कमी तथा स्थायी समिति द्वारा सुझाये गये मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए सरकार का अभी कोई नया पासपोर्ट कार्यालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

खतरनाक औद्योगिक इकाइयां

2691. श्री नवल किशोर राय :
श्री जोरा सिंह मान :
श्री मोइनुल हसन :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खतरनाक औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी है तथा इन इकाइयों में 14 वर्ष से कम उम्र वाले कितने बच्चे इकाईवार तथा राज्यवार अलग-अलग कार्यरत हैं; और

(ख) इन कार्यरत बच्चों के पुनर्वास तथा खतरनाक औद्योगिक इकाइयों के सुरक्षोपाय के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में अधिनियम के अनुसूची में सूचीबद्ध व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध किया गया है। एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्यों के मामले में 1986 की सिविल रिट याचिका में 465 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिसम्बर, 1999 में प्रस्तुत किए गए हलफनामे के अनुसार जोखिमग्रस्त व्यवसायों में पहचान किए गए बाल श्रमिकों की संख्या की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार 14 साल से कम आयु के बालकों का कारखानों में नियोजन प्रतिषिद्ध है। अत: जोखिमपूर्ण इकाइयों सहित किसी कारखाने में 14 साल से कम आयु के किसी बालक को नियोजित नहीं किया जा सकता है। कारखाना अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन संबंधी सूचना केन्द्रीय रूप में नहीं रखी जाती है।

भारत सरकार कार्य से निकाले गए बालकों के पुनर्वास के लिए दो स्कीमें कार्यान्वित कर रही है जिनके नाम राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम और स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान स्कीम हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत प्रमुख कार्यकलाप कार्य से निकाले गये बालकों की अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देख-रेख वजीफा आदि के माध्यम से पुनर्वास करने के लिए विशेष स्कूल/केन्द्र चलाना है। सहायता अनुदान स्कीम के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर कार्य से

निकाले गए बालकों के लाभ के लिए कार्योन्मुख परियोजनाएं चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को निधियां प्रदान की जानी हैं।

विवरण

बच्चों की संख्या

	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	जोखिमग्रस्त व्यवसाय
	1	2
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0
2.	आंध्र प्रदेश	7769
3.	अरूणाचल प्रदेश*	–
4.	असम	92
5.	बिहार	24879
6.	केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़	0
7.	केन्द्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली	0
8.	केन्द्र शासित प्रदेश दमन और दीव	0
9.	केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली	10
10.	गोवा	35
11.	गुजरात	1417
12.	हरियाणा	6
13.	हिमाचल प्रदेश	83
14.	जम्मू एवं कश्मीर*	–
15.	कर्नाटक	1634
16.	केरल	1081
17.	केन्द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप	0
18.	मध्य प्रदेश	11259
19.	महाराष्ट्र	1023
20.	मणिपुर	0
21.	मेघालय	246
22.	मिजोरम	0
23.	नागालैंड	0
24.	उड़ीसा	23761
25.	केन्द्र शासित प्रदेश पांडिचेरी	0
26.	पंजाब	91
27.	राजस्थान	3026
28.	सिक्किम	0
29.	तमिलनाडु	10118
30.	त्रिपुरा	11
31.	उत्तर प्रदेश	24120
32.	पश्चिम बंगाल	254
	कुल	10915

[अनुवाद]

राज्यों को प्रोत्साहन

2692. श्री एम. चिन्नासामी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार ऐसी राज्य सरकारों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना शुरू करने का है जो राज्यों में जल संसाधन क्षमता को बढ़ा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (ग) भारत सरकार ने जल भंडारण क्षमता बढ़ाने वाली परियोजनाओं, सहित चल रही सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन को तीव्र करने के लिए वर्ष 1996-97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया है।

इस कार्यक्रम के तहत 3,835 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता राज्यों को उपलब्ध कराई गई है। इस कार्यक्रम के शुरू होने से बंद पड़ी परियोजनाओं का कार्य शुरू करने और अन्य परियोजनाओं संबंधी निर्माण कार्य को तीव्र करने में सहायता मिली

है। इस कार्यक्रम से पहले वर्ष में 280.673 (हजार हेक्ट.), दूसरे वर्ष में 502.882 (हजार हेक्टे.) और तीसरे वर्ष में 273.781 (हजार हेक्टे.) की अतिरिक्त क्षमता के सृजन में सहायता मिली है। ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत शामिल सभी परियोजनाओं के पूर्ण होने पर 126.3 लाख हेक्टेयर की कुल क्षमता के सृजन में सहायता मिलेगी।

ये निधियां केन्द्रीय ऋण सहायता (सी.एल.ए.) के रूप में समानुपातिक आधार पर जारी की गई थीं। राज्यों की खराब वित्तीय स्थिति पर विचार करते हुए, ए.आई.बी.पी. के तहत वित्त प्रणाली को 1997-98 और 1999-2000 में संशोधित किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष से नवीनतम संशोधित वित्त प्रणाली के अनुसार, विशेष श्रेणी के राज्यों जिनमें पूर्वोत्तर राज्य, पर्वतीय राज्य जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम तथा उड़ीसा के कालाहांडी, बोलंगीर और कोरापुट जिलों में 3:1 (केन्द्र : राज्य) के अनुपात में केन्द्रीय ऋण सहायता जारी की जा रही है, वहीं अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए यह अनुपात 2:1 का है। इसके अतिरिक्त, विशेष श्रेणी के राज्यों की सभी वृहद परियोजनाओं (चल रही और नई दोनों) को 3:1 के अनुपात में केन्द्रीय ऋण सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

गुरिल्ला गतिविधियों को रोकने के लिए भारतीय सहायता

2693. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री ई. अहमद :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल सरकार ने माओवादी गुरिल्लाओं की गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के लिए भारत से सहयोग मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने आतंकवादियों, अपराधियों और अन्य अवांछित तत्वों द्वारा खुली सीमा के दुरूपयोग को रोकने में नेपाल की सरकार को अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया है।

नदियों को जोड़ना

2694. श्री डी.वी.जी. शंकर राव :
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और अन्य क्षेत्रों में लगातार सूखे की समस्या के समाधान के लिए नदियों को जोड़ने हेतु के.एल. राव समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर कोई कार्य योजा शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) यद्यपि के.एल. राव समिति नामक कोई समिति नहीं है। तथापि, डा. के.एल. राव द्वारा प्रस्तावित गंगा कावेरी सम्पर्क की केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जांच की गई थी और यह पाया गया था कि कुल मिलाकर इसे कम आंका गया है। इनके अलावा, इस प्रस्ताव के लिए बहुत अधिक विद्युत की आवश्यकता है तथा इनसे बाढ़ नियंत्रण में कोई लाभ भी नहीं होने वाला था। तथापि, तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय) और केन्द्रीय जल आयोग ने जल संसाधनों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है जिसमें जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए जल को अधिशेष वेसिनों से जल की कमी वाले वेसिनों में स्थानान्तरित करने के वास्ते विभिन्न प्राय:द्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों के बीच अन्त: सम्पर्क स्थापित करने की योजना है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के जल संतुलन और अन्य अध्ययन करने के लिए जुलाई, 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्वायत्त सोसायटी के रूप में स्थापना की थी।

[हिन्दी]

बाल श्रम हेतु योजनाएं

2695. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में बाल श्रम का उन्मूलन करने हेतु उठाये गये अथवा उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बिहार सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया है;

(ग) क्या विश्व बैंक अथवा कोई अन्य वित्तीय संस्थान बिहार सरकार को समेकित बाल विकास योजना के लिए सहायता प्रदान कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) बिहार राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार बिहार में बाल श्रम उन्मूलन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 10.12.96 की रिट याचिका संख्या 465/86 के निर्णय के निर्देश के अनुसार, बाल श्रम के बारे में एक सर्वेक्षण कराया गया था जिसके अनुसार जोखिमपूर्ण उद्योगों में 24879 बाल श्रमिकों की और गैर-जोखिमपूर्ण उद्योगों में 34929 बाल श्रमिकों की पहचान की गई थी।

(2) बिहार बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियम, 1995 अधिनियमित किया गया है। बिहार बाल श्रम आयोग अधिनियम, 1996 भी बनाया गया है।

(3) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 17 के अंतर्गत सभी डी.एम./डी.सी./एस.डी.ओ./सी.ओ./सर्किल निरीक्षकों/ग्राम पंचायत पर्यवेक्षकों और ब्लाक कोऑपरेटिव एक्सटेन्शन अधिकारियों के श्रम विभाग के अधिकारियों के अलावा "निरीक्षकों" के रूप में घोषित किया गया है।

(4) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 को कड़ाई से लागू करने के निदेश जारी किए गए हैं। वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान क्रमशः 334 और 234 अभियोजन चलाए गए हैं।

(5) सभी डी.एम./डी.सी. को जोखिमपूर्ण उद्योग से हटाए गए बच्चों के परिवार के एक सदस्य के लिए जे.आर.वाई./आई.आर.डी.पी./डी.डब्ल्यू.ए.सी.आर.ए, रोजगार गारन्टी योजना/नेहरू रोजगार योजना आदि में रोजगार सुनिश्चित करने के निदेश दिये गये थे।

(6) जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय स्थायी बाल श्रम समिति गठित की गई है।

(7) एन.सी.एल.पी. योजना के अन्तर्गत नालन्दा, सहरसा, जमुई, पाकुर, दुमका, पश्चिम सिंह-भूमि, साहिबगंज और गढ़वा में 8 एन.सी.एल.पी. योजनाएं चल रही हैं।

(8) बाल श्रम के उन्मूलन और पुनर्वास के लिए बिहार बाल श्रम आयोग का गठन।

बिहार बाल श्रम आयोग को बाल श्रम के उन्मूलन और पुनर्वास के संबंध में उपायों की सिफारिश करने का उत्तरदायित्व दिया गया है।

(ग) और (घ) आई.सी.डी.एम. के अन्तर्गत बिहार राज्य सरकार को ऐसी कोई सहायता प्रदान नहीं की जा रही है।

[अनुवाद]

नौकरानियों को चोरी-छिपे ले जाना

2696. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा अवैध तरीके से नौकरानियों को खाड़ी देशों को ले जाने से संबंधित कोई मामला सरकार की जानकारी में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन देशों में नौकरानियों को भेजे जाने पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) समुद्रपारीय नियोजन के लिए भारत से नौकरानियों की भर्ती के व्यापार में लगी एजेंसियों के विरुद्ध इच्छुक उत्प्रवासियों के साथ धोखाधड़ी से संबंधित छिटपुट शिकायतें प्राप्त होती हैं। कुछ एजेंसियां, जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती हैं, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत सरकार द्वारा पंजीकृत होती हैं, जबकि कुछ एजेंसियां अप्राधिकृत रूप से कार्य करती हैं। शिकायतें सामान्यतः नियमानुसार प्रावधान की गई राशि से अधिक सेवा शुल्क लेने, इच्छुक उत्प्रवासियों से धन एकत्र कर लेने किन्तु समुद्रपारीय नियोजन के लिए उन्हें न भेजे जाने, कुछ कामगारों को अन्य देशों में भेज देने जहां रोजगार विद्यमान न हो और कुछ मामलों में कामगारों के दूसरे देश में पहुंचने पर रोजगार की शर्तें बदल देने पर उन्हें हुए नुकसान से संबंधित होती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्राप्त ऐसी शिकायतों की संख्या निम्नानुसार थी:

वर्ष	शिकायतों की संख्या
1997	91
1998	122
1999	163

अप्राधिकृत एजेंटों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दृष्टि से राज्य सरकारों को एजेंटों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने और उनके विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन स्तर तक आवश्यक अनुदेश जारी करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ) तंग करने, मजदूरी इत्यादि का भुगतान न करने/विलम्ब से भुगतान करने इत्यादि से संबंधित शिकायतों को देखते हुए सरकार ने कुवैत में नौकरानियों व घरेलू पुरुष नौकरों के भेजे जाने पर रोक लगा दी थी। घरेलू पुरुष नौकरों के भेजे जाने पर से रोक हटा दी गई है। कुवैत में नौकरानियों के भेजे जाने पर लगी रोक को हटाने या न हटाने के प्रश्न पर सरकार तभी विचार कर सकती है जब यह सुनिश्चित हो जाएगा कि ऐसी तैनाती रोजगार की शर्तों के अनुसार है।

भारत-नेपाल प्रत्यर्पण संधि

2697. श्री राम प्रसाद सिंह :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक नई भारत-नेपाल प्रत्यर्पण संधि विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान प्रत्यर्पण संधि में परिवर्तन की आवश्यकता के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक लागू किया जाएगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) भारत और नेपाल के बीच 1953 की प्रत्यर्पण संधि को अद्यतन बनाने के प्रश्न पर भारत सरकार के गृह सचिव श्री कमल पाण्डे की अध्यक्षता में गृह सचिव स्तर की वार्ता के लिए 4 से 7 जुलाई, 2000 तक नेपाल गए शिष्टमण्डल की यात्रा के दौरान चर्चा हुई थी।

(ख) से (घ) इन चर्चाओं के दौरान दोनों पक्ष अपनी-अपनी कानून प्रवर्तन एजेन्सियों की आवश्यकताओं और अपराधों के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए मौजूदा द्विपक्षीय प्रत्यर्पण व्यवस्थाओं को अद्यतन बनाने की आवश्यकता पर सहमत हुए थे। इस बात पर सहमति हुई थी कि दोनों पक्षों के विशेषज्ञ संशोधित द्विपक्षीय प्रत्यर्पण व्यवस्थाओं के मसौदे पर चर्चा के लिए शीघ्र बैठक करेंगे और जल्दी ही दोनों सरकारों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

[हिन्दी]

व्यापार आधारित कृषि उत्पाद

2698. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री सुशील कुमार इंदौरा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के कृषि उत्पादों पर आधारित व्यापार सफलतापूर्वक करने के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो देश में स्थानवार किन व्यापारों के लिए संभावनाओं का पता लगा लिया गया है; और

(ग) इन व्यापारों से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और इस संबंध में कुल कितनी पूंजी की आवश्यकता है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) हालांकि इन पहलुओं के बारे में कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है, पर सांख्यिकी रिकार्डों और मोटे तौर पर किए गए सामान्य अध्ययनों के आधार पर उपलब्ध उत्पाद आंकड़ों से पता चलता है कि उपलब्ध कृषि बागवानी कच्चे माल का इस्तेमाल करके क्षेत्र विशेष उद्योगों के विकास की संभावनाओं का माइक्रो लैवल पर पता लगाना संभव है।

(ख) देश में प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र की संभावनाएं विपुल हैं और प्रत्येक क्षेत्र को कतिपय कृषि-बागवानी उपज के मामले में विशेषज्ञता प्राप्त है। क्षेत्र विशेष में उपलब्ध कच्चे माल के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र में खाद्य प्रंसस्करण यूनिटों की स्थापना की निम्न प्रकार गुंजाइश है:-

पूर्वी क्षेत्र	-	लीची, आम, टमाटर, चीकू, केला आदि।
पूर्वोत्तर क्षेत्र	-	अनानास, पैसन फ्रूट, संतरा, केला, अदरक आदि।
पश्चिमी क्षेत्र	-	अंगूर, आम, संतरा, आलू, प्याज, लहसुन आदि।
उत्तरी क्षेत्र	-	सेब, आलू, टमाटर, हॉप्स आदि।
दक्षिणी क्षेत्र	-	आम, केला, खीरा, टैपियोका, टमाटर आदि।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के वास्ते नौवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने वाले कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार 28,250 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश से आशा है कि लगभग 2 मिलियन लोगों को रोजगार मिल सकता है। अन्य क्षेत्रों की तुलना में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने की संभावनाएँ बहुत अधिक हैं।

प्रति हैक्टेयर उत्पादन

2699. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कई भाग अब भी प्रति हैक्टेयर उत्पादन के मामले में बहुत पीछे हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रति हैक्टेयर उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आवश्यकता से अधिक खर्च किए जाने के बावजूद देश के अधिकांश भागों में प्रति हैक्टेयर उत्पादन अब भी कम होता जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सिंचित भूमि क्षेत्र भी कम होता जा रहा है;

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सिंचित भूमि की राज्य-वार स्थिति क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा देश में सिंचित भूमि क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) प्रत्याशित पैदावार दरों अर्थात वर्ष 1999-2000 के दौरान तथा इसकी तुलना में वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के लिए चावल, गेहूं, दलहन तथा तिलहन के प्रति हैक्टेयर उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। विवरण से यह स्पष्ट है कि कुछ राज्यों में पैदावार दरें अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर हैं। दरअसल, अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों की पैदावार दरों में अंतर सदैव होता है, क्योंकि पैदावार दरें अनेक कारकों पर निर्भर करती हैं जैसे कृषि मौसमीय स्थितियां, खेत का आकार गुणवत्ता आदानों का यथासमय तथा इष्टतम अनुप्रयोग, किसानों की प्रबंधकीय/उद्यमीय क्षमता, निवेश स्तर के अलावा उन्नत तरीकों का विकास तथा उन्हें अपनाना।

(ग) और (घ) विवरण से यह देखा जा सकता है कि अनेक राज्यों में जहां एक ओर चावल तथा गेहूं के उत्पादन की पैदावार दरों में सामान्यत: वृद्धि हो रही है वहीं दूसरी ओर दलहन तथा तिलहन के मामले में इनमें उतार-चढ़ाव है।

उपर्युक्त के अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा उन्नत कल्टिवारों को अपनाने, कार्यक्षम आदान उपयोग तथा समेकित कीट प्रबंध के माध्यम से विभिन्न पारिस्थितिक प्रणालियों में फसल उत्पादकता में वृद्धि करने और उसे सतत बनाए रखने पर यथोचित बल दिया जाता है।

(ङ) और (च) तीन वर्षों अर्थात् 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान निवल सिंचित क्षेत्र क्रमश: 53.00 मिलियन हैक्टेयर, 53.40 मिलिनय हैक्टेयर तथा 55.14 मिलियन हैक्टेयर था। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि सिंचित भूमि के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है।

(छ) सिंचाई क्षमता के सृजन तथा इसके इष्टतम उपयोग को सरकार उच्च प्राथमिकता देती है। सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया गया है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, पर्वतीय राज्यों तथा उड़ीसा के सूखा प्रवण जिलों के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता भी प्रदान की जाती है और अधिक क्षेत्रों में सिंचाई लाभ पहुंचाने के लिए किए गए उपायों में बेहतर जल प्रबंध विधियों को प्रोत्साहन देना, पानी के अभाव वाले तथा सूखा प्रवण क्षेत्रों में छिड़काव तथा ड्रिप सिंचाई प्रणाली की स्थापना करना, सतही तथा भूमिगत जल का एक साथ प्रयोग करना शामिल है। इसके अलावा सृजित एवं उपयोगिता सिंचाई क्षमता के बीच के अंतर को कम करने के लिए कृषि उत्पादन को इष्टतम करके उससे सततता लाने की दृष्टि से आवाह क्षेत्रों के व्यवस्थित विकास तथा प्रबंध हेतु आवाह क्षेत्र विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

विवरण

वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान चावल, गेहूं, दलहन तथा तिलहन की पैदावार दरों का राज्यवार विवरण

(किलोग्राम/हैक्टेयर)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल			गेहूं			दलहन			तिलहन		
	1997-98	1998-99	1999-2000*	1997-98	1998-99	1999-2000*	1997-98	1998-99	1999-2000*	1997-98	1998-99	1999-2000*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	2431	2781	2686	545	670	600	330	487	532	548	827	558
असम	1359	1345	1451	1300	1010	1012	547	545	516	549	474	460
बिहार	1395	1301	1352	2337	1992	2061	731	764	789	737	699	790
गुजरात	1550	1633	1483	2373	2427	1923	685	735	588	1312	1308	620
हरियाणा	2800	2239	2386	3660	3916	4167	888	827	633	712	1279	1071
हिमाचल प्रदेश	1397	1423	1395	1700	1700	1266	361	366	514	479	516	389
जम्मू एवं कश्मीर	1992	2179	2339	1620	1530	1515	564	575	897	680	677	718
कर्नाटक	2374	2529	2397	473	819	688	295	398	369	551	702	666
केरल	1975	1891	2135	—	—	—	798	788	793	792	738	722
मध्य प्रदेश	834	1013	1191	1573	1794	1823	655	709	739	917	912	992
महाराष्ट्र	1621	1664	1681	898	1289	1227	364	644	607	646	991	964
उड़ीसा	1380	1212	1122	1320	1189	1333	364	357	361	452	460	435
पंजाब	3465	3152	3347	3853	4332	4697	683	654	688	1129	1193	1088
राजस्थान	1164	1223	1265	2501	2487	2540	600	526	364	746	886	924
तमिलनाडु	3050	3443	3247	—	—	—	413	463	430	1476	1579	1410
उत्तर प्रदेश	2148	1958	2178	2495	2510	2660	830	835	874	581	710	813
पश्चिम बंगाल	2243	2255	2257	2206	2117	2187	688	621	826	761	778	944
अखिल भारत	1900	1928	1962	2485	2583	2707	567	622	612	816	944	852

*29.6.2000 की स्थिति के अनुसार अग्रिम अनुमान पर आधारित

[अनुवाद]

कृषि भूमि

2700. **श्री श्रीपाद येसो नाईक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोवा में काफी बड़े कृषि भूमि क्षेत्रफल को अभी कृषि योग्य बनाया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रयोजन हेतु सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) केन्द्र सरकार की सहायता से गोवा में कुल कितनी कृषि भूमि को उपयोग में लाया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (ग) जी हां। गोवा में लगभग 55,680 हैक्टेयर ऐसी कृषि भूमि है जिसे कृषि उद्देश्यों के लिए विकसित किए जाने की आवश्यकता है। निम्नलिखित कार्यक्रमों के तहत भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त 1251 लाख रुपए की वित्तीय सहायता से अब तक लगभग 19,138 हैक्टेयर क्षेत्र को खेती के तहत लाया गया है: (1) काजू विकास के लिए पैकेज कार्यक्रम (2) उष्णकटिबंधीय तथा शुष्क क्षेत्रीय फलों का समेकित विकास (3) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम तथा (4) पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम।

[हिन्दी]

बीड़ी मजदूरों के लिए योजनाएं

2701. **श्री उत्तमराव ढिकले :**
श्री ए. ब्रह्मनैया :
श्री राम शकल :
श्री अनन्त नायक :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बीड़ी मजदूरों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा इन बीड़ी मजदूरों के कल्याण हेतु आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) बीड़ी कर्मकारों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) सरकार, बीड़ी कामगारों तथा उनके आश्रितों के लाभार्थ स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा तथा मनोरंजन के क्षेत्रों में, बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अंतर्गत विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। ऐसी योजनाओं की एक सूची विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ग) लाभानुभोगियों की संख्या से संबंधित आंकड़े राज्य-वार नहीं रखे जाते हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान लाभानुभोगियों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाली एक सूची विवरण-III के रूप में संलग्न है।

विवरण I

क्रमांक	राज्य का नाम	वर्तमान में अनुमानित बीड़ी कर्मकारों की कुल संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	6,25,000
2.	असम	7,725
3.	बिहार	3,91,500
4.	गुजरात	50,000
5.	कर्नाटक	3,60,876
6.	केरल	1,36,416
7.	मध्य प्रदेश	7,50,000
8.	महाराष्ट्र	2,56,000
9.	उड़ीसा	1,60,000
10.	राजस्थान	1,00,000
11.	त्रिपुरा	5,000
12.	तमिलनाडु	6,21,000
13.	उत्तर प्रदेश	4,50,000
14.	प. बंगाल	4,97,758
	योग	44,11,275

विवरण II

क. स्वास्थ्य

1. स्थिर-सह-सचल/स्थिर एलोपैथिक तथा स्थिर आयुर्वेदिक औषधालय।
2. टी.बी. अस्पतालों में बिस्तरों के आरक्षण की योजना।
3. टी.बी. से पीड़ित बीड़ी कामगारों की घर पर इलाज की योजना।
4. कैंसर से पीड़ित बीड़ी कामगारों के इलाज की योजना।
5. मानसिक रोगों से पीड़ित बीड़ी कामगारों के इलाज की योजना।

6. कुष्ठ रोग से पीड़ित (घरखाता कर्मकारों सहित) बीड़ी कामगारों के इलाज की योजना।

7. चश्में खरीदने के लिए बीड़ी कामगारों को वित्तीय सहायता दिया जाना।

8. महिला बीड़ी कामगारों के लिये प्रसूति लाभ योजना।

9. बीड़ी कामगारों को बंध्याकरण के लिये मौद्रिक क्षतिपूर्ति की अदायगी की योजना।

10. हृदय रोगों के संबंध में बीड़ी कामगारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।

11. गुर्दा प्रत्यारोपण के संबंध में बीड़ी कामगारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।

ख. सामाजिक सुरक्षा

1. सामूहिक बीमा योजना।

ग. आवास

1. एकीकृत आवासीय योजना।

2. वर्कशैडों तथा गोदामों के निर्माण हेतु बीड़ी उद्योग की सहकारिता समितियों को आर्थिक सहायता दिया जाना।

घ. शिक्षा

1. बीड़ी कामगारों (घरखाता बीड़ी कामगारों सहित) के बच्चों को छात्रवृत्ति दिया जाना।

2. बीड़ी कामगारों के स्कूल जाने वाले बच्चों को एक जोड़ा वर्दी, स्लेटों, कापियों तथा पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति के लिये वित्तीय सहायता हेतु संयुक्त योजना।

3. हाई स्कूल से आगे अंतिम विश्वविद्यालय/बोर्ड की परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहनों की अदायगी।

4. बीड़ी कामगारों की लड़कियों को स्कूलों में उनकी हाजिरी के आधार पर 1/- रुपये की प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।

ङ. मनोरंजन

1. श्रव्य दृश्य सेटों/सिनेमा वाहनों की स्थापना/फिल्मों का दिखाया जाना।

2. बीड़ी कामगारों के लिये खेलकूद, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों का आयोजन।

3. बीड़ी कामगारों के लिये होलीडे होम योजना।

4. बीड़ी कर्मकार औद्योगिक सहकारी समितियों को टी.वी. सेटों की आपूर्ति।

5. बीड़ी कर्मकार आवास कालोनी में रंगीन टेलीविजन वाले सामुदायिक केन्द्र की स्थापना।

विवरण III

क्षेत्र का नाम	लाभार्थियों की संख्या
इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	364469
बंगलौर (कर्नाटक और केरल)	963856
भीलवाड़ा (गुजरात और राजस्थान)	304090
भुवनेश्वर (उड़ीसा)	487095
कलकत्ता (प. बंगाल, असम और त्रिपुरा)	1233263
हैदराबाद (तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश)	1293949
जबलपुर (मध्य प्रदेश)	985382
कर्मा (बिहार)	882157
नागपुर (महाराष्ट्र)	318265

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार के अवसर

2702. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जुलाई, 2000 तक प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) राज्य-वार निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में जुलाई, 2000 तक रोजगार और अन्य सहायता प्रदान करने हेतु कितनी धनराशि जारी/स्वीकृत की गई; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान किन-किन राज्यों ने ठोस लक्ष्य प्राप्त किए?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 में राज्यवार नियत किया गया लक्ष्य और लाभान्वित लोगों को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ग) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 एवं चालू वर्ष नामत: 2000-2001 (31.7.2000 तक) के दौरान आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास के लिए बजट आबंटन और रिलीज की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 के लिए आबंटित लक्ष्य की प्राप्ति करने वाले राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के नामों को दर्शाने वाला विवरण-III संलग्न है।

विवरण I

विगत तीन वर्षों अर्थात् 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य-वार नियत लक्ष्य और लाभान्वित लोगों की संख्या
(2.8.2000 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1997-98		1998-99		1999-2000	
		योजना सं.	बैंकों द्वारा किया गया संवितरण सं.	योजना सं.	बैंकों द्वारा किया गया संवितरण सं.	योजना सं.	बैंकों द्वारा किया गया संवितरण सं.
1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तरी क्षेत्र							
1.	हरियाणा	4200	4925	4150	5736	4150	3845
2.	हिमाचल प्रदेश	2300	2009	2300	1917	2450	1690
3.	जम्मू एवं कश्मीर	1300	1969	1300	835	1300	772
4.	पंजाब	4500	7934	4500	8068	4250	6622
5.	राजस्थान	8200	9681	8150	10026	8050	7339
6.	चंडीगढ़	600	114	100	75	500	42
7.	दिल्ली	4700	755	4700	506	4850	502
पूर्वोत्तर क्षेत्र							
8.	असम	6700	7437	6700	5425	6400	2176
9.	मणिपुर	100	658	1000	393	1000	40
10.	मेघालय	300	377	300	201	300	107
11.	नागालैंड	250	335	250	39	200	20
12.	त्रिपुरा	650	211	650	105	560	41

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	अरुणाचल प्रदेश	150	178	125	166	100	22
14.	मिजोरम	200	334	200	34	200	1
15.	सिक्किम	100	58	100	45	100	38
पूर्वी क्षेत्र							
16.	बिहार	21500	12139	20500	8205	21800	538
17.	उड़ीसा	6800	4903	6700	2906	7100	56
18.	पश्चिम बंगाल	23000	4017	23000	2615	22800	175
19.	अंडमान एवं निकोबार	100	61	100	76	75	9
केन्द्रीय क्षेत्र							
20.	मध्य प्रदेश	15400	22231	15400	19054	15800	10765
21.	उत्तर प्रदेश	25800	31476	25800	34830	26000	29110
पश्चिमी क्षेत्र							
22.	गुजरात	8400	7110	8300	10670	8300	9615
23.	महाराष्ट्र	21300	30514	21250	26352	21800	20956
24.	दमन एवं दीव	50	23	25	21	25	16
25.	गोवा	600	251	600	301	500	380
26.	दादर एवं नगर हवेली	50	67	25	28	50	25
दक्षिणी क्षेत्र							
27.	आन्ध्र प्रदेश	17100	20556	17100	15092	16800	9757
28.	कर्नाटक	11000	14021	10950	12791	11100	7418
29.	केरल	16000	11542	16000	11758	16000	10026
30.	तमिलनाडु	18500	12745	18400	11289	17000	9142
31.	लक्षद्वीप	50	40	50	31	20	19
	पांडिचेरी	500	308	500	319	500	206
	निर्दिष्ट नहीं	12	—	—	6	—	—
	अखिल भारतीय	221312	208979	219225	189850	220080	138499

*संवितरण और अधिक बाढ़ सकते हैं।

विवरण II

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 और 2000-2001 (31.7.2000 तक) के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत बजट आबंटन और रिलीज की गई राशि

(करोड़ रुपये में)

सं.	वर्ष	बजट आबंटन	रिलीज किया गया फंड
	1997-98	95.00	94.86
	1998-99	135.50	135.50
	1999-2000	190.00	190.00
	2000-2001 (31.7.2000 तक)	201.00	30.00

विवरण III

वे राज्य जिन्होंने वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 में आबंटित लक्ष्य की प्राप्ति की

भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पर आधारित

सं.	1997-98	1998-99	1999-2000*
	हरियाणा	हरियाणा	पंजाब
	जम्मू एवं काश्मीर	पंजाब	उत्तर प्रदेश
	पंजाब	राजस्थान	गुजरात
	राजस्थान	मध्य प्रदेश	
	असम	उत्तर प्रदेश	
	मेघालय	गुजरात	
	नागालैंड	महाराष्ट्र	
	अरुणाचल प्रदेश	कर्नाटक	
	उड़ीसा		
.	मिजोरम		
.	मध्य प्रदेश		
.	उत्तर प्रदेश		
	महाराष्ट्र		
.	दादर एवं नगर हवेली		
.	आन्ध्र प्रदेश		
.	कर्नाटक		

*नंतिम

बाल श्रम का उन्मूलन

2703. श्री जयभान सिंह पवैया :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाल श्रम उन्मूलन संबंधी प्रगति की जांच करने हेतु नियमित वार्ताक्रम जारी रखने के संबंध में सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को कोई विज्ञप्ति भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस सामाजिक बुराई का उन्मूलन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार को राज्य सरकारों की ओर से इस संबंध में कोई समयबद्ध कार्यक्रम प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) देश से बाल श्रम का उन्मूलन कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) जी हां, दिनांक 19.2.2000 को एक पत्र सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भेज दिया गया है। पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 कारखाना अधिनियम खान अधिनियम मीटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम आदि के अंतर्गत बच्चों को कार्य से मुक्त कराने और विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए संसाधन जुटाकर उनका पुनर्वास करने बाल श्रम उन्मूलन के लिए समन्वित कार्रवाई हेतु सभी संबंधित विभागों के साथ एक राज्य स्तरीय प्राधिकरण की स्थापना के लिए उपाय की शुरूआत करने और प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए निर्णयात्मक और अभिमुखी कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(ग) से (च) भारत सरकार बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना और स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुदान-सहायता योजना नामक दो योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। इस समय 93 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 1.9 लाख बच्चों के पुनर्वास के लिए 11 बाल श्रम बहुल राज्यों में क्रियान्वित की जा रही हैं। सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को जारी रखने का अनुमोदन कर दिया है। परियोजना को बढ़ाकर 100 तक किया जाना है।

अनुदान सहायता योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों कामकाजी बच्चों के लाभार्थ कार्योन्मुख योजनाएं चलाने के लिए संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर स्वैच्छिक संगठनों की निधियां जारी की जाती हैं। इस समय अनुदान-सहायता योजना के अन्तर्गत 60 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।

उपर्युक्त दो योजनाएं वर्ष 2000-2001 में भी चलती रहेंगी।

सरकार बाल श्रम के सभी रूपों के उन्मूलन के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। समस्या के स्वरूप और आकार को देखते हुए बाल श्रम को कार्य से हटाने एवं पुनर्वासित करने के लिए एक सतत और क्रमिक दृष्टिकोण अपनाया गया है।

अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण पर आय सीमा

2704. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य पिछड़ी जातियों (ओ.बी.सी.) में मलाईदार तबके (क्रीमीलेयर) को आरक्षण लाभ से वंचित करने हेतु उनका निर्धारण उनकी सकल वार्षिक आय के आधार पर किया जाता है जो 1993 में एक लाख और इससे अधिक निर्धारित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि तथा मूल्य सूचकांक में व्यापक वृद्धि के मद्देनजर इस आय सीमा में संशोधन करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) विद्यमान मानदण्डों में एक मानदण्ड के अनुसार, अन्य पिछड़े वर्गों के ऐसे व्यक्तियों के पुत्र (पुत्रों) तथा पुत्री (पुत्रियों) को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना है, जिनकी लगातार तीन वर्षों तक सकल वार्षिक आय एक लाख रुपए या इससे अधिक हो।

(ख) और (ग) उक्त भाग (क) में उल्लिखित आय के मानदंड में संशोधन करने के प्रस्ताव की, अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों/आयोगों के साथ परामर्श से, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में जांच की जा रही है।

भारतीयों का प्रत्यावर्तन

2705. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में सऊदी अरब में अवैध रूप से कार्य कर रहे बहुत से भारतीयों को वहां से वापस भेज दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अभी और कितने भारतीयों को वापिस भेजा जाना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, नहीं।

(ख) सऊदी अरब ने अधिक समय तक रहने वालों और आवास परमिट नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए 2 अप्रैल, 2000 से 2 जुलाई, 2000 तक की अवधि के लिए राजक्षमा की घोषणा की थी जिसके दौरान वे या तो अपनी आवासीय स्थिति को नियमित करवा सकते थे या देश छोड़ सकते थे ताकि वे कानूनी कार्रवाई से बच सकें। भारतीय दूतावास, रियाद और जद्दा स्थित कोंसलावास ने 7048 ऐसे भारतीय राष्ट्रिकों को आपातकालीन प्रमाणपत्र जारी किये जो राजक्षमा योजना के अंतर्गत सऊदी अरब छोड़ना चाहते थे।

(ग) अनुमान है कि लगभग 4500 अवैध निवासी पहले ही भारत लौट चुके हैं तथा सऊदी प्राधिकारी बचे हुए लोगों को भी यह सत्यापन करने के बाद कि उनके विरुद्ध कोई अभियोग अथवा दावा नहीं है, धीरे-धीरे सऊदी अरब छोड़ने की अनुमति दे रहे हैं।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना

2706. श्री हरिभाऊ शंकर महाले : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों को कुल कितनी राज सहायता तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) महाराष्ट्र हेतु कौन-कौन से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग व्यवहार्य हैं तथा आर्थिक रूप से लाभकारी हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के संबंध में कोई विस्तृत अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने अपनी योजना स्कीमों के तहत सहायता अनुदान और आसान शर्तों पर ऋण के रूप में गैर-सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, निजी उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, मानव संसाधन विकास तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को आठवीं योजना के दौरान 177.11 करोड़ रुपये की तथा नौवीं योजना के दौरान 31 मार्च, 2000 तक 90.65 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई।

(ख) कृषि-बागवानी उपज के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में अंगूर, आम, केला, आलू, प्याज और दूसरी सब्जियों, मांस तथा पॉल्ट्री, मछली, दूध, खाद्यान्न और अनाजों आदि पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने की संभावनाएं हैं।

(ग) और (घ) हालांकि विभाग ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है, महाराष्ट्र मात्स्यिकी विकास निगम तथा महाराष्ट्र औद्योगिक एवं तकनीकी परामर्शी संगठन को ऐसे अध्ययन और सर्वेक्षण करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है ताकि महाराष्ट्र राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की संभावनाओं का मूल्यांकन किया जा सके।

राज्यपालों की समिति

2707. श्री रामदास आठवले :
श्री रतन लाल कटारिया :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 13 जुलाई, 2000 को राज्यों के राज्यपालों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में हुई भारी अनियमितताओं और उनके लिए जारी कोष के अनुप्रयुक्त रह जाने के मामले की जांच के लिये राज्यपालों की एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति का गठन हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में हुई देरी के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) राज्यपालों के 12 तथा 13 जुलाई, 2000 को आयोजित सम्मेलन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अभिप्रेत कल्याणकारी कार्यक्रमों पर उनके विचार और चिन्तन को रिकार्ड करने के लिए राज्यपालों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था।

(ख) से (ङ) मामला विचाराधीन है।

[अनुवाद]

अनौपचारिक क्षेत्र को मान्यता

2708. श्री साहिब सिंह : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कलकत्ता, बंगलौर, अहमदाबाद और कानपुर जैसे महानगरों में कितने प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिये श्रमिकों को मान्यता प्रदान करने और औपचारिक रूप देने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) शहरी अनौपचारिक क्षेत्र में नौकरी के सृजन के प्रति नीतिगत दृष्टिकोण पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला फरवरी, 2000 में अ.श्र.सं., श्रम मंत्रालय और श्रम विकास संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी जिसका निष्कर्ष यह था कि भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में शिष्ट कार्य दशाएं न्यूनतम श्रम मानकों का प्रवर्तन करके, उद्यम और उद्यमवृत्ति के विकास को बढ़ावा देकर और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके प्राप्त की जा सकती हैं। सम्मेलन का यह भी निष्कर्ष था कि एक समुचित नीति से अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में आज की तुलना में कहीं अधिक कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना संभव होगा और असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों के संगठन से अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कर्मकारों को अपनी बात कहने की स्थितियां उत्पन्न की जा सकती हैं।

(ख) महानगरों के संबंध में ये आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते।

(ग) और (घ) भारत में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों के कर्मकारों को संघ बनाने के अधिकार और अपनी मजदूरी के लिए सौदा करने और कानूनों व विनियमों के अधिकार प्राप्त हैं। कर्मकार अपने संघ को भारत के व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अंतर्गत पंजीकृत करा सकते हैं। तथापि, अनौपचारिक क्षेत्र के अधिकांश कर्मकार विभिन्न कारणों से असंगठित रह गए हैं जैसे उनके कार्य की मौसमी प्रकृत्ति, उनके कार्यकरण का भिन्न होना, जागरूकता की कमी और अपर्याप्त संघवाद। हाल ही में व्यवसाय संघ अपने संगठनों को अधिक सुसंगत और अनौपचारिक क्षेत्र के अनुरूप बनाने के लिए अधिकाधिक कदम उठा रहे हैं, तथापि, उनके संघ बनाने पर कोई विधिक प्रतिबंध नहीं है।

बाढ़ नियंत्रण

2709. श्री प्रियरंजन दासमुंशी :
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री तरूण गोगोई :
श्री शीशराम सिंह रवि :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और विशेषकर पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिले गंगा, ब्रह्मपुत्र और अनेक सहायक नदियों द्वारा विनाशकारी बाढ़, अत्यधिक भू-क्षरण और जल भराव के कारण बुरी तरह प्रभावित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में पश्चिम बंगाल के किसी संसद सदस्य से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा उक्त राज्यों में नियमित रूप से आने वाली बाढ़ों को नियंत्रित करने हेतु कोई दीर्घकालिक और अल्पकालिक उपाय किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त प्रत्येक राज्य को बाढ़ के खतरे को नियंत्रित करने हेतु कितनी अतिरिक्त विशेष धनराशि प्रदान की गई?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) जी, हां।

(ख) *असम में बाढ़ समस्या:* असम में 78.5 लाख हेक्टेयर कुल भौगोलिक क्षेत्र में से लगभग 31.5 लाख हैक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रवण है। इसमें ब्रह्मपुत्र घाटी में 28 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र तथा बराक घाटी में 3.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है। राज्य में जल निकास संकुलता के 30 अभिज्ञात स्थान हैं। बाढ़ों से सामान्यतः प्रभावित जिले धीमा जी, गोलाघाट, जोरहाट, उत्तरी लखीमपुर, सिबसागर, धुबी, दरांग मोरीगांव, गोलपारा, नालबारी और बारपेटा हैं।

पश्चिम बंगाल में बाढ़ समस्या: पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 88.75 लाख हैक्टे. भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें से 26.5 लाख हेक्टे. क्षेत्र बाढ़ प्रवण है। पश्चिम बंगाल गंगा/पदमा तथा इसकी सहायक नदियों जैसे महानन्दा, पूर्ण प्रभा, भागीरथी, हुगली, मयूराक्षी, अजॉय, दामोदर आदि द्वारा आने वाली प्रचन्ड बाढ़, अत्यधिक मृदा कटाव तथा जल जमाव से प्रभावित है। अकसर सर्वाधिक प्रभावित होने वाले जिले उत्तर और दक्षिण दीनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नाडिया, बर्दवान, वीरभूम, मिदनापुर, हावड़ा, हुगली और उत्तर तथा दक्षिण 24 परगना हैं।

बिहार में बाढ़ समस्या : बिहार में 173.88 लाख हेक्टे. कुल भौगोलिक क्षेत्र में से लगभग 42.6 लाख हेक्टे. क्षेत्र बाढ़ प्रवण है। बिहार राज्य बागमती, अधवारा, कमला बालान, कोसी, महानन्दा, पुनपुन, सोन, घाघरा, गंगा, गंडक और बूढ़ी गंडक नदियों से होने वाली तेज बाढ़, अत्यधिक मृदा कटाव और जल जमाव से प्रभावित हैं। बाढ़ से सामान्यतः प्रभावित जिले मुजफ्फरपुर, पश्चिम चम्पारन, पूर्वी चम्पारन, सीतामढ़ी, शिवहर, सारण, गोपालगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बेगूसराय, खगड़ियां, भागलपुर, साहेबगंज, पाकुर, पटना और जहानाबाद हैं।

उत्तर प्रदेश में बाढ़ समस्या : उत्तर प्रदेश में 294.41 लाख हेक्टे. भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें से 73.4 लाख हेक्टे. क्षेत्र बाढ़ों के अधीन है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ मुख्यतः घाघरा, गंगा, गण्डक, केन, राप्ती, वेतवा और यमुना नदियों से बाढ़ आती है। बाढ़ से सामान्यतः प्रभावित जिले खीरी, गोरखपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, सन्त कबीर नगर और बहराइच है।

(ग) जी, हां।

(घ) बाढ़ नियंत्रण राज्य का विषय है। बाढ़ प्रबंधन कार्यों की आयोजना, क्रियान्वयन और अनुरक्षण मुख्यतः राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्र, तकनीकी, उत्प्रेरक और प्रोत्साहनात्मक सहायता देता है। संसद सदस्यों से प्राप्त अभ्यावेदनों के उत्तर में केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को माननीय संसद सदस्यों की इच्छा के अनुसार राज्य योजना निधियों में से उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

इसके अलावा, गम्भीर रूप से प्रभावित कुछ खंडों में कटाव रोधी कार्य करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने केन्द्र प्रायोजित स्कीम तैयार की है। योजना आयोग और व्यय वित्त समिति ने इस स्कीम को पहले ही स्वीकृत कर दिया है।

(ङ) और (च) राज्य सरकारें आवश्यकता के अनुसार स्थान विशिष्ट स्कीमें शुरू कर रही है। असम राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहायता से राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बहुत सी बाढ़ नियंत्रण स्कीमें शुरू की हैं। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने बराक घाटी में जल निकास संकुलता दूर करने के लिए उस क्षेत्र में हरंगे जलनिकास विकास स्कीम का निर्माण शुरू किया है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिनों की मास्टर योजनाएं तैयार की हैं और उन्हें असम राज्य सरकार तथा अन्य संबंधित राज्यों को कार्यान्वयन के लिए भेजा है। मास्टर योजनाओं में क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण के लिए अल्पावधि तथा दीर्घावधि दोनों उपायों पर बल दिया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार तथा फरक्का बराज परियोजना प्राधिकरण गंगा-पदमा नदी प्रणाली मौजूदा कटाव समस्या को रोकने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें कार्यान्वित कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किए जाने पर गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

राज्य में बाढ़ नियंत्रण और कटाव-रोधी स्कीमें शुरू करने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान असम राज्य सरकार के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में 20.00 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई हैं।

वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान बाढ़ प्रबंधन/कटाव रोधी उपायों के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के लिए 30 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। चालू वित्त वर्ष में फरक्का बराज परियोजना प्राधिकरण के जरिए बाढ़ प्रबंधन/कटाव रोधी कार्य के लिए 2.52 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। इसके अलावा नौवीं योजनावधि के दौरान मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में कटाव रोधी स्कीमें शुरू करने के वास्ते फरक्का बराज परियोजना प्राधिकरण के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम में 17.50 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

बिहार राज्य में चल रही केन्द्र प्रायोजित स्कीमों अर्थात (1) कोसी और गण्डक नदियों में बाढ़ संरक्षण कार्य, (2) उत्तर बिहार में बाढ़ रोधी कार्यक्रम, और (3) लालबकिया, कमला, बागमती और खांडों नदियों पर विद्यमान तटबंधों को ऊंचा उठाना तथा सुदृढ़ करने के लिए चालू वित्त वर्ष में क्रमशः 5 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये और एक करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 की केन्द्र प्रायोजित स्कीम में क्रमशः 39.50 करोड़ और 20.00 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

[हिन्दी]

न्यूनतम समर्थन मूल्य

2710. योगी आदित्यनाथ :
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों को उनके उत्पाद का लाभप्रद मूल्य प्रदान करने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने और समय पर बोनस देने तथा इसे विस्तृत रूप से प्रचारित करने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (ङ) सरकार प्रत्येक मौसम में मुख्य कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है ताकि किसानों को उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके। न्यूनतम समर्थन मूल्य में न केवल उत्पादन लागत अपितु किसानों के लिए उचित लाभ ही शामिल होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य समय पर घोषित करने के सभी प्रयास किए जाते हैं। सरकार की घोषणा के बाद सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार-पत्रों आदि जैसे प्रचार माध्यमों के जरिए व्यापक प्रचार किया जाता है।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति

2711. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य की पोल्लमपल्ली, पोलावरम, दुम्मु गुडेय और इचमपल्ली सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति देने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सरकार से केवल पोलावरम परियोजना और इचमपल्ली सिंचाई परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। इन परियोजनाओं को अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है क्योंकि किसी भी परियोजना की स्वीकृति तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, अंतर्राज्यीय मुद्दों का समाधान तथा पर्यावरण और वन दृष्टिकोण से स्वीकृति प्राप्त करने इत्यादि जैसे अनेक कारकों से जुड़ी होती हैं।

[हिन्दी]

दुग्ध योजनाएं

2712. श्री रामशकल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा देश में चलाई जा रही दुग्ध योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं का लाभ देश के प्रत्येक गांव में पहुंचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कोई नई दुग्ध योजना शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन योजनाओं को किन-किन स्थानों पर शुरू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) संघ सरकार निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रही है:-

(1) गैर ऑपरेशन फ्लड, पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों के लिए एकीकृत डेयरी विकास परियोजना।

(2) सहकारिताओं को सहायता।

ऑपरेशन फ्लड (1970-96) के तहत लगभग 84,289 सहकारी समितियां गठित की गई हैं और 106.08 लाख किसानों को इसमें शामिल किया गया है जो इन ग्राम डेयरी सहकारिताओं के सदस्य हैं।

जिन क्षेत्रों को ऑपरेशन फ्लड के तहत कवर नहीं किया गया था और जो पहाड़ी तथा पिछड़े हैं उन्हें एकीकृत डेयरी विकास परियोजना के तहत कवर किया जा रहा है। सहकारिताओं को सहायता संबंधी योजना का उद्देश्य संभावित दक्ष संघों/परिसंघों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

(ग) और (घ) इस स्तर पर किसी नई योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है।

हथिनी कुंड बैराज

2713. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा के यमुनानगर जिले में हथिनी कुंड बैराज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बैराज को कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) हथिनी कुंड बैराज और इसके अनुषंगिक कार्यों के निर्माण के लिए 19 सितम्बर, 1996 को निर्माण कम्पनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गये। यद्यपि हथिनी कुंड बैराज को पूरा करने की निर्धारित तिथि सितम्बर, 1999 के अन्त तक थी तथापि यह 9 जुलाई, 1999 को औपचारिक रूप से हरियाणा राज्य को सौंपा गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत संयंत्रों से राख

2714. श्री राम सिंह कास्वां:
श्रीमती जस कौर मीणा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली फ्लाई ऐश कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई परीक्षण किया गया है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ा है; और

(घ) देश में विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों से कितनी मात्रा में फ्लाई ऐश निकलता है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) कृषि में फ्लाई ऐश (राख) के प्रयोग के बारे में भारत सरकार के अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रारंभिक अध्ययन से स्पष्ट है कि यह फसल उत्पादन की वृद्धि में सहायक हो सकती है।

(ख) और (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बाजरा, सरसों, गेहूं, चावल और मूंगफली जैसी फसलों पर अल्पकालिक अध्ययन किया है, जहां फसल उत्पादन में वृद्धि पायी गयी है। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी फ्लाई ऐश पर एक 'मिशन प्रोजेक्ट' चला रहा है इस प्रोजेक्ट के तहत 'फ्लाई ऐश' के प्रयोग से फसलों की उपज में लगभग 15.25% की वृद्धि पायी गयी है। फ्लाई ऐश में विषैली/भारी धातुएं भी होती हैं जिसे दीर्घकाल में मृदा की उर्वरता पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसलिए मिशन प्रोजेक्ट के तहत दीर्घकालिक अध्ययनों के परिणाम से फसल पैदावार तथा मृदा उत्पादकता के समग्र प्रभाव को समझने में सहायता मिलेगी।

(घ) वर्ष 1998-99 के दौरान देश के विभिन्न थर्मल पावर केन्द्रों द्वारा उत्पादित फ्लाई ऐश के लगभग 80.0 मिलियन मी. टन होने का अनुमान है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

2715. श्री रघुनाथ झा :
श्री तिरूनावुकरसु :
श्री जी.जे. जावीया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) के अंतर्गत बागवानी उत्पाद और फलों को शामिल करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 2000-2001 के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) के क्रियान्वयन हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में मोटे अनाज, कदन्न, दलहन, तिलहन तथा वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों को कवर करने की संकल्पना है। इसमें वार्षिक फसलों की तुलना में बहुवर्षीय बागवानी/फल फसलों को उनकी दीर्घावधि के कारण फिलहाल शामिल नहीं किया गया है। तथापि, भारतीय साधारण जीवन बीमा निगम की सहायक कंपनियों के पास सेब और अन्य बागवानी/रोपण फसलों जैसे बहुवर्षीय फसलों को कवर करने वाली बीमा पालिसियां उपलब्ध हैं।

(ग) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए 2000-2001 में 100.00 करोड़ रुपए की धनराशि मुकर्रर की गई है। इस स्कीम के तहत कार्यान्वयक अभिकरणों को धनराशि निर्मुक्त की गई और इस प्रकार राज्य-वार कोई आबंटन नहीं किया गया है।

भूख से मौतें

2716. श्री के. मुरलीधरन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष के दौरान देश में राज्यवार और हाल में केरल में भूख से कितनी मौतें हुई; और

(ख) इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) केरल सहित किसी भी राज्य सरकार से विगत एक वर्ष के दौरान भूख से मौतें होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

खाद्य पार्क

2717. श्रीमती जयश्री बनर्जी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य पार्कों की स्थापना आरंभ में मध्य प्रदेश के इन्दौर और रतलाम जिलों में करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु कितना अनुदान दिया गया है;

(ग) क्या खाद्य पार्कों की स्थापना के बाद सौ से भी अधिक निजी कृषि आधारित उद्योग स्थापित हो सकेंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसे उद्योगों की स्थापना करने हेतु राज्य के एक ही क्षेत्र के जिलों का चयन करने का क्या मानदण्ड है;

(च) क्या सरकार का विचार भविष्य में जबलपुर जिले में भी खाद्य पार्क स्थापित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग को मंदसौर (मध्य प्रदेश) में एक खाद्य पार्क की स्थापना के वास्ते वाणिज्य तथा लघु उद्योग निदेशालय, मध्य प्रदेश से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव कई दृष्टियों से अधूरा था इसलिए पूरा करने के लिए संबंधित विभाग को वापस भेज दिया गया है।

(ख) से (घ) योजना स्कीमों के तहत बिजली की लगातार सप्लाई/कोल्ड स्टोरेज/बर्फ संयंत्र/भंडारण सुविधाओं/बहिस्राव उपचार संयंत्र, गुणवत्ता नियंत्रण तथा विश्लेषण प्रयोगशालाओं और फल सांद्रण/गूदा बनाने वाली यूनिटों आदि जैसी आम सुविधाओं के लिए खाद्य पार्कों की स्थापना के वास्ते सहायता दी जाती है ताकि द्वितीय प्रसंस्करणकर्ता कम पूंजी निवेश से अधिक मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार करने के लिए अधिक पूंजी निवेश वाली सामान्य सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकें। यह सम्पदा/पार्क, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/संयुक्त/सहायताप्राप्त/निजी क्षेत्र/गैर-सरकारी संगठनों/सहकारिताओं द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। इसके लिए दी जाने वाली सहायता की राशि 400 लाख रुपये है।

(ङ) ऐसे संपदा/पार्क की स्थापना के लिए जगह का चयन जोकि जमीन, कच्चे माल, पावर, पानी की सप्लाई आदि जैसी विभिन्न बातों और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर निर्भर करता है, प्रमोटर संगठन द्वारा किया जाता है।

(च) और (छ) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

पौल्ट्री उत्पाद

2718. श्री मणि शंकर अय्यर : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु पौल्ट्री किसान कल्याण संघ की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें पौल्ट्री उत्पादों पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने के कारण ब्रॉयलर उद्योग की दयनीय स्थिति को उजागर किया गया है; और

(ख) भारतीय ब्रॉयलर उद्योग को बचाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, नहीं।

(ख) निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) ब्रॉयलर घरेलू उत्पादकों की रक्षा के लिए कुक्कुट मीट के आयात पर आयात शुल्क को 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है।

(2) वाणिज्य मंत्रालय ने विभिन्न योजनाएं बनाई हैं जिनके तहत निर्यात संवर्धन के लिए कुक्कुट उत्पादों के लिए तथा कुक्कुट उत्पादों के बाजार का विकास और हैचिंग अंडों के निर्यात पर हवाई भाड़े में राजसहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(3) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग कुक्कुट और अंडा प्रसंस्करण विकास के लिए एक योजना चला रहा है जिसके तहत सहकारिताओं, गैर-सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं और निजी क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पद

2719. श्री रमेश सी. जीगाजीनागी :
श्री कांतिलाल भूरिया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संसद सदस्यों के मंच ने 17.12.1996, 1.9.1997 तथा 23.7.1998 को प्रधान मंत्री को सौंपे गये अभ्यावेदन में इस बात की मांग की है कि भारत सरकार के अधीन सभी विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की पर्याप्त संख्या में तैनाती की जाये;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने अनुदान प्राप्त करने वाले कृषि विश्वविद्यालयों, मानद विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध शैक्षणिक संस्थानों में प्रोफेसर और समतुल्य पदों की संख्या क्या है और 1.1.1996 की तिथि के अनुसार इन पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने लोग हैं और कुल पदों के मुकाबले यह कितना प्रतिशत है;

(ग) 1.1.1997 और उसके बाद इन पदों पर कितने लोगों की नियुक्ति की गई और ऐसी कुल नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या और उनकी प्रतिशतता क्या है; और

(घ) ऐसे पदों के लिये लोगों के चयन करने वाली समिति/बोर्ड का स्वरूप क्या है और ऐसी समितियों/बोर्डों में अनुसूचित जाति/जनजातियों के लोगों को भी संबद्ध करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में इस प्रकार के कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग

2720. श्री कृष्णमराजू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सरकार को कोई अंतरिम या प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा कब तक सिफारिशें या रिपोर्ट सौंपे जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग का गठन दिनांक 19 जनवरी, 2000 को किया गया है तथा इसके गठन की तारीख से 12 महीनों की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने की आशा की जाती है।

[हिन्दी]

नवादा और अपर सकरी सिंचाई परियोजना

2721. डा. संजय पासवान : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड का बिहार की लंबित वर्षा जल-संचय सिंचाई परियोजना को अर्थात् नवादा और अपर सकरी जलाशय योजना को पूरा करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं पर काम कब तक शुरू कर दिया जाएगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार बिहार में नवादा के नाम की कोई परियोजना नहीं है। तथापि, कुछ शर्तों के अधीन सलाहकार समिति द्वारा नवादा जिले को लाभ पहुंचाने वाली तिलैया धादर परियोजना हाल ही में स्वीकृत की गई है। कुछ टिप्पणियों के साथ सलाहकार समिति द्वारा अपर साकरी जलाशय परियोजना वर्ष 1984 में स्वीकृत की गयी थी तथापि, राज्य सरकार ने वर्ष 1998 में संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसकी जांच की गई है और आवश्यक अनुपालना के लिए टिप्पणियां भेजी गई हैं। राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, क्रियान्वयन और वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त कर लेने के बाद कार्य की शुरूआत की जा सकती है।

[अनुवाद]

भारतीय मछुआरों का अपहरण

2722. डा. ए.डी.के. जयशीलन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा हाल ही में भारतीय मछुआरों के अपहरण से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये घटनाएं प्रायः होती रहती हैं;

(ग) यदि हां, तो उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) श्रीलंका अधिकारियों द्वारा भारतीय मछुआरों के अपहरण की सरकार के पास कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बाह्य सहायता प्राप्त सिंचाई योजनाएं/परियोजनाएं

2723. **श्री थावरचन्द गेहलोत :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बाह्य सहायता से सिंचाई, जल संसाधन नहरों का आधुनिकीकरण, भूजल संरक्षण से संबंधित कितनी परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) क्या इन योजनाओं का कार्य पूरा हो गया है अथवा अपनी लक्षित तिथि के अनुसार कार्य जारी है;

(ग) यदि नहीं, तो उनमें से कितने पर काम रोक दिया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) देश में विशेष कर मध्य प्रदेश में वर्ष 2000-2001 के दौरान इनमें से ऐसी कितनी परियोजनाओं को पूरा किए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (च) देश में सिंचाई जल संसाधन नहरों के आधुनिकीकरण और भूजल संरक्षण से संबंधित बीस विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें से गुजरात, हरियाणा, केरल, मणिपुर, उड़ीसा और राजस्थान प्रत्येक में एक-एक परियोजना के 2000-2001 में पूरा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में एक परियोजना चल रही है जिसे फरवरी, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है। सभी परियोजनाएं अपनी लक्षित तिथि के अंदर चल रही हैं और इनमें से किसी परियोजना को निलम्बित नहीं किया गया है। परियोजनाओं की स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	दाता अभिकरण	शुरू/पूरा होने की तिथि	परियोजना की कुल लागत (करोड़ रु. में)	सहायता की राशि मिलियन में	30.6.2000 तक उपयोग मिलियन में	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	(1) आंध्र प्रदेश-III सिंचाई परियोजना	विश्व बैंक	3.6.1997 / 31.1.2003	1889.78	325.00 अमरीकी डालर.	85.164 अमरीकी डालर	चल रही
		(2) एपीईआरपी (सिंचाई घटक)	विश्व बैंक	30.1.1999 / 31.3.2004	932.60	142.00 अमरीकी डालर	50.00 अमरीकी डालर	चल रही
		(3) के.सी. नहर परियोजना का आधुनिकीकरण	जेबीआईसी जापान	25.1.1996 / 26.3.2003	1033.74	16049.00 येन	1642.42 येन	चल रही
		(4) एपीवेल सिंचाई परियोजना	नीदरलैंड	14.11.1994 / 14.11.2002	73.00	37.00 एनएलजी	19.58 एनएलजी	चल रही
2.	गुजरात	(5) हाइड्रोप्लस फ्यूसगेट प्रणाली	फ्रांस	10.12.1998 / 31.12.2000	40.28	34.74 एफएफ	0.00 एफएफ	वर्ष 2000-2001 में पूरा होने की संभावना है
3.	हरियाणा	(6) हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना	विश्व बैंक	6.4.1994 / 31.12.2000	1858.00	258.00 अमरीकी डालर	152.80 अमरीकी डालर	वर्ष 2000-2001 के दौरान पूरा किए जाने की संभावना है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	केरल	(7) सामुदायिक सिंचाई परियोजना	नीदरलैंड	15.12.1993 30.6.2000	16.32	6.175 एनएलजी	2.805 एनएलजी	बढ़ाये जाने के लिये प्रस्ताव किया गया
		(8) केरल लघु सिंचाई परियोजना	ईईसी	21.5.1992 31.12.2000	60.00	11.80 ईसीयू	2.770 ईसीयू	वर्ष 2000-2001 तक पूरा किए जाने की संभावना है
5.	महाराष्ट्र	(9) महाराष्ट्र लघु सिंचाई परियोजना	केएफडब्ल्यू जर्मनी	31.12.1998 31.12.2006	115.79	45.00 डी एम	0.00 डी एम	चल रही
6.	मध्य प्रदेश	(10) राजघाट नहर परियोजना	जेबीआईसी जापान	12.12.1997 5.2.2003	523.41	13222.00 येन	1592.60 येन	चल रही
7.	मणिपुर	(11) भूमिजल अन्वेषण परियोजना	फ्रांस	20.11.1998 31.12.2001	2.94	4.53 एफएफ	0.00 एफएफ	चल रही
8.	उड़ीसा	(12) उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना	विश्व बैंक	5.1.1996 30.9.2002	1409.00	290.90 अमरीकी डालर	133.74 अमरीकी डालर	चल रही
		(13) रेंगाली सिंचाई परियोजना	जेबीआईसी जापान	12.12.1997 5.2.2003	510.90	7760.00 येन	1922.13 येन	चल रही
		(14) लिफ्ट सिंचाई परियोजना	केएफडब्ल्यू जर्मनी	19.2.1993 31.12.2000	119.55	50.00 डीएम	38.30 डीएम	वर्ष 2000-2001 में पूरा किए जाने की संभावना है
		(15) उड़ीसा लघु सिंचाई परियोजना	ईईसी	3.7.1995 31.12.2004	50.80	10.70 ईसीयू	0.465 ईसीयू	चल रही
9.	पांडिचेरी	(16) टैंक सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण	ईईसी	21.2.1997 21.2.2004	32.84	6.65 ईसीयू	0.72 ईसीयू	चल रही
10.	राजस्थान	(17) सिधमुख और नोहर सिंचाई परियोजना	ईईसी	10.6.1993 31.12.2000	186.00	45.00 ईसीयू	32.74 ईसीयू	वर्ष 2000-2001 में पूरा किए जाने की संभावना है।
11.	तमिलनाडु	(18) तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना	विश्व बैंक	22.9.1995 31.3.2002	815.00	282.90 अमरीकी डालर	94.75 अमरीकी डालर	चल रही
12.	उत्तर प्रदेश	(19) बुंदेलखंड जल संसाधन प्रबंधन परियोजना	नीदरलैंड	12.6.1996 31.5.2001	6.00	3.087 एनएलजी	1.35 एनएलजी	चल रही
13.	बहु-राज्यीय	(20) जल विज्ञान परियोजना	विश्व बैंक	22.9.1995 31.3.2002	725.00	142.00 अमरीकी डालर	46.20 अमरीकी डालर	चल रही

कृषि विकास योजना

2724. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि विकास में विलम्ब और कृषि योजनाओं को संचालित करने वाले प्रशासनिक ढांचे से संबंधित कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (ग) नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में खाद्यान्नों तथा कई अन्य कृषि जिंसों का वास्तविक उत्पादन योजना लक्ष्यों से कम था। संसाधन उपयोग की क्षमता बेहतर बनाने तथा उपलब्ध संसाधनों की उत्पादकता को बेहतरीन बनाने के लिए सरकार ने योजनाबद्ध क्षेत्र से वृहत प्रबंधन की ओर जाने का प्रस्ताव किया है।

[अनुवाद]

असंगति श्रम क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधेयक

2725. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक विधेयक लाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) असंगठित कर्मकारों की समूची श्रेणी के संबंध में विधेयक लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ने असंगठित श्रमिकों सहित श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए अनेक श्रम कानूनों का अधिनियमन किया है। इनमें से कुछ कानून हैं: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, बीड़ी व सिगार कर्मकार (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966, अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979, बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976, भवन व अन्य निर्माण कर्मकार (रोजगार का विनियम और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996, भवन व अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 आदि। लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, क्रोम अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और अभ्रक खानों में लगे कर्मकार, सिने कर्मकार और बीड़ी कर्मकार भी संबंधित कल्याण निधियों के अंतर्गत चलाए गए विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के दायरे में शामिल हैं। राज्य सरकारों ने हस्तकरघा बुनकरों, रिक्शा चालकों आदि जैसे विशिष्ट कार्यकलापों में लगे अनेक कर्मकारों को शामिल करने के लिए बीमा और सामाजिक सुरक्षा स्कीमें भी चलाई हैं। सरकार असंगठित क्षेत्रों में लगे कर्मकारों के रोजगार और सेवा शर्तों को सुधारने को महत्व देती रही है और इसके प्रति अब भी प्रयत्नरत है। सरकार का प्रयास है कि असंगठित क्षेत्रों में लगे अधिक से अधिक कर्मकारों को विधायी सुरक्षा प्रदान की जाए।

सरकार ने द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन भी किया है। आयोग के विचारार्थ विषय में अन्य बातों के साथ असंगठित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक संरक्षणदायी विधान बनाने के संबंध में सुझाव देना भी शामिल है।

[हिन्दी]

आर.ए.पी.पी. की एक इकाई का बंद किया जाना

2726. डा. जसवंत सिंह यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट की पहली इकाई को बंद करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुजरात में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना

2727. श्री जी.जे. जावीया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष गुजरात में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु मंजूर किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है इसलिए इन उद्योगों की

स्थापना करने के लिए उद्यमियों को कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग के लिए अपनी योजना स्कीमों के तहत गैर-सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, मानव संसाधन विकास तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को सहायता अनुदान और आसान शर्तों पर ऋण के रूप में वित्तीय सहायता देता है।

गुजरात राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के लिए दी गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है:

(राशि लाख रुपये में)

1997-98	25.00
1998-99	75.00
1999-2000	206.00

''सपुरा'' सिंचाई परियोजना

2628. श्री के.पी. सिंह देव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में ''सपुरा'' सिंचाई परियोजना अभी तक पूरी नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (घ) यह संदर्भ संभवत: उड़ीसा के सपुआ एवं बड़जोर एकीकृत मध्यम सिंचाई परियोजना के बारे में है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सपुआ नाला पर मिट्टी के बांध के निर्माण की योजना है, जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकताओं एवं उनके अपने संसाधनों के आधार पर किया जाता है। इस परियोजना की नौवीं योजना के बाद पूरा होने की संभावना है।

[हिन्दी]

पटना में कर्मचारी चयन आयोग का कार्यकाल

2729. मोहम्मद अनवारूल हक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पटना में कर्मचारी चयन आयोग का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यालय को कब तक स्थापित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कर्मचारी चयन आयोग का प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय दो अथवा दो से अधिक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की अपेक्षाएं पूरी करता है। इलाहाबाद में इस आयोग का केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय केवल उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की अपेक्षाओं को पूरा करता है। इसके मद्देनजर और वित्तीय बाधाओं के कारण पटना में अलग से क्षेत्रीय कार्यालय खोलना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

चावल का उत्पादन

2730. श्री तिरूनावकरसू : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान चावल उत्पादन में अनुसंधान हेतु आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में गुणवत्तायुक्त चावल का उत्पादन करने और इसके उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सतत् अध्ययन कराया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) राष्ट्रीय स्तर पर चावल अनुसंधान गतिविधियां दो संस्थानों नामतः केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (कटक) और चावल अनुसंधान निदेशालय (हैदराबाद) जिनमें देश की विभिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों में फैले अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार परियोजना के 51 केन्द्र भी शामिल हैं, में की जा रही हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस गतिविधि के लिए आवंटित कोष का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	आवंटित कोष (रु. लाख में)
1997-98	1581.05
1998-99	2151.60
1999-2000	2454.51

(ख) और (ग) देश में बढ़िया क्वालिटी का चावल पैदा करने और चावल उत्पादन को बढ़ाने के लिए निरंतर अध्ययन किए जा रहे हैं। दोनों की क्वालिटी में सुधार करने के साथ-साथ दानों की पैदावार बढ़ाने, रोगों, नाशीकीटों के प्रति रोधिता और अन्य जरूरी परीक्षणों के लिए समेकित प्रयास किए गए हैं। परिणामस्वरूप अधिक पैदावार देने वाली तथा मध्यम व बढ़िया दाने वाली किस्मों का विकास हुआ। देश में चावल उत्पादन को बढ़ाने के लिए सुधरी फसल उत्पादन क्रियाओं और संरक्षण प्रौद्योगिकी को अनुसंधान के द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व बैंक की सहायता

2731. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक से वित्तीय सहायता हेतु राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एन.ए.टी.पी.) के अंतर्गत कुल कितनी परियोजनाएं प्रस्तुत की गई हैं;

(ख) विश्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के अंतर्गत कुल कितनी परियोजनाओं को मंजूर किया गया है;

(ग) गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है और विश्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एन.ए.टी.पी.) के अंतर्गत इनमें से कुल कितनी परियोजनाओं की मंजूरी प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एन.ए.टी.पी.) नामक केवल एक परियोजना को विश्व बैंक द्वारा निधि मुहैया कराई गई है।

(ख) अभी तक राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एन.ए.टी.पी.) के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गठित समक्ष विशेषज्ञ समितियों ने कुल 416 उप-परियोजनाओं को स्वीकृत किया है।

(ग) और (घ) गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने एन.ए.टी.पी. के तहत निधि मुहैया कराने हेतु 78 उप-परियोजनाएं प्रस्तुत की थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इन उप-परियोजनाओं में से 56 को स्वीकृत किया है, जैसाकि संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंत नगर के लिए अगस्त, 2000 के अनुसार, राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के तहत स्वीकृत उप-परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	कृषि पारि-स्थितिक प्रणाली	मॉड	उप परियोजना शीर्षक	प्रधान अन्वेषक का नाम व पता	राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6
1.	पहाड़ी व पर्वत	आई वी एल पी/ टी ए आर	उत्तर प्रदेश का पहाड़ी क्षेत्र, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी वि.वि., रानीचौरी	डा. एम.सी. नौटियाल, जी.बी.पी.यू.ए.टी.	29.09
2.	सिंचित	आई वी एल पी/ टी ए आर	जी.बी.पी.यू.ए.टी., पंतनगर	डा. के.एस. शेखर	28.27

1	2	3	4	5	6
3.	शुष्क	पी एस आर	पशुओं में परजीवी संबंधी रोगों के नियंत्रण के लिए औषधीय पौधों की पहचान व मूल्यांकन	जी.बी.पी.यू.ए.टी. पंतनगर (उ.प्र.)	34.56
4.	पहाड़ी व पर्वत	पी एस आर	सब्जी व फल उत्पादन प्रणाली के लिए आई पी एन एस का विकास	डा. आर.वी. शर्मा, जी.बी.पी. पी.यू.ए.टी. रानीचौरी-249199 (उ.प्र.)	89.90
5.	पहाड़ी व पर्वत	पी एस आर	शीत जल में जल-जीव पालन प्रबंधन, महशीर मात्स्यिकी की संभावनाओं का मूल्यांकन तथा हिमालय क्षेत्र में इसके संरक्षण के लिए इसके पालन की व्यवहार्यता	डा.ए.पी. शर्मा, जी.बी.पी. यू.ए.टी. रानीचौरी कैम्पस (उ.प्र.)	29.53
6.	बारानी	पी एस आर	भारत में बारानी अवस्थाओं के तहत अन्तः फसल प्रणाली में अनुसंधान में आए अंतरों की पहचान	जी.बी.पी.यू.ए.टी., पंतनगर	0.63
7.	बारानी	पी एस आर	ज्वार की रोटी बनाने वाली और टिकाऊ किस्म में सुधार	डा. जी.के. गर्ग, जी बी पी यू ए टी	103.60
8.	बारानी	पी एस आर	गुण वर्धन के लिए मोटे अनाजों का संसाधन तथा पौष्टिक आहार का विकास	जी बी पी यू ए टी, पंतनगर	23.62
9.	बारानी	पी एस आर	रागी (इल्यूसिन कोराकेना गेरन) के ब्लास्ट के समेकित प्रबंध पर अनुसंधान का सुदृढ़ीकरण	जी बी पी यू ए टी, रानीचौरी	40.36
10.	सिंचित	पी एस आर	चावल के बाद गेहूं लगाने के लिए शून्य तथा कम जुताई प्रणालियों हेतु कुशल पूरक क्रियाओं का विकास	डा. वाई. सिंह, जी बी पी यू ए टी, पंतनगर (उ.प्र.)	46.69
11.	सिंचित	पी एस आर	उत्पादकता में परिवर्तनों का विश्लेषण तथा चावल-गेहूं फसल प्रणाली हेतु बढ़ोत्तरी का भावी स्रोत	जी बी पी यू ए तथा टी., पंतनगर (उ.प्र.)	7.14
12.	सिंचित	पी एस आर	चावल गेहूं प्रणाली का लक्षण वर्णन तथा मानचित्र तैयार करना; इसमें आने वाले परिवर्तन और प्रणाली के स्थायित्व में आने वाले बाधाएं	जी.बी.पी.यू.ए.टी., पंतनगर (उ.प्र.)	10.63
13.	सिंचित	पी एस आर	उर्वरता मूल्यांकन तथा मृदा जांच आधारित समेकित उर्वरकों संबंधी सिफारिशें	जी.बी.पी.यू.ए.टी., पंतनगर (उ.प्र.)	19.87
14.	सिंचित	पी एस आर	कार्बनिक पदार्थों का पुनः चक्रण तथा संवर्धन	जी.बी.पी.यू.ए.टी., पंतनगर (उ.प्र.)	16.31
15.	सिंचित	पी एस आर	विभिन्न जल उपलब्धता स्थितियों के लिए नाइट्रोजन प्रबंध तथा अनुरूपण मॉडलिंग	जी.बी.पी.यू.ए.टी., पंतनगर (उ.प्र.)	14.85
16.	सिंचित	पी एस आर	मशीन द्वारा कटाई किए जाने वाले क्षेत्रों में डंठल जलाये जाने के स्थान पर नए जुताई तथा फसल अपशिष्ट प्रबंध का विकास	जी.बी.पी.यू.ए.टी., पंतनगर (उ.प्र.)	21.01

1	2	3	4	5	6
17.	सिंचित	पी एस आर	चावल गेहूं फसल प्रणाली में अनुकूलनीय समेकित कीट प्रबंध का विकास	जी.बी.पी.यू.ए.टी., पंतनगर (उ.प्र.)	16.94
18.	सिंचित	पी एस आर	लैंटिक जल प्रणाली में मात्स्यिकी प्रबंध; जलाशय में मछली के जीरों का भण्डार	जी.बी.पी.यू.ए.टी., पंतनगर (उ.प्र.)	24.32
19.	सिंचित	पी एस आर	प्रजनन डिजाइनर ब्रासिका	जी.बी.पी.यू.ए.टी., पंतनगर (उ.प्र.)	27.30
20.	सिंचित	पी एस आर	बंदगोभी तथा फूलगोभी की कीट व्याधि प्रतिरोधी उत्कृष्ट किस्मों का विकास	डा. हरी हर राम जी.बी.पी.यू.ए.टी., पंतनगर (उ.प्र.)	16.53
21.	सिंचित	पी एस आर	वर्धित पोषकता के गुण वाली बहु कटाई चारा ज्वार संकर तथा किस्मों का प्रजनन	डा. रामेश्वर सिंह जी.बी.पी.यू.ए.टी., पंतनगर (उ.प्र.)	34.37
22.	सिंचित	पी एस आर	घासों/चारों/फसल अपशिष्टों का बेलिंग सघनता तथा भंडारण	डा. एम.एल. वर्मा	17.48
23.	सिंचित	पी एस आर	चावल गेहूं फसल प्रणाली में मृदा-बायोटा तथा गैर लक्षित आर्गनिज्मस पर नाशीजीव नाशकों का प्रभाव	डा. एल.एम. पंत जी.बी.पी.यू.ए.टी., पंतनगर (उ.प्र.)	17.45
24.	सिंचित	पी एस आर	ग्रामीण घरों में देसी तथा संकर नस्लों का टिकाऊ उच्च उत्पादन	डा. आर.जे. शर्मा जी.बी.पी.यू.ए.टी., पंतनगर (उ.प्र.)	25.93
25.	सिंचित	पी एस आर	पुआल तथा कड़वी में उपयोग में सुधार के लिए प्रथम अमाशय सूक्ष्म इको प्रणाली का परिचालन	डा. अनिल कुमार जी.बी.पी.यू.ए.टी., पंतनगर-263145 (उ.प्र.)	32.83
26.	सिंचित	पी एस आर	विभिन्न जुताई तथा अपशिष्ट प्रबंध नीतियों के लम्बी अवधि के परिणामों के पूर्वानुमान के लिए अनुरूपण मॉडल का विकास तथा वैधता	डा. आर.पी. त्रिपाठी जी.बी.पी.यू.ए.टी., पंतनगर (उ.प्र.)	30.11
27.	सिंचित	पी एस आर	ब्रेड और ड्यूरम गेहूं की गुणवत्ता में सुधार	टी.बी. सिंह जी.बी.पी.यू.ए.टी., पंतनगर (उ.प्र.)	35.29
28.	सिंचित	पी एस आर	स्थानीय रूप से उपलब्ध आहार तथा चारे का सुधार संबंधी मूल्यांकन	डा. वी.डी. गोयल जी.बी.पी.यू.ए.टी., पंतनगर (उ.प्र.)	21.11
29.	सिंचित	पी एस आर	संकेन्द्रण आधारित चराई पद्धति का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादन की शहरी और पेरी अर्बन पद्धति	डा. टी.पी. तिवारी जी.बी.पी.यू.ए.टी., पंतनगर (उ.प्र.)	39.15

1	2	3	4	5	6
30.	सिंचित	पी एस आर	लीची की उत्पादकता में सुधार तथा उपयुक्त उत्पादन प्रणाली का विकास	जी.बी.पी.यू.ए.टी., पंतनगर (उ.प्र.)	37.93
31.	सिंचित	पी एस आर	हरी खाद के लिए सेस्बनिया (ढेचा) और कोटोलेरिया (सनई) के आनुवंशिक मूल्यांकन और सुधार पर नेटवर्क परियोजना	जी.बी.पी.यू.ए.टी., पंतनगर (उ.प्र.)	26.53
32.	सिंचित	पी एस आर	चावल-गेहूं कृषि पारिस्थितिकीय प्रणाली के अंतर्गत गोपशु और भैंसों का पुनरूत्पादन क्षमता में सुधार	जी.बी.पी.यू.ए.टी., पंतनगर (उ.प्र.)	22.66
33.	सिंचित	पी एस आर			
34.	सिंचित	पी एस आर	गेहूं की कटाई के बाद गन्ने के समय पर रोपाई करने के लिए जुताई तकनीक	डा. विवेक सिंह जी.बी.पी.यू.ए.टी., पंतनगर (उ.प्र.)	21.08
35.	सिंचित	पी एस आर	शरद कालीन जुताई तकनीक में बोए गए गन्ने में अंत: फसलों का प्रबंधन	डा. प्रेम पाल सिंह जी.बी.पी.यू.ए.टी., पंतनगर (उ.प्र.)	16.34
36.	सिंचित	पी एस आर	गन्ना आधारित उत्पादन प्रणाली की बाधाओं के अध्ययन हेतु नैदानिक सर्वेक्षण	डा. एस.पी. सिंह जी.बी.पी.यू.ए.टी., पंतनगर (उ.प्र.)	7.18
37.	सिंचित	पी एस आर	गन्ने में आयरन-क्लोरोसिस के मिश्रण के कारण और मैकेनिज्म	जी.बी.पी.यू.ए.टी., पंतनगर (उ.प्र.)	39.73
38.	सिंचित	पी एस आर	गन्ना आधारित फसल प्रणाली में खरपतवार प्रबंधन	जी.बी.पी.यू.ए.टी., पंतनगर (उ.प्र.)	16.4
39.	-	सी जी पी	फेलेरिस माइनर में आईसोप्रोट्यूरोन के विरुद्ध प्रतिरोधिता का जैव रासायनिक और आण्विक मैकेनिज्म	डा. डी.पी. सिंह बी.बी.पी.यू.ए.टी., पंतनगर (उ.प्र.)	26.04
40.	-	टी ओ ई	कृषि सम्प्रेषण	जी.बी.पी.यू.ए.टी., पंतनगर (उ.प्र.)	143.06
41.	-	टी डी	गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय (पंतनगर) में डी.ई.ई. का सुदृढ़ीकरण	जी.बी.पी.यू.ए.टी., पंतनगर (उ.प्र.)	9.99
42.	-	टी डी	पंतनगर में ए.टी.आई.सी.	जी.बी.पी.यू.ए.टी., पंतनगर (उ.प्र.)	43.57
43.	-	टी डी	मधेरा पी.ओ. गरमपानी (नैनीताल)	जी.बी.पी.यू.ए.टी., पंतनगर (उ.प्र.)	26.63
44.	-	एम एम	..II-41 : घरेलू पशुओं के परजीवी रोगों का निदान	डा. सी.एल. शर्मा	48.46

1	2	3	4	5	6
45.	-	एम एम	III-18 : ताजे जल की मछलियों की जनन द्रव्य प्रविष्टियां, मूल्यांकन और जीन बैंकिंग	डा. यू.पी. सिंह/ आई.जे. सिंह	20.21
46.	-	एम एम	III-35 : मौसम आधारित पशु रोगों का पुर्वानुमान	डा. एम.सी. शर्मा	12.35
47.	-	एम एम	III-6 : संकर फसलों (मक्का) का विकास	डा. वारसी	22.18
48.	-	एम एम	III-15 : रोग के प्रसार और उत्पत्ति के लिए पशु-नैदानिक	डा. एस.के. गर्ग	27.57
49.	-	एम एम	III- 36 : कृषि उपस्करों का प्रोटोटाइप निर्माण	डा. एस.डी. छाबड़ा	126.57
50.	-	एम एम	III-31 : उत्पादकता बढ़ाने के लिए चावल-गेहूं फसल प्रणाली का यंत्रीकरण	डा. टी.पी. सिंह	56.49
51.	-	एम एम	III-6 : संकर फसलों (चावल) का विकास	डा. एम.पी. पांडेय	19.74
52.	-	एम एम	III-19 : भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी द्वारा उम्दा नरों का उत्पादन	डा. एस.एन. मौर्य	21.27
53.	-	एम एम	III-11 : पशुओं और मुर्गियों से प्राप्त आहार की क्वालिटी सुनिश्चित करना और निगरानी	डा. एस.पी. सिंह	41.05
54.	-	एम एम	III-7 : नाशीकीटों के पराजीनी फसलों में प्रतिरोधिता के विकास के लिए पौध जीनों और वर्धकों का प्रथक्करण	डा. एन.के. सिंह	49.73
55.	-	एम एम	III-13 : पशु आनुवंशिक संसाधन जैव-विविधता	डा. आर.बी. प्रसाद	24.02
56.	-	एम एम	III-34 : मानीटरिंग और निगरानी द्वारा पशु स्वास्थ्य सूचना प्रणाली	डा. वी.डी.पी. राव	20.04

संक्षिप्त शब्द:

(1)	आई.वी.एल.पी.	:	संस्थान ग्राम सम्पर्क कार्यक्रम
(2)	टी.ए.आर.	:	प्रौद्योगिकी मूल्यांकन सुधार
(3)	पी.एस.आर.	:	उत्पादन प्रणाली अनुसंधान
(4)	एम.एम.	:	मिशन मोड
(5)	टी.ओ.ई.	:	उत्कृष्ट
(6)	सी.जी.पी.	:	प्रतिस्पर्द्धा अनुदान कार्यक्रम
(7)	टी.डी.	:	प्रौद्योगिकी प्रसार

[हिन्दी]

बाणसागर बांध

2732. श्री रामानन्द सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बाणसागर बांध के निर्माण कार्य के पूरा होने में अत्यधिक विलंब हुआ है और निर्माण लागत भी छः गुना बढ़ गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बांध का निर्माण कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (ग) बाण सागर बांध की मूलतः अनुमानित लागत 91.31 करोड़ रुपये है।

इस परियोजना की अद्यतन संशोधित लागत 1151.44 करोड़ रुपये हैं। लाभग्राही राज्यों से पर्याप्त निधियां उपलब्ध न होने तथा पुनर्वास और पुनर्स्थापना कार्यों में विलंब होने के कारण इस बांध के पूरा होने की तारीख समय-समय पर बढ़ाई गई। इस बांध के जून, 2002 तक पूरा हो जाने का कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खरीद

2733. श्री रामजी मांझी : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निवल मांग-पत्र की व्यवस्था पूर्व की व्यवस्था की तुलना में बेहतर है;

(ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किसी एक समय कितना स्टाक रखा जाता है और गत तीन वर्षों के दौरान इस भंडार का मूल्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग किन संगठनों से अपनी खरीददारी करता है; और

(घ) खादी और ग्रामोद्योग आयोग किन-किन संगठनों को अपने उत्पादों की बिक्री करता है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग खरीद करने वाले संस्थानों की आवश्यकता एवं मांग के अनुसार स्टॉक का रख-रखाव करता है। पिछले तीन वर्षों के लिए स्टॉक का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

31 मार्च, 1998	रु. 21.31 करोड़
31 मार्च, 1999	रु. 11.93 करोड़
31 मार्च, 2000	रु. 14.47 करोड़

(ग) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग बड़ी संख्या में पंजीकृत संस्थानों, सहकारी समितियों एवं व्यक्तियों आदि से खरीद करता है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जिन संगठनों से कपास की खरीद करता है, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अपने उत्पादों को सामान्य उपभोक्ताओं तथा विभिन्न संगठनों को भी बिक्री करता है। खरीददारों के ब्यौरे केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते।

विवरण

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, जिन संगठनों से कपास की खरीद करता है, उनकी सूची

1.	बंगलौर	कर्नाटक राज्य सहकारी विपणन संघ लि., हुबली
2.	चेन्नै	1. तिरूपुट्टूर टक सहकारी विपणन समिति लि.
		2. वी.सी. वर्धाराजन।
		3. श्री सन्थाललक्ष्मी मिल्ज (प्रा.) लि.।
		4. एम. राथिनासबाम्मा।
		5. सी. चिन्नासबाम्मा।
		6. येश कॉटन।
3.	अम्बाला	1. सत्यानारियन रामकटेन्दर।
		2. धन्नामल मुल्कराज।
		3. मोहता ट्रेडिंग कम्पनी।
4.	अहमदाबाद	संस्था संघ फेडरेशन के माध्यम से
		1. जुलजा कॉटन गिनिंग प्रैसिंग फैक्टरी।
		2. प्रभुराम विरीभान कं.।
		3. एमट ट्रेडर्ज।
		4. बालाजी कॉटन।
		5. जय गिरीराज ट्रैडिंग कंपनी।
		6. सरदार वल्लभभाई पटेल ग्रुप को-आपरेटिव कम्पनी कॉटन सेल्ज गिनिंग प्रेसिंग सोसायटी।
		7. सीतापुर वी. को-ओपरेटिव सोसाइटी, वीरनगढ़।
		8. रामभाई गागाभाई हीरजी।
		9. अम्बिका इण्डस्ट्रीज हीरजी।

10. कीर्ति कारपोरेशन।

11. ईस्टर्न फाईबर इण्डस्ट्रीज लि.

5. भोपाल 1. टीकामसा दुलीचन्द हेचुरल फाईबर लि.

2. अग्रवाल कॉटन ट्रेडिंग कंपनी।

3. अल्फाविस्टन वर्स्टर्न ओवरसीह्स (ई.) लि.।

4. श्री हाथाजी कॉटन मर्चेन्ट।

5. सान्थाल संघ।

6. छगनलाल कृष्णलाल।

किसानों पर अधिक कर

2734. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी.) ने किसानों पर अधिक कर लगाए जाने से संबंधित कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन किसानों की मदद करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय ऋण सहायता

2735. श्री विजय हान्दिक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों द्वारा उनकी योजना में केन्द्रीय ऋण सहायता के अंतर्गत शुरू की गई बाढ़ और भू-उत्पादन नियंत्रण योजनाओं को पूरी तरह से केन्द्रीय सहायता योजनाओं में बदला जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या असम सरकार ने ऐसी योजनाओं को केन्द्रीय सहायता योजनाओं में बदलने के लिए कहा है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी योजनाओं के केन्द्रीय वित्तपोषित योजनाओं में बदले जाने के लिए अनुरोध किया जा चुका है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) असम सरकार ने नवम्बर, 1991 में योजना आयोग से, असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता को, विशेष श्रेणी राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय योजना सहायता के पैटर्न पर, 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में माने जाने का अनुरोध किया था। वित्त मंत्रालय ने सूचित किया कि राज्य सरकार के इस अनुरोध को मानना संभव नहीं है क्योंकि यह सुविधा केवल ब्लॉक अनुदानों और विशेष श्रेणी राज्यों की राज्य योजनाओं तक ही विस्तारित है न कि किन्हीं विशिष्ट योजना स्कीमों के लिए। असम सरकार ने दोबारा अप्रैल, 1998 में केन्द्रीय ऋण सहायता को 100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान में परिवर्तित करने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि इस मामले पर वित्त मंत्रालय के साथ आगे कार्रवाई करे।

[हिन्दी]

प्रचार हेतु वृत्तचित्र का निर्माण

2736. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान केन्द्रीय जल आयोग और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को प्रचार हेतु वृत्तचित्र बनाने के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और ये प्रस्ताव किन-किन व्यक्तियों से प्राप्त हुए;

(ख) इनमें से कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और कितने प्रस्ताव नामंजूर किए गए और प्रत्येक मामले को नामंजूर किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) प्रचार हेतु वृत्तचित्र बनाने के लिए आदर्श नियमावली न बनाए जाने के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) केन्द्रीय जल आयोग में गत तीन वर्षों के दौरान प्रचार के वास्ते वृत्तचित्र बनाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एन.एच.पी.सी.) में निम्नलिखित मुख्य

...ल्म निर्माताओं का एक पैनल है। इनकी सेवाओं का गत तीन ...में वृत्तचित्र बनाने के लिए उपयोग किया गया है:-

1. मैसर्स सिने पल्स
2. मैसर्स लेंस व्यू
3. मैसर्स पाइन्ट ऑफ व्यू कम्यूनिकेशन
4. मैसर्स इण्डियन टेलीविजन
5. मैसर्स चाणक्य व्यू एंड फीचर्स
6. मैसर्स डेफिनेशन फिल्म्स
7. मैसर्स ट्वेन्टी फोर फ्रेम्स
8. मैसर्स श्रेयंश फिल्म्स
9. मैसर्स इमेजिस आई.एन.सी.

...वृत्तचित्र बनाने के लिए फिल्म निर्माताओं से परिचय-पत्र के ...में बहुत से अप्रार्थित प्रस्ताव एन.एच.पी.सी. में प्राप्त हुए हैं, ...पर कार्रवाई नहीं की गई है। एन.एच.पी.सी. द्वारा पैनल में ...गये फिल्म निर्माताओं को वृत्तचित्र बनाने के लिए लगाया गया ...वृत्तचित्र बनाने की शर्तों को सभी संहिता औपचारिकताओं का ...न करते हुए अंतिम रूप दिया गया है।

[अनुवाद]

भविष्य निधि

2737. श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी : क्या श्रम मंत्री यह ...ताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पीयरलेस कंपनी के वर्करों को कलकत्ता उच्च ...यालय के आदेशों के तहत भविष्य निधि मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी ...।

(ख) और (ग) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों के अनुसार ...विष्य निधि के 4445 सदस्य हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की समीक्षा

2738. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम की समीक्षा करने के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा अभी तक क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) हाल ही में सरकार ने क.रा.बी. अस्पतालों के कार्यकरण की समीक्षा (अध्ययन) करने के लिए श्री एस.आर. सत्यम की अध्यक्षता नें एक समिति गठित की थी। समिति ने 14.1.1996 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। समिति की रिपोर्ट का.रा.बी. निगम को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। चिकित्सा देख-रेख पर होने वाले व्यय की उच्चतम सीमा प्रति बीमित व्यक्ति प्रति वर्ष 500 रु. से बढ़ाकर 600 रु. करने, बीमित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों को फोटो पहचान-पत्र जारी करने, निर्धारित मानकों के अनुसार चिकित्सा पदों का सृजन करने, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों की इन-हाऊस क्षमताओं में वृद्धि, प्रत्येक लाभभोगी के लिए स्वास्थ्य रिकार्ड पुस्तिका की शुरूआत करने, औषधियों की आपूर्ति के लिए लघु उद्योगों के पक्ष में अनारक्षण, बहुस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण जांच, घटिया दवाइयों की आपूर्ति के लिए निवारक, दण्डात्मक कार्रवाई करने, स्ट्रिप पैकों में दवाइयों की खरीद करने, दवाइयों की स्थानीय खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए शक्तियों का पर्याप्त प्रत्यायोजन, ओ.पी.डी. के समय में एकरूपता लाने आदि संबंधी समिति की सिफारिशें क्रियान्वयन के लिए स्वीकार कर ली गई हैं।

वृक्ष से प्राप्त तिलहन के रूप में नारियल की फसल

2739. श्री ए.एन. कृष्णदास :
श्री जी.एम. बनातवाला :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नारियल की फसल को वृक्ष से प्राप्त तिलहन घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तिलहन की फसलों को मिलने वाले सभी लाभ नारियल के लिए उपलब्ध हैं;

(ग) यदि नहीं, तो नारियल को उपलब्ध और अनुपलब्ध लाभों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा नारियल को भी सभी लाभ उपलब्ध कराने पर विचार करने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (ग) नारियल को अक्तूबर 1990 में वृक्ष मूल का तिलहन घोषित किया गया। इस घोषणा में यह भी कहा गया है कि चूंकि नारियल वृक्ष मूल का है, अतः इसे वार्षिक तिलहनों की तरह नहीं माना जाना चाहिए। इस घोषणा का उद्देश्य नारियल के महत्व को मूल्य समर्थन प्रचालन के प्रयोजनार्थ तिलहन के रूप में रेखांकित करना था। सरकार इसे वृक्ष मूल का तिलहन ही मान रही है और नारियल विकास के लिए सहायता देते हुए मिलिंग खोपरा तथा बाल खोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। तदनुसार भारत सरकार द्वारा अच्छी औसत गुणवत्ता के मिलिंग खोपरा तथा बाल खोपरे के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा नियमित रूप से की जा रही है। 2000 मौसम हेतु मिलिंग खोपरा का खरीद मूल्य 3250/- रुपए प्रति क्विंटल तथा बाल खोपरा के लिए 3500/- रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

तिलहन एवं दलहन प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत नारियल विकास के लिए 20 करोड़ रुपए के वार्षिक आबंटन सहित 19.10 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की तुलना में 267.12 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 109.10 करोड़ रुपए के वार्षिक आबंटन से 9 तिलहनों अर्थात् मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, अरण्ड, रामतिल, रेपसीड, सरसों, कुसुम तथा अलसी के लिए सहायता दी जा रही है। इस प्रकार भारत सरकार का वार्षिक निवेश नारियल के लिए 110.00 रुपए प्रति हैक्टेयर तथा वार्षिक तिलहन फसलों के लिए 40.83 रुपए होता है, जिन्हें तिलहन एवं दलहन प्रौद्योगिकी मिशन में शामिल किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत सरकार नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से नारियल विकास से संबंधित सभी गतिविधियों हेतु पर्याप्त सहायता प्रदान करती है, जो तिलहन एवं दलहन प्रौद्योगिकी मिशन के माध्यम से तिलहन फसलों के लिए प्रदत्त सहायता से कहीं अधिक है।

(घ) और (ङ) कृषि मंत्रालय के अंतर्गत नारियल विकास बोर्ड द्वारा नौवीं योजनावधि में 105 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से ''भारत में नारियल उद्योग का समेकित विकास'' नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें अन्य बातों के अलावा रोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण; नारियल के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार; उत्पादकता सुधार नारियल जोतों में समेकित खेती; प्रौद्योगिकी प्रदर्शन; मण्डी सं एवं सांख्यिकी सूचना प्रौद्योगिकी शामिल है। नारियल की उत्पा एवं उत्पादन बढ़ाने, उत्पाद विविधिकरण तथा उप-उत्पाद उ के उद्देश्य से उपर्युक्त स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2(2001 के दौरान 20 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं।

अखुपाड़ा बैराज

2740. श्री जगन्नाथ मलिक : क्या जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को किसी संसद सदस्य से उड़ीसा के मुख्यमंत्री से बाढ़ नियंत्रण उपायों, नहर सुधार बेतरणी नदी पर बने अखुपाड़ा बैराज के आधुनिकीकरण मरम्मत कार्य शुरू करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रस्तावों में कोई वित्तीय सह मांगी गई; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से वैतरणी नदी बेसिन में बाढ़ नियंत्रण उपाय करने का कोई प्र केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, बै सिंचाई प्रणाली के 32,700 हेक्टेयर के कुल कमान में से 19, हेक्टेयर के आधुनिकीकरण को विश्व बैंक सहायता से चल उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना के तहत पहले से शा किया जा चुका है।

[हिन्दी]

पंचखेरो जलाशय

2741. श्री नागमणि : क्या जल संसाधन मंत्री यह की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंचखेरो जलाशय के विस्थापित लोगों के आवंटित भूमि पर आवास कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ओरकासा और जटाहा गांवों के प्रभावित लोगों को और कहां पुनर्वासित किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (घ) सिंचाई के राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण से प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास का कार्य संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। वांछित सूचना का रखरखाव केन्द्र में नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

डेयरी विकास

2742. श्री अनन्त नायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दुग्ध उत्पादन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा देश में क्रियान्वित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि का आबंटन किया गया; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन योजनाओं के माध्यम से डेयरी विकास हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार देश में दूध उत्पादन बढ़ाने और डेयरी उद्योग की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से विभिन्न योजनागत स्कीमों को क्रियान्वित करके राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति कर रहा है। ये स्कीमें इस प्रकार हैं:-

(1) राष्ट्रीय गोपशु प्रजनन परियोजना

(2) चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता

(3) पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता

(4) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना

(5) सहकारिताओं को सहायता

(6) एकीकृत डेयरी विकास परियोजना

(ख) और (ग) दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर आठवीं और नौवीं योजना के दौरान बजट आबंटन को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर आठवीं और नौवीं योजना के दौरान बजट आबंटन को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	विवरण	आठवीं योजना आबंटन	नौवीं योजना आबंटन
1.	राष्ट्रीय गोपशु प्रजनन परियोजना		
	1. हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी और संतति परीक्षण कार्यक्रम का विस्तार	19.75	320.00
	2. राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम	19.75	82.20
2.	चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता	19.75	50.00
3.	राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	96.13	48.00
4.	पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	40.00	119.00
5.	एकीकृत डेयरी विकास परियोजना	200.00	250.00
6.	सहकारिताओं को सहायता	100.00	150.00
	कुल	495.38	1019.20

बकाया राशि का भुगतान न किया जाना

2743. श्री दिन्शा पटेल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा उपदान, बोनस, कामगार प्रतिपूर्ति से संबंधित 1800 करोड़ रुपये की सांविधिक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी बकाया धनराशि का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले कुछ मुख्य मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अस्थाई सूचना के आधार पर 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार कामगारों को देय सांविधिक बकाया राशि 1736 करोड़ रुपये हो गई है। कामगारों को देय राशि में सबसे अधिक धनराशि भविष्य निधि की है और इसके बाद पेंशन, उपदान, कर्मचारी राज्य बीमा और बोनस की राशि है।

इन देय राशियों के भुगतान न होने का मुख्य कारण लगातार बढ़ते हुए घाटे हैं जिनके परिणामस्वरूप निधि का अभाव है।

(ग) सरकार का मत है कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के जो रुग्ण उपक्रम चालू किये जा सकते हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पुनरुज्जीवित किया जाए और कामगारों को देय राशि का भुगतान पुनरुज्जीवन पैकेज में शामिल किया जाना चाहिए। तथापि के.सा.क्षे. के जिन उपक्रमों को पुनरुज्जीवित नहीं किया जा सकता उन्हें कामगारों को बकाया देयराशि का भुगतान करके बन्द करने की अनुमति दे दी जाए। कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा एक आकर्षक स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना/स्वैच्छिक पृथक्करण योजना भी तैयार की गई है।

[हिन्दी]

अलसी का समर्थन मूल्य

2744. श्री खेलसाय सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से वर्ष 2000 के लिए अलसी का समर्थन मूल्य घोषित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (ग) जी, हां। भारत सरकार को पिछले वर्ष अलसी के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के लिए मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। मामले की जांच की गई तथा कई कारणों से प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए व्यवहार्य नहीं माना गया, जिसमें यह तथ्य शामिल है कि अलसी का उत्पादन स्थानीय है तथा उन्हीं जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, जो क्षेत्र और उत्पादन की दृष्टि से अखिल भारतीय महत्व की हों।

माही सिंचाई परियोजना

2745. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के झबुआ जिले में माही सिंचाई परियोजना विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजना के पूरा होने में विलम्ब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मौसम का पता लगाने वाले उपग्रह

2746. श्री सुबोध मोहिते : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पृथ्वी से संबंधित विशिष्ट प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए एक दीर्घावधि कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें इसरो की क्या भूमिका है;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में मौसम का पता लगाने वाले उपग्रह बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं उद्देश्य क्या हैं; और

(ङ) मानव जाति के लिए यह किस तरह से सहायक होगा?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) इन अभिचालित कार्यक्रमों में अन्तरिक्ष वाहित प्लेटफार्मों तथा भू-आधारित पर्यवेक्षणों का व्यापक उपयोग शामिल है। अन्तरिक्ष वाहित प्लेटफार्मों का उपयोग करते हुए पर्यावरण तथा पृथ्वी का सुदूर संवेदन, भू संसाधन, जलविज्ञान, मौसमविज्ञान, समुद्रविज्ञान तथा वायुमंडल के उपयोगों में प्रत्यक्ष संबंध के साथ पृथ्वी से संबंधित प्रक्रियाओं को संबोधित करना, इसरो के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। भूमंडल-जैवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत पृथ्वी पर घटने वाली विशिष्ट प्रक्रियाओं के दीर्घकालीन अध्ययन तथा व्यापक रेंज के मानसून के पूर्वानुमान जैसे जलवायु अनुसंधान संबंधी अध्ययन आयोजित किये जाते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) यह योजना बनाई गई है कि (1) मेटसैट तथा इन्सैट-3ए उपग्रह मिशनों का प्रमोचन, जोकि हमारे देश में सातत्य मौसमविज्ञानीय आंकड़े प्रदान करेंगे तथा चक्रवातों का पता लगाने में हमारी सहायता करेंगे (2) जलवायु मॉडलिंग हेतु आंकड़े प्रदान करने के लिए एक ऊर्ध्वाधर आर्द्रता परिज्ञापक तथा एक अति उच्च विभेदक रेडियोमीटर (वी.एच.आर.आर.) सहित इन्सैट-3डी मिशन (3) उष्णकटिबंधीय जलवायु और मौसम को प्रभावित करने वाली संवहनीय प्रणालियों के अध्ययन के लिए फ्रेंच अन्तरिक्ष एजेंसी, सी.एन.ई.एस., के साथ मेघा-ट्रोपिक्स नामक उपग्रह मिशन के लिए एक संयुक्त अध्ययन, आयोजित किया जाये।

(ङ) ये योजनाएं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जिसमें भारत स्थित है, के विशेष सन्दर्भ में जलवायु तथा मौसम को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करेंगी।

भारत-रूस समझौते

2747. प्रो. रासासिंह रावत : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और रूस के बीच एकीकृत दीर्घकालिक कार्यक्रम (आई.एल.टी.पी.) की अवधि अगले दस वर्षों तक बढ़ाने के संबंध में कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी हां।

(ख) भारत और रूसी परिसंघ विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के एकीकृत दीर्घकालिक कार्यक्रम को 10 और वर्ष के लिए बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। कार्यक्रम को 10 और वर्ष तक बढ़ाने के लिए करार का मसौदा इस समय दोनों पक्षों के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

नशीली दवाओं की तस्करी/आतंकवाद से निपटने के लिए भारतीय सहायता मांगना

2748. श्री तूफानी सरोज : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उजबेकिस्तान ने आतंकवाद का सामना करने में केन्द्र सरकार से मदद मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या मध्य एशिया के देशों ने भी आतंकवाद और नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने में केन्द्र सरकार से मदद मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (घ) उजबेकिस्तान तथा मध्य एशियाई क्षेत्र के अन्य देशों के साथ विचार-विमर्श के दौरान आतंकवाद तथा नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने संबंधी मुद्दों पर भी विचार किया गया। उजबेकिस्तान के साथ आतंकवाद का सामना करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मतैक्य बनाने की दिशा में एक दूसरे द्वारा की गई पहल का समर्थन करने तथा आतंकवाद, संगठित अपराधों तथा नशीली दवाओं के उत्पादन एवं अवैध व्यापार से संबंधित अपराधों

को रोकने, दबाने और उनकी जांच में लगे विधि प्रवर्तन अभिकरणों एवं अन्य सक्षम निकायों के बीच निकट सहयोग प्रदान करने पर सहमति हुई।

[अनुवाद]

प्रबंधन अध्ययन

2749. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय द्वारा नियमित आधार पर सरकार के कार्यकरण की प्रणाली और क्रियाविधियों में सुधार लाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में प्रबंधन अध्ययन कराया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित ऐसे अध्ययनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रशासन में कार्यकुशलता और कार्य संस्कृति को प्रोत्साहन देने में इन अध्ययनों का क्या प्रभाव पड़ा;

(घ) भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के कारण मंत्रालयों/विभागों को युक्तियुक्त बनाने और पुनर्गठन के क्रम में अगले कुछ वर्षों में किन-किन संभावित क्षेत्रों को अध्ययन हेतु लक्षित करने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान किये गये प्रबंध अध्ययनों के विवरण संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये हैं।

(ग) प्रबंध अध्ययनों में की गई टिप्पणियां/सिफारिशें कार्यान्वयन हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाती हैं। इस बात का जायजा लेने के लिए कि अध्ययनों में की गई टिप्पणियों/सिफारिशों को किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है, यह विभाग कुछेक अध्ययनों का प्रभावात्मक अध्ययन कराता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन अध्ययनों में, विलंबों में कमी करके, जनता और स्टाफ संबंधी विभिन्न अभिकरणों के बीच बेहतर समन्वय करके, कार्य के एक स्वस्थ वातावरण का सृजन आदि करके कार्य-कुशलता को बढ़ाने हेतु टिप्पणियां/सिफारिशें की जाती हैं। परन्तु, प्रबंध अध्ययनों में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हुये सुधारों को मापना संभव नहीं है।

(घ) से (च) प्रबंध अध्ययनों की कार्य-सूची प्रशासन की ऐसी विशिष्ट समस्याओं के आधार पर तैयार की जाती है जो कि या तो विभाग को किसी सरकारी संगठन द्वारा भेजी जाए अथवा विभाग द्वारा अपनी वार्षिक कार्य-योजना के हिस्से के रूप में और उसकी समग्र प्राथमिकताओं के संदर्भ में उसके द्वारा स्वयं ही चुनी जाए। शासकीय प्रक्रिया और पद्धतियों को युक्ति-संगत बनाने और उसकी पुन: संरचना के संदर्भ में भावी अध्ययनों के लिए लक्षित क्षेत्र इस प्रकार है: भर्ती नियमावली, वित्तीय पद्धतियां, वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियां, सतर्कता संबंधी पद्धतियां, सेवा संबंधी मुकदमेबाजी आदि।

विवरण

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान किये गये प्रबंध अध्ययन

1997-98

- पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार की पुन: संरचना एवं उसके कार्य-बल के आकार पर नियंत्रण रखने संबंधी अध्ययन। इस अध्ययन के अंतर्गत मानव संसाधन विकास, उद्योग, ग्रामीण विकास और विद्युत मंत्रालय शामिल किये गये थे।
- भारत सरकार लेखन-सामग्री कार्यालय, कलकत्ता के संगठनात्मक पहलुओं का अध्ययन।
- बैंकों से शिक्षा संबंधी ऋण की उपलब्धता।
- दिल्ली में केन्द्रीयकृत दुर्घटना तथा मानसिक आघात संबंधी सेवाओं की प्रभावकारिता के बारे में अध्ययन।
- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड में सरकार के खिलाफ पड़े न्यायालय के मामलों का अध्ययन।
- सरकारी सहायता-प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों से संबंधित परियोजनाओं की मानीटरिंग करने संबंधी अध्ययन।
- केन्द्रीय सरकार के ग्रुप 'ख' और 'ग' के विभिन्न पदों, जिन पर भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाती है, के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की समीक्षा।

- कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिपिक ग्रेड परीक्षा के संचालन संबंधी प्रक्रिया की समीक्षा।

।-99

- नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत शहरी सूक्ष्म-उद्यम-योजना - एक मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट।
- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सतर्कता ढांचे पर अध्ययन रिपोर्ट।
- भारत में बच्चों को गोद लेने से संबंधित प्रक्रिया पर अध्ययन रिपोर्ट।
- पूर्ति और निपटान महानिदेशालय की तदर्थ खरीदों के विकेन्द्रीकरण का प्रभाव।

।-2000

- वैयक्तिक उत्प्रवासियों की प्रतिभूति जमा-राशियों को लौटाने संबंधी कार्य-विधि - एक प्रभावात्मक अध्ययन।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

2750. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या श्रम मंत्री यह की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्तर्गत बीमाकृत को हृदय रोग संबंधी समस्याओं के लिये वित्तीय सहायता ाी है;

(ख) यदि हां, तो क्या बीमाकृत लोगों को आपरेशन के लिये ारी राज्य बीमा निगम वित्तीय सहायता देता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आन्ध्र प्रदेश में 1999-2000 में हृदय की समस्याओं के कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कितने रोगी लाभान्वित हुये;

(ङ) क्या आन्ध्र प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा । "सुपर स्पेशियाल्टी अस्पताल" की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) और जी, हां।

(ग) संबंधित राज्य सरकार से मंजूरी प्राप्त होने पर हकदार ाहियों को मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थाओं में कार्डिअक समस्याओं के इलाज के लिए अग्रिम अदायगी/प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

(घ) आन्ध्र प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा सुविधा का लाभ प्राप्त करने वाले 25,673 कार्डिअक रोगी थे। इनमें से 660 मामलों का उच्च विशेषज्ञता प्राप्त अस्पतालों में उच्च विशेषज्ञ टेस्टों/आपरेशनों द्वारा इलाज किया गया।

(ङ) और (च) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा देखरेख के प्रशासन की जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश सरकार की है। खर्च को ध्यान में रखते हुए आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा लाभग्राहियों को उच्च विशिष्टता प्राप्त इलाज प्रदान करने के लिए उस्मानिया अस्पताल, गांधी अस्पताल, निजाम चिकित्सा विज्ञान संस्थान, श्री वैंकटेश्वर चिकित्सा विज्ञान संस्थान आदि के साथ संबंध पर ठेकागत व्यवस्था स्थापित की है। आन्ध्र प्रदेश में उच्च विशेषज्ञता प्राप्त अस्पताल के निर्माण के राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जड़ी-बूटी और औषधीय पौधे

2751. **श्रीमती रेणूका चौधरी :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दोहन और तस्करी के कारण उत्तराखंड पहाड़ियों में पायी जाने वाली कुछ दुर्लभ जड़ी-बूटियां और औषधीय पौधे लुप्तप्राय हो चुके हैं या लुप्त होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों के कारण अनुमानित वार्षिक घाटा कितना हैं; और

(ग) ऐसे पौधों और जड़ी-बूटियों के विकास के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (ग) उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जाने वाली दुर्लभ जड़ी-बूटियों तथा औषधीय पौधों के विलुप्त होने तथा इस कारण राजस्व की हानि विषयक कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। बहरहाल, देश के विभिन्न भागों में औषधीय पौधों की विपुल मात्रा में उपलब्धता और उनकी बढ़ती हुई मांग को देखते हुए उनके युक्तियुक्त उपयोग के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता महसूस की गई। ऐसे पौधों के संरक्षण हेतु वन्य जीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, जीवमंडलीय क्षेत्रों तथा वानस्पतिक उद्यानों का उपयोग किया जा रहा है। कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा आठवीं योजना के दौरान औषधीय तथा सुगंधित पौधों के

विकास संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत औषधीय पौधों के लिए जड़ी-बूटी उद्यानों तथा नर्सरियों की स्थापना एवं क्षेत्र विस्तार तथा किसानों के खेतों पर प्रदर्शन हेतु सहायता दी जा रही है। इसके अलावा कृषि तकनीकों के विकास एवं आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तथा होमियोपैथी चिकित्सा पद्धतियों में उपयोग में लाए जाने वाले औषधीय पौधों की खेती के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने से संबंधित एक स्कीम भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

द्वितीय राष्ट्रीय आयोग

2752. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रमुख ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की किसी भी बैठक में भाग लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त प्रमुख ट्रेड यूनियनों से परामर्श किए बिना ही द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग के सदस्यों का चयन किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन ट्रेड यूनियनों की शिकायतों को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ङ) 24.12.1998 को सरकार ने आयोग के संघटन तथा विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप देने के बाद द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग को गठित करने का निर्णय लिया। आयोग के औपचारिक गठन संबंधी संकल्प 15.10.1999 को जारी किया गया था। प्रतिनिधि संगठनों के साथ द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग के सदस्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सरकार, उद्योग, श्रमिकों आदि के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए सदस्यों का चुनाव किया गया है।

6.2.1999 को आयोजित स्थायी श्रम समिति के 35वें सत्र के निष्कर्षों के अनुसार, नियोजक तथा कर्मचारी संगठनों से अपने विचार उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया था। चूंकि विचारार्थ विषयों और संघटन को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है अत: प्राप्त विचारों के विभिन्न मुद्दों पर उनके विचारों का निरूपण करते समय आयोग के विचारार्थ भेज दिया जाएगा।

इसी बीच में, छ: व्यवसाय संघों अर्थात् सीटू, ए ए.आई.सी.सी.टी.यू., यूटक, यूटक (एल.एस.) और टी.यू.सी. द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित दिनांक 27.5.2000 का एक प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के असन्तोष को ध्यान आकर्षित करते हुए इस पर खेद व्यक्त किया है कि उ प्रतिनिधित्व वाले व्यवसाय संघ किसी भी अवस्था में द्वितीय राष् श्रम आयोग की किसी भी समिति अथवा उप-समिति में शा नहीं होंगे। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्यक्ष महोदय ने द्वितीय राष् श्रम आयोग के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार की आशं गलतफहमी को दूर करने के लिए छ: व्यवसाय संघों के उक्त मामले को उठाया है और उनसे सहयोग देने का अनु किया है। एक व्यवसाय संघ अर्थात् यूटक (एल.एस.) ने यह दिया है कि वह कुछ और समय के पश्चात् प्रश्नावली का देगा तथा आयोग के साथ संपर्क करेगा।

विवरण

द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग के सदस्यों के नाम तथा उन संगठनों के नाम जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं

1. श्री रवीन्द्र वर्मा,
अध्यक्ष, गांधी शांति प्रतिष्ठान,
राउज़ एवेन्यू, नई दिल्ली

2. डा. बी.आर. सबादे
कार्यकारी निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ स्माल बिजनेस ए
इण्डस्ट्री,
पूणे-411009
सेंटर फॉर बिजनेस एण्ड इंडस्ट्री,
पूणे-411009
अवैतनिक सचिव,
पूना प्रभागीय उत्पादकता
परिषद, पूणे-411009
अध्यक्ष, इंटरप्रेनर्स इंटरनेशनल,
पूणे-411009

3. श्री सुनील शास्त्री,
विभिन्न संस्थानों से सम्बद्ध जैसे,-
अध्यक्ष, लाल बहादुर मेमोरियल फाउंडेशन,
लाल बहादुर शास्त्री, सेवा निकेतन के उपाध्यक्ष, तथा
लखनऊ में स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री की याद में लखनऊ
बने इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट के अध्यक्ष आदि
1, मोती लाल नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली-110011

4. श्री सुदर्शन सरीन,
राष्ट्रीय अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती,
1ई/11, स्वामी रामतीर्थनगर, झण्डेवालान एक्सटेंशन,
नई दिल्ली-110055

5. श्री जी. संजीवा रेड्डी,
अध्यक्ष, 'इंटक'
6/बी, एल.आई.जी.एच. बरकतपुरा, हैदराबाद-500027

6. श्री जीतेन्द्र वीर गुप्ता,
पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवा निवत्त मुख्य न्यायाधीश,
211, सैक्टर 18-ए, चण्डीगढ़-160018

7. श्रीमती इला आर. भट्ट,
'सेवा' (सेल्फ इम्प्लायड वूमेन्स एसोसिएशन)
भद्रा, लोकमान्य तिलक बाग के सामने, अहमदाबाद-380001

8. श्री अरविन्द आर दोषी,
अध्यक्ष, द एम्प्लायर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया,
अध्यक्ष प्रीमियर ऑटो इलेक्ट्रिक लिमिटेड,
उपाध्यक्ष प्रीमियर ऑटो मोबाइल्स लिमिटेड,
चौथा तल, ए ब्लाक, शिवसागर एस्टेट, वर्ली, मुम्बई-400018

9. श्री हासुभाई दवे, एडवोकेट,
बी.एम.एस. ऑल इण्डिया जनरल सेक्रेटरी,
थर्ड टर्म, 1999 (नागपुर)
अध्यक्ष, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर-18.1.1999 से

10. श्री एन. सान्याल,
भारतीय प्रशासनिक सेवा, (उड़ीसा 79)
सदस्य सचिव।

ब्रह्माण्ड में जीवन की खोज

2753. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने ब्रह्माण्ड में अन्यत्र जीवन होने का पता लगाने के लिए एक अद्वितीय परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश के अन्य संस्थानों के साथ मिलकर यह परियोजना शुरू की है और वायुमंडल में विभिन्न ऊंचाइयों से हवा के नमूने एकत्र करने का निर्णय लिया है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है और इसके निष्कर्ष क्या निकले?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां। भारतीय वैज्ञानिकों ने 20-40 किलोमीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में पृथ्वी के वायुमंडल में सूक्ष्म जीवों की (1) उपस्थिति, (2) प्रकृति, और (3) भौमिक तथा पराभौमिक उद्‌भव का पता लगाने के लिए एक परियोजना की शुरूआत की है।

(ख) जी, हां।

(ग) इनके परिणामों के परीक्षणों तथा विश्लेषण में लगभग दो वर्ष का समय लगने की संभावना है।

पी.आई.ओ. कार्डधारी

2754. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को सरकार से पूर्व अनुमति लिए बिना ही भारत में रोजगार करने की अनुमति देने की कोई अनूठी योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कितने पी.आई.ओ. कार्डधारी हैं जो भारत में रोजगार की तलाश में हैं; और

(घ) अब तक राज्य-वार कितने लोगों को रोजगार दिया गया?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) भारतीय मूल का व्यक्ति कार्ड जिसके पास है, वे रोजगार वीसा प्राप्त किए बिना भारत में रोजगार पाने के हकदार हैं। जब तक कि नौकरी के लिए भरती की शर्तों में इसका उल्लेख नहीं है तब तक उन्हें भारत सरकार से अलग से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) और (घ) चूंकि भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड धारकों को भारत में रोजगार प्राप्त करने के लिए अलग से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, अतः रोजगार प्राप्त ऐसे व्यक्तियों की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि, ऐसे व्यक्तियों की संख्या काफी कम होगी क्योंकि आज तक पी.आई.ओ. कार्ड लगभग 700 लोगों को जारी किए गए हैं।

फसलों का आयात

2755. श्री ए. नरेन्द्र : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयात के कारण भारतीय किसान तिलहनों की खेती नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या स्थिति से निपटने हेतु कोई रणनीति तैयार की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम होने के परिणामस्वरूप खाद्य तेलों के भारी मात्रा में आयात से सोयाबीन, सूर्यमुखी, रेपसीड तथा सरसों जैसी कुछ तिलहनों के बाजार मूल्य भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम थे। अत: सरकार ने तिलहन उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए नेफेड को तिलहन उत्पाद की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने के लिए निर्देश दिए थे।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार देश के विभिन्न राज्यों में निष्पादित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण आदानों पर राजसहायता देकर विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से तिलहनों की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष तिलहन फसलों की बुआई से काफी पहले न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की जाती है और तिलहनों के बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर से नीचे गिरने पर तिलहन उत्पादकों के उत्पादों की खरीद की कार्रवाई करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ को शीर्ष अभिकरण बनाया गया है।

भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण

2756. श्री अनंत गुढ़े : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि संस्थानों के ढांचे को विकसित कर सिंचित और वर्षा पर आधारित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन व विभिन्न फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र में अब तक खोले गए कृषि विज्ञान केन्द्र (के.वी.के.) का स्थानवार ब्यौरा क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) महाराष्ट्र में और अधिक कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का निर्णय क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) बारानी और सिंचित प्रणालियों सहित विभिन्न उत्पादन प्रणालियों में कृषि उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से अनेक कार्य योजनाएं तैयार की हैं। इनमें खाद्य एवं बागानी फसलों का सुधार/प्रबंधन; प्राकृतिक संसाधन; पशुधन व मुर्गीपालन; मछली उत्पादन एवं प्रसंस्करण; कृषि अभियांत्रिकी एवं तत्संबंधी प्रौद्योगिकी; समाज विज्ञान व नीतियां; और प्रौद्योगिकी मूल्यांकन; परिशोधन व प्रसार करना शामिल है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने महाराष्ट्र में 23 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की है। इन कृषि विज्ञान केन्द्रों की अवस्थिति संलग्न विवरण में इंगित की गई है।

कृषि विज्ञान केन्द्रों की गतिवधियों में अग्रणी प्रदर्शन, खेत पर परीक्षण, किसानों और प्रसार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना शामिल है।

वर्ष 1999 के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों की गतिविधियां नीचे दी गई हैं:-

* 1441 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना जिनसे 0.21 लाख किसान, 0.08 लाख ग्रामीण युवा और 0.04 लाख प्रसार कार्यकर्ता लाभान्वित हुए;
* 427 प्रसार कार्यक्रम चलाना जिनसे 0.37 लाख किसान और प्रसार कार्यकर्ताओं को लाभ हुआ;
* 698 हैक्टर क्षेत्र में 1868 अग्रणी प्रदर्शन किए गए; और
* प्रसार साहित्य और लोकप्रिय लेखों के 168 प्रकाशन निकाले गए।

(घ) जी हां।

(ङ) महाराष्ट्र सहित, देश में और अधिक कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

विवरण

महाराष्ट्र में कृषि विज्ञान केन्द्रों की अवस्थिति

1. कृषि विज्ञान केन्द्र,
सेल्सुरा, वर्धा (महाराष्ट्र)

2. कृषि विज्ञान केन्द्र,
पैथान रोड, औरंगाबाद

3. कृषि विज्ञान केन्द्र,
शिरगांव, रत्नागिरि

4. कृषि विज्ञान केन्द्र,
कृषि अनुसंधान केन्द्र, धुले

5. कृषि विज्ञान केन्द्र,
वाई.सी. महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक

6. कृषि विज्ञान केन्द्र,
भाग्यनगर, परभनी

7. कृषि विज्ञान केन्द्र,
डाकखाना तालासदी, कोल्हापुर

8. कृषि विज्ञान केन्द्र,
जलगांव, जामोट, बुलडाना

9. कृषि विज्ञान केन्द्र,
घरतखेड, अमरावती

10. कृषि विज्ञान केन्द्र,
दुर्गापुर, अमरावती

11. कृषि विज्ञान केन्द्र,
एच.आई.जी. कॉलोनी,
आई.टी.आई. के पास, नानदेड़

12. कृषि विज्ञान केन्द्र,
51, रेलवे लाइन्स, शोलापुर

13. कृषि विज्ञान केन्द्र,
केरदा, रिसोड, वासीम

14. कृषि विज्ञान केन्द्र,
पोइप आदर्श कृषि, सिंधुदुर्ग

15. कृषि विज्ञान केन्द्र,
मार्फत गोखले शिक्षा समिति कोबीद हिल, थाणे

16. कृषि विज्ञान केन्द्र,
सतपुड़ा विकास मंडल पाल, रावेर, जलगांव

17. कृषि विज्ञान केन्द्र,
आदर्श कालोनी, गांव-अंबाजोगई बीड

18. कृषि विज्ञान केन्द्र,
कालवडे कारद, सतारा

19. कृषि विज्ञान केन्द्र,
कृषि विकास न्यास, शारदा नगर, बारामती, पुणे

20. कृषि विज्ञान केन्द्र,
भाभलेश्वर, श्रीरामपुर, अहमदनगर

21. कृषि विज्ञान केन्द्र,
वसंत दादा सहकारी सखर कारखाना, सांगली

22. कृषि विज्ञान केन्द्र, मराठवाड़ा सेठी सहाय मण्डल, जालना

23. कृषि विज्ञान केन्द्र,
केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों का नामांकन

2757. **श्री भेरूलाल मीणा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित डा. अम्बेडकर जन्म शताब्दी समारोह समिति ने वर्ष 1993 में सभी शैक्षिक संस्थानों/अकादमियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों का नामांकन उनके लिए आरक्षित सीटों में कोटे की पूरी सीमा तक किए जाने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) गत तीनों वर्षों में से प्रत्येक के दौरान गांधी लेबर इंस्टीट्यूट अहमदाबाद के (1) पूर्व स्नातक, (2) स्नातक, (3) स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों में विभिन्न संकायों/विषयों के अंतर्गत कितनी सीटें आरक्षित की गई थी;

(घ) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने छात्रों ने उपरोक्त वर्णित पाठ्यक्रमों के विभिन्न संकायों/विषयों में नामांकन करवाये हैं और कुल सीटों की तुलना में उनकी प्रतिशतता क्या है;

(ङ) क्या उक्त सिफारिश का संतोषजनक ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बड़े और मंझोले बांध

2758. श्री रामजीवन सिंह :
श्री रामचन्द्र पासवान :
श्री सुकदेव पासवान :
श्री जे.एस. बराड़ :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्य-वार बड़े और मंझोले बांध कितने हैं और इसके परिणामस्वरूप राज्य-वार कुल कितनी जल संग्रहण क्षमता सृजित हुई है;

(ख) क्या कुछ बड़े बांध अभी निर्माणाधीन हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी कुल प्रत्याशित जल संग्रहण क्षमता कितनी है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (ग) 10 मिलियन क्यूबिक मीटर (एम.क्युम) से अधिक भण्डारण वाले बांधों के संबंध में उपलब्ध सूचना के अनुसार 173728.82 मिलियन क्यूबिक मीटर की कुल भंडारण क्षमता वाले 811 बांधों को पूरा किया है एवं 75422.51 मिलियन क्यूबिक मीटर की भंडारण क्षमता वाले 303 बांधों का निर्माण कार्य चल रहा है। बांधों की संख्या एवं उससे संबंधित भंडारणों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	विवरण (राज्य)	पूरी कर ली गई परियोजना		निर्माणाधीन परियोजना	
		सक्रिय भंडारण एम.सी.एम.	संख्या	सक्रिय भंडारण एम.सी.एम.	संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	24851.42	74	7123.27	26
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	—	—	—
3.	असम	शून्य	—	1054.32	3
4.	बिहार	4660.93	46	4352.73	27
5.	गोवा	44.30	1	674.45	2
6.	गुजरात	14919.07	104	7248.38	24
7.	हरियाणा	—	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	13806.44	3	109.55	1
9.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—
10.	कर्नाटक	21556.07	41	3013.31	21
11.	केरल	4617.81	23	1615.69	8
12.	मध्य प्रदेश	18580.71	109	21633.14	45
13.	महाराष्ट्र	22095.71	155	12918.88	90
14.	मणिपुर	396.50	1	124.58	3

1	2	3	4	5	6
15.	मेघालय	697.96	4	—	—
16.	मिज़ोरम	—	—	—	—
17.	नागालैंड	—	—	1220.00	1
18.	उड़ीसा	14286.77	42	3304.63	14
19.	पंजाब	24.75	2	2344.00	1
20.	राजस्थान	8223.15	94	1591.48	17
21.	सिक्किम	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	6719.51	46	36.55	3
23.	त्रिपुरा	312.00	3	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	16347.36	59	7057.56	17
25.	पश्चिम बंगाल	1475.15	3	—	—
26.	पांडिचेरी	13.79	1	—	—
	कुल मिलियन क्यूबिक मीटर	173728.82	811	75422.51	303
	क्यूबिक कि.मी.	173.73		75.42	

टिप्पण: 10 मिलियन क्यूबिक मीटर एवं उससे अधिक की सक्रिय भंडारण क्षमता वाली परियोजनाओं को ही केवल शामिल किया गया है। 10 मिलियन क्यूबिक मीटर से कम क्षमता वाली प्रत्येक मध्यम परियोजनाओं द्वारा 3 क्यूबिक कि.मी. (लगभग) के अतिरिक्त सक्रिय भंडारण क्षमता सृजित किए जाने का अनुमान है, जिससे पूर्ण परियोजनाओं में 177 क्यूबिक कि.मी. की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता का निर्माण होगा।

तथाकथित यौन-दासता

2759. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरी यूरोप, एशिया और अफ्रीका की 1000 से अधिक महिलाएं प्रतिवर्ष ब्रिटेन में यौन दासता में फंसाई जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशों अमेरिका तथा खाड़ी देशों में यौन दासता में पकड़ी गई भारतीय महिलाओं की संख्या के बारे में कोई आकलन किया है;

(ग) ये महिलाएं किन-किन भारतीय राज्यों की रहने वाली हैं; और

(घ) इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) सरकार ने 31 मई, 2000 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में इस आशय की खबर देखी है।

(क) सरकार ने उल्लिखित अवधियों के दौरान ब्रिटेन अथवा किसी अन्य पश्चिमी यूरोपीय देश में किसी भारतीय महिला के यौन दासता संबंधी मामले की कोई खबर नहीं देखी है। इस वर्ष संयुक्त अरब अमीरात से एक भारतीय महिला के शामिल होने के बारे में एक मामला सामने आया है। तीन भारतीय महिलाओं से संबंधित एक मामला अमरीका में पाया गया है।

(ग) केरल (एक महिला) और आंध्र प्रदेश (तीन महिलाएं)।

(घ) ये एकल घटनाएं हैं। संबंधित प्राधिकारियों ने इस संबंध में निवारक सतर्कता कार्रवाई की है।

महिलाओं के लिये प्रशिक्षण सुविधायें

2760. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में महिलाओं के लिये रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न कराने के लिये रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय महिलाओं को प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार कितनी महिलायें लाभान्वित हुई; और

(ग) देश में ऐसी संस्थाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी हां।

(ख) और (ग) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन एक राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (एन.वी.टी.आई.) एवं 10 क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (आर.वी.टी.आईज.) स्थापित किए गए हैं। ये संस्थान अनुदेशात्मक कौशलों सहित बुनियादी, उच्च एवं उन्नत-पश्च स्तर पर प्रशिक्षण देते हैं।

इन संस्थानों का स्थान एवं विगत तीन वर्षों में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (एन.वी.टी.आई.)/क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों (आर.वी.टी.आईज.) से लाभान्वित/प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं की संख्या संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

विवरण

श्रम मंत्रालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (एन.वी.टी.आई.) एवं क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों (आर.वी.टी.आईज.) में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या

संस्थान और स्थिति	प्रशिक्षित प्रशिक्षु		
	1997-98	1998-99	1999-2000
रा.व्या.प्र.सं. नोएडा उत्तर प्रदेश	399	432	553
क्षे.व्या.प्र.सं. मुम्बई, महाराष्ट्र	142	149	212
क्षे.व्या.प्र.सं. बंगलौर, कर्नाटक	206	439	1231
क्षे.व्या.प्र.सं. त्रिवेन्द्रम, केरल	134	148	178
क्षे.व्या.प्र.सं. हिसार, हरियाणा	25	212	505
क्षे.व्या.प्र.सं. कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	44	48	163
क्षे.व्या.प्र.सं. तुरा, मेघालय	23	23	22
क्षे.व्या.प्र.सं. इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	89	108	143
क्षे.व्या.प्र.सं. इंदौर, मध्य प्रदेश	42	52	127
क्षे.व्या.प्र.सं. वडोदरा, गुजरात	14	63	92
क्षे.व्या.प्र.सं. जयपुर, राजस्थान	91	146	457

एम्प्लाइज स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम

2761. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "इम्प्लाइज स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम (ई.एस.ओ.पी.) शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम में कुल कितने कर्मचारी शामिल हुए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 28 जनवरी, 1998 को सरकार द्वारा एम्प्लाइज स्टॉक आप्शन प्रोग्राम (ई.एस.ओ.पी.) हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को शेयर बेचने की परिकल्पना की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को योजना की आधारभूत संचरना/स्वरूप/उद्देश्य को परिवर्तित किए बिना अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप प्रतिष्ठान विशिष्ट योजनाएं बनाने तथा परिवर्तनों को समाविष्ट करने की छूट प्रदान की गई है। प्रशासनिक मंत्रालय योजना के क्रियान्वयन का प्रबोधन करने के लिए उपयुक्त प्रबोधन तंत्र तैयार करेंगे। इस योजना को स्वीकार करने वाले कुल कर्मचारियों की केन्द्रीय रूप से कोई मॉनिटरिंग नहीं की जाती है।

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों संबंधी अध्ययनें

2762. श्री शिवाजी माने :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आठवीं योजना और नौवीं योजना के आरंभिक तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए कोई अध्ययन कराया है या कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितनी खाद्य प्रंसस्करण इकाइयों को स्वीकृति दी गई;

(घ) इन योजनाओं में क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) सरकार ने राज्य सरकारों की सलाह से इस क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) और (ख) सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना और नौवीं योजना के पहले वर्ष के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद को एक अध्ययन का काम सौंपा था। यह अध्ययन प्रचालन के पांच क्षेत्रों मुख्यत: उत्पादन, प्रशिक्षण, कोल्ड स्टोरेज, अनुसंधान तथा विकास तथा प्रयोगशाला क्षेत्रों से चुनी गई 122 यूनिटों के फील्ड सर्वेक्षण पर आधारित था।

(ग) और (घ) हालांकि विभाग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना और नौवीं योजना के दौरान 600 से अधिक परियोजनाओं को वित्त उपलब्ध कराया था पर अध्ययन के निष्कर्ष 378 यूनिटों पर आधारित हैं जिनके राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सर्वेक्षित 122 यूनिटों से पता चला है कि 57 प्रतिशत परियोजनाएं लग चुकी थीं। उत्पादन यूनिटों के मामले में 55 प्रतिशत यूनिटें खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के मामले में 60 प्रतिशत, कोल्ड स्टोरेज के मामले में 63 प्रतिशत, अनुसंधान और विकास के मामले में 38 प्रतिशत और प्रयोगशालाओं के मामले में 60 प्रतिशत की स्थापना की जा चुकी थी।

(ङ) सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न विकासात्मक और संवर्धनात्मक कार्यों के लिए वित्तीय सहायता देती है। राज्य सरकारें नोडल एजेंसियों की एक प्रणाली के माध्यम से तथा सेमिनार, कार्यशालाओं आदि जैसे विभिन्न मंचों पर सूचनाओं के आदान-प्रदान के द्वारा इन कार्यों से जुड़ी रहती हैं। सरकार द्वारा सहायताप्राप्त परियोजनाओं की भौतिक प्रगति पर निगरानी रखने और निधियों के ठीक से इस्तेमाल को भी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया गया है।

विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	कोल्ड स्टोरेज	खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केंद्र	बुनियादी ढांचा	अनुसंधान तथा विकास	उत्पादन	प्रयोगशाला	नोडल एजेंसियां	पैकेजिंग	रिपोर्ट लेखन	विविध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	1	3	3	2	5	—	—	—	—	—
अरुणाचल प्रदेश	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
असम	1	15	—	—	11	2	1	—	2	6
बिहार	—	10	2	2	2	—	1	—	—	—
चण्डीगढ़	—	1	—	1	5	—	3	—	—	—
दिल्ली	10	7	4	5	2	4	1	2	1	2
गुजरात	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	4	2	2	—	9	—	—	1	—	—
कर्नाटक	1	4	1	1	2	4	4	5	6	2
केरल	2	3	—	1	28	—	—	—	—	3
मध्य प्रदेश	—	3	—	—	2	—	1	—	2	—
महाराष्ट्र	5	4	3	2	10	—	1	1	—	—
मणिपुर	—	2	—	—	2	—	—	—	4	—
मेघालय	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
मिजोरम	1	1	1	—	1	—	2	—	—	—
नागालैण्ड	—	1	3	—	4	—	1	—	2	—
उड़ीसा	3	14	3	—	6	1	—	—	1	—
पंजाब	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
राजस्थान	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—
तमिलनाडु	—	7	1	3	3	—	—	—	—	—
त्रिपुरा	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
उत्तर प्रदेश	1	30	3	1	—	1	—	1	—	—
पश्चिम बंगाल	3	1	9	1	2	—	1	—	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जम्मू-कश्मीर	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
लक्षद्वीप	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अंडमान निकोबार	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
हरियाणा	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
पाण्डिचेरी	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
कुल	35	114	39	20	97	12	20	9	19	13

कुल योग - 378 यूनिट

[हिन्दी]

आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री की यात्रा

2763. प्रो. अशोक पटेल :
श्री जयभान सिंह पवैया :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे;

(ख) यदि हां, तो उनकी भारतीय नेताओं के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बातचीत के क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या आस्ट्रेलिया दिल्ली में अपना 'रक्षा सलाहकार कार्यालय' पुनः खोलने पर सहमत हो गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके पुनः कब तक खोले जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी हां। 10-11 जुलाई, 2000 तक।

(ख) अपनी यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री जॉन हावर्ड ने राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री और विपक्ष के नेता से मुलाकात की। वार्ताएं द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने पर केन्द्रित रहीं। हालांकि फिजी की समस्या सहित अन्य बहुपक्षीय और विश्वजनीन मसलों पर भी चर्चा हुई। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि हमारे संबंधों को संवर्द्धित करने के प्रयास किये जाएंगे, विशेषकर सक्रिय व्यापार और आर्थिक संबंधों एवं निवेशों के जरिए।

(ग) प्रधान मंत्री जॉन हावर्ड ने अपनी यात्रा को भारत-आस्ट्रेलिया संबंधों में "ऊर्जा और शक्ति" लाने का एक प्रयास बताया। इस प्रयोजन में पर्याप्त सफलता मिली।

(घ) और (ङ) इसके पूर्व मार्च, 2000 में आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री अलेक्जेन्डर डावनर की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने सिद्धांत रूप में रक्षा संबंधों को बहाल किये जाने पर सहमति व्यक्त की। तत्पश्चात, आस्ट्रेलिया के एक रक्षा दल ने 26 मई, 2000 को नई दिल्ली का दौरा किया और इसने रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ नई दिल्ली में रक्षा सलाहकार का कार्यालय पुनः खोले जाने सहित रक्षा संबंधों को बहाल किये जाने की रूपरेखा पर चर्चा की।

(च) नई दिल्ली में आस्ट्रेलिया के (और केनबरा में हमारे) रक्षा सलाहकार का कार्यालय 2001 में पुनः खोले जाने की संभावना है।

कम्प्यूटर स्नातकों के लिए रोजगार

2764. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न महाविद्यालयों से कम्प्यूटर-विज्ञान और कम्प्यूर-अनुप्रयोग में प्राप्त उपाधिधारियों को रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण सुविधा देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा ऐसे योग्य व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) केन्द्र सरकार के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों का पंजीकरण राज्य में स्थित व्यावसायिक एवं कार्यकारी रोजगार कार्यालयों द्वारा किया जाना है। अन्य रोजगार कार्यालय भी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों का पंजीकरण कर सकते हैं तथा उनके पंजीकृत न होने की स्थिति में उनके इंडेक्स कार्ड सम्बद्ध व्यावसायिक एवं कार्यकारी रोजगार कार्यालयों को भेज सकते हैं।

(ख) और (ग) रोजगार कार्यालय केवल रिक्तियों एवं नियोक्ताओं द्वारा अधिसूचित मांगों के लिए ही अभ्यर्थियों का नाम प्रायोजित करते हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

नदियों को आपस में जोड़ना

2765. श्री पी. कुमारासामी :
श्री लक्ष्मण सेठ :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्रमुख नदियों को आपम में जोड़ने के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु की प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करने हेतु प्रायद्वीपीय नदी विकास एजेंसी (पेनिन्स्युलर रिवर डेवलपमेंट एजेन्सी) बनाने के संदर्भ में कदम उठाए गये हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (ग) तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय) और केन्द्रीय जल आयोग ने जल संसाधन विकास के लिए वर्ष 1980 में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की थी जिसमें जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए अधिक जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों को जल के हस्तांतरण के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों को आपस में जोड़ने की योजना है। भारत सरकार ने जल संतुलन और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के व्यवहार्यता अध्ययनों के लिए जुलाई, 1982 में स्वायत्तशासी सोसाइटी के रूप में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन.डब्ल्यू.डी.ए.) की स्थापना की है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्वीपीय घटक में अन्य बातों के साथ-साथ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी के बीच अन्तर सम्पर्कों के स्थापना की योजना है। जल स्थानान्तरण सम्पर्क संबंधी प्रस्ताव का कार्यान्वयन निधियों की उपलब्धता, तत्परता से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और संबंधित राज्यों के बीच प्राप्त सर्वसम्मति पर निर्भर करता है।

भारत की विदेश नीति का मूल्यांकन

2766. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की विदेश नीति को कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहरा धक्का लगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री और मंत्रिपरिषद् के अन्य मंत्रियों के विचार कतिपय विदेश नीति से संबद्ध मामलों में आपस में मेल नहीं खाते;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार का ध्यान दिनांक 9 जून, 2000 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में "प्राइम मिनिस्टर कॉजिंग इनकैलक्युलेबल हार्म टु फारेन पॉलिसी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि नीतिगत मामलों, जिनमें विदेशी मामले भी शामिल हैं, पर निर्णय लेना मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है।

(ग) सरकार ने 9 जून, 2000 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपी खबर देखी है।

(घ) इस क्षेत्र में और विश्व के इर्द-गिर्द घट रही घटनाओं के संदर्भ में हमारे हितों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए विदेश नीति का संचालन एक गतिशील और सतत् क्रिया है।

[हिन्दी]

अम्बेडकर परियोजनाएं

2767. श्री अरुण कुमार :
श्री रामदास आठवले :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में गैर-सरकारी संगठनों के माध्यमों से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी डा. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर परियोजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) राज्य में इन परियोजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने प्रतिशत व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(ग) इन परियोजनाओं का क्या परिणाम निकला; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) बिहार में गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाई जा रही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए डा. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की कोई परियोजना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि फार्मों को पुनः चालू करना

2768. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के कटिहार जिले में बन्द पड़े उन कृषि फार्मों को पुनः चालू करने का है जिनका उपयोग उन्नत बीज विकसित करने के लिए किया जाता था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बीजों के विकास के लिए कोई नई योजना घोषित की गई है/घोषित की जाने वाली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (ग) भारत सरकार को बिहार के कटिहार जिले में बंद पड़े कृषि फार्मों को पुनः चालू करने के संबंध में कोई प्रस्ताव बिहार सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

खादी बिक्री केन्द्रों को बंद किया जाना

2769. श्री रामजी लाल सुमन :
श्री जोरा सिंह मान :

क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों के जिलास्तरीय खादी बिक्री केन्द्रों को बंद किए जाने का निर्णय लिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों के संदर्भ में उक्त निर्णय अब तक लिया जा चुका है;

(ग) किन राज्यों के संदर्भ में उक्त निर्णय लिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन केन्द्रों को बंद करने का निर्णय लेने के क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

काली सूची में रखे गए गैर-सरकारी संगठन

2770. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों से काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठनों से गबन की गई राशि की वसूली करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों को जारी किए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो सरकार उक्त में विफल रही राज्य सरकारों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है;

(घ) क्या सरकार 50 और गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में डालने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्यवार ऐसे संगठन कौन-कौन से हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से भारतीय दण्ड संहिता (आई.पी.सी.) के तहत मामला दर्ज करने तथा निधियों की वसूली के लिए कार्रवाई आरम्भ करने और संगठनों द्वारा सरकारी निधियों से सृजित सम्पत्तियों को जब्त करने के लिए कहा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) अनिवार्य वार्षिक निरीक्षणों तथा समय-समय पर किए गए अन्य आकस्मिक निरीक्षणों के आधार पर गैर-सरकारी संगठन के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है। जब कभी प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होती है, मंत्रालय संगठन को अनुदान की अगली निर्मुक्ति को रोकने तथा दुरूपयोग की गई राशि की वसूली के लिए कार्रवाई आरम्भ करता है। चूंकि यह सतत प्रक्रिया है इसलिए, काली सूची में डाले जाने के लिए प्रस्तावित संगठनों की संख्या विनिर्दिष्ट करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

किसानों की समस्याएं

2771. **श्री टी. गोविन्दन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से नारियल, रबड़, काफी और सुपारी के किसानों के सम्मुख खड़ी समस्याओं को प्रकाश में लाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (ग) जी, हां। भारत सरकार को नारियल, रबड़, काफी, सुपारी के मूल्यों में गिरावट और इन फसलों के उत्पादकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर केरल सरकार से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इन कृषि जिंसों के मूल्यों में गिरावट रोकने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं। उदाहरण के लिए नारियल तेल और कुछ अन्य खाद्य तेल, काफी और सुपारी के आयात पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है। नेफेड को न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम के अधीन खोपरा की खरीद करने का निदेश दिया गया है तथा उन्होंने 45900 मी. टन खोपरा की पहले ही खरीद कर ली थी। राज्य व्यापार निगम को प्राकृतिक रबड़ खरीदने के लिए कहा गया है। रबड़ की स्वदेशी मांग बढ़ाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं।

कृषि महाविद्यालयों/संकायों में अनुसूचित जातियों/ जनजातियों के लिए स्थान

2772. **डा. बलिराम** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित डा. अम्बेडकर जन्म शताब्दी समारोह समिति ने वर्ष 1993 में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों को पूर्णतया इन्हीं समुदायों के विद्यार्थियों से भरे जाने को सुनिश्चित करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान (केन्द्रीय सरकार से सहायता-अनुदान प्राप्त करने वाले) सभी कृषि महाविद्यालयों के विभिन्न संकायों/विषयों में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में कुल कितने स्थान रखे गए हैं;

(घ) विभिन्न संकायों/विषयों के उक्त पाठ्यक्रमों में उक्त अवधि के दौरान कुल स्थानों की तुलना में अनुसूचित जातियों/ जनजातियों के वर्षवार कुल कितने विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त सिफारिश को संतोषजनक तरीके से क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के परिवारों की ऋणग्रस्तता समाप्त करने की योजनाएं

2773. श्री रामदास आठवले : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा. अम्बेडकर जन्मशती समारोह समिति ने ग्रामीण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के परिवारों की ऋणग्रस्तता समाप्त करने हेतु योजना तैयार करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो आरम्भ की गई, क्रियान्वित योजना का ब्यौरा क्या है और अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गहरे नलकूप

2774. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के कतिपय भागों में, भूमिगत जल स्तर भयावह रूप से घट रहा है जिससे किसानों को विवश होकर गहरे नलकूप लगवाने पड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार किसानों को गहरे नलकूप खुदवाने के लिए राजसहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जी, हां। नलकूप की तेजी से (स्पर्ट) खुदाई होने के कारण सभी जिलों के कुछ पाकेटों में भूजल स्तर में तेजी से गिरावट आई है। मालवा पठार, रतलाम, मंदसौर, नीमच तथा उज्जैन जिलों में भूजल स्तर में बहुत अधिक गिरावट आई है।

(ग) राज्य सरकार ने गहरे नलकूपों के निर्माण के लिए सहायता देने अथवा गहरे नलकूपों की खुदाई के लिए किसानों को आर्थिक सहायता देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक विकास केन्द्र

2775. श्री रतन लाल कटारिया :
श्री कोडीकुनील सुरेश :

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर केरल और हरियाणा में जिले-वार कुल कितने औद्योगिक विकास केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन औद्योगिक विकास केन्द्रों का कार्यकरण क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में ऐसे और अधिक औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो ये केन्द्र कहां-कहां स्थित हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) देश भर में प्लान किए गए 71 विकास केन्द्रों में से 68 विकास केन्द्र राज्य सरकारों के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा मंजूर कर दिए गए हैं। इन स्वीकृत विकास केन्द्रों में से 26 ने कार्य करना शुरू कर दिया है क्योंकि औद्योगिक प्लाण्टों का आबंटन प्रारंभ हो गया है। इनमें कन्नूर कोझिकोड (जिला कन्नूर कोझिकोड) केरल तथा बावल (जिला रेवाड़ी) हरियाणा के विकास केन्द्र शामिल हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत शिक्षित बेरोजगारों को ऋण

2776. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत कितने शिक्षित बेरोजगार लोगों को ऋण प्रदान किया गया;

(ख) इस वित्तीय वर्ष हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और लक्ष्य प्राप्त न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत कितने शिक्षित बेरोजगार लोगों को ऋण प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत 1997-98, 1998-99, 1999-2000 के लिए 8378 शिक्षित बेरोजगार लोगों को ऋण संवितरित किए गए थे।

(ख) और (ग) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 के लिए उड़ीसा का 15500 का लक्ष्य रखा गया है जिसे चालू वित्त वर्ष के अन्त तक प्राप्त किया जाना है।

भविष्य निधि और पेंशन निधि का निवेश

2777. श्री किरीट सोमैया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भविष्य निधि और पेंशन निधि को पूंजी बाजार में निवेश करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में श्रमिक संघों और राजनीतिक दलों की राय पर विचार किया है;

(ग) क्या विभिन्न श्रमिक संघों ने उक्त कदम का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) कर्मचारी भविष्य निधि, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा भविष्य निधि और पेंशन निधि का पूंजी बाजार में निवेश नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

साइन्स सिटी

2778. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक साइन्स सिटी की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कौन से स्थान की पहचान की गई है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने इस कार्य के लिए कोई वित्तीय सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो इस कार्य के लिए कितनी राशि की मांग की गई है और कितनी राशि स्वीकृत हुई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ङ) गुजरात सरकार ने अहमदाबाद/गांधीनगर में एक साइंस सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इस साइंस सिटी में सूचना प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान के विस्तृत क्षेत्र शामिल होंगे जिन्हें विभिन्न मण्डपों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। इस प्रयोजन से, गुजरात साइंस सिटी परिषद नामक एक संस्था स्थापित की गई है तथा इसे संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किया गया है। प्रस्तावित साइंस सिटी को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण की अनुमानित लागत 91 करोड़ रुपए है। दूसरे तथा तीसरे चरण की अनुमानित लागत का आकलन गुजरात सरकार द्वारा किया जा रहा है तथा यह अहमदाबाद में 250 एकड़ की भूमि का आबंटन भी कर रही है।

गुजरात सरकार ने भारत सरकार से 51 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता तथा अन्य तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

गुजरात सरकार के वित्तीय तथा तकनीकी सहायता का अनुरोध केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

खादी ग्रामोद्योग आयोग से राज्यसहायता का वापस लिया जाना

2779. श्री नरेश पुगलिया : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी ग्रामोद्योग को पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी राजसहायता दी गई;

(ख) क्या सरकार ने खादी ग्रामोद्योग की राजसहायता रोकने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र में करीब 40 लाख वर्कर तथा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तथा वे बुनाई-कताई तथा खादी विपणन का कार्य कर रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार द्वारा इस क्षेत्र की राजसहायता पर रोक लगाने के निर्णय से इन सभी वर्करों तथा कर्मचारियों के बेरोजगार होने की संभावना है;

(च) क्या अनेक सांसदों ने प्रधान मंत्री को अभ्यावेदन दिया है जिसमें उन्होंने खादी ग्रामोद्योग को सहायता देकर मजदूरों को बेरोजगार होने से बचाने के लिए कहा है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र को राजसहायता जारी रखे जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग को प्रदान किए गए अनुदानों ऋणों और आर्थिक सहायता के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण प्रस्तुत है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं। 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार 13.85 लाख लोगों को बुनाई, कताई तथा खादी विपणन कार्य में लगाया गया था।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) जी, हां।

(छ) उपर्युक्त (ख) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान खादी और ग्रामोद्योग को प्रदान किए गए अनुदान, ऋण तथा आर्थिक सहायता

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	उपशीर्ष	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
योजना				
1.	खादी अनुदान	19655	15960	9470
2.	खादी ऋण	2098	2098	1500
3.	एस एंड टी (खादी)	30	30	—
4.	ब्याज सहायता (खादी)*	1900	1900	1900
5.	ग्रामोद्योग अनुदान	8400	8400	5400
6.	ग्रामोद्योग ऋण	900	900	250

1	2	3	4	5
7.	एस एंड टी (ग्रामोद्योग)	95	170	70
8.	ब्याज सहायता (ग्रामोद्योग)*	500	500	500
9.	ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम	10500	4665	1103
	उप जोड़	44078	34623	20193
नॉन प्लान				
10.	खादी अपदान	2400	2400	2410
11.	प्रशासनिक व्यय	2400	2560	1
12.	गृ.नि. अग्रिम ऋण	30	30	30
13.	ब्याज सहायता (खादी)*	2300	2300	2300
14.	ब्याज सहायता (ग्रामोद्योग)	1100	1100	730
	उप-जोड़	8230	8390	7870
15.	बैंक ऋण (खादी)	19962	23992	26391
	बैंक ऋण (ग्रामोद्योग)	8889	8939	9832
	उप-जोड़	28851	32931	36223
	कुल जोड़	81159	75944	64286

*राशि रिलीज न की जाए बल्कि बुक समायोजन किया जाए।

जल प्रबंधन

2780. **श्री आर.एल. भाटिया : क्या जल संसाधन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र की सहभागिता से जल प्रबंधन हेतु दीर्घावधि रणनीति तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) और (ख) वर्ष 1987 में नीति के रूप में अपनाई गई राष्ट्रीय जल नीति में संसाधनों के संरक्षण और धारिता क्षमता को अधिकतम करने और हानियों को न्यूनतम करने के उपाय अपनाकर जल की उपलब्धता बढ़ाने पर बल दिया गया है। तद्नुसार, जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना कुल मिलाकर जल निकास बेसिन अथवा उप बेसिन की समग्र योजना के आधार पर की जाती है तथा विभिन्न विकास परियोजनाएं राज्यों द्वारा ऐसी समग्र योजना के ढांचे के भीतर तैयार की जाती हैं। उपर्युक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त नदी बेसिन संगठनों की योजना बनाई गई है। इस नीति में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर जल को एक नदी बेसिन से दूसरे बेसिन में स्थानान्तरित करके जल की कमी वाले क्षेत्रों को जल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया है।

सृजित सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए संगठित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस नीति में सिंचाई प्रणालियों के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं, विशेषकर जल वितरण और जल दरों के एकत्र करने में किसानों को शामिल करने की भी योजना है। इस बात पर भी बल दिया

गया है कि जल के पुन: चक्र और पुन: इस्तेमाल को बढ़ावा देकर तथा शिक्षा, विनियमन, प्रोत्साहन और गैर-प्रोत्साहन के माध्यम से संरक्षण जागरूकता लाकर उसका सभी विधि प्रयोगों में कुशलता के साथ उपयोग किया जाये।

जल प्रबंधन की उपर्युक्त नीति के आधार पर राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों में जल संसाधनों का प्रबंध कर रही हैं।

गोरक्षा संबंधी राष्ट्रीय आयोग

2781. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गोरक्षा संबंधी कोई राष्ट्रीय आयोग गठित करने का है;

(ख) क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने प्रस्तावित आयोग हेतु सुझाव दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय से राष्ट्रीय गोपशु आयोग के गठन के लिए एक सुझाव प्राप्त हुआ था। इस रूप में प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया है क्योंकि इसमें वित्तीय तथा अन्य नीतिगत अन्तर्निहिताएं हैं।

[हिन्दी]

प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र

2782. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कितने कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) इन केन्द्रों पर विशेषकर कजरी कृषि प्रौद्योगिकी केन्द्र पर सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया है; और

(ग) इन केन्द्रों से किसानों के किस सीमा तक लाभान्वित होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) कुल 40 कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्रों की स्वीकृति दी गई है। इनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इन केन्द्रों के कार्यान्वयन हेतु पांच वर्ष के लिए 1719.50 लाख रु. की राशि का प्रावधान रखा गया है। केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर को पांच वर्ष की अवधि के लिए 42.575 लाख रु. की राशि आवंटित की गई है।

(ग) संबंधित केन्द्रों के पास उपलब्ध कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र की एक ही स्थान पर (सिंगल विंडो) सहायता मुहैया कराने की प्रणाली द्वारा कृषकों को प्रौद्योगिकी उत्पादों, सेवाओं और सूचना का लाभ मिल सकेगा।

विवरण

मेजबान संगठनों द्वारा विभिन्न राज्यों में कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्रों का वितरण

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	राज्य कृषि विश्वविद्यालय	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	कुल
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	—	1	1
2.	आंध्र प्रदेश	1	—	1
3.	असम	1	—	1
4.	बिहार	1	—	1
5.	दिल्ली	—	1	1

1	2	3	4	5
6.	गुजरात	1	—	1
7.	हरियाणा	1	1	2
8.	हिमाचल प्रदेश	2	1	3
9.	जम्मू और कश्मीर	1	—	1
10.	कर्नाटक	2	1	3
11.	केरल	1	4	5
12.	मध्य प्रदेश	2	1	3
13.	महाराष्ट्र	4	1	5
14.	मेघालय	—	1	1
15.	उड़ीसा	—	1	1
16.	पंजाब	1	—	1
17.	राजस्थान	1	1	2
18.	तमिलनाडु	2	—	2
19.	उत्तर प्रदेश	3	1	4
20.	पश्चिम बंगाल	1	—	1
	कुल	25	15	40

[अनुवाद]

पोन्नानी में मछली पकड़ने का बंदरगाह

2783. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या कृषि मंत्री पोन्नानी में मछली पकड़ने का बंदरगाह के बारे में 8.3.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1989 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरी, बंगलौर ने केरल में पोन्नानी मछली पकड़ने के बंदरगाह की परियोजना रिपोर्ट की तकनीकी जांच पूरी करके इसकी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तकनीकी जांच के परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो तकनीकी जांच की रिपोर्ट कब तक मिल जाने की संभावना है;

(घ) क्या लम्बे समय से लंबित परियोजना की स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय तटवर्ती मात्स्यिकी इंजीनियरी संस्थान बंगलौर ने ब्रेक वाटर, घाटों, ड्रेजिंग और पुनरुद्धार से संबंधित परियोजना के मुख्य घटकों के लिए केरल सरकार से अतिरिक्त तकनीकी ब्यौरा भेजने का अनुरोध किया है।

(ग) से (ङ) संस्थान राज्य सरकार से अपेक्षित अतिरिक्त तकनीकी सूचना प्राप्त हो जाने पर परियोजना की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता की तेजी से जांच करेगा।

परमाणु विद्युत संयंत्रों की स्थापना

2784. श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री वसुदेव आचार्य :
श्री आर.एल. भाटिया :
श्री ए. ब्रह्मनैया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में परमाणु विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस हेतु किन-किन राज्यों की पहचान की गई है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। वर्तमान परमाणु विद्युत क्षमता 2280 मेगावाट है, जिसमें कर्नाटक में कैगा-2 (220 मेगावाट) और राजस्थान में आरएपीपी-3 (220 मेगावाट) भी शामिल हैं, जिन्होंने क्रमशः मार्च, 2000 और जून, 2000 में वाणिज्यिक रूप से परिचालन शुरू किया था।

वर्तमान में जिन परियोजनाओं के संबंध में योजनाएं बनाई गई हैं, वे निम्नानुसार हैं:-

राज्य/स्थल	यूनिट	मेगावाट क्षमता
कर्नाटक-कैगा	कैगा-1 (पीएचडब्ल्यूआर)	220
राजस्थान-रावटभाटा	आरएपीपी-4 (पीएचडब्ल्यूआर)	220
महाराष्ट्र-तारापुर	टीएपीपी-3	500
	टीएपीपी-4 (पीएचडब्ल्यूआर)	500
तमिलनाडु-कुडानकुलम	केके-1	1000
	केके-2 (वीवीईआर रूसी किस्म का)	1000
कर्नाटक-कैगा	कैगा-3	220
	कैगा-4 (पीएचडब्ल्यूआर)	220

पीएचडब्ल्युआर-दाबित भारी पानी रिएक्टर

ई.एस.आई. औषधालय

2785. श्री तिरूनावकरसु :
डा. बलिराम :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में चल रहे ई.एस.आई. औषधालय/अस्पतालों का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के कुछ अन्य भागों में नये औषधालय/अस्पताल खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि अनेक ई.एस.आई. औषधालयों/अस्पतालों में स्टॉक की कमी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी अस्पताल-वार/औषधालय-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या यह भी सच है कि अनेक अस्पतालों में सी.टी. स्कैन और एम.आर.आई. जांच सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं; और

(छ) यदि हां, तो उन कर्मचारियों के लिये क्या प्रावधान किया गया है जिन्हें यह जांच करवानी होती है, तथा सरकार द्वारा कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) आन्ध्र प्रदेश में 136 का.रा.बी. औषधालय और 10 अस्पताल, उत्तर प्रदेश में 142 क.रा.बी. औषधालय और 16 अस्पताल, तमिलनाडु में 164 औषधालय और 9 अस्पताल और दिल्ली में 10 आयुर्वेदिक विंग सहित 36 क.रा.बी. औषधालय और 4 क.रा.बी. अस्पताल हैं। आमतौर पर क.रा.बी. अस्पतालों/औषधालयों की स्थापना औद्योगिक केन्द्रों पर की जाती है और जिलावार नहीं।

(ख) और (ग) क.रा.बी. निगम ने हैदराबाद के पुराने शहर, टूटिकोरिन, तिरूनवेली और रानीपेट प्रत्येक में एक-एक अस्पताल खोलने की योजना बनाई है। निगम ने तमिलनाडु में भी 18 नए क.रा.बी. औषधालय खोलने की भी योजना तैयार की है।

(घ) और (ङ) आन्ध्र प्रदेश में 300, तमिलनाडु में 273, उत्तर प्रदेश में 287 और दिल्ली में 935 स्टाक कार्मिकों की कमी है। क.रा.बी. औषधालयों एवं अस्पतालों की संख्या काफी अधिक होने के कारण एकक-वार विवरण देना कठिन है।

(च) जी, हां।

(छ) क.रा.बी. योजना के अधीन हितलाभाधिकारियों को सी.टी. स्कैन और एम.आर.आई. जांच जैसी अति विशेषज्ञ सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए ख्याति प्राप्त चिकित्सा संस्थानों के साथ आवश्यक समझौते किए गए हैं। अति विशेषज्ञ सेवाओं/जांचों/उपचार के लिए हितलाभाधिकारियों को पेशगी देने/प्रतिपूर्ति का भुगतान करने हेतु का.रा.बी. निगम के क्षेत्रीय निदेशकों के नियंत्रणाधीन एक चक्रीय निधि की भी स्थापना की गई है। जहां तक क.रा.बी. अस्पतालों/औषधालयों में स्टाफ की कमी का संबंध है, संबंधित राज्य सरकारों से समय-समय पर क.रा.बी. निगम द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार रिक्त पदों को भरने के विषय में अनुरोध किया जाता है।

मानव संसाधन विकास केन्द्र की स्थापना

2786. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र में व्यावसायिकता को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या किसानों को जानकारी प्रदान कराने के संबंध में प्रत्येक विश्वविद्यालय में मानव संसाधन विकास केन्द्र स्थापित करने हेतु सरकार को राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) 1. पाठ्यक्रम को अद्यतन करके

- कृषि व सम्बद्ध विज्ञानों के पाठ्यक्रम को पूर्णत: पुनर्गठित किया गया है।
- उद्यमियों के विकास के लिए दक्षता आधारित पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।
- व्यावसायिक डिग्री कार्यक्रमों के एक अभिन्न घटक के रूप में ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- संशोधित चार वर्षीय गृह विज्ञान डिग्री कार्यक्रम में दो वर्षीय व्यावसायिक वैकल्पिक पाठ्यक्रम शुरू किया गया।

2. व्यावसायिक कार्यक्रमों के द्वारा

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा सम्बन्धित विभागों में व्यावसायिकों व सह-व्यावसायिकों की दक्षताओं को अद्यतन करने के लिए नियमित रूप से पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
- कृषि और सम्बद्ध विज्ञानों के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों से ग्रीष्म/शीत/अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का प्रस्ताव है।

3. प्रसार शिक्षा, कृषि विज्ञान केन्द्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों द्वारा बागवानी, ग्रीन हाउस प्रबंधन, नर्सरी प्रबंधन, भेड़, बकरी व मुर्गीपालन व उनका प्रबंधन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य हेचरी प्रबंधन, शिशु व महिला स्वास्थ्य रक्षा और फार्म-उपस्करों का प्रबंधन आदि विषयों के बारे में सह-व्यावसायिकों को प्राथमिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए अल्प व दीर्घ अवधि के नियमित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

4. संकाय सक्षमता में सुधार : संकाय सदस्यों के लिए राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मातृत्व/पितृत्व

2787. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा स्वीकृत मातृत्व/पितृत्व अवकाश संबंधी पांचवें वेतन आयोग की विशिष्ट सिफारिशों के आलोक से प्रसुति प्रसुविधा अधिनियम में संशोधन किये जाने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाड़ी देशों की जेलों में सड़ रहे भारतीय

2788. कुमारी भावना पुंडलिक राव गवली : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप खाड़ी देशों की विभिन्न जेलों से देशवार कितने भारतीय मुक्त कराये गये;

(ख) तथाकथित अपराधों के लिए खाड़ी देशों की जेलों में कितने भारतीय अब भी सड़ रहे हैं; और

(ग) शेष भारतीयों को मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें जानकारी दी गई है।

(ग) भारतीय राजनयिक मिशन/केन्द्र को किसी भारतीय राष्ट्रिक की गिरफ्तारी की जैसे ही सूचना मिलती है वैसे ही मेजबान सरकार से कौंसली पहुंच के लिए अनुरोध किया जाता है। मिशन/केन्द्र का एक अधिकारी गिरफ्तारी की परिस्थितियों की जानकारी लेने के लिए बन्दी से मिलता है। आवश्यक होने पर मिशन/केन्द्र तेज और निष्पक्ष मुकदमे के लिए और सजा की समीक्षा के लिए भी मेजबान सरकार के साथ मामले को उठाता है। आमतौर पर कैदियों को उनकी सजा पूरी हो जाने पर छोड़ दिया जाता है। उपयुक्त मामलों में हमारे मिशन/केन्द्र सजा माफ कराने के लिए स्थानीय अधिकारियों से सम्पर्क करते हैं।

विवरण

खाड़ी देशों की जेलों में बन्द भारतीय

देश	कैदियों की संख्या (जुलाई 2000)	आज तक छोड़े गए कैदियों की संख्या (1.1.1998 से) यदि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हों
बहरीन	131	34
ईरान	10	शून्य
इराक	शून्य	शून्य
कुवैत	107	शून्य
कतर	56	300 (जनवरी, 1999 से)
ओमान सल्तनत	14	शून्य
यमन गणराज्य	02	10 (पिछले 6 वर्ष)
सऊदी अरब	768	शून्य
संयुक्त अरब अमीरात	800	शून्य
योग	1888	344

[अनुवाद]

कृषि और बागवानी

2789. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्ष 1999 में आई बाढ़ और चक्रवात और वर्ष 2000 में सूखा के कारण खाद्यान्न का कितना अनुमानित नुकसान हुआ;

(ख) राज्यों में चक्रवात, बाढ़ और सूखा प्रभावित क्षेत्रों और सूखा प्रवण क्षेत्रों में कृषि और बागवानी को प्रोत्साहन देने हेतु क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं;

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान क्या योजना तैयार की गई है; और

(घ) प्रत्येक राज्य को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) प्राकृतिक आपदाओं से देश के विभिन्न भागों के प्रभावित होने के बावजूद इस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन (205.91) मिलियन मी. टन होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) कृषि क्षेत्र के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और कृषि प्रणाली में इसे लागू करने, उर्वरकों और बीजों जैसे विभिन्न आदानों की उपलब्धता और उनके इष्टतम उपयोग में वृद्धि करने, कृषि की निगरानी और सुधारात्मक उपाय करने और अन्य प्रबंधकीय प्रयासों के लिए ठोस प्रयासों जैसे विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं।

(घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आवश्यक राहत उपाय करने के लिए राज्यों को आपदा राहत कोष का केन्द्रीय अंश निर्मुक्त कर दिया गया है। राज्यवार निर्मुक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

वर्ष 2000-2001 के लिए आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश की राज्यवार निर्मुक्ति

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्मुक्त केन्द्रीय अंश
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	77.78
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.40
3.	असम	15.66
4.	गोवा	0.34
5.	गुजरात	131.14
6.	हरियाणा	15.69
7.	हिमाचल प्रदेश	8.44
8.	जम्मू और कश्मीर	6.17
9.	कर्नाटक	13.11
10.	केरल	17.34
11.	मध्य प्रदेश	31.98
12.	मणिपुर	1.56
13.	मेघालय	1.76
14.	मिजोरम	0.80
15.	नागालैण्ड	0.53
16.	उड़ीसा	30.70
17.	पंजाब	16.95
18.	राजस्थान	168.18
19.	सिक्किम	2.95
20.	तमिलनाडु	18.59
21.	त्रिपुरा	1.41
22.	उत्तर प्रदेश	39.18
23.	पश्चिम बंगाल	32.13
	योग	636.79

मात्स्यिकी विकास

2790. श्री रघुनाथ झा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मात्स्यिकी संसाधनों को विकसित करने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सी.एफ.आर.आई.) स्थापित किया गया था;

(ख) क्या केन्द्रीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सी.एफ.आर.आई.) के एक अनुसंधान के अनुसार तालाबों और झीलों में बड़ी मात्रा में मछलियां उत्पन्न की जा सकती हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर बिहार में मात्स्यिकी अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) भौतिक तथा जैविक दोनों ही रूप में मात्स्यिकी के विकास तथा संरक्षण के लिए अनुसंधान सहायता मुहैया कराने हेतु केन्द्रीय अन्त:स्थलीय प्रग्रहण मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना वर्ष 1947 में बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में की गई थी।

(ख) केन्द्रीय अन्त:स्थलीय प्रग्रहण मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान विभिन्न प्रकार के संसाधनों के लिए उपयुक्त अनेक समय-परीक्षित प्रौद्योगिकियों तथा प्रबंधन विधियों के विकास एवं परिष्करण में प्रमुख रहा है, जिनसे सरोवरों और झीलों में मछली उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि मात्स्यिकी विकास के क्रियाकलापों को नियोजित किया जाए और सुझाए गए निर्देशों के अनुसार उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

2791. श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में कितने औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों को अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत अभी तक स्थायी संबद्धता प्रदान किया जाना शेष है; और

(ख) इन संस्थानों को संबद्धता प्रदान नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत 35 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.वी.टी.) से भी प्रबंधन होना है।

(ख) काफी समय पहले जिस स्थायी समिति ने इन औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण किया था, उसने संबंधन हेतु व्यवसायों/ यूनिटों की सिफारिश नहीं की क्योंकि एन.सी.वी.टी. के निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप मूलभूत सुविधाएं नहीं जुटाई जा सकीं।

भू-जल

2792. श्री जगन्नाथ मलिक :
श्री त्रिलोचन कानूनगो :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंचाई हेतु मौजूदा भू-जल संभावनाओं के संबंध में किया जाने वाला सर्वेक्षण पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके राज्य-वार निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) सिंचाई हेतु राज्य-वार भू-जल का किस सीमा तक दोहन किया गया है;

(घ) क्या देश के किसी भाग में भू-जल का अधिक दोहन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती बिजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जी, हां। सिंचाई के लिए मौजूदा भूजल क्षमता के संबंध में सर्वेक्षण कर लिया गया है। देश में कुल पुनर्भरणीय भूजल संसाधन लगभग 432 मिलियन घनमीटर हैं। भूजल से प्राप्त होने वाली सिंचाई क्षमता 64 मिलियन हेक्टेयर आंकी गई है। 1.4.1998 की स्थिति के अनुसार राज्यवार पुनर्भरणीय जल संसाधनों तथा उपयोग योग्य सिंचाई क्षमता दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ग) भूजल द्वारा सृजित और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता की राज्यवार स्थिति बताने वाला विवरण-II संलग्न है।

(घ) और (ङ) जी, हां। विभिन्न राज्यों में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वार्षिक उपलब्धता से अधिक भूजल की निकासी होती है। विभिन्न राज्यों में अतिदोहित और डार्क ब्लाकों की एक सूची संलग्न विवरण-III पर दी गई है।

(च) चूंकि जल राज्य का विषय है, अत: भूजल संसाधनों में वृद्धि के उपाय संबंधित राज्य सरकार द्वारा किए जाने हैं। केन्द्र

सरकार द्वारा देश में भूजल स्तर में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) भूजल प्रबंधन और विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन।

(2) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक माडल बिल परिचालित करना ताकि वे भूजल विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त कानून बना सकें।

(3) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैनुअल परिचालित करना ताकि वे भूजल स्तरों में गिरावट के रुख को रोकने के लिए क्षेत्र विशिष्ट पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

(4) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 25.00 करोड़ रुपये की लागत से देश के कुछ ("अतिदोहित" तथा "डार्क") ब्लाकों में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण में अध्ययन संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का कार्यान्वयन।

विवरण-I

1.4.1998 तक भूजल संसाधन क्षमता

राज्य	कुल पुनर्भरणीय भूजल संसाधन मि.हे. मी/वर्ष	उपयोग योग्य सिंचाई क्षमता मि.हे.
1	2	3
आंध्र प्रदेश	3.52909	3.96008
अरुणाचल प्रदेश	0.14385	0.01800
असम	2.24786	0.90000
बिहार	3.35841	4.94763
गोवा	0.02182	0.02928
गुजरात	2.03767	2.75590
हरियाणा	1.11794	1.46170
हिमाचल प्रदेश	0.02926	0.06850
जम्मू व कश्मीर	0.44257	0.70795
कर्नाटक	1.61750	2.57281
केरल	0.79003	0.87925
मध्य प्रदेश	5.08891	9.73249
महाराष्ट्र	3.78677	3.65197
मणिपुर	0.31540	0.36900
मेघालय	0.05397	0.06351
मिजोरम	—	—
नागालैंड	0.07240	—
उड़ीसा	2.01287	4.20258
पंजाब	1.81923	2.91715
राजस्थान	1.26021	1.77783
सिक्किम	—	—
तमिलनाडु	2.64069	2.83205
त्रिपुरा	0.06634	0.08056
उत्तर प्रदेश	8.53870	16.79896
पश्चिम बंगाल	2.30914	3.31794
कुल राज्य	43.30063	64.04514
संघ राज्य क्षेत्र		
अंडमान और निकोबार	—	—
चण्डीगढ़	0.09297	—
दादर और नगर हवेली	0.00422	—
दमन	0.00071	—
दीव	0.00037	—
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.02916	—
लक्षद्वीप	0.03042	—
पांडिचेरी	0.01746	—
कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.08530	0.00504
कुल जोड़	43.38593	64.05018

विवरण-II

आठवीं योजना तक भूजल के माध्यम से सृजित और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता

(आंकड़े हजार हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य	सृजित क्षमता	प्रयुक्त क्षमता
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1678	1644
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	2
3.	असम	200	142
4.	बिहार	4365	3906
5.	गोवा	2	2
6.	गुजरात	1790	1707
7.	हरियाणा	1544	1496
8.	हिमाचल प्रदेश	16	11
9.	जम्मू और कश्मीर	10	10
10.	कर्नाटक	788	772
11.	केरल	142	127
12.	मध्य प्रदेश	1515	1496
13.	महाराष्ट्र	1635	1594
14.	मणिपुर	1	1
15.	मेघालय	9	9
16.	मिजोरम	—	—
17.	नागालैंड	1	1
18.	उड़ीसा	701	571
19.	पंजाब	3384	3324
20.	राजस्थान	2049	2015
21.	सिक्किम	—	—
22.	तमिलनाडु	1315	1312
23.	त्रिपुरा	21	21
24.	उत्तर प्रदेश	22634	20358
25.	पश्चिम बंगाल	1861	1408
	कुल राज्य	45663	41931
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	63	62
	कुल जोड़	45726	41993

स्रोत : नौवीं योजना प्रस्तावों को तैयार करने के लिए लघु सिंचाई संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट

विवरण III

अखिल भारतीय आधार पर अतिदोहित और डार्क के रूप में ब्लाकों/मंडलों/तालुकों/जलविभाजकों का श्रेणीकरण

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या	ब्लाकों/ मंडलों/ तालुकों/ जल विभाजकों की सं.	ब्लाकों/तालुकों/मंडलों/जल विभाजकों की संख्या			
				अति दोहित		डार्क	
				सं.	प्र.	सं.	प्र.
1	2	3	4	5	6	7	8
राज्य							
1.	आंध्र प्रदेश	22	1104	12	1.09	14	1.27
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	—	0	0.00	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	23	134	0	0.00	0	0.00
4.	बिहार	42	589	3	0.51	9	1.53
5.	गोवा	3	12	0	0.00	0	0.00
6.	गुजरात	19	184	13	7.07	15	8.15
7.	हरियाणा	17	108	33	30.56	8	7.41
8.	हिमाचल प्रदेश	12	69	0	0.00	0	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	14	123	0	0.00	0	0.00
10.	कर्नाटक	19	175	7	4.00	9	5.14
11.	केरल	14	154	0	0.00	0	0.00
12.	मध्य प्रदेश	45	459	2	0.44	1	0.22
13.	महाराष्ट्र	29	231	2	0.87	6	2.60
14.	मणिपुर	6	26	0	0.00	0	0.00
15.	मेघालय	5	29	0	0.00	0	0.00
16.	मिजोरम	3	20	......	आकलित नहीं	......	
17.	नागालैंड	7	21	0	0.00	0	0.00
18.	उड़ीसा	30	314	4	1.27	4	1.27
19.	पंजाब	17	138	72	52.17	11	7.97
20.	राजस्थान	32	236	74	31.36	20	8.47
21.	सिक्किम	4	4	......	आकलित नहीं		......
22.	तमिलनाडु	27	384	64	16.67	39	10.16
23.	त्रिपुरा	3	17	0	0.00	0	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	58	819	19	2.32	21	2.56
25.	पश्चिम बंगाल	16	341	0	0.00	1	0.29
	कुल राज्य	470	5691	305	—	158	—
	संघ राज्य क्षेत्र						
1.	अंडमान और निकोबार	—	—	—	—	—	—
2.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	दादर और नागर हवेली	—	—	—	—	—	—
4.	दमन और दीव	—	2	1	50.00	1	50.00
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	—	5	3	60.00	1	20.00
6.	लक्षद्वीप	—	9	0	0.00	0	0.00
7.	पांडिचेरी	—	4	1	25.00	—	0.00
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	—	20	5	—	2	—
	कुल जोड़	—	5711	310	—	160	—

टिप्पणी : आंध्र प्रदेश - मंडल
गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र - तालुक/तहसील

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

2793. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विशेषकर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं भेजने के लिए राज्य सरकारों से कहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ राज्य सरकारों से प्राप्त योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन राज्यों से अभी ऐसी योजनाएं प्राप्त की जाएंगी; और

(घ) अब तक प्राप्त प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (घ) भारत सरकार 1998-99 से निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:-

(1) भारत में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति।

(2) भारत में अध्ययन कर रहे अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति।

(3) अन्य पिछड़े वर्गों के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास।

(4) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षापूर्व कोचिंग योजना, और

(5) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता।

सभी राज्य सरकारों से योजनाओं के अनुसार प्रस्ताव भेजने के लिए अनुरोध किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत राशि संलग्न विवरण-I में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) पिछड़े वर्गों के पात्र सदस्यों को निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत विशेष सहायता प्रदान करता है:-

(1) आवधिक ऋण

(2) सीमान्त धन ऋण

पिछले तीन वर्षों के दौरान एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा वितरित किए गए ऋण का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

1998-99 और 1999-2000 के दौरान निर्मुक्त निधियों और वास्तविक उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

1. अन्य पिछड़े वर्गों के मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99		1999-2000	
		निर्मुक्ति राशि	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त राशि	लाभार्थियों की संख्या
1.	बिहार	84.60	10,566	शून्य	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	325.00	70,000
3.	मध्य प्रदेश	64.00	8,957	शून्य	शून्य
4.	त्रिपुरा	1.40	शून्य	100.00	46,920

2. भारत में अध्ययन कर रहे अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99		1999-2000	
		निर्मुक्त राशि	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त राशि	लाभार्थियों की संख्या
1.	बिहार	196.50	14410	शून्य	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	116.00	3,259	324.26	26,151
3.	मध्य प्रदेश	149.00	10,426	शून्य	शून्य
4.	त्रिपुरा	3.00	शून्य	55.00	4,570
5.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	118.00	11,073

3. अन्य पिछड़े वर्गों के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99		1999-2000	
		निर्मुक्ति राशि	छात्रावासों की संख्या*	निर्मुक्त राशि	छात्रावासों की संख्या*
1.	बिहार	120.53	3 (300)	शून्य	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	144.26	19(1900)
3.	मध्य प्रदेश	10.00	1 (50)	शून्य	शून्य
4.	राजस्थान	शून्य	शून्य	57.48	7 (175)
5.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	78.26	17 (985)
6.	सिक्किम	शून्य	शून्य	20.001	(50)

*छात्रावासों की संख्या (छात्रों की संख्या)

1999-2000 के दौरान उपयोग की गई और खर्च की गई राशि।

4. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99		1999-2000	
		निर्मुक्ति राशि	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त राशि	लाभार्थियों की सं.
1.	असम	6.78	120	शून्य	शून्य
2.	केरल	3.33	40	शून्य	शून्य
3.	मध्य प्रदेश	5.19	160	2.13	80
4.	उड़ीसा	2.12	शून्य	0.85	20

5. स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99		1999-2000	
		निर्मुक्त राशि	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त राशि	लाभार्थियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	11.18	240	15.82	790
2.	असम	2.70	30	4.32	170
3.	गुजरात	शून्य	शून्य	0.89	50
4.	हरियाणा	शून्य	शून्य	7.33	370
5.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	1.55	90
6.	मध्य प्रदेश	8.50	210	शून्य	शून्य
7.	महाराष्ट्र	27.65	1015	20.13	785
8.	मणिपुर	2.16	115	10.56	435
9.	उड़ीसा	2.69	30	3.66	210
10.	सिक्किम	1.73	125	शून्य	शून्य
11.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	0.95	50
12.	उत्तर प्रदेश	5.59	180	25.11	1195
13.	पश्चिम बंगाल	1.13	80	5.66	250
14.	दिल्ली	1.13	80	11.02	570

विवरण II

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए राज्य और वर्षवार वितरण और लाभार्थियों की संख्या

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम एस.सी.ए.एस.	1997-98		1998-99		1999-2000		2000-01		संचयी राशि	
		वितरण	लाभार्थी	वितरण	लाभार्थी	वितरण	लाभार्थी	वितरण	लाभार्थी	वितरण	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	3186.57	37031	1648.49	92854	1433.74	26470	—	—	9090.23	174867
2.	अरुणाचल प्रदेश	246.55	1200	0.00	0	458.85	2000	—	—	829.73	3876
		3433.12	38231	1648.49	92654	1892.59	26470	0.00	0	9919.96	178743
3.	असम	0.00	0	23.99	15	76.93	56	20.60	20	182.47	558
4.	बिहार	206.36	969	990.16	1635	210.74	515	—	—	2010.19	5339
5.	चंडीगढ़	0.00	0	29.60	37	11.01	21	—	—	15.67	30
6.	गुजरात	704.61	1459	969.22	650	456.24	475	85.00	200	2375.07	4584
7.	गोवा	5.79	13	13.17	26	19.90	27	28.44	20	77.54	115
8.	हरियाणा	387.45	2475	62.05	230	212.50	1234	—	—	1007.87	14367
9.	हिमाचल प्रदेश	181.41	281	202.35	261	206.65	187	62.48	66	800.17	1249
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0	41.05	80	0.00	0	—	—	61.67	1.30
11.	कर्नाटक	798.45	2961	875.35	2450	562.87	1094	290.47	235	4549.28	30655
12.	केरल आर्ट	0.00	0	105.29	125	0.00	0	—	—	105.29	125
13.	केरल सीसी	00.0	0	0.00	0	87.50	175	50.00	100	631.63	1696
14.	केरल डब्ल्यू	0.00	0	149.55	420	233.62	501	—	—	963.47	3391
15.	केरल बीसी	0.00	0	680.29	1506	536.58	2329	579.08	1359	3870.04	9530
16.	केरल एफ	90.01	686	0.00	0	190.00	860	—	—	355.38	2126
	उप योग	90.01	686	935.13	2051	1347.70	3865	629.08	1459.00	5825.81	16368
17.	मध्य प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0	—	—	1210.11	3516
18.	मध्य प्रदेश	699.99	3499	300.14	765	287.00	574	—	—	1740.26	6832
19.	मध्य प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0	43.01	253	43.01	353
	उप योग	699.99	3499	300.14	765	287.00	574	43.01	253	2993.38	10601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	मणिपुर	75.94	61	126.66	197	92.00	80	—	—	467.37	561
21.	मणिपुर-डब्ल्यू	0.00	0	0.00	0	0.00	0	—	—	78.67	500
	उप योग	75.94	61	126.66	197	92.00	80	0.00	0	483.04	1061
22.	माहाराष्ट्र-एमपीएच	0.00	0	0.00	0	—	—	—	—	2015.51	3581
23.	माहाराष्ट्र-वीजेएनटी	0.00	0	0.00	0	—	—	—	—	844.12	2044
	उप योग	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	2858.73	5625
24.	सिक्किम	67.56	165	161.09	253	77.10	120	—	—	360.31	583
25.	उड़ीसा	0.00	0	0.00	0	261.12	1468	—	—	454.49	2410
26.	पंजाब	32.64	128	0.00	0	100.00	200	—	—	799.03	2374
27.	पांडिचेरी	0.00	0	154.06	125	—	—	86.04	288	240.10	413
28.	राजस्थान	0.00	0	200.23	405	367.12	638	—	—	394.24	707
29.	तमिलनाडु	0.00	0	641.54	2205	401.37	1330	—	—	2827.27	18163
30.	त्रिपुरा	156.84	469	384.26	1435	57.26	230	—	—	496.27	2128
31.	उत्तर प्रदेश	141.58	425	1360.38	4123	230.00	460	89.51	247	3241.57	14323
32.	पश्चिम बंगाल	0.00	0	53.89	150	608.66	1390	—	—	209.71	1092
33.	एन.जी.ओ.	—	—	—	—	40.0	40.00	15.98	373	66.98	773
	कुल योग	7061.75	51816	9142.81	109048	7527.63	42724	1260.61	3163	42833.03	313111

सूचना प्रौद्योगिकी में भारत का स्थान

2794. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत महाशक्ति बनने का प्रयास कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में हमारी वर्तमान स्थिति क्या है और विश्व के अन्य देशों से मुकाबला करने के लिए हमारे देश द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंग्रेजी सहित भारतीय भाषाओं को शामिल करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) इस क्षेत्र में देश में अब तक क्या उपलब्धि हासिल की गई;

(ङ) सूचना प्रौद्योगिकी के विकास हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(च) सामान्यतः जनता में सूचना प्रौद्योगिकी को लाभदायक और लोकप्रिय बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(छ) देश में इस क्षेत्र में प्रतिभाओं के उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ज) क्या इस क्षेत्र में भारतीय विशेषज्ञों की मांग विश्व में बढ़ रही है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में भारत का क्या रुख है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग भारतीय उद्योग का सबसे तेजी से विकसित हो रहा एक क्षेत्र है। सॉफ्टवेयर निर्यात के क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में 60% की संचयी वार्षिक विकास दर दर्ज की गई है तथा यह वर्ष 1999-2000 में 4 बिलियन अमरीकी डॉलर थी। 13 भारतीय सॉफ्टवेयर निर्यातकर्ताओं (विश्व में 20 की तुलना में) ने एसईआई सीएमएम स्तर 5 का उच्चतम गुणवत्ता प्रमाणन स्तर प्राप्त किया 145 भारतीय सॉफ्टवेयर कम्पनियों ने भी गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त किया है : आईएसओ 9000, एसईआई तथा अन्य गुणवत्ता चिह्न। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य कर रही अधिसंख्यक बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों में या तो सॉफ्टवेयर विकास केन्द्र हैं अथवा अनुसंधान विकास केन्द्र हैं। सिलिकन घाटी, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा शुरू किया गया ई-वाणिज्य का 30% वर्ष 1999 के दौरान शुरू हुआ। इसके अतिरिक्त भारत में प्रतिवर्ष 500 पोर्टल शुरू किए जा रहे हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जन साधारण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर एक कार्य दल का गठन किया है। कार्य दल ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट पेश की है तथा कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। कार्य दल ने वर्ष 2008 तक कम से कम 100 मिलियन इंटरनेट सम्पर्क स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है तथा सम्पूर्ण देश में दस लाख इंटरनेट समर्थित सूचना प्रौद्योगिकी कियॉस्क/साइबर कैफे स्थापित किए जाएंगे।

जन साधारण तक सूचना प्रौद्योगिकी की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार सिक्किम सहित देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी 487 खण्डों में सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित कर रही है। देश के अन्य सुदूर क्षेत्रों के लिए भी ऐसी योजनाएं तैयार की जाएंगी।

देश के विभिन्न भागों में सॉफ्टवेयर निर्यातक इकाइयों को उच्च गति डेटा संचार सुविधाएं निर्माण की सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने देश में 15 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किए हैं। कुछ और केन्द्र देश में स्थापित किए जा रहे हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों को उद्यम पूंजी वित्त उपलब्ध कराने के प्रयोजन से 100 करोड़ रुपए की लागत में सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए एक राष्ट्रीय निधि (एन.एफ.एस.आई.टी.) का गठन किया गया है।

मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में मानव संसाधन विकास पर एक कार्यदल गठित किया गया है। यह कार्यदल अन्य बातों के अलावा अगले शैक्षणिक वर्ष से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों/क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेजों में भर्ती की संख्या दुगुनी करने तथा अगले दो वर्षों में तिगुनी करने के लिए अपनी रिपोर्ट एक माह के अंदर देगा।

सरकार ने विदेशों में सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय के विकास तथा संवर्धन के लिए प्रोत्साहन देने की भी घोषणा की है। इन प्रोत्साहनों के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के टी.डी.आई.एल. (भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास) कार्यक्रम के अंतर्गत कई उपाय किए गए हैं। 13 शैक्षणिक तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में भारतीय भाषाओं के समाधान के क्षेत्र केन्द्र संविधान के अंतर्गत आने वाली सभी राजभाषाओं पर कार्य करेंगे।

(घ) सरकारी प्रयासों तथा निजी क्षेत्र में अन्य उपायों के फलस्वरूप बहुभाषी प्रचालन परिवेश (डॉस, विंडोज तथा लाइनक्स प्लेटफॉर्म के लिए) तथा शब्द संसाधन, वर्तनी परीक्षक, ई-मेल, डेटाबेस, लिप्यंतरण, अनुवाद सहायक साधन आदि जैसे अनुप्रयोगों की उपलब्धता में वृद्धि हुई है।

(ङ) सरकार मुख्यत: निजी क्षेत्र से बड़े पूंजीनिवेश आकर्षित करने के लिए पूंजीगत परिवेश तैयार करने को महत्व देती है। सरकार एक सक्रिय सहायक, संवर्धक तथा प्रेरक के रूप में कार्य करेगी।

(च) जनसाधारण तक सूचना प्रौद्योगिकी की पहुंच में वृद्धि करने के लिए सरकार सार्वजनिक दूर-सूचना केन्द्र, सामुदायिक सूचना केन्द्र (पूर्वोत्तर में) जैसी योजनाएं शुरू कर रही है। अन्य उपायों में ई-अधिगम, ई-शासन तथा ई-वाणिज्य का संवर्धन शामिल है।

(छ) से (झ) भारतीय सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों ने पहले ही विश्वव्यापी बाजार में अपनी ब्रांड छवि बना ली है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान तथा आस्ट्रेलिया जैसे देशों से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की भारी मांग है।

सरकार की नीति आवश्यक परिवेश तैयार करके देश में सॉफ्टवेयर विकास तथा हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहन देना है। इस संबंध में समय-समय पर सम्पदा के सृजन और आर्थिक विकास के लिए प्रेरणादायक विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप देश के भीतर ही रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें। इससे सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को विदेश गमन से भी निरुत्साहित किया जा सकेगा।

[अनुवाद]

सरकारी कार्यालयों का आधुनिकीकरण

2795. डा. मंदा जगन्नाथ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अपने कार्यालयों को आधुनिक बनाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक मंत्रालय को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या इस योजना के एक भाग के रूप में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को मॉडल विभाग में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण से संबंधित योजना स्कीम वर्ष 1987-1988 में शुरू की गई थी जिसके अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को, कार्य के वातावरण में सुधार, बेहतर व्यवस्था, उन्नत कार्यालय साधनों, आधुनिक रिकार्ड प्रबंधन आदि सहित उनके प्रचालन क्षेत्र की कार्य-प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिये सहायता दी गई थी। यह स्कीम मूलतः विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किये जा रहे आधुनिकीकरण संबंधी प्रयासों में सहायता पहुंचाने के लिये है।

यथा-संभव अधिक से अधिक प्राप्त प्रस्तावों पर ध्यान देने तथा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यालयों के आधुनिकीकरण में भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से इस स्कीम में हाल में संशोधन किया गया था। इस संशोधित स्कीम में संबंधित मंत्रालय/विभाग से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने प्रस्ताव से संबंधी वित्त व्यवस्था के एक हिस्से की पूर्ति अपने गैर-योजना बजट में से ही करें।

(ग) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को इस स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

"सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण" से संबंधित योजना स्कीम के अंतर्गत वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को आवंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	वर्षों में आवंटित निधियां		
		1997-98 (रुपये)	1998-99 (रुपये)	1999-2000 (रुपये)
1	2	3	4	5
1.	पूर्ति विभाग	7.90	—	7.19
2.	भूतल परिवहन मंत्रालय	9.04	—	21.57
3.	व्यय विभाग	8.66	3.37	7.91
4.	आर्थिक कार्य विभाग	8.81	10.00	2.16
5.	राजस्व विभाग	8.25	—	—
6.	गृह मंत्रालय	18.38	20.85	6.87

1	2	3	4	5
7.	उद्योग मंत्रालय	7.00	—	—
8.	पर्यटन मंत्रालय	6.30	15.00	11.67
9.	उपभोक्ता मामले विभाग	5.73	1.13	4.39
10.	विधि कार्य विभाग	1.55	—	—
11.	शहरी कार्य मंत्रालय	15.77	16.26	—
12.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	22.32	4.57	9.44
13.	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग	31.28	18.26	2.22
14.	पेंशन और पेंशन-भोगी कल्याण विभाग	—	19.52	24.90
15.	कंपनी कार्य विभाग	—	5.62	13.06
16.	डाक विभाग	—	4.82	7.31
17.	श्रम मंत्रालय	—	2.76	—
18.	प्रधान मंत्री कार्यालय	—	2.80	2.35
19.	संघ लोक सेवा आयोग	—	2.26	12.52
20.	राष्ट्रीय महिला आयोग	—	8.00	—
21.	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	—	—	6.81
22.	खाद्य एवं सिविल आपूर्ति विभाग	—	—	9.49
23.	इस्पात विभाग	—	—	3.32
24.	प्रधान लेखा-परीक्षा निदेशक	—	—	8.80

[हिन्दी]

कृतिक बल

2796. श्री ए. नरेन्द्र : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योग विकास के संबंध में किसी कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

के.वी.आई.सी. की चालू परियोजनाएं

2797. श्री अनंत गुढे :
श्री अनंत गंगाराम गीते :

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की चालू परियोजनाओं के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो मानक मापदंड के आधार पर हाल में की गई समीक्षा के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में के.वी.आई.सी. द्वारा किए गए निवेश और उत्पादन व रोजगार सृजन दोनों ही के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र में अस्थायी रूप से किए गए आबंटन के साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान वहां से प्राप्त और अब तक स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) प्रत्येक परियोजना के निष्पादन का सम्बन्धित ऋण देने वाली बैंकों की शाखाओं द्वारा मॉनीटर किया जाता है। खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (के.वी.आई.बी.) तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) भी निष्पादन की वृहद स्तर पर पुनरीक्षा करते हैं। सरकार इस प्रकार से कार्यक्रमों के निष्पादन की पुनरीक्षा करती है न कि प्रत्येक परियोजना की।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के लिए महाराष्ट्र राज्य में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया गया संवितरण तथा उत्पादन एवं रोजगार के संदर्भ के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(घ) 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार मार्जिन मनी योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों द्वारा 806 ग्रामोद्योग परियोजनाओं को वित्त पोषित किया गया था। क्षेत्रवार, परियोजनावार ब्यौरे केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2000-2001 के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत मार्जिन मनी अग्रिम के रूप में महाराष्ट्र राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को 2.50 करोड़ रुपये का आबंटन किया है। यह 27 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उनकी शाखाओं के माध्यम से स्वीकृत बैंक ऋणों के अतिरिक्त है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में उत्पादन एवं रोजगार की शर्तों के अनुसार संवितरण एवं निष्पादन दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(आंकड़े लाख रुपये में)

वर्ष	संवितरण				उत्पादन		रोजगार	
	के.वी.आई.सी.		सी.बी.सी.					
	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग
1996-97	348.50	1015.28	71.46	236.73	2260.42	73386.65	0.18	4.58
1997-98	43.77	333.99	—	164.24	2171.43	66933.34	0.17	3.83
1998-99	318.21	350.93	—	602.60	2454.10	90635.06	0.18	4.47

भारत के परमाणु परीक्षण के बारे में चीन का रवैया

2798. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की चीन यात्रा के बाद चीन ने विश्वसनीय परमाणु रोधी क्षमता बनाए रखने पर भारत द्वारा बल दिये जाने और पोखरन परमाणु परीक्षणों के बारे में अपने रवैये में संशधन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) हमारे उच्चस्तरीय शिष्टमंडल की हाल की चीन यात्रा के दौरान चीनी पक्ष ने नाभिकीय मसले को नहीं उठाया था। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि नाभिकीय मसले सहित दूसरे मतभेद द्विपक्षीय संबंधों के सुधार में आड़े नहीं आने चाहिए।

जिला स्तर पर पासपोर्ट जारी किया जाना

2799. श्री टी.एम. सेल्वागणपति : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवेदकों को जिला स्तर पर ही पासपार्ट जारी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का समर्थन

2800. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्रीमती आभा महतो :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'यूरोपियन कमीशन' हेतु मैसर्स ई.पी.ओ.एस. हैल्थ कन्सल्टेन्ट, जर्मनी में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारियों ने भारत में 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम' का समर्थन किया; और

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों और भारतीय परामर्शदाताओं के नाम क्या हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) मैसर्स ई.पी.ओ.एस. हैल्थ कन्सल्टेन्ट, जर्मनी, यूरोपियन कमीशन द्वारा सहायता प्रदत्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों को भारत में कार्यान्वित करने हेतु परिवार कल्याण विभाग को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए यूरोपियन कमीशन द्वारा ही नियुक्त सहायता-संघ का एक प्रमुख सदस्य है। इसके बदले में यूरोपियन कमीशन की ओर से कार्यरत सहायता संघ ने आगे परिवार कल्याण विभाग को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय और विदेश के परामर्शदाताओं का एक दल नियुक्त किया है।

इस समय, आंध्र प्रदेश संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी श्री इंद्रजीत पाल नई दिल्ली स्थित यूरोपियन कमीशन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम कार्यालय में कार्यक्रम परामर्शदाता के रूप में कार्यरत हैं। यूरोपियन कमीशन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम में नियुक्त अन्य भारतीय परामर्शदाताओं के नाम इस प्रकार हैं:-

1. श्री दीपक भंडारी
2. डा. के.बी. सिंह
3. डा. वीरेन्द्र शर्मा
4. डा. उमा व्यास
5. डा. ए.सी. बैश्य
6. श्री उम्मेन फिलिप
7. डा. कुमकुम श्रीवास्तव
8. श्री जी.एस. सचदेव

इनमें से कोई भी भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी नहीं है।

आधारभूत ढांचा और प्रौद्योगिकी कोष

2801. श्री शिवाजी माने :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग के अध्ययन दल ने लघु उद्योगों के लिए आधारभूत ढांचा कोष और प्रौद्योगिकी कोष की स्थापना की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

( ) लघु उद्योग क्षेत्र के लिए इन प्रस्तावित कोषों के उद्देश्य क्या हैं;

(घ) इस कोष के उपयोग पर किसका प्रशासनिक अधिकार है, यह दर्शाते हुए इस कोष को कब तक प्रचालनात्मक बनाए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या आधारभूत ढांचा विकास योजना पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण सहित देश के सभी क्षेत्रों को इसमें शामिल करेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लघु उद्योगों के लिए योजना आयोग के अध्ययन दल द्वारा अन्य क्या सिफारिशें की गई हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (च) जी, हां। श्री एस.पी. गुप्ता की अध्यक्षता में योजना आयोग के अध्ययन ग्रुप ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ लघु उद्यमों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में औद्योगिक आधारिक संरचना के सृजन तथा उन्नयन में सहायता हेतु लगभग रु. 2000/- करोड़ की समग्र निधि के साथ आधारिक संरचना विकास निधि स्थापित करने की सिफारिश की है। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि एकीकृत आधारिक संरचना विकास योजना के अंतर्गत पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 50% के आरक्षण के साथ देश के सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाए। ग्रुप ने यह और सिफारिश की है कि प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए उपलब्ध रियायती दर पर ब्याज की तरह लघु उद्यमों के आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए निधि उपलब्ध कराई जाए। सरकार द्वारा इन सिफारिशों की जांच की जा रही है।

अध्ययन ग्रुप की अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशों में - अति लघु क्षेत्र के लिए क्रेडिट गारंटी निधि योजना की समग्र निधि को बढ़ाकर रु. 2500 करोड़ करना, राज्य वित्तीय निगमों का सुदृढ़ीकरण, उत्पाद शुल्क छूट की सीमा बढ़ाकर रुपये एक करोड़ करना, लघु क्षेत्र के संवर्धन तथा विकास के लिए अलग अधिनियम बनाना, पंजीकृत लघु इकाइयों की तीसरी गणना कराना तथा सरकार द्वारा लघु क्षेत्र के लिए वृहत्तर विपणन सहायता का विस्तार किया जाना शामिल है।

मीडिया लैब

2802. श्री सुबोध मोहिते : क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक नेटवर्कों पर होने वाले हमलों से सावधानी बरतने के लिए समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की सहायता से देश में "मीडिया लैब" स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मीडिया लैब स्थापित करने हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) सरकार सूचना मूलसंरचनात्मक सुविधाओं की सुरक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित राष्ट्रीय मूलसंरचनात्मक सुविधा सुरक्षा केन्द्र की शैली पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति गठित करने पर विचार कर रही है। लेकिन, इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव अभी तक तैयार नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) भारत में मेसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से मीडिया लैब स्थापित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। यह लैब सूचना प्रौद्योगिकी के इंटरनेट, मल्टीमीडिया जैसे क्षेत्र में भविष्य की प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान केन्द्रित करेगा तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की योजना और उद्यमशीलता के निर्माण का प्रयत्न करेगा; भारतीय संदर्भ की समस्याओं के समाधान के लिए भविष्य की प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर ध्यान केन्द्रित करेगा तथा विद्यार्थियों, शिक्षकों, उद्यमियों, उद्योग एवं उपयोगकर्ताओं को एक रचनात्मक वातावरण में एक साथ कार्य करने के लिए उपयुक्त परिवेश तैयार करेगा। इस विषय पर आगे विचार करने तथा विस्तृत परियोजना दस्तावेज तैयार करने के लिए एक तकनीकी समिति तथा एक संचालन समिति का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

बिहार में सिंचाई परियोजनाएं

2803. श्री अरुण कुमार : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में बिहार सरकार से उन विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर किए जाने वाले व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए कहा है जिन्हें पूरा करने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान धनराशि की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार सरकार ने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं;

(ग) राज्य की सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अनुमानित कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ धनराशि उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बिहार की चल रही वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं की अनुमानित लागत 8430.71 करोड़ रु. है जिसमें से आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 2534.64 करोड़ रु. व्यय किये गये हैं।

(घ) राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, कार्यान्वयन और वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार राज्यों को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के तहत निर्माण की अंतिम अवस्था वाली तथा राज्यों की संसाधन क्षमता से बाहर वाली परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान कर रही है। केन्द्र सरकार द्वारा बिहार राज्य को वर्ष 1999-2000 तक ए.आई.बी.पी. के तहत 219.41 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए यूरोपीय संघ का समर्थन

2804. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत को सीमा पार से आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने के लिए यूरोपीय संघ का भारी समर्थन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) जी, हां। यूरोपीय संघ भारत की इस धारणा से सहमत है कि आतंकवाद क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और निर्दोष व्यक्तियों के अधिकारों और राज्यों की अखण्डता का घोर उल्लंघन है। आतंकवाद को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए सहयोग करने तथा क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में इससे उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत और यूरोपीय संघ के साझे संकल्प का भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की संयुक्त घोषणा, जो 28 जून, 2000 को की गई थी, में उल्लेख किया गया था। यूरोपीय संघ ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक विशाल अभिसमय के लिए भारत के साथ मिलकर प्रयास करने पर भी अपनी सहमति दी है।

[अनुवाद]

गेहूं और दालों की खेती

2805. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री एस.बी.बी.एस. मूर्ति :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री राममोहन गाडडे :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्य-वार कितनी भूमि पर गेहूं, दाल, चावल और तिलहनों की खेती होती है;

(ख) 1999 के दौरान कितने क्षेत्र को खेती के अंतर्गत लाया गया;

(ग) क्या कुछ राज्यों में गेहूं और चावल की खेती के क्षेत्रों में असामान्य ढंग से वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) खेती के तहत राज्यवार तथा अखिल भारत सामान्य क्षेत्र और वह क्षेत्र जिसे 1999-2000 के दौरान गेहूं, दलहन, चावल व तिलहन के अंतर्गत कवर किए जाने की आशा है, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) विवरण से स्पष्ट है कि अखिल भारतीय स्तर पर चावल व गेहूं के क्षेत्र में तथा वर्ष 1999-2000 के दौरान कुछ राज्यों में भी सामान्य क्षेत्र की तुलना में कुछ वृद्धि हुई है।

विवरण

विभिन्न फसलों के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 के दौरान सामान्य क्षेत्र तथा क्षेत्र कवरेज का राज्यवार विवरण

(क्षेत्र 000 हैक्टे. में)

राज्य	चावल		गेहूं		दलहन		तिलहन	
	सामान्य	1999-2000*	सामान्य	1999-2000*	सामान्य	1999-2000*	सामान्य	1999-2000*
आन्ध्र प्रदेश	3907	3905	11	10	1583	1546	2773	2557
असम	2487	2624	87	85	121	126	319	335
बिहार	5093	4965	2087	2119	918	869	226	219
गुजरात	646	664	659	461	892	699	2911	2780
हरियाणा	942	1067	2090	2314	422	150	611	538
हिमाचल प्रदेश	84	86	371	380	35	35	19	18
जम्मू एवं कश्मीर	274	251	243	241	32	29	70	71
कर्नाटक	1379	1419	256	268	1757	1831	2455	2223
केरल	367	341	0	0	30	29	16	18
मध्य प्रदेश	5376	5354	4523	4639	5027	5150	6107	5924
महाराष्ट्र	1479	1509	854	1049	3362	3605	2656	2726
उड़ीसा	4471	4593	5	6	728	786	404	340
पंजाब	2320	2604	3289	3375	88	64	195	102
राजस्थान	160	200	2640	2650	4264	2471	4202	3635
तमिलनाडु	2274	2204	1	1	730	865	1124	1067
उत्तर प्रदेश	5715	5933	9133	9400	2768	2667	1696	1602
पश्चिम बंगाल	5868	6176	362	364	218	304	504	591
अखिल भारत	43826	44924	26660	27423	23046	21356	26391	24850

*दिनांक 29.6.2000 की स्थिति के अनुसार अनुमानित

लघु और अति लघु उद्यम

2806. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लघु और अति लघु उद्यमों की परिभाषा में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लघु उद्योग क्षेत्र में विदेशी पूंजी की अनुमति दी जाएगी;

(घ) क्या लघु उद्योग क्षेत्र को मुद्रास्फीति के आधार पर लघु और अति लघु उद्योगों की परिभाषा से जोड़ा जाएगा;

(ङ) क्या निवेश सीमा में पुनरीक्षण वार्षिक आधार पर किया जाएगा;

(च) क्या परिभाषा में इस परिवर्तन से लघु उद्योग क्षेत्र को मदद मिलेगी; और

(छ) यदि हां, तो लघु उद्योग क्षेत्र के पुनरुद्धार हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (छ) ये सभी मामले विचाराधीन हैं। लघु उद्योग क्षेत्र में पहले ही 46% की सीमा में विदेशी इक्विटी को अनुमेय किया गया है।

जर्मनी के विदेश मंत्री की यात्रा

2807. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :
श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जर्मनी के विदेश मंत्री हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जर्मनी के डिप्टी चांसलर और विदेश मामलों के संघीय मंत्री श्री जोस्वका फिशर 17 और 18 मई, 2000 को भारत की यात्रा पर आये। इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय मसलों और बहुपक्षीय घटनाओं की समीक्षा की गयी। इस यात्रा से भारत और जर्मन के आपसी हितों के प्रति बेहतर समझ पैदा हुई तथा इससे भारत के पड़ोस में हुई घटनाओं के परिणामों के संबंध में जर्मनी की सहमति बढ़ी। इस बात पर सहमति हुई कि द्रपक्षीय नीतिगत वार्ता तंत्र व्यवस्था के जरिए भारत और जर्मनी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय नीतिगत मसलों पर एक दूसरे के साथ विचार-विमर्श करना जारी रखेंगे। चर्चा से अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद और मादक द्रव्यों के गैरकानूनी व्यापार और हथियारों के गैर-कानूनी व्यापार के बीच सांठगाठ का मुकाबला करने के लिए मिलकर कार्य करने पर भी सहमति बनी। जर्मनी और भारत दोनों विस्तारित सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए उम्मीदवार हैं। दोनों इस बात पर सहमत हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और इसके संतुलित विस्तार की आवश्यकता है ताकि इसे और भी प्रातिनिधिक बनाया जा सके और समुचित तरीके से कार्य करने की इसकी क्षमता में सुधार लाया जा सके।

दोनों पक्षों ने 21वीं सदी में भारत-जर्मनी भागीदारी के लिए एक एजेंडा स्वीकार किया - एक काल्पनिक वक्तव्य जिसमें सक्रिय राजनैतिक आदान-प्रदान के जरिए संबंधों को बढ़ावा देने के उपायों, एक सुरक्षा वार्ता, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संवर्द्धन, सक्रिय सांस्कृतिक आदान-प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, मादक द्रव्यों के गैरकानूनी व्यापार और संगठित अपराध का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग पर बल दिया गया है।

जल प्रबंधन

2808. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ल्डवाच इंस्टीट्यूट की हाल की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में उपभुक्त कुल जल जिसमें नदियों से लिया गया और भूमिगत स्रोत से प्राप्त जल भी शामिल है में से 70 फीसदी का सिंचाई में, 20 फीसदी का उद्योग में और 10 फीसदी का घरेलू काम-काज में उपयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत जल के अभाव की ओर बढ़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में जल के अभाव को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (घ) "विश्व 2000 की स्थिति" संबंधी वर्ल्ड वाच इन्स्टीट्यूट की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं बताया जाता है, तथापि जल का मुख्य खपतकारी उपयोग सिंचाई क्षेत्र में होता है और यह 70-80 प्रतिशत है और शेष जल का उपयोग घरेलू, ऊर्जा क्षेत्र आदि जैसे अन्य उपयोगों में किया जाता है। भारत में सिंचाई क्षेत्र के लिए जल की मांग इस समय 84 प्रतिशत है।

देश में औसत वार्षिक जल उपलब्धता प्राकृतिक जल वैज्ञानिक चक्र के अनुसार कमोवेश स्थिर रहती है। बढ़ती हुई आबादी के कारण प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक जल उपलब्धता उत्तरोत्तर रूप से कम हो रही है। राष्ट्रीय स्तर पर औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता इस समय लगभग 1869 क्यू.मी. से कम होकर 2025 ई. सन तक लगभग 1350 क्यू.मी. हो सकती है। यह 1000 क्यू.मी. प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की सीमा, जो कमी की स्थिति

समझी जाती है, से काफी अधिक है। इसलिए 2025 ई. सन के अन्त तक भी भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जल की कमी होने की संभावना नहीं है, यद्यपि असमान जल उपलब्धता से देश के कुछ भागों में किसी स्थान विशेष पर जल की कमी हो सकती है।

देश में सिंचाई जल उपयोग की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम और जल संसाधन समेकन परियोजनाओं जैसे विभिन्न उपाय शुरू किए हैं। दीर्घकालीन उपाय के रूप में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने जल संसाधनों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है जिसमें जल को अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में स्थानान्तरित करने के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों के बीच अन्तर सम्पर्क स्थापित करने की योजना शामिल है। भारत सरकार जल विभाजक प्रबंध कार्यक्रम के जरिए वर्षा जल संचयन, ग्रामीण विकास मंत्रालय के त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की क्षेत्र सुधार परियोजना के तहत भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन को भी बढ़ावा दे रही है जिसके लिए राज्य सरकार और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने भी कृत्रिम भूजल पुनर्भरण के लिए प्रायोगिक अध्ययन किए हैं।

[हिन्दी]

हिरासत में भारतीय मछुआरे

2809. श्री रामदास आठवले : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक भारतीय मछुआरे अभी भी पाक और श्रीलंका की जेलों में बंद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 112 मछुआरे पाकिस्तानी जेलों में हैं। श्रीलंका की जेलों में 20 भारतीय मछुआरे हैं।

(ग) इन मछुआरों को शीघ्र मुक्त कराने और इनके प्रत्यावर्तन के लिए सरकार राजनयिक चैनलों के माध्यम से पाकिस्तान के साथ निरंतर संपर्क रखे हुए हैं। इसी प्रकार श्रीलंका की जेलों में भारतीय मछुआरों के मामले में, नई दिल्ली और कोलम्बो दोनों जगह उपयुक्त स्तरों पर इस मामले को उठाया जाता है और मछुआरों को मुक्त करा लिए जाने और उनके प्रत्यावर्तन तक हम निरंतर मामले को देखते हैं।

[अनुवाद]

हदगढ़ बांध

2810. श्री भर्तृहरि महताब : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हदगढ़ बांध सिंचाई परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और मुआवजे पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है; और

(ग) सभी प्रभावित व्यक्तियों को कब तक पुनर्वासित कर दिया जाएगा/मुआवजा दे दिया जाएगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (ग) सिंचाई के राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण से प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास का कार्य संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। वांछित सूचना का रखरखाव केन्द्र में नहीं किया जाता है।

कश्मीर मुद्दा

2811. श्री आर.एल. भाटिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फ्रांस ने पाकिस्तान से आतंकवादियों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने और नियंत्रण रेखा के पार से सशस्त्र-घुसपैठ रोकने के लिए दबाव डालने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यूरोपीय संघ और फ्रांस भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ बातचीत के दौरान कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्ण हल निकालने की बात करते रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो कश्मीर में आतंकवाद को रोकने में इस बात का क्या प्रभाव पड़ा है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) जी, हां। फ्रांस की यह धारणा है कि घुसपैठ

और नियंत्रण रेखा के उल्लंघन को समाप्त करने के लिए यह जरूरी है। 31 मई, 1999 को फ्रांस के विदेश कार्यालय द्वारा जारी वक्तव्य में फ्रांस के प्रवक्ता ने कहा कि जब तक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन समाप्त नहीं होता है तब तक दोनों देशों के बीच विश्वास पुनः स्थापित होना संभव नहीं होगा।

(ग) यूरोपीय संघ और फ्रांस ने द्विपक्षीय वचनबद्धताओं और लाहौर घोषणा की भावना को देखते हुए द्विपक्षीय बातचीत के आधार पर भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मसलों का शांतिपूर्ण समाधान निकालने का आह्वान किया है। 24 जून, 1999 को जारी एक वक्तव्य में यूरोपीय संघ के अध्यक्ष ने भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय वचनबद्धताओं और लाहौर घोषणा के अनुसार अपनी बातचीत पुनः शुरू करने का आह्वान किया है। 3 अगस्त, 2000 के वक्तव्य में यूरोपीय संघ ने कहा है कि वह जम्मू तथा कश्मीर में हाल के आतंकवादी आक्रमणों से स्तब्ध रह गया है। उसने कहा है कि वह इन आक्रमणकर्त्ताओं की तथा जो उन्हें समर्थन दे रहे हैं, उनकी भर्त्सना करता है।

(घ) यूरोपीय संघ और शेष अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की धारणा के बावजूद पाकिस्तान जम्मू तथा कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन जारी रखे हुए है।

[हिन्दी]

किसानों के लिए ऋण हेतु योजना

2812. डा. जसवंत सिंह यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई त्रिसूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों हेतु ऋण प्रदान करने के लिए कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किसानों के इस योजना से किस सीमा तक लाभान्वित होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक फसलोत्पादन हेतु किसानों को ऋण देने के लिए वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी समितियों को पुनः वित्त पोषण संबंधी सुविधा मुहैया कराता है। किसानों को ऋण देने की वर्तमान फसल प्रणाली के अधीन विभिन्न फसलों के लिए वित्तपोषण के आधार पर ऋण दिया जाता है, जिसे सभी आवश्यकताओं, अर्थात खेती की लागत, मौसम की स्थितियों में परिवर्तन आदि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। दीर्घावधिक वित्तपोषण के अधीन राज्य सहकारी समितियों और ग्रामीण विकास बैंक भूमि विकास, लघु सिंचाई और कृषि यंत्रीकरण आदि के लिए धन मुहैया करा रहे हैं।

(ङ) सहकारी ऋण संस्थाएं पहले से ही ग्रामीण क्षेत्र में 67% परिवारों और 99% गांवों को कवर कर रही हैं। वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान वित्तीय संस्थाओं द्वारा क्रमशः 36897 करोड़ रुपये और 41765 करोड़ रुपये का कुल कृषि ऋण वितरित किया गया।

[अनुवाद]

मछुआरों के लिए बचत-सह-राहत योजना

2813. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मछुआरों के लिए कोई बचत-सह-राहत योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना में राज्यवार कितने मछुआरों को शामिल किया गया है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र ने इस योजना के लिए कितना धन दिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस योजना में उन महिला मछुआरों को भी सम्मिलित करने का है जो छोटे पैमाने पर मछली वितरण और प्रसंस्करण गतिविधियों में हिस्सा लेती हैं और मंदी के समय, विशेषकर मानसून के महीनों में उनके काम में मंदी रहती है; और

(च) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना का बचत-सह-राहत घटक मछुआरों को मानसून/मछली

पकड़ने की बंद अवधि के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस घटक के तहत तटवर्ती मछुआरों से वर्ष में 8 महीनों के लिए 75 रुपए प्रति माह का अंशदान लिया जाता है और केन्द्र सरकार और राज्य सरकार भी इतनी ही राशि का अंशदान देती हैं। इस राशि को तटवर्ती मछुआरों के बीच मानसून/बंद अवधि के दौरान 300-300 रुपए की चार किश्तों में बांटा जाता है। अंतर्देशीय मछुआरों के मामले में वर्ष में नौ महीनों के लिए 50 रुपए प्रतिमाह का अंशदान एकत्र किया जाता है और केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा भी इतनी ही राशि का अंशदान दिया जाता है। इस राशि को मानसून/बंद अवधि के दौरान 300-300 रुपए की तीन मासिक किश्तों में बांटा जाएगा।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान इस घटक के तहत कवर मछुआरों की राज्यवार संख्या तथा समरूपी अवधि के दौरान जारी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) मछुआरिनों को शामिल करने का प्रस्ताव राज्य सरकारों को भेजा गया है और उनके विस्तृत उत्तर की प्रतीक्षा है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के बचत-सह-राहत घटक के तहत राज्यवार जारी केन्द्रीय सहायता और कवर किए गए मछुआरे

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	1997-98		1998-99		1999-2000	
		जारी धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	जारी धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	जारी धनराशि	लाभार्थियों की संख्या
1.	अंडमान एवं निकोबार	—	—	0.90	175	2.94	614
2.	केरल	303.68	8,258	290.13	95,538	358.87	1,04,207
3.	कर्नाटक	17.63	4,945	30.57	10,404	46.13	13,707
4.	उड़ीसा	0.99	—	2.60	187	—	—
5.	पांडिचेरी	68.83	10,038	—	—	140.76	20,170
6.	तमिलनाडु	501.46	1,17,805	393.13	1,67,045	824.76	1,82,667
7.	पश्चिम बंगाल	—	—	18.00	5,000	25.20	—
	कुल	892.59	2,17,046	735.33	2,78,349	1398.66	3,21,365

जल/सॉफ्ट ड्रिंक

2814. श्री तिरूनावकरसू : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को घटिया किस्म का वातित जल और सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली अनेक कंपनियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश की ऐसी सभी वातित जल/सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनियों के लिए बोतलों पर अवयवों का उल्लेख करना अनिवार्य बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफ.पी.आई.)

2815. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या में अनुमानतः कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) सरकार द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने हैं?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में है। इसलिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या के बारे में सूचना केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए, सरकार ने समय-समय पर अनेक उपाय किए हैं जिनमें अन्यों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) आसान शर्तों पर ऋण और सहायता अनुदान का प्रावधान।

(2) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को ऋण प्राप्त करने के मामले में प्राथमिक क्षेत्र की सूची में शामिल करना।

(3) अधिकांश प्रसंस्कृत खाद्य मदों को औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के दायरे से बाहर रखना।

(4) अल्कोहल और बीयर तथा लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर अधिकांश प्रसंस्कृत खाद्य मदों को कतिपय शर्तों के अध्यधीन 100 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी के वास्ते स्वतः अनुमोदन देना।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भविष्य निधि पेंशन

2816. श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, त्रिवेन्द्रम द्वारा जारी किये गये परिपत्र के अनुसार काजू, नारियल और बागानों के कर्मचारी अपनी केन्द्रीय भविष्य निधि पेंशन से हाथ धो सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस फैसले को संशोधित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार केरल में काजू और बागान कामगार वर्ष में सामान्यतः 2-3 माह कार्य करते हैं। अतः इन कामगारों ने एक वर्ष में उस अधिकांश अवधि के लिए, जिस दौरान उन्हें मजदूरी नहीं मिलती थी, अंशदान जमा नहीं कराया है। इन काजू कामगारों ने पुरानी परिवार पेंशन योजना के अंतर्गत अनेक वर्षों की ऐसी सेवा प्रदान की है तथा इस सेवा पर नयी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन के लिए विचार किया जा सकता है बशर्ते कि सदस्यों ने अपेक्षित अंशदान का भुगतान किया हो जैसा कि परिवार पेंशन योजना, 1971 के पैरा 9(2अ) के अंतर्गत प्रावधान है। कर्मचारी पेंशन योजना सीमित संसाधनों वाली एक अंशदायी योजना है इसलिए अंशदान/ब्याज की वसूली किए जाने को बीमांकिक रूप से वांछित समझा गया है ताकि लाभानुभोगियों को सतत रूप से मासिक पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

[हिन्दी]

आई.सी.ए.आर. का प्रशासनिक कार्य

2817. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/शोध केन्द्रों में किए जाने वाले शोध कार्यों का लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसानों और उक्त संस्थाओं के बीच संवादहीनता के कारण ज्ञान और विज्ञान किसानों तक नहीं पहुंच पाता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) कृषि विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों/केन्द्रों द्वारा किये जाने वाले अनुसंधान कार्यों के लाभों का किसानों तक प्रसार सुकर बनाने की दृष्टि से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विभिन्न अग्र पंक्ति के विस्तार कार्यक्रम शुरू किये हैं। इनका विवरण निम्न प्रकार है:

(1) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य संस्थाओं के तहत 261 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करना।

(2) प्रौद्योगिकी के सृजन, मूल्यांकन, परिशोधन तथा प्रसार के बीच मजबूत कड़ी मुहैया कराने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 53 जिलों में, जहां कोई कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं है, कृषि विज्ञान केन्द्रों का अतिरिक्त कार्यभार संभालने हेतु मौजूदा क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों को सुदृढ़ करने के लिए स्वीकृति दी है।

(3) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के तहत 40 कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्रों की स्वीकृति देना, ताकि किसानों को संस्थाओं द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी उत्पादों, सूचना तथा सेवाओं के लिए एक ही स्थान पर सहायता प्रदान करने की प्रणाली मुहैया कराई जा सके।

(4) वैज्ञानिक-किसान सम्पर्क को आसान बनाने के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के 70 केन्द्रों में परिषद द्वारा संस्थान ग्राम सम्पर्क कार्यक्रम के जरिए प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और परिशोधन की एक परियोजना चलाई गई है।

(5) किसानों तक प्रौद्योगिकी के प्रसार हेतु विभिन्न गतिविधियां चलाने के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के अपने विस्तार निदेशालय हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त कार्यक्रमों के जरिए अग्रणी प्रदर्शनों, खेतों पर परीक्षण, किसानों तथा विस्तार कार्मियों को प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों तक आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी तथा विशेषज्ञता पहुंचाई जाती है।

ग्रामीण उद्योगों की सुरक्षा

2818. श्री अनंत गुढे : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण उद्योगों को विदेशी उद्योगपतियों से सुरक्षा प्रदान करती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ग्रामीण उद्योगों को बंद होने से रोकने के लिए कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी हां, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु 24% इक्विटी पूंजी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में लघु और कृषि उद्योगों के संवर्धन हेतु सरकार विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम नामत: एकीकृत आधारिक संरचना विकास (आई.आई.डी.) योजनाएं, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) और राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगीकरण कार्यक्रम आदि कार्यान्वित कर रही है। सरकार ग्रामीण उद्योगों को छूट, अनुदान, राज सहायता और ऋण के रूप में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती है। इसके अलावा उत्पादन के आधार पर उत्पाद शुल्क से छूट भी उपलब्ध है।

[अनुवाद]

अपर कृष्णा परियोजना का द्वितीय चरण

2819. श्री माधव राव सिंधिया : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अलमाटी जलाशय सहित अपर कृष्णा परियोजना के द्वितीय चरण के लिए अपनी तकनीकी आर्थिक मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना की पूर्व अनुमानित लागत क्या थी और समय ज्यादा लगने से इसकी लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) उक्त परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद राज्य के कहां तक लाभान्वित होने की संभावना है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (घ) अलमट्टी बांध के पूर्ण जलाशय स्तर 519.6 मीटर सहित अपर कृष्णा चरण-II बहुउद्देशीय परियोजना (सिंचाई भाग) को 2849.06 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत किया गया था, इसके पूरा होने पर कर्नाटक के बीजापुर गुलबरगा और रायचूर जिलों में 226688 हेक्टे. क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई होगी। 519.6 मी. के पूर्ण जलाशय स्तर के परियोजना प्रस्ताव को मई, 2000 में ही राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया गया था और इसके लागत अनुमान के साथ इसे केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किया गया था। इन परिस्थितियों में लागत वृद्धि का आकलन करना व्यवहार्य नहीं है।

(ङ) कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यह परियोजना इसके प्रारंभ होने की तारीख से छ: वर्ष के भीतर पूरी हो जाएगी।

भारत और चीन के बीच समझौता ज्ञापन

2820. श्री शिवाजी माने :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और चीन ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पहले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ग) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत गणराज्य और सूचना उद्योग मंत्रालय, चीन जनवादी गणराज्य के बीच दिनांक 17 जुलाई, 2000 को बीजिंग में एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता पत्र से सूचना प्रौद्योगिकी के निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलने की संभावना है:-

(1) कम्प्यूटर

(2) उद्यमिता नेटवर्क

(3) सूचना प्रौद्योगिकी

(4) सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी और एकीकृत परिपथ

(5) सॉफ्टवेयर और इसके अनुप्रयोग तथा उत्पाद

(6) इंटरनेट प्रौद्योगिकियां एवं उनके अनुप्रयोग

(7) सूचना प्रौद्योगिकियों का अन्तरण

(8) सूचना प्रौद्योगिकी उपस्करों के लिए संयुक्त विनिर्माण उद्यमों की स्थापना

समझौता-पत्र के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के परामर्श से कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

वारसा सम्मेलन

2821. श्री सुबोध मोहिते : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में वारसा में सम्पन्न हुए लोकतंत्र पर हुए अंतर-शासकीय सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल द्वारा क्या योगदान दिया गया?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, हां।

(ख) भारत ने वारसा में 25-27 जून, 2000 को संपन्न लोकतांत्रित देशों के समुदाय पर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लिया था। भारत इस सम्मेलन के आयोजनों में से एक था, अन्य आयोजक चिली, चेक गणराज्य, माली, कोरिया गणराज्य, पोलैण्ड, पुर्तगाल तथा अमरीका थे।

107 देशों में से 70 ने इस मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लिया। लोकतांत्रिक देशों का समुदाय अपने सदस्य देशों के बीच लोकतंत्र का समर्थन करने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए लोकतंत्र के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संवर्धित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वारसा सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने सार्वभौम रूप से ला

होने वाले कतिपय मुख्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति अपनी-अपनी साझी वचनबद्धता के निश्चय की घोषणा पारित की।

(ग) विदेश मंत्री ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। पोलैण्ड के विदेश मंत्री के आमंत्रण पर हमारे विदेश मंत्री ने चार मंत्रिस्तरीय पैनलों में से "शियरिंग बेस्ट प्रेक्टिसेज" से सम्बद्ध पैनल की अध्यक्षता की। भारत ने घोषणा एवं सम्मेलन की अंतिम विज्ञप्ति को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। यह घोषणा जातीय तथा धार्मिक विद्वेष; हिंसा; एवं उग्रवाद की भर्त्सना करता है; यह राज्य प्रायोजित, सीमा-पार आतंकवाद के अन्य स्वरूपों को लोकतंत्र के लिए अन्तर-राष्ट्रीय चुनौती मानता है।

[हिन्दी]

पुनपुन दरगाह सिंचाई परियोजना

2822. श्री अरुण कुमार : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार की पुनपुन दरगाह मोरहर नदी परियोजना का प्रस्ताव सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया; और

(ग) परियोजना को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (ग) बिहार सरकार से पुनपुन मोरहर दरधा परियोजना से संबंधित परियोजना प्रस्ताव मई, 2000 में केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त हुआ है। इस परियोजना की स्वीकृति, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों के टिप्पणियों की अनुपालना पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

2823. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के बीच के ऋण अनुपात में बहुत अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस अंतर को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की वृद्धि और विकास के लिए पर्याप्त बैंक ऋण का न मिल पाना एक प्रमुख कठिनाई के रूप में स्वीकार किया गया है। उद्योग की मांग पर विचार करते हुए खाद्य तथा कृषि आधारित प्रसंस्कृत क्षेत्र की वृद्धि की विपुल संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने इस क्षेत्र को, ऋण प्राप्त करने हेतु प्राथमिक क्षेत्र की परिभाषा में शामिल कर लिया है। भारतीय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र और उसके उपक्षेत्रों को ऋण देने के लिए निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार हैं।

कुल प्राथमिक क्षेत्र - शुद्ध बैंक ऋण का 40 प्रतिशत, जिसमें से शुद्ध बैंक ऋण का 18 प्रतिशत कृषि को - शुद्ध बैंक ऋण का 10 प्रतिशत कमजोर वर्गों के लिए।

प्राथमिक क्षेत्र में, खाद्य तथा कृषि आधारित प्रसंस्करण क्षेत्र को ऋण देने के लिए अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए।

राष्ट्रीय आपदा राहत कोष

2824. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय आपदा-राहत कोष (एन.सी.आर.एफ.) में विभिन्न राज्यों द्वारा अंश-राशि के रूप में दिया जाने वाला योगदान प्राप्त नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने इसे नहीं भेजा है साथ ही अंश-राशि के रूप में निर्धारित की गई धनराशि का राज्यवार कितना हिस्सा बकाया है; और

(ग) रा.आ.रा.को. में राज्यों का अंशदान प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार क्या कदम उठा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) वित्त मंत्रालय ने पुष्टि की है कि 1995-2000 के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में राज्य का अंशदान प्राप्त हो चुका है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

थाईलैण्ड के साथ प्रत्यर्पण संधि

2825. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और थाईलैण्ड ने प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों में सुधार करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) जी, हां। 1993 में थाईलैंड को प्रत्यर्पण संधि का एक मसौदा किया गया था। उसके बाद 1995 और 1997 में प्रतिनिधिमंडल स्तर पर दो दौर की बातचीत हुई है तथापि, पाठ को अंतिम रूप देना संभव नहीं हुआ है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) दोनों देशों के बीच मौजूदा करार है:- (1) द्विपक्षीय व्यापार करार, (2) दोहरे कराधान से परिहार संबंधी करार, (3) द्विपक्षीय वायु सेवा करार, (4) सांस्कृतिक करार, (5) समुद्री सीमा सीमांकन करार, (6) संयुक्त आयोग के गठन पर करार, (7) संयुक्त व्यापार समिति के गठन पर करार, (8) विदेश कार्यालय स्तर परामर्श पर करार।

जुलाई, 2000 में थाईलैण्ड के विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान निम्नलिखित और करार संपन्न हुए:-

(1) नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग पर करार, और

(2) द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करार।

जी-15 का शिखर सम्मेलन

2826. श्री भर्तृहरि महताब : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) काहिरा में हाल ही में हुए जी-15 शिखर सम्मेलन में किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई;

(ख) इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा कौन-कौन से मुद्दे उठाए गए; और

(घ) इस पर अन्य प्रतिनिधिमंडलों की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) शिखर सम्मेलन में दक्षिणी देशों के लिए अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों—21वीं शताब्दी में सार्वभौमिक घटनाएं और दक्षिण की संभावनाएं; सार्वभौमिकीकरण का प्रभाव; गरीबी उन्मूलन और विदेशी ऋण; समान बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का महत्व; उत्तर-दक्षिण वार्ता; ओ.डी.ए. संवर्द्धन; विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का संचलन; अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे का पुनर्गठन; प्रौद्योगिकी अन्तरण और दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर ध्यान केन्द्रित किया गया। जी-15 के राज्यों/शासनाध्यक्षों द्वारा विश्राम स्थल पर शांति निरस्त्रीकरण और विकास पर मूल रूप से चर्चा हुई।

(ग) और (घ) शिखर सम्मेलन में भारत ने सार्वभौमिक अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई असमानता और असंतुलन; दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए बढ़ते हुए अवसरों, प्रभावी उत्तर-दक्षिण वार्ता की आवश्यकता, उरुग्वे दौर के करारों के प्रभावी क्रियान्वयन, विश्व व्यापार संगठन के नये दौर की बातचीत का समर्थन न करने, विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत विकासशील देशों की विशेष और विभिन्न आवश्यकताओं की ओर ध्यान सुनिश्चित करने, व्यवहार्य और कारगर जी-15 परियोजनाओं पर नये सिरे से ध्यान देने, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे के पुनर्गठन पर जोर दिया। भारत ने आतंकवाद के अभिशाप, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर शांति और स्थायित्व के प्रति इसके खतरे और हथियारों के गैर-कानूनी व्यापार के साथ इसकी सांठगांठ का भी विशेष उल्लेख किया और अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबद्ध व्यापक अभिसमय पर तत्काल निर्णय लिये जाने और उसे क्रियान्वित किये जाने की मांग की।

जी-15 के सदस्य देशों ने प्रमुख मुद्दों पर भारत की चिंताओं का समर्थन किया था और संयुक्त विज्ञप्ति में इन्हें विधिवत रूप में शामिल किया था।

[हिन्दी]

श्रम समस्या के लिए आयोग

2827. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्रम कानूनों, श्रम से संबंधित समस्याओं और मौजूदा श्रम कानूनों और अधनियमों के संबंध में परामर्श देने हेतु आयोग के गठन का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोग के कब तक गठित हो जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त आयोग के सदस्यों के नाम क्या हैं और इसके निदेश पद क्या हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) से (ग) सरकार ने श्री रवीन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय श्रम आयोग गठित किया है। आयोग के सदस्यों के नाम और इसके विचारार्थ विषयों की दिनांक 15.10.1999 के संकल्प की प्रति संलग्न विवरण में है। आयोग अपनी सिफारिशें 24 माह में अर्थात् 15.10.2001 तक प्रस्तुत करेगा।

विवरण

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
श्रम मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्तूबर, 1999

संकल्प

संख्या जैड-20014/8/99-सम.-भारत सरकार ने निम्नलिखित को शामिल करके एक राष्ट्रीय श्रम आयोग गठित करने का निर्णय लिया है:-

अध्यक्ष

श्री रवीन्द्र वर्मा

पूर्णकालिक सदस्य

1. डा. वी.आर. सवाडे

अंशकालिक सदस्य

1. श्री सुनील शास्त्री
2. श्री सुदर्शन सरीन
3. श्री जी. संजीव रेड्डी
4. श्री जितेन्द्र वीर गुप्ता
5. श्रीमती इला आर. भट्ट
6. श्री अरविन्द आर. दोषी
7. श्री हासुभाई दवे

सदस्य सचिव

1. श्री एन. सान्याल

2. आयोग के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे:-

(क) संगठित क्षेत्र में श्रम से संबंधित मौजूदा कानूनों के सुव्यवस्थीकरण के लिए सुझाव देना, और

(ख) असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों के संरक्षण के एक न्यूनतम स्तर को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक कानून का सुझाव देना।

उपर्युक्त के लिए ढांचे का मसौदा बनाते समय आयोग निम्नलिखित को भी ध्यान में रखेगा-

(1) उद्योग को शासित करने वाले विभिन्न प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा करने के लिए मई, 1998 में गठित आयोग द्वारा की गई सिफारिश के निहितार्थों पर विचार करना।

(2) उभर रहे आर्थिक वातावरण जिसमें तेजी से हो रहे प्रौद्योगिक परिवर्तन, उद्योग, व्यापार और सेवाओं में पद्धतियों, समय और कार्य परिस्थितियों में परिवर्तन, अर्थव्यवस्था के भूमण्डलीकरण, व्यापार तथा उद्योग के उदारीकरण की दृष्टि से अपेक्षित अनुक्रियाएं शामिल हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और विद्यमान कानूनों को भावी श्रम बाजार की आवश्यकताओं और मांगों के अनुरूप बनाये जाने की आवश्यकता पर जोर देना।

(3) श्रम संरक्षण और कल्याणकारी उपायों का न्यूनतम स्तर तथा एक ऐसी विधि से उन्हें सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी संस्थागत ढांचा जो प्रौद्योगिकीय परिवर्तन तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक एक लोचनीय श्रम बाजार और समायोजनों के लिए उत्प्रेरक हो; तथा

(4) सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी से संबंधित उपायों में सुधार करना और मजदूरी को उत्पादकता से जोड़ा जाना और विशेष रूप से नियोजन में महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए अपेक्षित सुरक्षा उपायों की प्रभावपरकता में सुधार करना।

3. यह आयोग जैसे ही व्यवहार्य हो अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा किन्तु भारत के राजपत्र में इस संकल्प के प्रकाशित होने की तारीख से 24 (चौबीस) माह के बाद नहीं। यदि आयोग उचित समझे जो किसी विशिष्ट समस्या(ओं) के संबंध में अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है।

4. यह आयोग अपनी प्रक्रिया की रूपरेखा स्वयं बनाएगा। यह ऐसी सूचना मंगा सकता है और ऐसे साक्ष्य ले सकता है जिन्हें यह आवश्यक समझे। भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग ऐसी सूचना और दस्तावेज उपलब्ध करवायेंगे तथा सहायता प्रदान करेंगे जो कि आयोग द्वारा अपेक्षित समझी जाए।

5. भारत सरकार का यह विश्वास है कि राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, नियोजकों एवं कामगारों के संगठन तथा अन्य सभी संबंधित संगठन इस आयोग को अपना पूरा सहयोग तथा सहायता प्रदान करेंगे।

ह०/-
(डा. लक्ष्मीधर मिश्रा)
सचिव, भारत सरकार

जेड-20014/8/99-सम. नई दिल्ली, दिनांक 16.10.1999

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा सभी संबंधितों के पास इस संकल्प की एक-एक प्रति भेजी जाए।

ह०/-
(डा. लक्ष्मीधर मिश्रा)
सचिव, भारत सरकार

सोयाबीन का उत्पादन

2828. श्री अनंत गुढे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1999 और 2000 में महाराष्ट्र में सोयाबीन का बहुत अधिक उत्पादन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों को अपने बेहतर उत्पाद का उचित मूल्य मिला है;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ लिमिटेड (नैफेड) ने सोयाबीन की खरीद के लिये कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) जी, हां। महाराष्ट्र में वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान सोयाबीन का उत्पादन निम्नवत रहा:-

वर्ष	उत्पादन (.000 मीटरी टन)
1998-99	1471.9
1999-2000	1620.0

(ख) तिलहनों के बाजार मूल्य कम होने के कारण केन्द्रीय सरकार द्वारा नैफेड को वर्ष 1999-2000 के दौरान भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद करने का निर्देश दिया गया। नैफेड द्वारा वर्ष 1999-2000 के दौरान महाराष्ट्र में मूल्य समर्थन स्कीम के अंतर्गत सोयाबीन की खरीद की गई मात्रा का ब्यौरा निम्नवत् हैं:-

केन्द्र	सोयाबीन (मात्रा मीटरी टन में)
मुम्बई	61615
नासिक	1192

(ग) और (घ) भारत सरकार प्रत्येक वर्ष तिलहन फसलों की बुआई से काफी पहले सोयाबीन सहित तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, और सोयाबीन सहित तिलहनों के बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर से नीचे आ जाने पर न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर खरीद प्रचालन के लिए नैफेड केन्द्रीय शीर्ष अभिकरण है।

औद्योगिक विवाद

2829. श्री राजो सिंह : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 2000 की स्थिति के अनुसार धनबाद के दो औद्योगिक अधिकरणों में कितने औद्योगिक विवाद लंबित हैं;

(ख) छः महीने तथा एक वर्ष से अधिक अवधि से लंबित मामलों का अवधि-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन मामलों के निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) धनबाद स्थित दो केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में 30.6.2000 की स्थिति के अनुसार लम्बित औद्योगिक विवादों की अधिकरण-वार तथा अवधि-वार संख्या निम्नवत है:-

के.स.ओ. अधिकरण सह-श्रम न्यायालय का नाम	लम्बित औद्योगिक विवाद		
	30.6.2000 की स्थिति के अनुसार लम्बित	छः माह से कम	एक वर्ष से अधिक
धनबाद संख्या 1	1406	117	1289
धनबाद संख्या 2	1223	70	1153
कुल	2629	187	2442

(ग) और (घ) विलम्ब के प्रमुख कारण और निपटान के लिए उठाए गए कदम:-

(1) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में श्रम न्यायालयों की कमी।

(2) पीठासीन अधिकारियों के पद की रिक्तियों को भरने में समय लगता है।

(3) प्रक्रियागत बाधाएं जैसे सुनवाई के समय प्रभावित पक्षों की अनुपस्थिति, दस्तावेज इत्यादि दायर करने के लिए पक्षों द्वारा मांगे गए स्थगन।

(4) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के पदों को भरने के लिए सभी अनिवार्य प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी करते हुए शीघ्र कदम उठाए जाते हैं।

(5) पीठासीन अधिकारियों पर उनके केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सह-श्रम न्यायालयों में लम्बित औद्योगिक विवादों में कमी करने की आवश्यकता पर भी जोर डाला गया है।

बीड़ी कामगारों का सर्वेक्षण

2830. प्रो. रासासिंह रावत : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बीड़ी कामगारों की स्थिति के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्थान में महिलाओं, बच्चों सहित बीड़ी कामगारों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें पहचान-पत्र और कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) के अस्पतालों इत्यादि का लाभ प्राप्त है;

(घ) क्या सरकार का विचार अजमेर में कोई श्रम कल्याण केन्द्र और एक विशेष कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) अस्पताल स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने बीड़ी उद्योग में कर्मकारों के कार्य और रहन-सहन दशाओं के बारे में श्रम मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के माध्यम से एक सर्वेक्षण करवाया है। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, बीड़ी कर्मकारों का धर्म/जाति के अनुसार प्रतिशतता विवरण निम्नानुसार है:-

(1) अनुसूचित जाति	-	15.2%
(2) अनुसूचित जनजाति	-	3.3%
(3) अन्य पिछड़े वर्ग	-	43.3%
(4) अन्य हिन्दू	-	17.1%
(5) मुसलमान	-	20.2%
(6) अन्य	-	00.9%

इसी सर्वेक्षण के अनुसार कारखाना कर्मकार श्रेणी के बीच महिलाएं लगभग 50% हैं और बीड़ी बनाने में लगे कुल कर्मकारों में घरेलू कर्मकार श्रेणी में इनकी संख्या 68% है।

(ग) राजस्थान में लगभग 1,00,000 बीड़ी कर्मकार हैं, और 70,694 बीड़ी कर्मकारों को पहचान-पत्र जारी किए गए हैं। राजस्थान में 84 बीड़ी कर्मकार क.रा.बी. स्कीम के अन्तर्गत शामिल हैं।

(घ) और (ङ) अजमेर में श्रम कल्याण संगठन द्वारा स्थापित एक औषधालय पहले ही कार्यरत है जो बीड़ी कर्मकारों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं मुहैया करा रहा है। अजमेर में क.रा.बी. निगम अस्पताल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

भ्रष्ट जन सेवकों की संपत्तियां

2831. डा. रमेश चंद तोमर :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने सरकार से भ्रष्ट जन सेवकों द्वारा आय के ज्ञात स्रोत से अधिक अर्जित संपत्तियों को जब्त करने का आह्वान किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मौजूदा कानून इस प्रवृत्ति को रोकने में पूरी तरह असफल रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो देश में ऐसे भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) विधि आयोग ने अपनी 166वीं रिपोर्ट में, भ्रष्ट जन सेवकों द्वारा आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक अर्जित संपत्ति को जब्त करने के संबंध में अलग से, विधान का अधिनियमन करने का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव की संबंधित पक्षों से परामर्श करके अभी जांच की जा रही है तथा इस मामले में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। वर्तमान में, दण्ड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1944 (1944 का अध्यादेश संख्या 38) में, ऐसे अभियुक्तों की संपत्ति की जब्ती का प्रावधान है जिन्होंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अभिकथित रूप से अपराध किया है अथवा इससे संसक्त कोई षड्यंत्र अथवा अपराध करने का प्रयास किया है। उक्त संपत्ति, मामले के विचारण के दौरान विशेष न्यायाधीश द्वारा जब्त की जा सकती है। तत्पश्चात आपाधिक कार्यवाहियों की समाप्ति पर तथा अभियुक्त की दोष सिद्धि होने पर, विशेष न्यायाधीश को उक्त, दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 के अन्तर्गत दोष सिद्ध, सरकारी जन सेवक की संपत्ति जब्त करने की शक्ति प्राप्त है।

सरकार स्वच्छ प्रशासन देने तथा लोक सेवाओं के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार की बुराई का उन्मूलन करने की आवश्यकता के प्रति पूरी तरह सजग है। इस संबंध में सरकार द्वारा निगरानी, निवारण तथा दण्डात्मक/निवारक कार्रवाई की तीन-सूत्रीय रणनीति का अनुसरण किया जाता है। तथापि, प्रशासन में कदाचार को रोकने के लिए लोक सेवाओं में भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान जारी रखना, एक सतत प्रक्रिया है। इस संबंध में तैयार की गई नीतियों को समय-समय पर संशोधित किया जाता है ताकि इन्हें बदलते परिवेश के प्रति अधिकाधिक कारगर तथा संवेदनशील बनाया जा सके। इस संबंध में सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आयोग को सांविधिक दर्जा प्रदान किए जाने हेतु 'केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999' तथा सरकार को अधिकाधिक पारदर्शी तथा जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए 'सूचना स्वातंत्र्य विधेयक, 2000' पुरःस्थापित किया जाना शामिल है।

खेतिहर मजदूरों के संबंध में कानून बनाना

2832. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा. अम्बेडकर जन्मशती समारोह समिति की सिफारिश के अनुसार खेतिहर मजदूरों के संबंध में केन्द्रीय कानून बनाने के लिए सरकार ने 1993 में कार्रवाई आरम्भ की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त कानून के संबंध में इस समय स्थिति क्या है; और

(ग) अब तक यह कानून न बनाए जाने के क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) खेतिहर कामगार की स्थायी समिति की सिफारिश पर 1975 में खेतिहर कामगारों के लिए केन्द्रीय विधान का प्रस्ताव शुरू किया गया था।

प्रारूप विधान के कुछ घटकों पर कुछ राज्य सरकारों द्वारा आपत्तियां व्यक्त की गई थी। जैसाकि एक सहमति पर पहुंचना सरकार का प्रयास रहा है, अतः 18.1.2000 को नई दिल्ली में राज्य श्रम मंत्रियों के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें राज्य सरकारों के विचार प्राप्त किए गए थे। राज्य सरकारों के विचारों/टिप्पणियों के आधार पर प्रस्ताव की पुनः जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

एन.सी.आर.एफ.

2833. श्री ब्रजमोहन राम :
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को 1998 में चक्रवात/ओलावृष्टि से प्रभावित पुनर्विस्थापितों पर आये व्यय के संबंध में गुजरात और बिहार सरकार से राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से अतिरिक्त सहायता हेतु कोई प्रस्ताव मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) गुजरात सरकार ने जून, 1998 के चक्रवात के समय राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता मांगने हेतु एक ज्ञापन भेजा था। ज्ञापन पर प्रक्रिया के अनुसार विचार किया गया तथा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 55.35 करोड़ रु. की धनराशि राज्य को निर्मुक्त की गई। बिहार सरकार से वर्ष 1998 में चक्रवात/ओलावृष्टि की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता की मांग हेतु कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

भारत-इजराइल संबंध

2834. श्री तूफानी सरोज :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इजराइल ने भारतीय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों का विचार परमाणुविक संबंध स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इजराइल यात्रा के दौरान उनके और गृह मंत्री के कुछ बयानों की कुछ अरब देशों ने आलोचना की थी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का इस पर क्या दृष्टिकोण है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) विदेश मंत्री तथा गृह मंत्री ने जून/जुलाई में इजराइल की अलग-अलग यात्राएं कीं। इन दोनों यात्राओं का मुख्य उद्देश्य भारत-इजराइल द्विपक्षीय संबंधों को सुधारना था। मीडिया में कुछ गलत समाचार छपे हैं जिनका विदेश मंत्रालय ने अरब देशों के प्रतिनिधियों को स्पष्टीकरण दे दिया है। उनको यह आश्वासन दिया गया है कि किसी अन्य देश के साथ हमारे संबंध अरब देशों के साथ हमारे परम्परागत संबंधों के मूल्यों पर, विकसित नहीं किए जाएंगे।

[अनुवाद]

विकलांगों को रोजगार

2835. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु कोई नई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.) शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए विभिन्न शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तृत सर्वेक्षण कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान एन.एच.एफ.डी.सी. के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है और इससे राज्य और श्रेणी-वार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं; और

(च) देश में शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए राज्यवार विशेषकर तमिलनाडु में कौन-कौन से प्रशिक्षण संस्थान शैक्षिक/व्यावसायिक प्रशिक्षण दे रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) देश के विभिन्न भागों में अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिनका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना है। विवरण-I संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विवरण-II और III संलग्न है।

(च) श्रम मंत्रालय के अधीन व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र विकलांग व्यक्तियों की अवशिष्ट क्षमता का मूल्यांकन करते हैं और उनकी क्षमता के अनुसार आवश्यक व्यावसायिक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन तथा नौकरी के अवसर अथवा स्व-रोजगार प्रदान करते हैं। मुम्बई, हैदराबाद, जबलपुर, दिल्ली, लुधियाना, कानपुर, कलकत्ता, चेन्नई, अहमदाबाद, त्रिवेन्द्रम, बेंगलूर, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, जयपुर, वदोदरा, पटना और अगरतला में 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भी विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने संबंधी योजना को कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत तमिलनाडु सहित देश के विभिन्न भागों में स्वैच्छिक संगठनों को अन्य बातों के साथ-साथ, विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन के लिए सहायता अनुदान प्रदान किए जाते हैं।

विवरण I

(1) विकलांगों को रोजगार की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों तथा विशेष सैलों को चलाने के लिए क्रमशः 80% और 100% आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।

(2) श्रम मंत्रालय के अधीन व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र विकलांग व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वास उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में सत्रह (17) व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(3) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधनियम, 1995 की धारा 33 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक उपयुक्त सरकार प्रत्येक प्रतिष्ठान में विकलांग व्यक्तियों अथवा विकलांग श्रेणी के व्यक्तियों को कम से कम 3% रिक्त पदों पर नियुक्त करेगी जिसमें से (क) दृष्टिहीनता अथवा कम दृष्टि (ख) श्रवण विकलांगता, और (ग) लोकोमोटर विकलांगता तथा प्रमस्तिष्क अंगघात से पीड़ित व्यक्तियों प्रत्येक के लिए 1% आरक्षित होंगे।

(4) राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम विकलांग व्यक्तियों को उद्यमीय कार्यकलाप शुरू करने के लिए आसान ऋण (विकलांग महिलाओं के लिए ब्याज पर अतिरिक्त 2% छूट सहित) प्रदान कर रहा है।

(5) विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने संबंधी योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में स्वैच्छिक संगठनों को अन्य बातों के साथ-साथ, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्थापन, आय सृजन तथा लाभप्रद व्यवसायों के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

विवरण II

वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के लिए राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं तथा किया गया संवितरण

क्र.सं.	राज्य	मंजूर धनराशि			लाभग्राही			संवितरित धनराशि			लाभग्राही		
		1997-98	1998-99 (लाख में)	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000 (लाख में)	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	25.55	40.92	95.15	11	71	101	25.55	22.73	113.33	11	60	122
2.	चंडीगढ़	—	—	8.52	—	—	18	—	—	8.52	—	—	—
3.	गोवा	—	—	9.89	—	—	6	—	—	9.89	—	—	6
4.	गुजरात	—	—	94.82	—	—	180	—	—	60.02	—	—	112
5.	हरियाणा	—	51.91	77.92	—	147	174	—	6.00	77.68	—	10	217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	14.53	—	—	17	—	—	14.53	—	—	17
7.	जम्मू व कश्मीर	—	—	2.24	—	—	1	—	—	0.00	—	—	0
8.	केरल	—	—	76.24	—	—	264	—	—	35.99	—	—	48
9.	मध्य प्रदेश	—	155.41	43.84	—	411	87	—	50.00	149.25	—	130	368
10.	महाराष्ट्र	—	—	18.08	—	—	38	—	—	0.00	—	—	0
11.	उड़ीसा	—	64.36	29.43	—	182	56	—	14.40	79.40	—	40	197
12.	पंजाब	—	—	8.79	—	—	16	—	—	8.79	—	—	16
13.	राजस्थान	—	—	15.17	—	—	21	—	—	15.17	—	—	21
14.	लक्षद्वीप	—	—	2.45	—	—	4	—	—	2.45	—	—	4
	कुल	25.55	312.6	497.07	11	811	982	25.55	93.13	575.02	11	230	1128

विवरण III

श्रेणीवार स्वीकृत ऋण

(31 मार्च, 2000 तक)

	श्रेणी	लाभप्राहियों की संख्या
1.	अस्थि विकलांग	1458
2.	मानसिक रूप से मन्द	228
3.	दृष्टि विकलांग	76
4.	श्रवण विकलांग	42
	कुल	1804

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम
(एन.बी.सी.एफ.डी.सी.)

2836. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) की योजना देश में और आय उत्पादक योजनाएं कार्यान्वित करने की है;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक को आवंटित की गयी धनराशि और योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं द्वारा प्रत्येक राज्य में लाभार्थियों की संख्या क्या है;

(ग) तमिलनाडु में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) के अंतर्गत कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा कितनी धनराशि वितरित की गई; और

(घ) स्वर्णिम योजना का ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गयी और आज की तिथि के अनुसार प्रत्येक राज्य में योजना द्वारा लाभान्वित होने वाले कितने व्यक्ति हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम पिछड़े वर्गों के पात्र सदस्यों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की वर्तमान आय सृजक योजनाओं अर्थात आवधिक ऋण सीमान्त राशि ऋण योजनाओं के अंतर्गत राज्य माध्यम एजेंसियों के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

आवधिक ऋण योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम प्रति लाभार्थी अधिकतम 5.00 लाख रुपए की शर्त पर परियोजना लागत को 85% तक ऋण प्रदान करता है बशर्ते कि प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण 5.00 लाख रुपए हो। परियोजना लागत की शेष राशि एस.सी.ए. तथा लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है।

सीमान्त राशि ऋण योजना के अंतर्गत यह निगम परियोजना लागत का 40% प्रदान करता है बशर्ते कि प्रति लाभार्थी अधिकतम

2.00 लाख रुपए हो। शेष राशि लाभार्थी राज्य माध्यम एजेंसी, बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा वहन किया जाता है। आवंटन वितरण तथा लाभार्थियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I पर दिए गए हैं।

(ग) आवधिक ऋण तथा सीमान्त राशि ऋण योजना तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक आयोग विकास निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही है तथा अभी तक 28.57 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है जिसमें से 3.00 करोड़ रुपए 11,300 महिला लाभार्थियों को वितरित किया गया है।

(घ) स्वर्णिम योजनाएं राष्ट्रीय पिछड़ावर्ग वित्त एव विकास निगम द्वारा भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर चलाई गई। इस योजना के ब्यौरे संलग्न विवरण-II पर दिए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत 4.8.2000 तक की स्थिति के अनुसार निधियों का आवंटन तथा लाभार्थियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण 1

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

दिनांक 4.8.2000 तक की स्थिति के अनुसार 2000-2001 के लिए निधियों का आवंटन वार्षिक कार्य योजना तथा राशि और लाभार्थियों को किए गए वितरण को दर्शाने वाला विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय आवंटन	प्राप्त वार्षिक कार्य योजना	आबंटित राशि	अनन्तिम लाभार्थी की संख्या	वितरित राशि	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	11.00	-	-	-	-	-
	आंध्र प्रदेश बीसी	-	-	-	-	-	-
	आंध्र प्रदेश जीपी	-	-	-	-	-	-
2.	असम	6.00	1.00	1.00	96	0.21	20
3.	बिहार	14.00	31.21	14.00	2026	-	-
4.	दिल्ली	1.00	-	-	-	-	-
5.	गोवा	0.50	1.36	1.36	87	.29	20
6.	गुजरात	7.00	-	-	-	0.85	200
7.	हरियाणा	3.00	3.40	3.40	1360	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	1.00	2.55	2.55	480	.63	68
9.	जम्मू व कश्मीर	1.00	-	-	-	-	-
10.	कर्नाटक	8.00	8.27	8.27	1855	2.00	235
11.	केरल	5.00	-	-	-	-	-
	केरल (सीसी)	-	2.55	2.55	480	0.50	100

1	2	3	4	5	6	7	8
	केरल (एफ)	-	-	-	-	-	-
	केरल (बीसी)	-	15.57	15.57	3095	5.79	1359
	केरल (डब्ल्यू)	-	5.00	5.00	1321	-	-
12.	मध्य प्रदेश	11.00	-	-	-	-	-
	मध्य प्रदेश (बीसी)	-	11.00	11.00	3518	-	-
	मध्य प्रदेश (हस्तशिल्प)	-	1.70	1.70	1000	.43	253
13.	महाराष्ट्र	12.00	-	-	-	-	-
	महाराष्ट्र (ओबीसी)	-	16.14	6.00	600	-	-
	महाराष्ट्र (वीजेएनटी)	-	6.20	6.20	1025	-	-
14.	मणिपुर	1.00	-	-	-	-	-
	मणिपुर (ओबीसी)	-	-	-	-	-	-
	मणिपुर वूमेन	-	0.99	0.99	123	-	-
15.	उड़ीसा	5.00	-	-	-	-	-
16.	पंजाब	3.00	7.22	7.22	1420	-	-
17.	राजस्थान	7.00	-	-	-	-	-
18.	सिक्किम	1.00	3.29	3.20	421	-	-
19.	तमिलनाडु	9.00	9.03	9.03	2250	-	-
20.	त्रिपुरा	7.00	-	-	-	-	-
21.	उत्तर प्रदेश	22.00	21.58	21.58	4850	0.90	247
22.	पश्चिम बंगाल	11.00	11.00	11.00	2000	-	-
23.	मिजोरम	0.10	-	-	-	-	-
संघ राज्य क्षेत्र							
1.	चंडीगढ़	1.00	0.21	0.21	29	-	-
2.	दादर नगर हवेली	0.20	-	-	-	-	-
3.	दमन एवं दीप	0.20	-	-	-	-	-
4.	पांडिचेरी	2.00	2.63	2.63	598	0.86	288
5.	एनजीओ	-	-	-	-	0.16	373
	कुल	150.00	156.73	134.57	28634	12.62	3163

विवरण II

पिछड़े वर्गों की महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना को जगाने के लिए इस आयोग ने स्वर्णिमा नामक एक विशेष योजना शुरू की है। स्वर्णिमा की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

- लाभार्थी महिलाओं को अपनी स्वयं की कोई राशि निवेश करना अपेक्षित नहीं है।
- इस योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी अधिकतम वापसी अवधि 12 वर्ष है जबकि इस निगम के सामान्य ऋण योजनाओं की अधिकतम भुगतान वापसी अवधि 10 वर्ष है।
- एक लाख रुपए तक की ऋण राशि पर लाभार्थी से ब्याज दर वार्षिक 4% की दर से प्रति वर्ष निश्चित है जबकि सामान्य ऋण योजनाओं में ब्याज दर 7% है।

पात्रता:

केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित पिछड़े वर्गों और गरीबी रेखा से दोगुना नीचे गुजर-बसर करने वाली महिलाएं इस योजना के अंतर्गत ऋण के लिए पात्र होंगी।

विवरण III

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

दिनांक 4.8.2000 तक की स्थिति के अनुसार महिलाओं के लिए स्वर्णिमा योजना के अंतर्गत राज्यों को वितरित कुल राशि का विवरण

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वितरित राशि	महिला लाभार्थियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	202.89	1172
2.	असम	1.35	2
3.	बिहार	73.69	185
4.	हरियाणा	32.77	173
5.	हिमाचल प्रदेश	8.65	18
6.	कर्नाटक	14.25	300
7.	केरल	50.35	621
8.	सिक्किम	27	45
9.	उत्तर प्रदेश	26.01	97
	कुल	436.96	2613

कृत्रिम अंग

2837. डा. वी. सरोजा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृत्रिम अंगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तमिलनाडु में रासीपुरम में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (आर्टिफिशीयल लिम्बस मैन्यूफैक्चरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया) स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर क्षेत्रीय केन्द्रों तथा डीलरों के एक सुसंगठित नेटवर्क के माध्यम से तमिलनाडु सहित देश भर में कम्पनी द्वारा तैयार सहायक उपकरणों की आपूर्ति करता है।

कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर

2838. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :
श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री जय प्रकाश :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर में एक प्रतिशत की कमी किए जाने से सरकार को प्रतिवर्ष कितनी धनराशि की बचत होने का अनुमान है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस बचत को शेयर बाजार में निवेश करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर को कम करने से पूर्व इसके न्यासियों से परामर्श नहीं लिया गया;

(ङ) यदि हां, तो इससे इस निर्णय की वैधता किस प्रकार परिलक्षित होती है;

(च) क्या इस कटौती को वापिस लेने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि पर अर्जित ब्याज राशि कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के खातों में जमा करना अपेक्षित होता है। अत: सरकार द्वारा बचत को शेयर बाजार में विनिवेश करके लाभ अर्जित करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(घ) से (छ) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के पैरा 60(1) के साथ पठित कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की अनुसूची 2 की मद संख्या 8 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज की दर केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधिक केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के परामर्श से निर्धारित की जानी अपेक्षित है। तदनुसार केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने अपनी दिनांक 25.4.2000 को सम्पन्न हुई बैठक में वर्ष 2000-2001 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदाताओं के खातों में 12% की दर पर ब्याज जमा कराने के लिए केन्द्रीय सरकार को अनुशंसा की थी। केन्द्रीय बोर्ड की अनुशंसाओं पर विचार किया गया और अप्रैल 2000 से कर्मचारी भविष्य निधि की औसत आय लगभग 11 प्रतिशत होने के कारण यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2000-2001 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के खातों में 11 प्रतिशत की दर से ब्याज जोड़ा जाए। कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज की दर निर्धारित करते समय केन्द्रीय सरकार को क.भ.नि. योजना के पैरा 60(4) के उपबंधों से भी मार्गदर्शन लेना होता है जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं को दिए जा रहे ब्याज के फलस्वरूप ब्याज उचंत खाते से अधिक निकासी तो नहीं हो रही है। अत: अधिनियम/योजना का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है।

तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा हेतु अत्यंत पिछड़ा वर्गों को ऋण

2839. **श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा हेतु पिछड़े वर्गों के योग्य सदस्यों को ऋण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त पोषण विकास निगम के माध्यम से एक प्रायोगिक योजना नामत: आकांक्षा 1996 की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान लाभान्वित लोगों की वर्षवार संख्या कितनी है और उनको राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(घ) ऐसे सहायता हेतु लोगों के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं और वर्ष 1999-2000 के दौरान कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) वर्ष 2000-2001 के दौरान इस योजना हेतु कुल कितना आवंटन किया गया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां। भारत सरकार ने वर्ष 1996 के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के माध्यम से तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययन करने वाले पात्र पिछड़े वर्गों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रायोगिक परियोजना के रूप में शैक्षिक ऋण योजना आरम्भ की है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम नामांकित राज्य माध्यम एजेंसियों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा इसलिए, राज्य माध्यम एजेंसियों के माध्यम से भी शैक्षिक ऋण प्रदान किया जाता है।

(ख) से (घ) योजना के ब्यौरे संलग्न विवरण-I पर हैं। ऋण का संवितरण वर्ष 1998-99 के दौरान आरम्भ किया गया। वर्ष 1998-99 तथा वर्ष 1999-2000 के दौरान 12 छात्रों को 4.76 लाख रुपए संवितरण किए गए। संवितरित राशि का राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर है।

(ङ) वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार निगम राज्य माध्यम एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों को निपटाता है। वर्ष 2000-2001 के दौरान आगामी चार वर्षों के लिए शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत केरल के 500 छात्रों के लिए 4.84 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया है।

विवरण I

शैक्षिक ऋण योजना

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ने स्नातक और उच्चतर स्तर पर सामान्य/व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण आरम्भ करने के लिए गरीबी की रेखा से दोगुना नीचे रह रहे पिछड़ा वर्ग के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शैक्षिक ऋण योजना आरम्भ की है।

पात्रता

आवेदक इस प्रयोजन के लिए ए.आई.सी.टी.ई./मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया जैसी भी स्थित हो द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान के पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो।

ऋण की सीमा

वास्तविक व्यय के साथ सहसंबंधित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम 3.00 लाख रुपए के अध्यधीन प्रति छात्र अधिकतम ऋण सीमा 75000 रुपए प्रति वर्ष है।

ब्याज दर

समय पर पुनर्भुगतान करने पर 0.5% की छूट के साथ 4.5% प्रति वर्ष।

पुनर्भुगतान का तरीका

पाठ्यक्रम के पूरा होने के छः महीनों के बाद अथवा रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त करने के बाद जो भी पहले से वसूली आरम्भ होगी।

कुल पुनर्भुगतान की अवधि मासिक किस्तों में 5 वर्षों की होगी।

इस योजना के अंतर्गत ऋण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पात्र छात्र अपने राज्य माध्यम एजेंसियों से सम्पर्क कर सकते हैं।

विवरण II

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

संवितरित राशि तथा लाभान्वित छात्रों की संख्या का राज्यवार तथा वर्षवार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98		1998-99		1999-2000		संचयी	
	राशि रु. में	छात्रों की सं.	राशि रुपए में	छात्रों की स.	राशि रु. में	छात्रों की सं.	राशि रु. में	छात्रों की सं.
बिहार	—	—	—	—	54864	1	54864	1
मध्य प्रदेश	—	—	59130	2	33210	*	92340	2
पांडिचेरी	—	—	11009	1	—	—	11009	1
तमिलनाडु	—	—	245345	8	72280	*	317625	8
कुल	—	—	315484	11	160354	1	475838	12

*छात्रों को निर्मुक्त अगली किस्त।

राज्य घरेलू उत्पाद

2840. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आय सृजन आधार के बजाय आय प्राप्ति आधार पर राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति राज्य आय का पता लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य घरेलू उत्पाद/प्रति व्यक्ति आय का आकलन करते समय विदेशी छूट और बाहरी राज्यों की छूट को भी गिना जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या चालू प्रक्रिया द्वारा किसी राज्य अथवा जिले की प्रति व्यक्ति आय की गणना त्रुटिपूर्ण आर्थिक संकेत नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कौन-कौन से उपचारात्मक कदमों पर विचार किया जा रहा है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) राज्य घरेलू उत्पाद (एस.डी.पी.)

तथा प्रतिव्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान, जो प्रति व्यक्ति राज्य आय के रूप में जाने जाते हैं, का संकलन मात्र आय सृजन अभिगम का अनुपालन करते हुए संबंधित राज्य के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (डी.ई.एस.) द्वारा किया जाता है। इन अनुमानों को आय प्राप्ति आधार पर संकलित करने हेतु विश्वसनीय आंकड़ों की संबंधित राज्य के सीमा क्षेत्र के आय के अंतर्वहन और बहिर्गमन पर अपेक्षा की जाती है, जो उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) मौजूदा उपलब्ध आंकड़ा आधारों पर आधारित प्रतिव्यक्ति राज्य आय के संकलन में अपनाया गया रीति-विधान क्षेत्रीय लेखा समिति (आर.ए.सी.) की सिफारिशों के अनुसार है तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के संगत है। तथापि, विभिन्न आंकड़ों के सुधार हेतु हमेशा गुंजाइश रहती है। सरकार ने डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग का गठन किया है, जो मौजूदा सांख्यिकीय प्रणाली में कमियों की आलोचनात्मक जांच करने तथा इसको सुव्यवस्थित एवं अद्यतन बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उपायों की सिफारिश करेगा, जिससे मूल सांख्यिकी की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार होगा।

[हिन्दी]

रुग्ण इकाइयां

2841. श्री जोरा सिंह मान :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान उनकी संख्या क्या थी;

(ग) उक्त वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष लघु उद्योगों की रुग्ण इकाइयों की संख्या कितनी थी; और

(घ) इस रुग्णता के कारण अनुप्रयोज्य आस्तियों के रूप में कितनी पूंजी अनुत्पादक हो गई हैं तथा इस रुग्णता के मुख्य कारण क्या हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान देश में लघु उद्योग इकाइयों की अनुमानित संख्या क्रमशः 30.14 लाख, 31.21 लाख और 32.25 लाख थी।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मार्च, 1998 और 1999 के अंत तक रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की संख्या क्रमशः 2,21,536 तथा 3,06,221 थी। मार्च, 2000 को समाप्त होने वाली अवधि की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) पूंजी जो इस रुग्णता के कारण गैर-निष्पादन परिसम्पत्तियों के रूप में अनुत्पादक हो गई है, से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि, मार्च, 1998 और 1999 के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इन रुग्ण इकाईयों से संबंधित बकाया राशि क्रमशः 3856.64 करोड़ रुपये और 4313.48 करोड़ रुपये थी। रुग्णता के मुख्य कारण ऋण की अपर्याप्तता, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, विपणन समस्यायें, आधारिक संरचना दबाव, दोषपूर्ण योजना, प्रबंधन की खामियां आदि हैं।

[अनुवाद]

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के लिए धनराशि

2842. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों को खोलने/उन्नयन करने के लिए कुल कितनी राशि मंजूर की गई है;

(ख) क्या सरकार का कटक में कुछ "रफरल" अस्पतालों को अपने अधीन लाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अपेक्षित राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों को उन्नत करने/आधुनिकीकरण करने हेतु मंजूर की गई निधि राशि निम्नानुसार है:

(रुपये में)

	1997-98	1998-99	1999-2000
उड़ीसा	75,55,000	86,09,787	53,19,120
कर्नाटक	57,64,000	97,60,000	32,34,400
महाराष्ट्र	16,00,000	—	3,36,85,000

(ख) से (घ) कर्मचारी राज्य बीमा, लाभभोगियों को विशेषज्ञता और उच्च विशेषज्ञता सेवाएं प्रदान करने के लिए कटक में श्री रामचन्द्रन अंग चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल नाम से एक रेफरल अस्पताल पहले से ही मौजूद है। इसके अतिरिक्त कटक में और इसके निकटवर्ती स्थानों में क.रा.बी. लाभभोगियों को अस्पताल के अन्दर सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए चौद्वार में 100 बिस्तरों वाला एक क.रा.बी. अस्पताल भी स्थित है।

कृषि आधारित उद्योग

2843. डा. ए.डी.के. जयशीलन : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश भर में स्थापित किए गए कृषि और ग्रामीण उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के तिरुचेनदूर में कोई कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) सारे देश में स्थापित कृषि और ग्रामीण उद्योगों के रख-रखाव संबंधी ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। उद्योगों के संवर्धन की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। तथापि, केन्द्रीय सरकार वित्त की उपलब्धता सुविधा प्रदान करके कच्चा माल, प्रौद्योगिकी, मार्किटिंग और संस्थागत बुनियादी संरचना की सृजन सुविधा प्रदान करके राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करती है।

[हिन्दी]

प्राकृतिक आपदाएं

2844. श्री थावर चन्द गेहलोत :
श्री लक्ष्मण सेठ :
श्री जयप्रकाश :
श्री जितेंद्र प्रसाद :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'नेशनल एलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेण्ट' (एन.ए.पी.एम.) ने सूखे की घटना के बार-बार होने को देखते हुए केन्द्र और राज्य सरकारों से देश में सूखे की स्थितियों से मुकाबला करने के लिए दीर्घकालिक उपाय करने को कहा है;

(ख) क्या यह खराब नियोजन और कतिपय क्षेत्रों में नियोजनहीनता का परिणाम है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए राज्य सरकारों की ओर से केन्द्रीय बजट में प्रावधान करने की मांग की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एन.सी.आर.एफ.) की ओर से तमिलनाडु को धनराशि का जारी करना पिछले दस वर्षों से लंबित है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस राज्य को धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(ज) रा.आ.स.को. द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता मुहैया करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (ग) कृषि मंत्रालय ने नेशनल एलायंस ऑफ पिपुल्स मूवमेंट की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं देखी है।

(घ) और (ङ) प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आवश्यक राहत उपाय शुरू करने के लिए आपदा राहत कोष में सुलभ आवंटन है, जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारें 3:1 के अनुपात में अंशदान देती हैं। आपदा राहत कोष का केन्द्रीय अंश राज्यों को किस्तों में निर्मुक्त किया जाता है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) राष्ट्रीय आपदा राहत कोष की स्कीम 31.3.2000 को समाप्त हो गई है। वर्ष 1995-2000 के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत

कोष से निर्मुक्ति राज्य के ज्ञापन, केन्द्रीय दल की रिपोर्ट और अंतर्मंत्रालयीय दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा राहत समिति, जो राष्ट्रीय विकास परिषद की उप समिति है, द्वारा निर्धारित की गई थी।

कमजोर वर्गों और महिलाओं को वरीयता

2845. डा. जसवंत सिंह यादव : क्या लघु उद्योग और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेषकर राजस्थान के अलवर जिले में 1999-2000 के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत लाभ पाने हेतु शिक्षित बेरोजगार युवाओं से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से कितने आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है और विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत कमजोर वर्गों और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) राजस्थान के अलवर जिले से प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 1999-2000 के लिए लाभ हेतु 1075 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए।

(ख) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत अलवर जिले से 1999-2000 के लिए प्राप्त सभी 1075 प्रार्थना-पत्र जिला उद्योग केन्द्र कार्यदल समिति द्वारा बैंकों को भेज दिये गये। बैंकों को प्रार्थना-पत्रों के भेजने की राजस्थान सरकार द्वारा देरी किए जाने की कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) यह योजना अ.जा./अ.ज. जातियों के 22.5% और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण पर बल देती है। महिलाओं सहित कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है।

इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनु. जन. जातियों, भू.पू. सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों और महिलाओं को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष अर्थात् 35 वर्ष से 45 वर्ष तक की छूट दी गई है।

(ङ) ऊपर (ग) और (घ) के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

जलचर-पालन

2846. श्री प्रभात सामन्त राय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में मीठे पानी में जलचर-पालन को प्रोत्साहन प्रदान करने की अपार संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस राज्य के चक्रवात-प्रभावित जिलों में जलचर-पालन को प्रोत्साहन देने के लिए कौन से विशेष कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां। उड़ीसा में ऐसे 1,14,838.73 हैक्टेयर तालाब और टैंक हैं जहां राज्य में ताजा जल जलकृषि को संवर्धित करने की संभावना है।

(ख) मात्स्यिकी राज्य का विषय है और मंत्रालय मात्स्यिकी का विकास करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता कर रहा है और उनकी प्रतिपूर्ति कर रहा है। "ताजा जल जलकृषि का विकास" एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसे 30 मत्स्य कृषक विकास एजेंसियों के माध्यम से उड़ीसा राज्य में भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। ये एजेंसियां मत्स्य कृषकों को तकनीकी, वित्तीय तथा विस्तार समर्थन प्रदान करती हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान, राज्य सरकार को 120 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है और राज्य में कार्यरत मत्स्य कृषक विकास एजेंसियां 5985 हैक्टेयर जल क्षेत्र को वैज्ञानिक मत्स्य पालन के तहत लाई हैं। 4907 मछुआरों को उन्नत मत्स्य पालन प्रणालियों में प्रशिक्षण भी दिया गया है।

(ग) और (घ) हाल ही में उक्त योजना में संशोधन किया गया है और विकासीय गतिविधियों पर खर्च भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच 50:50 के अनुपात की जगह 75:25 के आधार पर वहन किया जाएगा। चल रहे घटकों के अलावा, आज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ताजा जल प्रॉन बीज हैचरियों का सृजन तथा नैदानिक प्रयोगशालाओं जैसे नए घटक भी शुरू किए गए हैं। उड़ीसा के तूफान प्रभावित जिलों में जलकृषि

योग्य अत्यधिक संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए राज्य इस कार्यक्रम के तहत ताजा जल जलकृषि की कवरेज बढ़ाने के लिए योजना के अंतर्गत और अधिक केन्द्रीय सहायता का लाभ उठा सकता है।

[हिन्दी]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में अनियमितताएं

2847. डा. बलिराम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यालय में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और धन के दुरूपयोग की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो उक्त जांच के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) इस प्रकार की कोई आम शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आई.एल.ओ.

2848. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जून, 2000 में जिनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) के 88वें सत्र में प्रतिनिधित्व किया था;

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा सत्र में दिए गए वक्तव्य की सामग्री क्या है;

(ग) क्या प्रतिनिधियों द्वारा कृषि श्रमिकों से संबंधित दिए गए वक्तव्य के मद्देनजर सरकार द्वारा आगामी सत्र के दौरान संसद में कृषि श्रमिकों संबंधी एक व्यापक विधेयक लाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) और (ख) भारत के एक त्रिपक्षीय शिष्ट मण्डल ने जेनेवा में 30 मई से 15 जून, 2000 तक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 88वें सत्र में भाग लिया था। सम्मेलन में विचार के लिए कृषि में सुरक्षा और स्वास्थ्य कार्यसूची मदों में से एक थी जिस पर एक अलग सम्मेलन समिति द्वारा विचार किया गया था। सम्मेलन के प्रारम्भ में कृषि में स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी समिति की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श के समय, आन्ध्र प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री ने भारतीय पक्ष की ओर से एक वक्तव्य दिया था। वक्तव्य का पाठ विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) मंत्री महोदय ने, अन्य बातों के साथ-साथ इस बारे में भी एक वक्तव्य दिया था कि भारत में कृषि कर्मकारों को सामाजिक संरक्षण और कल्याण उपाय मुहैया करने के उद्देश्य से सरकार कुछ समय से उनके लिए एक व्यापक विधान तैयार करने के कार्य में लगी है। इस मुद्दे पर आम राय बनाने के उद्देश्य से परामर्श प्रक्रिया अभी चल रही है। इस मामले में आम राय बनते ही प्रस्तावित विधेयक पुर:स्थापित किया जाएगा।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश के श्रम मंत्री द्वारा जून, 2000 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में दिए गए भाषण का मूल पाठ

खेतिहर कामगारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के कार्य के लिए हमारे देश का समर्थन प्राप्त करने के लिए मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे देश में खेतिहर कामगारों की संख्या सबसे अधिक, लगभग 150 मिलियन है, और हम एक राष्ट्र तथा एक सरकार के रूप में उनके कल्याण, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के लिए कृतसंकल्प हैं। अंतर्राष्ट्रीय विलेखों को तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा की गई पहल, जो खेतिहर कामगारों के लिए स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के संबंध में एक सिफारिश द्वारा अनुपूरित एक अभिसमय है, समय पर की गई तथा सराहनीय पहल है। कृषि संबंधी कार्य का दायरा बहुत व्यापक है, यह अत्याधुनिक फार्मों और बागानों से लेकर छोटे, मध्यम आकार वाले तथा सीमान्त किसानों द्वारा की गई खेती, तथा बंटाईदारों, आबादकरों तथा स्वदेशी लोगों द्वारा की गई खेती तक फैला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अनुमान लगाया है कि विश्व में कृषि संबंधी उत्पादन में लगभग 1.3 बिलियन कामगार लगे हुए हैं तथा वार्षिक रूप से ऐसे कामगारों के बीच लगभग 170,000 घातक कार्यस्थल दुर्घटनाएं होती हैं। यह क्षेत्र, खनन और निर्माण सहित, तीन

अत्यधिक दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में से एक माना जाता है। अतः, ऐसे कर्मकारों को संरक्षण और सुरक्षा मुहैया कराने की जरूरत अपने आप में स्पष्ट है। विकासशील देशों में अधिकांश जोतधारक छोटे अथवा मध्यम स्तर के हैं और बहुधा पूरा परिवार खेती के कार्यों में ही लगा रहता है। सामान्य तौर पर ऐसे कर्मकार गरीब हैं, कम शिक्षित हैं, कुपोषण से पीड़ित हैं और लगातार अस्वस्थता के शिकार रहते हैं। उनकी सामाजिक और स्वास्थ्य देख-रेख तक भी पहुंच नहीं होती है। उनमें से अधिकांश को गरीबी की स्थिति और आर्थिक रूप से अलाभकर क्षेत्रों से निकल कर अधिक समृद्ध क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तलाशने के लिए प्रवास करना पड़ता है। उनमें से कुछ ठेकेदारों के माध्यम से प्रवास के लिए जाते हैं। ये सभी निर्दयी नियोजकों द्वारा सामाजिक बहिष्करण तथा शोषण जैसे विभिन्न किस्म के मानसिक आघातों के दौर से गुजरते हैं। भारत में, लगभग 150 मिलियन कृषि कर्मकार हैं। जो सामान्य तौर पर समाज के सबसे गरीब और अलाभकर तबके से संबंध रखते हैं। उनके कार्य और रहन-सहन की दशाएं कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, बागान श्रम अधिनियम, 1951, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, कीटनाशी अधिनियम, 1968, ठेका श्रम अधिनियम और उत्सादन अधिनियम, 1970, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979, खतरनाक मिशन विनियमन अधिनियम, 1979 और बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम, 1983 जैसे विभिन्न श्रम कानूनों के दायरे में आती हैं।

इनमें से अधिकांश कानूनों में कृषि कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रावधान हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर इस दिशा में और अधिक खर्च किए जाने की जरूरत है। भारत में कृषि कर्मकारों के लिए सामाजिक संरक्षण और कल्याण उपाय मुहैया कराने के उद्देश्य से, हम अब कुछ समय से उनके लिए एक व्यापक कानून बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। अतः हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा उठाए गए इस कदम का स्वागत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के दस्तावेज के उपबंध पर्याप्त रूप से व्यापक हैं और जब लागू किए जाएंगे तो निःसंदेह विश्व के अधिसंख्य कर्मकारों को अत्यधिक राहत मिलेगी और वास्तव में ग्रामीण भारत के बहुसंख्य कर्मकार इससे राहत महसूस करेंगे। अतः यह संतोष का विषय है कि कृषि के बारे में सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समिति ने अपने पहले दौर का विचार-विमर्श पूरा कर लिया है और इस विषय पर मसौदा निष्कर्ष तैयार कर लिया है।

इस बात को मानते हुए कि कुछ मानकों से ऐसे अभिसमय का अनुसमर्थन करने की इच्छा रखने वाले कुछ विकासशील देशों को मुश्किलें आएगीं, फिर भी हम इस प्रस्ताव का प्रबल समर्थन करते हैं, जो कृषि क्षेत्र में स्वस्थ्य और सुरक्षित कार्य-स्थल सुनिश्चित करने के लिए बहुत सहायक होगा।

[हिन्दी]

विकलांगों हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण

2849. श्री खेलसाय सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पोलीटेक्निक संस्थाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकार की ओर से विकलांग व्यक्तियों को नौकरियां देने के लिए रोजगार कार्यक्रम के विस्तार में शामिल होने के बारे में भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) और (ख) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु विद्यमान पॉलीटेक्निकों के उन्नयन हेतु सरकार पॉलीटेक्निक जबलपुर एवं एस.वी. सरकारी पॉलीटेक्निक भोपाल नामक दो पॉलीटेक्निकों का चयन केन्द्र प्रवर्तित योजना को कार्यान्वित करने के लिए किया गया है। दोनों संस्थाओं का उन्नयन करने हेतु एक विकास योजना तैयार करने के लिए तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (टी.टी.टी.आई.) भोपाल को इनका दौरा करने के निदेश दिए गए हैं ताकि ये संस्थान योजना को प्रभावी रूप से कार्यान्वित कर सकें। ऊपर उल्लिखित दो पॉलीटेक्निकों में से प्रत्येक को 1.25 लाख रुपए की धनराशि की मंजूरी दी जा चुकी है तथा टी.टी.टी.आई. भोपाल की रिपोर्ट के आधार पर और अधिक अनुदान देने पर विचार किया जाएगा।

(ग) और (घ) न तो श्रम मंत्रालय को और न ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

पुनर्वास केन्द्र

2850. डा. बलिराम : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विकलांगों के पुनर्वास हेतु राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार कितने पुनर्वास केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार विकलागों को चिकित्सा प्रदान करने हेतु कुछ और समन्वित पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) वर्तमान में छः राष्ट्रीय संस्थान/शीर्ष स्तरीय संस्थाएं, चार क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्र और ग्यारह जिला पुनर्वास केन्द्र हैं। जिला पुनर्वास केन्द्र 10 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में स्थित हैं।

(ख) से (घ) 1. विकलांग व्यक्तियों के घरों पर व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए सौ से अधिक जिलों की पहचान की गई है। ऐसे केन्द्रों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

2. विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं के लिए पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने और प्रशिक्षण तथा जनशक्ति विकास, अनुसंधान संवर्धन एवं जिज्ञासा उत्पन्न करने हेतु अवसंरचना सृजन के लिए जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों के लिए संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों (सी.आर.सी.) की एक योजना अनुमोदित की गई है।

3. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उड़ीसा राज्यों के लिए सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु मेरूदंड क्षतिग्रस्त व्यक्तियों और अन्य अस्थि विकलांग व्यक्तियों के लिए चार क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्रों की एक योजना 90:10 के आधार पर केन्द्र और राज्य की हिस्सेदारी से केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में अनुमोदित की गई है।

4. इसके अतिरिक्त, विकलांग व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य/जिला/ब्लाक और ग्राम पंचायत स्तर पर अवसंरचना सृजन के लिए राज्य क्षेत्र में एक नई चार श्रेणी योजना नामतः विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया है।

विवरण

विकलांग व्यक्तियों हेतु जिला फिटमेंट केन्द्रों की राज्यवार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रों की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	3
असम	4
अरुणाचल प्रदेश	2
बिहार	11
गुजरात	5
गोवा	1
हरियाणा	3
हिमाचल प्रदेश	2
जम्मू व कश्मीर	2
कर्नाटक	5
केरल	2
मिजोरम	1
मेघालय	1
मणिपुर	1
महाराष्ट्र	5
मध्य प्रदेश	11
नागालैंड	1
उड़ीसा	5
पंजाब	3
राजस्थान	5
सिक्किम	1
त्रिपुरा	1
तमिलनाडु	6
उत्तर प्रदेश	17

1	2
पश्चिम बंगाल	3
अंडमान और निकोबार	1
चंडीगढ़	1
दमन और दीव	1
लक्षद्वीप	1
दादर और नगर हवेली	1

[अनुवाद]

पिछड़े वर्गों के विकलांगों को ऋण

2851. श्री टी. गोविन्दन : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को सामाजिक क्रियाकलापों और आवासीय प्रयोजनार्थ पिछड़े वर्गों के निर्धन परिवारों को ऋण देने के लिए केरल राज्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना पिछड़े वर्गों के पात्र सदस्यों को स्व-रोजगार योजनाएं शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक लाभ न कमाने वाली कम्पनी के रूप में की गई है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. राज्य सरकार द्वारा नामांकित राज्य माध्यम एजेंसियों के द्वारा ऋण प्रदान करता है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा केवल पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड सहित 7 राज्य माध्यम एजेंसियों को सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

के.बी.सी.डी.सी. द्वारा आवास ऋण सम्बन्धी एक प्रस्ताव दिनांक 19.6.2000 को प्रस्तुत किया गया। ए.बी.सी.एफ.डी.सी. केवल आय सृजक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, आवास के लिए नहीं। के.बी.सी.डी.सी. को इस स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

कुक्कुट के प्रति निर्ममता

2852. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुक्कुट अनेक प्रकार की निर्ममता के शिकार होते हैं;

(ख) क्या इन निर्ममताओं के कारण यूरोपीय संघ ने पिंजड़ाबन्दी को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एनिमल राइट्स इंटरनेशनल ने इन निर्ममताओं के विरुद्ध अभ्यावेदन दिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री द्वारा उक्त निर्ममता को लेकर लोगों से की गई अपील के प्रभाव का कोई जायजा लिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यूरोपीय संघ परिषद ने अण्डे देने वाली मुर्गियों के संरक्षण के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करते हुए 19 जुलाई, 1999 को परिषद निर्देश 1999/74/ई.सी. जारी किया है। इस निर्देश के अध्याय-1 के अनुच्छेद 4 में प्रावधान है कि सदस्य राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि 1.1.2002 से अण्डे देने वाली मुर्गियों के लिए पहली बार उपयोग में लाई गई सभी नव निर्मित अथवा पुनर्निर्मित उत्पादन पद्धतियां कम से कम स्थान, पेयजल सुविधाओं आदि से संबंधित विशिष्ट जरूरतों को पूरा करेंगी। तथापि, सदस्य राज्यों को 1.1.2012 तक पिंजड़ा पद्धतियों को जारी रखने की अनुमति दी गई है लेकिन जैसा कि निर्धारित किया गया है स्थान, पेयजल सुविधा आदि से संबंधित न्यूनतम जरूरतों को पूरा किया जाए। 1.1.2003 से किसी पंजड़े का निर्माण नहीं किया जाए अथवा पहली बार उपयोग में नहीं लाया जाए।

(घ) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, एनिमल राइटस इंटरनेशनल से इन निर्ममताओं के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) भारत के प्रधानमंत्री जी ने पशुओं के प्रति अधिक मानवीय व्यवहार के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को 31 मई, 2000 को पत्र लिखा है। अनेक राज्य सरकारों ने जवाब दिया है कि उन्हें पत्र प्राप्त हो गया है और मामले की जांच की जा रही है। अभी तक कोई जायजा नहीं लिया गया है क्योंकि इस स्तर पर प्रभाव का जायजा लेना बहुत जल्दबाजी होगी।

भारतीय पुनर्वास परिषद

2853. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय पुनर्वास परिषद के संविधान, लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं और वर्ष 1999-2000 के दौरान इस पर कितना व्यय हुआ है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा कितना योगदान दिया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसको जारी रखने के लिए इसकी समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) भारतीय पुनर्वास परिषद में एक सदस्य सचिव सहित 25 सदस्य हैं और इसके प्रमुख एक अध्यक्ष हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद के कार्यों में (1) विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मानकीकरण (2) सम्पूर्ण देश के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण मानक का विनियमन (3) देश के भीतर तथा बाहर परस्पर आधार पर संस्थानों/विश्वविद्यालयों, में उनके प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए मान्यता प्रदान करना, तथा (4) पुनर्वास के क्षेत्र में व्यावसायिकों के लिए एक पुनर्वास रजिस्टर का रखरखाव शामिल हैं। पिछले वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान 7.52 करोड़ रु. का व्यय किया गया।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) भारतीय पुनर्वास परिषद के कार्यकरण की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा किया गया योगदान इस प्रकार है:-

(1) *संस्थानों को मान्यता :* वर्ष 1997-98 तक इस परिषद द्वारा 114 विश्वविद्यालयों/संस्थानों को स्थाई/अनन्तिम मान्यता प्रदान की गई थी। वर्ष 1998-99 के दौरान इसमें 5 और संस्थानों को जोड़ा गया था। इस प्रकार कुल संख्या 119 हो गई। मार्च, 2000 तक इस परिषद द्वारा कुल 124 संस्थानों को मान्यता प्रदान की गई थी।

(2) *प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मानकीकरण :* वर्ष 1997-98 तक इस परिषद ने 48 अल्पावधि/दीर्घावधि का प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए। वर्ष 1998-99 में दो और पाठ्यक्रम विकसित किए गए। वर्ष 1999-2000 के दौरान तीन नए पाठ्यक्रम विकसित किये गये। इस प्रकार 31 मार्च, 2000 तक कुल 53 पाठ्यक्रमों का मानकीकरण किया गया है। वर्तमान शैक्षिक वर्ष 2000-2001 के दौरान शुरू करने के लिए छः (6) और पाठ्यक्रमों का अनुमोदन किया गया है।

(3) *केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर :* पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर के अंतर्गत इस परिषद ने निम्न प्रकार से व्यावसायिकों/कार्मिकों को पंजीकृत किया था:

वर्ष 1997-98	544
वर्ष 1998-99	4211
वर्ष 1999-2000	6172

राष्ट्रीय ब्रिज पाठ्यक्रम : इस परिषद ने सम्पूर्ण देश में 150 संस्थाओं के माध्यम से 8600 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। यह कार्यक्रम जारी है।

विकलांगता प्रबंधन के लिए चिकित्सा अधिकारी के अभिविन्यास पर राष्ट्रीय कार्यक्रम: 20 राज्यों में 2400 चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया गया है। यह योजना जारी है।

बाल श्रमिक

2854. श्रीमती रेणुका चौधरी :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में और विशेषरूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और असम में बाल श्रमिकों की संख्या से संबंधित कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में बाल श्रमिकों की अनुमानित संख्या कितनी है तथा उनके नियोजन की प्रकृति कैसी है एवं वे किस दशा में काम करते हैं; और

(घ) गत दस वर्षों के दौरान ऐसे बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने तथा उनका पुनर्वास करने हेतु क्या प्रयास किए गए एवं इस प्रयोजन हेतु कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) से (ग) बाल श्रम से संबंधित प्रामाणिक आंकड़े 10-वर्षीय जनगणना के दौरान एकत्र किए जाते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार देश में कामकाजी बच्चों की कुल संख्या 11.28 मिलियन है। जनगणना रिपोर्टों के अनुसार राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(घ) भारत सरकार कार्य से हटाए गए बच्चों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना और स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना नामक दो योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। सभी बाल श्रमिक योजनाओं के अन्तर्गत 1995-96 से 1999-2000 तक के दौरान कुल व्यय की राशि 14659 लाख रुपये हैं।

विवरण

1991 की जनगणना के अनुसार कामकाजी बच्चों का राज्यवार विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मुख्य कामगार	सीमांत कामगार	कुल कामगार
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	1,537,293	124,647	1,661,940
2. असम	259,953	67,645	327,598
3. बिहार	795,444	1,46,801	942,245
4. गुजरात	373,027	150,558	523,585
5. हरियाणा	89,030	20,661	109,691
6. हिमाचल प्रदेश	30,771	25,667	56,438
7. जम्मू और कश्मीर	**	**	**
8. कर्नाटक	818,159	158,088	976,247
9. केरल	28,590	6,210	34,800
10. मध्य प्रदेश	997,940	354,623	1,352,563
11. महाराष्ट्र	805,847	262,571	1,068,418
12. मणिपुर	13,478	3,015	16,493
13. मेघालय	30,730	3,903	34,633
14. नागालैंड	16,106	370	16,476
15. उड़ीसा	325,250	127,144	452,394

	1	2	3	4
16.	पंजाब	132,414	10,454	142,868
17.	राजस्थान	490,522	283,677	774,199
18.	सिक्किम	5,254	344	5,598
19.	तमिलनाडु	523,125	55,764	578,889
20.	त्रिपुरा	13,506	2,972	16,478
21.	उत्तर प्रदेश	1,145,087	264,999	1,410,086
22.	पश्चिम बंगाल	593,387	118,304	711,691
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	758	507	1,265
24.	अरुणाचल प्रदेश	11,632	763	12,395
25.	चंडीगढ़	1,839	31	1,870
26.	दादरा और नगर हवेली	2,677	1,739	4,416
27.	दिल्ली	26,670	681	27,351
28.	दमण और दीव	741	200	941
29.	गोवा	3,938	718	4,656
30.	लक्षद्वीप	17	17	34
31.	मिजोरम	6,391	10,020	16,411
32.	पांडिचेरी	2,565	115	2,680
	कुल	9,082,141	2,203,208	11,285,349

**जनगणना नहीं की जा सकी।

टिप्पणी : 1991 के आंकड़े 5-14 आयु वर्ग के कामगारों से संबंधित हैं।

महिला कामगारों की दयनीय स्थिति

2855. श्री सुरेश रामराव जाधव :
श्री वरकला राधाकृष्णन :
श्री आर.एस. पाटील :
श्री जी.जे. जावीया :
श्री चन्द्रकांत खैरे :
डा. जसवंत सिंह यादव :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग की महिला कामगारों के उत्पीड़न के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्योग में कार्यरत महिला कामगारों को नियमानुसार मजदूरी नहीं दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग की महिला कामगारों के काम-काज और उनके जीवन स्तर का अध्ययन करने के लिए किसी कृतक बल का गठन करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग की महिला कामगारों के कल्याणार्थ सरकार द्वारा क्या नए कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 9 जुलाई, 2000 को टाइम्स ऑफ इंडिया में समाचार प्रकाशित होने के बाद महाराष्ट्र के थाणे जिले में उत्पीड़न का एक मामला ध्यान में आया। मामले की जांच-पड़ताल करवाई गयी और यह पाया गया कि उक्त मामले को मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही निपटा दिया गया है। न्यायालय के निदेश के अनुपालन में कंपनी ने पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया है।

(ग) और (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में कर्मकारों की भिन्न-भिन्न श्रेणियों हेतु न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण, तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनके आवधिक संशोधन का प्रावधान है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में पुरुष और महिला कामगारों के लिये समान पारिश्रमिक का प्रावधान है। ये अधिनियम लिंगभेद (सैक्स) के आधार पर कोई भेद नहीं करते हैं। ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों में ऐसे कर्मकारों के लिए विभिन्न कल्याण तथा स्वास्थ्य उपायों का प्रावधान है। इन अधिनियमों और विनियमों के उल्लंघन के मामलों पर समुचित सरकार उपयुक्त कार्रवाई करती है।

(ङ) से (छ) सरकार ने मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग में नियोजित महिला कामगारों की कार्य परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है। कार्यबल ने महिला कर्मकारों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की पहचान करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

कश्मीर मुद्दे के बारे में चीन का दृष्टिकोण

2856. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल द्वारा हाल की चीन यात्रा के फलस्वरूप कश्मीर मुद्दे के संबंध में उस देश के दृष्टिकोण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कश्मीर मुद्दे पर महाशक्तियों का रवैया

2857. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस और अन्य महाशक्तियों ने कश्मीर में पाक-प्रायोजित आतंकवाद सहित मुद्दे पर भारत की स्थिति की बेहतर समझ के साथ अपने रवैये में कोई परिवर्तन दर्शाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) महाशक्तियों सहित अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय खुले तौर पर जम्मू और कश्मीर में सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका को और हमारे देश तथा क्षेत्र की सुरक्षा पर इसके दुष्प्रभाव को स्वीकार करता है।

(ख) अनेक सरकारों के प्रवक्ताओं द्वारा आधिकारिक वक्तव्यों में तथा पाकिस्तान पर अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया कवरेज में भी बढ़ती हुई इस जागरूकता को प्रतिलक्षित किया जा रहा है अपनी भारत यात्रा के दौरान अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने यह स्वीकार किया था कि पाकिस्तान सरकार में ऐसे तत्व हैं जिन्होंने कश्मीर में हिंसा में लिप्त लोगों को समर्थन दिया है। आतंकवाद से संबंधित अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट में समन्वयक ने 12 जुलाई, 2000 को दक्षिण एशिया में सार्वभौम आतंकवाद से संबंधित हाउस इण्टरनेशनल कमेटी को बताया था कि पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र में आतंकवादियों को रहने और स्वतंत्रतापूर्वक घूमने-फिरने दिया। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद में लिप्त अनेक कश्मीर अलगाववादी ग्रुप और साम्प्रदायिक ग्रुप पाकिस्तान का आधार के रूप में उपयोग करते हैं। कुछ देशों ने धार्मिक और राजनीतिक अतिवाद, आतंकवाद और अलगाववाद के विरुद्ध भारत के साथ मिलकर कार्यवाही करने के लिए अपनी वचनबद्धता भी व्यक्त की है।

दाना और चारा विकास योजना

2858. श्री आर.एल. जालप्पा :
श्री कृष्णमराजू :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में मवेशियों की कुल कितनी संख्या थी और राज्यवार पशुओं की बीमारियों पर नियंत्रण पाने के लिए कितनी धनराशि नियत की गई;

(ख) मवेशियों और लोगों की संख्या का क्या अनुपात है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में प्रतिवर्ष मवेशियों और चारा उत्पादन की वृद्धि दर संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) दाने और चारे का उत्पादन बढ़ाने संबंधी कौन सी केन्द्रीय योजना लागू की गई है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने उपरोक्त योजना की उपलब्धियों के संबंध में कोई समीक्षा की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) वर्ष 2000-2001 के दौरान दाना और चारा विकास योजना के लिए प्रत्येक राज्य, विशेषत: कर्नाटक को कितनी राशि जारी की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) देश की पशुधन संख्या 470.86 मिलियन (पशुधन गणना 1992) है। विगत तीन वर्षों के दौरान पशु रोगों के नियंत्रण के लिए किया गया राज्यवार आबंटन संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ख) अनुपात 1:2 है।

(ग) पशुधन की विकास दर 1.12 प्रतिशत है। विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों में चारा उत्पादन संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है।

(घ) क्रियान्वित की जा रही योजनाएं हैं:-

(1) चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन के लिए विभिन्न कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों में स्थित 7 केन्द्रीय क्षेत्रीय केन्द्रों सहित केन्द्रीय चारा विकास संगठन। एक केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म, हैस्सरघट्टा तथा केन्द्रीय चारा फसल मिनिकिट परीक्षण कार्यक्रम।

(2) निधि पद्धति के साथ सात घटकों वाली "आहार एवं चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्र : राज्य):- (1) चारा बीज उत्पादन फार्म का सुदृढ़ीकरण (75:25), (2) चारा बैंक की स्थापना (75:25), (3) पंजीकृत बीज उत्पादकों के माध्यम से चारा बीज उत्पादन (25:75), (4) भूसा/सेल्यूलोसिक अपशिष्ट का संवर्धन (100:00), (5) सिल्वीपाश्चर प्रणाली की स्थापना (100:00), (6) ग्रास रिजर्वों सहित चारागाह का विकास (100:00), (7) क्षेत्र, उत्पादन तथा चारे की आवश्यकता के लिए नमूना सर्वेक्षण (100:00)।

(ङ) और (च) क्षेत्रीय केन्द्रों तथा केन्द्रीय फार्मों की समीक्षा की गई है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की निगरानी की जा रही है।

(छ) राज्य सरकारों से 2000-2001 के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है। कर्नाटक सहित राज्यों से परियोजना प्रस्तावों की प्रतीक्षा है। अत: निधि की निर्मुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

केन्द्रीय प्रायोजित योजना - पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता के तहत राज्यवार प्रदान की गई सहायता

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	सुव्यवस्थित नियंत्रण			खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण			ए.डी.एस. नियंत्रण		
		1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3.00	2.58	शून्य	2.71
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.00	1.50	1.00	1.75	3.00	2.00	1.00	1.75	0.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	असम	शून्य	30.00	शून्य	शून्य	20.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	बिहार	शून्य	25.00	शून्य	शून्य	25.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	गोवा	2.00	1.12	1.32	4.00	0.55	1.36	4.50	शून्य	2.30
6.	गुजरात	13.05	शून्य	24.4	3.50	30.00	शून्य	3.66	शून्य	2.48
7.	हरियाणा	शून्य	23.66	20.66	शून्य	8.50	6.66	शून्य	शून्य	6.262
8.	हिमाचल प्रदेश	11.00	12.00	10.82	6.00	6.60	6.50	1.26	2.50	0.982
9.	जम्मू एवं कश्मीर	शून्य	शून्य	8.00	4.00	शून्य	4.00	शून्य	शून्य	9.00
10.	कर्नाटक	53.85	शून्य	59.00	50.00	शून्य	65.00	7.93	6.19	5.33
11.	केरल	शून्य	शून्य	36.66	शून्य	6.08	4.00	शून्य	5.00	3.32
12.	मध्य प्रदेश	31.57	शून्य	9.14	57.27	शून्य	4.42	शून्य	शून्य	शून्य
13.	महाराष्ट्र	29.80	शून्य	26.14	15.40	शून्य	43.26	4.55	शून्य	4.032
14.	मणिपुर	8.00	शून्य	4.77	2.00	शून्य	5.00	1.33	शून्य	1.582
15.	मेघालय	3.90	शून्य	6.40	1.60	शून्य	5.00	1.75	शून्य	2.166
16.	मिजोरम	30.00	35.00	2.32	8.00	9.00	6.33	12.00	12.00	8.00
17.	नागालैंड	शून्य	शून्य	6.32	10.40	शून्य	1.00	शून्य	शून्य	10.00
18.	उड़ीसा	105.20	70.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	पंजाब	20.00	शून्य	20.00	25.00	शून्य	75.00	शून्य	10.00	शून्य
20.	राजस्थान	20.28	शून्य	17.56	शून्य	शून्य	2.58	4.90	शून्य	1.37
21.	सिक्किम	शून्य	शून्य	3.00	7.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	तमिलनाडु	30.00	शून्य	18.5	20.00	शून्य	6.50	4.19	शून्य	3.293
23.	त्रिपुरा	2.50	20.00	13.32	4.52	शून्य	19.66	शून्य	शून्य	13.35
24.	उत्तर प्रदेश	शून्य	50.00	29.67	29.50	50.00	28.73	शून्य	शून्य	3.343
25.	प. बंगाल	47.65	25.00	40.00	30.00	25.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	409.8	293.28	380.00	279.94	183.70	290.00	49.65	37.44	80.00
26.	अंड. व नि. द्वीप समूह	1.48	शून्य	5.00	शून्य	शून्य	1.00	2.20	शून्य	7.33
27.	चण्डीगढ़	3.00	शून्य	1.75	0.70	शून्य	0.80	शून्य	शून्य	शून्य
28.	दादर व नगर हवेली	0.30	शून्य	शून्य	0.40	शून्य	शून्य	0.10	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	दमन एवं दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30.	दिल्ली	8.00	शून्य	8.00	8.00	शून्य	शून्य	2.50	शून्य	शून्य
31.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	3.25	शून्य	शून्य	0.20	शून्य	शून्य	2.67
32.	पांडिचेरी	0.25	शून्य	2.00	0.50	शून्य	1.50	2.50	शून्य	10.00
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	13.03	शून्य	2.00	9.60	शून्य	3.50	7.30	शून्य	20.00
	सकल योग	422.83	293.28	400	289.54	183.70	293.50	56.95	37.44	100.00

विवरण II

विगत तीन वर्षों के दौरान चारा उत्पादन

(मीट्रिक टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	21100000	22900000	22000000
2.	अरुणाचल प्रदेश	4980	5179	9838
3.	असम	6600	1150	5000
4.	बिहार	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
5.	गोवा	550000	570000	590000
6.	गुजरात	42800000	30200000	34400000
7.	हरियाणा	10524000	11326000	11380000
8.	हिमाचल प्रदेश	7800	7800	7800
9.	जम्मू एवं कश्मीर	3200000	3200000	—
10.	कर्नाटक	34286000	35172490	35566270
11.	केरल	2100000	2300000	2500000
12.	मध्य प्रदेश	170964	143279	157708
13.	महाराष्ट्र	41700000	46300000	48600000
14.	मेघालय	3722	4500	5000
15.	मणिपुर	2840000	2840000	2840000
16.	मिजोरम	55110	108500	63500

1	2	3	4	5
17.	नागालैंड	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
18.	उड़ीसा	52450	23313	19360
19.	पंजाब	70100000	71500000	75000000
20.	राजस्थान	55200000	56100000	48300000
21.	सिक्किम	500000	550000	उपलब्ध नहीं
22.	तमिलनाडु	39412000	39412000	39412000
23.	त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
24.	उत्तर प्रदेश	133600000	128600000	उपलब्ध नहीं
25.	प. बंगाल	125000	80000	उपलब्ध नहीं

विकलांग व्यक्ति

2859. श्री टी. गोविन्दन : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विकलांगों को सहायता और उपकरण उपलब्ध कराने के संबंध में अनुसंधान विकास और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु केरल स्टेट हैंडिकैप्ड फॉर रिसर्च डवलपमेंट एंड ट्रेनिंग से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां। केरल राज्य विकलांग व्यक्ति कल्याण निगम ने विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्रों और उपकरणों पर एक अनुसंधान तथा विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से एक परियोजना प्रस्ताव किया है।

(ख) और (ग) यह प्रस्ताव पहिएदार कुर्सी, हाथ से चलाए जाने वाली तिपहिया साइकिलों, कैलिपरों, क्रैचों, कृत्रिम अंगों तथा श्रवण सहायक यंत्रों जैसे यंत्रों तथा उपकरणों के निर्माण के लिए 150 लाख रुपए की अनुमानित लागत की निम्नलिखित वित्त पोषण की योजना से एक यूनिट की स्थापना के लिए है:-

(1) आसन ऋण केरल सरकार (10 वर्ष में भुगतान वापसी (समाज कल्याण विभाग)	25.00 लाख रुपए
(2) सरकार की सब्सिडी	25.00 लाख रुपए
(3) केन्द्र सरकार का अनुदान	100.00 लाख रुपए

आवेदक संगठन एक केरल सरकार द्वारा प्रोत्साहित पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है। मंत्रालय द्वारा "सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता संबंधी योजना" के नाम की एक योजना पहले ही कार्यान्वित की जा रही है जिसके अंतर्गत जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र और उपकरण गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं के माध्यम से वितरित किए जाते हैं। मंत्रालय केरल में इस योजना के अंतर्गत 6 संगठनों/संस्थाओं को पहले ही समर्थन दे रहा है। ग्रामीण पुनर्वास योजना के अंतर्गत कालीकट और त्रिवेन्द्रम के जिलों समेत समस्त भारत में 107 जिले संयुक्त फिटमेंट और पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना के लिए चुने गए हैं। इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एलिम्बको एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है जो पहले ही सहायक यंत्रों और उपकरणों के निर्माण और वितरण के क्षेत्र में है और अपने कार्यकलापों के विस्तार करने की योजना बना रहा है। इस प्रकार वर्तमान बदनबद्धता और निधियों की कमी को देखते हुए यह इस यूनिट की स्थापना करने में वित्तीय सहायता देने की स्थिति में नहीं है।

सिएरा लियोन में भारतीयों के जान-माल की सुरक्षा

2860. श्री अनिल बसु :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सिएरा लियोन में भारतीयों के जान-माल के खतरे के बारे में रिपोर्टों से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सिएरा लियोन में रहने वाले भारतीयों की संख्या कितनी है और उनमें से कितने भारत चले आए;

(घ) भारतीयों के जान-माल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वहां क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने घाना के डाक और तार विभाग की बकाया देय राशि का भुगतान नहीं किया था जिसके कारण भारतीय सैनिकों के लिए वहां डाक सेवाएं प्रतिबंधित हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) सियरा लियोन की सरकार और विद्रोही गुटों के बीच लगातार अवरोध के कारण आमतौर पर सभी विदेशियों के जान-माल को खतरा है जिनमें भारतीय और सियरा लियोन वासी भी शामिल हैं।

(ग) इस समय सियरा लियोन में लगभग 190 भारतीय हैं। हालांकि पता चला है कि कुछ भारतीय विशेषकर महिलाएं और बच्चे देश छोड़ चले गए हैं। उसमें से अब तक किसी के भी भारत आने का कोई रिकार्ड नहीं है।

(घ) सियरा लियोन में सभी विदेशियों के जान-माल की हिफाजल सुनिश्चित करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व मेजबान सरकार का होता है। आबिदजान स्थित हमारा मिशन जो इस समय सियरा लियोन के साथ सह-प्रत्यापित है, हमारे मानद कौंसल के जरिए उक्त देश की स्थिति की निरंतर निगरानी रख रहा है तथा सियरा लियोन में बसे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।

(ङ) और (च) घाना के डाक तथा तार विभाग को भारत सरकार द्वारा बकायों की अदायगी न करने के कारण सियरा लियोन में भारतीय सेना के निमित्त किसी डाक बैग को घाना में नहीं रोका गया था।

मैच फिक्सिंग स्कैंडल

2861. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री अनिल बसु :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बारे में दक्षिण अफ्रीक की सरकार द्वारा गठित किंग आयोग ने भारत सरकार से आवश्यक सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थित किया है

(ग) केंद्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, हां।

(ख) दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा मैच फिक्सिंग स्कैंडल के संबंध में गठित किंग आयोग ने भारत सरकार से हैंसी क्रोनिए की बातचीत की टेप की गई प्रति एवं दिल्ली पुलिस द्वारा दायर प्राथमिकी की एक प्रति देने का अनुरोध किया है।

(ग) भारत सरकार के संबंधित प्राधिकारी मौजूदा कानूनों की रूपरेखा के भीतर इस अनुरोध की जांच कर रहे हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 की धारा 12 की उपधारा (4) के अन्तर्गत बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 2000 जो 11 अप्रैल 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 328(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2180/2000]

(2) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 21 की उपधारा (2) के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2000 जो 7 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 498 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2181/2000]

(3) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2000 जो 25 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 79 में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2182/2000]

[अनुवाद]

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2000 जो 22 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 142 में प्रकाशित हुये थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2000 जो 22 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 143 में प्रकाशित हुये थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2000 जो 22 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 144 में प्रकाशित हुये थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (कॉडर संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2000 जो 24 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 228 में प्रकाशित हुये थे।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2000 जो 24 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 229 में प्रकाशित हुये थे।

(छह) सा.का.नि. 230 जो 24 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के मणिपुर-त्रिपुरा कॉडर के संबंध में भारतीय प्रशासनिक सेवा (कॉडर संख्या का नियतन) पहला संशोधन विनियम, 1998 से संबंधित 5 जनवरी, 2000 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 21(अ) का शुद्धि-पत्र अंतर्विष्ट है।

(सात) सा.का.नि. 231 जो 24 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के मणिपुर-त्रिपुरा कॉडर के संबंध में भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पहला संशोधन नियम, 2000 से संबंधित 5 जनवरी, 2000 की अधिसूचना संख्या 22(अ) का शुद्धि-पत्र अंतर्विष्ट है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2183/2000]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) पश्चिम बंगाल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पश्चिम बंगाल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2184/2000]

(ख) (एक) पश्चिम बंगाल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पश्चिम बंगाल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2185/2000]

(ग) (एक) असम कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2186/2000]

(घ) (एक) मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2187/2000]

(ङ) (एक) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2188/2000]

अपराह्न 12.02 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

सातवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पी.एम. सईद (लक्षद्वीप): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या-6, श्री प्रियरंजन दासमुंशी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करने से पहले, हमने नियम 184 के अधीन एक अतिमहत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु सूचना दी है और अगर आप अनुमति दें, तो मैं नियम 184 के अन्तर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले उस प्रस्ताव को पढ़ूं जिसमें प्रस्ताव है कि जम्मू और कश्मीर में निर्दोष लोगों की कथित हत्या और अमरनाथ तीर्थयात्रियों की हत्या तथा सुरक्षा व्यवस्था में खामियों से चिंता उत्पन्न हो रही है और ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम सुरक्षा खामियों, यदि कोई हों, की सत्यता की जांच के लिये जांच आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच की नियुक्ति और इसे दो महीने के अंदर

जांच पूरी करने तथा लोक सभा के आगामी शीतकालीन सत्र में सकी रिपोर्ट सभा में रखने की सरकार से मांग करते हैं। हम पिछले कुछ दिनों से इस जांच की मांग कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठेंगे या नहीं? पहले आप बैठ जाएं, आपका हाउस में कोई नियम नहीं है।

...(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): हम ऐसे नहीं बैठेंगे *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : एक प्रक्रिया है। केवल प्रक्रिया के तहत ही आप मामला उठा सकते हैं, जैसे आप चाहें, वैसे नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले कृपया आप भी बैठ जाइये।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, कृपया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के पहले आप इस प्रस्ताव को प्राथमिकता दें क्योंकि इसे नियम 184 के अन्तर्गत उठाया जा रहा है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको अलग से बोलना है क्या?

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): अध्यक्ष महोदय, आप नाराज न हों, आप हमारे मालिक हैं।

अध्यक्ष महोदय : पहले आप बैठिए फिर सुनूंगा। खड़े रहेंगे, तो कुछ नहीं सुनूंगा।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से पहले कृपया नियम 184 के अन्तर्गत उठाये गये इस प्रस्ताव को प्राथमिकता दें।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : जिस तरह से उनको उत्तर देना चाहिए, वह नहीं दिया है। यह ठीक बात नहीं है। आप हमारे मालिक हैं, आपको ही तो हम कहेंगे *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रियरंजन दासमुंशी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सारी सभा इसे जानती है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं नेताओं से भी अनुरोध कर रहा हूं। उनके दलों के सदस्य सभा में ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री प्रियरंजन दासमुंशी को बोलने के लिये कहा है।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय को भी ध्यान रखना चाहिये कि वे हमारे सांसदों की भावनाओं को आहत न करें। *...(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): महोदय, जब माननीय प्रधानमंत्री बोलने के लिये खड़े हैं, तो अन्य सदस्य बैठ नहीं रहे हैं। यह ठीक नहीं है। वे सभा के अनुशासनात्मक माहौल को चौपट कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का सवाल है *...(व्यवधान)* आप देख तो लीजिए। हम समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं। *...(व्यवधान)* आपसे मेरी प्रार्थना है कि माननीय प्रधान मंत्री जी जब खड़े हुए थे तो हम लोगों को सुन लेना चाहिए था और उसके बाद रघुवंश जी और बिहार के सभी सांसदों की जो भावना है, *...(व्यवधान)* ठीक है, प्रश्न काल में ऐसा नहीं हो सका। अभी मेरी प्रार्थना है कि अगर माननीय प्रधान मंत्री जी संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, *...(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): यह तरीका नहीं है। *...(व्यवधान)* जब माननीय प्रधान मंत्री जी खड़े थे तो सुनना चाहिए था। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री ठिकले, कृपया आप अपनी सीट पर बैठें। श्री अनंत गंगाराम गीते, यह क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, केवल माननीय प्रधानमंत्री उत्तर दे रहे हैं। तब भी वे नहीं मान रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं मानता हूं और मैंने स्वीकार किया है कि हमारे साथियों ने *...(व्यवधान)* मैं इसे. अनुचित मानता हूं लेकिन उसके बाद सरकार है, सरकार जिम्मेदार है और माननीय प्रधान मंत्री जी हैं। हम मानते हैं कि हमारे साथियों को सुन लेना चाहिए था लेकिन हमारी प्रार्थना है कि प्रधान मंत्री जी यदि अब भी संतुष्टि के दो वाक्य कह सकते हों और यह स्वीकार हो जाये तो ठीक है। *...(व्यवधान)* लेकिन ये हमें क्यों रोकते हैं? सवाल यह है कि आप मुझे रोक दीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): जितना पैसा बिहार को दिया गया, उस पैसे का क्या हुआ?

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): उत्तर प्रदेश में भी पैसे को खर्च नहीं किया गया है। *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आप मुझे रोक दीजिए लेकिन ये कैसे हमें रोक सकते हैं? यह सदन आप चलाएंगे या ये चलाएंगे, यह तय हो जाना चाहिए। *...(व्यवधान)* हालांकि हम इसे अनुचित मानते हैं।

हम मानते हैं कि माननीय प्रधान मंत्री जी को न बोलने देना अनुचित है। हम यह मानते हैं, लेकिन आप सदन को चलाइए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, जब इतना शोर गुल हो रहा है, तो मैं कैसे बोल सकता हूं। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करते हैं। उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति है। *...(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश की स्थिति स्पष्ट करें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, आपको बाद में बुलायेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, गत दो दिनों से हमने और पूरी सभा ने यह देखा है कि हमारे दल के सदस्यों और प्रतिपक्षी दलों के माननीय सदस्यों तथा सत्ता पक्ष की ओर से भी जम्मू कश्मीर में हुए कथित नरसंहार के बारे में अपनी-अपनी टिप्पणियों और विचारों के दायरे में चिंता प्रकट की गई है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद): महोदय, सदन में रोज हल्ला मच रहा है। सदन कैसे चलेगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रियरंजन दासमुंशी की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, अब मुझे लगता है कि आपको उन्हें चुप रहने के लिये कहना चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर): महोदय, मैं उनसे अपनी पार्टी के चीफ व्हिप की बात सुनने का अनुरोध करता हूं *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, हमारी पार्टी ने सरकार के किसी सदस्य पर कोई खास आरोप नहीं लगाया। हमने कार्यकारिणी के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया। इसमें हमने कोई राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं की। जम्मू और कश्मीर में इस नरसंहार के बाद हमने समूची सुरक्षा प्रणाली पर अपनी आशंका, नाराजगी और चिन्ता जाहिर की। इस देश में स्थापित कानून के अनुसार और राज्यों और केन्द्र में संबंधित

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सरकारों द्वारा अपनाई गई स्थापित प्रक्रिया के अनुसार एक जिम्मदार और रचनात्मक विपक्ष के नाते हमने केवल सच सामने लाने के लिये न्यायिक जांच का अनुरोध किया है। भारत एक परिपक्व लोकतंत्र है। हमने ऐसा आभास नहीं देना चाहिए कि हम सभा में देश के किसी मुद्दे पर कभी चर्चा और वाद-विवाद नहीं कर सकते और हम अपने प्रजातंत्र की नियति निर्धारित करने में किसी राष्ट्र या विदेशी शक्ति से भयभीत हैं। हम परिपक्व और काफी चिन्तित हैं ...*(व्यवधान)*

महोदय, इसी अवधारणा पर हमने काफी समय तक अपने मामले की पैरवी की इसलिए नहीं कि शांति पर चर्चा हेतु सरकार के लिए समस्या खड़ी हो जिसे हम हमेशा चाहते रहे। कांग्रेस पार्टी बातचीत पुनः शुरू करने या जारी रखने या कश्मीर में शांति लाने और संसद में समूचा देश एक साथ खड़ा रहे, यह सुनिश्चित करने में सरकार के साथ हमेशा सहयोग करेगी।

अतः हमने नरसंहार, कश्मीर मुद्दे और बातचीत तथा अन्य मुद्दों को अलग करने की कोशिश की। हमने इस उत्तेजित माहौल में सरकार को उलझन में डालने की कोशिश नहीं की। हमने यह महसूस किया कि भविष्य में अमरनाथ यात्रियों के लिये, सरकार और गृह मंत्रालय की भावी भूमिका और कार्यपालिका की भावी कार्यसूची के लिये, यदि कोई कमी है और किसी 'क' या 'ख' पार्टी या व्यक्ति या मीडिया की किसी प्रभार की टिप्पणियों पर ध्यान दिये बिना यह बेहतर होगा कि किसी भी देश की एक सुप्रतिष्ठित प्रक्रिया के आधार पर जो काफी समय पहले स्थापित की गई है और जिसे सभी पार्टियों ने स्वीकार किया है, एक न्यायिक जांच सच्चाई का पता लगा सकती है और सच सबके सामने प्रकट हो सकता है। हम सच स्वीकार करने से भयभीत नहीं हैं। सच सामने आने के बाद हम आमने-सामने बैठकर यह पता लगा सकते हैं कि खामियों को कैसे समाप्त किया जा सकता है।

महोदय, इसी अहसास के साथ हमारी पार्टी, हमारे नेता और सहयोगियों ने पिछले दो दिनों से संसद में अपने विचार व्यक्त किये। कभी भी हमने सभा की कार्यवाही और महत्वपूर्ण सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने की कोशिश नहीं की।

जनभावना से जुड़े तीन राज्यों के पुनर्गठन से जुड़े विधेयकों पर हमने केवल सरकार का सहयोग ही नहीं किया अपितु सभा में इसे समय पर पास कराने में हम किसी से पीछे नहीं रहे। जब भी बड़े, महत्वपूर्ण मुद्दे सभा में उठे हमने न केवल जिम्मेदार विपक्ष की तरह आचरण किया बल्कि हम यह भी नहीं भूल सकते कि अभी भी सत्ताधारी पार्टी के मुकाबले हम लंबे समय तक सत्ता में रहे ...*(व्यवधान)* हमारे सामने एक जिम्मेदारी है ...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): लेकिन न्यायिक जांच की मांग पर विपक्ष विभाजित था। ...*(व्यवधान)* इसी कारण सभा में व्यवधान हुआ ...*(व्यवधान)* इसी पर सभा के कार्य में बाधा पड़ी ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मुझे अपनी बात समाप्त कर लेने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय, हमने इस संसद की परंपराओं, देश के कानूनों की स्थापित प्रक्रियाओं संबंधी परंपराओं को बनाए रखने की पूरी कोशिश की....

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात पूरी करें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, इसी उम्मीद के साथ हम प्रस्ताव रखते हैं जिसे मैं पढ़ता हूं:

> "जम्मू और कश्मीर में निर्दोष लोगों तथा अमरनाथ के तीर्थयात्रियों की अभी हाल में किये गये कथित नरसंहार तथा सुरक्षा खामियों संबंधी अन्य समाचारों से चिंता पैदा हो रही है और हम कथित सुरक्षा खामियों, यदि कोई हो तो, के बारे में सच्चाई का पता करने हेतु इन घटनाओं के बारे में जांच आयोग अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग नियुक्त करने और इस जांच को दो महीने के अन्दर पूरा करने तथा लोक सभा के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान इस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने के लिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं।"

अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव है हमने नियम 184 के अन्तर्गत पेश किया है। हम चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि आप अपना निर्णय दें ताकि सम्पूर्ण राष्ट्र को विश्वास दिलाया जा सके कि सच्चाई को सामने लाने की प्रक्रिया जारी है।

अध्यक्ष महोदय : अब अध्यक्षपीठ की भी एक टिप्पणी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ की ओर से एक टिप्पणी है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, हमने भी रूल 193 के अन्तर्गत कल आपको नोटिस दिया था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, उन्होंने नियम 184 के अन्तर्गत नोटिस दी है। इसलिए मैंने उनको अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : मैंने भी तो कल नोटिस दिया था, मेरी बात को कल सुना नहीं गया।

अध्यक्ष महोदय : आपके नोटिस के बारे में कल सुना था। इन्होंने आज रूल 184 पर नोटिस दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, हमारी बात भी सुनी जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका पाइंट हो गया।

श्री मुलायम सिंह यादव : हमने प्रश्न-काल के पहले यह बात उठाई थी, लेकिन प्रश्न-काल के बाद सदन नहीं चला तो मैं अपनी बात नहीं रख सका।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस टिप्पणी के बाद आप बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, हम सिर्फ दो मिनट लेंगे।

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव की सूचना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, हमें केवल दो मिनट अपनी बात कहने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : इस आब्जरवेशन के बाद आपसे बात करेंगे।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, रूल 184 पर आपकी क्या रूलिंग है, यह हमें पता चले।

श्री मुलायम सिंह यादव : रूलिंग हमारी भी तो हो, हमारी भी रूलिंग दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने आज नोटिस दिया है, इसलिए आज यह आब्जरवेशन देनी है।

श्री मुलायम सिंह यादव : मेरे नोटिस की रूलिंग तो अभी आई नहीं, मैंने कल नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : आपकी नोटिस मेरे पास विचाराधीन है। इन्होंने आज नियम 184 के अंदर नोटिस दिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, कल वाले का रूलिंग पहले आएगा या आज वाले का पहले आएगा। यह तय कर लीजिए और बता दीजिए। अगर आप आज वाले का रूलिंग पहले देंगे तो कल वाले का क्या होगा?

अध्यक्ष महोदय : यह आब्जरवेशन होने दो, उसके बाद हम बात करेंगे।

अपराह्न 12.16 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

नियम 184 के अधीन जम्मू और कश्मीर में हुई हत्याओं की घटनाओं की जांच के लिए जांच आयोग के गठन के प्रस्ताव की सूचना

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दौरान मारे गए तीर्थयात्रियों सहित निर्दोष लोगों की हत्या की घटना की जांच कराने के लिए किसी वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित करने के लिए श्री प्रियरंजन दासमुंशी की ओर से आज नियम 184 के अन्तर्गत प्रस्ताव की एक सूचना प्राप्त हुई है।

मैंने उस सूचना को स्वीकार कर लिया है। इस मामले को आज दोपहर बाद 3.30 बजे कार्य मंत्रणा समिति की होने वाली बैठक में यह निर्णय करने के लिए रखा जाएगा कि इस पर सदन में कब बहस हो सकती है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : होम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट है, राज्य सभा में जाना है।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): अध्यक्ष महोदय, मुझे एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात स्टेटमेंट के बाद सुनेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): महोदय, हमारी भी बात दो मिनट सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : स्टेटमेंट के बाद सुनेंगे।

अपराह्न 12.16 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

जम्मू-कश्मीर की स्थिति

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): 24 जुलाई, 2000 को हिजबुल मुजाहिद्दीन ने एकतरफा युद्धविराम की घोषणा की थी और भारत सरकार से वार्ता आरंभ करने के लिए सार्वजनिक रूप से इच्छा जाहिर की थी। भारत सरकार ने इस पेशकश पर सकारात्मक रुख अपनाया था।

जम्मू और कश्मीर के लोगों ने इस घटनाक्रम का उत्साहपूर्वक स्वागत किया था।

युद्धविराम वापस लिए जाने की हिजबुल मुजाहिद्दीन की कल की घोषणा से स्वाभाविक रूप से उन लोगों को घोर निराशा हुई है जो जम्मू और कश्मीर में शांति की वापसी की ओर उत्सुकता भरी निगाहों से देख रहे थे।

हिजबुल-मुजाहिद्दीन के नेता सैयद सलाहुद्दीन की घोषणा का स्वरूप, स्थान, संदर्भ और सारांश से किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि राज्य में शांति की ओर बढ़ते कदम में पाकिस्तान ने षड्यंत्र कर रुकावटें पैदा की हैं।

युद्धविराम की पेशकश हिजबुल मुजहादि्दीन के नेता मजिद डार की ओर से श्रीनगर में की गई थी। इसे वापस सलाहुद्दीन द्वारा इस्लामाबाद में लिया गया था।

जाहिर है जिस स्वर से घोषणा की गई थी वह स्वर सलाहुद्दीन का रहा होगा किन्तु घोषणा में प्रयोग किए गए शब्द इस्लामाबाद की सत्ताधारी सरकार के थे जो जम्मू और कश्मीर तथा भारत के अन्य भागों में राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद में लिप्त अनेक आतंकवादी समूह का मुख्य संरक्षक है।

हिजबुल मुजाहिद्दीन के नेता ने कहा है कि प्रस्तावित वार्ता में तीसरे पक्ष के रूप में पाकिस्तान को आमंत्रित करने की अनिच्छा के कारण उसका संगठन उस वार्ता से पीछे हट गया। मुख्य रूप से यह मांग पाकिस्तान के सैनिक शासन की रही है, क्योंकि यह पहले भी कई बार इस तरह की मंशा जता चुका है लेकिन हिजबुल मुजाहिद्दीन की युद्धविराम की घोषणा और भारत सरकार से वार्ता करने की इसकी तत्परता के बाद उसकी यह इच्छा और तीव्र हो गई।

24 जुलाई से इस्लामाबाद से दिए जा रहे वक्तव्यों से यह साफ हो गया था कि युद्ध विराम जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को निरंतर प्रोत्साहन देने की पाकिस्तानी मंशा के अनुकूल नहीं है।

षड्यंत्र कर वार्ता को विफल करने का पाकिस्तान का इरादा उस समय बिलकुल स्पष्ट हो गया था जब उसकी धरती पर प्रशिक्षित सशस्त्र आतंकवादियों ने 1 और 2 अगस्त को 100 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारकर महा नरसंहार का तांडव नृत्य किया था।

पाकिस्तान ने अप्रत्याशित रूप से क्यों इस तरह के आतंक का खौफ खड़ा किया और इसके तुरंत बाद षड्यंत्र रचकर क्यों उसने हमारी अपनी जनता के कुछ प्रतिनिधियों के साथ शांति के लिए की जा रही हमारी पहल को विफल किया - इसे समझने में किसी को कोई कठिनाई नहीं है। पाकिस्तान के शासक जम्मू और कश्मीर में शांति की ओर बढ़ते कदम से आतंकित हैं। वे प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर में शांति के लिए की गई ऐतिहासिक पहल के बाद भारत के साथ दोस्ती की बढ़ती संभावनाओं से भी उसी तरह आतंकित थे।

1999 में कारगिल युद्ध उनके इसी के शांति भय का परिणाम था। 2000 में अमरनाथ यात्रियों व अन्य निर्दोष लोगों की नृशंस हत्या भी शांति से उनकी इसी आशंका का प्रतिफल थी।

जिस तरह कारगिल में पाकिस्तान द्वारा छेड़े गए युद्ध से भारत को भयभीत नहीं किया जा सका उसी तरह अब हम इस्लामाबाद

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

की ओर से छद्म युद्ध में तेजी लाए जाने से भी भयभीत नहीं होने वाले हैं। कारगिल में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी और उसे स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाली हार का सामना करना पड़ा था। भारत के साथ छेड़े गए परोक्ष युद्ध का भी वही हश्र होगा।

जम्मू और कश्मीर में शांति व सामान्य स्थिति बहाल करने की भारत की तत्परता तथा कश्मीर मसले का एक व्यापक व चिरस्थायी हल ढूंढ़ने की इच्छा अब पूरी तरह जगजाहिर है।

न केवल कश्मीर के लोग, बल्कि पूरी दुनिया के लोग भी अब इस बात को समझ चुके हैं कि कौन शांति के पक्ष में है और कौन अशांति के, किसकी आवाज संतुलित और मानवता से जुड़ी हुई है और किसकी टाल-मटोल और षड्यंत्रकारी की है।

इस सभा के माननीय सदस्यों को भी इस बात की जानकारी होगी कि इस पूरे प्रकरण में हुर्रियत नेतृत्व ने नाकारात्मक भूमिका निभायी है। शुरू से ही हिजबुल की पहल पर उसका रवैया न केवल निरुत्साहजनक था, बल्कि उसने इसे यहां तक कह डाला कि यह जल्दीबाजी में उठाया गया कदम था। शायद वे इस बात को भूल गए थे कि जम्मू और कश्मीर पिछले एक दशक से भी अधिक समय से रक्तरंजित रहा है। ऐसे में शांति के लिए की जाने वाली पहल को कैसे कहा जा सकता था कि यह जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। इससे पता चलता है कि हुर्रियत नेतृत्व पाकिस्तान के दबाव में काम कर रहा था। इस प्रकार उसने जम्मू-कश्मीर के हित में कतई काम नहीं कर वहां की जनता की भलाई के साथ समझौता किया।

आने वाले समय में भारत कश्मीर के उन सबों के साथ जिन्हें आतंक और हिंसा के मार्ग से परहेज है, वार्ता के अपने सतत प्रयास और, इसके साथ ही, उन सबों के साथ जो आतंक और हिंसा के मार्ग पर अब भी कायम है, अपने संघर्ष से विचलित नहीं होगा। हम अपनी कठोर व नरम दोनों ही नीतियों पर डटे रहेंगे।

हमारे सुरक्षा बल जम्मू और कश्मीर राज्य की नए रूप में आतंकवाद की चुनौतियों और खतरों का सामना करने के लिए तैयार हैं। दरअसल, चिन्ता उन आतंकवादी संगठनों को होनी चाहिए जिन्हें भारतीय सुरक्षा बलों व भारतीय सैनिकों के जीवन्त जोश से जूझना पड़ता है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनसे लड़ने के लिए इनमें भारतीय लोकतंत्र की शक्ति निहित है।

इसके साथ ही भारत अपने इस विचार पर अब भी कायम है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का मसला एक अलग मुद्दा है। प्रधान मंत्री श्री वाजपेयी ने स्पष्ट किया है कि अगर पाकिस्तान सीमा पार के आतकवाद का समाप्त करने के अपने संकल्प का खुलासा करता है तो भारत पाकिस्तान के साथ सभी द्विपक्षीय मामलों पर बात करने को तैयार है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): अध्यक्ष महोदय, इस्लामाबाद हम पर हमला कर सकता है....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, मैंने श्री मुलायम सिंह जी को बुलाया है। आपको बाद में चांस दूंगा।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, आज कश्मीर के हालात विस्फोटक और नाजुक हैं। प्रधानमंत्री जी यहां बैठे हुये हैं। माननीय गृह मंत्री जी का बयान आ गया है। हमने उनके बयान में जिन बातों की उम्मीद की थीं, वे नहीं आयीं। लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया है कि पाकिस्तान में रहकर सलाहुद्दीन ने यह घोषणा की है। हम शुरू से कह रहे थे...

[अनुवाद]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, क्या यह गृह मंत्री के वक्तव्य पर बहस हो रही है? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : नहीं, नहीं, हम नियम 193 के लिये कह रहे हैं और वही कहना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, क्या आपका सबमिशन आपके नोटिस के बारे में है?

श्री मुलायम सिंह यादव : मैंने आपको लिखकर दिया है, पढ़ना नहीं चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने कल मांग की थी कि इस पर चर्चा हो और इस मामले पर कुछ दलों से

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हमारा मतभेद है। हम न्यायिक जांच नहीं चाहते हैं, बहस चाहते हैं। हम यह बहस इसलिये चाहते हैं कि अभी जो बातचीत चल रही थी, वह युद्ध के रूप में धमकी हो गई है। इसमें कहीं न कहीं कमजोरी है, इसलिये बहस होनी चाहिये। ऐसा लगता है कि इसमें सरकार की भी कमजोरी है लेकिन देश की जनता कमजोर नहीं है। देश की जनता, पूरा सदन और हम सब लोग आपके साथ हैं।

अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान में आतंकवादियों के जो अड्डे हैं, उन्होंने इसका खुल्लम-खुला ऐलान किया है कि वे एटम बम चलायेंगे। हम सबसे ज्यादा इस बात के समर्थक हैं कि हिन्दुस्तान-पाकिस्तान में एका हो, दोस्ती हो लेकिन इसके पीछे वजह क्या है कि जब आप बस यात्रा करते हैं तब हत्यायें होती हैं, जब अमरनाथ यात्रा होती है और हिज्बुल मुजाहिद्दीन से बातचीत होती है तब हत्यायें होती हैं? इन सब के पीछे क्या कारण हैं, क्या कमजोरियां हैं और कहां गलतियां हैं, इन सब बातों पर बहस चाहते हैं। मेरी पक्की राय है और उसी बात को फिर दोहराना चाहता हूं कि पाकिस्तान-हिन्दुस्तान के रिश्ते हों, उसमें पड़ोसी देश बांगलादेश हो, हम समाजवादी लोग एक महासंघ के समर्थक थे।

अध्यक्ष महोदय, हमारे दल की यह पक्की राय बन गई है कि सीमा पार पाकिस्तान में आतंकवादियों के जो अड्डे हैं, उनको सीधे-सीधे नष्ट करना पड़ेगा और पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया जाता है तो स्थिति और बिगड़ेगी। इसलिये हमारी राय है कि हम सभी नेताओं से कहेंगे कि माननीय गृहमंत्री का जो बयान आया है.....

अध्यक्ष महोदय : आपका क्या नोटिस है?

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हम नियम 193 के अंतर्गत बहस चाहते हैं। हम यह बहस इसलिये चाहते हैं कि क्या वजह है कि कोई विदेशी शक्ति हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे रही है, क्या उनके इशारे पर काम हो रहा है। इसलिये अब देरी नहीं करनी चाहिये और उन अड्डों पर हमला करना चाहिये और पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिये, यह मेरी पक्की राय है। इस मामले पर बहस हो। पूरे देश को विश्वास में लीजिये, दोनों सदनों को विश्वास में लीजिये। अब कमजोरियां दिखाने से हमारे देश के हालात और खराब होंगे।

इसलिए हम चाहते हैं कि सारा काम-काज बंद करके इस पर नियम 193 के तहत अब बहस शुरू हो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, मैंने नियम 184 के अन्तर्गत बहस के लिए नोटिस स्वीकार कर ली है। नियम 193 के अन्तर्गत बहस की आपकी नोटिस मेरे यहां पर विचाराधीन है। आज अपराह्न 3.30 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो रही है। हम लोग वहीं इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे।

श्री माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की नेता एक निवेदन करना चाहेंगी।

अध्यक्ष महोदय : हां।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं लोक सभा की प्रक्रिया और कार्यसंचालन संबंधी नियमों के नियम 186 के अन्तर्गत इस व्यवस्था के प्रश्न को उठाता हूं। नियम 186 के उप-खंड (6) में कहा गया है:

> "जिस विषय पर बहस हो चुकी है उस पर उसी सत्र में फिर से बहस नहीं होगी।"

हम लोग कश्मीर पर इस सत्र में बहस कर चुके हैं। हम राजनीतिक लाभ के लिए नियमों के साथ समझौता नहीं कर सकते। और तो और, संविधान के अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत जांच आयोग अधिनियम कश्मीर के मामले में लागू नहीं होता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत कैसे हम न्यायिक जांच आयोग नियुक्त करने की बात कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग मुद्दा है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय पहले ही बहस के लिए नोटिस स्वीकार कर चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने नियम 184 के अंतर्गत बहस के लिए पहले ही नोटिस स्वीकार कर ली है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : यदि इस पर चर्चा होती है, तो हम लोग एक बुरा उदाहरण स्थापित करेंगे। हम लोग राज्य सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। मैंने नियम 184 के अंतर्गत चर्चा के लिए पहले ही नोटिस स्वीकार कर ली है। क्या आप अध्यक्षपीठ के निर्णय को चुनौती दे रहे हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): अध्यक्ष महोदय, आपने जिस तरह से बहस की अनुमति दी है, वह आपका विशेषाधिकार है। मामला बहुत नजदीक से जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने स्वायत्तता के मामले पर पहले ही चर्चा कर ली है। आज माननीय गृह मंत्री ने हिजबुल मुजाहिद्दीन द्वारा युद्धविराम की पेशकश को वापस लिए जाने के मामले में वक्तव्य भी दिए हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था में बहुत भारी चूक हुई है।

संसदीय कार्य मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, हम यह सुनने वाले नहीं हैं। हर एक चीज की एक सीमा होती है। एक अति महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ की जानी है।

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल जी, चर्चा के दौरान आप अपनी बात कह सकते हैं, अभी नहीं।

श्री प्रमोद महाजन : उनकी अपनी पार्टी का एक सदस्य बहस का विरोध कर रहा है।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, यह सभा इस मुद्दे पर विचार करने के लिए उपयुक्त मंच है। आप इसे किस प्रकार करेंगे, यह सोचना आपका विशेषाधिकार है।

श्री प्रमोद महाजन : सभा में प्रतिदिन यह एकपक्षीय मामला नहीं चल सकता। वे अन्य सदस्यों को बोलने नहीं देते। एक सदस्य एक ही बात को बार-बार दोहराता है।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, प्रधानमंत्री जी को इस मुद्दे पर विस्तृत वक्तव्य देना चाहिए। उस वक्तव्य पर चर्चा की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : सभा में शून्य काल आरंभ होगा। श्रीमती सोनिया गांधी।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के समय आप विपक्ष के नेता को अपवाद स्वरूप बोलने का अवसर दे सकते हैं; हमें इस पर आपत्ति नहीं। लेकिन आप यह दोनों बातें एक साथ नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : मध्याह्न भोजनावकाश के पश्चात् ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ की जायेगी। शून्य काल के दौरान उठाये जाने वाले मामलों के लिए कई माननीय सदस्य नोटिस दे चुके हैं। लेकिन उन्हें गत दो दिन से बोलने का अवसर नहीं दिया जा सका है।

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी): अध्यक्ष महोदय, आज भारत छोड़ो दिवस है। परतन्त्रता से स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाले महान पुरुषों और महिलाओं की स्मृति को जब हम श्रद्धांजलि देते हैं, तो यह उचित ही है कि हम स्वतंत्रता संग्राम के महान विषयों के महत्व को आज के संदर्भ में याद करें। इनमें से एक उद्देश्य स्वदेशी था। इसका प्रतीक खादी थी। खादी ही वह धागा थी जिसने देश भर के विभिन्न सम्प्रदायों, विभिन्न वर्गों, विभिन्न लोगों के लोगों को विदेशी शासन के विरोध के सूत्र में बांध दिया।

गांधी जी ने इस विषय पर अपने आरम्भिक लेखों में लिखा है:

> "स्वराज का लाखों लोगों के लिए कोई अर्थ नहीं है जब तक कि उन्हें उन पर थोपी गई बेकारी को रोजगार में बदलने के साधन नहीं दिए जाते।"

और 25 वर्ष बाद, 29 जून, 1947 को एक पत्रिका में जिसका उन्होंने संपादन किया, अपने एक लेख में उन्होंने लिखा:

> "खादी स्वदेशी का केन्द्र बिन्दु है।"

महोदय, उस आंदोलन के स्मरणीय मील पत्थर की पावन वर्षगांठ पर यह हमारे स्वाधीनता संग्राम के उच्च आदर्शों के प्रति दुःखद विश्वासघात है कि हम राष्ट्र की बदलती आर्थिक नीतियों के उभरते हुए लोकाचार में खादी और ग्रामोद्योग को उसका उचित स्थान दिलाने के उद्देश्य से उसके संरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

खादी उद्योग के समक्ष आ रही विशेष समस्याओं को देखते हुए आर्थिक सुधारों की शुरुआत के आरम्भिक दो वर्षों में स्वयं प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में उस समय कांग्रेस सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित की गयी।

इसकी सिफारिशों को बाद में कार्य योजना में बदल दिया गया। कार्य योजना के अन्तर्गत, तीन वर्षों के भीतर 20 लाख नये रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र की लगभग 5,700 करोड़ रुपये जारी किये गये। कार्य योजना की यह सांकेतिक उपलब्धि है कि खादी क्षेत्र में एक नयी जान फूंकने के

अलावा 6.5 लाख से भी अधिक रोजगार प्रदान किये गये। उस समय, मात्र 36 महीनों में खादी उत्पादन स्पष्ट रूप से दुगुना हो गया था।

दु:खद रूप से आज यह कार्य योजना पूर्णत: उपेक्षित पड़ी हुई है। खादी और ग्रामोद्योग के लिए बजटीय सहायता में बहुत कमी आयी है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद): अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर में क्या पढ़ सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह विपक्ष की नेता हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, प्लीज।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी : बैंकिंग संघ से भी सहायता मिलना समाप्त हो गया है। भार को वहन करने में अक्षम उद्योग पर बिना विचारे बिक्री कर जैसा अतिरिक्त भार डाला जा रहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

श्रीमती सोनिया गांधी : रुग्ण खादी संस्थाओं के लिए प्रस्तावित परिचर्या निधि केवल कागजी है। निर्यातोन्मुख खादी का संवर्धन करने का प्रस्ताव ताक पर रख दिया गया प्रतीत होता है। मूल प्रमाणन योजना भी त्याग दी गयी है और इसके स्थान पर कोई संतोषजनक विकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया।

खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के कार्य पर निगरानी रखने के लिए जहां राष्ट्रीयकृत बैंकों में विशेष प्रकोष्ठ बनाने थे, तथापि बैंक स्वयं को पूर्णत: हृदय-विहीन प्रदर्शित कर रहे हैं, चाहे वरीयता वाले क्षेत्र के रूप में इस क्षेत्र से संबंधित औपचारिक अनुदेश कुछ भी हों।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, जहां तक नीति का प्रश्न है, जब से कार्य योजना बंद की गयी है, खादी और ग्रामोद्योग अनिश्चय की दलदल में फंस गया है। हम यह विश्वास करते हैं कि इस क्षेत्र के अच्छे विकास को सुनिश्चित करने के लिए, अनुभव का लाभ उठाते हुए इस कार्य योजना की त्रुटियों को दूर करना होगा इसका नवीनीकरण करना होगा और इसे फिर से नया जीवन देना होगा। इस क्षेत्र की वित्तीय सहायता के एक तिहाई भाग को बजट सहायता से पूरे किये जाने के कार्य योजना के प्रस्ताव का सम्मान किया जाना चाहिए। इस छूट नीति में पारदर्शिता और पूर्वसूचनीयता होनी चाहिए। विपणन विकास सहायता की सुविचारित योजना भी होनी चाहिए। इस क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। नि:सन्देह यह एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। इसीलिए, हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों को सरकारी चिंता के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

कारीगरों के लिए कल्याण योजनाएं द्रुतगति से विकसित की जानी चाहिए और कार्यान्वित की जानी चाहिए। ऐसा ही कार्य बीमा योजनाओं के लिए किया जाना चाहिए। ग्रामीण उद्यमिता को सभी प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। खादी ग्रामोद्योग निगम के राष्ट्रीय कार्य गांवों जैसे कि मधुमक्खी पालन, चर्मशोध, हस्तनिर्मित कागज और बर्तन उद्योग का पुनरुद्धार किया जाना चाहिए। गुणवत्ता और डिजाइन पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्यकुशलता को बढ़ाने, विकसित औजारों और बेहतर गुणवत्ता वाले कच्चे माल पर भी इतना ही ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त, यह आवश्यक है कि खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का तुरन्त पुनर्गठन किया जाये। साथ में, खादी विशेषज्ञों और कार्यकर्त्ताओं का, जैसा कि 1955 के अधिनियम में प्रावधान है, नामांकन किया जाना चाहिए। उद्योग का ऐसा कोई क्षेत्र मिलना अत्यंत कठिन है जो खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र की भांति गरीब से गरीब लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सके।

महोदय, स्वतंत्रता के आरम्भिक पचास वर्षों में हमने इस क्षेत्र का परिश्रमपूर्वक पोषण किया है। आधे करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारी अपनी आजीविका केवल खादी क्षेत्र से ही अर्जित करते हैं। हमारे खादी उत्पादों का मूल्य जो स्वतंत्रता के समय 20 करोड़ रुपये था, बढ़कर अब 500 करोड़ रुपए हो गया है। हम यह विश्वास करते हैं कि हमारे जैसे देश में परिष्कृत पूंजी, भारी मात्रा में विनिर्माण तथा सूचना प्रौद्योगिकी से संबद्ध उद्योग कताई और बर्तन उद्योग के माध्यम से प्राप्त होने वाले रोजगार का विकल्प नहीं बन सकते।

अत:, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, विशेष रूप से प्रधान मंत्री महोदय से, सरकार से इस उद्योग की स्थिति को

[श्रीमती सोनिया गांधी]

समझने का आग्रह करता हूं। यह वह उद्योग है जिसकी उत्पत्ति स्वतंत्रता आंदोलन से हुई थी और हमारे देश के करोड़ों लोगों को यह उद्योग आर्थिक सहायता और आजीविका प्रदान कर रहा है।

गांधी जी इस क्षेत्र को अर्थात् खादी क्षेत्र को सदैव दबे-कुचले लोगों, दरिद्र नारायण के साथ जोड़ते थे। अतः आज इस अति महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर, आईए हम गांधी जी की भावना के अनुरूप खादी को पुनः नया जीवन देने का वचन लें, जिसे उन्होंने उचित ही हमारी संस्कृति की आत्मा और शरीर माना था। धन्यवाद।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, मैंने भी खादी एवं ग्रामोद्योग के संबंध में शून्य काल में बोलने हेतु विषय दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. रासासिंह रावत जी, आपने इसी विषय पर नोटिस दिया है। अतः, आप आप स्वयं को उनसे सम्बद्ध कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मनोज सिन्हा (गाजीपुर): अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के एक सदस्य ने हमारे सदन के माननीय सदस्य श्री विनय कटियार को धमकी दी है कि बाहर चलो हम देख लेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने उसी विषय पर नोटिस दिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो. रासासिंह रावत के कथन के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने सदस्य को बोलने नहीं दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी ने जिस खादी के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी, उस खादी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. रासासिंह रावत के कथन के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, आप इस मामले में रूलिंग दीजिए। ...*(व्यवधान)* कोई भी आदमी हमें डराता है, धमकाता है। ...*(व्यवधान)* यह कहां की बात है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। इस मैटर को हम चैम्बर में डिसकस करेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार (फैजाबाद): जो निर्णय हो, यहां होना चाहिए। यह चैम्बर की बात नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हाउस में क्या हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...(व्यवधान) *

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि आप अपने चैम्बर में इसे डिस्कस करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि यह धमकी हाउस में दी गई है, चैम्बर में नहीं दी गई। कांग्रेस पार्टी के डिप्टी लीडर को चाहिए कि वे खड़े होकर बताएं कि क्या हाउस में धमकी दी जा सकती है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...(व्यवधान) *

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी ने जिस खादी के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी आज उसी खादी का अस्तित्व ही खतरे में हैं। *...(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष महोदय, ऐसे नहीं चलेगा। आपको कोई न कोई व्यवस्था देनी पड़ेगी। आप सदन के संरक्षक हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमने बताया है, पहले देखेंगे कि क्या हुआ है।

...(व्यवधान)

श्री विनय कटियार : यदि चेयर की ओर से न्याय की बात नहीं की जाएगी तो कैसे चलेगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले देखने दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पिछले दो दिन से 'शून्य काल' नहीं हुआ है। आज कई सदस्यों ने महत्वपूर्ण मामले उठाने के लिए नोटिस दे दिये हैं। आप सदस्यों को महत्वपूर्ण मामले उठाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): अध्यक्ष महोदय, आप रिकार्ड देख लीजिए। अगर कोई ऐसी बात हो तो एक्सपंज कर दीजिए। हमें कोई ऐतराज नहीं है। *...(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत : महात्मा गांधी और विनोबा भावे ने जिस खादी और ग्रामोद्योग के सहारे देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की थी, उन सभी ग्रामोद्योगों पर संकट छाया हुआ है। *...(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय ने कह दिया है कि चैम्बर में डिस्कस करेंगे। *...(व्यवधान)* यह धमकी दी गई है, इसका निराकरण होना चाहिए। आज एक सदस्य के साथ हुआ है कल दूसरे के साथ होगा। *...(व्यवधान)* हम आपसे रूलिंग चाहते हैं। *...(व्यवधान)* हमारी आपसे प्रार्थना है कि सदस्यों की प्रतिष्ठा आपके हाथ में है। कोई इस प्रकार धमकी दे, वह सर्वथा अनुचित है। *...(व्यवधान)* जो लोग सदस्यों को धमकी देते हैं, ऐसे सदस्यों को फटकार लगाई जाए। हम प्रार्थना करते हैं कि सदन की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर रहनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपना सबमिशन कीजिए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.55 बजे

(इस समय श्री विनय कटियार आए और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।)

प्रो. रासा सिंह रावत : मान्यवर, एक सदस्य के साथ इस प्रकार का व्यवहार होना उचित नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग इस प्रकार की दादागिरी करते हैं, यह सर्वथा असहनीय है। *...(व्यवधान)* ऐसा व्यवहार सदन के अन्दर नहीं होना चाहिए। *...(व्यवधान)*

पहली बार महात्मा गांधी और विनोवा भावे ने जिस खादी और ग्रामोद्योग के सहारे सारे देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की, उन सभी ग्रामोद्योग पर आज संकट छाया हुआ है। *...(व्यवधान)* सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति से खादी उद्योग से जुड़े चार लाख लोग एक साल से बेरोजगार हो रहे हैं और आने वाले कुछ महीनों में दस लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। *...(व्यवधान)* खादी ग्रामोद्योग आयोग का गठन सरकार द्वारा स्वीकृत है, इसके

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[प्रो. रासा सिंह रावत]

अनुसार खादी का कार्य विशेषज्ञ और अनुभवी महानुभावों की संवाओं से किया जाये और भारत सरकार द्वारा अविलम्ब खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र को पूंजी उपलब्ध कराई जाये, बकाया रकम का शीघ्र भुगतान कराया जाये और खादी की खुदरा बिक्री पर छूट दी जाती है, उसके रिबेट के निश्चित नियम बनाये जायें। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.56 बजे

(इस समय श्री राम नगीना मिश्र आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

आपसे एक प्रार्थना है कि दादागिरी करने वाले सदस्यों को सख्त फटकार लगाई जाये और ताड़ना दी जाये। ये लोग सदन के अन्दर अनुशासनहीनता पैदा कर सदन के माहौल को बिगाड़ते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ...*(व्यवधान)* गांधी जी चाहते थे कि लोकतंत्र जीवित रहे और ये लोकतंत्र को पलीता लगाने वाले लोग, ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग, लोकतत्र के अन्दर यहां पर आकर ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करने वाले लोग यहां पर सदन की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। मान्यवर, सदन की मर्यादा सर्वोपरि है, इसलिए ऐसे लोगों को दंडित किया जाये। ...*(व्यवधान)*

श्री साहिब सिंह (बाहरी दिल्ली): अध्यक्ष जी, मैं आपसे सिर्फ यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह का वातावरण इस हाउस में हो रहा है, उसमें सब को आपका संरक्षण चाहिए। ...*(व्यवधान)* मैं इससे पहले कि अपनी कोई बात कहूं, अगर आप इस पर अपनी रूलिंग दे दें कि हाउस के अन्दर इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। जिस सदस्य ने ऐसा किया है, उस सदस्य को खड़े होकर कहना चाहिए कि मुझसे गलती हुई है, मैं आगे ऐसा नहीं करूंगा तो बात खत्म हो जायेगी। सदस्य को खड़े होकर कहना चाहिए कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मि. वर्मा, मैंने बता दिया कि पहले रिकार्ड देखेंगे कि क्या हुआ और बाद में चैम्बर में डिस्कस करेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री साहिब सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सारी कार्यवाही को टेलीविजन पर सारा देश देखता है, सारी दुनिया देखती है ...*(व्यवधान)* और सदस्यगण इस तरह का व्यवहार करेंगे तो हमारी क्या इमेज होगी, हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूं, आप इस मामले में अपनी रूलिंग दे दें। यह सब सदस्यों ने देखा है, आप भी टेलीविजन पर देखेंगे, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ...*(व्यवधान)* मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो गलती की है, वे खड़े होकर कहें कि मुझसे गलती हो गई है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ...*(व्यवधान)* गलती आदमी से होती है, वे खड़े होकर कहें कि मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ऐसी बात नहीं करूंगा। बार-बार इस प्रकार का व्यवहार सदन के अन्दर अच्छा नहीं लगता। ...*(व्यवधान)* न इससे माननीय सदस्य की शोभा बढ़ती है और न इससे हाउस की शोभा बढ़ती है। इसमें हाउस को आपका संरक्षण चाहिए। आपके संरक्षण के बिना बात नहीं हो सकती। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप रिकार्ड देख सकते हैं और यदि आपको कुछ भी आपत्तिजनक मिले, तो आप उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि कुछ भी आपत्तिजनक मिलेगा, मैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

[हिन्दी]

श्री साहिब सिंह : मैं एक अहम मुद्दा उठाना चाहता था, लेकिन अफसोस की बात है कि यह मामला इस तरह से अगर यहां पर हाउस में होगा तो किस तरह से बात की जायेगी। ...*(व्यवधान)* मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि माननीय सदस्य से कहें कि वे खड़े होकर माफी मांग लें और अफसोस जाहिर करें कि भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, उनको ऐसा कहना चाहिए। इसी में सदस्य का भी मान रहेगा और सदन का भी मान रहेगा। यह बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष साहिबा से कहूंगा कि वे खड़े होकर अपने सदस्यों के व्यवहार के लिए माफी मांगें। इनको माफी मांगनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : रूलिंग दे दी है न।

श्री राजो सिंह (बेगुसराय): जब से सत्र चल रहा है, तब से आये दिन ऐसा हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): उन्होंने हाथ से बाहर की ओर करके बताया तो वह रिकार्ड में कैसे आयेगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप पहले रिकार्ड देखने दो।

अपसाह्न 1.00 बजे

...(व्यवधान)

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नार्थ ब्लाक, साउथ ब्लाक में पानी और बिजली का संकट पैदा हो गया है। जब से सत्र शुरू हुआ है, यह दिक्कत उत्पन्न हो गई है। सांसदों को अपने कर्त्तव्य पालन में बाधा पहुंच रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र इस समस्या का हल करे, जिससे हम लोगों की कठिनाई दूर हो सके। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह के कथन के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह जी, क्या आप अपने मामले पर चर्चा नहीं करेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश जाधव।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): अध्यक्ष महोदय, यहां पर इस प्रकार का हंगामा हो रहा है, पहले भी कांग्रेस के लोगों ने धमकी दी थी *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप विषय पर बोलेंगे या नहीं।

श्री सुरेश रामराम जाधव : अध्यक्ष महोदय, आप इस पर कुछ तो रूलिंग दें *...(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक महत्वपूर्ण पाइंट है, लेकिन सरकारी पक्ष की तरफ से हंगामा चल रहा है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। यह उचित व्यवहार नहीं है। मैं अपना विनिर्णय पहले ही दे चुका हूं। यदि कुछ भी आपत्तिजनक मिलता है, उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाला जा सकता है और हम चैम्बर में उस पर चर्चा कर सकते हैं। यह उचित तरीका नहीं है। कृपया आप अपनी सीट पर जाइए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह रिकार्ड में आ जाएगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सत्ता पक्ष की ओर से बहुत कुछ कहा जा चुका है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हमने बोला है कि हम चैम्बर में डिसकस करेंगे कि क्या हो गया?

...(व्यवधान)

श्री राज बब्बर (आगरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाना चाहता हूं। *...(व्यवधान)* मेरा क्षेत्र आगरा पूरी तरह से पर्यटन उद्योग पर निर्भर करता है। *...(व्यवधान)* इस सरकार की साजिश के तहत जब से लोक सभा चुनाव हुए हैं, तब से आगरा की जनता पर अत्याचार पर अत्याचार किये जा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राज बब्बर के कथन के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राज बब्बर : कल अपरिहार्य कारणों की वजह से आगरा के लिए चलने वाले एक इंडियन एयरलाइन्स के विमान को भी बंद कर दिया गया। कुछ रोज पहले मैंने नागरिक उड्डयन मंत्री जी से बातचीत की थी और उन्होंने वादा किया था कि आगरा के अंदर अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी। मुझे दुख इस बात का है कि भाजपा को जो करारी हार आगरा से मिली है, उसके कारण *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राज बब्बर : मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार में होते हुए भी ये लोग सरकार को चलाने का काम न करके सरकार को रोकने का काम कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरफ जो एक समूह बैठा हुआ है, ...*(व्यवधान)* मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें कैसे-कैसे लोग हैं जो सदन को चलने नहीं देना चाहते। ...*(व्यवधान)* मैं अपने क्षेत्र से चुनकर आया हूं। वहां की जनता की समस्या रखना चाहता हूं। ये लोग मेरी इस बात को नहीं मानते। ये लोग मेरे क्षेत्र की बात को नहीं सुनने देना चाहते। ...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से नागरिक उड्डयन मंत्री जी पर दबाव रखना चाहता हूं कि अगर आगरा की जनता ने यह तय कर लिया कि यह नहीं चलेगा, ...*(व्यवधान)* इनसे कहें कि ये नारे बाहर जाकर लगाएं। यह सदन क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए काम करता है। मेरी समझ में नहीं आता कि एक शब्द अगर माननीय सदस्य ने कह दिया कि अगर आपको नहीं सुनना है तो बाहर चले जाओ तो इनको क्या तकलीफ हो रही है? ये यहां क्यों बैठे हुए हैं? इनको नहीं बैठना चाहिए था। इस क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करने की बजाए अब वहां जाकर बैठ गए हैं। ...*(व्यवधान)* मेरी आपसे विनती है कि आगरा के पर्यटन के ऊपर जो कातिलाना हमला किया है, ...*(व्यवधान)* उस कातिलाना हमले से ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे बात को समझने का पहले ही अनुरोध कर चुका हूं। सर्वप्रथम, आप मुझे रिकार्ड देखने दें कि क्या हुआ है। तत्पश्चात् मैं आपकी बात सुनूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राज बब्बर : ये समूह के लोग जो सरकार में बैठे हैं, उच्छृंखल व्यवहार करते हैं। ...*(व्यवधान)* हमारे क्षेत्र की बातों को भी आप तक नहीं पहुंचाने देते हैं। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है। ...*(व्यवधान)* इन्होंने आगरा क्षेत्र में अपना दबाव डालकर नागरिक उड्डयन मंत्री, जो वहां पर अन्तरराष्ट्रीय सेवायें देना चाहते हैं, उन पर दबाव डालकर वहां की घरेलू सेवाओं को भी बन्द करा दिया है। ...*(व्यवधान)* मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को शर्म आनी चाहिए। चुनाव में हारने के बाद इस तरह से कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राम नगीना मिश्र, मैं आपसे अपनी सीट पर बैठने का पुनः अनुरोध कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आप इधर से बात नहीं कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.11 बजे

(इस समय श्री राम नगीना मिश्र और श्री विनय कटियार अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे रिकार्ड देखने दें। मुझे यह देखना है कि इसमें है क्या? मैं अपना निर्णय पहले ही दे चुका हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड की जांच करूंगा। मुझे देखना है कि उसमें क्या है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री लाल बिहारी तिवारी।

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली): महोदय, आप पहले इस मामले को देखें, तब ही मैं बोलूंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राम दास आठवले, आपका इन्टरप्शन अब ज्यादा हो रहा है।

श्री लाल बिहारी तिवारी : महोदय, सदन में दादागिरी हो रही है। कांग्रेस के केवल पुरुष सदस्य ही नहीं, महिला सदस्य भी धमकी देती हैं। इसलिए आपको निर्णय देना होगा। ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आपने जो नोटिस दिया है, उसके बारे में बोलिए।

श्री लाल बिहारी तिवारी : आप पहले फैसला कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : फैसला बाद में हो जाएगा। आपने जो नोटिस दिया है, उसके बारे में बोलिए।

श्री लाल बिहारी तिवारी : इसके लिए क्या बोलें। आप संरक्षण नहीं देंगे और दादागिरी हो रही है। इसके लिए जब तक आप फैसला नहीं देंगे, प्रोटैक्शन नहीं होगा, तब तक हम क्या बोलें ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, हम आपकी मजबूरी को समझ सकते हैं। आपने देखा नहीं है, इसलिए आप कोई व्यवस्था नहीं दे सकते हैं। जब कोई जैस्चर देता है, तो स्वाभाविक रूप से टेप-रिकार्डिंग में नहीं आता है, लेकिन विडियो रिकार्डिंग में आता है। आप उसको देख लीजिए। अगर किसी सदस्य का जैस्चर अनपार्लियामेंट्री है, तो आप उचित कार्यवाही कीजिए। आपसे हमारी इतनी ही प्रार्थना है।

अध्यक्ष महोदय : जरूर।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल बिहारी तिवारी : महोदय, त्रिपुरा को भारत से अलग कर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए नेशनल लिब्रेशन फ्रन्ट आफ त्रिपुरा (एन.एल.एफ.टी.) नामक उग्रवादी संगठन बना है। उसके नाम से ही उसके उद्देश्य का पता लगता है।

एन.एल.एफ.टी. ने पिछले छः सालों में 1757 लोगों का अपहरण किया और उनमें से 120 की हत्या कर दी, शेष भारी फिरौती देकर छूटे। 1724 लोगों को मार दिया गया है। सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों के 168 जवान भी उग्रवाद के शिकार हुए हैं।

इन्हीं लोगों ने पिछले साल 6 अगस्त को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के चार प्रमुख कार्यकर्ताओं का अपहरण कर लिया था। अपहृत कार्यकर्ता हैं - पूर्व क्षेत्र के क्षेत्र कार्यवाहक श्री श्यामलकांत सेनगुप्त, प्रांत शारीरिक प्रमुख श्री दिनेन्द्र नाथ दे, त्रिपुरा राज्य प्रचारक श्री सुधामय दत्त, जिला प्रचारक श्री शुभंकर चक्रवर्ती। ...*(व्यवधान)* मुख्य मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इनकी रिहाई करने के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से विशेष रूप से वहां प्रयास किया जाना चाहिए।

श्री साहिब सिंह : महोदय, दिल्ली के अंदर एक ऐतिहासिक एमआरटीएस का कार्य हो रहा है और बहुत तेजी से काम चल रहा है। उस काम के साथ-साथ हमने प्रारम्भ में तय किया था कि जितने भी रेज़ीडेंशियल हाउसेस और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी इससे प्रभावित होंगी, उन्हें उसका अल्टरनेटिव दिया जाएगा।

महोदय, एक बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, जो 24 गांव का यमुना पार में है, वह इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उसे इसका अल्टरनेटिव नहीं मिला है। इसमें हजारों मकान उजाड़े जाने हैं, उसका अल्टरनेटिव जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये उजाड़े नहीं जाने चाहिए। उसके लिए गाइडलाइन बननी चाहिए। मंत्री जी को आपकी तरफ से और हाउस की तरफ से डायरेक्शन जानी चाहिए कि इसके लिए गाइडलाइन बनाई जाए और बिना उन लोगों को अल्टरनेटिव दिए, बिना उसके बदले में कोई जमीन दिए, दुकान, मकान दिए, बिना इंडस्ट्री दिए उन्हें वहां से उजाड़ा नहीं जाना चाहिए। हमने इसका जो प्रोजैक्ट बनाया था, उसमें प्रावधान किया था। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो हजारों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, उनके बारे में सोचा जाए। एक तरफ दिल्ली के लोगों के लिए इतना बड़ा ऐतिहासिक काम हो रहा है, जो बहुत अच्छा हो रहा है। वह संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसे डायरेक्शन चाहिए, इन लोगों को रिहेबिलिटेट करना है, रिसेटल करना है। ...*(व्यवधान)* इस बात की अत्यधिक आवश्यकता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली): महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आंध्र प्रदेश दूरसंचार सर्किल में भारी संशय की स्थिति व्याप्त हो रही है। यहां समस्या दो रूपों में है। प्रथमतः हाल ही में सरकार ने एक घोषणा की है कि दूरसंचार विभाग का विनिवेश और निजीकरण होने जा रहा है। इसके बाद कर्मचारियों के बीच कतिपय अकर्मण्यता की स्थिति है जिसके फलस्वरूप कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है। दूसरा इसके साथ यह ज्ञात है कि किसी विशेष राज्य में दूरसंचार सामग्रियों की आपूर्ति हेतु निविदाओं को अंतिम रूप देने के लिए न्यायालय में कुछ याचिकाएं दर्ज हैं। याचिका के लंबित रहने के फलस्वरूप संपूर्ण दूरसंचार सामग्रियों जैसे केबल की आपूर्ति जो तार के बिछाने से संबंधित है और जो टेलीफोन उपभोक्ताओं को कनेक्शन दे रही है आंध्र प्रदेश में बंद है। आंध्र प्रदेश में कोई याचिका लंबित नहीं है।

महोदय, मैं सरकार से एक स्पष्ट नीति उजागर करने की मांग करता हूं कि क्या विनिवेश होने जा रहा है, क्या मुकदमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और क्या आंध्र प्रदेश दूरसंचार सर्किल को सामग्रियों की आपूर्ति पुनः होने जा रही है ताकि कार्य में प्रगति हो सके।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): महोदय, आज 9 अगस्त है और हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारी नेता कुमारी ममता बनर्जी राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में चमकाईथाला में एक विशाल रैली को संबोधित करने जा रही हैं। हमने 'करो और मरो' नारे के साथ 1942 में अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध लड़ा। वर्ष 2000 में हम एक नारा देने जा रहे हैं कि "हम 2000 में पश्चिम बंगाल में फासीवादी सी.पी.आई.(एम.) का विरोध करेंगे।"

महोदय, पश्चिम बंगाल में सैकड़ों हजारों कामगारों और भूमिहीन कृषि मजदूरों की बेतहाशा हत्या की जा रही है। वास्तव में हमें फासीवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध पश्चिम बंगाल में दूसरी आजादी की लड़ाई लड़नी है। मुझे विश्वास है कि इस लड़ाई में पूरा राष्ट्र हमारे साथ होगा और सभी कम्युनिस्ट विरोधी ताकतें हमारे साथ एकत्र होंगी। यह दूसरी लड़ाई है जिसे हम कुमारी ममता बनर्जी के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं और जिसके लिए लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ होगा।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में सरप्लस गन्ना बहुत ज्यादा है और महाराष्ट्र सरकार ने 1500 रुपये प्रति हैक्टेयर सरप्लस गन्ने पर देने का वायदा किया था लेकिन उसका भुगतान आज तक नहीं हुआ है। किसान लोग वहां धरने पर बैठे हैं और इसके विरोध में मोर्चा भी निकाल रहे हैं। मेरे क्षेत्र परभनी में ही एक लाख हैक्टेयर से अधिक गन्ना सरप्लस है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस सरप्लस गन्ने के भुगतान के लिए महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दे और अगर महाराष्ट्र सरकार के पास पैसा नहीं है तो केन्द्र सरकार महाराष्ट्र सरकार को पैसा देकर मदद करे, जिससे गन्ना किसानों को पैसा मिल सके।

[अनुवाद]

श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी (कन्नानौर): अध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्रीय सरकार के ध्यान में एक महत्वपूर्ण विषय लाने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह माध्यमिक शिक्षा के विकास से संबंधित है। 10+2 शिक्षा प्रणाली के क्रियान्वयन के बाद केरल सरकार वेतन के भुगतान और अन्य संस्थापना खर्चों पर बार-बार भारी व्यय कर रही है। केरल राज्य ने लगभग 400 से ज्यादा सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में इस वर्ष माध्यमिक पाठ्यक्रम की शुरूआत की है। डीलिंकिंग प्रोसेस को पूरा कर लिया गया है। अब केन्द्रीय एकीकृत प्रणाली को लागू किया जा रहा है। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से इस उद्देश्य हेतु एक विशेष अनुदान स्वीकृत करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष जी, हम एक बहुत ही गंभीर सवाल उठा रहे हैं। बिहार का इतिहास काफी गौरवमयी रहा है लेकिन सोनी टीवी पर एक तथाकथित पत्रकार खुशवंत सिंह का इंटरव्यू आया जिसमें कहा गया कि बिहार के सारे लोग भिखमंगे और नंगे होते हैं। अध्यक्ष जी, यह बिहार की 10 करोड़ जनता का अपमान है।

अपराह्न 1.24 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

उपाध्यक्ष जी, बिहार के लोग मेहनती हैं और उनके परिश्रम के कारण ही दिल्ली जैसे शहर में बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी हैं। बिहार के लोगों का इस तरह से अपमान करना किसी भी प्रकार से किसी को शोभा नहीं देता। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा कि खुशवंत सिंह जैसे तथाकथित पत्रकार को वह माध्य करे कि वह बिहार की जनता से माफी मांगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार कानूनी कार्यवाही करके, उसको गिरफ्तार करके जेल में बंद करे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम यह चेतावनी देते हैं कि बिहार की धरती पहले से ही क्रांतिकारी धरती रही है और बिहार के लोगों के दिल में इस बात को लेकर अपमान का बदला लेने की भावना झलक रही है। अगर उन पर सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं की गयी तो बिहार के जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं वे खुशवंत सिंह को घेरकर उस अपमान का बदला लेने के लिए मजबूर होंगे। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके आसन से संरक्षण चाहते हैं और यह बिहार की 10 करोड़ जनता के अपमान का सवाल है। अगर समय रहते सरकार ने खुशवंत सिंह से माफी नहीं मंगवाई या वे माफी नहीं मांगते हैं या सरकार उन पर मुकदमा करके उन्हें जेल में बंद नहीं करती है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि साम्प्रदायिक दंगा भड़ सकता है। इसलिये हम निवेदन करेंगे कि आप आसन से हमें संतोष दें, संरक्षण दें और बिहार की जनता को अपमानित होने से बचायें ...*(व्यवधान)* मैं आपके आसन से संरक्षण चाहता हूं। यह बिहार की जनता का अपमानित होने का सवाल है। आप सरकार को निर्देश दीजिये कि इस संबंध में कदम उठाये। आप इतना तो कह सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम निर्देश नहीं दे सकते।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इससे बिहार की जनता का अपमान हुआ है। आप हमें आसन से संरक्षण दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

मिनिस्टर नोट कर रहे हैं। मि. कलिअप्पन।

[अनुवाद]

***श्री के.के. कलिअप्पन** (गोबिचेट्टिपालयम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि ऐसे समय में अब भारत में क्या हो रहा है जब कि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। हम कृषि क्षेत्र और उससे संबंधित भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों के लिए चुनौती का सामना करते हैं। हल्दी, ईख, चाय, प्याज और नारियल का उत्पादन करने वाले किसान अब भारी समस्या का सामना कर रहे हैं। उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना होता है। उन्हें आत्महत्या के लिए बाध्य किया जाता है। यह अखबारों में भी प्रकाशित हुआ है कि वे अपनी दुर्दशा के अंत के लिए फांसी का फंदा लगाने के कगार पर खड़े हैं। इस प्रकार की स्थिति तमिलनाडु और देश के अन्य भागों में भी व्याप्त हैं। कृषक इस सरकार की आयात नीति द्वारा बुरी तरह प्रभावित है। वे ऐसे कृषि उत्पाद के आयात द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावित हैं जिसका उत्पादन पहले से ही अपने देश में अधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा है। आयात नीति भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर रही है जो इसे बर्बादी की ओर ले जा रही है। महान तमिल कवि संत तिरुवलूवर ने कहा है:-

"इदिपरई इलाथा इमारा मानन
केडुप्परे इलाथा केदुम।"

यदि कोई आपकी गलतियों की ओर संकेत करने वाला नहीं है तो बिना किसी के कुछ किए आप बर्बाद हो जाएंगे। ठीक यही स्थिति अब इस सरकार के साथ हो रही है। इस सरकार द्वारा आयात नीति के संचालन से कृषक और किसान भुखमरी के शिकार हुए हैं और उन्हें आत्महत्या करने को मजबूर किया जाता है। उनका जीवन अनिश्चित हो रहा है जो किसान हल्दी, गन्ना, प्याज, चाय और नारियल का उत्पादन करते हैं अब वे भारी संकट में हैं। उनकी स्थिति दयनीय हो रही है। अत: ऐसे कृषि उत्पाद और उत्पादों के आयात को तुरंत रोका जाना चाहिए। सरकार को पामोलिन के आयात पर अवश्य प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अनेक देशों ने खजूर तेल के खपत को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से घातक होने के कारण इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन भारत इसका आयात कर रहा है। ऐसे कृषि उत्पाद जो स्थानीय किसानों को प्रभावित करेगी, वह अनेक देशों में प्रतिबंधित है। इधर भारतीय वैज्ञानिक नारियल तेल की एड्स की आरोग्य क्षमता पर अनुसंधान कर रहे हैं। ऐसे नारियल किसानों को बेहतर व्यापार का अवसर नहीं मिल रहा है। किसानों को अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलना चाहिए। नारियल पर चर्चा करने से पहले मैं तमिलनाडु में भ्रष्टाचार के बारे में आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं जो वहां कुछ मंत्रियों द्वारा किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कलिअप्पन, आप सरकार से क्या चाहते हैं? उसका उल्लेख करें।

श्री के.के. कलिअप्पन : खुले बाजार में खोपरा 20 रुपये प्रति किलो उपलब्ध है लेकिन इसकी खरीद 32 रुपये प्रति किलो की गई है। इस सौदे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अवश्य छानबीन की जानी चाहिए। सरकार को आयात नीति को अवश्य रद्द कर लेना चाहिए जो किसानों को प्रभावित करती है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कुछ कहना चाहती है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने दूसरे सदस्य को बुलाया है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे ऐसा नहीं कर सकते। श्री रामजी लाल सुमन।

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय......

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बोलना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : बोलना चाहते हैं तो बोलने दें। मैं कैसे कह दूं? मंत्री जी, क्या बोलना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : उसी विषय पर बोलना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

उपाध्यक्ष महोदय : मि. मिनिस्टर, पहले जब मैंने आपको बताया कि क्या आपको कुछ कहना है, आपने कहा कि नहीं। अब क्या कहना चाहते हैं? मैंने इसी बीच में दो आदमियों का नाम बुला लिया है। आप इतना विलम्ब क्यों करते हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मामला सदन में उठाया है, उस संदर्भ में यह जो जानकारी हैं, मैं संबंधित मंत्री से बात करके उनका भाव व्यक्त कर दूंगा।

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, ऊधमसिंह नगर में तनाव है। जब उत्तरांचल राज्य का विधेयक इस सम्मानित सदन में पेश किया गया था तो उस समय भी हम लोगों की यह राय थी कि ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार के लोगों को विश्वास में लेने का काम होना चाहिए। ऊधमसिंह नगर को उत्तरांचल में मिलाये जाने के खिलाफ वहां के लोगों ने 72 घंटे का जाम लगाया है। वहां का जन-जीवन अस्त-व्यस्त है, वहां बंद हुआ। वहां के लोग अपने को उत्तर प्रदेश में रखना चाहते हैं, यह वहां के लोगों की ख्वाहिश है। यह एक बहुत गंभीर मामला है। श्री जॉर्ज फर्नान्डीज की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, जिसके सदस्य उत्तर प्रदेश और पंजाब के मुख्य मंत्री थे। शिरोमणि अकाली दल ने भी इस पर ऐतराज व्यक्त किया है और कहा है कि जार्ज साहब की सदन में निजी राय थी, उस कमेटी की कोई सामूहिक राय नहीं थी। ऊधमसिंह नगर के लोग उत्तर प्रदेश में रहना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह जीरो ऑवर है, इसमें भाषण मत करिये।

श्री रामजीलाल सुमन : मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि इस मामले में लोगों की इच्छा के अनुकूल ही फैसला लिया जाए और उत्तर प्रदेश में ही ऊधमसिंह नगर को रहने की उनकी ख्वाहिश को पूरा करने का काम किया जाए।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महोदय, आज हम सभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता तथा साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। लेकिन मुझे यह कहते हुए काफी दुख है कि गुजरात के कुछ क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों पर एक विशेष वर्ग के लोगों द्वारा उत्पीड़न और हमला किया जा रहा है।

महोदय, सूरत में विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा बंद के आह्वान के दौरान एक विशेष समुदाय के लोगों के घरों और दूकानों को लूटा गया और सभी पीड़ित मुसलमान हैं। छह लोग वहां मारे गए और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। वहां संपत्ति की क्षति 50 करोड़ रुपये से ज्यादा होने का अनुमान है। महोदय विश्व हिन्दू परिषद द्वारा बंद के आह्वान के परिप्रेक्ष्य में सूरत शहर और विश्रामनगर क्षेत्र के अलावा अहमदाबाद, साहर कोटडा पुलिस स्टेशन क्षेत्र खेदबक्षम शहर, लंबाडिया गांव (सबरकांथा जिला) प्रभावित है और एक दिन पहले कल भी मदोसा शहर में साम्प्रदायिक दंगा हुआ था।

मुझे यह कहते हुए बहुत दुख है कि ऐसे अत्याचारों में अनेक दलों के कार्यकर्त्ता शामिल हैं। लोगों पर हमला करना उनकी विचारधारा हो सकती है। लेकिन अल्पसंख्यकों या देश के किसी भी नागरिक के विरुद्ध प्रशासन, विशेषकर सुरक्षा बल ऐसे हत्याओं, ऐसे हमलों, ऐसे लूट और ऐसे अत्याचारों को कैसे उकसाते हैं? यह सरकार के लिए शर्मिन्दगी की स्थिति है कि सुरक्षा बलों के अधिकारी और निम्न पदों पर कार्यरत अधिकारी भी ऐसा करते हैं। अनेक निर्दोष लोगों को निर्दयी पुलिस, राज्य रिजर्व पुलिस (एस.आर.पी.) द्वारा तंग किया गया है और थाने तक घसीटा गया है। इसलिए लोग सुरक्षा के लिए वकालत करते हैं। वे सुरक्षा चाहते हैं। यहां तक कि पुलिसकर्मी भी निर्लज्जतापूर्वक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से कहते हैं कि वे पाकिस्तानी हैं और वे पाकिस्तान क्यों नहीं जाते हैं?

मेरे पास प्रेस की अनेक रिपोर्टें हैं लेकिन मैं सभा का महत्वपूर्ण समय नहीं लेना चाहता। एक प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक 'द इंडियन एक्सप्रेस' और यहां तक कि 'द एशियन ऐज' ने भी इसको प्रकाशित किया है। इसे विस्तृत रूप से प्रकाशित किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अल्पसंख्यक इस देश के नागरिक नहीं हैं। क्या उन्हें सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए? क्या उन्हें जान-माल का कोई अधिकार नहीं है। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह गुजरात के विभिन्न हिस्सों में हुआ है। यह गुजरात के विभिन्न हिस्सों में हुआ है। यह सिर्फ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मामला नहीं है बल्कि यह साम्प्रदायिक शांति और सद्भाव को नष्ट करने का भी मामला है। इसे रोका जाना चाहिए। सरकार को दोषियों के विरुद्ध उचित, मजबूत और कड़ा कदम उठाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सरकार उन दोषियों के विरुद्ध कुछ कार्रवाई करेगी।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, जो कहा गया है मैं उससे सहमति रखता हूं। यह बात यहां तक कि राजस्थान में हुई है। जो हो रहा है, उस पर सरकार को अवश्य स्पष्टीकरण देना चाहिए। पूर्ण अकर्मण्यता है।

उपाध्यक्ष महोदय : बिल्कुल ठीक। मैं आपको इसके साथ शामिल होने की अनुमति प्रदान करता हूं।

श्री ई. अहमद : महोदय, गुजरात में उन स्थानों पर वर्ष 1992 की घटना दुहराई गई है। ...*(व्यवधान)* सूरत शहर इसके कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, हम सभी श्री अध्यक्ष द्वारा यहां व्यक्त किए गए विचारों से संबंध रखते हैं और समर्थन करते हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, हमने साम्प्रदायिक स्थिति पर एक चर्चा की मांग की थी। यह चर्चा भी सभा में नहीं आ पा रही है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आज हम कार्य मंत्रणा समिति में इसे उठाएंगे।

श्री जी.एम. बनातवाला : हमें इसके बारे में बताया जाना चाहिए। यह सत्र का तीसरा सप्ताह है। मैंने पहले ही दिन ही स्थगन प्रस्ताव उठाया था और उस समय मुझे यह कहा गया था कि इस पर चर्चा होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो रही है, आप वहां इसे उठा सकते हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला : लेकिन साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा का क्या हुआ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप आज कार्य मंत्रणा समिति में इसे उठा सकते हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, मैंने पहले दिन ही इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव लाया था। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप कार्य-मंत्रणा समिति के एक सदस्य हैं। आप आज समिति की बैठक में इसे उठा सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला : यह कैसे जानें कि यह चर्चा कब होने जा रही है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : महोदय, आज अपराह्न 3.30 बजे कार्य मंत्रणा समिति की एक बैठक है।

...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला : यह आज का प्रश्न नहीं है। साम्प्रदायिक स्थिति पर यह चर्चा कई बार टाल दी गई। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप आज इसे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में उठा सकते हैं। हम सभी वहां उपस्थित होंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): महोदय, मैं भी इससे जुड़ा हूं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री दासमुंशी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार के विधि मंत्रालय से संबंधित एक बहुत ही भावनात्मक और संवेदनशील मसला उठा रहा हूं; और मुझे आशा है कि सरकार—संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और अन्य मंत्रिगण यहां बैठे हैं – इसे पूरी गंभीरता से विवेचित करेगी, क्योंकि मुझे आशंका है कि भविष्य में कानून और व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न होगी।

महोदय, वैसे तो देश के संपूर्ण मानचित्र में उत्तरी बंगाल का क्षेत्र उपेक्षित ही माना जाता है। इस क्षेत्र में एक जिला है – जलपाईगुड़ी, जोकि उत्तरी बंगाल का सम्भाग मुख्यालय है। इस जिले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की बड़ी संख्या है। इस जिले में कमजोर वर्गों से जुड़ी कुछ चाय-उद्योग हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ की अनुशंसा पर और राज्य सरकार की अनुशंसा पर, इस जिले में कलकत्ता उच्च-न्यायालय की दौरा पीठ स्थापित की गई है। तत्कालीन विधि मंत्री, श्री राम जेठमलानी के अनपेक्षित दौरे के बाद, अचानक ही कलकत्ता उच्च न्यायालय और राज्य सरकार के निर्णय को पुनर्विचारार्थ वापिस ले लिया गया। यह उत्तरी बंगाल और जलपाईगुड़ी की अवमानना है। यह बहुत बुरी बात है। मुझे प्रतिदिन कई रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं। किसी भी समय स्थिति बिगड़ सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार, विशेषकर विधि मंत्री से अनुरोध करता हूं, 'कृपया जलपाईगुड़ी में दौरा पीठ स्थापित करने की कलकत्ता उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ और राज्य सरकार की पूर्ववर्ती अनुशंसा की अवमानना मत कीजिए।'

विभिन्न राज्यों में ऐसे कई मामले हैं, जहां उच्च न्यायालय की अनुशंसा के बिना ही दौरा पीठ स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है और यहां, जलपाईगुड़ी में दौरा पीठ स्थापित करने के संबंध में राज्य सरकार और कलकत्ता उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ का सर्वसम्मत मत है। कृपया इसका सम्मान कीजिए। कृपया इसे बदलिए मत। उत्तरी बंगाल से आने वाले सभी सदस्य, भले ही वे किसी भी पार्टी के हों, इस मसले - जलपाईगुड़ी में दौरा पीठ स्थापित करने के संबंध में एकमत हैं।

[हिन्दी]

श्री रामचन्द्र पासवान (रोसेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि बिहार में हाजीपुर रेलवे जोनल कार्यालय को बंद करने के निर्णय और पटना गंगा नदी पर रेलवे पुल का कार्य सर्वे में डालकर टालने की जो साजिश की जा रही है। समस्तीपुर-खगरिया छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का प्रस्ताव पास होने के बावजूद भी रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही है। हसनपुर-सकरी नयी रेल लाइन, कुशेश्वर स्थान खगड़िया नई लाइन, कटिहार-जोगबनी रेलवे, मानसी सहरसा छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का काम, पटना-गया लाइन के दोहरीकरण के कार्य में आवश्यक विलंब, आरा में सासाराम रेलवे लाइन, रांची में डिविजनल जोनल कार्यालय का जो निर्माण कार्य है, उसको बंद करने का निर्णय एवं बिहार की अन्य महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं के संबंध में सरकार के नकारात्मक रवैये के खिलाफ आज 9 अगस्त से बिहार के सभी दलों के लोगों ने, सांसदों ने रेल चक्का जाम कर रखा है। बिहार के 46 संसद सदस्यों ने जिसमें कई केन्द्रीय मंत्री भी शामिल हैं, चार माह पूर्व माननीय प्रधान मंत्री जी को बिहार के साथ रेल मंत्रालय द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैये के खिलाफ दो बार लिखा है।

अत: मैं सरकार के माध्यम से मांग करता हूं कि उसे शीघ्र पूरा किया जाए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, जीरो आवर में पढ़कर नहीं बोलना है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, जो मामला श्री पासवान ने उठाया है उसको देखकर लगता है कि यह सरकार बिहार के साथ घोर दुश्मनी का व्यवहार कर रही है। श्री राम विलास पासवान जब रेल मंत्री थे, तो उन्होंने हाजीपुर रेलवे जोनल कार्यालय बनवाया, पटना रेल पुल का शिलान्यास हुआ, उन सब कार्यों को बंद कर दिया गया है। उसको आगे नहीं किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मो. शहाबुद्दीन के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं लिया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद शहाबुद्दीन (सिवान): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दयानन्द मैडिकल कॉलेज अस्पताल, बिहार की ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि उसकी 50 सीटों के स्थान पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने घटाकर 40 सीटों का नामांकन कर दिए जाने के कारण जहां एक ओर छात्रों को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर परिषद् के मानदंडों के अनुसार पूरी व्यवस्था करने के बावजूद भी कॉलेज को पूरी सीटें भरने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसलिए मेरा आग्रह है कि सरकार इस ओर अविलंब ध्यान दे।

[अनुवाद]

श्री राशिद अलवी : मेरे मुद्दे के साथ क्या समस्या है?

उपाध्यक्ष महोदय : आपका मुद्दा नहीं लिया जाएगा। श्री हरीभाऊ शंकर महाले और श्री राशिद अलवी, दोनों के द्वारा उठाए गए मुद्दे एक समान हैं। इसे पहले ही उठाया जा चुका है, और माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसे इस तरह चिह्नित किया है, 'इसे पूर्व में ही उठाया जा चुका है और किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।'

श्री राशिद अलवी : यह एक बहुत गंभीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले ही निर्णय ले चुके हैं। उन्होंने इसे चिह्नित किया है। मैं इसे फिर नहीं ले सकता। मुझे खेद है।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे निर्वाचन क्षेत्र के बोकारो और धनबाद जिले के कई गांवों में मलेरिया और डागरिया रोग से कई लोगों की मौत हो गई है। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की जर्जर स्थिति है। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम केवल कागजों में है।

गरीबों की स्वास्थ्य संबंधी सहायता आंकड़ों के जाल में उलझी है। लेकिन हकीकत यह है कि स्वास्थ्य केन्द्र में दवा, उपकरण और चिकित्सक दोनों का अभाव है। दवा के दाम इतने

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आकाश छू रहे हैं कि गरीब जान देना उचित समझते हैं दवा खरीदना नहीं।,

अत: केन्द्र सरकार से आग्रह है कि मलेरिया और डायरिया के प्रकोप को रोकने के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे कहा न, कि आपका और श्री हरीभाऊ शंकर महाले - दोनों के मुद्दे पहले ही उठाए जा चुके हैं। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि 'मामला उठाया जा चुका है।' माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसे चिह्नित किया है।

श्री राशिद अलवी : मुझे वास्तव में मालूम ही नहीं, कि यह मामला एक ही है या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय का ऐसा निर्णय है। मैं इसे अब फिर नहीं ले सकता।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी : सर, वीरप्पन ने दो-दो प्रान्तीय सरकारों और सारे देश को एक तरफ खड़ा कर रखा है और सदन में उस मैटर को उठाने की इजाजत नहीं दी जा रही है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राशिद अलवी, यह वही मामला है।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी : सर, वीरप्पन के सामने एक क्रिमिनल के सामने सरकार झुक जाएगी *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राशिद अलवी, कृपया बैठ जायें।

श्री राशिद अलवी : यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे पहले ही कह दिया है। यह महत्वपूर्ण मामला होगा, लेकिन इसे पहले ही उठाया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने चिह्नित किया है कि इसे पहले ही उठाया जा चुका है। कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। चूंकि इसे पहले ही ले लिया गया है, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राशिद अलवी, कृपया सभा का समय बर्बाद मत करिए।

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। मैं एक अत्यंत चिंता के विषय की ओर माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, कुछ दिनों पूर्व, अमरीका के कौंसल-जनरल ने हत्याओं के संबंध में नानूर से सूचना एकत्रित करने के लिए दो व्यक्तियों को भेजा था। यह तो राज्य के मामलों में हस्तक्षेप है। पूर्व अमरीकी राजदूत मोयनिहम की आत्मकथा में उल्लेख है कि अमरीकी सरकार ने पश्चिम बंगाल और केरल में साम्यवादियों को सत्ता से दूर रखने के लिए दो बार धनबल का प्रयोग किया। तो, यह देश की संप्रभुता की अवहेलना है। मैं मा.नीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे अमरीकी दूतावास से अपनी नाराजगी प्रकट करें। यह तो हमारे देश के मामलों में अमरीका का हस्तक्षेप है। इससे हमारी संप्रभुता खतरे में पड़ेगी। इस तरह, एक भारी चिंता का विषय है। इसलिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। बिहार राज्य का पटना विश्वविद्यालय हिन्दुस्तान का जाना-माना विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय से अनेक विद्वान, अच्छे विचारक, चिन्तक और प्रोफेसर्स हुए हैं। इस विश्वविद्यालय ने अनेकों ऐसे छात्रों को उपस्थापित किया है जो भारत की प्रशासनिक सेवा और आई.पी.एस. में काफी संख्या में आये हुए हैं कई एक वैज्ञानिक बनाए हैं। मैं चाहता हूं कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय संप्रेषित विद्यालय बनाया जाये। *...(व्यवधान)* आप उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान करें और उसका सारा खर्चा अपने माध्यम से वहन करें। मेरा यह भी निवेदन है कि सरकार इस पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय दे।

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान भारत सरकार के उपक्रम प्रौजेक्ट्स एंड डेवलपमैंट इंडिया लिमिटेड की दयनीय अवस्था को सुधारने के संबंध में दिलाना चाहता हूं। जैसा कि देश में उर्वरक प्रौद्योगिकी के विकास के महती उद्देश्य को लेकर पी.डी.आई.एल. की स्थापना की गई थी। जिसके तहत प्रौद्योगिकी विकास के साथ-साथ उर्वरक परियोजनाओं की परिकल्पना से लेकर उसके निर्माण एवं उत्पादन प्रारंभ करने तक की क्षमता का विकास संस्थान द्वारा किया जाये। 1978 में तत्कालीन उर्वरक निगम के

[श्रीमती रेनु कुमारी]

पांच कम्पनियों में विभाजन के पश्चात् पी.डी.आई.एल. को स्वतंत्र कंपनी का दर्जा दिया गया किन्तु उसके आय का कोई स्थायी स्त्रोत निर्धारित नहीं किया गया। इस वक्त यह तय किया गया कि बाकी की चार उर्वरक कम्पनियां प्रति टन एक रुपये की दर से पी.डी.आई.एल. को भुगतान करेंगी किन्तु यह व्यवस्था एक वर्ष भी नहीं चली। ...*(व्यवधान)* बिहार के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है इसलिए आप हमें बोलने का समय दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे, तो बिहार जो कि अनाथ है, वह अनाथ ही रह जायेगा। आप हमें दो मिनट बोलने दीजिए।

केन्द्र सरकार की औद्योगिक नीति में परिवर्तन के कारण संस्थान को उर्वरक परियोजनाओं का काम भी मिलना बंद हो गया तथा इटली की स्नेम प्रोग्रेटी एवं डेनमार्क की हाल्डर तापशो को मुख्य परामर्शदाता संस्थान नियुक्त किया जाने लगा। किन्तु ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां पी.डी.आई.एल. को पेटी पर काम देकर इन परियोजनाओं को निष्पादन करवाती थी जिसके लिए पी.डी.आई.एल. को बहुत कम भुगतान दिया जाता था और बीच का फायदा बहुराष्ट्रीय कम्पनियां उड़ा ले जाती थीं। धीरे-धीरे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने नयी परियोजनाओं में आयोजित उत्प्रेरक के इस्तेमाल की शर्त रखनी शुरू कर दी तथा ऊपर से तीन वर्ष के उपयोग हेतु उत्प्रेरकों को भी डम्प करना प्रारंभ कर दिया जिससे पी.डी.आई.एल. को उत्प्रेरक का बाजार मिलना धीरे-धीरे कम होने लगा और वे घाटे में चली गयीं।

दूसरी तरफ इस संस्थान के अध्यक्ष सह-प्रबंध-निदेशक द्वारा जानबूझकर उत्प्रेरकों की ज्यादा कीमत कोट कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* अंतिम मुद्दा जो हम सरकार के सामने रखना चाहते हैं, वे तो हम कर ही नहीं पाईं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : शून्यकाल में आपको जो सब्जैक्ट उठाना है, वही उठाइए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेनु कुमारी : संस्थान विरोधी कार्य में लिप्त होने के बावजूद 10 महीने पहले अवकाश ग्रहण करने के बाद भी उन्हें बार-बार विस्तार दिया जाने लगा और पी.डी.आई.एल. को बंद करने की साजिश रची जा रही है। ...*(व्यवधान)*

मैं आपके माध्यम से राष्ट्रीय महत्व की सिन्दरी स्थित पी.डी.आई.एल. को तथा कारखाने को बचाने की मांग करती हूं। अंत में मैं सरकार से यह भी मांग करती हूं कि वह अविलम्ब कार्रवाई करके मुझे भी बतायें ताकि मैं क्षेत्र में स्थिति का अध्ययन कर सकूं।

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य काल में कोई देखकर नहीं पढ़ सकता। अभी तक जो होगा, वह हो गया।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे यहां के रूल्स के मुताबिक शून्य काल में कोई भी पढ़ नहीं सकता।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठकर ऐसे नहीं बोल सकतीं। नियम 377 में आप पढ़ सकती हैं।

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.): मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र की तरफ खींचना चाहता हूं। मेरा लोक सभा क्षेत्र कृषि की दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसका मूल कारण है कि वहां अनुसंधान की जितनी जरूरत थी, अभी तक उतने अनुसंधान की व्यवस्था नहीं हो पाई है विशेषकर बिलासपुर जिले में, जहां पर कोई भी कृषि विज्ञान केन्द्र अभी तक नहीं खुला है। वहां पर लोग अभी तक परम्परागत कृषि के तरीकों पर निर्भर हैं।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जल्द से जल्द वहां पर कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना कराई जाये ताकि नये-नये अनुसंधान का लाभ वहां के किसान उठा सकें। जब मैं बारहवीं लोक सभा में था तब तत्कालीन कृषि मंत्री श्री सोमपाल जी ने मुझे सूचित किया था कि वहां पर एक कृषि विज्ञान केन्द्र खोला जायेगा। उसकी स्वीकृति की जानकारी भी मिली थी लेकिन लोक सभा भंग हो गई। मेरा कहना है कि वह केन्द्र अभी तक नहीं खुल सका है। मेरी आपके माध्यम से पुन: मांग है कि वहां के किसानों के साथ न्याय की दृष्टि से वहां जल्दी से जल्दी कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित हो ताकि वे आधुनिक तरीके से कृषि कर सकें।

[अनुवाद]

श्री पोन राधाकृष्णन (नागरकोइल): उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं।

केरल में, दस-जमा-दो पाठ्यक्रम निर्धारित करने के मामले को लेकर यू.डी.एफ. गठबंधन और छात्र संघ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने विभिन्न प्रदर्शन किए।

12 जुलाई को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने त्रिवेन्द्रम में सचिवालय पर प्रदर्शन करने के लिए एक मार्च आयोजित किया

और यह शांतिपूर्ण था। लेकिन, बिना किसी कारण के पुलिस द्वारा प्रदर्शनियों पर नृशंसातपूर्वक लाठीचार्ज किया गया।

अ.भा.वि.प. के प्रांताध्यक्ष श्री उन्नीकृष्णन, उपाध्यक्ष श्री सुरेश, कुमारी सिंदमोल, कुमारी अंजना, आशा, श्रीदेवी और अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए और अस्पताल ले जाते समय तक लड़कियों को बुरी तरह पीटा गया।

13 जुलाई को, महिला प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करने के लिए और मार्च आयोजित किया गया। जब यह मार्च सचिवालय के सामने आ रहा था, तो कुछ सी.पी.एम. कार्यकर्ता और 'मुफ्ती' पुलिसवाले उसमें चोरी-छुपे घुस गए और इस शांतिपूर्ण मार्च को हिंसक बना दिया।

इन असामाजिक तत्वों ने, सुनियोजित तरीके से, जन संपत्ति का नुकसान किया और मीडिया के लोगों की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया।

ऐसी बर्बरतापूर्ण कार्यवाही की जितनी निन्दा की जाए कम है। लेकिन, आज तक कोई उपयुक्त कार्यवाही नहीं की गई है।

अतएव, मैं सरकार से उक्त अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही करने का नम्र अनुरोध करता हूं। पुलिस द्वारा की गई अतिवादी कार्यवाही की जांच करने तथा असामाजिक तत्वों की शिनाख्त करने के लिए एक जांच-आयोग बिठाया जाना चाहिए और बढ़ते जा रहे भ्रष्टाचार तथा अपने खासमखास विद्यालयों में दस-जमा-दो पाठ्यक्रमों की अनुमति देने में हो रही धांधली के विरुद्ध भी कार्यवाही की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, तीन राज्यों - बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद मुझे आज प्रसन्नता है कि मैं सबसे बड़े प्रान्त और उसकी राजधानी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। आज राजस्थान की आबादी लंका से पांच गुना ज्यादा है, ब्रिटेन से भी ज्यादा है, अन्य प्रदेशों से भी ज्यादा है और हिन्दुस्तान में तो सबसे ज्यादा ही है। मेरा निवेदन है कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान इस समय भारतवर्ष के नक्शे में सर्वप्रथम आता है, राष्ट्रीय राजधानी अलवर तक का क्षेत्र इसमें आता है। इसके साथ-साथ पाकिस्तान के साथ जो सीमा जुड़ी हुई है, उसमें भी राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सा आता है। आज राजस्थान को जितनी सहायता मिलनी चाहिए, उतनी सहायता नहीं मिल रही है। गाडगिल फार्मूले में कहा गया है कि जहां रेगिस्तान और सारी नदियों का एक प्रतिशत पानी मिलता हो, उस प्रदेश को बहुत ज्यादा सहायता मिलनी चाहिए। मेरा अनुरोध है कि वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर गाडगिल फार्मूले के तहत राजस्थान को अधिक सहायता दी जाए। राजस्थान हिन्दुस्तान का सर्वोपरि प्रदेश है।

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी): उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान सदियों से चर्चित एक विषय की ओर ले जाना चाहता हूं, जिसकी चर्चा राम-जानकी से सम्बन्धित है। राम-जानकी के मार्ग की चर्चा सदियों से होती आई है कि जनकपुर से अयोध्या का सरल मार्ग बने। अभी जो जनकपुर से अयोध्या जाते हैं, उसके लिए लोग 548 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, जिसमें से 21 किलोमीटर नेपाल के अन्दर है, 220 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के अन्दर है, ये दोनों मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, किन्तु बिहार के अन्दर जो 307 किलोमीटर की दूरी हम तय करते हैं, यह काफी टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता है और एक ऐतिहासिक मार्ग है, जिससे राम-जानकी जनकपुर से अयोध्या की ओर चले थे, जिसमें 80 किलोमीटर मार्ग ऐसा है, जो सीतामढ़ी से डुमरियाघाट की ओर आता है, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबन, चकिया, केसरिया और डुमरियाघाट, अगर इसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाता है तो इससे 100 किलोमीटर की दूरी भी कम हो जाती है और यही मुख्य मार्ग है, जिससे राम जब जनकपुर से सीता के साथ लौटे थे तो इसी रास्ते से लौटे थे।

उपाध्यक्ष महोदय : भारत सरकार को क्या करना है, वह पूछिये।

श्री राधा मोहन सिंह : मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, जैसा लिस्ट में है, उसी तरह बोलेंगे, इधर के, उधर के इस तरह नहीं बोलेंगे। जैसे नोटिस आये हैं, जो नौ बजे आये हैं, उससे पहले 10 बजे वालों को चांस नहीं मिलेगा।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): माननीय उपाध्यक्ष जी, वाराणसी विश्व का महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल रहा है। यहां जैन, बौद्ध और हिन्दू धर्म की आस्था है। विश्व से बहुत सारे पर्यटक यहां आते हैं। यहां कालीन का व्यवसाय है, यह विश्व का प्रमुख केन्द्र है। यहां पर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने, इसके लिए मैंने 11वीं लोक सभा में मांग रखी, 12वीं में भी रखी और 13वीं में भी रखी। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वाराणसी नगर, जो उत्तर प्रदेश में है और विदेशी मुद्रा का अधिक से अधिक भाग देता है, इसके हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बहुत संक्षिप्त रूप में जल्दी से कहें।

श्रीमती फूलन देवी (मिर्जापुर): हम तो जल्दी ही बोलते हैं। आपने समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बड़ी देर से इन्तजार कर रही थी। मैं अपने संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर भदोही के बारे में कहना चाहती हूं। हमारा एक ब्लाक बनारस में भी आता है, लेकिन हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे तीनों संसदीय क्षेत्रों में, तीनों जिलों में खाली हाथ का काम होता है। वहां बुनकर लोग ज्यादा रहते हैं, लेकिन वहां चार घंटे बिजली आती हैं, छः घंटे भी बुनकरों को बिजली नहीं दी जाती है। हमने उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से मांग की थी कि कम से कम 18 घंटे उनको बिजली दी जानी चाहिए जो अपनी झोंपड़ी के अन्दर खड्डी लगाकर बुनाई करते हैं, ताकि वे 18 घंटे अपना काम कर सकें। लोग उसमें बारी-बारी से काम करते हैं, मां भी करती है, बाप भी करता है, बेटा भी करता है, कोई आदमी फालतू नहीं घूमता है, सब काम करते हैं। पर उनको इसके लिए कम से कम 18 घंटे बिजली चाहिए ताकि वे अपने भरण-पोषण के लिए, कम से कम अपनी खुराक के लिए तो काम कर सकें। अभी कालीन का काम भी मंदा है और साड़ियों का काम भी मंदा हो गया है। हर काम में उनको मजदूरी भी कम मिल रही है और उनको बिजली मिल नहीं रही है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश के जो भी बिजली मंत्री हैं, उनको निर्देश दें कि बुनकरों को विशेष सुविधा के तहत 18 घंटे बिजली मिलनी चाहिए।

श्री ब्रजमोहन राम (पलामू): मान्यवर उपाध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। बिहार के पलामू जिले के जपला सीमेंट फैक्टरी आज लगभग 10 वर्षों से बन्द पड़ी है। आज वहां प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से 30 हजार लोग बेघर हो गये हैं और बेरोजगार बैठे हुए हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई और बच्चियों की शादी सब रुकी हुई है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि इसमें अविलम्ब निर्णय लेकर उस सीमेंट फैक्टरी को खुलवाया जाये, क्योंकि उस ओर कोई दूसरी सीमेंट फैक्टरी नहीं है। यह तो सारे लोग जानते हैं कि पलामू जिला और गढ़वा जिला विशेष रूप से उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है और उसमें बेरोजगारी की बेतहाशा रूप से वृद्धि हो रही है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि करोड़ों रुपये की जो सम्पत्ति नष्ट हो रही है, बर्बाद हो रही है, उस सीमेंट फैक्टरी को अविलम्ब चालू करवाया जाये, जिससे वहां के लोगों को बचाया जा सके, वहां के लोगों को राहत मिल सके।

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1983 में तत्कालीन रक्षा मंत्री महोदय ने पूना के कैंटोनमेंट का दौरा किया था। उस दौरे में उन्हें महसूस हुआ कि डिफेंस एरिया में आरक्षित स्थान छोड़कर बाजार एरिया में नई बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। उस कंटोनमेंट एरिया में उससे प्राकृतिक सौन्दर्य में बाधा आ सकती है, इसलिए उन्होंने ऐसी बिल्डिंगें बनाने पर रोक लगाने की इच्छा प्रदर्शित की। इसी इच्छा के अनुरूप तत्कालीन जनरल आफिसर कमांडिंग इन चीफ ने 22 जुलाई, 1984 को एक अध्यादेश जारी करके सभी कैंटोनमेंट एरियाज के अन्तर्गत बाजार एरिया में एफ.एस.आई. जारी किया।

अपराह्न 2.00 बजे

उसके तहत नई बिल्डिंग बनाना, पुरानी बिल्डिंग को दुरुस्त करना, बिल्डिंग की ऊंचाई 18 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ग्राउंड फ्लोर के साथ दो मंजिल से ज्यादा की अनुमति देना बंद कर दिया है। बिंगार कैंटोनमेंट एरिया में सभी बिल्डिंग पुरानी और विपन्न अवस्था में हैं। एफ.एस.आई. के बारे में जो कमेटी बनी थी, उसने भी रिपोर्ट दे दी है। 14 साल से वहां कोई निर्माण कार्य या मरम्मत का कार्य नहीं हो रहा है। 14 साल पहले जिस परिवार में चार बच्चे थे, अब 14 हो गए हैं, घर बढ़ा चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : भारत सरकार से क्या कहना है, यह पूछें।

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदपुर): मेरा भारत सरकार से यह निवेदन है कि वह इस बारे में उचित कार्यवाही करे।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महाराष्ट्र में 14 अक्तूबर, 1950 के दिन बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ लाखों अनुसूचित जाति के लोगों ने बुद्धिज्म को स्वीकारा था। तब महाराष्ट्र में इनके लिए आरक्षित लोक सभा की सीटों की संख्या छः थी और विधान सभा में 36 थीं। लेकिन वहां के दलित लोगों के बौद्ध बनने के बाद इनमें कमी आ गई और लोक सभा की तीन तथा विधान सभा की 18 सीटें ही आरक्षित रह गई हैं। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि डीलिमिटेशन की आवश्यकता नहीं है। 1991 में वी.पी. सिंह जी ने अनुसूचित जाति के लोगों को बौद्धों वाली सुविधा दी इसलिए मेरी मांग है कि वहां लोक सभा की तीन की जगह छः और विधान सभा की 18 की जगह 36 सीटें उनके लिए आरक्षित की जाएं।

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा): उपाध्यक्ष जी, भटिंडा मेरा हलका है। वहां की एक बस्ती, जिसमें गरीब लोग रहते हैं, रेलवे वालों ने करीब 100 घर वहां ढहा दिए हैं, जबकि रेलवे की वहां

कोई प्रापर्टी नहीं है। एक केस कोर्ट में भी गया है। कोर्ट मे रेलवे वाले हार गए। उसके बावजूद भी उनको उजाड़ने की साजिश रची जा रही है। मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में जांच-पड़ताल करे और रेलवे को उन गरीबों के घर ढहाने से रोका जाए।

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा (जम्मू): उपाध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर की जो सरहद पाकिस्तान के साथ लगती है, वहां निरंतर पाकिस्तानी गोलाबारी के कारण एक लाख के गरीब लोग विस्थापित हुए हैं। वे एक साल से ज्यादा अर्से से कैम्प्स में रह रहे हैं। उनका खेती-बाड़ी के अलावा दूसरा कोई रोजगार नहीं था। केन्द्र की तरफ से उनको जो आर्थिक सहायता मिलती है, वह भी दो-दो, चार-चार महीने के बाद मिलती है। मेरा निवेदन है कि उनको मासिक आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। बरसात और तेज हवा के चलते उनके कैम्प भी फट गए हैं इसलिए उनको रिप्लेस किया जाए। वहां बिजली, पानी और दवा आदि की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। अत: केन्द्र सरकार राज्य सरकार से आग्रह करे कि उनके बच्चों की पढ़ाई की सुविधा, बिजली, पानी, राशन और आर्थिक सहायता की सुविधा समुचित रूप से उपलब्ध कराई जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 2.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.04 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 3.04 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन* हुए]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

जूट पैकेजिंग मानदंडों को समाप्त करने और पैकेजिंग के प्रयोजनार्थ गैर-जूट सामग्री की अनुमति दिए जाने के कारण जूट के लाभकारी मूल्य का भुगतान न किया जाना

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नोक्त विषय पर वस्त्र मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें:

> "जूट के लाभकारी मूल्य का भुगतान न किये जाने के कारण जूट उत्पादकों के सामने आ रही कठिनाइयों और जूट पैकेजिंग मानदंडों को समाप्त करने तथा पैकेजिंग के प्रयोजनार्थ गैर-जूट की सामग्री की अनुमति दिये जाने और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदम।"

वस्त्र मंत्री (श्री काशी राम राणा): सभापति महोदय, प्रारंभ में मैं उन माननीय सदस्यों को, जिन्होंने इस मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए नोटिस दिया है, को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि सरकार पटसन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में इसकी महता के बारे में पूरी तरह से अवगत हैं। सरकार विगत में न केवल इस क्षेत्र को सुरक्षित रखने, अपितु इसके विकास को सुकर बनाने के लिए भी विभिन्न उपाय करती रही है। हम कुछ नीतिपरक पहल के साथ-साथ कुछ नई परियोजनाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में भी लगे हुए हैं, जिनका उद्देश्य इस क्षेत्र का तेजी से विकास करना है।

सभापति महोदय, पटसन कृषकों को उनकी उपज की लाभप्रद कीमतें प्राप्त करने में सक्षम बनाने की दृष्टि से सरकार ने एक न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति बनाई है। वर्ष 1971 में स्थापित भारतीय पटसन निगम न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालन के अंतर्गत खरीदारियां शुरू करता है। वर्ष 1998-99 में टी.डी. 5/असम की न्यूनतम समर्थन कीमत 650/- रु. क्विंटल थी। सरकार ने वर्ष 1999-2000 में इसे बढ़ाकर 750/- रु. क्विंटल कर दिया और वर्ष 2000-2001 में इसको और बढ़ाकर 785/- रु. क्विंटल कर दिया। भारतीय पटसन निगम पहले ही बाजार में प्रवेश कर चुका है तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत अब तक 25,600 क्विंटल कच्चे पटसन की खरीद की है। भारतीय पटसन निगम पटसन उत्पादक क्षेत्रों में 171 केन्द्रों को चलाती है। इसके अलावा, भारतीय पटसन निगम न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियानों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए राज्य सहकारी समितियों और राज्य सरकारों के शीर्ष सहकारी समितियों के साथ समझौता कर खरीददारी को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है।

सभापति महोदय, चूंकि, पटसन का मुख्य प्रयोग पैकेजिंग के रूप में किया गया है, इसलिए इस क्षेत्र को वर्ष 1980 से वैकल्पिक पैकेजिंग सामग्री के रूप में प्लास्टिक के उद्भव से इस क्षेत्र ने कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना किया, इसलिए इस क्षेत्र में सन्निहित हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने पटसन पैकेजिंग सामग्री अधिनियम, 1987 बनाया है, जिसमें कुछ वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण में पटसन पैकेजिंग सामग्री के अनिवार्य प्रयोग

[श्री काशी राम राणा]

की व्यवस्था है। दिनांक 1.7.1999 को इस अधिनियम के अंतर्गत जारी तथा 31.3.2000 को अधिसूचित आदेशों में खाद्यान्न और चीनी की 90% तथा उर्वरक की 15% पैकेजिंग पटसन बोरों में करने की व्यवस्था है।

आदेश की वैधता जो 30 जून, 2000 को समाप्त होने वाली थी को 30 सितम्बर, 2000 तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने पटसन वर्ष 2000-01 के लिए किसी नए आदेश को जारी नहीं किया है। सरकार का इरादा पटसन फसल के आकार, खाद्यान्न और चीनी के उत्पादन की अनुमानित मात्रा, कुछ क्षेत्रों में 50 कि.ग्रा. के बोरों को शुरू करने के प्रभाव आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करने के पश्चात् 30 सितम्बर, 2000 से पूर्व एक नया आदेश जारी करना है। सरकार इस मामले में मुद्दे के सभी पहलुओं तथा पटसन उद्योग में लगे पटसन किसानों तथा कामगारों के हितों को ध्यान में रखकर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाती रही है। मैं सदन के माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि उनके बहुमूल्य सुझावों को मामले पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाएगा।

सभापति महोदय, मुझे आशा है कि माननीय सदस्य मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई स्पष्ट स्थिति से सहमत होंगे कि सरकार पटसन क्षेत्र के मुद्दों से अवगत है और वह इन मुद्दों को हल करने के सभी प्रयास कर रही है ताकि इस क्षेत्र को आगामी वर्षों में पूर्णतया सक्षम बनाया जा सके।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सभापति महोदय, सबसे पहली बात यह है मैं माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से सहमत नहीं हूं। मैं अपने विचारों पर अपने ढंग से प्रकाश डालकर इन्हें न्यायसंगत ठहराऊंगा।

पटसन अर्थव्यवस्था भारत के किसी विशेष जिले अथवा हिस्से से ही जुड़ी हुई नहीं है बल्कि यह उत्तरी भारत के वृहद क्षेत्रों विशेषकर बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सम्पूर्ण पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा से भी प्रमुखः जुड़ी हुई है। अब पटसन उत्पादक उस नीति के शिकार हो गये हैं जिसे सरकार ने पैकेज सम्बन्धी सम्पूर्ण मानदंडों को बदलने के लिए 18 जुलाई, 2000 को कैबिनेट मामलों संबंधी समिति में स्वीकार किया है।

महोदय, वर्ष 1987 में जब राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे तो मुझे वाणिज्य मंत्रालय का कार्य संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं जानता हूं कि सिंथेटिक और प्लास्टिक लॉबी के सुव्यवस्थित और निरन्तर दबाव के बावजूद हमने किस तरह उस समय पटसन उत्पादकों और पटसन उद्योग के हितों की रक्षा की थी। उस समय यह निर्णय लिया गया था कि खाद्यान्नों की शत प्रतिशत पैकिंग पटसन के बने बैगों में की जाये। चीनी की भी शत प्रतिशत पैकिंग पटसन के बैगों में होती थी। लेकिन दबाव बहुत ज्यादा था और उसके चलते नीति का पुनरीक्षण किया गया और उस समय यूरिया की पैकिंग अस्सी प्रतिशत पटसन के बने बैगों में होती थी।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि अब सरकार ने अपने को एक बिल्कुल विचित्र स्थिति में रखा है, इसी सरकार के पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं कि सिंथेटिक और प्लास्टिक थैलियां अपने जहरीले प्रभाव के कारण पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचा रहे हैं। और मंत्री जी यहां बैठे हैं। वह विश्व भर में प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, सेमिनारों और संगोष्ठियों को संबोधित कर रहे हैं और देश भर में व्याख्यान दे रहे हैं कि जहां तक पर्यावरण का सम्बन्ध है, इसे नुकसान पहुंचाने वाले अब तक के पदार्थ कौन-कौन से हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई गारंटी और मंत्रालय के आदेशानुसार पर्यावरण सुरक्षा के अनुरूप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में यह बात प्रमाणित और न्यायसंगत ठहरायी जा चुकी है कि प्रदूषण के लिहाज से अब तक पटसन के रेशे कितने अच्छे रहे हैं और सिंथेटिक और प्लास्टिक कितने खराब रहे हैं। इसके बावजूद इसी सरकार ने स्वयं पटसन उत्पादकों के अधिकारों को छीनने, पटसन उद्योग और पटसन मिलों के कामगारों का भविष्य खराब करने के लिए एक नई पैकेजिंग नीति शुरू की है जो विनाशकारी और खतरनाक है।

सभापति महोदय : कृपया प्रश्न पूछें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हां, महोदय, मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। यदि आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को पढ़ें तो आप जान जायेंगे कि यह दो विषयों पटसन उत्पादकों और पैकेजिंग मानदंडों से जुड़ा हुआ है।

सभापति महोदय : आमतौर पर नियम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में प्रश्न करने की अनुमति प्रदान करता है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं प्रश्न पर आ रहा हूं।

महोदय, क्या मैं निम्नलिखित बातें माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं?

मैं दिनाजपुर जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं जो पूरे देश में सर्वोत्तम किस्म के पटसन का उत्पादन करता है। क्या यह सच है कि पिछले वर्ष उत्तर बंगाल में जो पटसन का अत्यधिक उत्पादन करता है, का समर्थन मूल्य उत्पादकों द्वारा 900 रुपए से ज्यादा निर्धारित किया गया था और इस समय यह 760 रुपए है, जो

न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम है। महोदय, मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो पटसन उत्पादकों का सर्वोत्तम व्यापारिक केन्द्र है और वह रायगंज है। पिछले सप्ताह वहां पटसन 760 रुपए बेचा गया था जबकि आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य 785 रुपए था। गत वर्ष उन्होंने इसे 985 रुपए में बेचा। दक्षिण बंगाल में पटसन का समर्थन मूल्य 785 रुपए है और अब इसके प्रतिकूल प्रभाव के कारण इसे 720 रुपए में बेचा जा रहा है।

दक्षिण बंगाल, हुगली से माननीय सदस्य भी यहां बैठे हैं। वह भी जो वहां घटित हो रहा है इस बात को लेकर मुझसे सहमत होंगे।

क्या मैं माननीय मंत्री जी से पटसन के पैकिंग संबंधी मानदंडों के बारे में जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि थोड़े समय की पटसन की हड़ताल के बावजूद खाद्यान्नों, चीनी और उर्वरकों की पैकिंग हेतु पटसन से बने थैलों की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आई थी, यदि मैं गलत कह रहा हूं तो वह कृपा करके मेरी बात सही कर दें। यद्यपि वर्ष 2000-01 के लिए 212 मिलियन मीट्रिक टन निर्धारित किया गया और चीनी के लिए 17.5 मिलियन टन लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और पटसन की वस्तुओं की बढ़ती मांग जो भी है को पूरा करने में अब कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि पटसन उद्योग के पास पर्याप्त क्षमता है अत: क्या माननीय मंत्री जी हमें यह जवाब देंगे कि आर्डर में इस 10 प्रतिशत तक की गिरावट से पटसन उद्योग और इसके कामगारों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा?

यह मिलों को प्रति वर्ष एक लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा का पूर्ण उत्पादन करने के लिए मजबूर करेगा। इसलिए मैं इस मामले में माननीय मंत्री जी से हस्तक्षेप करने की मांग करता हूं और मैं आपसे माननीय प्रधान मंत्री जी के स्तर पर इसे उठाने अथवा चीनी सहित खाद्यान्नों की 100 प्रतिशत पैकिंग तथा उर्वरकों की बीस प्रतिशत पैकिंग पटसन के थैलों में सुनिश्चित करने के लिए एक अन्य कैबिनेट समिति बनाने का अनुरोध करता हूं जैसा कि पहले होता था।

कृपया सिंथेटिक और प्लास्टिक लॉबी के सामने समर्पण न करें यह लॉबी तो किसानों, औद्योगिक कामगारों और पटसन उत्पादकों को बर्बाद कर देगी। कृषि मंत्री श्री नीतिश कुमार यहां बैठे हैं। जिस राज्य के रहने वाले हैं वह सबसे ज्यादा प्रभावित होगा क्योंकि उस राज्य का निर्धन से निर्धन व्यक्ति कलकत्ता की पटसन मिलों में काम करता है और बंगाल के अन्य स्थानों पर स्थित मिलों में काम करता है। किशनगंज में मिल पहले से ही बंद है और बंगाल में पांच और मिलें बंद पड़ी हैं। फिर भी जिस सरकार में वह मंत्री हैं वह पैकिंग संबंधी मानदंडों को बदल रहे हैं पटसन के थैलों को सिंथेटिक और प्लास्टिक के थैलों में बदल रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं यह मेरी इच्छा है कि मंत्री जी कृपा करके इन बातों का जवाब दें। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह हमारे सुझावों पर उत्साह के साथ विचार करेंगे। क्या इन पर वह विचार करेंगे?

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, मैं सीधे प्रश्नों पर आऊंगा जैसा कि आपके द्वारा सुझाया था और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के मामले में ऐसा करने का रिवाज भी है।

क्या मैं माननीय मंत्री जी से निम्नलिखित बातें जान सकता हूं:

(1) क्या यह सच नहीं है कि स्थायी परामर्शदात्री समिति अपनी बैठक में सर्वसम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि खाद्यान्नों और चीनी के संबंध में आरक्षण के स्तर को 100 प्रतिशत और उर्वरक के संबंध में 20 प्रतिशत जैसा कि पहले था, को पुनः लौटाया जाये।

(2) क्या यह सच नहीं है कि उच्चतम न्यायालय ने कुछ निर्देश दिए थे और यह पहली बार केन्द्र सरकार उच्चतम न्यायालय के उस आदेश की अवज्ञा कर रही है?

(3) क्या यह सच नहीं है कि आपूर्ति की कोई कमी नहीं है? यहां तक अक्तूबर 2000 तक अग्रिम आदेश को पूरा कर दिया जाएगा और इस अग्रिम आदेश के 60 प्रतिशत हिस्से को पहले ही पूरा कर दिया गया है तथा शेष 40 प्रतिशत को किसी भी समय पूरा किया जा सकता है। आपूर्ति की स्थिति में बहुत ज्यादा आधिक्य है?

(4) क्या यह सच नहीं है कि पटसन उद्योग कोई भी मांग पूरा करने में पर्याप्त रूप से सक्षम है। मान लीजिए कि 212 मिलियन टन के खाद्यान्न लक्ष्य को पूरा कर लिया जाता है और यदि सरकार द्वारा चीनी उत्पादन का लक्ष्य जो 17.5 मिलियन मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है को पूरा कर लिया जाता है तो भी पटसन उद्योग न सिर्फ इस आपूर्ति को पूरा करने में सक्षम होगा बल्कि किसी भी बढ़ी हुई मांग जो भी हो, को पूरा करने में भी सक्षम होगा। यह यूरिया के मामले में भी सच है?

(5) क्या यह सच नहीं है कि पूरे विश्व में विशेषकर खाद्यान्नों और चीनी हेतु पर्यावरण के अनुकूल स्वर्ण रेशें के पैकिंग की मांग बढ़ रही है?

[श्री रूपचन्द पाल]

(6) क्या यह सच नहीं है कि संथेटिक लॉबी इतना दबाव डाल रही है जिसके कारण महत्वपूर्ण क्षेत्रों ने समर्पण कर दिया है? मैं इसे एक उदाहरण देकर समझाऊंगा। मई के महीने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भारतीय कम्पनी के तुलन-पत्र में यह कहा गया है कि सरकार 1987 के अधिनियम के उपबंधों और कम असरदार करने जा रही है और वे लोग स्थायी परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों को मानने वाले नहीं हैं। मैं अब उस कम्पनी का नाम नहीं ले रहा हूं।

माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गये वक्तव्यों के मद्देनजर वह सुझावों पर भी गौर फरमायेंगे और मैं अपना सुझाव दूंगा। पहले तो, खाद्यान्नों और चीनी का शत प्रतिशत अनिवार्य उपयोग 30 सितम्बर की प्रतीक्षा किए बिना अविलंब पुनः बहाल किया जाए। यूरिया के मामले में यह 20 प्रतिशत होना चाहिए जो पहले हुआ करता था। इससे सम्पूर्ण पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था की रक्षा होगी। लगभग एक करोड़ लोग कामगारों और पटसन उत्पादक उस पर निर्भर हैं।

सभापति महोदय : आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। इस पर एक चर्चा नही हो सकती है।

श्री रूपचन्द पाल : अन्त में, महोदय भारतीय पटसन निगम भी खरीद नहीं कर रहा है। पटसन के मूल्य में तेजी से गिरावट आई है और इसमें प्रति क्विंटल 600 रुपए तक गिरावट आई है। इसलिए भारतीय पटसन निगम भी खरीद नहीं करने जा रहा है। वह यह कह रहा है कि उसके पास धनराशि नहीं है इसलिए इसने अपना खरीद अभियान बंद कर दिया है। मेरा सुझाव है कि पटसन उद्योग और पटसन उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखने वाली सरकार को खाद्यान्न और चीनी के मामले में 100 प्रतिशत का अनिवार्य प्रयोग और यूरिया के मामले में 20 प्रतिशत अनिवार्य प्रयोग जारी रखना चाहिए और ऐसा होना भी चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय मंत्री जी को अपने उत्तर में यह बताना चाहिए कि जुलाई से पहले स्थिति क्या थी और स्थिति क्या है।

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): सभापति जी, जूट और जूट पैकेजिंग एक्ट के बारे में जो बातें मुंशी जी और श्री रूप चन्द पाल ने कही हैं, सरकार भी जूट ग्रोअर्स और जूट सैक्टर के बारे में उतनी ही चिन्तित है। मैं यह बात साफ करना चाहता हूं कि सरकार ने जो भी निर्णय लिया है, वह कभी प्लास्टिक लॉबी के प्रैशर में नहीं लिया गया और न ही भविष्य में कोई ऐसा निर्णय लेंगे। यदि शुगर या ग्रेन के लिए पर्याप्त मात्रा में गनी बैग मिल जाते तो हम कभी जूट पैकेजिंग एक्ट को डायल्यूट नहीं करते। यह सही है जैसा श्री दासमुंशी ने कहा, यह एक्ट 1987 में बना और तब जो हालात थे, उसके हिसाब से परसैंटेज तय किया गया था। यह डायल्यूशन पहली बार नहीं किया गया है इससे पहले भी परसैंटेज कम किया गया था अभी भी हमने ग्रेन और शुगर का 100 प्रतिशत से 90 प्रतिशत किया है। जून 2000 में यह इसलिए किया था कि मिलों में वहां स्ट्राइक हुई। हमने कहा था कि वैसे भी गनी बैग्स की बहुत शार्टेज है। ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : यह बात एकदम सही नहीं है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं। बिल्कुल भी कमी नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल : मैं मंत्री महोदय को चुनौती दे रहा हूं। मैं सरकारी आंकड़ों से आंकड़े दे सकता हूं। बिल्कुल भी कमी नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं तथ्यों और आंकड़ों से आपके विभाग को चुनौती दे रहा हूं। आपको, आपके अधिकारियों द्वारा गलत सूचना दी गई है। यह तथ्य नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल : कितने भी बोरे दिये जा सकते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है।

...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : वह सभा को गुमराह कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने उनका ध्यान आकर्षित किया है।

[हिन्दी]

श्री काशी राम राणा : हमारे यहां चीनी का उत्पादन बढ़ रहा है।

श्री रूपचन्द पाल : आपका टारगैट पूरा करने के बाद भी जरूरत होगी तो जूट बैग्स मिल जाएंगे।

श्री काशी राम राणा : 1999-2000 में शुगर का प्रोडक्शन 17 मिलियन मीटरिक टन हुआ था जो आज 18 मिलियन मीटरिक टन है। वैसे ही ग्रेन का प्रोडक्शन जो पहले 200 मिलियन मीटरिक टन था, वह 210 मिलियन मीटरिक टन हुआ। ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : इंडस्ट्री की कैपेसिटी बताइए।

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा : श्री रूपचन्द पाल, कृपया मेरे साथ सहयोग कीजिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह सरकार में हैं। लगता है, उन्हें बेहतर पता है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हमें भी पता है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने उनका ध्यान आकृष्ट किया है और वे जवाब दे रहे हैं.

...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : एक बड़ी कंपनी ने तुलनपत्र में कहा है कि सरकार.........करने जा रही है ...*(व्यवधान)* ऐसा रिपोर्ट में है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : केवल एक कंपनी रिलायंस देश पर शासन कर रही है।

[हिन्दी]

श्री काशी राम राणा : इसीलिए हमारी जो जूट की रिक्वायरमेंट है, वह और भी बढ़ी है और अभी हमने जो पैकेजिंग एक्ट को डाइल्यूट किया है, वह इसलिए कि जूट पैकेजिंग की शार्टेज हो गई है। इसी तरह से एक और डायरैक्शन भी आई.एल.ओ. की ओर से दी गई कि 100 किलो के बैग्स को 50 किलो का बनाया जाये। इस सबको देखते हुए हमारे यहां जितने भी जूट बैग्स उपलब्ध हैं, उनका पूरा यूटीलाइजेशन करने की हमने कोशिश इस एक्ट के जरिये की है। एक सवाल हमारे सामने और भी है। जो एम.एस.पी. के बारे में बताया गया, जैसा माननीय सांसद दासमुंशी जी ने बताया। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप कृपा करके इतनी सूचना और दीजिए कि प्रपोर्शनेट राइज इन एम.एस.पी. ऑफ कॉटन कितनी है और प्रपोर्शनेट राइज ऑफ जूट कितना है?

श्री काशीराम राणा : हमारी एम.एस.पी. जो 2000-2001 में तय हुई थी, वह 785 रुपये है। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि पहले जो एम.एस.पी. तय की गई थी, हर साल 20-30 रुपये करते थे, लेकिन पिछले दो साल से जो हमारे गरीब जूट ग्रोअर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमने इसे 80 से 100 रुपये बढ़ाने की कोशिश की है, जो 1998-99 में ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने नोटिस नहीं दिया है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें केवल जिन सदस्यों ने नोटिस दिया है, वही प्रश्न पूछने के अधिकृत हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अगर उन्होंने नोटिस दिया है, तो भी वह बीस प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): उसका इस्तेमाल कैसे होगा।

श्री काशीराम राणा : 1998-99 में एम.एस.पी. 650 रुपये था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जब मैंने आपका नाम पुकारा तो आप अनुपस्थित थे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया मंत्री महोदय को उत्तर पूरा करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : 1999-2000 में हमने उसको सौ रुपये बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया। हमने इसमें सौ रुपये बढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि हम जानते हैं कि जूट ग्रोअर्स को और ज्यादा मिलना चाहिए। जहां तक जे.सी.आई. का ताल्लुक है, उसके बारे में हमने बताया है कि आज बंगाल हो, बिहार हो, 171 सैर्न्टस उन्होंने खोले हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री पाल, यह केवल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। आपको मंत्री का ध्यान आकर्षित करना है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, संचालन हेतु जी.सी.आई. के पास कोष नहीं है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि माननीय सदस्य, मंत्री महोदय की सहायता करना चाहते हैं, तो वह जाकर उनके पीछे बैठ सकते हैं

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जब मैंने आपका नाम पुकारा तो आप अनुपस्थित थे। अब मंत्री महोदय ने जवाब देना शुरू कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार : एम.एस.पी. का कोई मतलब नहीं बनता है, अगर जे.सी.आई. का फंक्शन ही नहीं चलता है। इसको बदलना पड़ेगा।

श्री काशीराम राणा : जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी 20-30 रुपये ज्यादा देता है। मैं तो माननीय सांसदों को अपील करूंगा कि जिस प्रकार से कॉटन में गुजरात या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने जितने परचेज सेंटर्स खोले हैं, ताकि कॉटन ग्रोअर्स को ज्यादा दाम मिले, इसके लिए वे सेंटर खोलते हैं, मैं तो बंगाल सरकार को अपील करूंगा कि अगर सरकार के दिल में सही मायने में जूट ग्रोअर्स का हित है, इंटरेस्ट है तो उन्हें खुद के सेंटर खोलकर ज्यादा दाम देकर इसकी खरीद करनी चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : लेकिन जे.सी.आई. तो आपका है।

श्री रूपचन्द पाल : अगर प्रान्तीय सरकार ही सब कुछ करेगी तो आपकी जरूरत क्या है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं। आप जवाब थोप नहीं सकते।

...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, वह केवल सभा को गुमराह कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको प्रश्न पूछने का अवसर दिया गया और अब मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, वह केवल भ्रम फैला रहे हैं और सभा को गुमराह कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार : राणा जी स्टेट गवर्नमेंट ने आपको कोई सूचना दी है?

श्री काशीराम राणा : वह योजना तो राज्य सरकार को बना लेनी चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपने स्थान पर बैठ जाइये। अब आप नहीं बोल सकते। जब मैंने आपका नाम पुकारा, आप अनुपस्थित थे। अब आपका अवसर समाप्त हो गया है। आपको नियमों का अनुसरण करना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार : मुझे आपका संरक्षण चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : एक सवाल रूपचन्द पाल जी ने यह भी किया है कि स्टेंडिंग कमेटी का डिसीजन था, मैं कहना चाहूंगा कि स्टेंडिंग कमेटी ने जो डिसीजन लिया, वह तो एक रिकमेंडेशन होती है, उसमें भी 10 परसेंट से 20 परसेंट की फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने रिकमेंड की है।

श्री रूपचन्द पाल : वह कोई कारण रहने से की है, लेकिन अभी ऐसा कोई कारण नहीं है।

[अनुवाद]

महोदय, मंत्री सभा को गुमराह कर रहे हैं।

श्री प्रमोद महाजन : आप गुमराह मत होइये।

[हिन्दी]

श्री रूपचन्द पाल : वह लास्ट में लिखा है, लेकिन अभी तो ऐसा कोई रीजन नहीं है।

श्री काशीराम राणा : माननीय सदस्यों के द्वारा जो भी सवाल उठाए गए हैं, मुझे लगता है मैंने जो स्टेटमेंट पहले पढ़ा है, उसमें इन सभी के जवाब देने की कोशिश की है। यह पैकेजिंग एक्ट का डायल्यूशन है, जब शार्टेज हुई तब, मैं याद दिलाना चाहता हूं अपने साथियों को मई-जून महीने में, सरकार की इच्छा क्या थी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रूपचन्द पाल, कृपया प्रक्रिया का पालन कीजिए। आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हमारा जो सुझाव है, क्या उस पर गौर करेंगे?

श्री काशीराम राणा : जब हड़ताल हुई थी, उसमें पहले सरकार के पास अधिकार था दस प्रतिशत फ्लैक्सिबिलिटी का, फिर भी सरकार ने यूज नहीं किया, क्योंकि हम जूट ग्रोअर्स को पूरा प्रोटेक्ट करना चाहते थे। मुझे लगता है जो परिस्थिति पैकेजिंग में है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको इस जवाब से संतुष्ट होना है। यह संवैधानिक स्थिति है। जब की वह कुछ कहें, उसे स्वीकार किया जाना है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप उनके उत्तर का विरोध नहीं कर सकते। जब मंत्री महोदय जवाब दे रहे हों, आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आप उनके जवाब का विरोध नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री रूपचंद पाल : यही सरकार करने जा रही है, यही कर रही है ...*(व्यवधान)*

श्री काशीराम राणा : मैं यहां एक आश्वासन देना चाहता हूं कि जूट ग्रोअर्स को जैसा भी प्रोटेक्ट करने की बात आएगी, सरकार इस बारे में कभी पीछे नहीं हटेगी और जितना मिलना चाहिए, उतना देने की कोशिश करेगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको एक मुद्दा उठाने की अनुमति दी गई है और माननीय मंत्री महोदय ने इसका जवाब दे दिया है।

अब सभा कार्यसूची का अगला विषय ''नियम 377 के अन्तर्गत मामले'' पर विचार करेगी।

अपराह्न 3.32 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बिहार में सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के कारण विस्थापित लोगों को समुचित मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची): मैं सदन का ध्यान स्वर्णरेखा बहुद्देशीय सिंचाई परियोजना की तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस योजना से आदिवासी क्षेत्रों में अविकसित क्षेत्रों में बिजली पैदा करना एवम् सिंचाई उपलब्ध करवाना था तथा इस परियोजना में करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। परंतु कार्य को धन के अभाव में बीच में छोड़ दिया है जिसके कारण कई गांव पानी में डूब जाते हैं। अभी तक विस्थापित परिवार को पुनर्वास की सुविधा नहीं मिल पाई है जबकि उनकी जमीन अधिग्रहीत हो गई है जो उनकी जीविका का साधन थी एवम् जो गांव डूबते हैं उनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। इस सिंचाई योजना के कारण लोगों का फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि विस्थापित परिवार के लोगों को मुआवजा दिया जाए जिनको अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। विस्थापित परिवार के लोगों को अविलम्ब नौकरी दी जाए एवम् अनियमितताओं की जांच सांसदों की एक कमेटी बना कर कराई जाए।

(दो) हरियाणा में यमुना नगर के यात्रियों को और अधिक रेल सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): देश की बढ़ती आबादी को मद्देनर रखते हुए आवागमन के लिए रेलवे के ढांचे को और बढ़ाने की आवश्यकता है। हरियाणा प्रदेश में यमुना नगर से चंडीगढ़, यमुना नगर से कुरुक्षेत्र - यमुना नगर से पावंटा साहिब, हिमाचल प्रदेश व रोहतक से रिवाड़ी तक रेल सेवाएं प्रदान कराने की अति आवश्यकता है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस समस्या का निदान शीघ्र किया जाए।

(तीन) उड़ीसा में ब्रह्मणी नदी को प्रदूषण रहित बनाने के लिए एक कार्य योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): महोदय, मैं भारत सरकार का ध्यान उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी में बढ़ रहे प्रदूषण की ओर

[श्री के.पी. सिंह देव]

दिलाना चाहूंगा। यह भारत की एक बड़ी नदी है। मैं उद्धृत करना चाहता हूं कि उड़ीसा में कमलंगा भूबन से ब्राह्मणी नदी के पानी की गुणवत्ता बहुत अधिक प्रदूषित है। ब्राह्मणी के बढ़ रहे प्रदूषण के कारण ऐसे नहीं हैं, जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता। कई बड़े उद्योग जिनमें अंगुल में नेशनल एल्युमिनियन प्लान्टस, तालचेर में हैवी वाटर प्लान्ट और उर्वरक संयंत्र और राष्ट्रीय ताप विद्युत संयंत्र निगम द्वारा संचालित विद्युत संयंत्र ब्राह्मणी के जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं।

नदियों में अंधाधुंध अपशिष्ट पदार्थों के कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की प्रदूषण रोधी उपायों के क्रियान्वयन में समुचित ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन नदियों का पानी दिन प्रतिदिन प्रदूषित हो रहा है। इन कारकों का मिला-जुला प्रभाव ब्राह्मणी के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। इस कारण बड़ी संख्या में मछुआरों के परिवारों का जीविकोपार्जन पर बुरा प्रभाव पड़ा है, समुद्री जीवन और समूची पारिस्थितिकी और पर्यावरण के सामने खतरा उत्पन्न हुआ है।

इस प्रदूषण के परिणामस्वरूप नदी का पानी पीने लायक नहीं है। नदी में मछलियों को भारी खतरा उत्पन्न हुआ है। यहां तक कि जानवर भी नदी का पानी पीने के बाद सुरक्षित नहीं हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ब्राह्मणी और अन्य नदियों का प्रदूषण स्तर नियंत्रित नहीं कर पाया है।

चूंकि ब्रह्मणी नदी के दोनों तरफ रहने वाले लोगों के जीविकोपार्जन का यह मुख्य स्रोत है, मैं भारत सरकार से इस नदी की सफाई के लिये विस्तृत कार्य योजना तैयार करने का अनुरोध करता हूं ताकि जल की गुणवत्ता बेहतर हो सके जिससे नदी के दोनों ओर रहने वाले लोग, पशु, पक्षी, सरीसृप और समुद्री जीवन वे लाभ उठा सकें, जो वे पहले उठा रहे थे।

(चार) डिब्रूगढ़ और उसके आस-पास के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी से हो रहे भूक्षरण को रोकने के लिए असम सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रूगढ़): असम के डिब्रूगढ़ जिले में विनाश के खतरे का सामना कर रहे विमानपत्तन, क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, चाय बागानों और कई अन्य संस्थाओं तथा प्रतिष्ठानों को बचाने के लिये केन्द्र और राज्य सरकारों को तुरंत उपाय उठाने की जरूरत है। इस उद्देश्य के लिए मठाला माइजन क्षेत्र से लेकर डिफेन्स क्षेत्र समूचे नदी तट तक पत्थर और लकड़ी अवरोधकों का तुरंत निर्माण कराया जाना चाहिये। ओकलैण्ड से गुइजन तक नदी पर तटबंध का भी निर्माण कराया जाना चाहिये।

ब्रह्मपुत्र द्वारा हाल में आई बाढ़ के कारण रोहमारिया, लरुआ लाहोवाल और बंगडंग क्षेत्रों में संपत्ति, फसल और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा है। इन क्षेत्रों में सड़कों की भारी क्षति पहुंची है और यदि तुरंत इनकी मरम्मत नहीं कराई गई तो इन क्षेत्रों में संचार व्यवस्था पूरी तरह ठप हो जायेगी।

संसाधनों के अभाव के कारण राज्य सरकार बाढ़ नियंत्रण और ब्रह्मपुत्र तथा क्षेत्र की अन्य नदियों द्वारा भूक्षरण को रोकने में असफल रही है। केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह लोगों की मदद में आगे आये अत: डिब्रूगढ़ और उच्च असम से लगे क्षेत्रों को बचाने के लिये निवारक उपाय करे।

(पांच) 1921 से पाकिस्तान में रह रहे केरल वासियों को भारत भ्रमण के लिए वीजा दिया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी (कन्नानोर): दि हिन्दुस्तान टाइम्स में 24 जुलाई, 2000 को प्रकाशित समाचार के अनुसार पाकिस्तान में करीब 10,000 मलयाली मुसलमान रह रहे हैं। उनके परिवार के लोग केरल के कसरगॉड, कन्नूर, कोजीकोड और मालापुरम जिलों में रह रहे हैं। आजीविका कमाने के लिये 1921 में भारत से गये पुरुष भारत के बंटवारे के कारण वापस अपने देश नहीं लौट पाये। वे साल में एक या दो बार अपने परिवार वालों से मिलने आया करते थे।

अब वे अपने परिवारजनों से नहीं मिल पाते क्योंकि सुरक्षा कारणों से उन्हें वीजा नहीं दिया जाता।

जबकि कर्नाटक और अन्य राज्यों के भागों को भारत आने के लिये वीजा दिया जाता है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि केरल में परिवारजनों से मिलने के लिये मलयालियों को तुरन्त वीजा जारी किया जाये।

(छह) महाराष्ट्र में नासिक में रामकुण्ड और तपोवन में कुम्भ मेले के तीर्थयात्रियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक): नासिक (महाराष्ट्र) के रामकुण्ड तथा साथ में, तपोवन क्षेत्र में प्रति 12 वर्ष की अवधि के पश्चात् सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यह कुंभ मेला एक अत्यधिक धार्मिक आयोजन है और पार्वणी अवधि के दौरान 35,000 से 40,000 साधु तथा 15 से 20 लाख तीर्थयात्री रामकुण्ड की यात्रा पर आते हैं।

कुंभ का मेला प्राय: साल भर तक चलता रहता है और 35,000 से 40,000 साधु नासिक शहर में ही निवास कर धार्मिक कृत्य व अनुष्ठान संपादित करते हैं। अतएव, यह आवश्यक हो जाता है कि इन साधुओं और तीर्थयात्रियों को वर्षभर सामान्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जायें।

आगामी कुंभ मेला 21वीं शदी का सबसे पहला कुंभ मेला होगा और आशा है कि पार्वणी-दिवसों के अवसर पर होने वाले आयोजनों में भाग लेने के लिए एक लाख के करीब तीर्थयात्री नासिक आयेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, नासिक नगर निगम ने एक अलग 'साधु शिविर' लगाने का निर्णय किया है। इस प्रयोजनार्थ, तपोवन क्षेत्र के समीप लगभग 100 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा और सड़क, छाया प्रदान करने के लिए जगह तथा शौचालय ब्लॉक, जल-आपूर्ति प्रबंधन आदि आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। इस परियोजना पर कुल 297 करोड़ रु. का व्यय आने का अनुमान है। मैं केन्द्र सरकार से इस परियोजना के लिए समुचित वित्तीय सहायता/धनराशि उपलब्ध कराने की अपील करना चाहूंगा।

(सात) उत्तर प्रदेश में चित्रकूट को हवाई सेवा से जोड़े जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम सजीवन (बांदा): महोदय, उत्तर प्रदेश में चित्रकूट एक प्रसिद्ध एवं प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल है। यहां पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्रीगण आते-जाते रहते हैं। प्रतिमाह पांच छ: दिनों तक यात्रियों की भारी भीड़ रहती है। परन्तु यातायात के साधनों की कमी के कारण दूर-दूर के लोगों को बड़ी असुविधा होती है। इसलिए चित्रकूट में एक हवाई अड्डा का निर्माण कराकर यात्री विमान की सुविधा प्रदान की जाए। देवांगना की पर्वतीय घाटी के ऊपर कई मील लम्बा चौड़ा मैदान (पाठा) हवाई अड्डे के निर्माण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान होगा, क्योंकि वहां पर सरकारी सड़क पहले से बनी हुई है। उसी सड़क पर हवाई अड्डा आसानी से बनाया जा सकता है और चित्रकूट को हवाई सेवा से जोड़ा जा सकता है। दिल्ली से आगरा, खजुराहो, बनारस (वाराणसी) और काठमांडों तक दैनिक विमान सेवा उपलब्ध कराई जा सकती है। ठीक उसी रास्ते में खजुराहो से चित्रकूट सौ किलोमीटर है तथा चित्रकूट से वाराणसी करीब दो सौ किलोमीटर की दूरी पर है तथा वाराणसी से काठमांडों उससे भी अधिक दूरी पर है। अभी जो विमान रोजाना दिल्ली से खजुराहो जाता है वही विमान चित्रकूट, वाराणसी होते हुए, काठमांडो तक जाएगा और उसी दिन काठमांडो से वाराणसी, चित्रकूट खजुराहो और आगरा के रास्ते दिल्ली पहुंच सकता है। इलाहाबाद अथवा सतना को उक्त विमान सेवा से जोड़ने की कोई मांग जनता द्वारा नहीं उठाई जा रही है। इसलिए इलाहाबाद अथवा सतना को उक्त विमान सेवा से जोड़ने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

अत: देशी व विदेशी पर्यटकों/यात्रियों की सुविधा के लिए चित्रकूट में एक हवाई पट्टी बनाई जाए। दिल्ली-आगरा-खजुराहो-चित्रकूट-वाराणसी-काठमांडो को विमान सेवाओं से जोड़ते हुए एक नया मार्ग निर्धारित किया जाए।

(आठ) पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा बिहार में कर्पूरीग्राम और सिहो के बीच रेललाइन के दोहरीकरण के कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर): महोदय, पूर्वोत्तर रेलवे के बरौनी से रामदयालू नगर रेलवे स्टेशन तक लाइन का दोहरीकरण चार चरणों में करना था। तीन चरणों का काम वर्षों पहले समाप्त हो गया। चौथे चरण का काम सीहो से कर्पूरी ग्राम तक मात्र 35 किलोमीटर तक लम्बित है। मिट्टी का काम लगभग समाप्त है। प्रत्येक वर्ष लम्बित काम के लिए बजट में रुपया आवंटित किया जाता है। पर अधूरा काम को पूरा नहीं किया जाता है। उत्तरी बिहार का यह सबसे मुख्य रेल पथ है। अधिकांश मुख्य गाड़ियां इसी रेल पथ से गुजरती हैं। मात्र 35 किलोमीटर के लिए रेल सेवा सुचारू रूप से नहीं चल रही है। यात्रियों को और रेल प्रशासन को भी परेशानी है।

अत: मैं रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि पूर्वोत्तर रेलवे के कर्पूरी ग्राम से सीहो तक के लम्बित रेल पथ के दोहरीकरण का काम जनहित में अतिशीघ्र करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अंत में, श्री पी.एच. पांडियन के संदर्भ में नियम 377 के अधीन मामले को सभा-पटल पर रखा हुआ समझा जाए।

(नौ) तमिलनाडु में नीलगिरी जिले के चाय उत्पादकों के हितों की सुरक्षा की आवश्यकता

***श्री पी.एच. पांडियन** (तिरूनेलवेली): महोदय, तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में चार लाख परिश्रमी चाय-उत्पादक तथा कृषक हैं। हाल ही में, केन्द्र सरकार ने श्रीलंका से आयातित चाय पर मूल सीमा शुल्क को घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया। सीमा-शुल्क में इस कटौती से नीलगिरी जिले के चाय उत्पादकों के हितों पर बहुत असर पड़ा है। वे पिछले कई महीनों से हरी चाय की

---

*सभा पटल पर रखा माना गया।

[श्री पी.एच. पांडियन]

न्यूनतम 15 रु. प्रति किलोग्राम निर्धारित करने के लिए आग्रह कर रहे हैं।

नीलगिरि जिले के ये चाय-उत्पादक मानसून की विफलता से पहले ही परेशान हैं। केन्द्र सरकार, जिसने विश्व व्यापार संगठन समझौते के अनुसार चाय पर मूल सीमा-शुल्क को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया था; उसने अचानक केवल श्रीलंका से आयात की जाने वाली चाय पर ही इसे घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया। यह तमिलनाडु के नीलगिरि जिले के चाय-उत्पादकों के हितों के खिलाफ है। इसके विरुद्ध अपना विरोध जताने के लिए चाय-उत्पादकों ने एक दिन की हड़ताल और करने का आयोजन किया था। तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के नीलगिरि जिले के चाय-उत्पादकों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए एक समिति गठित करने का आश्वासन दिया था, किंतु अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। अपनी समस्याओं को लेकर नीलगिरि जिले के ये चाय-उत्पादक माननीय प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री से मिले। लेकिन, उनकी समस्याओं का समाधान करने की बजाय, केंद्र सरकार ने श्रीलंका से आयात की जाने वाली चाय पर मूल सीमा-शुल्क में कटौती को 12 मई, 2000 से प्रभावी कर दिया।

मैं केन्द्र सरकार से श्रीलंका तथा अन्य देशों से आयात की जाने वाली चाय पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करता हूं। नीलगिरि जिले के चाय-उत्पादकों के हितों के संरक्षणार्थ, हरी चाय के न्यूनतम मूल्य को 15 रु. प्रति किलोग्राम निर्धारित किया जाना चाहिए। इसी तरह भारतीय सेना, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सरकारी अभिकरणों के उपयोगार्थ चाय पत्ती के बुरादे को निलगिरि जिले के चाय-उत्पादकों से ही खरीदा जाना चाहिए। सरकार के सहकारी विपणन अभिकरणों में चाय पत्ती के बुरादे के विपणन के लिए सभी कदम उठाए जाने चाहिए।

(दस) देश में, विशेषकर राजस्थान में मार्बल और ग्रेनाइट उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के हितों की सुरक्षा की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): महोदय, केन्द्र के बिना शर्त आर्थिक उदारीकरण के तहत 700 उत्पादों को खुले आयात निर्यात के लिए सूचीबद्ध किया है, जिसमें मार्बल व ग्रेनाइट भी शामिल है। इस नीति से राजस्थान का 5000 करोड़ रुपए की पूंजी के निवेश वाला मार्बल व ग्रेनाइट उद्योग चौपट हो जाएगा और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 31 मार्च, 2000 को घोषित आयात निर्यात नीति में चैप्टर 68 के अंतर्गत मार्बल के आयात पर हटाए गए प्रतिबंधों के कारण राजस्थान के मार्बल उद्योग पर गंभीर संकट के बादल छा गए। भारत में उत्पादित मार्बल का 90 प्रतिशत से ज्यादा मार्बल राजस्थान में ही खनन एवं प्रोसेस किया जाता है। केन्द्र सरकार को प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए की आयकर उत्पाद शुल्क आदि से आय होती है। राजस्थान सरकार को भी लगभग 100 करोड़ रुपए की आय बिक्रीकर एवं रॉयल्टी से होती है। राज्य के लाखों श्रमिक मार्बल की खानों तथा उससे संबंधित प्रोसेसिंग फैक्ट्रियों में कार्यरत हैं। राज्य के अधिकांश शहर, जैसे-किशनगढ़, राजसमन्द, कांकरोली, आबूरोड, जयपुर, अम्बाजी, अलवर, उदयपुर, मकराना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही आदि की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से इसी उद्योग पर आश्रित है।

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि मार्बल के आयात पर चैप्टर 25 के अंतर्गत वैल्यू कैप की पुनर्स्थापना कर वृद्धि की जाए। कैपिंग वैल्यू को कड़ाई से प्रभाव में लाया जाए तथा गैट के अनुच्छेद 19 के प्रावधान के अनुसार चैप्टर 25 एवं 68 के अंतर्गत आने वाले आइटमों के आयात पर वर्तमान उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त

[अनुवाद]

एक शुल्क जो संरक्षण/असुविधा के अनुपात में हो-

[हिन्दी]

लगायी जानी चाहिए।

अपराह्न 3.48 बजे

राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक—*जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा अगले मद सं. 8 - राज्य वित्तीय निगम विधेयक, पर विचार करेगी।

श्री हन्नान मोल्लाह बोल रहे थे। श्री हन्नान मोल्लाह, आप अपनी बात जारी रखकर भाषण पूरा कर सकते हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, जब मैंने पिछली बार अपनी बात कहीं थी, तब मैंने राज्य वित्तीय निगमों की कतिपय समस्याओं को उठाया था। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। मैं निम्नलिखित मामलों पर राज्य वित्तीय निगमों की मदद के लिए पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध करूंगा।

वे जिन समस्याओं का सामना करते है, उनमें से एक है - वित्तीय संकट, क्योंकि धनराशि जुटाने - अब चाहे वह आंतरिक संसाधनों से हो या बाह्य से - के संदर्भ में उनकी अपनी निश्चित सीमाएं हैं। तो, जो प्रश्न उठता है वह है, कि ये राज्य वित्तीय निगम जैसे संसाधन - दोनों आंतरिक और बाह्य - जुटा सकते हैं। निश्चय ही, इस संशोधन में कुछ प्रावधान किया गया है। इसे समुचित रूप से लागू किया जाना चाहिए और इस पहलू पर भी नजर रखी जानी चाहिए।

फिर, केन्द्र और राज्य सरकारों से, तथा अन्य स्रोतों से भी, रियायत पूंजी है। उसमें भी कमी आ रही है। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। वित्तीय संकट के कारण, राज्य वित्तीय निगमों को ऊंची ब्याज दर पर वाणिज्यिक ऋण लेने पर विवश होना पड़ रहा है। इससे भी, कतिपय मामलों में वे अव्यवहार्य हो जाते हैं। इसे भी ध्यानगत रखा जाना चाहिए।

मैंने विश्व बैंक के सलाहकारों की टिप्पणियां देखी हैं। मैं उन्हें उद्धृत कर रहा हूं:

> "ये संस्थाएं बचत और धन जुटाने के जरिए स्वतंत्र संसाधनों को प्राप्त करने में अक्षम रही हैं। उनके घटिया पोर्टफोलियो निष्पादन तथा दुर्बल रिजर्व क्षमताओं का परिणाम यह हुआ है कि वे ऋणदान और इक्विटी में भागीदारी के लिए सरकारी स्रोतों पर सततरूपेण निर्भर हैं।"

इन सीमाओं के कारण वे सरकार पर निर्भर रह रहे हैं। हम इन सीमाबंधनों को कैसे हटाएं? - यही एक प्रमुख प्रश्न है। संसाधनों का संकट इस बात से और बढ़ गया है कि बाजार से उधार उठाना बहुत कठिन है। वे इस कठिनता का सामना कैसे करें? - यही राज्य वित्तीय निगमों के समक्ष एक समस्या है। फिर, लघु और मझोले उद्यमों को तो ऋण लेने में और अधिक परेशानी झेलनी पड़ती है।

राज्य वित्तीय निगम सकल इकाइयों की तो सहायता करते हैं, नई इकाइयों की नहीं। यह भी लघु और मध्यम दर्जे के उद्यमियों के समक्ष एक और समस्या है।

ऋण-नीति में भी एक समस्या है। इसमें लचीलापन होना चाहिए। अभी, राज्य वित्तीय निगमों की ऋण-नीति में कठिनाइयां अंतर्ग्रस्त हैं। इन कठिनाइयों को भी हटाया जाना चाहिए। वित्तीय सहायता का किसी भी समय प्रदान किया जाना चाहिए। समय पर सहायता प्राप्त न होना भी एक और समस्या है। इस संशोधन में, कुछ प्रयास तो किए गए हैं।

इसके उद्देश्यों में, हमने बिक्री और बंधपत्रों के निर्गम पर सीमाबंधन को हटाने के बारे में उल्लेख किया है। यह एक अच्छा सुझाव है और इसे समुचित रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। आई.डी.बी.आई. की अंश-पूंजी को लघु उद्योग विकास बैंक को अंतरित करने के सबंध में बात है - यह भी एक स्वागतेय सुझाव है। राज्य वित्तीय निगमों को स्वायत्तता का प्रस्ताव किया गया है, जिससे भी संबंधित उद्योगों को लाभ मिलेगा। राज्य सरकारों की भूमिका को भी अभिवर्द्धित किया गया है और इससे भी सहायता होगी।

राज्य वित्तीय निगमों की अनुप्रयोज्य परिसंपत्तियां (एन.पी.ए.) भी एक समस्या है। वे अपने तुलन-पत्रकों के बारे में चिन्तित रहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि राज्य वित्तीय निगम तुलन-पत्रकों संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस नवीन प्रयत्न के बाद से, उन्हें तुलनपत्र नए सिरे से लिखने की अनुमति मिलनी चाहिए। केवल तभी, यह उपाय उनके लिए सहायक सिद्ध होगा। उनके तुलन-पत्रकों का आशोधन कर दिया जाना चाहिए और उनकी गैर-निष्पादनकारी परिसंत्तियों को माफ कर दिया जाना चाहिए।

राज्य वित्तीय निगमों के कर्मचारियों को संस्था में अपना हिस्सा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा कि वित्तीय सहायता को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया समयबद्ध और पर्याप्त हो। ऋण देने के नियम और शर्तें सरल और सुलभ हों। राज्य वित्तीय निगमों के अधिकारियों-कर्मचारियों का व्यवहार लघु और मध्यम दर्जे के उद्यमियों के प्रति मित्रवत् और सहयोगपूर्ण हो। राज्य वित्तीय निगम समुचित परामर्श प्रदान करने का भी बंदोबस्त करें जिससे उनके द्वारा दिए गये ऋण का उचित प्रकार उपयोग हो सके। लघु उद्योगों के विकास के लिए रियायती वित्त का दिया जाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि यदि इन संशोधनों को लागू किया जाना, और जैसा कि सरकार ने कहा है कि कृषि क्षेत्र को भी कृषि कार्यों में, मुर्गीपालन, बर्तन उद्योग, प्रजनन, डेयरी उद्योग, बागवानी और इन सभी क्षेत्रों में - उद्योग-क्षेत्र को प्राप्त लाभों के साथ-साथ ही लाभ होगा; जो राज्य वित्तीय निगमों को भी आगे आना चाहिए जिससे कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में वे महती भूमिका निभा सकें।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इन सभी सुझावों पर समुचित ध्यान देंगे और राज्य वित्तीय निगमों के सरलीकरण में उनकी सहायता करेंगे ताकि हमारी अर्थव्यवस्था, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग और ग्रामीण उद्योग भी मजबूत बन सकें।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री द्वारा जो राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक, 2000

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

प्रस्तुत किया गया है, जिसके माध्यम से राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 में संशोधन का प्रावधान किया गया है का समर्थन करता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि इस देश में महात्मा गांधी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी और डा. राम मनोहर लोहिया जी ने जो लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का एक सपना देखा था, इस विधेयक में जो संशोधन किया जा रहा है, वह निश्चित रूप से उस सपने को साकार और इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ तथा लोगों को लाभान्वित कर सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, मूल रूप से इसमें चार-पांच ऐसी धाराएं हैं जिनमें संशोधन के कारण वित्तीय निगम देश के हित में बहुत अच्छा काम करेगा। धारा तीन में जो संशोधन किया गया है जिसके कारण जो विकास बैंक नाम अभी तक चल रहा था उसके स्थान पर लघु उद्योग बैंक शब्द रखा जा रहा है।

लघु उद्योग बैंक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 की धारा 3(1) के अधीन स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहलाया जाएगा। इसके माध्यम से लघु उद्योगों को पनपने के लिए, संचालित करने के लिए उनके द्वारा जो माल उत्पादित किया जाता है, उसकी मार्किटिंग के लिए ऋण सुविधाएं दी जा सकेंगी। इस संशोधन विधेयक की प्रमुख विशेषता यह है कि अभी तक विकास बैंक की जो प्राधिकृत पूंजी थी, वह कम से कम 50 लाख रुपये और अधिक से अधिक 50 करोड़ रुपये की थी और राज्य सरकार की अनुमति से 50 करोड़ रुपये की बजाए 100 करोड़ रुपये की जा सकती थी, केवल यही प्रावधान था। यह राशि लघु उद्योग और उद्योगों के विकास के लिए अपर्याप्त ही नहीं थी, अगर हम यह कहें कि यह 'ऊंट के मुंह में जीरा' थी तो भी कोई गलत बात नहीं थी। यह राशि बहुत कम पड़ती थी। माननीय मंत्री जी ने धारा 4(1) (2) (3) में यह संशोधन किया है कि मिनिमम प्राधिकृत पूंजी तो 50 लाख रुपये रहेगी परन्तु अधिकतम प्राधिकृत पूंजी 50 करोड़ रुपये की बजाए 500 करोड़ रुपये हो सकेगी और उस 500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भी यदि राज्य सरकार सहमति देगी तो वह प्राधिकृत पूंजी 1000 करोड़ रुपये कर सकेगी अर्थात् 1000 करोड़ रुपये तक की प्राधिकृत पूंजी लघु उद्योग बैंक के पास रहने की व्यवस्था हो सकेगी। आप और हम सब जानते हैं कि इस देश में लम्बे समय से औद्योगिक मन्दी का वातावरण है और इस औद्योगिक मन्दी के वातावरण के कारण देश की औद्योगिक विकास दर अवरुद्ध हो रही थी, राष्ट्रीय आय पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा था और ऐसा महसूस किया जाने लगा था कि छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना बनाई जानी चाहिए।

मुझे याद आ रहा है वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि हमारी सरकार देश में लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी और मंत्री जी और अटल जी की सरकार ने जो कहा था, उसे कर दिखाने का यह संशोधन विधेयक प्रमाण है। इसके कारण जो प्राधिकृत पूंजी में भारी वृद्धि होगी, उसके कारण लघु उद्योगों को ऋण सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और जो औद्योगिक मन्दी का वातावरण है, उससे हम इस देश को उभारने में अग्रसर हो सकेंगे। हम इस बात को महसूस करते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है अर्थात् बड़े उद्योगों के सामने जो छोटे-छोटे उद्योग इस देश में हैं, वे मार्किटिंग की दृष्टि से और औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से सफल नहीं हो पा रहे हैं। ...*(व्यवधान)* इसके साथ मंत्री जी ने बहुत सारी धारा और उप धाराओं में अनेक ऐसे प्रावधान किए हैं जिसके कारण लघु उद्योग बैंक सुदृढ़ हो सकेंगे। निदेशक मंडल को पहले जितने अधिकार चाहिए थे उतने अधिकार नहीं थे। अब इस संशोधन के माध्यम से निदेशक मंडल को भी लघु उद्योग बैंक के बारे में विस्तार से चर्चा करने का अधिकार मिल जाएगा। पहले केवल जो ऑडिट होता था, उस ऑडिट पर ही चर्चा हो सकती थी, बैलेंस शीट पर भी चर्चा हो सकती थी, जनरल कार्यकलाप वित्त निगम में, उस पर चर्चा करने का प्रावधान पूर्व में नहीं था। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से वह प्रावधान भी किया गया है। मैं यह मानता हूं कि उसके कारण लघु उद्योग बैंक सुदृढ़ता से काम कर सकेंगे।

मैं इस संबंध में एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो शेयर होल्डर्स हैं या जो लघु उद्योग बैंक से संबंधित अधिकारी, कर्मचारी हैं, उनका प्रतिनिधित्व भी निदेशक मंडल की चर्चा के समय होना चाहिए। नहीं तो यह देखा जाता है,

अपराह्न 4.00 बजे

विकास बैंक या लघु उद्योग बैंक को संचालित करने वालों का जो एकतरफा अनुभव होता है, वह बात तो सामने आ जाती है, उस बात पर तो चर्चा हो जाती है, परन्तु उद्योगपति या अन्य लोग जो ऋण प्राप्त करते हैं, उनकी कठिनाइयों के बारे में चर्चा करने का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। इस दिशा में भी अगर माननीय मंत्री जी कोई प्रावधान कर सकेंगे तो मैं सोचता हूं कि लघु उद्योग बैंक और ज्यादा सक्षमता से काम कर सकेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब 4 बज चुके हैं। यदि सभा की सम्मति हो, तो हम इस विधेयक को प्राय: 15 मिनटों में ही पारित कर सकते हैं। फिर, हम नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : श्री गेहलोत, कृपया समाप्त कीजिए। हम विधेयक पारित करेंगे।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): सभापति महोदय, मैं इस चर्चा में भाग लेने वाले सदन के सभी सदस्यों का बहुत आभारी हूं। इस विधेयक को सर्वसम्मति से समर्थन प्रदान करने के लिए भी मैं उनका आभारी हूं। इस सभा में इस विधेयक को सभी का जो समर्थन मिला है वह तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं है। मैं यह याद दिलाना चाहूंगा कि जब कांग्रेस सरकार वर्ष 1992 में सत्ता में थी उस समय राज्य वित्त निगमों की स्थिति की जांच करने के लिए समिति गठित की गयी थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1994 में प्रस्तुत की थी। इसके पश्चात् इस समिति की रिपोर्ट केन्द्र में कई सरकारों के जांचाधीन रही। इसके बाद, इस पर राज्य सरकारों के साथ विस्तृत चर्चा हुई है। अंततः मैंने सभा के समक्ष इन्हीं चर्चाओं का निष्कर्ष प्रस्तुत किया है। इसीलिए, यह विधेयक सभी आरंभिक चर्चाओं से गुजर चुका है। इस पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। इसलिए हमने इस विधेयक में सभी तरह की चिंताएं शामिल कर दी हैं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि राज्य वित्त निगम को सुदृढ़ करने का एक प्राथमिक उद्देश्य इस देश की लघु उद्योग की सहायता करना है और जिसके लिए बिना किसी विरोधाभास या भय के मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि यह सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। मजबूत राज्य वित्त निगम देश के लघु उद्योग क्षेत्र के वित्त पोषण के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण साधन सिद्ध होंगे।

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया जा चुका है। इससे भी ज्यादा कार्य अभी किया जाना है। मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहूंगा और यह कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री ने गृह मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह नियुक्त किया है जो लघु उद्योग क्षेत्र की समस्याओं की जांच कर रहा है। मुझे विश्वास है कि इस समूह की रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने तथा मंत्रिमंडल और सरकार इस पर विचार कर लेने के बाद लघु उद्योग क्षेत्र की कई समस्याएं सुलझ जायेंगी। लघु उद्योग की समस्याओं में एक प्रमुख समस्या निःसन्देह वित्त पोषण को लेकर है। वित्त मंत्री के रूप में इस समस्या के प्रति मैं सचेत हूं। अपने तीन बजटों में वित्त प्रवाह को और प्रोत्साहन देने के मैंने यथासंभव कार्य किया। मैं सभा का समय नहीं लेना चाहूंगा। आंकड़ों से यह पता चलता है कि लघु उद्योगों के लिए वित्त प्रवाह में वास्तव में वृद्धि हुई है। जैसा कि मैंने कहा, राज्य वित्त निगमों के सुदृढ़ीकरण से इस प्रक्रिया में आगे सहायता मिलेगी।

सभा में कुछ चिंताएं व्यक्त की गयी हैं। मुझे प्रसन्नता है कि डा. रघुवंश प्रसाद सिंह अब हमारे बीच आ गए हैं।

[हिन्दी]

उन्होंने कहा था कि बकरीपालन पर बहुत जोर देना चाहिए, बकरीपालन को इन सब चीजों में क्यों इन्क्लूड नहीं किया गया। हमें लगता है कि अगर गौर से उन्होंने इस बिल को पढ़ा होता तो उन्हें बुझाता कि उसमें बकरीपालन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस बिल में एक प्रावधान है कि सिडबी एस.एफ.सी. को यह निर्देश दे सकती है, इसमें इल्लस्ट्रेटिव लिस्ट है, जो लिस्ट उदाहरण के लिए दी गई है, उसके अलावा भी और उद्योगों को इसमें जोड़ सकते हैं। उसमें बकरीपालन, सूअरपालन या और भी जो छोटी-छोटी चीजें गांव में गरीब लोगों के लिए हो सकती हैं, उनको निश्चित रूप से जोड़ने का अधिकार इसमें है।

उसकी वजह से कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। कुछ सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया था कि प्रबंध निदेशक की नियुक्ति कौन करेगा और यह कहा था कि हम लोग यह अधिकार राज्य सरकारों को न दें, यह अधिकार भी सिडबी के पास रहे। लेकिन मैं सदस्यों को बताना चाहूंगा कि जब राज्य सरकारों से विचार-विमर्श हुआ तो उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि प्रबंध-निदेशक की बहाली करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास ही रहना चाहिए। हम राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहते थे इसलिए हमने उस सुझाव को स्वीकार किया। नए बिल के अनुसार जो व्यवस्था होगी उसमें अध्यक्ष की बहाली सिडबी के द्वारा की जाएगी और प्रबंध-निदेशक की बहाली राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी।

यहां पर सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि राज्य वित्त निगमों को राज्य सरकारों को ही चलाना है। उसके ढांचे में परिवर्तन अवश्य हो रहा है, लेकिन उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी इस बात की होगी इसलिए हम उनको अलग-थलग करें, यह उम्मीद नहीं कर सकते कि ये वित्तीय संस्थान आसानी से चलेंगे। माननीय सदस्य हन्नान मोल्लाह जी ने जैसा कहा कि उनकी बैलेंस शीट को चैक किया जाए। जो उनकी शेयर केपिटल का रिस्ट्रक्चरिंग होगा, उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा। इस बिल को लाने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है, वह है कि जो मिश्रित अनुभव रहा है राज्य वित्त

[श्री यशवन्त सिन्हा]

निगमों के बारे में, उसमें और सुधार लाकर, उनको और मजबूत संस्था के रूप में स्थापित करें, ताकि उनकी जो भूमिका है लघु उद्योगों को आगे बढ़ाने की, उस भूमिका का पालन वे आसानी से सफलता से कर सकें। इसलिए मैं पूरे सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह चर्चा में इसका विरोध नहीं हुआ, उसी तरह वोटिंग के समय भी इसको सर्वसम्मति से पास करें।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): पास तो कर देंगे, लेकिन वित्त निगम में बड़े-बड़े लोग करोड़ों रुपए लेकर खा गए, उनकी वसूली आज तक नहीं हुई, उसके लिए क्या कर रहे हैं?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री ए.सी. जोस और श्री वरकला राधाकृष्णन ने संशोधन प्रस्तुत नहीं किये हैं।

प्रश्न यह है:

"कि राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्डवार चर्चा करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 37 तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 37 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.09 बजे

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन करने के लिए अधिसूचना के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): महोदय, मेरे नाम पर मद संख्या 9 में एक सांविधिक संकल्प सूचीबद्ध है। यदि आप अनुमति दें, तो इस पर हम पहले विचार कर सकते हैं?

सभापति महोदय : जी हां।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह सभा एतद्द्वारा 7 जुलाई, 2000 की अधिसूचना संख्या 96/2000-सी.शु. [7 जुलाई, 2000 का सा.का.नि. 593(अ)] का अनुमोदन करती है जिसका आशय सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में संशोधन करना है ताकि उप-शीर्ष संख्या 0802.90 के अंतर्गत आने वाले माल पर लागू सीमा-शुल्क की दर को "35%" से बढ़ाकर "100%" किया जा सके।"

सभापति महोदय : अब, श्री वरकला राधाकृष्णन जी बोलेंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, यह विषय सीमा-शुल्क टैरिफ से संबंधित है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप अपना संशोधन प्रस्तुत करके फिर बोल सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि संकल्प में,-

"100%" के स्थान पर

"150%" प्रतिष्ठापित किया जाये। (1)

अब, नारियल उत्पादक भी कह रहे हैं कि यह एक कृषि उपज है। मैं इस संकल्प का विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन मुझे भारतीय कृषकों के समक्ष परेशानियों के बारे में बोलना है।

अब, सुपारी एक भाग है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसका संबंध सीमा शुल्क से है। इसका नारियल से कोई संबंध नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : केन्द्र सरकार अब आयात शुल्क को 100 प्रतिशत बढ़ाने की बात कह रही है। मेरा संशोधन प्रस्ताव यह है कि इसे 150 प्रतिशत अवश्य बढ़ाया जाना चाहिए। इस संशोधन प्रस्ताव के द्वारा मेरा विचार अन्य कृषकों विशेषत: भारत के नारियल कृषकों द्वारा अनुभव की जा रही परेशानियों को सामने लाने का है। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्य हैं। जहां नारियल बहुतायत मात्रा में उगाया जाता है। महोदय, आपको भी इस बात की जानकारी है। सरकार की इस आयात नीति के कारण, नारियल कृषक संकट का सामना कर रहे हैं।

नारियल कृषकों की सहायता करने के उद्देश्य से स्वयं माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए एक बैठक बुलाई थी। अब, सरकार सुपारी की सहायता करने का प्रस्ताव लेकर आई है। यह भी एक कृषि उत्पाद है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस संकल्प का नारियल से कोई संबंध नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : अब, नारियल उगाने वाले लोग भी इसी समस्या का सामना कर रहे हैं। अत:, मैं केन्द्र सरकार से नारियल, खोपरा, और अन्य वस्तुओं के आयात को समाप्त करने से संबंधित नीति तैयार करने का अनुरोध करता हूं। अब श्रीलंका खोपरा और नारियल का आयात भारत से कर रहा है। इसी तरह, फिलिपिन्स, मलेशिया और अन्य देश भी नारियल और खोपरे का आयात कर रहे हैं। अब, इसका कुल परिणाम यह हुआ है कि भारत में नारियल कृषक संकट का सामना कर रहे हैं और उन्हें भुखमरी की ओर धकेला जा रहा है। सरकार की आयात नीति के कारण केरल की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। अत:, सरकार को भारत में नारियल कृषकों द्वारा उठाई जा रही परेशानियों पर विचार करना चाहिए। केरल में ही, तटवर्ती क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण तक राज्य भर में लगभग 26 नारियल उगाने वाले लघु कृषक फैले हुए हैं। इस स्थान को 'केरल' के नाम से जाना जाता है। वह इस दृष्टि से कि यह नारियल कृषकों की भूमि है। नारियल कृषक भी इसी समस्या का सामना कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय ने इसी मुद्दे पर एक बैठक बुलाई थी।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, आप उस समय वहां नहीं थे। आप कृपया मेरी बात सुनें।

सभापति महोदय : उस दिन उस बैठक में मैं भी उपस्थित था।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डाल रहा हूं।

मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री जी के ध्यान में भारत में नारियल कृषकों द्वारा उठाई जा रही समस्याओं को लाना चाहता हूं। यह संकल्प भारत में सुपारी उगाने वालों की सहायता के लिए लाया गया है। मैं इससे सहमत हूं। मुझे इसके प्रति कोई आपत्ति नहीं है।

पाकिस्तान भारत से सुपारी आयात करने वाले अन्य देशों में से एक है। पाकिस्तान द्वारा आयात के कारण सुपारी उगाने वाले कृषक संकट का सामना कर रहे हैं। जो टैरिफ नियत किया गया है, वह 35 प्रतिशत है। इस नीति के कारण, भारत में सुपारी उगाने वाले किसान भुखमरी की ओर धकेले जा रहे हैं। अब, सरकार यह बात समझ चुकी है और इसे 100 प्रतिशत तक बढ़ाने का संकल्प प्रस्तुत किया है। मैं यह कहता हूं कि इसे 150 प्रतिशत तक अवश्य बढ़ाया जाना चाहिए। यही नीति नारियल उगाने वाले कृषकों के साथ अपनायी जानी चाहिए। एकमात्र अन्तर यह है कि ये लोग दक्षिण के हैं, और आप भी दक्षिण के हैं।

ये सभी लोग दक्षिण के हैं। ये लोग बहुत बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। अध्यक्ष ने स्वयं इस मुद्दे को उठाया है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य श्री राधाकृष्णन जी, उस दिन कृषि मंत्री श्री नीतिश कुमार अध्यक्ष के चैम्बर में आये थे। हम सभी ने विस्तृत विचार-विमर्श किया था और अब यह मामला कृषि मंत्री के विचाराधीन है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : तो, उन्हें लोगों द्वारा पाम ऑयल के आयात को प्रतिबन्धित करने वाला सांविधिक संकल्प लाने दें।

सभापति महोदय : क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : नारियल के मूल्य को कम करने वाले कारणों में से एक कारण पॉम आयल का आयात है। अत: वित्त मंत्री जी को भारत द्वारा विदेशों से पाम ऑयल का आयात करने पर प्रतिबन्ध लगाने वाले प्रस्ताव को प्रस्तुत करना चाहिए। नारियल, खोपरा और नारियल तेल का भारत में अंधाधुंध आयात आवश्यक रूप से कम कर देना चाहिए।

[अनुवाद]

मैं ऐसा नहीं कहता कि इसे एकाएक बंद ही कर दिया जाए। लेकिन मेरा सुझाव है कि इसमें कुछ प्रतिबंध होने चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें। आप अलग विषय की ओर जा रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : इन्हीं शब्दों के साथ मैं, सांविधिक संकल्प का समर्थन करता हूं। साथ ही, मैं वित्त मंत्री से फिर कहना चाहूंगा कि भारत जैसे देश में नारियल की व्यापार-संस्था है; जहां नारियल उत्पादक हैं। आप इसे भूलें मत। आप एक संकल्प प्रस्तुत करें जिसमें नारियल पर, लगे प्रशुल्क में कटौती का प्रावधान हो।

सभापति महोदय : क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैंने अपना संशोधन पेश कर दिया।

सभापति महोदय : आपने तो कहा है कि आप उस संकल्प का समर्थन कर रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं अवश्य समर्थन करूंगा क्योंकि वह मेरी नीति है।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): उन्होंने इसका विरोध नहीं किया है। कृपया वित्त मंत्री जवाब दें। ...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : जहां तक संशोधन का सवाल है, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं, आश्वासन ही नहीं पूरी तरह आश्वस्त करता हूं कि जब मैं माननीय सदस्य श्री राधाकृष्णन जो को यह बताऊंगा कि विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क दर केवल 46 फीसदी है तो वे इसे वापस ले लेंगे। इसलिए हम इसे 200 फीसदी तक नहीं ले जा सकते। हम इस मामले की तह तक गए हैं। उत्पादकों एवं व्यापारियों से विचार-विमर्श के बाद हमें आश्वस्त किया गया कि घरेलू उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए 100 फीसदी शुल्क पर्याप्त है। अत: 100 फीसदी शुल्क ठीक है। इसलिए, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस विशेष संशोधन विधेयक को वापस ले लें।

और जहां तक नारियल उत्पादकों की आपकी चिन्ता का सवाल है तो हम उससे पूरी तरह अवगत हैं। कृषि मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं। हमने आप के सुझाव को नोट कर लिया है।

सभापति महोदय : अब आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री वरकला राधाकृष्णन को अपना संशोधन वापस लेने की सभा की अनुमति है?

सभा की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह सभा एतत्द्वारा 7 जुलाई, 2000 की अधिसूचना संख्या 96/2000-सी.शु. [7 जुलाई, 2000 का का.सा.नि. 593(अ)] का अनुमोदन करती है जिसका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में संशोधन करना है ताकि उप-शीर्ष संख्या 0802.90 के अन्तर्गत आने वाले माल पर लागू सीमा-शुल्क की दर को "35%" से बढ़ाकर "100%" किया जा सके।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.18 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में आई बाढ़ के कारण हुई जान-माल की हानि

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि सदन में बाढ़ की समस्या पर बहस प्रारम्भ करने का अवसर मिला है, लेकिन साथ-ही-साथ दु:ख भी है कि प्रतिवर्ष लगभग इस सदन में और दूसरे सदन में भी बाढ़ की समस्या पर चर्चा होती है, बाढ़ की समस्या से निपटने पर चर्चा होती है, लेकिन जो सार्थक प्रयास बाढ़ से निपटने के लिए होनी चाहिए, वह उतनी गम्भीरता के साथ नहीं हुए हैं।

अपराह्न 4.19 बजे

[**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन* हुए]

इससे ऐसा लगता है, जब बाढ़ आ जाती है, तो उस समय एक औपचारिकता पूरी की जाती है, कुछ इमदाद दी जाती है, कुछ

मदद दी जाती है। इस काम से निपटने के लिए सेना की भी मदद ली जाती है। सही मायनों में बाढ़ से पूर्व बाढ़ की समस्या से निपटने के जो ठोस प्रयास हमारे देश में होने चाहिए, वे ठोस प्रयास हमारे देश में नहीं होते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि बाढ़ का जो हलका है, वह हलका तेजी से हमारे देश में बढ़ रहा है।

जो सरकारी आंकड़े हैं, उनके मुताबिक 1951 में एक करोड़ हैक्टेयर भूमि बाढ़ग्रस्त थी। यह 1960 में बढ़ कर 2.5 करोड़ हैक्टेयर हो गई। 1978 में बाढ़ का क्षेत्र 3.4 करोड़ हैक्टेयर हो गया और आज वर्ष 2000 में लगभग सात हजार हैक्टेयर भूमि बाढ़ की चपेट में है।

महोदय, देश में बाढ़ से होने वाली हानि नदियों से 60 फीसदी होती है और 40 फीसदी अतिवर्षा और चक्रवात से होती है 100 में से 60 प्रतिशत नदियां हिमालय से निकलती हैं। आज हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश और बिहार बाढ़ की चपेट में है। इससे पहले गुजरात के अहमदाबाद, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी तेजी के साथ बाढ़ आई। अकेले गुजरात के अहमदाबाद शहर में लगभग 10,000 करोड़ का नुकसान बाढ़ से हुआ।

महोदय, हमारे देश में चेरापूंजी में 1100 मिलीमीटर वर्षा होती है, जो सबसे अधिक है। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि पानी के इकट्ठे न करने के कारण उसी इलाके में फिर पानी का अकाल हो जाता है। बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि हमारे देश में 33 फीसदी वन होने चाहिए। आज सरकार स्वयं स्वीकार करती है कि हमारे देश में सिर्फ 19 प्रतिशत वन हैं और गैर-सरकारी सेम्पल सर्वे के मुताबिक सिर्फ 12 फीसदी वन हैं। पांच दशकों में जो पेड़ों की कटाई हुई है, उसके चलते भी यह गंभीर समस्या पैदा हुई है। वर्षा के पानी के संचय की क्षमता नहीं है हमारे देश में सिर्फ दस लाख हैक्टेयर भूमि में तालाब एवं जलाशय हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण अधिकाधिक आवास, अधिक भवन बनने से भी स्थिति बिगड़ी है। अधिक ईंधन और प्रमुख रूप से नदियों का कटाव भी बाढ़ का कारण रहा है। यह कितनी दुखद बात है कि हमारे देश में जो बजट बनता है, उस पर और प्राकृतिक आपदा के लिए जो धन का आबंटन होता है, वह होने वाले नुकसान की तुलना में नहीं के बराबर है। बाढ़ से होने वाली वार्षिक हानि 18,70,999 करोड़ है और बाढ़ नियंत्रण पर नौवीं पंचवर्षीय योजना में 1997 से लेकर 2002 तक सिर्फ 2216 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है, जो नहीं के बराबर है। यह देश की सबसे गंभीर समस्या है। मैं समझता हूं कि किसी भी सरकार के सामने जो प्राथमिकताएं होनी चाहिए, उनमें एक प्राथमिकता यह भी होनी चाहिए, प्राथमिकता के आधार पर जो तवज्जो बाढ़ से निपटने के लिए दी जानी चाहिए, वह हमारे देश में नहीं दी जाती, उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। देश में बाढ़ और अतिवर्षा से तथा चक्रवात से करोड़ों लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। उड़ीसा का उदाहरण आपके सामने है। करोड़ों की संख्या में पशुधन की हानि होती है, फसलें चौपट हो जाती हैं।

सभापति महोदय, 1990 से 1998 के बीच प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए 6411 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। जब माननीय देवगौड़ा जी देश के प्रधान मंत्री थे तो नदियों के कटाव को रोकने के लिए 716 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। लेकिन इस सरकार ने उस धनराशि को कम करने का काम किया है। केन्द्र ने गंगा के कटाव को रोकने के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड बनाया हुआ है। लेकिन दस साल के बाद 15 जून को जल संसाधन मंत्री जी की अध्यक्षता में उसकी मीटिंग हुई है और 110 करोड़ रुपये का इसके लिए प्रावधान किया गया है, जो नहीं के बराबर है।

आज नदियों के कटाव की स्थिति यह है कि मालदा जिले के 55 किलोमीटर और मुर्शिदाबाद जिले का 104 किलोमीटर हिस्सा और इसकी 36 हजार हेक्टेयर जमीन नदी के गर्भ में चली गयी। उसका प्रमुख कारण यह है कि भांखड़ा नांगल और फरक्का जैसे बड़े बांधों ने नदियों के प्रवाह को प्रभावित किया है और जिसकी वजह से यह कटाव हुआ है। इस सरकार की कोई ऐसी जल नीति नहीं है। सन् 1987 में राष्ट्रीय जल नीति बनाने की बात थी और अक्तूबर 1998 में केन्द्र ने जल नीति का मसौदा राज्य सरकारों के पास भेजा। हमारे देश में जल-विवाद होते रहे हैं और एक नया राज्य उत्तरांचल जो बनेगा, उसमें 17 प्रतिशत नदियों का प्रवाह है। जिस मुस्तैदी के साथ जल-विवादों को निपटाया जाना चाहिए था, उन्हें नहीं निपटाया गया है। नदी बेसनों को जोड़ने, गंगा को कावेरी से मिलाना, जिसे गारलैंड योजना कहते हैं, प्रसिद्ध इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने गंगा को कावेरी से मिलाने की बात कही थी, जब श्री केएलवी राव साठ के दशक में सिंचाई मंत्री थे। उनका भी प्रयास यह था कि अधिक पानी वाले इलाकों से जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पानी पहुंचाया जाए। उस काम को भी आगे बढ़ाने का काम इस देश में नहीं हुआ। बाढ़ का एक प्रमुख कारण वर्षों से नदियों की सफाई का न होना भी है। उसी का प्रमुख कारण है कि प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। इन नदियों की जो स्थिति 100 साल पहले थी अगर उसी स्थिति में नदियां पहुंच जायें तो बहुत कुछ हद तक बाढ़ से बचा जा सकता है।

हमारे देश में 6 लाख के लगभग गांव हैं। अगर इन गांवों के दोनों तरफ जलाशय बनाकर पानी का संचय किया जाये तो भी इस समस्या के हल में कुछ काम हो सकता है।

[श्री रामजी लाल सुमन]

मैंने शुरू में कहा था कि बहुत बेरहमी और बेदर्दी से हमारे देश में पेड़ों की कटाई हुई। इन वनों को काटने वाले लोग और पेड़ों की कटाई करने वाले लोग जो वन माफिया हैं, उनके खिलाफ कोई कठोर कार्यवाही नहीं होती। जिस तरह पेड़ों की कटाई का काम हो रहा है, अगर वह यथावत चलता रहा तो आगे आने वाले समय में उसके परिणाम और ज्यादा गंभीर होंगे। यह कितनी दुखद बात है कि बाढ़ को हम प्राकृतिक आपदा मानते हैं और पूरे हिन्दुस्तान को हमने भगवान के भरोसे छोड़ रखा है। यह देश बाढ़ मुक्त बने और बाढ़ के संबंध में कोई दीर्घकालीन योजना बने, उसके बारे में कभी कोई विचार ही नहीं हुआ। करोड़ों लोग प्रभावित हों, लाखों लोग मर जाएं, लोगों का मकान ध्वस्त हो जाएं, फसल चौपट हो जाए और महज एक औपचारिकता पूरी हो जाए, मैं समझता हूं कि यह किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है। इस देश को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए गंभीर प्रयास होने चाहिए। मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि भारत सरकार की आज सबसे पहले अगर कोई प्राथमिकता हो तो हिन्दुस्तान को बाढ़ मुक्त बनाने का काम होना चाहिए। मैं जानता हूं कि जब प्राकृतिक आपदा, बाढ़, चक्रवात आता है, अधिक वर्षा होती है तो लोगों की मदद के नाम पर महज एक औपचारिकता पूरी होती है। लोगों की मदद करने के हमारे जो सरकारी मानक हैं, वे पुराने हैं। 300 रुपये में आज कौन सा घर बन जाएगा, 1000 रुपये की मदद से कौन सी बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी। यह अत्यधिक गंभीर मामला है। मैं आपके मार्फत भारत के कृषि मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि एक सार्थक, कारगर और दीर्घकालीन योजना बाढ़ से निपटने के लिए बननी चाहिए। मुझे यही निवेदन करना था। धन्यवाद।

श्री महेश्वर सिंह (मंडी): सभापति महोदय, कुछ वर्षों से ऊंचे पहाड़ों में भी बादल का फटना, बाढ़ का आना एक साधारण बात हो गई है। मैं आभारी हूं कि इस सदन के माननीय सदस्य श्री रामजी लाल सुमन ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो चर्चा उठाई है, उसमें भाग लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

जहां तक बाढ़ का संबंध है, पहाड़ों में जो बाढ़ आती है और मैदानी क्षेत्रों में जो बाढ़ आती है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। पहाड़ों में बादल फटने से अकस्मात पानी का स्तर बढ़ जाता है और कुछ ही क्षणों में तबाही मचाने के बाद पानी का स्तर उतर जाता है और फलस्वरूप जब भी केन्द्र से टीम जाती है और जाकर वहां ढूंढते हैं कि कौन सा एरिया जलमग्न हुआ है, वह देखने को नहीं मिलता। फलस्वरूप हमें जितनी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती। मैं आपका और इस माननीय सदन का ध्यान हिमाचल प्रदेश की ओर ले जाना चाहूंगा। आपने समाचार-पत्रों में भी पढ़ा होगा कि 31 जुलाई की रात और पहली अगस्त की सुबह मेरे ही चुनाव क्षेत्र में जिला किन्नौर, जिला शिमला का रामपुर क्षेत्र, कुल्लू का आनी और निर्मंड और जिला मंडी का करसोग क्षेत्र, ये लगभग सतलुज नदी के दोनों तटों पर बसे हुए लोगों की जमीने, सरकारी और गैर-सरकारी सम्पत्ति को नष्ट करते हुए सतलुज का जलस्तर रात को इतना बढ़ा कि वह नोर्मल स्तर से 40-50 फुट पर बहने लगी और सारे इलाके में तबाही मचा दी। जो लोग शान्ति से 31 जुलाई को सोये पड़े थे, प्रातः जब उठे तो चारों तरफ पानी ही पानी था। उस दिन हिमाचल प्रदेश में कोई ज्यादा वर्षा नहीं हुई। ऐसा प्रतीत होता था मानों मानसरोवर टूट गया हो और तिब्बत की ओर से पानी आया। हिमाचल का सीमावर्ती गांव खाव से लेकर जिला मंडी में बसने वाले गांव तत्तापानी तक तबाही मचाता हुआ चला गया। इसमें हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हुई है, लगभग 100 जानें जाने की पुष्टि हुई है और इसका भी सही अनुमान नहीं लगा है कि कितने लोगों की जानें गई हैं, क्योंकि यह सब कुछ रात के अंधेरे में हुआ है और इस सड़क पर ठेकेदारों द्वारा लगाई गई लेबर भी थी, आई.टी.बी.पी. का कैम्प था और अन्य ठेकेदारों की कई किस्म की लेबर भी थी, जल विद्युत परियोजनाएं हैं। प्राथमिक अनुमान के अनुसार लगभग 2000 करोड़ रुपये की क्षति पहुंची है। यह प्राथमिक अनुमान मैं इसलिए कह रहा हूं कि किन्नौर जिला आज भी देश के बाकी भागों से कटा पड़ा है। लगभग 15-16 पड़े पुल क्षतिग्रस्त हो गये। इसके अतिरिक्त साठ छोटे पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं और जो हिन्दुस्तान तिब्बत रोड है, वह जगह-जगह टूट गई है, जिसके पुनर्निर्माण में लगभग 6-7 महीने लग सकते हैं और अगर धन की उचित व्यवस्था नहीं हुई तो एक साल भी लग सकता है। वहां की स्थिति बड़ी विकट है। पहली अगस्त की प्रातः प्रदेश के मान्यवर मुख्य मंत्री महोदय हैलीकॉप्टर से एरियल सर्वे करने गये और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के सीमावर्ती गांव खाव तक गये, जो जनजातीय क्षेत्र है, लेकिन उस समय कहीं भी वर्षा नहीं थी। यह स्वाभाविक है कि तिब्बत के पहाड़ों में भी उतनी वर्षा नहीं हुई थी कि इतना जलस्तर बढ़ गया। इसलिए यह आवश्यक है, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि चाइना की सरकार से पता लगाया जाये कि कौन सा कारण है, कहां से बादल फटा, क्योंकि जब बादल फटता है तो इतने लम्बे क्षेत्र में कभी क्षति नहीं होती, जितनी इस बार हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमाचल में इस प्रकार की बाढ़ लगभग 61,000 वर्षों के बाद आई है। ऐसी बाढ़ ने पहले कभी किसी ने देखी है, न सुनी है और वहां का जो दर्दनाक सीन था, उसकी माननीय मुख्य मंत्री महोदय न वीडियो कैसेट बनाकर लाये थे और उसे उन्होंने मान्यवर प्रधान मंत्री महोदय को दिखाया था कि किस प्रकार से क्षति हुई है और कितना नुकसान करके आज सतलुज नदी चली गई। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश को इस समय अधिक से अधिक आर्थिक सहायता दी जाये।

हिमाचल प्रदेश के अपने सीमित साधन हैं। सीमित साधन होते हुए भी मान्यवर मुख्य मंत्री महोदय ने राहत कार्यक्रमों में कोई कमी नहीं रखी है। मैं कन्द्र सरकार और कृषि मंत्री महोदय का भी आभारी हूं कि अभी हिमाचल प्रदेश को 100 करोड़ रुपया प्रदान किया गया है। लेकिन इस 100 करोड़ रुपये में 50 करोड़ तो वेज एंड मींस का एडवांस है और 50 करोड़ रुपया हमारे प्लान एसिस्टेंस का एडवांस है, अर्थात सही मायनों में अभी हमें कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है, लेकिन तुरन्त राहत के लिए यह सार्थक सिद्ध हुई है, इसलिए आपके माध्यम से प्रधान मंत्री महोदय से और यहां विराजमान कृषि मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम 500 करोड़ रुपये अग्रिम राशि के रूप में आर्थिक सहायता के रूप में हिमाचल प्रदेश को प्रदान किया जाये, ताकि वह प्राकृतिक प्रकोप से जूझ सके, लोगों को राहत प्रदान कर सके। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इतनी बड़ी आपदा हुई है, इस प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाये, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अपने सीमित साधन हैं। हमारे लिए लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप आर्थिक सहायता प्रदान करना कठिन ही नहीं, बल्कि असम्भव है।

इसके अतिरिक्त मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा, जैसा मैंने शुरू में कहा हिन्दुस्तान-तिब्बत रोड को जल्दी से बनाना न केवल मेरे क्षेत्र के लिए या हिमाचल प्रदेश के लिए, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए नितांत आवश्यक है। यह सड़क वांगट से आगे बोर्डर रोड आर्गेनाइजेशन के पास है, वही इसको देखते हैं। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे स्वयं कृपा करें और इस क्षति का जायजा लें। वे रक्षा मंत्री जी से बात करके इस बात का प्रबंध करें कि रक्षा विभाग के इंजीनियर प्रोवाइड किए जाएं, ताकि जल्द से जल्द बैली ब्रिज का निर्माण किया जाए। किसी भी सरकार के लिए एकदम 15-16 बड़े पुलों का और 60 छोटे पुलों का निर्माण करना सम्भव नहीं है। इसलिए जो बहुत जरूरी पुल हैं, उनके निर्माण के लिए उनकी सहायता ली जाए, क्योंकि अभी सड़क के बनने में काफी समय लगने वाला है।

किन्नौर जनजातीय क्षेत्र है। वहां सेब काफी होता है। अभी फसल आने वाली है। वही वहां के लोगों की आजीविका है। इस समय वहां के किसानों की फसल को मंडी तक पहुंचाना एक समस्या है। हिन्दुस्तान-तिब्बत रोड को बनाने में आर्थिक सहायता उपलब्ध होने के उपरांत भी बहुत समय लगेगा। वहां के किसान जल्द से जल्द अपना माल मंडी तक पहुंचा सकें, इसकी व्यवस्था करना जरूरी है। वहां की सरकार ने यह प्लान किया है कि खाव नामक जगह है, वहां के पुल को सबसे पहले बनाया जाए ताकि जो किन्नौर क्षेत्र की उपज है, जो सीधी शिमला से होकर दिल्ली की मंडी तक आती थी, उसे कुल्लू लाना होगा, वाया कुंजम पास लाना पड़ेगा। उससे उन किसानों का तीन गुना ज्यादा खर्च होगा। इसलिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का प्रावधान करना आवश्यक है। यह एक जनजातीय क्षेत्र है। वहां के लोगों के आय के साधन बहुत सीमित हैं। इसलिए इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।

जहां तक केन्द्रीय टीम का सवाल है, मैं कृषि मंत्री का आभारी हूं कि वहां एक केन्द्रीय टीम गई है। लेकिन कोई भी टीम जब कहीं जाती है तो वह अपने अनुभव से देखती है कि कौन सा एरिया जलमग्न हुआ, वह दिखाओ। वह तो अब नहीं रहा, लेकिन पानी अपने निशान छोड़ गया है कि वह कहां तक गया। जैसा शुरू में कहा गया रेवेन्यू मेनुअल जो हिमाचल प्रदेश का है या अन्य किसी प्रांत का है, किसी किसान की जान चली जाए तो प्रधान मंत्री की ओर से 50,000 रुपए मुआवजा मिल जाता है, प्रांतीय सरकारों से अपने राजस्व मेनुअल में किसी ने 25,000 रुपए तो किसी ने 30,000 रुपए का प्रावधान किया है। लेकिन अगर सर्वस्व चला जाए जान बच जाए तो कुछ नहीं मिलता। जो जमीन क्षतिग्रस्त हुई है, वह हजारों एकड़ है। उसको रिक्लेम करना वहां के किसानों के बस की बात नहीं है। न ही उनको उसके बदले में जमीन दी जा सकती है, क्योंकि वहां जमीन नहीं है। बाढ़ से जो मिट्टी, सिल्ट और पत्थर आए हैं, उनकी सफाई के लिए उदारता से धन दिया जाए।

मैं यहां सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, जैसा आप सबको विदित है, मैं इस सदन के माननीय सदस्य रह चुके स्वर्गीय राजेश पायलट जी का आभारी हूं। वे हमारा मार्गदर्शन करके गए हैं। उड़ीसा में जब बाढ़ आई थी तो उन्होंने विशेष अनुमति से अपने एम.पी. लैड से 10 लाख रुपए उपलब्ध कराए थे, ताकि वहां राहत कार्यक्रम जारी रह सकें। मैं आपके माध्यम से भी माननीय सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री महोदय ने आप सभी को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर सहायता की अपील की है, वह पत्र हम आप तक पहुंचाएंगे। मेरा निवेदन है कि इस संकट की घड़ी में उस पहाड़ी क्षेत्र को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, ताकि उस प्रांत के लोग राहत की सांस ले सकें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग उदारता से सांसद निधि से कुछ न कुछ धनराशि उपलब्ध कराएंगे, जो क्षतिग्रस्त लोगों के काम आ सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री राजकुमार वंग्चा (अरुणाचल पूर्व): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मौका दिया। प्रतिवेदन के मुताबिक समस्त उत्तर-पूर्व में बाढ़ की स्थिति अत्यंत ही चिंताजनक बनी हुई है। 20 लाख से भी अधिक लोग बेघर हो चुके हैं और 300 से भी अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। यह कोई नई घटना नहीं है।

[श्री राजकुमार वंग्चा]

ऐसा हर साल होता है। फिर भी, इस महा प्रलयकारी बाढ़ से निपटने के लिए भारत सरकार की ओर से आज तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए हैं।

असम से प्राप्त प्रतिवेदन के मुताबिक वहां माहामारी के फैलने को रेकने के लिए भी केन्द्र सरकार की ओर से कोई पर्याप्त उपाय नहीं किए गए हैं। कई लोग इससे अपनी जानें गवां चुके हैं। वहां स्वास्थ्य और सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है।

इस मामले में आज मैं विशेषकर अरुणाचल प्रदेश की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। ऊपरी सिंयाग और पूर्वी सियांग जिले के साथ-साथ दिवांग घाटी व लोहित जिले में आई कहर बरपाने वाली इस प्रलयकारी बाढ़ के बाद हमारे माननीय कृषि मंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया था। इस बाढ़ से हुई तबाही की तुलना 1950 के दशक में आए भूकंप से की जा सकती है क्योंकि कुछ ही घंटों में तटबंधों सहित समस्त भूमि क्षेत्र और इसका तटीय किनारा बाढ़ बहा ले गई। इस बार बाढ़ की तीव्रता इतनी अधिक थी कि चीन की सीमा से लगे जेलिंग से लेकर ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों की समस्त जोत योग्य भूमि, सड़कें और आधारभूत संरचनाएं जलमग्न हो गईं।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपनी यात्रा के दौरान प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया था। मैं समझता हूं कि वे यात्रा के दौरान सर्वेक्षण से संतुष्ट थे। सभी प्रभावित लोग बड़ी-बड़ी आशाएं लिए बैठे हुए थे कि उन लोगों को कुछ राहत दी जाएगी, लेकिन दुःख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। मालूम पड़ता है कि सरकार ने इस आपदा को बड़े ही हल्के ढंग से लिया है। सरकार ने बड़ा ही लापरवाहीपूर्ण रवैया अपनाया है।

महोदय, उस दिन आई अचानक बाढ़ के कारण जल का स्तर सामान्य जल स्तर से 40 मीटर ऊंचा हो गया था जिस कारण सियांग नदी के कई बड़े पुल तेज धार में बह गए। इनमें एक प्रसिद्ध पुल नुबो ब्रिज भी था जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री देवगौड़ा ने किया था। इसी तरह सियांग नदी में ऐसी कई छोटे-छोटे और मझोले आकार के पुल थे जो पूरी तरह इस बाढ़ में बह गए। इसी प्रकार 100 कि.मी. की लम्बाई में सड़कें, विद्युत केन्द्र आदि सहित सियांग जिले के तीन बड़े-बड़े लाइफ लाइन पुल नुबो पुल, संयंत्र पुल और डिटि डाइम पुल भी बह गए।

अब हालात यह है कि यहां के लोग बाढ़ में फंस गए हैं और बिल्कुल असहाय पड़ गए हैं तथा आवश्यक उपभोग की वस्तुएं यहां नहीं पहुंच रही हैं। पिछले डेढ़ महीनों से सभी प्रशासनिक सर्किलों का न केवल जिला मुख्यालय से बल्कि देश के शेष भागों से भी सम्पर्क टूट चुका है।

पर अफसोस कि भारत सरकार ने जो रुख अपनाया है वह इस देश के एक अति संवेदनशील राज्य के प्रति सौतेलापन व्यवहार जैसा है। आबादी के दृष्टिकोण से यह सच है कि अरुणाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है लेकिन जब हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि यह इस देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तो यह सबसे बड़ा राज्य है। जैसा कि आप सबों को मालूम होगा कि संवेदनशील सीमा क्षेत्र का यह सीमावर्ती राज्य 1962 में चीनी आक्रमण को झेल चुका है। ऊपरी सियांग का जिला चीनी सीमा पर स्थित है और यह अत्यंत संवेदनशील है। इस दृष्टिकोण से कोई भी चाहेगा कि इसके प्रति अधिक सहानुभूति हो और केन्द्र सरकार से अधिक से अधिक सहायता मिले जो कि पिछले डेढ़ महीनों से हमें नहीं मिल रहा है।

हमें अभी तक यह भी नहीं मालूम कि यह बाढ़ आई कैसे। कुछेक अखबारों के माध्यम से हमें पता चला है कि सियांग नदी, जो तिब्बत से निकलती है और वहां सांगफो नदी के नाम से जानी जाती है, के बाढ़ के पानी ने बांध तोड़ दिया और इस तरह, 11.6.2000 को विनाशकारी घटना घटी। हमें नहीं मालूम कि विदेश मंत्रालय ने इस मामले को चीन की सरकार के साथ उठाया है या नहीं। फिर भी, भूमण्डलीकरण के इस युग में निश्चय ही कुछ ऐसे उपाय होने चाहिए जिससे कि इस तरह के विनाश को रोका और इसका पता लगाया जाए।

जहां तक इस बाढ़ में जान गवां चुके लोगों का सवाल है, तो इसकी उड़ीसा की आपदा में मरने वाले लोगों से तुलना नहीं की जा सकती। हमने देखा है कि उड़ीसा में आई प्राकृतिक आपदा से सैकड़ों लोगों की जानें चली गईं। अतः हम इससे तुलना नहीं कर सकते लेकिन जिस तरह इसका अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव अरुणाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है तो इसकी तुलना उड़ीसा की अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान से निश्चित की जा सकती है जैसा कि आज ही की बात लीजिए। अरुणाचल प्रदेश के लोहित, डेबांग, ऊपरी सियांग और पूर्वी सियांग जिलों में लगभग 40 लोग मर गए।

अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने एक ज्ञापन भी भेजा है इसमें महाविनाशकारी बाढ़ से हुए नुकसान का मोटा-मोटी आकलन किया गया है यह आकलन 140 करोड़ रुपए तक का है। इसके बाद भी उत्तरोत्तर नुकसान की खबर है। अब यह प्रारम्भिक आकलन से तकरीबन 200 करोड़ तक का है। जिस समय रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी गई थी उस समय का आकलन केवल दो जिलों तक ही सीमित था, मुख्यतः ऊपरी और पूर्वी सियांग जिलों तक। लेकिन अब हमें डिबांग और लोहित जिलों में भी नुकसान की खबर मिल रही है। ठीक दो दिन पहले मुझे एक रिपोर्ट मिली

थी कि वहां दस लोगों की मृत्यु हो गई। लोहित जिला अरुणाचल प्रदेश राज्य के सबसे बड़े जिलों में से एक है।

महोदय, आपदा राहत कोष से अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए 8.80 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है उसमें से केवल 2.20 करोड़ रुपए ही जारी किए गए हैं। मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि शेष धनराशि भी जारी की जाए। सर्वप्रथम भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से अरुणाचल प्रदेश राज्य को कम से कम 200 करोड़ रुपए की धनराशि शीघ्र जारी की जाए। लोग अपने-अपने जिला मुख्यालयों से बिल्कुल कट चुके हैं। दैनिक उपभोग की वस्तुएं भेज पा रहे हैं जो कि पर्याप्त नहीं है।

मैं इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना द्वारा प्रदान की गई महत्वपूर्ण सेवाओं और उच्च सटीक कार्यकुशलता व दक्षता से चलाए जा रहे राहत कार्य में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका लिए अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा।

मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि 11.6.2000 को हुई महाविनाश लीला से उत्पन्न समस्याओं की अत्यंत गम्भीरता से जांच करे। मंत्री जी ने अपने हवाई सर्वेक्षण के बाद इस प्रलय से हुए नुकसान का मूल्यांकन अवश्य किया होगा।

हमें बताया गया था कि हिमाचल प्रदेश के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है तो फिर अरुणाचल प्रदेश के लिए क्यों नहीं? इसे केवल 2.20 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है और वह भी आपदा राहत कोष से जो कि वर्ष 2000-2001 के लिए अरुणाचल प्रदेश के लिए निर्धारित किया गया था मैं यह नहीं कहता कि यह राशि हिमाचल प्रदेश को नहीं दी जाए। लेकिन, प्रभावित राज्यों को अतिरिक्त राहत कोष उपलब्ध कराने में किसी राज्य के प्रति भेदभाव नहीं बरता जाए। यही मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): सभापति महोदय, हर वर्ष भारत में बाढ़ की स्थिति बहुत ही गंभीर होती जा रही है। चाहे उत्तर भारत हो, या दक्षिण भारत हो भारत हर दम बाढ़ से प्रभावित रहता है। मैं कृषि मंत्री तथा भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि हम इन नदियों को नियंत्रित करने हेतु कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पाते हैं। दक्षिण में गोदावरी तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र हर दम तबाही मचाती हैं। अरुणाचल प्रदेश से मेरे सहयोगी ने कहा कि जल स्तर सामान्य स्तर से 40 मीटर ऊपर है। आंध्र प्रदेश में समस्त सरकारी मशीनरी कुछ नहीं कर रही है सिर्फ दोनों गोदावरी जिलों में बाढ़ नियंत्रण करने में लगी है।

अपराह्न 5.00 बजे

यह कोई नई बात नहीं है। यह हर वर्ष होता है। दूसरी तरफ देश में सूखा पड़ा हुआ है। आजादी के 50 वर्ष बाद भी हम इन नदियों को नियंत्रण में नहीं ला पाए हैं और न ही इसका पूर्ण उपयोग कर पाए हैं। मैं चक्रवात संबंधी समस्या को समझ सकता हूं। आदमी चक्रवात के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह प्राकृतिक आपदा है और हम इसका सही अनुमान नहीं लगा सकते, मगर हम बाढ़ का अनुमान लगा सकते हैं। हर वर्ष यह पता लगाने के लिए अनेक चार्ट तैयार किए जाते हैं कि बांध का निर्माण कहां हो मगर हम केवल विचार-विमर्श करते हैं और कुछ नहीं।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि नदियों के मार्गों तथा इनमें बाढ़ के कारणों का पता लगाने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए। मंत्री जी को सभा में एक श्वेत-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। हम जानना चाहेंगे कि कितने वर्षों से कितने जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कितने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया तथा भारत सरकार ने हर वर्ष बाढ़ राहत उपायों पर कितनी राशि व्यय की है। बाढ़ राहत पर व्यय होने वाली राशि का उचित उपयोग होना चाहिए जिससे कि हम अपने जल संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर सकें।

हमें पता है कि दक्षिण में हमारे तमिल तथा कर्नाटक के भाई कावेरी जल पर लड़ रहे हैं। गोदावरी में जल स्तर पर्याप्त नहीं है। काफी पानी समुद्र में बह जाता है। ब्रह्मपुत्र में बाढ़ से समस्त असम तथा अरुणाचल प्रदेश प्रभावित होता है। यह एक नई स्थिति है। सरकार इस संबंध में असहाय नजर आती है। मगर मैं आशा करता हूं कि सरकार असहाय नहीं है। सरकार देश की सहायता कर सकती है, अधिक खाद्यान्नों के उत्पादन हेतु किसानों की सहायता कर सकती है।

माननीय कृषि मंत्री सक्षम हैं एवं बात सुनते हैं। हाल ही में उन्होंने राष्ट्रीय कृषि नीति पर एक पत्र जारी किया है। मैं समझता हूं कि हमें इस पर भी विचार-विमर्श करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि बाढ़ की स्थिति पर तथा नदी के पानी का उचित उपयोग संबंधी एक वक्तव्य दें। माननीय मंत्री को उनकी भी सहायता करनी चाहिए जिन्होंने बाढ़ में सब कुछ खो दिया। यह हर वर्ष होता है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर गौर करें तथा जल्द से जल्द इस पर एक श्वेत-पत्र जारी करें।

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): महोदय, हमारे देश में बाढ़ नियमित रूप से आती है। हर वर्ष बाढ़ आती है और तबाही मचती है। पिछले वर्ष करीब 14 राज्यों में बाढ़ आई जिससे व्यापक तबाही हुई। पिछले वर्ष बाढ़ के कारण अनेक लोगों की

[श्री लक्ष्मण सेठ]

जान गई। करीब 896 लोग मारे गए। करीब 3861 मवेशी मारे गए तथा 8.82 लाख मकान क्षतिग्रस्त हुए। 7.45 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की हानि हुई। यह एक राष्ट्रीय आपदा है जो हर वर्ष होती है। इस वर्ष भी पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और बिहार तथा असम के अनेक हिस्सों में बाढ़ आई थी।

बाढ़ क्यों आती है। नदी में गाद, वनों की कटाई, भारी वर्षा तथा नदियों के तट के कटाव, बाढ़ के कुछ कारण हैं। माननीय सदस्यों ने सही कहा है कि हम चक्रवात पर आसानी से काबू नहीं पा सकते, मगर बाढ़ पर आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। चूंकि हमें बाढ़ के कारणों का पता है, हम इस पर आसानी से काबू पा सकते हैं। मगर आजादी के 53 वर्ष पश्चात् भी हम बाढ़ पर नियंत्रण नहीं कर पाए हैं।

महोदय, वर्षा हमारे समाज तथा देश के लिए वरदान हो सकती है। यदि हम वर्षा के जल का संरक्षण कर सकें तो इससे हमारे देश को अनेक तरह से लाभ होगा। पानी के संरक्षण की कोई योजना नहीं है। नदियों के तट को बचाने हेतु कोई योजना आरंभ की जानी चाहिए जिससे कि हम गाद की समस्या का समाधान कर सकते हैं। हरेक बांध तथा बैराज में अत्यधिक गाद की समस्या है और इस कारण जब भी भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आती है।

महोदय, योजना आयोग के तहत विशेषकर गंगा नदी में बाढ़ के कारणों तथा इसके समाधान का पता लगाने के लिए केशकर समिति का गठन किया गया था। इस समिति की सिफारिश के अनुसार गंगा के तट के बचाव के लिए करीब 927 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। महोदय, स्थिति इतनी खराब हो गई है कि कभी भी गंगा और भागीरथी मिल सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो समस्त दक्षिण बंगाल बह जाएगा और हमारे देश में तबाही हो जाएगी। अत: इस स्थिति से निपटने हेतु व्यापक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए तथा उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिए।

महोदय, हर वर्ष गंगा तथा गोदावरी क्षेत्रों में बाढ़ आती है तथा अनेक लोगों की जानें जाती हैं। ऐसा करीब 14 राज्यों में होता है। करीब 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित होने की संभावना है। हमें कितनी हानि हो रही है, इसका आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। अत: अगर समस्या को समझा जाता है और यदि व्यापक और वैज्ञानिक ढंग से योजना तैयार की जाती है तो समस्या से आसानी से निपटा जा सकता है। आज की उच्च प्रौद्योगिकी के युग में यह असंभव नहीं है। यह आसानी से किया जा सकता है। दामोदर घाटी परियोजना (डी.वी.सी.) के कारण हर वर्ष पश्चिम बंगाल का एक बड़ा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है। इसका कारण यह है कि भारी वर्षा के जल को डी.वी.सी. का जल ग्रहण क्षेत्र रोकने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त नहीं है। मजबूरी में डी.वी.सी. को गेट और बराज खोलने पड़ते हैं जिसके कारण दक्षिण बंगाल के व्यापक क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। भारी वर्षा के जल को रोकने के लिए कन्सावती बराज का विस्तारण जरूरी है। हमारा यह भी अनुभव है कि भूटान में डोलोमाइट के खनन के कारण विभिन्न नदियों में गाद जमा हो रही है क्योंकि सभी नदियां भूटान से उत्तर बंगाल में आती हैं। हर वर्ष उत्तर बंगाल तथा उत्तर बिहार के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ आती है। मैं समझता हूं इस पर कार्यवाही की जानी चाहिए। यह संभव है।

महोदय, बाढ़ का कारण मानव है। यह सरकारी तंत्र की विफलता के कारण हैं। इसीलिए मैं माननीय कृषि मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री को व्यापक योजना तैयार करने का सुझाव देता हूं। पहले, गाद निकालने का काम व्यापक स्तर पर किया जाना चाहिए। दूसरा, नदियों के तटों से कटाव को रोका जाना चाहिए।

वृक्षारोपण कार्यक्रम आरंभ किया जाना चाहिए और वर्षा के जल का संरक्षण किया जाना चाहिए। जल हमारे देश का बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। सभी बराजों तथा बांधों की सफाई होनी चाहिए। ये बराज और बांध बहुत पुराने हो गए हैं। इनका न तो पुन:निर्माण किया गया न ही पुनरुद्धार और न ही सुधार किया गया। बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु ये उपाय जरूरी हैं।

अन्त में, मैं एक और बात कहना चाहूंगा। धनराशि आवंटित करने के मामले में कोई भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए। पिछले वर्ष जैसाकि आप जानते हैं, चुनावों के ठीक पहले हमारे राज्य में भयंकर बाढ़ आई थी। 28 जिलों में 14 जिले पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे। केन्द्रीय दल ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया और यह सिफारिश की कि पुनर्निर्माण संबंधी कार्य के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले वर्ष पश्चिम बंगाल को केवल 29 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए। इतनी कम धनराशि से इस स्थिति का सामना कैसे किया जा सकता है और तबाही का सामना कैसे किया जा सकता है? अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इसमें कोई भेदभाव न बरता जाए। प्रत्येक राज्य के मामले में एक समान विचार किया जाए। भारत सरकार को इन नदियों पर बनाए गए बांधों की सुरक्षा करने और गंगा नदी के कारण होने वाले मृदा अपरदन को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। अन्यथा समूचा पश्चिम बंगाल राज्य पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा अथवा इस राज्य का बहुत बड़ा क्षेत्र पानी में बह जाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री अनिल बसु (आरामबाग): सभापति महोदय, हर साल यह चर्चा होती है, लेकिन गवर्नमैंट का कोई एक्शन नहीं है। गवर्नमैंट का प्रोग्राम ऑफ एक्शन होना चाहिए। भाषण बहुत हो गये। हर साल हम इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन इस पर गवर्नमैंट का कोई एक्शन प्लान नहीं है।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): सम्माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। इस चर्चा में भाग लेते हुए मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि आजादी के पचास वर्ष हम बिता चुके हैं। स्वर्ण जयन्ती वर्ष के बाद भी हर बीते वर्ष में कम से कम एक बार सुखाड़ के सवाल पर और कम से कम एक बार बाढ़ के सवाल पर किसी न किसी नियम के तहत हम यहां चर्चा करते हैं। जिसमें सभी पक्षों के माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण सुझाव आते हैं, सरकार का महत्वपूर्ण उत्तर और आश्वासन भी आते हैं। लेकिन हर वर्ष बाढ़ प्रभावित एरियाज में बढ़ोत्तरी हो रही है। हर वर्ष बाढ़ और सुखाड़ से जो क्षति होती है, उस क्षति की भरपाई के लिए और राहत देने के लिए जो सहायता दी जाती है, वह बढ़ती ही जाती है। औसत रूप में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देश में कुल 40 मिलियन हैक्टेअर जमीन बाढ़ प्रभावित आंकी गई है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देश में कुल 40 मिलियन हैक्टेअर जमीन बाढ़ प्रभावित आंकी गई है। सरकारी आंकड़े के हिसाब से 18 लाख 70 हजार करोड़ रुपये औसतन प्रति वर्ष क्षति होती है। मैं समझता हूं कि गैर-सरकारी आंकड़े और भी काफी आगे बढ़ जायेंगे। लेकिन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 18 लाख 70 हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष औसतन हानि होती है। 1993 में 2290 मिलियन हैक्टेअर एरिया बाढ़ प्रभावित था जो 1998 में बढ़कर 5519 मिलियन हैक्टेअर हो गया, इस वर्ष पिछले महीने तक रिपोर्ट्स आई हैं। अभी बिहार में पिछले सप्ताह बाढ़ का प्रकोप हुआ है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके, गुजरात के कुछ इलाके और बंगाल बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसमें 50 हजार करोड़ रुपये की हानि का अनुमान किया गया है।

सभापति महोदय, अभी बिहार के 11 जिलों में बाढ़ की वजह से लोग काफी परेशानी में हैं। वहां 24 जिलों में किसी न किसी क्षेत्र में बाढ़ का कुप्रवाह है। बिहार में बाढ़ से लगभग 325 व्यक्तियों के मरने की खबर आधिकारिक रूप से आ चुकी है। वास्तविक रूप में हो सकता है यह आंकड़ा और ज्यादा व्यक्तियों का हो।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में अपनी चिन्ता प्रकट करते हुए कहना चाहता हूं कि सरकार चाहे इस पक्ष की हो या उस पक्ष की, विगत 50 वर्षों से बाढ़ की समस्या से निदान पाने की चर्चा होती रही है, बाढ़ से क्षति होने पर राहत प्रदान करने का काम किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं और मैं इस बात से इंकार भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यह राहत प्रदान करने का जो काम है, यह बाढ़ से हुई क्षति के लिए अस्थाई राहत प्रदान करने जैसा है। बाढ़ के स्थाई समाधान की चर्चा नहीं होती है। जब चर्चा होती है और जो ठोस सुझाव आते हैं, उनको अमली जामा पहनाने का काम नहीं होता जिसके कारण आज देश में बाढ़ की भयावहता बहुत बढ़ गई है।

सभापति महोदय, मैं आपको बाढ़ से क्षति होने पर दी गई राहत सहायता 1995-96 से 1999-2000 तक के फिगर्स बताना चाहता हूं। इन वर्षों में केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्यों को कुल राहत राशि के रूप में 6,30,427 लाख रुपए दिए गए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं, यहां पर माननीय कृषि मंत्री बैठे हैं, यहां पर माननीय जल संसाधन मंत्री भी विराजमान हैं, मेरा दोनों माननीय मंत्रियों से निवेदन है कि वे मिलकर के इस समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य ढूंढें। भले ही 50 साल बाद ही सही, लेकिन अब तो इस समस्या का स्थाई समाधान होना ही चाहिए।

सभापति महोदय, आपको विदित होगा कि हमारे देश में 1960 के दशक में श्री के.एल. राव सिंचाई मंत्री थे, तब से इस पर चर्चा चल रही है। तब जो योजनाएं बनीं उनमें कोसी नदी योजना एवं अन्य अनेक योजनाएं हैं, जो अधूरी पड़ी हुई हैं और कुछ तो ऐसी हैं जिन पर आज तक काम भी शुरू नहीं हुआ है। इसके कारण बाढ़ आ रही है और हमें भारी रकम बाढ़ राहत कार्यों पर खर्च करनी पड़ रही है। प्रति वर्ष केन्द्र सरकार बाढ़ से राहत के लिए, बाढ़ में फंसे लोगों को पानी से निकालने के लिए नावों का प्रबन्ध करती है, लोगों की जानमाल की सुरक्षा के लिए अन्य अनेक प्रकार के प्रबन्ध करती है तथा यदि किसी की बाढ़ के कारण मृत्यु हो जाती है, तो केन्द्र सरकार की ओर से राहत के रूप में मृतक के परिवार को 50 हजार रुपए की धनराशि भी मुआवजे के रूप में दी जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें अपने यहां के नियमों के अनुसार मृतकों के परिवारों को राहत राशि देती हैं, लेकिन यह बाढ़ का स्थाई समाधान नहीं है।

सभापति महोदय, हमारे देश में बाढ़ की समस्या के स्थाई समाधान की चर्चा श्री के.एल. राव के समय से ही प्रारंभ हो चुकी थी। उस समय जल प्रबन्धन के अन्तर्गत नदियों को गहरा करना, उनका एम्बैंकमेंट बढ़ाना, उनकी मरम्मत करना और हर गांव में कम से कम चार तालाब बनाकर पानी का संचय करना शामिल है, जहां दूसरे देशों से बात करने की आवश्यकता है, जैसे नेपाल से निकलने वाली नदियां, नेपाल की सीमा से लगे बिहार एवं उत्तर

[श्री नवल किशोर राय]

प्रदेश में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करती हैं, तो नेपाल से बात करना आवश्यक है, इसी प्रकार चीन के साथ तिब्बत के रास्ते भारत की जो सीमाएं लगती हैं, वहां बाढ़ की विभीषिका उत्पन्न होती है, वैसी स्थिति चीन के साथ बात करना आदि, अनेक कार्य होते रहे हैं। सरकार ने काफी प्रयास किया है कि अपनी ओर से हर संभव कार्रवाई की जाए, सम्यक प्रयास किए जाएं, लेकिन जो ठोस सुझाव हैं, उनको अमलीजामा पहनाने का काम नहीं हुआ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही और सुनहरा अवसर है जब हमें बाढ़ का स्थाई समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए और इस विषय पर एक सम्यक चर्चा करा कर, देश के सभी भागों में बाढ़ के स्थाई समाधान के लिए ठोस फैसले लेने चाहिए। इन प्रयासों में यदि हमें अन्य देशों से बातचीत करने की आवश्यकता पड़े, तो वह भी करनी चाहिए और इस समस्या का स्थाई समाधान निकालना चाहिए। इसके स्थाई समाधान के लिए जो हमें देश के अंदर काम करने हैं, जैसे दो नदियों को जोड़ना, बेसिन से बेसिन को मिलाना, नदियों की 100 साल पूर्व की गहराई देने का काम करना, एम्बैंकमेंट चौड़ा करना आदि फैसले लेने का काम करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि प्रत्येक वर्ष राहत कार्य के लिए जो पैसे आप देते हैं उसके वितरण पर प्रदेशों में अनेक जगहों में मार-पीट होती है, अनेक झगड़े होते हैं, गोल-माल होता है और सही समय पर सही लोगों को सहायता नहीं पहुंच पाती है। उस सबसे तो यही बेहतर होगा कि उस राशि से स्थाई निदान ढूंढने का काम होना चाहिए, यह अनुरोध मैं आपसे करना चाहता हूं।

मैं बाढ़ से घिरा हूं। आप पूर्व में वहां से विधायक रहे हैं जहां से मैं आता हूं। अभी 30 तारीख को बिहार के सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर जिलों में भयंकर बाढ़ आई है। ...*(व्यवधान)* डिपार्चर ले लिये हैं लेकिन फिर भी उन्हें ममता होगी।

सभापति जी, आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि बेलसन में, रोनी सैदपुर और ओराई, इन तीनों जगहों में परेशानी है। इन तीनों जिलों के ब्लाक कार्यालय में पानी घुसा हुआ है। इस कारण बी.डी.ओ. को कहीं और जगह शरण लेनी पड़ी है। सैंकड़ों लोग छत पर अभी भी हैं। लोग बांध पर घिरे हुए हैं क्योंकि वहां नाव नहीं है। चारों तरफ त्राहिमाम है। हम आपको अखबार की कतरनें दिखाना चाहते हैं जिसमें कहा गया है कि सरकार ने सेना से मदद मांगी है। इस संबंध में कई अखबार भरे पड़े हैं। एक दो जगह हेलीकॉप्टर से कुछ सामान गिराये जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेलसन, रोनी सैदपुर और ओराई के सैंकड़ों लोग बांध पर टिके हुए हैं। जब हेलीकॉप्टर द्वारा फूड गिराया जाता है तो वहां छीनाझपटी मच जाती है। ...*(व्यवधान)* आप थोड़ा समय और बढ़ा दीजिए तो अच्छा होगा क्योंकि मैं उस इलाके से आता हूं जहां अभी भी लोग बाढ़ से घिरे हुए हैं। इसी डिसक्शन के लिए मैं यहां रुका हुआ था। आपसे विदा लेकर मुझे फिर क्षेत्र में भी जाना है क्योंकि लोग वहां परेशानी में हैं। इसके लिए राज्य सरकार प्रयास तो जरूर कर रही है लेकिन वह सामयिक नहीं है, समीचीन नहीं है। सभी लोगों को बचाव के लिए सामान नहीं मिल पा रहा है। दवा उपलब्ध नहीं हो रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में लोग ऊंचे स्कूल में शरण लिये हुए थे लेकिन इस साल ऊंचे स्कूल में भी पानी प्रवेश कर गया है।

हम आपके माध्यम से कृषि मंत्री और जल संसाधन मंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि वहां एक टीम तो जरूर भेजें लेकिन माननीय मंत्री जी स्वयं भी हेलीकॉप्टर से हमारे उस इलाके का दौरा करें। यदि वह तत्काल दौरा करते तो कृपा होती। अगर देर से जायेंगे तो वहां पानी का चिह्न रहेगा। लेकिन पानी नहीं दिखने पायेगा। अभी लोग छत पर हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इसी शनिवार और रविवार को वहां चले जाते तो सर्वेक्षण हो जाता और वहां की बदहाली भी वे देख लेते। वैसे माननीय कृषि मंत्री जी कई बार देख चुके हैं लेकिन इस बार हर बार से ज्यादा बाढ़ आई है। ...*(व्यवधान)* मैं एक-दो मिनट और लूंगा। ...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्री जी का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं। अभी सी.पी. ठाकुर जी मंत्री थे। उनसे चर्चा हुई थी, बैठक भी हुई थी। हर साल हम परेशान होते हैं। करोड़ों रुपये की क्षति होती है और अनेक तरह से जान-माल का खतरा होता है। वहां कोसी की स्थिति की 1946 में परिकल्पना हुई थी, वह अभी भी पूरी नहीं हुई। जिस भागमति के दोनों तरफ आप बराबर घूमते रहे हैं और आपके राजनीतिक जीवन की वही जगह है।

श्री रामदेव भंडारी के एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि वहां भागमति 39,895 किलोमीटर, कमला 15,178 किलोमीटर और कोसी 2,60,208 किलोमीटर लम्बी नेपाल में पड़ती है। नेपाल से वार्ता होने की भी बात थी। अखबारों के माध्यम से पता चला है। ...*(व्यवधान)* राज्य सभा के एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि भारत नेपाल समझौता हो गया है। मैं दो मिनट और लेना चाहूंगा। हमको पीछे आश्वासन दिया गया था कि भारत से एक टीम नेपाल जायेगी और वहां उनसे वार्ता होगी। अखबारों के माध्यम से यह भी पता चला कि श्री ब्रजेश मिश्र जी वहां गये थे लेकिन क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी हमको और सदन को नहीं है। फिर वहां के माननीय प्रधान मंत्री श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला यहां आये थे। उस दिन भी सदन में माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान हमने खींचा था। उस समय विदेश मंत्री जी भी बैठे

थे। बाहर जब विदेश मंत्री जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वार्ता चल रही है। मैं आपके माध्यम से इस मौके पर स्पष्ट जानकारी चाहता हूं कि आपकी नेपाल से क्या वार्ता हुई? क्या आप समय सीमा के अंदर उत्तर बिहार की उन नदियों, अधवाड़ा समूह की तरह नदियों—भागमती, कमला, बालान, कोसी आदि के समाधान को स्थायी रूप देने वाले हैं या नहीं? अगर नहीं तो उसमें क्या दिक्कत है और यदि दिक्कत है तो नेपाल से निकलने वाली हमारी जो नदियां हैं, कम से कम बिहार की उस धरती पर जो एम्बैंकमेंट बना हुआ है, जो बांध बना हुआ है, उसको आगे बढ़ाने का काम, उसकी मरम्मत का काम और उस नदी को सौ साल पहले की गहराई देने का काम करने में आपको क्या कठिनाई है?

हम अनुरोध करना चाहते हैं कि इस सदन में जब सरकार की ओर से जवाब आए, जल संसाधन मंत्री महोदय भी बीच में इंटरवीन करेंगे तो इस बात को साफ करेंगे और समय सीमा के अंदर इसे पूरा करवा कर बाढ़ का स्थायी समाधान करने का प्रयत्न करेंगे।

अंत में, हम कृषि मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहते हैं कि उत्तर बिहार के 11 जिलों में जो लोग कराह रहे हैं, आप कृपा करके वहां का दौरा करिए, वहां के लोगों को देखिए और बिहार सरकार को जो राहत की राशि देनी है, वह जल्द से जल्द कीजिए। प्रश्न के जवाब में हमें मिला है कि सभी राज्यों को राशि जारी हुई है लेकिन बिहार सरकार को राशि जारी नहीं हुई है। हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था जो स्वीकृत नहीं हुआ तो एक स्टेटस पेपर आया, उसमें फिगर है जिसमें स्पष्ट है कि जिन राज्यों को राशि रिलीज हुई है, उसमें बिहार का नाम नहीं है। हो सकता है कि इस बीच में राशि जारी हुई हो, अगर नहीं जारी हुई हो तो जल्द से जल्द राशि जारी होनी चाहिए और आपका वहां दौरा हो, बचाव कार्य हो। भारत सरकार बिहार सरकार को सहयोग करे और पिछले तीन साल में भारत सरकार ने बिहार सरकार को जो राशि दी है, उसका वितरण ठीक से नहीं हुआ है। हम आपके माध्यम से सरकार से चाहते हैं कि उसकी मौनीटरिंग हो, तीन साल की जांच हो कि जितनी राशि दी गई, उसमें से कितनी खर्च हुई, कितनी नहीं हुई। यह भी महत्वपूर्ण बात है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के अंदर बाढ़ से जो नुकसान हो रहा है, उस पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। हमारे कई पूर्व वक्ता इस बात को बार-बार दोहरा चुके हैं कि हिन्दुस्तान के अंदर बाढ़ एक सतत प्रक्रिया है। हर साल बाढ़ आती है, जन-धन की हानि होती है, करोड़ों रुपये का नुकसान होता है और उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। बार-बार यह बात कही गई है कि बाढ़ की जो समस्या है, उससे निपटने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान होना चाहिए लेकिन अभी तक इस विषय पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हिन्दुस्तान के अलग-अलग कोने में जो नदियां हैं, वे अपने-अपने हिसाब से नुकसान करती हैं। उसके विषय में भी अभी तक कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है कि किस तरह से इस नुकसान को रोका जा सकता है। हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान मुल्क है। आज जबकि सरकार संसाधनों की कमी से परेशान है, खेती पर पलने वाली आबादी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, उसे खासतौर से यह ख्याल रखना चाहिए कि बाढ़ से जो नुकसान होता है, वह मूलत: खेतिहर काश्तकारों का होता है और उस नुकसान से उनकी पूंजी का नाश हो जाता है, उनकी सम्मत सम्पत्ति का नाश हो जाता है और उनकी क्षमता कमजोर होती है।

उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, जो बहुत उपयोगी उपजाऊ क्षेत्र है, हिन्दुस्तान के जो अनाज के भंडार हैं, उन्हें भरने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान वहां से मिलता है। हिमालय से जो नदियां नेपाल से होती हुई आती हैं, वह उनकी बाढ़ से प्रभावित रहा है। अभी हमारे पूर्व वक्ता माननीय राय साहब बता रहे थे कि बिहार के प्रान्त में जिस तरह नेपाल से बह कर आने वाला बाढ़ का जल भयंकर नुकसान करता है, आज उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण तराई क्षेत्र की भी वही कहानी है। कई साल पहले आपने अखबारों में पढ़ा होगा।

माननीय कृषि मंत्री महोदय ने भी इस बात को संज्ञान में लिया होगा कि किस तरह से गोरखपुर सब डिवीजन में बाढ़ आई थी, वहां कई महीने तक लगातार पानी रुका था और कम से कम दो फसलों का बड़ा व्यापक नुकसान हुआ था। उसी प्रकार से जनपद खीरी, जनपद पीलीभीत, जनपद बहराइच और सीतापुर के वे हिस्से, जो नेपाल से लगे हैं, उन क्षेत्रों में भी जो शारदा नदी तथा वहां की जो पहाड़ी नदियां, मोहाना नदी, कोड़ियाला नदी और घाघरा नदी, इन नदियों को बाढ़ से बड़ा व्यापक नुकसान हो रहा है।

हमारे क्षेत्र की समस्याएं बड़ी अजीब सी हैं। पानी जो आ है, वह खाली बाढ़ ही नहीं लाता, वह खेती के योग्य बहुत सी कीमती जमीनों को काटकर नष्ट कर देता है। आज स्थिति यह है कि अकेले शारदा नदी की बाढ़ के पानी की रफ्तार इतनी तेज है, इतना ज्यादा उसके पानी की गति है कि हजारों एकड़ कृषि योग्य जमीनें पानी में कटकर चली गई हैं, एकदम साफ हो गई हैं और दर्जनों गांवों का नामोनिशान मिट गया है। आज स्थिति यह है कि हजारों आदमी विस्थापित बने हुए हैं। उनके पास खेती तो बाद की बात रही, रहने के लिए भी जमीन नहीं बची है। हमारे यहां जो बाढ़ आती है, उसका मुख्य कारण शारदा नदी के ऊपर

[श्री रवि प्रकाश वर्मा]

जो नानक सागर बांध बना हुआ है, वहां से पानी छोड़ा जाता है। हर साल कई चरणों में दो, तीन, चार लाख क्यूसैक्स पानी छोड़ा जाता है और उस पानी से अप्रत्याशित जन-धन की हानि होती है और यह सतत चलने वाली प्रक्रिया बन गई है। लेकिन इधर कुछ दिनों से एक नई चीज सामने आई है, मैंने पिछले साल भी सरकार का ध्यान इस विषय पर खींचा था, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई ठोस कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। हिन्दुस्तान के पड़ोस के राज्य नेपाल के अन्दर जो तराई का क्षेत्र था, वह पहले दलदली क्षेत्र हुआ करता था। उस क्षेत्र को कृषि योग्य क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए चाइना सरकार और कोरिया सरकार की मदद से एक बहुत बड़ा प्रोजैक्ट बनाया है, उस प्रोजैक्ट के अनुसार उन्होंने जो जल भराव के क्षेत्र थे, वहां बड़े-बड़े डाइक्स बनाये हैं और जिस क्षेत्र में नदियां जल भराव किया करती थीं, उनकी जो जलधारा है, उसको दक्षिण की तरफ मोड़ दिया गया है। मेरे क्षेत्र से लगे हुए जनपद पीलीभीत में टार्टरगंज और काम्बोज नगर वे क्षेत्र हैं, जहां पर यदि आप कोई स्पेशल कमेटी भेजेंगे तो आपको पता लग जायेगा कि किसी तरीके से नेपाल सरकार ने जो निर्माण किया है, उसमें उसने हिन्दुस्तान को कॉन्फीडेंस में नहीं लिया है। आज हालत यह है कि हजारों एकड़ जमीन, जो जलधाराएं हिन्दुस्तान की सीमा के अन्दर मोड़ी गई हैं, उससे नष्ट हो गई है। जो पानी शारदा सागर बांध से छोड़ा जाता है, उसके बारे में हमें फिलहाल 24 घंटे पहले यह जानकारी भी मिल जाती है कि पानी आने वाला है, लेकिन जो पानी नेपाल से आ रहा है, उस पानी की इतनी तेज रफ्तार है, इतनी ज्यादा मिट्टी कट रही है, इतनी जमीनें उसने नष्ट कर दी हैं और उसकी मात्रा और परिमाण के बारे में हमारे क्षेत्र निवासी और हमारे क्षेत्र का प्रशासन भी कुछ नहीं जान पाता है। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने उपज रही है। इसका समाधान करने के लिए शासन के स्तर से और नेपाल सरकार से मिलकर बहुत ही आवश्यक कदम उठाने की मेहरबानी करें। एक बहुत जरूरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शारदा नदी के अन्दर जो बाढ़ आ रही है, उससे हमारे जनपद के सम्पूर्णानन्दनगर चीनी मिल के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। नदी की धारा हर साल मुड़ जाती है और अब यह स्थिति है कि यह चीनी मिल नदी की सीध में आ गई है, उसके किसी दिन भी कट जाने का खतरा पैदा हो गया है। इसी तरह धौराहरा तहसील में गोविन्द शुगर मिल, जो खुमरिया फैक्टरी कहलाती है, वह भी नदी की धारा की सीध में आ गई है और उसका भी किसी भी दिन कट जाने का खतरा पैदा हो गया है।

इसी के साथ ही शारदा नदी की जो बैगरीज हैं, इसका जो अनियंत्रित बहाव है, उसके कारण मैलानी और पलिया के बीच में भीरा कस्बे के पास रेल लिंक, जो नोर्थ ईस्ट रेलवे का रेल ट्रैक है, उसके भी कट जाने का बड़ा भयंकर खतरा पैदा हो गया है। भीरा कस्बा, जो कि 10,000 की आबादी का कस्बा है, उसके सामने भी बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। इसके साथ-साथ जो विश्वविख्यात दुधवा नेशनल पार्क है, जो भारत नेपाल की सीमा पर बसा हुआ है, उस पार्क के अन्दर भी एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया। सैंकड़ों एकड़ की वन सम्पदा का नाश हुआ है और हजारों की तादाद में जानवर उस बाढ़ से प्रभावित हैं। बाघ संरक्षण के लिए परियोजना चलाई गई थी। उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से हमारा मंत्री जी से अनुरोध है कि नेपाल सरकार से बात करके यथाशीघ्र शारदा नदी की बाढ़ की समस्या का निदान करें। शारदा नदी के ऊपर शुल्क से लेकर आखिर तक जो ठोकरें बनाने का काम था, वह भी शुरू नहीं हुआ है। उसे भी जल्द शुरू कराकर पूरा कराएं। नदी के दोनों तटबंधों को सीमित करने के लिए जल्द ही कोई प्रोजेक्ट बनाएं, जिससे शारदा बैराज से घाघरा नदी के संगम तक, जहां पर हमारे जनपद की धौरा तहसील है, लखीमपुर की तहसील है और हमारे पड़ौस में सीतापुर जिले की लहरपुर तहसील बुरी तरह प्रभावित होती है। वहां हजारों एकड़ जमीन पानी में डूबी रहती है, कम से कम उस पर सार्थक काम किया जा सके। मुझे एक बात और कहनी है। शारदा परियोजना हमारे यहां चल रही थी। यह एक बड़ी परियोजना है। इससे हमारे क्षेत्र को लाभ होता है। अब उसके पुनर्मूल्यांकन का समय आ गया है। सिल्टिंग के कारण या अन्य कारणों से उसकी क्षमता निरंतर गिर रही है। उसका क्षेत्र आगे बढ़ाया जाए। भारत सरकार के द्वारा एक सुहैली परियोजना स्वीकृत की गई थी। 25 सालों से यह अधूरी पड़ी थी। बड़े प्रयासों के बाद भारत सरकार से पैसा मिल सका। लेकिन एक समस्या है, जिसकी ओर बार-बार ध्यान आकर्षित करने के बाद भी समाधान नहीं निकल पा रहा है। सुहैली परियोजना में शारदा नहर बनाई गई थी, उस पर एक गाजियापुर साइफन बनाकर नदी के प्रवाह को अवरुद्ध किया गया था। जैसे ही वह बना, नदी में बाढ़ आ गई, लेकिन अवरोध को नहीं हटाया गया। आज उसके कारण मेरे क्षेत्र के कम से कम 40 गांवों के लोगों के लिए कहीं बैठने को स्थान नहीं है, क्योंकि वहां पानी आता है और हर साल आता है। इस पर भी विचार किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे (चिमूर): सभापति महोदय, मैं महाराष्ट्र के चिमूर निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं। उस क्षेत्र में चार जिले पड़ते हैं और वहां ज्यादातर किसान हैं, जहां तक मेरा ख्याल

है कि किसान ईमानदार होता है। मैं यह नहीं कहता कि बाकी लोग बेइमान होते हैं, लेकिन किसान ईमानदार होता है, यह मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने बहुत लगन के साथ, अपने घर का सामान, जेवरात आदि बेच कर खेतों में फसल की बुवाई बड़ी आशा से की। लेकिन इस साल 25 मई से 15 जून तक भारी बारिश हुई, जो पहले कभी इतनी नहीं हुई थी। इस अतिवृष्टि के कारण हमारे यहां की फसल को भारी नुकसान हुआ। मेरे क्षेत्र में गोसीखुर्द और इंडियागेट प्रकल्प है जिससे हम धूपकालीन फसल बोते हैं। उसका समय और अतिवृष्टि का समय एक ही रहा। अतिवृष्टि के कारण फसल को बहुत भारी नुकसान हुआ है। पहले अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुआ, बाद में 30 जून से 2 जुलाई तक बाढ़ आई, उसके कारण भी नुकसान हुआ। अब वहां पानी की एक बूंद नहीं है, सूखा पड़ा है। यानी किसान को तीनों तरफ से मार पड़ी। अब वहां का किसान क्या करे। मैंने इसीलिए कहा कि किसान ईमानदार होता है। ईमानदारी से खेती बोता है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण वह हताश होता है। यह बात तो हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारे यहां अप्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, जिनको हम सुल्तानी आपदा भी कहते हैं।

सुलतानी आपदा इसलिए बोलता हूं कि तालाब में जहां वेस्ट वेअर करना चाहिए, वहां वेस्ट वेअर न करने से बाढ़ का पानी पहाड़ का पानी वहां जम गया, ओवरफ्लो हो गया और वह तालाब फूट गया। एक रात में बाढ़ आगई। अच्छा हो गया कि एक घंटे के बाद बाढ़ आई। लोग जाग गए थे, गांधीनगर उस गांव का नाम है, जो गढ़चिरोड़ी जिले में है।

मेरे क्षेत्र में रोहिणी नाम का भी एक गांव है। वहां शासन ने रास्ता तो बनाया लेकिन नाली नहीं बनाई, सि.डी. वर्क नहीं बनाए उसके कारण बाढ़ आई है। एक पारलगांव नाम का गांव है। वहां नदी लगकर गुजरती है। मिट्टी निकलती है और वहां बहुत बड़े पैमाने पर बाढ़ आती है। उसी तरह खैरीपट नाम का गांव है। वहां एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ नाले की बाढ़ आती है। कभी गांव को नुकसान तो कभी खेती को नुकसान होता है। इसलिए मेरी मांग है खैरी (पट) गांव का तुरन्त पुनर्वासन किया जाए और मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि कारखानेदारों का अगर नुकसान हुआ तो उनको हम बीमार बोलते हैं। सिक कहकर जितना उनको लोन दिया जाता है, वह लोन माफ कर दिया जाता है और फिर उतना ही लोन वे फिर ग्रहण करते हैं। फिर खेती को सिक बोलकर बीमार बोलकर उनको हम सहूलियत क्यों नहीं दे सकते? इसलिए मेरा सुझाव है कि जो भी बाढ़ग्रस्त या प्रकल्पग्रस्त किसान हैं और उनके ऊपर जो भी कर्जा है, वह कर्जा माफ करना चाहिए। पिछले पचास साल में 39 कारखानेदारों का 39,000 करोड़ रुपये माफ कर दिया गया जिसमें टाटा को 800 करोड़, बिरला को 700 करोड़ रुपये, महेन्द्र एण्ड महेन्द्र कंपनी, दुबरो इत्यादि ऐसी मेरे पास लिस्ट है। जो 39 कारखानेदार हैं, उनका लोन माफ कर दिया गया है। क्योंकि वे कारखाने सिक में आ गये हैं। जब कारखाने सिक में आ सकते हैं तो खेती सिक में क्यों नहीं आ सकती? इसलिए मेरी विनती है कि जो प्रकल्पग्रस्त हैं, बाढ़ग्रस्त हैं क्योंकि वे बेचारे तो पहले ही फंसे हुए हैं, उनको कर्जे के दलदल से निकालिए और मुझे आशा है कि आप उन्हें कर्जे के दलदल से जरूर निकालेंगे। केन्द्र की मदद 1999-2000 में कैलेमिटी रिलीफ फंड 78 कोटि पचास लाख रुपये महाराष्ट्र राज्य को मंजूर हुआ है। लेकिन 44 कोटि 25 लाख रुपये अभी तक मिला है। अभी और 34 कोटि पचास लाख रुपया बाकी है। उसको फंड तुरंत दिया जाये और बाकी राशि भी दी जाये। यह केन्द्र से मेरा आग्रह है। भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरोली इन चार जिलों में नीचे दिया गया नुकसान हुआ। अंशत: गिरने वाले मकान की संख्या 15,661 है। पूरी तरह गिरने वाले मकान की संख्या 1,185 है। खेती का नुकसान पचास प्रतिशत से कम है जिनमें 17,544 हेक्टेअर है। पचास प्रतिशत से ज्यादा है, वह 65,960 हेक्टेअर है। मृत व्यक्ति की संख्या 10 है। मृत जानवर की संख्या 58 है। निराधार व्यक्ति की संख्या 5213 है। खावटी के रूप में राज्य शासन ने अब तक 42,30,600 रुपया दिया है। 600 रुपया प्रति कुटुम्ब दिया है। मेरा आग्रह है कि केन्द्र को भी जितनी जो भी सहायता देनी है, वह उसे तुरंत देनी चाहिए और कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। चन्द्रपुर जिला प्रमुख उत्पादन वाला जिला होने पर खदान से कोयला हेतु निकाली जा रही पत्थर व मिट्टी को नदियों के किनारे जमा किया जाता है जिस वजह से वर्धा नदी, इरई नदियों को जब भी बाढ़ आती है, इस ओवर बर्डन डंपिंग की वजह से खेती में बाढ़ का पानी घुस आता है। एक तरफ मिट्टी डालते हैं। बाढ़ जब आती है जिस तरफ मिट्टी होती है, उस तरह बाढ़ नहीं जाती है। दूसरी तरफ वह बाढ़ किसानों को तकलीफ देती है। उस गांव को तकलीफ होती है।

मेरी आपसे विनती है कि माजरी, लालपेठ, पदमापुर और चन्द्रपुर क्षेत्रों में जो मिट्टी डम्प की जा रही है, वह नियोजित प्लानिंग से की जानी चाहिए। इसके साथ ही गरीब किसानों की जो फसल का नुकसान हुआ है, उसको मुआवजा देने की कृपा करें।

अंत में, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी (बारपेटा): सभापति महोदय, मैं असम से हूं इसलिए स्वाभाविक रूप से जहां तक असम का संबंध है मैं इस पहलू पर अधिक जोर दूंगा।

[श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी]

असम राज्य और दूसरे पूर्वोत्तर राज्या क साथ यह चिरजीवी समस्या है। अरूणाचल प्रदेश से माननीय सदस्य जो मेरे मित्र हैं, ने उस क्षेत्र की दुर्दशा का वर्णन किया है। अत: क्या किया जाना चाहिए? इस वार्षिक समस्या का सामना करने के लिए एक दीर्घकालीन कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है।

जहां तक असम का संबंध है, यह कहा गया है कि ब्रह्मपुत्र के पानी को उपयोग में लाकर इस समस्या को हल किया जा सकेगा लेकिन यह एक लम्बी योजना है। इस मामले को चीन के साथ उठाया जाना है। जहां तक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों का संबंध है, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए उन नदियों पर बांध बनाने की खण्ड योजना तैयार की गई थी। अब तक इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है। एक ब्रह्मपुत्र बोर्ड है जो केवल सर्वेक्षण कार्य कर रहा है। महोदय, इस संबंध में मुख्य समस्या को हल करने के लिए विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इस संबंध में भारत सरकार की ओर से असम, अरुणाचल प्रदेश और निकटवर्ती क्षेत्रों को शामिल करते हुए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए।

इस वर्ष ब्रह्मपुत्र घाटी के अधिकांश क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आई। जहां तक दीमाजी और लखीमपुर जिलों का संबंध है, यह बाढ़ विनाशकारी थी और उन्हें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया लेकिन उतनी सहायता प्रदान नहीं की गई है। कामरूप, बारपेटा और गोलपाड़ा जिले बुरी तरह से प्रभावित लोगों की समस्या को हल करने के लिए आज तक कोई नियमित व्यवस्था नहीं की गई है।

अपराह्न 5.48 बजे

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन* हुए]

केन्द्र शायद अपनी ओर से कुछ धनराशि बाद में जारी करेगा। आज तक, भारत सरकार ने इस संबंध में आपदा निधि में से कोई धनराशि जारी करने के बारे में निश्चित रूप से कोई वक्तव्य नहीं जारी किया है। असम सरकार ने भी इस मामले को केन्द्र सरकार के साथ गम्भीरता से नहीं उठाया है। हम माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं कि वे इस मामले पर गौर करें और बाढ़ से प्रभावित लोगों की तत्काल समस्या को हल करने के लिए जो भी धनराशि उपयुक्त समझें, उसे जारी करें।

महोदय, यह राहत सहायता का प्रश्न नहीं है। जहां तक चिकित्सा संबंधी पहलू का प्रश्न है, पहले से यह अंदेशा है कि गोलपाड़ा, बारपेटा नलबाड़ी और दीमाजी जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर महामारी फैल जाएगी। वर्तमान में न केवल बाढ़ से संबंधित समस्या की गम्भीरता का जायदा लेने अपितु इस बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों की वर्तमान दुर्दशा का मूल्यांकन करने के लिए भी तत्काल एक केन्द्रीय दल भेजने की जरूरत है। अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे तत्काल एक दल का गठन करें और असम, अरुणाचल प्रदेश तथा निकटवर्ती क्षेत्रों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उसे भेजें और वे स्वयं भी स्थिति का जायदा लेने के लिए उन क्षेत्रों का व्यक्तिगत रूप से दौरा करें।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और असम का भी कुछ हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। इस सदन में हम हर साल कभी बाढ़ पर और कभी सूखे पर चर्चा करते हैं। जून की शुरूआत में भारी वर्षा के कारण महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत भारी नुकसान हुआ। आज जब हम सदन में बाढ़ की चर्चा कर रहे हैं तो दिल में एक डर है। आज जो स्थिति महाराष्ट्र की है, वह बिलकुल सूखे के कगार पर खड़ा है। अगले सत्र में सूखे पर इस सदन में चर्चा न हो, इसलिए सदन के माध्यम से जो प्रजन्य देवता और वरूण देवता हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि सारे देश में सूखे पर चर्चा करने की नौबत इस सदन में न आए।

सभापति महोदय, जब बाढ़ आती है तो राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को राहत के लिए जो प्रयास करना आवश्यक है, वे अपने तौर पर करती हैं। चाहे फसलों, मकानों या जान का नुकसान हो, भारी मात्रा में नुकसान होता है। उस नुकसान को पूरा करना न राज्य के हाथ में है और न ही केन्द्र के हाथ में है। इसलिए गंभीरता पूर्वक भारत सरकार और राज्य सरकारों को भी बाढ़ के विषय में सोचने की आवश्यकता है। बाढ़ को रोकने के लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं, उनकी जानकारी आज सारे देश को है। हर साल उड़ीसा, बिहार और असम में बाढ़ आती है। बाढ़ से पीड़ित क्षेत्रों की हमें जानकारी है, इसलिए यह संभव है कि वहां निश्चित रूप में कुछ एक्शन प्लान बना कर उसे रोकने का प्रयास करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, सदन में जब चर्चा होती है तो सारे सदस्य चिन्तित होते हैं और सरकार भी चिंतित होती है। भारत सरकार की ओर से जो सहायता दी जाती है, उस पर भी अलग-अलग विवाद होते हैं। इस सदन में हर बार कहा जाता है कि यह सहायता आम नागरिक तक समय पर नहीं पहुंचती। सरकार ने जो धनराशि विकास के लिए रखी हुई है, उसी धन में से कुछ राशि हमें बाढ़ पर नियंत्रण के लिए और बाढ़ पीड़ित लोगों को सहायता देने के लिए खर्च करनी पड़ती है।

इससे खर्च दुगुना हो जाता है। चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, उन्होंने अपने विकास के जो प्लॉन बनाए होते हैं उन पर भी वे पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाती हैं, धन पूरा खर्च नहीं हो पाता है। इसलिए हमें बाढ़ पर हर साल रोने से बचने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। चाहे इसके लिए एक बार अधिक धनराशि खर्च करने की आवश्यकता पड़े लेकिन बार-बार की इस समस्या से तो छुटकारा मिले। इस प्रकार का कोई एक्शन प्लॉन भारत सरकार की ओर से बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही जिन राज्यों में बाढ़ आती है केन्द्र की तरफ से उनको भी निर्देश देने की आवश्यकता है।

जब प्राकृतिक आपदा आती है तो इस देश में रहने वाला हर नागरिक, चाहे वह देश के किसी भी कोने में रहता हो, वह जिस भी तरह की सहायता की आवश्यकता पड़ती है अपनी तरफ से करता है। बड़े-बड़े शहरों में राहत कोष के लिए धन एकत्रित किया जाता है और करोड़ों की राशि बड़े-बड़े शहरों में रहने वाली जनता से एकत्रित की जाती है। इसके साथ ही भारत सरकार और राज्य सरकारें भी करोड़ों रुपया इस काम पर खर्च करती हैं।

सभापति जी, स्पीकर साहब ने एक पत्र सभी माननीय सदस्यों को उड़ीसा के लिए एम.पी. लैड फंड से 10 लाख रुपये देने के लिए लिखा है। ...*(व्यवधान)* हम तो चाहते हैं कि जितने भी बाढ़ पीड़ित इलाके हैं उन सभी को सहायता मिलनी चाहिए। सभापति जी, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे पहले मांग आती है कि एम.पी. लैड फंड से सहायता दी जाये। इसलिए एम.पी. को दो करोड़ की राशि की जगह यह राशि तीन करोड़ की जाये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर): तमिलनाडु को यह राशि भी नहीं दी गई है।

सभापति महोदय : आप तमिलनाडु के लिए क्या चाहते हैं?

श्री आदि शंकर : तमिलनाडु में प्रत्येक संसद सदस्य को केवल 77 लाख रुपए दिए जाते हैं। 6.00 करोड़ रुपए दिए जाने चाहिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते : 6.00 करोड़ रुपए की मांग की गई है।

सभापति महोदय : प्रत्येक संसद सदस्य को प्रतिवर्ष केवल 77 लाख रुपए दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैंने एम.पी. लैड फंड का जिक्र इसलिए किया कि जब भी बाढ़ पर चर्चा करते हैं तो मांग आती है कि एम.पी. लैड फंड से दिया जाए। अगर यह बढ़ जाता है तो बाढ़ पीड़ितों को और सहायता दी जा सकती है। अंत में मेरी मांग यही है कि सहायता उन सभी इलाकों को दी जाए जो बाढ़ से प्रभावित हैं।

सायं 6.00 बजे

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस विषय पर चर्चा के लिए चार घंटे का समय आवंटित किया गया था। यह चर्चा अपराह्न 4.18 बजे प्रारम्भ हुई थी।

यदि सभा सहमत हो चर्चा का समय सायं 8.18 बजे तक बढ़ा दिया जाए।

कई माननीय सदस्य : इसे आज ही पूरा किया जाए ...*(व्यवधान)*

डा. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया): महोदय, इस चर्चा को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं। चर्चा को आज ही पूरा करना है। सभा की बैठक सायं 8.18 बजे तक बढ़ा दी गई है।

कई माननीय सदस्य : जी, नहीं।

सभापति महोदय : श्री बालकृष्ण चौहान, आप अब बोलना शुरू करें।

[हिन्दी]

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी): सभापति महोदय, आज सदन में बाढ़ की समस्या पर चर्चा हो रही है। आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिये धन्यवाद।

सभापति महोदय, बाढ़ की समस्या पूरे देश या प्रदेश के नागरिकों की न होकर केवल नदियों के किनारे बसे हुये नागरिकों की समस्या है। उसके बावजूद भीषण बाढ़ के जरिये पूरे देश में जन-धन की हानि होती है। सरकार इस सीमित कार्यों का आज तक स्थायी समाधान नहीं कर पाई है। इसके लिये काफी प्रयास की जरूरत है। बाढ़ के शाब्दिक अर्थ से महसूस होता है कि पानी की बाढ़ को बाढ़ कहेंगे लेकिन बाढ़ की अवधारणा में कटाव की

[श्री बालकृष्ण चौहान]

धारणा निहित है जो बड़ी-बड़ी नदियां मौनसून के मौसम के अलावा 12 महीने अपने किनारों को काटती है। इससे नदियों के किनारे बसे हुये हजारों गांव नदी में विलीन हो जाते हैं। इस समस्या के निदान के लिये मेरा सुझाव है कि इसके लिये अलग से बाढ़ मंत्रालय बनाया जाये। बाढ़ से प्रभावित विस्थापितों के पुनर्वास के लिए अलग से पुनर्वास विभाग बनाया जाये। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। इस संबंध में सरकार की जो पालिसी है कि

[अनुवाद]

बाढ़ तो भगवान की मर्जी से आती है।

[हिन्दी]

यह कहकर वह अपना पीछा इस समस्या से नहीं छुड़ा सकती। इसलिये इस समस्या का समाधान करना जरूरी है। इस समस्या के समाधान के लिये आज राष्ट्रीय चिन्तन हो रहा है, उसमें कुछ चिन्हित स्थानों का उदाहरण देना आवश्यक है।

सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में घाघरा नदी है जिसके बारे में गत साल मैंने जल संसाधन मंत्रालय की बैठक में निवेदन किया था और बाद में भी निवेदन किया था। उस समस्या का उपाय करना तो दूर, उसके बारे में अभी तक मुझे कोई सूचना भी नहीं मिली कि उस पर क्या किया जा रहा है। उक्त क्षेत्र में कटाव के कारण, वहां दोहरीघाट एक ऐतिहासिक पौराणिक कस्बा है, जो आधा कटकर घाघरा नदी में विलीन हो गया है। मूसादोही गांव के निवासी बगल में फूंस की झोंपड़ी डालकर रह रहे हैं। इस कटाव का कारण यह है कि जो गाद जमा हो जाती है, नदी उसके बीच में रास्ता बदलती है। इससे वह किनारे के गांव काटती है। मैं एक रात मौके पर मौजूद था। एक भयंकर आवाज के साथ नदी किनारे काट रही थी। लोग इस डर के मारे रात भर सोते नहीं कि न मालूम कब उनका गांव नदी के कटाव में विलीन हो जाये। अत: मेरा निवेदन है कि इस समस्या के स्थायी समाधान के लिये कोई उपाय किया जाये। बाढ़ से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिये जहां बांधों के किनारे प्लेटफार्म बनाने की जरूरत है, वहीं ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो फंड केन्द्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से बांधों के निर्माण के लिए जाते हैं, पांच-पांच किलोमीटर बांध बनाये गये हैं, लेकिन उसमें दो-चार रेगुलेटर पांच-पांच मीटर की चौड़ाई में नहीं बन पाये हैं। जिसका नतीजा हम सबको मालूम होता है। लेकिन अफसर चाहते हैं कि बाढ़ बार-बार आती रहे और इसी तरह से फंड मिलता रहे। लगता है बाढ़ को रोकने के लिए जो बांध बनाये गये हैं, उसमें दो-चार स्थान जो रेगुलेटर के छोड़े गये हैं, उन्हें न बनाने से यह सोच पैदा होती है कि वे लोग बाढ़ को भीतर प्रवेश कराने का रास्ता खोजते हैं कि बाढ़ किसी तरह से भीतर प्रवेश करे और फंड आये। इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो सरकार द्वारा करोड़ों रुपए के फंड जाते हैं, केवल दो-चार लाख के रेगुलेटर के अभाव में उन बांधों का उपयोग बाढ़ को रोकने में नहीं हो पा रहा है।

सभापति महोदय, बाढ़ और नदी के बीच में जो गांव हैं, उन्हें बचाने के लिए रिंग बांध बनाने की आवश्यकता है। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि सरकार को बाढ़ के लिए कोई स्थायी नीति बनानी चाहिए, ताकि भविष्य में जन-धन की हानि से बचा जा सके। आज सौ किलोमीटर लम्बी घाघरा नदी के दोनों तरफ हजारों गांव कट रहे हैं और वर्तमान में भी कट रहे हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इन सब बातों पर विचार करे और शीघ्र बाढ़ नियंत्रण मंत्रालय का गठन करके स्थायी उपाय करे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, बाढ़ से देश में हर साल क्षति होती है, जान की बरबादी होती है, लोगों की जानें जाती हैं, गरीब मारे जाते हैं, बाढ़ में बह जाते हैं। बाढ़ में उनके घर बह जाते हैं। किसान बरबाद होता है, उसकी फसल बरबाद होती है। बाढ़ में जानवर मारे जाते हैं। सरकारी सम्पत्ति की बरबादी होती है, सड़कें बरबाद होती हैं। इसे रोकने के लिए माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र के सवाल उठा रहे हैं कि बाढ़ से हर साल होने वाली बरबादी को रोकने का कोई स्थायी समाधान होना चाहिए। उसी संदर्भ में अभी हिमाचल प्रदेश के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि उनके वहां भारी बरबादी हुई है। वहां के चीफ मिनिस्टर ने हर माननीय सदस्य को मदद के लिए लिखा है। अरुणाचल प्रदेश और असम में बाढ़ से इस साल बरबादी हुई है, बिहार में बरबादी हुई है, जहां रिलीफ बांटने और बचाव कार्य के लिए मिलिटरी का सहारा लेना पड़ा। बाढ़ से हर साल बरबादी होती है। सरकार के आंकड़े सरकार के कागजों में होंगे कि बाढ़ को रोके बिना अरबों की बरबादी हर साली होती है। जब बाढ़ खत्म हो जायेगी, तब केन्द्रीय सरकार की टीम रस्म अदायगी करने के लिए वहां जायेगी। हर साल का यही दस्तूर है। जब बाढ़ खत्म हो जायेगी, तब केन्द्रीय टीम जाकर कहेगी बताइये बाढ़ कहां हैं। बाढ़ आती है, बरबाद करके चली जाती है। बाद में उन्हें पता ही नहीं चलता है कि बाढ़ से बरबादी हुई है। जैसा कि अभी माननीय सदस्य श्री नवल किशोर राय ने कहा कि माननीय कृषि मंत्री आज ही स्वयं जाएं और हैलीकोप्टर से जाकर वहां देखें कि कैसे लोग छतों पर, मड़ैया पर और बांधों पर रह रहे हैं। उनके घर-द्वार सब पानी में डूब गये हैं।

सभापति महोदय, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और इस प्राकृतिक आपदा को रोका जा सकता है। खासकर बिहार के लोग कहते हैं कि बाढ़ का कारण नेपाल से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय

नदियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय नदियों से होने वाली बरबादी को रोकना क्या राज्य सरकार के बस की बात है। क्या वहां राज्य सरकार रिलीफ देने की हालत में हैं। दसवें वित्त आयोग के हिसाब से चार हिस्से में तीन हिस्से भारत सरकार के हैं और एक हिस्सा राज्य सरकार के जिम्मे दिया है कि स्टैन रिलीफ का काम राज्य सरकार करेगी। राष्ट्रीय आपदा कोष में सौ करोड़ रुपया रखा था। इतने बड़े देश में कभी आंध्र प्रदेश में साइक्लोन, कभी उड़ीसा में साइक्लोन, कभी बाढ़ से बरबादी, कभी आग से हजारों घर गरीबों के जलते हैं। इन सबके लिए, राष्ट्रीय आपदा कोष में सौ करोड़ रुपये की राशि कितनी कम है। हमने उस समय बार-बार कहा था कि राष्ट्रीय आपदा कोष को बढ़ाइये। नहीं तो जब हर साल बाढ़ आयेगी तो राज्य सरकार यह संदेश भेजती है कि उपाय नहीं है। रिलीफ का काम राज्य सरकार के बस का काम नहीं है, न उनके बस का बाढ़ को रोकना है, न वे रिलीफ पहुंचा सकती हैं, चूंकि उनके पास राशि नहीं है, उनके पास धनाभाव है। इसलिए भारत सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जो बाढ़ से बरबादी होती है, भारत सरकार उसकी भरपाई करे क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं। क्यों नहीं भारत का नेपाल से समझौता होता? अंतर्राष्ट्रीय नदियों में राइपेरियन राइट्स होते हैं। नेपाल से नदियां आती हैं, वे हर साल उत्तर बिहार, उत्तर प्रदेश के इलाकों, सीमावर्ती हिमालय के तराई के इलाकों को बाढ़ से तबाह करती हैं। इसलिए दो तरह के काम की अपेक्षा हम भारत सरकार से करते हैं। पहला यह कि बाढ़ रोकने का स्थाई समाधान होना चाहिए। बाढ़ रोकने के लिए बिहार में 3400 किलोमीटर तटबंध अभी तक बनाया गया है। अरबों, खरबों रुपये खर्च किये गये लेकिन सन् 1947 में जितनी जमीन बाढ़ से बरबाद होती थी, अभी भी बाढ़ से उतनी ही बरबादी होती है। बाढ़ का समाधान तब भी नहीं हुआ। तात्कालिक और अस्थाई तौर पर तटबंध बनाकर बाढ़ को रोका जा सकता है लेकिन स्थायी समाधान बाढ़ का वह नहीं है। तटबंध बनाने से कम क्षेत्र में बाढ़ आती है इसलिए माना जा सकता है कि तटबंध बनाने का सीधा लाभ है, लेकिन उसका सीधा लाभ नहीं पहुंचता है, उससे खर्च होता है, बरबादी होती है लेकिन लाभ नहीं पहुंचता है। इसलिए भारत और नेपाल के बीच समयबद्ध कार्यक्रम के तहत समझौता होना चाहिए।

अभी नेपाल के प्रधान मंत्री भारत आए थे। हम नहीं जानते कि उनकी इस संबंध में कोई बातचीत हुई या नहीं, लेकिन एक ठोस कार्यक्रम बनाकर भारत-नेपाल के बीच समझौता होना चाहिए जिससे अंतर्राष्ट्रीय नदियों से जो बरबादी होती है, उसे दोनों देशों के सहयोग से रोका जा सके। पनबिजली के मामले में यदि नेपाल से सहयोग हो तो पनबिजली, जो सीमावर्ती इलाके में करनाली से लेकर गंडक, गुंधर और दूसरी नदियों में हजारों मैगावाट कैपेसिटी की पौटेन्शियेलिटी है, उसके लिए नेपाल से बाढ़ रोकने का और पनबिजली पैदा करने का समझौता नेपाल से हो सकता है जिससे दोनों देशों के लोगों का हित हो सकता है। इसलिए बाढ़ रोकने का उपाय भारत सरकार अपने हाथ में ले। राज्य सरकारों के पास उतना धन नहीं है कि प्राकृतिक आपदाओं को रोकने में वे सरकारें सक्षम हों। इसलिए भारत सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और राष्ट्रीय आपदा कोष में वृद्धि होनी चाहिए। अभी हर राज्य की स्थिति के हिसाब से उसमें से एडवांस दे देते हैं। अखबार में बयान आ जाएगा कि सौ करोड़ रुपये की मदद दी लेकिन राज्य का जो हिस्सा है सेन्ट्रल असिस्टेन्स में, उसका ही एडवांस दे देते हैं। वह मदद नहीं है। कृषि मंत्री जी राष्ट्रीय आपदा कोष के चेयरमैन हैं और विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्री उसमें रोटेशनल सदस्य हैं। वह कमेटी बैठे और उसमें वित्त विभाग को कहा जाए कि राष्ट्रीय आपदा कोष में खर्चा बढ़ाया जाए और विभिन्न राज्यों में जो बरबादी है, उसमें रिलीफ का काम होना चाहिए। अभी असली गंगाजी वाली बाढ़ आनी बाकी है। वह सितम्बर के अंत में और अक्तूबर के शुरू में आती है। जब विजय दशमी का त्यौहार आता है। अभी तो गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, करेह, कोसी, महानन्दा, भुतही बालान जैसी छोटी-छोटी नदियों में बाढ़ आई है। यमुना जी की बाढ़ आ गई। हिमाचल बाढ़ से डूबा, अरुणाचल बाढ़ से डूबा, ब्रह्मपुत्र की बाढ़ में असम डूबा। गंगाजी की बाढ़ सबसे अंत में आती है। इसलिए इस आगामी बाढ़ से निपटने के लिए भी सरकार को कमर कसनी चाहिए। बाढ़ का जो पानी आएगा तो पानी नहीं निकलेगा, जल-जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। 8 लाख हैक्टेयर जमीन उत्तर बिहार में और 1 लाख हैक्टेयर जमीन माननीय कृषि मंत्री जी के क्षेत्र मोकामा में, कुल मिलाकर 9 लाख हैक्टेयर जमीन बिहार में जल-जमाव से प्रभावित होती है। गंडक फेज-II, और कोसी फेज-II जिसमें जल-जमाव से समाधान का रास्ता निकाला गया था, उस पर भारत सरकार बैठी हुई है।

सभापति महोदय, वहां के सिंचाई मंत्री, यहां के कृषि मंत्री के मित्र हैं और भारत सरकार ने बिहार सरकार ने लिखापढ़ी के बहाने वह फाइल दबाकर रखी है जो सिंचाई विभाग में लंबित है। उसकी क्लीयरेंस यहां से नहीं मिल रही है। यहां जो मदद की बात कही जा रही है, राज्य सरकारों की मदद कैसे होगी, जब ये क्लीयरेंस नहीं देते हैं। सैंट्रल वाटर कमीशन यहां उसको रोक रहा है। हमारे यहां बाढ़ से बरबादी होती है। भारत सरकार को उपाय करना चाहिए। नेपाल से समझौता करने का काम है, वह भारत सरकार का है न कि बिहार सरकार का। उसको भी आप कह दीजिए कि बिहार सरकार कुछ नहीं करती है। इसमें तो भारत सरकार को ही पहल करनी होगी। प्रदेश सरकार थोड़े ही नेपाल सरकार से बात करेगी। बिहार में बाढ़ से जो विनाशकारी लीला होती हैं वे नेपाल से निकलने वाली नदियों के कारण होती हैं। मेरा सुझाव है कि

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

जितनी बाढ़ से बरबादी होती है, उसके निदान का काम भारत सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। जो जल जमाव की समस्या है उसके लिए भारत सरकार को प्रबन्ध करना चाहिए। कोसी फेज-दो और गंडक नदी के फेज-दो की योजनाएं कहां खो गईं?

सभापति महोदय, बाढ़ के कारण हमारे यहां बहुत सी सड़कें टूट गई हैं। सीतामढ़ी-मुजफ्फरनगर, सीतामढ़ी-सिंहुर-देश-दुनिया से कट गए हैं। इसलिए वहां हैलीकॉप्टर से मदद पहुंचाई जा रही है। अनाज और भोजन के पैकेज हैलीकॉप्टर से पहुंचाने का काम किया जा रहा है। पैकेट को लेने के लिए बहुत धक्का-मुक्की होती है। मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, मिलिट्री की सहायता लेनी पड़ गई है। पश्चिमी चम्पारण और पूर्वी चम्पारण, सीवान, मधुबनी, जिला दरभंगा, अररिया, पूर्णिया, बेगूसराय, खगड़िया, मुजफ्फरपुर का हिस्सा, दरभंगा का हिस्सा आदि सभी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और बागमती नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, सभी ने बाढ़ से तबाही मचा रखी है। इस सबका इंतजाम भारत सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए।

सभापति महोदय, भारत सरकार को बाढ़ रोकने का काम ठीक प्रकार से करना चाहिए। बिहार में 1100 करोड़ रुपए की बरबादी हुई है, सड़कें चौपट हो गई हैं, उनकी मदद नहीं हो सकी है। राज्य सरकार हर बार योजना बनाकर देती है और बताती है कि बाढ़ से इतनी बरबादी हुई है, लेकिन उसके अनुरूप सहायता नहीं दी जाती है। मेरा निवेदन है कि सेंट्रल टीम भेजकर उसकी मानिटरिंग कराईए। यदि कहीं ब्यूरोक्रेट गड़बड़ी करते हैं, तो उनको भी धमकाइए और उनके षडयंत्र को सफल मत होने दीजिए। गरीब जनता बाढ़ की वजह से बहुत दुखी है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए माननीय मंत्री प्रयत्न करें और बाढ़ से हो रहे विनाश से बिहार को और देश के अन्य हिस्सों को बचाएं।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): सभापति महोदय, बिहार में बाढ़ की विभीषिका पर माननीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने बहुत विस्तृत तौर से अपनी बात रखी है और मैं उनसे सहमत हूं, भले ही उनके बोलने की शैली चाहे जिस प्रकार की हो। उन्होंने जो वर्णन किया है और देश के विभिन्न भागों में बाढ़ से हुई बर्बादी पर जिस तरह चिन्ता जताई है, वह सही है।

सभापति महोदय, मैं इस विषय पर लोक सभा की लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ने एवं कुछ तथ्य इकट्ठे करने का प्रयास कर रहा था, तो मैंने पाया कि विगत वर्षों में प्राकृतिक विपत्तियों, बाढ़ या सूखे के ऊपर इस सदन में 20 बार चर्चा हो चुकी है। प्रत्येक वर्ष जब बाढ़ का मौसम होता है, सदन में चर्चा होती है, सूखे का मौसम होता है, तब बजट सैशन के बाद इस सदन में चर्चा होती है और किसी न किसी बहाने से हम सब लोग मिलकर इस विषय पर चर्चा करते हैं। जो समय इस पर लगता है, जो बहस होती है, यदि आप इस विषय पर 1974 में हुई बहस को उठाकर देखें, तो आप पाएंगे कि ...*(व्यवधान)*

मैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बड़े दुखी मन से इस चर्चा में भाग ले रहा हूं क्योंकि प्रत्येक वर्ष हमारे संसदीय कार्य मंत्री, जैसे ही इस विभीषिका की चर्चा होती है, तुरंत इस चीज को लिस्ट करने में एक क्षण भी नहीं लगाते। मैं कुछ मूल प्रश्न इस सदन के समक्ष रखना चाहूंगा कि इस बाढ़ के नुकसान का सिलसिला आखिर इस देश को कब तक झेलना पड़ेगा? एक तरफ यह चर्चा होती है कि बाढ़ की विभीषिका एक प्राकृतिक विपदा है। हम लोग इस बात से सहमत हैं कि यह एक प्राकृतिक विपदा है और इस प्रकार की विपदा प्रत्येक वर्ष भिन्न-भिन्न रूप में देश के विभिन्न प्रांतों में आती है लेकिन कहीं न कहीं इसके साथ कुछ एक चर्चा भी जोड़ने की आवश्यकता है। जिस चर्चा की तरफ मैं ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं, इस सरकार के जो माननीय मंत्री बिहार से हैं, लगता है, वे दो चार मिनट में आ जायेंगे। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारा भाषण होगा। आज के भाषण की चर्चा हमारे कुछ क्षेत्र के लोग सुनेंगे, जो लोग सदन में बैठे हैं, वे सुनेंगे और चर्चा यहीं समाप्त हो जायेगी। हमें संतुष्टि हो जायेगी कि हमने इस विभीषिका पर अपना वक्तव्य दे दिया और सरकार भी इस संदर्भ में प्रत्येक वर्ष की तरह रह जायेंगे। लेकिन बाढ़ की विभीषिका को अगर दर्शन के रूप में देखा जाये, पता नहीं हमारे में से कितने लोग जो इस सदन में बैठे हैं, उनमें से बहुत लोग यहां नहीं होंगे जिन्होंने बाढ़ को देखा होगा।

मुझे याद है जब मैं गंगा से सटे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में गया था। मैंने देखा कि एक भैंस और उसके ऊपर एक बच्चे को एक बूढ़ा आदमी धक्का देकर ले जा रहा था। दूर का दृश्य था, हमने सोचा कि इसे बचाया जाये और नाव उसकी तरफ ले गये। हमने देखा कि भैंस भी मरी हुई थी और उसका बच्चा भी मरा हुआ था लेकिन उस बूढ़े इंसान को यह विश्वास था कि वह बच जायेगा इसलिए वह किसी तरह से उसको पकड़कर नदी के किनारे ले जाने का प्रयास कर रहा था। इस प्रकार की कई घटनायें देखने को मिलती हैं। जब बाढ़ आती है तो छोटे-छोटे बच्चे वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और उसी वृक्ष पर जहां एक कोने में वह सटे रहते हैं, दूसरे कोने में एक सांप लटका होता है। यह सब दृश्य औसतन बहुत बार देखने को मिलता है। बाढ़ के समय, बाढ़ के बाद न जाने कितने लोग सांप के डर से मरते हैं और यह सिलसिला वर्षों से चला आ रहा है। जिस तरह मैंने कई बार इस सदन में चर्चा केन्द्रित की है, उस तरफ शायद सरकार का भी ध्यान नहीं जाता और न ही सरकार की इच्छा है कि इस तरफ कोई ध्यान आकृष्ट

किया जाये। पर्यावरण के संतुलन में जो असंतुलन पिछले 25, 30 या 40 वर्षों में होता आ रहा है, शायद एक यह ही मुख्य कारण है जिसके कारण, बाढ़ का प्रभाव क्षेत्र इस देश में बढ़ता जा रहा है। औसतन हम मानकर चलते हैं कि किसी भी भू-भाग का 33 प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए। आज विश्व के पैमाने पर चर्चा न करें तो हिन्दुस्तान के पैमाने पर मात्र 22 प्रतिशत वन भूमि रह गयी है और जिस प्रकार से वृक्षों की कटाई हो रही है, जिस प्रकार से पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है और जिन भागों में हम वर्षा की उम्मीद नहीं करते, बचपन में रेगिस्तान की बातें सुनते थे, राजस्थान की बात सुनते थे तो लगता था कि पूरा अकाल का क्षेत्र है, वहां पानी नहीं है। लेकिन आज तो हरियाणा में, हिमाचल में, राजस्थान और पंजाब में भी बाढ़ की सूचनायें मिलती हैं। फ्लैश फ्लड आते हैं, कहीं न कहीं पर्यावरण के असंतुलन के कारण ये प्राकृतिक विपदा बढ़ती जा रही है।

नेपाल के संदर्भ में मेरे माननीय सदस्य ने चर्चा की है। नेपाल सरकार का अर्थतंत्र बड़ा कमजोर हैं। पिछले 50 वर्ष में हमारी जानकारी क्योंकि हमारा वह पड़ोसी देश है, जिस प्रकार से उसके ऊपर क्षेत्र में, हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में वृक्षों की कटाई हो रही है, उस कटाई का परिणाम है कि ऊपरी क्षेत्र में जब बारिश होती है तो रेत के साथ प्रवाहित होता हुआ जल बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करता है। रेत का प्रवाह इतना ज्यादा है कि नदी का जितना भूग्रहण है, वह आहिस्ते-आहिस्ते भरता गया है और सरकार के पास कोई साधन नहीं है कि उस भूग्रहण क्षेत्र से रेत को बाहर निकाला जाये। अगर नेपाल के क्षेत्र में भारत सरकार नेपाल के साथ मिलकर संधि करे और आज वृक्षारोपण की कार्रवाई वहां शुरू की जाये तो हो सकता है कि 40 वर्षों के बाद जब ऊपरी क्षेत्र से बारिश होती है, जब बादल वहां फटता है और जिस प्रकार से पानी बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, उसका किसी भी प्रकार से बिहार और उत्तर प्रदेश में हम नियंत्रण नहीं कर सकते। इसके अलावा और बहुत से विषय हैं। मैं इसलिए इस विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आखिर में सरकार को किस पैमाने पर इस विषय की जटिलता को समझते हुए निराकरण करने का प्रयास करना पड़ेगा।

मात्र साधन मुहैया कर देने से इस कार्य का सम्पादन नहीं हो सकता। जब तक हम अपनी पूरी बुद्धि, विवेक से सभी तकनीकी विशेषज्ञों को अपने साथ जोड़ कर इस विषय पर एक विस्तृत और वृहद पैमाने पर कोई योजना तैयार नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार की प्राकृतिक विपदाओं को संयमित करना संभव नहीं हो पाएगा।

मैं इन शब्दों के साथ सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि प्राकृतिक विपदा को किसी न किसी रूप में संयमित करने का, इसे रोकना यदि तत्काल संभव न हो, जिन नदियों के बांध टूटे हुए हैं या कई क्षेत्रों में जिस प्रकार नदियों का प्रवाह बदलता जा रहा है, जिस प्रकार गांव के गांव नदी में कट कर गिरते जा रहे हैं, जिस प्रकार बाढ़ के बाद पानी का जमाव बना रह जाता है, यह विस्तृत विषय है जिस पर विस्तृत चर्चा करके, खासतौर से सरकार को इसकी तरफ अपना ध्यान केन्द्रित करके, एक ऐसी योजना बनानी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में इसे हम रोक न सकें तो कम से कम लोगों को राहत अवश्य दे सकें। जय हिन्द।

[अनुवाद]

श्री विजय हान्दिक (जोरहाट): सभापति महोदय, मानसून के दौरान सभा में लोगों और पशुओं को होने वाली पीड़ा की सूची देना हमारी परम्परा बन गई है। मानसून आते ही, नदियां आक्रामक हो जाती हैं, फसलों, घरों, पशुओं और लोगों को भी बहा ले जाती हैं। मानसून सत्र के पूरा होते-होते मानसून भी सभाप्ति की ओर होता है और हम उसके बारे में बातचीत करते हैं, और यह सभा की कार्यवाही का हिस्सा बन कर रह जाता है।

कितने ही सालों से ऐसा चल रहा है। जब तक सरकार इस बारे में गंभीरता से कुछ विचार नहीं करती, हम इस व्यर्थ की कवायद में लगे रहेंगे।

बाद के प्रकोप के बारे में बात करते हुए मैं इससे हुए नुकसान की लम्बी सूची नहीं दूंगा। अब असम और पूर्वोत्तर में तीसरी लहर आई है। पिछले दो दिनों से यह क्षेत्र देश के शेष हिस्सों से कटा हुआ है। अप्रैल से बाढ़ की तीन लहरें आई हैं जिसने असम के 16 जिलों के लगभग 26 लाख लोगों को प्रभावित किया है और लगभग 25 लोगों की मौत हो चुकी है।

इस वर्ष ही तटबंधों पर 54 स्थानों पर दरारें आई हैं। पिछले सप्ताह शुरू हुई तीसरी लहर से अब तक 16 जिलों में लगभग 3000 गांव प्रभावित हुए हैं जिससे तीन लाख हैक्टेयर भूमि जलमग्न हो गई है और 1,23,569 हैक्टेयर फसल को क्षति हुई है। कुछ जिलों में स्थिति सुधर रही है परन्तु अन्य 10 जिलों में स्थिति भयंकर बनी हुई है। ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियां दारंग, दुबरी, लखीमपुर, जोरहाट, गोलपाड़ा और मोरीगांव जिलों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इनमें से अधिकांश जिलों में सड़क और रेल यातायात बंद पड़ा है क्योंकि रेलमार्ग और राजमार्गों के कई हिस्से अभी तक जलमग्न हैं। डिब्रूगढ़ असम का एक प्रमुख शहर है; और इस शहर में भू-क्षरण का खतरा गंभीर है। पिछले कितने ही सालों से ऐसा हो रहा है और कोई प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं।

जून के अन्त में आने वाली दूसरी लहर भी ऐसी ही विनाशक थी, और लखीमपुर और धेमाजी जिलों में सबसे अधिक विनाश

[श्री विजय हांदिक]

हुआ था। धेमाजी में सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार 64 गांवों में 38,840 लोग प्रभावित हुए जबकि लखीमपुर जिले में अकेले धकुआखाना उप मंडल के 116 गांवों में 28,000 लोग प्रभावित हुए हैं। दूसरी लहर में कुल मिलाकर राज्य के 1428 गांवों में 4,82,220 लोग प्रभावित हुए।

संक्षेप में कहें तो बाढ़ की तीन लहरों ने तबाही की है। मानसून खत्म होने में अभी दो महीने शेष हैं, और अगले दो महीनों में कम से कम दो लहरें और आएंगी।

हाल ही में एक प्रश्न के उत्तर में माननीय कृषि मंत्री ने बताया था कि विभिन्न उपायों के लिए असम को 37 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। माननीय मंत्री ने इस कम नियतन को इस आधार पर तर्कसंगत बताया था कि असम में 4560 कि.मी. के तटबंध और 945 जल निकासी चैनल बनाए जा चुके हैं। फिलहाल, इन आंकड़ों पर कोई विवाद किए बिना क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह कितने वर्षों में हुआ? 15 या 20 वर्ष से कम में नहीं। लेकिन तटबंधों और जल निकासी चैनलों का निर्माण ही सब कुछ नहीं है। इनके प्रति वर्ष मरम्मत और रख-रखाव की जरूरत है। बाढ़ आए या न आए, प्रति वर्ष नदियों की तेज धाराएं तटबंधों पर हमला करती रहती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के पूरे तटबंधों पर जगह-जगह क्षरण और कमजोर बिन्दु हैं। मरम्मत और रख-रखाव में लिए वर्षों से दी जा रही निधियां अपर्याप्त हैं। अतः बाढ़ और क्षरण तो होंगे ही।

महोदय, मैं सरकारी हेरा-फेरी का एक-एक विशेष मामला उद्धृत करना चाहता हूं। नेमती में भू-क्षरण के कारण असम का प्रमुख शहर जोरहाट खतरे में है। मेरी पहल पर 1992 में जिला बाढ़ नियंत्रण विभाग ने एक योजना तैयार करने का काम शुरू किया था। वर्ष 1994 में इसे 32 करोड़ रुपये की लागत पर अन्तिम रूप दिया गया। इसके बाद इस योजना को आगे की जांच और परीक्षण के लिए जल संसाधन मंत्रालय की पुणे स्थित प्रयोगशाला को भेजा गया। वर्ष 1995 के अंत में इसे स्वीकृति दी गई। चूंकि केन्द्र सरकार से सहायता लेने के लिए काफी देर हो चुकी थी, तो योजना आयोग ने तत्कालीन सरकार को आश्वस्त करते हुए परियोजना को केंद्रीय सरकार के ऋण सहायता योजना की तरह शुरू करने की सलाह दी कि इसे बाद में केंद्रीय सरकार की सहायता योजना के रूप में परिवर्तित कर दिया आएगा जिसमें 90 प्रतिशत केंद्रीय अनुदान होगा और 10 प्रतिशत राज्य निधि से खर्च होगी। योजना आयोग ने कार्य शुरू करने के लिए एक करोड़ रुपये जारी भी कर दिया। वर्ष 1995 के अंत में शुरू हुआ। इसके बाद 1996 के चुनाव आ गए। चुनाव आते ही काम रुक गया। मौजूदा राज्य सरकार आज तक एक करोड़ रुपये का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाई है और न ही केंद्र सरकार से इसे केंद्रीय सहायता वाली योजना में बदलने का आग्रह किया गया है। बल्कि इस राशि को राजस्व जमा में बदल दिया गया है। और इस प्रकार बाढ़ के कारण बने हुए हैं।

सभापति महोदय, आपने ब्रह्मपुत्र बोर्ड के बारे में सुना होगा। इसने अभी तक कोई सार्थक अनुसंधान नहीं किया है। अब मैं दूसरे मामले की बात करता हूं। शिवसागर जिले के लिए दिरोई ड्रेनेज स्कीम का प्रस्ताव किया गया था। यह योजना बोर्ड के इंजीनियरों को भी परेशान कर रही है। उनके पास इसका कोई समाधान नहीं है। मौके पर जांच में मैं भी इंजीनियरों के साथ गया था। परन्तु, आज तक इसकी कोई योजना नहीं बनी है।

शिवसागर जिले में लिविंग में देहिंग नदी के तटबंध में एक तेज क्षरण बिन्दु है। इससे आस-पास के आदिवासी गांवों को खतरा है। चूंकि निधियां नहीं हैं कोई काम भी नहीं हुआ है। इस प्रकार, बाढ़ और क्षरण अवश्यंभावी है और लोगों को दुख झेलना ही है।

मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि पिछले वर्ष के बजट में जल संसाधन मंत्रालय को 100 करोड़ रुपये से कम नियत किए गए जबकि शुक्ला आयोग ने अगले 50 वर्ष के लिए 50,000 करोड़ रुपये की सिफारिश की थी। शुक्ला आयोग का गठन 1997 में प्रधानमंत्री के पैकेज को लागू करने के लिए किया गया था। इसमें 50 वर्ष भी लग सकते हैं, 70 वर्ष भी लग सकते हैं या कम भी लग सकते हैं। लेकिन हमें शुरूआत तो करनी होगी। हमें कभी तो शुरूआत करनी ही होगी। अन्यथा, इतिहास हमें माफ नहीं करेगा।

मुझे आशा है कि सरकार हमारे सुझावों पर ध्यान देगी, विशेषतः ब्रह्मपुत्र बोर्ड संबंधी सुझावों पर ध्यान देगी और सार्थक अनुसंधान किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति जी, बाढ़ के विषय पर सदन में चर्चा चल रही है। यह चर्चा कोई पहली बार नहीं हुई है। हम लोग तो बहुत कम दिनों से इस सदन में हैं। इस तरह की चर्चा सदन में पहले भी होती रही है। सरकार के उत्तर भी उस पर आते हैं। बाढ़ की समस्या कोई नई समस्या नहीं है। लगता है एक परम्परा सी बन गई है, क्योंकि बाढ़ का भी सीजन होता है। जब वह सीजन आता है तो सदन में चर्चा चलती है और सरकार की तरफ से उत्तर आता है। अगर सरकारी उत्तरों को देखा जाए तो मैं यह महसूस करता हूं कि जो उत्तर एक बार आता है, मंत्री जी जो उत्तर देते हैं, शब्दों का हेरफेर करके वही उत्तर लगातार देते रहते हैं। मुझे लगता है इससे समस्या

का समाधान नहीं होगा। आज बाढ़ से बहुत से राज्य प्रभावित हैं। अभी एक साथी असम की चर्चा कर रहे थे। बिहार में बाढ़ से त्राहिमाम है। पिछली बार भी सदन में बिहार की बाढ़ की चर्चा हुई थी। सम्पूर्ण उत्तर बिहार बाढ़ से प्रभावित हो चुका है। यहां तक स्थिति बनी हुई है कि लाखों परिवार बाढ़ से घिरे हुए हैं। वहां कोई साधन सरकार की तरफ से मुहैया नहीं कराए गए हैं कि उन लोगों को या उनके मवेशियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके, जिससे उनकी रक्षा हो सके।

रघुवंश बाबू एक बात ठीक कह रहे थे। सरकार के उत्तर किसी भी विभाग के हों, यही सुनने को मिलता है कि यह राज्य सरकार का मामला है। राज्य सरकार अपने स्तर पर इस मामले में कार्यवाही करेगी। लेकिन बिहार की बाढ़ का जो मामला है, कुछ मामलों में बिहार बड़ा खुशहाल है कि वहां कई पवित्र नदियों के दर्शन होते हैं, जिनके चलते पूरा उत्तर बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल का कुछ हिस्सा बाढ़ से प्रभावित होता है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ की विभीषिका आती है। आज उत्तर बिहार में बेतिया, मोतीहारी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और गोपालगंज आदि कई जिले खासकर प्रभावित हैं। इनकी स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि इसका वर्णन वही कर सकता है जो उस पीड़ा से पीड़ित हो। कहने और सुनने में यह मात्र भाषण का क्रम बनता है, लेकिन उस पीड़ा को जो नजदीक से भोगता है, वही बता सकता है। पिछली बाढ़ के समय जय प्रकाश जी का गांव सियाब दियारा जो गंगा और सरयू के संगम से घिरा हुआ है, उसके आसपास के छः गांव बाढ़ से पानी के कटाव में विलीन हो गए थे। उस गांव में भी भारी बाढ़ आई थी। हम लोग भी बाढ़ को देखने गए थे। हमने देखा कि सरयू नदी के किनारे एक झोंपड़ी में एक के ऊपर एक, तीन चौकी रखी हुई थी और उस पर एक चार साल का बच्चा सुलाया गया था। उस झोंपड़ी में भी कुछ पानी बह रहा था। हमने पूछा कि कैसे हिम्मत की इस बच्चे को यहां रखा है तो उन्होंने कहा कि गंगा मैया की कृपा पर सब कुछ छोड़ देते हैं। इसके सिवा कोई उपाय भी नहीं है। पुरुष और औरतों को नित्य क्रिया के लिए बांस गाढ़ कर और उस पर बांस बिछा कर जाना पड़ता है। उस पीड़ा को महसूस करने की जरूरत है। जब सी.पी. ठाकुर जी सिंचाई मंत्री थे, हमने उनसे अनुरोध किया था कि आप चल कर वहां की कठिनाई को देखें। वह लोक नायक का गृह स्थान है। आज लोक नायक के नाम पर सारे लोग राजनीति की रोटियां सेंक रहे हैं। बिहार में जो सरकार चलती है, कहा जाता है कि यह लोक नायक के पूर्वज के रूप में है लेकिन लोक नायक के गांव पर किसी ने कभी भी नजर उठाने का काम नहीं किया। डा. सी.पी. ठाकुर अपने विभाग के पदाधिकारियों को लेकर वहां सरयू नदी के किनारे गए थे और अपने विभाग के पदाधिकारियों से समीक्षा भी करवाई थी। पहले से विभाग ने एक नक्शा बनाया हुआ था। पदाधिकारियों ने बहुत कम लागत बताई थी। पदाधिकारियों ने कहा था कि लगभग तीन करोड़ रुपये में यह सितावदियर गांव बच जाएगा। डा. ठाकुर ने आश्वासन दिया था कि हम सीधे प्रधान मंत्री जी से बात करेंगे। यह लोकनायक के गांव को बचाने का सवाल है। बिहार सरकार के कार्यों पर शंका करते हुए कहा था कि हम इस बांध और इस गांव की सुरक्षा के लिए सीधे माननीय प्रधान मंत्री जी से इजाजत मांगकर काम करवाना चाहेंगे। संयोग से, यह गांव का दुर्भाग्य है कि डा. सी.पी. ठाकुर जी का विभाग बदल गया। नये मंत्री अर्जुन सेठी जी यहां मौजूद हैं। हमने व्यक्तिगत तौर पर मिलकर और पत्र लिखकर भी उस गांव के संबंध में चर्चा की थी। डा. ठाकुर के भ्रमण और उनके द्वारा दिये गये आश्वासन के बारे में सेठी जी की तरफ से कौन सी कार्रवाई की गई है, मुझे मालूम नहीं है। हमें विश्वास है कि सेठी जी इस संबंध में अपने उत्तर में निश्चित तौर पर हमें जानकारी देंगे।

सभापति महोदय : अब आप कंक्लूड कीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर देंगे। हम पार्टी के प्रथम और अंतिम वक्ता दोनों हैं। हमें विश्वास है कि सेठी जी आज अपने उत्तर में यह बताएंगे कि सितावदियर गांव की सुरक्षा की व्यवस्था गारंटी से जरूर करेंगे ताकि सितावदियर गांव भविष्य में इस पीड़ा को नहीं झेले। उत्तर बिहार के कुछ गांव, चूंकि कृषि मंत्री जी को आज उत्तर देना है, इसलिए हम उनकी नॉलेज में यह लाना चाहते हैं कि यह गांव सिर्फ बाढ़ से ही पीड़ित नहीं है, बल्कि बाढ़ से और पानी के जमाव से भी काफी पीड़ित रहा है। छपरा, सिवान और वैशाली जिले का बहुत ज्यादा हिस्सा जल जमाव से पीड़ित रहा है और इस पर बहुत ज्यादा लागत की जरूरत नहीं पड़ती। उस जल की निकासी के साधन भी हैं। किसी तरफ से नारायनी नदी गुजरती है, किसी तरफ से सरयू नदी गुजरती है और कहीं से गंगा नदी गुजरती है। अगर चाहा जाये तो उसके जल को इन नदियों में गिराया जा सकता है। लेकिन राज्य सरकार तो, रघुवंश बाबू आप बुरा नहीं मानिएगा। हम कोई आपके ऊपर कमेंट नहीं कर रहे हैं लेकिन बिहार की राज्य सरकार तो चौपट है। उससे कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। हम पहले से ही कह देते हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): भारत सरकार की भी देख लेते है कि कितनी ताकत है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : रघुवंश बाबू बोल रहे थे तो कह रहे थे कि बिहार के सिंचाई मंत्री जी कृषि मंत्री जी के मित्र हैं। ठीक ही कह रहे थे लेकिन पहले वाली मित्रता नहीं है। कुछ काट-छांट है। बिहार के सिंचाई मंत्री जी को इस बात का बहुत ज्यादा भ्रम है कि इस विश्व के वही सबसे ज्यादा जानकार आदमी हैं और इस भ्रम में भी बिहार का बहुत सा नुकसान हो जाता है।

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

रघुवंश जी, आप इस बात को मानेंगे कि इंजीनियर्स वहां उनके पास प्रकलन लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि गलत है। अगर वह सही जानते हैं तो सही बनवा दें। इस गलत और सही में, बांधों का रख-रखाव और सुरक्षा का काम भी बिहार में नहीं हो पाता है।

बिहार के इंजीनियर्स के विषय में मैं कहूंगा कि जब वहां बाढ़ आती है वह उनकी कमाई का एक साधन बन जाती है। आप आश्चर्य करेंगे कि बिहार में जब बाढ़ आती है तो मंजू से होकर बांध में पानी घुसता है, बिहार में बांध टूटता है और गांव का गांव बर्बाद हो जाता है। किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। आप यह सब जानते हैं। हमारे बताने से ही आप जानेंगे, यह सवाल भी नहीं है। आप कम जानते हैं, यह सवाल भी नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि बिहार की पीड़ा को वही दूर कर सकता है जिसकी इच्छाशक्ति होगी। आज हमें बाजारों में बिहार के बारे में तरह-तरह के कमेंट दिये जाते हैं। यहां तक कमेंट दिया जाता है और एक पत्रकार ने कहा था कि बिहार के लोग कंगाल और भिखारी हैं। बिहार के लोग पंजाब में जाते हैं तो कहते हैं कि कुछ हमें दे दो और यह परिस्थिति उत्तर बिहार में इसलिए आई कि उत्तर बिहार बाढ़ और जल-जमाव से प्रभावित है।

उत्तरी बिहार बाढ़ से प्रभावित है, नहीं तो हम उस कलम बेचने वाले व्यक्ति को, जो बिहार के बारे में इस तरह के कमेंट करता है, बता देना चाहते हैं कि बिहार में सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जायें और बिहार की जमीन में उर्वरा शक्ति है, ऐसी स्थिति में केवल उत्तर बिहार पूरे हिन्दुस्तान को छः महीने का भोजन दे सकता है। इसलिए हम आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि बिहार की सरकार बाढ़ जल निकासी के लिए कुछ नहीं कर सकती है। अगर आप कुछ करने की स्थिति में हैं, तो इस दिशा में आप कदम उठाइए। बिहार सरकार को आप जो भी पैसा देते हैं, वह सब घोटाले में चला जाता है। इस बात को आप जानते हैं, इसलिए मेरी मांग है कि आप एजेंसी बदलकर और नेपाल सरकार से वार्ता करके इस समस्या पर नियंत्रण पाने का प्रयास कीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वारस): सभापति महोदय, सदन में बाढ़ की समस्या पर चर्चा हो रही है और आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसलिए सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

महोदय, मैं दो दिन से इन्तजार कर रहा था कि इस चर्चा में मैं भाग ले सकूं और आज मुझे बोलने का मौका मिल गया। पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। इस क्षेत्र में विशेषकर रेडक-I, संकुश, तुरसा, बसरा दीमा, कालजनी, दैना आदि नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। भूटान हमारा पड़ोसी देश है। जाईगांव नाम का एक गांव बाढ़ की वजह से बरबाद हो चुका है। नदी का पानी इस गांव को ले डूबा है। इस क्षेत्र के बीस चाय-बागान पानी में डूब गए हैं। इन चाय बगान से केवल राज्य सरकार को ही नहीं, बल्कि केन्द्रीय सरकार को भी रेवेन्यू मिलता है। बसरा, दीमा, देना, हंसीमारा नदियां

सायं 6.47 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

भूटान देश से हमारे देश में आती हैं। भूटान में डोलोमाइट खत्म होता जा रहा है, क्योंकि वर्षा अधिक होने से मिट्टी में कटाव हो रहा है और बाढ़ के साथ रेत तथा पत्थरों का जमाव यहां हो जाता है। इन चीजों के जमाव के कारण नदी की सतह राइज कर जाती है और फिर नदी का पानी बाढ़ का रूप लेकर गांवों को क्षतिग्रस्त कर देता है। चाय-बगान नष्ट कर देता है और हजारों घरों को बरबाद कर देता है। बाढ़ से एक लाख 38 हजार लोग पीड़ित हैं। भूटान से बाढ़ जब हमारे देश में आती है, तो हिन्दुस्तान में भूटान के लोगों की लाशें और सामान मिलता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इंडो-भूटान-ज्वाइंट-रिवर कमीशन का गठन करना चाहिए। मुझे उम्मीद है, माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

इसके साथ-साथ मुझे यह भी बताया है कि जलधा का हाइडल प्रोजैक्ट भी इस बाढ़ को वजह से. खतरे में पड़ गया है। इसलिए मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप इसका खुद जाकर सर्वेक्षण करें और समीक्षा करें। जो हानि हुई है उसके लिए आप राहत कोष से उन्हें राहत देने का प्रबंध करें और इसके परमानेंट सोल्यूशन के लिए आप लोग सोचें। परमानेंट सोल्यूशन एक ही हो सकता है, ...*(व्यवधान)* इंडो-भूटान ज्वाइंट रीवर कमीशन का गठन करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.): महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बहस प्रारम्भ हुई है। बाढ़ से प्रतिवर्ष देश के अनेक भागों में नुकसान होता है। जहां बाढ़ से नुकसान होता है वहीं पर कई बार ऐसी घटना घट जाती हैं, जिसके कारण, कई वर्षों से जो प्रदेश का विकास हुआ होता है उस पर पानी फिर जाता है। ऐसी घटनाएं कई प्रदेशों में घटी हैं। अभी हाल ही में,

हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह की घटना हुई। अनुमानतः 2000 करोड़ रुपए का नुकसान इस बार हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से हुआ है। मैं समझता हूं कि इस नुकसान के कारण कई वर्ष हिमाचल प्रदेश को उबरने में लगेंगे। नुकसान कई तरह का होता है, वैसे वहां नेशनल हाईवे टूट गया जिसके टूटने से वहां दूरसंचार व्यवस्था पूरी तरह तहस-नहस हो गई। लोगों की जो बुनियादी जरूरतें हैं, जैसे पीने का पानी, स्कूलों में कमरे—सारे ध्वस्त हो गए हैं।

महोदय, बाढ़ के कारण जो नुकसान होता है, इसका अनुमान भी ठीक-ठीक लगाना कठिन होता है। मैं समझता हूं कि ऐसी विषय स्थिति में जब हिमाचल प्रदेश का बहुत भारी नुकसान हुआ है, जहां बाढ़ के कारण कुछ प्रदेशों में नुकसान होता है, उसमें जो पहाड़ी प्रदेश हैं, उनकी तरफ भी मैं विशेष ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पहाड़ी प्रदेशों के ऊपर पर्यावरण संतुलन का दायित्व है। वे अपने पेड़ों को काट नहीं सकते। जब उन प्रदेशों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उसके कारण भी कई बार पेड़ों का कटान भी होता है। इस कारण भू-क्षरण बढ़ता है और वहां बाढ़ की विभीषिका बार-बार आती है। इसीलिए देश के हित में वे लोग अपनी कुर्बानी देते हैं। देश का पर्यावरण संतुलन ठीक रहे, इसके लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देश के विकास में देते हैं। मेरा निवेदन है कि पहाड़ी प्रदेशों के लिए केन्द्र से अधिक बजट का प्रावधान होना चाहिए ताकि वे पर्यावरण संतुलन के अंदर ठीक ढंग से योगदान दे सकें और देश के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। जहां इस तरह का दायित्व इन प्रदेशों पर है, वहीं पर इन प्रदेशों की अपनी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि वे इस नुकसान को अपने संसाधनों से पूरा कर सकें। मुझे लगता है कि पहाड़ी प्रदेशों के लिए अलग से ऐसी कोई योजना बनानी चाहिए ताकि जो ऐसी घटनाएं घटती हैं, जिनको बाढ़ से जोड़ा जाए या न जोड़ा जाए, लेकिन ऐसी घटनाएं जो कभी-कभी घटती हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान करती हैं, इन विषयों को थोड़ा अलग रख कर इनके साथ न्याय करने की जरूरत मैं समझता हूं।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र ऊना जिले में 73 छोटी-छोटी नदियों में हर साल बाढ़ आती है और उस बाढ़ से जिले के किसानों की काफी भूमि बह जाती है। उस क्षेत्र में बहुत वर्षों से यही क्रम चला हुआ है, जिसके कारण किसान बहुत पीड़ित हैं। पिछले दिनों जल संसाधन मंत्रालय की स्वीकृति से एक योजना बन कर तैयार हुई है।

महोदय, उस योजना के लिए 600 करोड़ रुपये के प्रावधान की जरूरत है। अगर केन्द्र सरकार मदद करे तो उस जिले का जहां बाढ़ से बचाव होगा वहीं वह अन्न का उत्पादन करके देश के विकास में भी अपना योगदान दे सकता है।

उपाध्यक्ष जी, हिमाचल में जो भयावह घटना घटी है, उसका वर्णन हमारे माननीय महेश्वर सिंह जी ने विस्तार से किया है। आज हिमाचल प्रदेश को अधिक आर्थिक सहायता की जरूरत है। जहां दो हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है वहां के लिए कम से कम पांच सौ करोड़ रुपया सहायता के रूप में मिलना चाहिए। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और कृषि मंत्री जी का आभारी हूं कि 100 करोड़ रुपया उन्होंने तत्काल दिया जिससे हिमाचल प्रदेश में लोगों को सुविधा मुहैया कराने में सरकार को सहायता मिले।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो आवश्यक सहायता हैलिकोपटर्स द्वारा पहुंचाई जा रही है, उसके खर्चे को भी अगर केन्द्र सरकार वहन करे तो अधिक उचित होगा।

अंत में मैं निवेदन करूंगा कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए केन्द्र सरकार और अधिक सहायता दे, जिससे उस प्रदेश में जो लोगों की जान और माल का नुकसान हुआ है, उसमें उन्हें राहत मिल सके।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि अनेक रुकावटों के बावजूद सरकार इस वाद-विवाद को शुरू कराने के लिए सहमत हो गई। इसके अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों ने माननीय अध्यक्ष महोदय की विवेक और आप जैसे आदमी के विवेक के साथ इस सभा में यह वाद-विवाद शुरू करने का निर्णय लिया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमारा क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश भयंकर बाढ़ का सामना कर रहा है, ऐसी बाढ़ का सामना इसने अपने इतिहास में आज तक कभी नहीं किया। वहां के लोग शेष भारत से कट गए हैं। उस क्षेत्र में यह भावना घर कर गई है कि भारत सरकार देश के अन्य भागों में इस तरह की भयंकर बाढ़ का सामना करने में पूरी मदद देती है जबकि पूर्वोत्तर के मामले में ऐसा नहीं हो रहा है। मैं नहीं जानता यह कहां तक सच है। मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूं।

यहां हमारे दो मंत्री हैं - श्री नीतीश कुमार और श्री अर्जुन सेठी। वे जमीनी हकीकत की जानकारी रखने वाले मंत्री हैं। मेरे क्षेत्र में लोगों का आर्थिक स्तर बहुत गिरा हुआ है। वे मुख्य धारा से बिल्कुल अलग-थलग हैं। सड़क सम्पर्क ही उनका एकमात्र सम्पर्क है। उनके पास रेल सम्पर्क नहीं है। हवाई सम्पर्क भी अनियमित है। इन चीजों पर विचार करते हुए, मैं एक सुझाव दूंगा। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के संसद सदस्यों में से एक सदस्य होने के नाते मैं अनुरोध करूंगा कि वहां एक दल जाए, स्थिति का

[श्री संतोष मोहन देव]

मूल्यांकन करे और इस संबंध में उचित कदम उठाए। कृपया यह मत भूलिए कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां एक भी आतंकवादी गिरोह नहीं है। वह राष्ट्रीय मुख्यधारा में है। गुंडागर्दी और धमकियों से परेशान लोगों की संख्या सबसे कम है। यदि आप अरुणाचल प्रदेश की जेलों में जाएं तो वहां आपको मुश्किल से एकाध अपराधी देखने को मिलेगा। इसलिए, हमें अरुणाचल प्रदेश के लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

हम इस विषय को चर्चा के लिए सभा के समक्ष लाने के लिए अपने नेता श्री दासमुंशी और अन्य लोगों की मदद से प्रयास कर रहे हैं। मैंने अरुणाचल प्रदेश के लोगों का क्षोभ देखा है।

श्री नीतीश कुमार और श्री अर्जुन सेठी मैंने हाल ही में अखबार में पढ़ा है कि चीनी शिष्टमंडल भारत में आया था और नदियों और अन्य चीजों के बारे में कुछ चर्चा की थी। वे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ आंकड़ों जो हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं का आदान-प्रदान करने के लिए सहमत हो गए हैं। भारत सरकार ब्रह्मपुत्र नदी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है जैसाकि मेरे साथी श्री विजय हांदिक ने कहा कि हमारे यहां वर्ष में एक या दो नहीं बल्कि तीन बार बाढ़ आती है। ब्रह्मपुत्र नदी कष्ट का कारण बन गई है। इसने पुलों, सड़कों और घरों का फसलों, पशुओं और क्या नहीं, सब कुछ बहा दिए हैं। एक समय था जब भारत सरकार हमारी काफी मदद करती थी। लेकिन बदली हुई परिस्थिति के कारण सम्भवतः न केवल असम के संबंध में बल्कि सम्पूर्ण देश के संबंध में ड्रेनेज एंड एम्बैकमेंट डिपार्टमेंट को अब न्यूनतम सहायता मिल रही हो।

सायं 7.00 बजे

मेरे अपने चुनाव क्षेत्र, सिलचर में कम से कम 120 ऐसे पुल हैं जो गत 6 वर्षों से क्षतिग्रस्त हैं। इनके लिए कुछ नहीं किया गया है। वही स्थिति करीमगंज, हैलाकंडी और बराक घाटी की है जिसे शांत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। हम असम सरकार के पास जाते हैं लेकिन वह कहती है कि धन उपलब्ध नहीं है। यहां अनेक पुल ऐसे हैं जो टूट गए हैं। कोई मरम्मत कार्य नहीं किया गया है। हम विश्व बैंक, नाबार्ड और संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से प्राप्त धनराशि से सड़कों की मरम्मत का कुछ कार्य कर रहे हैं। लेकिन इस तरह हम कब तक करते रहेंगे? पहले हमें फ्लड डैमेज फंड से सहायता मिलती रही है। अब, यह नहीं आ रही है।

मैं इस संबंध में झांगेर घाटी का नाम ले सकता हूं। यहां महिलाओं को नदी से जाना पड़ता है, नदी से आना पड़ता है और फिर नदी से जाना पड़ता है उसके बाद वे अपने घरों को जाते हैं। सुनापुर, 32 नम्बर सर्किल, सोनाई, बोरखोला सभी जगह यही स्थिति है। भारत सरकार वित्तीय संकट का सामना कर रही है, इसे मैं जानता हूं। वर्तमान स्थिति सम्पूर्ण देश में व्याप्त है। कुछ किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि विश्व बैंक से ब्रह्मपुत्र को नियंत्रित करने के लिए मदद देने हेतु आगे आना चाहिए। हमें चीन के सहयोग से मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए क्योंकि ब्रह्मपुत्र का स्रोत चीन में है। अब चीन के साथ हमारे संबंधों में बहुत सुधार आया है। मैं सरकार से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि इस दिशा में कुछ कदम उठाने होंगे।

सिल्चर-शिलांग मार्ग हमारी जीवन रखा है। श्री नीतिश कुमार वहां गए हैं। भू-स्खलन के कारण यह मार्ग पिछले पन्द्रह दिन से इस्तेमाल में नहीं आ रहा है। मैं श्री नीतिश कुमार अथवा श्री अर्जुन सेठी से अनुरोध करता हूं कि वह युद्ध स्तर पर कार्य पूरा करने हेतु सीमा सड़क संगठन को एक पत्र लिखे इस रोड से मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और असम की बारक घाटी को यातायात चलता हैं। मैं इसकी प्रगति की जानकारी लेता रहा हूं लेकिन दुर्भाग्यवश कार्य की प्रगति अच्छी नहीं है। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह सिल्चर-शिलांग मार्ग के संबंध में तत्काल कदम उठाने के लिए सीमा सड़क संगठन को एक पत्र भेजें और यह जांच करें कि सड़क की मरम्मत का कार्य तत्काल हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय घंटी बजा रहे हैं। मैं उन्हें नाराज करना नहीं चाहता। उपाध्यक्ष महोदय, आप भाग्यवान हैं कि आपके क्षेत्र में बाढ़ नहीं आई है। अतः इसे गहराई से महसूस नहीं कर सकते *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा क्षेत्र पूर्ण रूप से समुद्र से ढका हुआ है। माननीय मंत्री वहां आए हैं और देखा है।

श्री संतोष मोहन देव : मैं अक्तूबर में वहां जा रहा हूं। मैं वह स्थान देखूंगा।

मैं अनुरोध करता हूं कि बाढ़ के बारे में इस चर्चा के बाद आप वित्त मंत्रालय और योजना के साथ बातचीत करें और इसका अल्पकालीन और दीर्घकालीन हल तलाश करने का प्रयास करें। अल्प कालीन हल यह है कि राज्यों की बैठक बुलाएं और उन्हें बताएं कि गांव में सामान्य आदमी के लिए बुनियादी जीवन रेखाओं (मार्गों) की मरम्मत की जाए। मैं जानता हूं कि ऐसा एक बार किया गया था जब श्री विद्याचरण शुक्ल मंत्री थे। हमारे अनुरोध पर उन्होंने ऐसा किया था और इस बात के लिए हम आभारी हैं।

मैं जानता हूं कि श्री नीतिश कुमार जनता के आदमी हैं और मेरे मित्र श्री अर्जुन सेठी भी एक आम आदमी हैं। मैं उनसे कुछ कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

आप लोगों ने क्या-क्या डिबेट किया, डिबेट हो गया, फिर पेपर में आ गया। आप लैक्चर देकर चले गए और मिनिस्टर साहब अपने घर चले गये।

[अनुवाद]

हमारी संसद के बारे में लोगों की यह भावना है, जिसका प्रबंध उपाध्यक्ष महोदय, बहुत कुशलतापूर्वक कर रहे हैं। आप सरकार से हमें कुछ धनराशि हमें सहायतार्थ देने के लिए कहें। आजकल माननीय अध्यक्ष महोदय सरकार से कुछ नहीं कहते।

महोदय, कभी-कभी आपको सरकार को निर्देश देना चाहिए जैसाकि आपने आज नियम 184 के तहत चर्चा के मामले में किया है। मैं उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। नियम 184 के तहत चर्चा के कारण सरकार नहीं गिरेगी। आप यदि निर्देश देते हैं तो आपका सम्मान लोगों की नजर में कम नहीं होगा। वास्तव में असम के लोग आपको याद करेंगे कि उनकी राहत के लिए कुछ धनराशि देने के लिए आपने सरकार को निर्देश दिया है। अतः इस संबंध में सरकार को निर्देश देने की कृपा करें।

[हिन्दी]

श्री रामपाल सिंह (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है और बाढ़ और सूखे दोनों के कारण नुकसान कृषि का होता है। जान-माल की भी हानि होती है। 1998 में हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भयंकर बाढ़ आई थी और उससे जो बरबादी हुई, आज तक उन सड़कों, नदियों और बांधों की पूरी-पूरी मरम्मत नहीं हो पाई है। पूरा उत्तर प्रदेश बाढ़ की चपेट में था जिसमें हमारा जिला सिद्धार्थ नगर और महाराजगंज, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया आदि जिले बाढ़ से प्रभावित थे। यहां तक कि गोरखपुर से लखनऊ की रोड कट गई थी। नेपाल की तरफ के जिलों का सम्पर्क तहसीलों से कट गया था, जिन्हें बनाने में सालों-साल लग गये। माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वयं हवाई जहाज से क्षेत्र का दौरा किया था, वहां सैंट्रल टीम भी गई थी, जैसा कि होता है। बाढ़ से लोगों की जो क्षति हुई थी, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के तमाम प्रयत्नों के बावजूद उस क्षति की आज तक भरपाई नहीं हुई। अनेकों गांवों का सत्यानाश हो गया। अधिकतर मकान ढह गये थे, जो अभी तक नहीं बन पाये हैं। लोगों को राहत के नाम पर पैसे दिये गये, मकान बनाने के लिए सब्सिडी दी गई, लेकिन जैसे उनके मकान थे, सरकार ने कितना भी किया, वे ठीक नहीं हो पाये। इसलिए जब बाढ़ आये, तब यह सब न किया जाए। बाढ़ आने से पहले ही एक मास्टर प्लान बनाया जाए। इसलिए जल संसाधन मंत्री जी को नियम 377 के अधीन मैंने एक नोटिस दिया था, जिसका जवाब आया कि गंगा बेसिन की नदियों की बाढ़ को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य सरकारों को कहा गया है। इसमें कहने-सुनने से काम नहीं होता है। नेपाल से नदियां आती हैं। हमारा जिला सिद्धार्थ नगर नेपाल सरहद पर बसा हुआ है। हमारे जिले की 58 किलोमीटर बाउंड्री नेपाल से मिली हुई। इन नदियों की बाढ़ को रोकने के लिए पहले जो योजनाएं बनी थीं उनमें भालू बांध योजना, जलकुंडी योजना प्रमुख हैं। जब तक ये योजनाएं नहीं बनाई जायेंगी और नेपाल सरकार से बात नहीं की जायेगी, तब तक बाढ़ का कोई मुस्तकिल प्रबंध नहीं हो पायेगा। हां, ऐसे ही बाढ़ें आयेंगी, बरबादी होगी। कुछ रुपया केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को चला जायेगा। राज्य सरकारें गांव-गांव में घर गिराई बंटवा देंगी और इसी तरह रस्म अदायगी होती रहेगी। इसलिए इसके बारे में कोई सही रास्ता निकालना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज नदियां, पटके और उनकी सतह ऊंची हो गई है, जिन्हें गहरा करने की जरूरत है। बंदा तो बना दिया, लेकिन नदियां उतनी गहरी नहीं रहीं, इसलिए पानी उनसे ऊपर उछलकर बह रहा है। इसलिए महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि बार-बार हर मर्तबा जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि रस्म अदायगी से कोई फायदा नहीं होगा। इस पर सभी सदस्य जो यहां बैठे हैं, इस चर्चा में भाग ले रहे हैं और जो नहीं है, वे सब मिलकर ऐसी योजना बनायें, माननीय मंत्री जी, प्रधान मंत्री जी और जहां से भी सहायता मिले, इसे किया जाए, ताकि हर साल होने वाली बरबादी से किसान बच सके और जो पैसा बाढ़ के बाद पुनर्वास और राहत के नाम पर बचता है, उसी पैसे को ज्यादा से ज्यादा मास्टर प्लान के तहत थोड़ा-थोड़ा देकर हर साल बाढ़ से बचाया जाए। एक योजना पहले के. लाल साहब के जमाने में बनी थी कि उत्तर से दक्षिण की नदियों को मिला दिया जाए, जिससे कि बाढ़ और सूखे दोनों से बचा जा सके। अभी पिछली लोक सभा में डिसकस हुआ था कि यह काफी पैसे की योजना है। ठीक है, हम मानते हैं कि यह बहुत पैसे की योजना है, लेकिन इस पर थोड़ा-थोड़ा काम किया जाए तो आखिर किसी दिन तो काम पूरा हो ही जायेगा। अगर हम यही सोचते रहे कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगेगा तो वह योजना कभी नहीं बन पायेगी। इसलिए माननीय कृषि मंत्री जी से मेरा यही अनुरोध है कि जैसे एक मर्तबा श्री सी.पी. ठाकुर जल संसाधन मंत्री थे, उन्होंने इस विषय में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल आदि प्रांतों के लोगों की बैठक भी बुलाई गई थी कि इसके लिए क्या किया जाए।

सब लोगों के सुझाव भी उसमें आए। इस तरह से सुझाव लेकर इसको ठीक करने की जरूरत है और इसके लिए कोई मास्टर प्लान बनाकर काम किया जाएगा तभी हर साल हम लोग बाढ़ से राहत पाएंगे, इतना ही मुझे कहना है।

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जानते हैं कि मैं इस सदन के वरिष्ठतम सदस्यों में से हूं। मैं आठवीं बार यहां आया हूं। इस लम्बी अवधि के दौरान मैं समझता हूं कि ऐसा कोई वर्ष नहीं है जब हमने बाढ़, सूखा अथवा ऐसी ही किसी समस्या पर चर्चा नहीं की हो। यह स्थिति है। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हम इस पर वाद-विवाद कर रहे हैं। मैं नदियों के किनारे बनाने की मांग करता हूं। हम वनरोपण की मांग करेंगे। हम कुछ अन्य वस्तुओं की मांग क.ें। सरकार की ओर से माननीय मंत्री कहेंगे, "ठीक है, आप को इतनी धनराशि आवंटित कर दी गई है।"

इस संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पिछले वर्ष वह कृषि मंत्री नहीं थे। उनके पूर्ववर्ती थे। पिछले वर्ष पश्चिम बंगाल में बाढ़ आई थी। चौदह जिले प्रभावित हुए थे। उस समय राज्य सरकार ने 725 करोड़ रुपए की मांग की थी और उन्होंने एक केन्द्रीय दल भेज दिया था। उस दल ने अनेक स्थानों का दौरा किया। वहां से आकर सरकार ने केवल 29 करोड़ रुपए दिए। केन्द्रीय दल ने 200 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की थी। क्या मैं केन्द्रीय दल भेजने के मूल्यांकन के बारे में जान सकता हूं? क्या यह अनावश्यक कार्य नहीं है? आप कह सकते हैं, "यह लाटरी थी। पांच करोड़ रुपए 'ए' राज्य को, 'बी' राज्य को दो करोड़ रुपए और 'सी' राज्य को तीन करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।" वह इस ढंग से धनराशि बांट सकते थे। इस प्रकार की बात नहीं की जानी चाहिए।

1 अगस्त से पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों विशेषकर दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार में भारी वर्षा हुई है। नदी चढ़ाव पर थी। ऊपरी केचमेंट क्षेत्र में भी वर्षा हुई है। सम्पूर्ण उत्तरी बंगाल में पानी से बाढ़ आ गई। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थिति और आयाम क्या हैं? लगभग तीन सौ घर बह गए हैं। लगभग 400 घरों को क्षति पहुंची है। लगभग पांच लाख आदमी बाढ़ से पीड़ित हुए हैं। लगभग दो हजार पशु मर गए हैं। यह स्थिति है। क्या आपने अभी तक एक भी दमड़ी भेजी है। नहीं।

हम चर्चा कर रहे हैं कि हम बाढ़ को कैसे रोक सकते हैं? इस पर अनेक बार चर्चा की गई है। आज मैं उन सभी बातों को दोहरा रहा हूं। वर्ष 1950 में एक आयोग गठित किया गया था। यह बात श्री के.एल. राव के समय की बात नहीं है। वर्ष 1950 में ब्रह्मपुत्र-कृष्णा-गोदावरी नहर अर्थात् उत्तर से दक्षिण तक के बारे में उल्लेख था। वहां एक रिवर ग्रिड बनाया जाए। क्या आपने आज तक इस स्थिति पर ध्यान दिया है? नहीं।

वर्ष 1965 में उत्तर बंगाल और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का नियंत्रण करने के लिए मानसिंह समिति की रिपोर्ट आई थी। क्या आपने उस रिपोर्ट को पढ़ा है? इसका उत्तर है, 'नहीं'।

पिछली बार भी हमने प्रयास किया था। विशेषकर बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सदस्यों ने मांग की थी कि नेपाल और भूटान की सरकारों और अन्यों के साथ बातचीत की जाए। आपने ऐसा नहीं किया। आप पानी को कैसे रोक सकते हैं? उत्तर बंगाल का उदाहरण लीजिए। हम भूटान से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं।

भूटान में वनों को निर्ममतापूर्वक काटा जा रहा है। वे डोलोमाइट का खनन कर रहे हैं अर्थात नदी का पानी उस भाग में बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगी।

महोदय, अब हम तटबंधों की बात कर रहे हैं। लेकिन तटबंधों के संबंध में स्थिति क्या है? नदी तल में गाद भरी है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। भविष्य में हमें अपने बच्चों और अपने बच्चों के बच्चों से पूछना पड़ेगा कि नदी कहां है। नदी नीचे नहीं है बल्कि बाढ़ के कारण ऊपर बह रही है और हम उसकी सतह से नीचे हो गए हैं। यही स्थिति सम्पूर्ण भारत की है। यदि यह स्थिति है तो क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या देश भर में बाढ़ों को रोकने के लिए किसी आयोग का गठन किया है? वह सूखा प्रवण क्षेत्रों में पानी कैसे भेज सकते हैं? ये सभी बातें उपयुक्त समय और उपयुक्त ढंग से उठानी होंगी।

महोदय, ये गतिविधियां अत्यधिक निन्दनीय हैं। जब हम बाढ़ से प्रभावित रहे हैं तो उस समय अनेक क्षेत्र अलग-थलग हो गए हैं। रेल लाइनें बह गई हैं। अब कुछ सड़क मार्ग बनाए गए हैं लेकिन कुछ भागों में रेल सम्पर्क स्थापित नहीं हो सका है।

माननीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं। भारतीय खाद्य निगम ने पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में भण्डारण के कार्यों को बन्द करने और गोदामों की सुविधा केवल सिलिगुड़ी में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। अलीपुर द्वार और जलपाईगुड़ी में ये सुविधाएं वापिस ले ली गई हैं। वे अन्य लोगों को खाद्य आपूर्ति कैसे करेंगे? इस समय यह स्थिति है। वे दूसरे लोगों के बारे में चिंता नहीं करते।

मैं माननीय मंत्री से अपने क्षेत्र में आने और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ करने का अनुरोध करता हूं। मैं माननीय मंत्री से कुछ धनराशि मंजूर करने और केन्द्रीय दलों पर निर्भर न रहने का भी अनुरोध करता हूं क्योंकि

कोई नहीं जानता कि ये केन्द्रीय दल प्रभावित क्षेत्रों का कब दौरा करेंगे और बाढ़ से पीड़ित इन दबे-कुचले और निर्धन लोगों के लिए कब धनराशि मंजूर करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार): समय देने के लिए धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ पर चर्चा चल रही है। कहा गया है कि प्रति वर्ष इस पर चर्चा होती है, लेकिन बाढ़ की वही स्थिति रहती है जो पिछले वर्षों होती रही है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने एक अनुमान लगाया था कि इस देश में 40 मिलियन हैक्टेयर फ्लड प्रोन एरिया है जिसमें से 32 मिलियन हैक्टेयर में सुरक्षात्मक कार्रवाई की जा सकती है, उसमें सुरक्षा दी जा सकती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक भारत सरकार ने इसके लिए काफी पैसे खर्च किए। करीब 19 हजार किलोमीटर से ज्यादा बांध बनाए गए, 32 हजार किलोमीटर से ज्यादा ड्रेनेज बनाए गए। इसके बावजूद दुनिया में आज यह स्थिति है कि बंगलादेश के बाद भारत का स्थान है जहां बाढ़ से सबसे ज्यादा क्षेत्र प्रभावित होता है या सबसे ज्यादा नुकसान होता है। आज स्थिति यह है कि जहां 50 के दशक में इस देश में 16 मिलियन आदमी विस्थापित होते थे, वहां 80 के दशक में यह आंकड़ा बढ़कर 53 मिलियन पहुंच गया है और स्थिति यहां तक बदतर हो गई है कि प्रति वर्ष बाढ़ से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या 30 मिलियन तक पहुंच गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक तकरीबन 41-42 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान फसल की बरबादी के रूप में, मकानों की बरबादी के रूप में या सड़कों की बरबादी के रूप में हो चुका है। अब स्थिति यह है कि बाढ़ की वजह से पूरे देश में प्रति वर्ष 1500 जानें जाती हैं। 1977 में 11 हजार से ज्यादा आदमी बाढ़ से मर गए। बहुत सारे कार्यक्रम बने, लागू किए गए, चर्चा होती है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से दूसरी बात कहना चाहता हूं। बड़ा प्रयोग हुआ, बांध बनाने का ड्रेनेज निकालने का, बाढ़ को रोकने का, लेकिन बात वही हुई कि "ज्यों-ज्यों दवा की, मर्ज बढ़ता ही गया।" इसलिए दुनिया में एक दूसरा विचार आया है कि नदियों को बांधो मत बल्कि बांध दो आबादी को, नदियों को यथावत बहने दो। मैं अपना एक तजुर्बा बताता हूं। मेरे घर के बगल में एक बूढ़ी नदी बहती है। 1938 में वहां बांध टूटा। उस समय मैं छ:-सात बरस का था। मेरे घर के निकट मात्र डेढ़ फीट पानी आया था। आज उसी जगह, उस नदी में बांध टूटे तो हमारी छत से ऊपर होकर पानी बहेगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना से नदी पर बांध बांधने का प्रयोग देश में शुरू हुआ तब से नदी का बेड ऊंचा होता जा रहा है। जब नदी का बेड ऊंचा हो रहा है तो प्रति पांच वर्ष के बाद फिर सरकार कहती है कि बांध को ऊंचा करो। इससे बांध की ऊंचाई इतनी बढ़ती जा रही है कि जहां कहीं बांध टूटता है वहां प्रलयंकारी दृश्य पैदा होता है। हवांगो नदी को बांधा गया। आज हवांगो नदी का बेड 13 फीट ऊंचा हो गया है जिसके चलते आज चाइना के सामने भी यह सवाल है कि कभी बांध टूटेगा तो शायद उसकी बहुत बड़ी आबादी बर्बाद हो जायेगी। इसलिए दुनिया में अब यह प्रयोग आया है कि नदियों को मत बांधो, आबादी को बांधो। इस प्रयोग में नेचुरल गति के साथ, प्रकृति के साथ छेड़खानी मत करिये। अगर इसके साथ छेड़खानी करोगे तो इस तरह की परिस्थिति देश और दुनिया में पैदा होगी जैसे कभी उड़ीसा बर्बाद हो गया। जैसे अभी हिमाचल प्रदेश की चर्चा कर रहे थे तो कभी अरुणाचल प्रदेश में अननेचुरल ढंग से प्रकृति कुपित होकर यह परिस्थिति पैदा करती है। मेरा कहना है कि ऐसा होता रहेगा। इसलिए नदियों को छेड़ो मत बल्कि उन्हें बहने दो। क्योंकि यह देश आज का नहीं है, सदियों का है, हजारों वर्षों का देश है। तब भी नदी थी, तीन तरफ से समुद्र से घिरे हुए थे, हमारी बगल में पहाड़ भी थे और नेपाल भी था। वहां का पानी यहां आता था लेकिन वह परिस्थिति पैदा नहीं होती थी जो पिछले 50 वर्षों से पैदा हो रही है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि नदियों को एक दूसरे के साथ जोड़ दो। जिस तरह से पावर नैशनल ग्रिड आपने जोड़ा है, उसी तरह से नैशनल वाटर ग्रिड हो। सभी नदियों को एक साथ जोड़ने का काम करें, नहीं तो यही होता रहेगा कि एक हिस्सा देश का बाढ़ से प्रभावित है और दूसरा सुखाड़ से प्रभावित है। आप देश की बात छोड़ दो। मैं बिहार में खुद देखता हूं कि हमारे कुछ जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और कुछ जिले सुखाड़ से प्रभावित हैं। अगर नदियों को जोड़ देंगे तो जो सरप्लस पानी है, वह दूसरे क्षेत्र में बहता रहेगा और कहीं भी ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होगी।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि 1956 में डाक्टर लोहिया ने कहा था कि पांच साल, दस साल या पन्द्रह साल में नदियों को साफ करो। उसमें जो मिट्टी जमा होती है, उसको बाहर निकालने का काम करो। मैं कहना चाहता हूं कि फ्लड कंट्रोल तो हुआ लेकिन अब ड्राउट कंट्रोल भी होना चाहिए। वह इसलिए क्योंकि जब नदियों का पानी खेत में जाता था तो उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती थी। खेत में कीड़े-मकौड़े होते थे, वे मरते थे लेकिन अब नदी का पानी खेत में नहीं जाता। नई मिट्टी जाती नहीं है इसलिए खेत की उर्वरा शक्ति समाप्त हो रही है। फसलों में बीमारियां होती हैं, काफी कीड़े-मकौड़े होते हैं, जो कि फसलों को बर्बाद करते हैं। ...*(व्यवधान)* अंतिम बात कहकर मैं अपनी

[श्री रामजीवन सिंह]

बात समाप्त करना चाहूंगा। मेरा सुझाव है कि तमाम नदियों को जोड़ो। और फिर आप रिजरवायर बना दें, डैम बना दें ताकि नदी का पानी हमारे लिए अभिशाप न होकर वरदान बन जाये। यह कुदरत की देन है इसलिए, आप इसे साफ करने का काम करें। 1970 में ठीक ही कहा है ...*(व्यवधान)* श्री के.एल. राव ने जब इरीगेशन मिनिस्टर थे तब उन्होंने एक सुझाव दिया था कि गंगा और कावेरी को जोड़ो। इस पर सरकार को अमल करना चाहिए। इसलिए नदियों को जोड़ो, नदी को बांधो नहीं। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम नगीना मिश्र—अनुपस्थित।

श्री बैसीमुथियारी—अनुपस्थित।

श्री हरिभाऊ शंकर महाले।

श्री हरिभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस सदन के माननीय सदस्य श्री रामजी लाल सुमन जी ने नियम 193 के अन्तर्गत बाढ़ पर बड़ी दर्दभरी चर्चा उठाई। इस संबंध में कई माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये। उन्होंने बहुत अच्छी चर्चा की। उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि बाढ़ एक नैसर्गिक संकट है लेकिन मानव निर्मित है, सरकार निर्मित है।

1977 में इसी सदन में ऐसी चर्चा हुई थी। पुराने संसद सदस्य यहां हैं। मोरारजी भाई उस वक्त पंथ प्रधान थे। उन्होंने खड़े होकर बोला था कि मैं उत्तर प्रदेश की नदियों को दक्षिण भारत में ले जाऊंगा। एक सदस्य ने कहा कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा तो उन्होंने कहा कि पैसे की चिन्ता नहीं है। मैं कहीं से भी पैसा लाऊंगा। बाढ़ एक राष्ट्रीय आपदा है, महान आपदा है, मानव का संकट है और खेती के लिए भी संकट है। मैं इसे दूर करने का प्रयास करूंगा। जैसा रघुनाथ बाबू ने कहा, हर साल जो खर्चा होता है, उसमें अधिकारी पैसा खाने का मार्ग निकालते हैं। हमें इस मार्ग को बंद करना है। जैसा अन्य सदस्यों ने सुझाव दिया, उसके बारे में मैं विनती करता हूं।

महाराष्ट्र में ऐसा कभी नहीं हुआ लेकिन चालू वर्ष में एक महीने बारिश हुई और बाढ़ आ गई। इतना ही नहीं, जलगांव में एक विधायक का चिरंजीव बाढ़ से बह गया। इतनी खराब परिस्थिति है। तीन हफ्ते से बिल्कुल बारिश नहीं हुई, सूखा भी चल रहा है। मेरी केन्द्र सरकार से विनती है कि एक कमेटी भेजी जाए और बाढ़ के राष्ट्रीय संकट को दूर करने के लिए अच्छी तरह उपाय किए जाएं। राज्यों को राहत के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाए। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुबोध राय (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्रों ने बहुत सारी बातें कही हैं। यह बात ठीक है कि इस पर पिछले बीस वर्षों में सदन में बहस होती रही है, बहुत से सुझाव आते रहे हैं, एक से एक कीमती सुझाव आए, बावजूद इसके हमारे यहां बाढ़ की समस्या के लिए जो ठोस उपाय किए जाने चाहिए, उन पर अभी तक कोई काम नहीं किया गया है। इसलिए मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि यह प्राकृतिक आपदा अब न तो प्राकृतिक आपदा रह गई है, न मानवीय भूल है बल्कि इसने मानव निर्मित आपदा का रूप ले लिया है। इसलिए आज जरूरत है कि हमारे देश के बड़े-बड़े वैज्ञानिक, विशेषज्ञों को लेकर इसके उपाय निकाले जाएं और खासतौर से जब बाढ़ की भीषण परिस्थिति है तो उसमें प्रधान मंत्री और दूसरे मंत्रियों के हैलीकॉप्टर में भ्रमण करने से काम चलने वाला नहीं है। वैसी स्थिति में सर्वदलीय नेताओं का दूर होना चाहिए और उनकी सिफारिशों पर सरकार को अमल करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फंड देना चाहिए और मानवीय संकटों को दूर करने की दिशा में पर्याप्त कदम उठाने चाहिए।

चाहे बिहार का सवाल हो, पश्चिम बंगाल हो, अरुणाचल, असम, हिमाचल प्रदेश हो, सभी जगह आज यह समस्या मुंह बाएं खड़ी है। मैं अपने क्षेत्र की एक समस्या बताना चाहता हूं। आज अनाप-शनाप ढंग से कई जगहों पर बांधों और प्रौजैक्टों का निर्माण हुआ है जिसके चलते बाढ़ की समस्या पैदा हुई है। मेरे यहां कहलगाम में एन.टी.पी.सी. ने कोयला लाने के लिए जो रेलवे लाइन बनाई है, उसके चलते आज एक हजार एकड़ से ज्यादा एरिया वहां बाढ़ में डूब जाता है, जल जमाव की समस्या होती है और हर साल लाखों रुपयों की फसल बर्बाद होती है, जान-माल की बर्बादी होती है। उसी तरह सुल्तानगंज से कहलगाम तथा पिरपैटी रानीदियारा-एक चाहीदियारा तक गंगा से जमीन कट रही है और लाखों लोग बेघर-बार हो रहे हैं।

इसके लिए मैं भारत सरकार से, केन्द्रीय मंत्री जी से यह मांग करूंगा कि इसके लिए वे पर्याप्त कदम उठायें और वहां कटाव को रोकने के लिए और किसानों की समस्या को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय करें। साथ-साथ बड़े पैमाने पर राहत के लिए फंड भेजें। चाहे नाव देने का सवाल हो, चाहे ऋण देने का सवाल हो, उसके लिए पर्याप्त कदम उठायें। साथ-साथ जो कटाव की समस्या है, बड़े पैमाने पर लोगों के पुनर्वास की समस्या और कटाव को रोकने के बारे में काम किया जाये।

मैं यही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश की आजादी के बाद से आज तक राज्य सरकारों और

केन्द्र सरकार के द्वारा बाढ़ के बचाव में प्रतिवर्ष जो उपाय किये गये, वे देश के 53-54 साल की आजादी के बाद आज निरर्थक प्रतीत हो रहे हैं। देश की आजादी के बाद से आज तक जो अरबों रुपया बाढ़ से बचाव के लिए खर्च किये गये, उस अरबों रुपये ने बाढ़ से लोगों का बचाव तो नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों के घर, जिसमें ठेकेदार और इंजीनियर हैं। उनके घर निश्चित तौर पर आबाद हुए हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि केन्द्र सरकार सम्पूर्ण देश के अन्दर जल का सही तरीके से प्रबन्धन करे और जल को समवर्ती सूची में शामिल करे। आज हम आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहेंगे कि नेपाल से निकलने वाली नदियों से प्रतिवर्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लाखों परिवार बर्बाद हो रहे हैं, नेपाल के अन्दर पानी के विवाद ने भारत और नेपाल के सम्बन्धों में गर्माहट पैदा करने का काम किया है। आज नेपाल की राजनीति के अन्दर यह वातावरण बनाया गया है कि भारत अधिक से अधिक पानी का उपयोग कर रहा है और इस सवाल पर नेपाल के अन्दर कोई राजनैतिक दल सार्थक पहल करने के लिए, आगे आने के लिए तैयार नहीं है। नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है। इसलिए हम भारत सरकार से यह मांग करते हैं, आग्रह करते हैं कि वे नेपाल सरकार को विश्वास में लेकर वहां के सभी राजनैतिक दलों को विश्वास में लेकर जो बाढ़ की समस्या है, नेपाल से निकलने वाली नदियों से होने वाली हानि का सवाल है, इस पर एक सार्थक निष्कर्ष पर पहुंचें और नेपाल के अन्दर भी पहल करके उसे आर्थिक सहयोग प्रदान करके इस समस्या का मूल रूप में निदान निकालने का प्रयास करें। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि घाघरा, राप्ती, रोहिणी और गंडक, ये जो मात्र चार नदियां हैं, इन चार नदियों का मैं इसलिए विशेष तौर से उल्लेख कर रहा हूं, इन नदियों से प्रत्येक वर्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश का बस्ती जनपद, सिद्धार्थनगर जनपद, महाराजगंज जनपद, गोरखपुर जनपद, कुशीनगर जनपद और देवरिया जनपद मऊ जनपद प्रत्येक वर्ष बर्बाद होते हैं। बिहार के कई जनपद बर्बाद होते हैं। मात्र इन चार नदियों से देश की दो करोड़ से अधिक आबादी प्रत्येक वर्ष बर्बाद हो रही है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इन चार नदियों पर 50 वर्षों के अन्दर जितना धन बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए खर्च किया गया है, यदि उस धन का सही तरीके से उपयोग हुआ होता, कारगर नीति अपनाकर उपयोग हुआ होता तो शायद उस अंचल के लोगों को बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सकता था। हम आज फिर आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करते हैं कि वह इन क्षेत्रों में यदि ईमानदारी से बाढ़ की समस्या का निदान करना चाहती है तो मात्र संसद के अन्दर इस चर्चा से इस समस्या का निदान होने वाला नहीं है। संसद इस समस्या के प्रति कितनी गंभीर है, यह सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या से आप अनुमान लगा सकते हैं और सरकार कितनी गम्भीर है, इसमें जो मंत्रीगण बैठे हैं, इनकी नगण्य संख्या से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि यदि बाढ़ की समस्या का स्थाई तौर पर निदान करना है तो एक संसदीय समिति का गठन होना चाहिए। इस संसद की जितनी कार्यावधि शेष है, उस शेष कार्यावधि के लिए एक संसदीय समिति का गठन होना चाहिए। वह संसदीय समिति देश को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए नेपाल जाकर भी भ्रमण करे। वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों को और बाढ़ विशेषज्ञों की एक संयुक्त समिति का गठन करके बाढ़ की समस्या का स्थाई निदान निकाला जाये। एक अन्तिम बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आज बाढ़ के साथ-साथ सूखे की भी समस्या है। किसानों के समक्ष खेत में सिंचाई के पानी का भी संकट है और गिरते हुए जल के स्तर का भी सवाल है। मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा, आज आवश्यकता है वर्षा के जल को, बाढ़ के जल को भूमि के अंदर वैज्ञानिक तरीके से अवशोषित कराकर गिरते जल को ऊपर उठाने की।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी आप सभी से अपील है कि हम कार्यसूची के अनुसार ही चलेंगे। अतः प्रत्येक वक्ता को पांच ही मिनट दिए जाते हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि इसका सख्ती से पालन किया जाए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मुझे अफसोस है जब मेरा नाम लिया गया। मैं 9 अगस्त के समारोह में था। ...*(व्यवधान)*

महोदय, सर्वप्रथम अपनी पार्टी की ओर से मैं दृढ़तापूर्वक अरुणाचल प्रदेश के मामले की वकालत करता हूं जो भारत के इतिहास में सबसे भीषण बाढ़ का हाल ही में शिकार हुआ है। इस छोटे राज्य के पास अपने संसाधन नहीं हैं। मुझे बताया गया कि अब तक केन्द्र से कुछ नहीं दिया गया है। मैं सरकार के प्रति आभारी होऊंगा। यदि वह तत्काल इस संकट का सामना करते हुए अरुणाचल प्रदेश को बचाएं।

दूसरी बात यह है कि मैं इस समय भी भ्रमित हूं कि बाढ़ संबंधी कार्य कौन देख रहा है। मैं समझ रहा था कि जब डा. सी.पी. ठाकुर, तत्कालीन मंत्री ने लोक सभा के गठन के बाद बैठक की थी कि बाढ़ उनका विषय है और मैंने समझा कि बाढ़ राहत कार्य कृषि मंत्रालय का विषय है। अतः मुझे खुशी है कि दोनों मंत्री श्री अर्जुन सेठी, माननीय जल संसाधन मंत्री और कृषि मंत्री जिन्हें बाढ़ के बाद काम करना है यहां उपस्थित हैं।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

मैं दोनों मंत्रियों का आभारी हूं। दोनों मंत्री प्रतिबद्ध हैं, ईमानदार, सच्चे हैं और जनता के आदमी हैं, जिन्हें अपने जीवन में व्यावहारिक अनुभव है। अत: मुझे आशा है कि वे इस पर अधिक ध्यान देंगे।

महोदय, इस बात को मैं बार-बार दोहराता रहा हूं। मैं उत्तर बंगाल के एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं आपको यह सूचना देना चाहता हूं कि अपने निर्वाचन क्षेत्र रायगंज के ग्यारह ब्लाकों में से सात ब्लाक एक वर्ष में चार माह तक पानी में डूबे रहते हैं। चुनाव के दौरान 1500 बूथों में से 680 मतदान केन्द्र नाव पर बनाए गए थे। आप उन लोगों की दुर्दशा की कल्पना कर सकते हैं जिनका प्रतिनिधित्व मैं करता हूं। मुझे बताया गया है कि गंगा मालदा जिले में अपना रास्ता बदल रही है और पांच वर्ष के अन्दर मालदा शहर गंगा में होगा। यह एक बड़ा खतरा है। मुझे बताया गया है कि गंगा मालदा जिले में अपना रास्ता बदल रही है, और पांच वर्षों के अंदर मालदा कस्बा गंगा नदी में समा जाएगा खतरा यह है।

बिहार में फुलहर नदी का उद्गम स्थल मेरे क्षेत्र रत्ना को बर्बाद कर रहा है। यहां पहले ही नदी के बीच में एक टापू उभर आया है और 80 गांव भू-क्षरण से प्रभावित हैं और 20 गांव गत दो माह से चिल्ला रहे हैं। मैं उन्हें कुछ नहीं बता सकता। मैंने निजी रूप से माननीय मंत्री जी श्री अर्जुन सेठी को बताया है। मैंने माननीय मंत्री जी को बहुत से पत्र लिखे परन्तु हमेशा की तरह हर बार एक ही जवाब मिला और वो ये कि मामले को देखा जा रहा है। अंतिम रूप से वह जब तक इसे देखेंगे तब तक सब कुछ पानी में समा चुका होगा और वहां पानी के अलावा देखने को और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का अनुरोध करूंगा।

वहां इताहार नामक एक क्षेत्र है। माननीय सदस्य श्री रूपचन्द पाल इसके बारे में जानते हैं। यह क्षेत्र साल में छ: माह पानी के अन्दर रहता है। वहां मैं क्या करता? वहां कुछ नहीं है, कोई शिक्षा वगैरह कुछ नहीं। मैं रायगंज नामक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। आधा क्षेत्र बिहार के बरसोई से जुड़ा है। माननीय मंत्री जी श्री नीतीश कुमार उस क्षेत्र से हैं। वहां सब कुछ ठहर गया है। पूर्वोत्तर की जीवन-रेखा कहा जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-34 साल में चार महीने पानी में रहता है। वहां सब कुछ रुक जाता है। इसलिए, मैं जो कुछ कुंवर अखिलेश सिंह ने कहा है, उसी के समर्थन में कुछ सुझाव दूंगा। कृपया बाढ़ प्रवण क्षेत्र वाले सभी सांसदों को पत्र लिखकर उन्हें सलाह दें। आप सीमावर्ती देशों से जुड़ी उन नदियों की पहचान करें जैसे बंगलादेश और नेपाल की नदियां और भारतीय नदियां, जो समस्याएं पैदा करती हैं।

तीसरी बात, आप इन सारे आंकड़ों को अपने कम्प्यूटर में डालिए और राज्य की वार्षिक योजना में इसका मूल्यांकन कीजिए और देखिए कि बाढ़ प्रबन्धन के लिए कितना पैसा है और बाढ़ के अस्थायी प्रबन्धन के लिए कितना है। इसके पश्चात् एक श्वेत पत्र तैयार कीजिए और उन सांसदों की एक दो दिवसीय बैठक बुलाइये और उसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित कीजिए। आप यह समझिए कि इस मामले में किन-किन उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद एक व्यापक योजना तैयार की जाए क्योंकि हमारे जिले, उत्तर दीनाजपुर और दक्षिण दीनाजपुर में हमें प्रतिवर्ष बंगलादेश की नदियों में आने वाली बाढ़ का सामना करना पड़ता है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कभी-कभी मुझे लगता है कि हम इसका मूल्य चुका रहे हैं। हम बिहार की फुलहर नदी के शिकार हैं। मैं बिहार को दोष नहीं देता। नदी को तो कहीं न कहीं बहना है। इन दिनों आधुनिक दुनिया में यह कहा जाता है कि बाढ़ नियंत्रण नाम की कोई चीज नहीं हो सकती। बाढ़ प्रबन्धन हो सकता है। नदी को नहीं रोका जा सकता, प्रकृति को किसी भी दबाव से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, प्रकृति का काम जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने देना चाहिए। नदी बहती है, बचपन से सुना है, उसे रोका नहीं जा सकता। इसलिए, आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। आपके पास बहुत पैसा है परन्तु वह आपके नियंत्रण में न होकर ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रण में है। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के जिला समाहर्ता को यह सुझाव दिया था कि रोजगार आश्वासन योजना के कार्यक्रम का पैसा चीन की तर्ज पर खर्च किया जाना चाहिए। जनवरी से अप्रैल की अवधि के दौरान नदियों की खुदाई और उनमें से गाद निकालने का कार्य किया जाना चाहिए और इस मिट्टी को नदी के ऊंचे तटबंधों पर जमा कर देना चाहिए। इस पैसे से इन तीन महीनों के दौरान प्रतिमाह इस कार्य का स्थायी तौर पर एक नियमित कार्यक्रम के रूप में प्रत्येक पंचायत में उचित निगरानी में किया जाना चाहिए। इससे आप अपनी आधी समस्या का हल निकाल सकते हैं।

मैं आपको बता दूं कि आपके पैसे में से आया पैसा बाढ़ प्रबन्धन के लिए नहीं पहुंच रहा है। इसे चोर और डाकू लूट लेते हैं। पाकुड़ और राजमहल क्षेत्रों में एक गुट है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस क्षेत्र का दौरा करें। वे इस बात का निर्णय करेंगे कि किस समय पत्थर रखे जाने चाहिएं और वे मानसून की अवधि के दौरान इस बात का निर्णय करेंगे जिससे कि वह सारा बह जाए। यदि कोई अभियंता इन्हें इससे पहले रखने की कोशिश करता है तो उसकी जान पर हमला किया जाएगा। वहां इस प्रकार का माफिया कार्यरत है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, यह बहुत सही बात कह रहे हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : बड़े आश्चर्य की बात है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं एक बहुत गंभीर विषय पर बात कर रहा हूं। जब मेरा क्षेत्र बाढ़ से बर्बाद हो रहा था तो मैंने अभियंता से कहा कि यह काम छः माह पहले क्यों नहीं शुरू किया गया ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं आपको आधिकारिक रूप से नहीं बता सकता। लेकिन यह सत्य है कि यह माफिया समय से निविदाएं जारी नहीं करने देता ताकि पत्थरों से बनने वाला तटबंध मौनसून की अवधि के दौरान बने और यदि ऐसा करने की कोशिश की जाती है तो फिर जानलेवा हमले होते हैं। मैं आपको बता दूं कि यह एक गंभीर समस्या है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे यहां पर बैठे अधिकारियों की बात न सुनें और इस पर विचार करें। मैंने आपसे राज महल और पाकुड़ क्षेत्रों में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का ध्यान रखने का अनुरोध करता हूं। क्या आप यह सोचते हैं कि बंगाल की बाढ़ केवल राजमहल तक सीमित है? जी नहीं, वहां महानंदा और जलपाईगुड़ी मंडल हैं। टंगन, चिरामती, सुई, नागर, कुलिक आदि नदियां तबाही मचा रही हैं। मैंने पहले से ही तिरपालें एकत्रित करनी शुरू कर दी हैं क्योंकि यह अगस्त का महीना है और मैं जानता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर बाढ़ आने वाली है। इसलिए मैं तिरपालें इकट्ठी कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि भारत सरकार कुछ नहीं देगी और राज्य सरकार धन की कमी का रोना रोएगी और हम जैसे माननीय संसद सदस्य से पूछा जाएगा कि वे क्या कर रहे हैं।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस बहस को हल्के तौर पर न लेकर एक रचनात्मक बहस चलने दो और इस पर दो या तीन दिन तक चर्चा हो। आप विज्ञान भवन में बैठते हैं और बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्रों के सभी सांसदों को आमंत्रित करते हैं। आप उनसे पहले ही सारे कागजात ले लें। आप राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करें। आप अपने विशेषज्ञों को बुलाएं। आप एक दो दिन की बैठक बुलाएं और तभी आप किसी निर्णय पर पहुंचें कि इसे कैसे करना है। आप ग्रामीण विकास मंत्री जी को भी बुलाइये क्योंकि पंचायतों के पास काफी पैसा है। आप उन्हें बाध्य करें कि जनवरी से अप्रैल की अवधि के दौरान वे नदी कार्यक्रम के काम को शुरू करें और मई-जून के दौरान सूखा प्रवण क्षेत्रों का कार्यक्रम शुरू करें। जुलाई में मानसून आ जाता है और नदियां उफनने लगती हैं। यदि आप इस कार्य को हर वर्ष सुनियोजित तरीके से नहीं लेंगे तो मुझे इसमें संदेह है कि आप बाढ़ प्रबन्धन के कार्य को सफलतापूर्वक कर सकेंगे। आप नदी के बहाव को नहीं रोक सकते। नदी को उसकी इच्छानुसार बहने दें। मनुष्य को योजना बनानी चाहिए और नदी को बहने देना चाहिए और तत्पश्चात् इस रोजगार आश्वासन योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष नदियों से गाद निकालने और उनके तटों को ऊंचा उठाकर तटबंध आदि बनाकर बाढ़ की स्थिति का उचित प्रबन्धन करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने बाढ़ के विषय में बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। हमारा देश भिन्नताओं में एकता का देश है। देश में कहीं वर्षा, कहीं सूखा, कहीं तूफान रहता है। हमारा देश अनेक प्रकार की आपदाओं से घिरा हुआ रहता है। मेरा जनपद बिजनौर चूंकि पहाड़ की तलहटी में स्थित है, उत्तरांचल से बहकर 20-25 नदियां मेरे जिले से गुजरती हैं, गंगा नदी जो पूरे देश की सबसे ज्यादा धार्मिक और प्रसिद्ध नदी है, उसके किनारे बिजनौर जिला बसा है। वहां जून के माह में बहुत भीषण 4-5 दिन तक वर्षा हुई। लोगों का यह मानना है कि करीब 80 वर्ष पहले इस तरह की बाढ़ आई होगी और उसमें करीब 22 लोगों की जानें गई, 80 पशु मृत्यु के शिकार हुए, करीब 5000 मकान क्षतिग्रस्त हुए और कुछ झुग्गी-झोंपड़ी वाले बह गये। करीब 25 गांव जो नदियों के किनारे बसे थे, गंगा, राम गंगा और मालन इस प्रकार से करीब 20 नदियों में डूब गए। 5-6 दिन तक पहाड़ पर वर्षा हुई और नीचे भी हुई। अधिक वर्षा के कारण बहुत नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार को इसके बारे में लिखा गया है। इसके बारे में सभी पेपरों में आया है, लेकिन अभी तक दस लाख रुपए की राशि ही उपलब्ध कराई गई है और इसके अलावा अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। बिजनौर से पौड़ी, बिजनौर से नांगल, बिजनौर से कालागढ़, बिजनौर से नूरपूर, बिजनौर से नगीना-बढ़ापुर, बिजनौर से पानीपत-खटीमा मार्ग, ये सारे रास्ते टूट गए हैं। लगभग सौ करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दो पुल टूटे हैं, 8-10 छोटी-छोटी पुलिया टूटी हैं। सड़कों की हालत ऐसी है कि उन पर गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। नदियों के कटाव से कारण हजारों एकड़ जंगलों की जमीन बह गई है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि बिजनौर जिले के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की जानी चाहिए। किसानों का लगान माफ किया जाना चाहिए। किसानों से कर्जा वसूली में जो सख्ती की जा रही है, उसमें राहत दी जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खेती का नुकसान हो रहा है और जान-माल का भी नुकसान हो रहा है। जैसा प्रधान जी ने बताया, इस विषय पर हम कई सालों से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई

[श्री रामदास आठवले]

सफलता नहीं मिल रही है। मेरा सुझाव है कि जिस क्षेत्र में बाढ़ आती है और जहां पानी की कमी है, उस पानी को उस क्षेत्र में भेजने पर विचार होना चाहिए। मुम्बई में कोंकण जिले में अधिक वर्षा होती है, लेकिन वर्षा का पानी सागर में बह जाता है और उस पानी का कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए नीतीश कुमार जी को एक नया सागर बनाने के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। ...*(व्यवधान)* नया सागर बनाने के बारे में गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है, यह हंसी का मुद्दा नहीं है। इसी प्रकार फल्ड कन्ट्रोल कार्पोरेशन बनाने की आवश्यकता है। इस विषय पर मुंशीजी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने बताया है कि इस समस्या से निपटने के जिन लोगों को कान्ट्रैक्ट दिया जाता है, उसमें भ्रष्टाचार होता है। इंजीनियर्स और अन्य लोगों पर पाबन्दी लगाने की आवश्यकता है। मेरा दूसरा सुझाव है, महाराष्ट्र में गोदावरी, कृष्णा, पंचगंगा, चन्द्रभागा नदियों में जहां-जहां भी बाढ़ें आती हैं, वहां के लोगों को रिहैबिलीटेट करने की आवश्यकता है। अपने पास रिपोर्ट होनी चाहिए कि कौन-कौन सी जगहों पर बाढ़ें आती हैं। इस बारे में सरकार को सर्वे करने की आवश्यकता है। अभी माननीय सदस्य बतला रहे थे कि 80 साल के बाद बिजनौर जिले में गंगा नदी में बाढ़ आई। उसमें काफी लोगों की मृत्यु भी हुई है। इसलिए जहां-जहां बाढ़ आती है, उसे रोकने के लिए सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर यह सरकार बाढ़ को रोकने का प्रयत्न नहीं करती है तो आने वाले चुनाव में वोटों को बाढ़ इधर आ सकती है और अगर यह बाढ़ इधर आ जाएगी तो आपके फिर दोबारा सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपको इस बाढ़ को रोकने की आवश्यकता है। आगे यह भी हो सकता है कि वहां से बाढ़ आएगी और नीतीश कुमार जी इधर भी आ सकते हैं। इसी तरह यह भी पानी की बाढ़ है। पोलिटिक्स में ऐसा भी होता है, यह बात ठीक है। इसलिए इस बाढ़ को रोकने के लिए नीतीश कुमार जी, आपके द्वारा अच्छा प्रयत्न हो सकता है।

अत: आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस बाढ़ को रोकने का प्रयत्न करें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अर्जुन सेठी बहस में हस्तक्षेप करना चाहेंगे।

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं देश के विभिन्न भागों में बाढ़ की स्थिति और प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की परेशानियों को कम करने के उपायों पर चल रही इस महत्वपूर्ण बहस में हस्तक्षेप करने की अनुमति देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे वरिष्ठ साथी माननीय कृषि मंत्री जी विभिन्न राज्यों के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राहत पहुंचाने और उनका पुनर्वास करने के मामलों को देखेंगे तथा इस बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में भूस्खलन जैसी अन्य समस्याओं को सुलझायेंगे।

सबसे पहले मैं, जिन माननीय संसद सदस्य ने इस बहस को शुरू किया है, उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने और इस बहस में भाग लेने वाले अन्य सदस्यों ने राज्यों के विभिन्न भागों में हुए नुकसान और उसकी गंभीरता पर प्रकाश डाला। उन्होंने इन समस्याओं के बारे में विस्तारपूर्वक बताया है जिनका ये अपने राज्यों में सामना कर रहे हैं। मैं इस पर विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं केवल इस बात पर जोर डालना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि स्वतंत्रता के बाद, विशेषकर देश में योजना प्रक्रिया आरम्भ होने के बाद लोगों विशेषकर किसानों के लाभ के लिए राज्यों में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु कतिपय उपाय किए गए। धनराशि का आवंटन भी किया गया। इससे इन वर्षों के दौरान सिंचित भूमि का क्षेत्र 20 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 90 मिलियन हेक्टेयर हो गया। हरित क्रान्ति इसी का परिणाम है और इससे देश में खाद्यान्नों का उत्पादन 52 मिलियन टन से बढ़कर 200 मिलियन टन हो गया है।

मेरे माननीय मित्र श्री दासमुंशी जी और इस मामले पर बोल चुके अन्य सदस्यों ने सदन और मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि बाढ़ से प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों से संबंधित संसद सदस्यों को इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए और बाढ़ से अक्सर प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों की पहचान की जा सके और इसके बाद इस समस्या को हल करने के लिए एक मास्टर प्लान या एक प्रकार का कृतिक बल गठित किया जाना चाहिए।

महोदय, इस पर मेरी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं इन्हें याद दिला दूं कि बाढ़ नियंत्रण का विषय पूरी तरह से केन्द्र सरकार के अधीन नहीं है। बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के विषय राज्य सूची में हैं। पहली जिम्मेदारी राज्य सरकारों की बनती है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैंने यह भी कहा है कि आप राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकते हैं।

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहूंगा। आप जानते ही हैं कि आजकल किस प्रकार छोटी-छोटी बातों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है और किस प्रकार अन्तर-राज्यीय नदी जल को अन्तर-राष्ट्रीय नदी जल विवाद में बदल दिया गया है। जल के अभाव वाले क्षेत्रों को देश के समृद्ध क्षेत्रों में बदलने के लिए उन्हें पानी या सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु कोई ठोस परिणाम हासिल नहीं किए जा सके हैं। यह एक सत्य है। यह केन्द्र में सत्तारूढ़ सभी सरकारों की समस्या

रही है। मैं किसी राज्य सरकार विशेष या किसी क्षेत्र विशेष को टोप नहीं देना चाहूंगा। लेकिन मैं ऐसे कुछ कारणों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जिनके कारण हाल के वर्षों में यह समस्या इतनी गंभीर हो गई है।

महोदय, माननीय संसद सदस्य श्री सुमन ने कहा कि सरकार की कोई राष्ट्रीय जल नीति नहीं है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि 1987 में एक नीति अंगीकृत की गई थी और वह अभी भी लागू है। राज्य सरकारें इस राष्ट्रीय जल नीति की सीमाओं के भीतर अन्तर राज्यीय जल विवादों को निपटाने का प्रयास कर रही हैं। न्यायाधिकरणों में मामले लम्बित हैं, यहां तक कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में मामले लम्बित पड़े हैं। हम सभी जानते हैं। सरकार अभी भी इस समस्या को हल करने हेतु सर्वसम्मति जुटाने का प्रयास कर रही है। इस समस्या को केवल राज्य सरकारों और विभिन्न एजेंसियों की सहमति व सहयोग से ही सुलझाया जा सकता है। अब बाढ़ की समस्या इतना विकट रूप धारण कर चुकी है कि इसे संभालना और नियंत्रित करना संभव नहीं है।

महोदय, माननीय संसद सदस्य श्री सुमन ने बाढ़ से सुरक्षा प्रदान किए गए सारे क्षेत्र का जिक्र किया है। मैं यहां इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि बाढ़ की संभावना वाले कुल 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में से केवल 32 लाख मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को ही बाढ़ से समुचित सुरक्षा प्रदान की जा सकी है।

इसके अलावा 14.4 मिलियन हेक्टेयर भूमि को सुरक्षा प्रदान की गई है। केन्द्र और राज्य दोनों द्वारा इस उद्देश्य हेतु कुल 5,831 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई है। यह वही धनराशि है जो योजना प्रक्रिया के प्रारंभ से अब तक व्यय की गई है। यह केन्द्र और राज्यों द्वारा संचित व्यय है।

महोदय, यह कल्पना की जा सकती है कि इतनी धनराशि व्यय करने के बावजूद ऐसी समस्या बढ़ती ही जा रही है और यह जनसंख्या बढ़ने और रुपये के अवमूल्यन के कारण है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, जनसंख्या को बाढ़ से कैसे जोड़ा जा सकता है? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : इससे जनसंख्या का क्या लेना-देना है?

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, रुपये का मूल्य गिर गया है।

रात्रि 8.00 बजे

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, हम अभी देश की वित्तीय नीति पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, पहले मंत्री जी की बात सुनने दीजिए। यदि आप चाहें तो आप बाद में स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री अर्जुन सेठी : मैंने इसका उल्लेख इसलिए किया क्योंकि कुछ माननीय सदस्य लगातार यह कह रहे हैं कि जबकि सरकार बाढ़ प्रबंधन पर खर्च में वृद्धि हो रही है फिर भी बाढ़-प्रबंधन में कोई सुधार नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों के कहने का तात्पर्य यह है कि जो पैसा खर्च होता है, उसका दुरूपयोग न हो।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : परंपरा यह है कि जब कोई सदस्य कुछ सूचना चाहता है, तो वह पहले मंत्री से ऐसा करने का आग्रह करता है।

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा है चूंकि कई वर्षों में जनसंख्या बढ़ी, कुछ खास क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व तेजी से बढ़ा है। इसके परिणामस्वरूप, बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या भी बढ़ी है। जनसंख्या वृद्धि और बाढ़ प्रबंधन में यही संबंध है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है जब मैंने इसके बारे में कहा।

कुछ सदस्यों ने हिमालय से निकलने वाली नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने की बात कही है। 80 के दशक में स्थापित राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण इस मुद्दे को देख रहा है। वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत हद तक प्रयासरत हैं और जैसी कि मुझे सूचना है, 2010 तक वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। फिर भी, जब तक इस भूमिकरण को संबंधित राज्यों का सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक नियत समय में इसका संभाव्यता अध्ययन पूरा कर पाना संभव नहीं है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अर्जुन सेठी]

बाढ़ प्रबंधन की कुछ समस्याओं का उल्लेख किया गया है। मेरे मित्र माननीय श्री प्रभुनाथ सिंह ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण के गांव सिताब दियारा का उल्लेख किया है। केन्द्रीय जल आयोग ने इस संबंध में एक योजना तैयार की है। मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि इस कार्य के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध हो जाएगी और कार्य समय से शुरू हो जाएगा। मैं समझता हूं मेरे पूर्ववर्ती जिन्होंने पहले उस स्थान की यात्रा की थी, इस बारे में लोगों को आश्वासन दिया था। आवश्यक धन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि समय पर इस गांव को बाढ़ से बचाया जाए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : एक बार जब केन्द्रीय जल आयोग ने वहां की यात्रा का निर्णय ले लिया है, तो यह राज्य का विषय नहीं रह जाता। यही बात मैं कह रहा था। केन्द्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एजेंसियां हैं जो राज्य सरकारों को उनके अपने कार्यक्रमों के बारे में कह सकती हैं और मंत्री साफ-साफ यह कहते हैं कि वह कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यह राज्य का विषय है।

श्री अर्जुन सेठी : केन्द्र सरकार एक संभाव्यता अध्ययन करा सकती है, योजना तैयार कर सकती है लेकिन इसे कौन लागू करेगा? मेरे वरिष्ठ सहयोगी इन सभी चीजों को जानते हैं। अंततोगत्वा यह राज्य सरकार ही है जो ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित करती है। यदि राज्य सरकारें इनको उचित रूप से समय पर क्रियान्वित नहीं करती तो सभी योजनाएं बेकार हो जाएंगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं इससे सहमत हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमें माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है, उसके लिए उन्हें बधाई देते हैं। साथ ही यह कहते हैं कि यदि राज्य सरकार सही ढंग से काम नहीं करती है तो केन्द्र सरकार किसी और एजेंसी के द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण के गांव को बचा दे।

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): महोदय, इस बहुत ही गंभीर विषय पर बोलने का मौका मुझे नहीं दिया गया यद्यपि चर्चा में भाग लेने के लिए मैंने भी अपना नाम दिया था। अभी मुझे बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बैसीमुथियारी, मैंने आपका नाम पुकारा था, पर आप अनुपस्थित थे। हम सभी यहां थे पर आप नहीं थे। आप कहां थे?

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : मुझे यह कहा गया था कि मेरी बारी एक घंटे बाद आएगी ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपका नाम पुकारा था1 लेकिन आप अनुपस्थित थे।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या आप अब मुझे बोलने एक मौका नहीं दे सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, आप नहीं बोल सकते।

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने भारत नेपाल सहयोग और बंगलादेश और भूटान से संबंधित समस्याओं के बारे में उल्लेख किया है। इस स्थिति में मैं इतना कह सकता हूं कि हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री ने हमारे देश की यात्रा की थी और सरकार के साथ बातचीत की थी। इस वार्ता से मैंने यही पाया कि इस समस्या के प्रति उनका रवैया बहुत सकारात्मक है। मैं आशा करता हूं, जितनी भी समस्याएं हैं, उन पर परस्पर चर्चा होनी चाहिए और कुछ सकारात्मक परिणाम आएंगे। मैं लोगों को बचाने हेतु न केवल नेपाल बल्कि अपने देश में भी क्रियान्वित की गई परियोजनाओं के बारे में बहुत आशावान हूं।

श्री अमर राय प्रधान : भूटान के बारे में क्या हुआ?

श्री अर्जुन सेठी : भूटान के बारे में मुझे यह बताया गया कि मेरे पूर्ववर्ती डा. सी.पी. ठाकुर भूटान की यात्रा करने वाले थे। लेकिन उनके इस मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में चले जाने के कारण ऐसा नहीं हो सका। लेकिन मैं आशा करता हूं कि निकट भविष्य में हम भूटान सरकार के साथ वार्ता करेंगे और इसका समाधान ढूंढेंगे।

इसी तरह बंगलादेश से संबंधित समस्याओं के लिए हम बंगलादेश सरकार के साथ चर्चा करेंगे और इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : चीन के बारे में क्या हुआ?

श्री अर्जुन सेठी : मैं चीन के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : चीन की यात्रा करने के बाद वे इसके बारे में कहेंगे ...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन सेठी : इसलिए हम लोग, भारत-नेपाल, भारत-भूटान और भारत-बंगलादेश के साथ सहयोग के बारे में आशावान

हैं। हमें आशा है कि हम कुछ सकारात्मक उपलब्धि हासिल करेंगे क्योंकि ये सभी सरकारें अपना सकारात्मक रवैया अपना रही हैं। इस संबंध में मैं सभी सदस्यों विशेषकर बिहार और पश्चिम बंगाल के सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम कुछ सकारात्मक उपलब्धि हासिल करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि पिछली बार 1996 में जब इस विषय पर माननीय मंत्री जी का जवाब चल रहा था तो हम लोगों ने निवेदन किया था कि जो कमेटी बनाई जाए ...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय आप मान रहे हैं?

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूडी, वे नहीं मान रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : उस कमेटी में वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री की कोई भागीदारी नहीं होती है। अभी कह रहे थे कि नेपाल के प्रधान मंत्री आये और बात करके चले गये। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इतनी बातों का कोई मतलब नहीं है। हर बार इस पर डिबेट करने का कोई मतलब नहीं है। सभी सदस्यों ने बार-बार घूम-घूमकर कहा है कि इस समस्या के समाधान के लिए इन लोगों की क्या भागीदारी होगी। राज्य सरकार की इसमें भूमिका होनी चाहिए, यहां का प्रतिनिधि इसमें होना चाहिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवॉयरनमैंट का होना चाहिए। आखिर इनमें कोऑर्डीनेशन कौन करेगा। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हर बार यह बात होती है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सेठी : पहले मेरी बात सुनिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए कोई तैयार नहीं है।

श्री अर्जुन सेठी : मेरे माननीय मित्र ने भी इसका उल्लेख किया है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूडी, जब वे नहीं मान रहे हैं तो आप खड़े नहीं हो सकते और इस तरह स्पष्टीकरण मांगना नहीं शुरू कर सकते।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, आपको समझना चाहिए कि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है लेकिन अभी वे खड़े हैं, पहले उनको बैठने दीजिए। यह नहीं है कि बिना उनके बैठे आप खड़े हो जाएं और स्पष्टीकरण मांगना शुरू कर दें।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, हम समस्या का समाधान चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो पहले उनको बैठने दीजिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, यह स्पष्टीकरण का प्रश्न नहीं है। हम माननीय मंत्री से केवल अनुरोध कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या वे बड़ी समिति के सदस्य हैं, या भारत-नेपाल दल की वार्ता करने वालों में से एक हैं, या विदेश मंत्रालय ने उनको विश्वास में लिया है। हम ये सभी चीजें जानना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूडी, आपने पहले भी इसी विषय पर बोला है। वे जवाब भी दे रहे हैं।

श्री अर्जुन सेठी : जैसा कि मेरे मित्र, श्री रूडी ने उचित ही कहा है, जल संसाधन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और नेपाल, भूटान और बंगलादेश की सरकारें भी एक साथ बैठेंगी और समाधान ढूंढेंगे। प्रत्येक को विश्वास में लिया जाएगा।

मैं यहां खड़े होकर नहीं कह सकता कि यह होगा और वह होगा। मैं इसका आश्वासन नहीं दे सकता। लेकिन प्रयास किये जा रहे हैं। नेपाल की पूर्व सरकार के साथ वार्ता लगभग बंद ही हो गई थी। लेकिन नेपाल में नई सरकार के सत्ता संभालने के बाद, वे यहां आए थे और उन्होंने वार्ता की थी। वे सकारात्मक रवैया अपना रहे हैं। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं। विदेश मंत्रालय भी इसमें शामिल है, वे सबका प्रबंध करेंगे। हम उसका एक भाग होंगे और मैं समझता हूं, कुछ सकारात्मक चीजें सामने आएंगी।

मेरे वरिष्ठ मित्र अन्य चीजों के बारे में बोलेंगे जैसे सरकार ने क्या कदम उठाये हैं। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की यात्रा की है और वे सभा को इस बारे में जानकारी देंगे। वे यह भी जानकारी देंगे कि कितनी धनराशि आवंटित की गई है और उन लोगों को

[श्री अर्जुन सेठी]

क्या राहत दी गई है। वे हिमाचल प्रदेश और देश के अन्य भागों की स्थिति पर भी विचार करेंगे।

मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बाढ़ आना नई बात नहीं है; ऐसा लंबे समय से होता रहा है। सरकार सभी संभव कदम उठा रही है। राज्य सरकारों और सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से सरकार लोगों के दु:ख दर्द को कम करने के लिए कदम उठा सकती है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। इसके साथ-साथ, मैं यह कहूंगा कि बाढ़ को शत-प्रतिशत नियंत्रित नहीं किया जा सकता क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसके प्रकोप को अवश्य कम किया जा सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ, एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बैसीमुथियारी, मैंने आपका नाम पुकारा था लेकिन आप उपस्थित नहीं थे। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा। नहीं, अब मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बैसीमुथियारी, मैंने आपका नाम पुकारा था लेकिन आप यहां उपस्थित नहीं थे। अब कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दन रेड्डी, आप मंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार, के उत्तर के पश्चात् स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं। अब मंत्री महोदय अपना जवाब देने जा रहे हैं और इसके पश्चात् आप स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री एन. जनार्दन रेड्डी (नरसारावपेट): महोदय, मुझे माननीय मंत्री महोदय, श्री सेठी से कुछ बातें ही पूछनी हैं। श्री नीतीश कुमार पुनर्वास इत्यादि के बारे में बतायेंगे। उनका विषय स्पष्ट है।

मुझे लगता है कि श्री सेठी कुछ हद तक एक विचार को ही अपनाये हुए हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से उन्हें सूचित करना चाहूंगा कि डा. के.एल. राव इस विषय पर कार्य कर रहे थे। उन्होंने ही नदियों की प्रकृति के संबंध में अध्ययन कार्य शुरू किया। वे बाढ़ नियंत्रण के संबंध में उल्लेख कर रहे थे। वर्तमान में 'बाढ़ नियंत्रण' के स्थान पर हमने 'बाढ़ प्रबंधन' विषय को अपना लिया है।

अभी एक अनुभवी माननीय सदस्य ने कहा कि बाढ़ के स्थान पर नदियों के स्तर में वृद्धि हो रही है। इसका अर्थ है कि इन नदियों में गाद भर रहा है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों तथा मैदानी भागों की नदियों की प्रकृति में अंतर है। आप कह सकते हैं कि नदी जल राज्य का विषय है। लेकिन गोदावरी और कृष्णा नदियां महाराष्ट्र से शुरू होकर आंध्र प्रदेश में समाप्त होती हैं। अत: किसी एक राज्य को ही इस संबंध में कार्यवाही करने हेतु नहीं कहा जा सकता है। अत: नदियों की प्रकृति के संबंध में अध्ययन, अनुसंधान और नियंत्रण योजना अथवा प्रबंधन कार्य करना आवश्यक है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे सी.पी.डब्ल्यू.डी. में अनुसंधान कार्य जारी रखना चाहते हैं अथवा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, यह सी.डब्ल्यू.सी. है।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : हां, यह ठीक है महोदय। मैं अपनी त्रुटि सुधारता हूं।

आप इन नदियों का अध्ययन करके राष्ट्र की सहायता करें। आप यह नहीं कह सकते कि यह राज्य से संबंधित विषय है।

श्री अर्जुन सेठी : श्री जनार्दन रेड्डी एक वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। सी.डब्ल्यू.सी. इस संबंध में पहले से ही कार्य कर रही है।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : महाराष्ट्र में छोड़े गए जल के संबंध में उन्हें भद्राचलम अथवा राजमुंदरी में यह चेतावनी देनी चाहिए कि जल कब तक पहुंचेगा। वे इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दन रेड्डी जी, मंत्री महोदय का कहना है कि आप जिस अनुसंधान की बात कर रहे हैं वह कार्य सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा भद्राचलम अथवा किसी अन्य स्थान पर पहले से ही किया जा रहा है। उन्होंने यही कहा है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : मैंने मंत्री महोदय से जो पूछा है तथा उसका जो जवाब मिला है, दोनों अलग-अलग बातें हैं। मैं अलग-अलग नदियों की प्रकृति का अध्ययन कराये जाने की बात कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उसका भी अध्ययन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : आदरणीय उपाध्यक्ष जी, आपने श्री रेड्डी जी को जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उनको क्लैरीफिकेशन पूछने के लिए मौका दे दिया, लेकिन मुझे आप बोलने के लिए मौका नहीं दे रहे हैं। असम सरकार को ब्रह्मपुत्र कंट्रोल के नाम पर जितने करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, उनको दो भागों में बांटा जाए और ब्रह्मपुत्र फ्लड कंट्रोल बोर्ड के दो भाग किए जाएं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं अपने दल का एकमात्र सदस्य हूं। मुझे कतिपय अत्यंत आवश्यक मुद्दों को उठाए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बैसीमुथियारी, आपका नाम पुकारा गया था। आप यहां उपस्थित नहीं थे। क्या यह मेरी गलती है?

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : मुझे इसका अत्यधिक खेद है। चूंकि यह मामला अत्यधिक गंभीर है अतः मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए।

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, श्री बैसीमुथियारी जी ने मुझसे कुछ बातों का उल्लेख किया है। मैंने इसे नोट कर लिया है। मैं उन्हें पत्र द्वारा सूचित करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने उन्हें कुछ बातें बतायी हैं। वे उन बातों को नोट कर चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): उपाध्यक्ष महोदय, असम में जो प्रोजैक्ट बन रहा है उसको कैंसिल किया जाना चाहिए। मेरा सरकार पर आरोप है कि जिस प्रोजैक्ट से वहां के ट्राइबल का फायदा होता है, उसको नहीं बनाया जाता है और जिससे नुकसान होता है उसको बनाया जाता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह क्या कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बैसीमुथियारी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको सभा में अच्छा व्यवहार करना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बैसीमुथियारी, आपको अध्यक्षपीठ की अनुमति से बोलना चाहिए। मैंने आपका नाम पुकारा था। आप यहां उपस्थित नहीं थे। क्या आप जब भी चाहें खड़े होकर बोल सकते हैं? क्या यहां की यही प्रथा है?

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): उपाध्यक्ष महोदय, आज संसद में देश के विभिन्न भागों में बाढ़ के कारण जो जानमाल की क्षति हुई है उस पर चर्चा हो रही है और इस चर्चा में 27 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं।

हमारे माननीय सहयोगी जल संसाधन मंत्री ने अभी इस चर्चा में हस्तक्षेप किया। चूंकि जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा के दौरान बाढ़ के स्थाई समाधान की मांग की और जो स्वाभाविक भी है, जब भी बाढ़ पर चर्चा होगी, तो उसके विभिन्न पहलुओं पर माननीय सदस्य अपने विचार रखेंगे। मैं इसी सिलसिले में बताना चाहता हूं कि बाढ़ नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उसके स्थाई समाधान की दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, इसके बारे में संक्षेप में माननीय जल संसाधन मंत्री ने हस्तक्षेप कर इस बहस में हिस्सा लिया। लेकिन हमारे पूरे देश में बाढ़ के कारण जान-माल की जो क्षति हुई, उस पर स्वाभाविक तौर पर सदन के सभी सम्मानित सदस्यों ने अपनी गहरी चिन्ता प्रकट की है। देश में विभिन्न जगहों पर जो भीषण बाढ़ आइ है, उस पर अलग-अलग इलाकों में जो परिस्थिति है, उसकी भी चर्चा लोगों ने की है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर कतिपय माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी खासकर कांग्रेस के कतिपय सदस्यों ने इसकी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री नीतीश कुमार]

चर्चा की है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती, जिन तमाम साथियों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया, इस गंभीर विषय की चर्चा में हिस्सा लिया, वह आखिर तक इस चर्चा में रुकते तो जो भी सम्भव था, जो कदम उठाये गये हैं, उस बारे में मैं उत्तर देते हुए उनका समाधान कर पाता। लेकिन उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर चर्चा करनी पड़ेगी।

जहां तक अरुणाचल प्रदेश का सवाल है, तो अरुणाचल प्रदेश में इस साल जून में भीषण बाढ़ आई। वहां कोई ज्यादा वर्षा नहीं हुई थी बल्कि सामान्य वर्षा हुई थी। लेकिन वहां इतनी जबरदस्त बाढ़ आई वैसी बाढ़ लोगों की याद में कभी नहीं आई। वहां के मुख्यमंत्री यहां आये थे। वे प्रधान मंत्री जी से भी मिले थे, मुझसे भी मिले थे। उनकी बात सुनने के बाद हमने यह फैसला किया कि वहां जाकर खुद स्थिति को देखें। उसी के अनुरूप केन्द्र के अधिकारियों की एक टोली लेकर मैं वहां पहुंचा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हर समय हमारे साथ मौजूद थे। सियांग नदी में जो बाढ़ आई, वह नदी तिब्बत से निकलती है, उस नदी में रिजरवायर हैं, डैम हैं। वह नदी आगे आकर हिन्दुस्तान में सियांग नदी कहलाती है। जबकि चीन में दूसरे नाम से जानी जाती है। एक खास जगह वह यू टर्न भी लेती है। हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश में हिन्दुस्तान के हिस्से को देखा। वहां जबर्दस्त बाढ़ थी, बहुत ऊंची धारा थी। कई महत्वपूर्ण ब्रिजेज को उसने अपने साथ बहा लिया। वहां हर किसी को यह मालूम था कि अरुणाचल प्रदेश में घटी किसी घटना से यह बाढ़ नहीं आई। अरुणाचल प्रदेश में उस इलाके में रहने वाले लोगों को यह भी मालूम है कि प्रकृति की किसी घटना से यह बाढ़ नहीं आई। जरूर कोई न कोई घटना तिब्बत में, चीन की सरहद में घटित हुई है जिसके चलते इसका बुरा प्रभाव यहां पड़ा। अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने भी उस बात के लिए अनुरोध किया। जब हम लौटकर आए, तब हमने भी अनुरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने इस मामले को चीन के साथ टेकअप किया है।

जहां तक हमारी जानकारी है, हमारे विदेश मंत्री जी ने इस संबंध में कुछ चर्चा की है। उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इतना तय है कि कोई भी घटना जो भी घटी है, वह चीन में घटी है चाहे उसके स्ट्रक्चर में कोई बात हुई है या लैण्डस्लाइड हुआ है, प्राकृतिक कोई बात हुई है जिसके चलते पानी रुका और बाद में उसके हटने के बाद पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि उसने वहां सब कुछ ध्वस्त कर डाला। वहां बहुत ज्यादा हानि हुई है। वहां की विशेष परिस्थिति का ध्यान करके हम वहां गये थे और लौटकर आने के बाद हमने प्रधान मंत्री जी को पूरी स्थिति की जानकारी दी। उन दिनों प्रधान मंत्री जी देश के बाहर गये थे। जब वह लौट आये तब मैंने उनको पूरी जानकारी दी। टीम की जो रिपोर्ट थी उससे हमने उन्हें अवगत करा दिया। इस मामले में केन्द्र सरकार कदम भी उठा रही है। हमने जो कुछ कहा, राज्य सरकार ने कहा कि इतना नुकसान हुआ, उन सब चीजों को लगाकर और हमने और हमारी टीम ने अनुशंसा की है कि उनको मदद मिलनी चाहिए। लेकिन आप भी जानते हैं कि यह मदद उनके प्लान के बाहर की मदद होगी इसलिए उसमें समय लगता है। अब हम लोगों के सामने एक कठिनाई आई है कि दसवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर कैलेमिटी रिलीफ फंड के अलावा एक फंड और बना था जिसका नाम नैशनल फंड फार कैलमिटी रिलीफ है। उसकी चर्चा कई सदस्यों ने की है खासकर माननीय रघुवंश बाबू ने भी उसकी चर्चा की है। लेकिन दशम वित्त आयोग की अनुशंसा पर उसका गठन हुआ था और 31 मार्च, 2000 को नैशनल फंड फॉर कैलेमिटी रिलीफ समाप्त हो गया। जैसा आप कह रहे थे, 100 करोड़ रुपये नहीं वह 700 करोड़ रुपये का फंड था। लेकिन लगभग 2800 करोड़ रुपये उससे दिए गए। हमें उस पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह चीज समाप्त हो चुकी है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अरुणाचल प्रदेश को कितना दिया गया।

श्री नीतीश कुमार : हम उसी पर आ रहे हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश की घटना जून में घटी है और वह फंड 31 मार्च को समाप्त हो चुका था। मुख्य मंत्री के आग्रह पर तत्काल जितना हो सकता था, दूसरा हिस्सा, जो क्वार्टर्ली रिलीज होता है, वह भी हमने कर दिया। अरुणाचल के एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि सिर्फ 2.208 क्वार्टर का रिलीज हुआ। हम उनको जानकारी देना चाहेंगे कि दूसरे क्वार्टर का रिलीज करने की अनुशंसा हमने तत्काल की थी और जहां तक जानकारी है, वह रिलीज भी हो चुका होगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : प्लान फंड रिलीज है या रिलीफ के लिए अलग है।

श्री नीतीश कुमार : आप गौर से सुनेंगे तो हम समझते हैं कि हमने बहुत स्पष्टता के साथ बताया। वहां से आने के बाद जो स्थिति हमने देखी, यह कहा कि उनको अतिरिक्त मदद की जरूरत है। वह सामान्य तौर पर रिलीफ का मामला नहीं है क्योंकि रिलीफ का मैनडेट दूसरा है, रिलीफ में जो तत्काल राहत कार्य चलाने की जरूरत होती है, वह कैलेमिटी रिलीफ फंड या नैशनल फंड ऑफ कैलेमिटी रिलीफ से चलाए जाते हैं क्योंकि कैलेमिटी रिलीफ फंड की जो मात्रा है, उससे वहां के राहत का कार्य नहीं चलाया जा सकता तो नैशनल फंड फॉर कैलेमिटी रिलीफ से वह मदद पहुंचाई जा सकती है, अगर रेयर सिवेयरिटी का होता। यह दशम वित्त आयोग के हिसाब से पहले की व्यवस्था थी। आज वह

नहीं है। प्रधान मंत्री जी ने उस पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी। उन्होंने उसे गंभीरता से लिया और केन्द्र सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है। इसलिए उसमें जो समय लगता है, वहां जो अतिरिक्ति नुकसान हुआ, जो उनके इन्फ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ और हमने यह भी कहा कि बार्डर रोड और्गनाईजेशन के माध्यम से, ये ब्रिजेज ऐसे हैं कि उनका काम तेजी से कराया जाना चाहिए।

जो यह कहा कि विजिट किया और कोई कार्यवाही नहीं हुई, यह असत्य है। वहां उसके बाद बड़ी तेजी से कार्यवाही शुरू हुई। आज जैसा कहा जाता है कि आप जाइए, वहां विजिट करिए। हम विजिट करके क्या करें। ऐग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का काम है कि कोई नैचुरल कैलेमिटी आती है तो उस स्थिति में जो रिलीफ औपरेशन्स होते हैं, उन्हें कौआर्डीनेट करना, सी.आर.एफ. को औपरेट करना आदि बातें हैं। हम कहीं देखने के लिए जाते हैं, इच्छा बहुत होती है। पहले एक नैशनल फंड फॉर कैलेमिटी रिलीफ था। अगर लौट कर आएं तो वहां के मैमोरंडम के आधार पर यहां से टीम भेज कर उसके लिए नैशनल कमेटी में विचार भी करते। कृषि मंत्री उस नैशनल कमेटी के सभापति होते थे। लेकिन आज की तारीख में मांग होती है कि आप जाइए। हम जाना चाहते हैं लेकिन अगर जाएंगे तो जैसे अरुणाचल के सदस्यों ने सवाल उठाया, कहा कि उसके बाद क्या हुआ जबकि हो रहा है, तब भी उनको संतोष नहीं है। हम उसकी जानकारी देना चाहते हैं। दूसरी जगहों पर जहां वैसी स्थिति नहीं है, हम जाएं और उसके बाद लोग स्वाभाविक तौर पर पूछेंगे कि आप क्या देने वाले हैं। कहीं भी कई विजिट करने जाएंगे, चाहे सड़क मार्ग से जाएं, हवा मार्ग से जाएं या जल मार्ग से जाएं, नाव में बैठ कर जाएं, यह तो वहां जाने के बाद निर्भर करता है कि वहां की सरकार क्या साधन मुहैया कराती है। अगर हम बिहार जाना भी चाहें, फ्लड अफैक्टेड एरिया देखना चाहें तो रघुवंश बाबू की पार्टी का राज है, वे कहेंगे फ्लड देखनी है तो नाव से जाकर देखिये। वह किसी सहारे देख सकते हैं। जहां तक सड़क जाए वहां सड़क से देखें, जहां पर नाव से जाएं या हवा मार्ग से भी देख सकते हैं। वह एक अलग विषये है, इस पर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन उसके बाद लोग तत्काल पूछेंगे कि आप क्या दे रहे हैं। हम बताएंगे कि कैलेमिटी रिलीफ फंड के एक क्वार्टर का और रिलीज कर रहे हैं। लोग कहेंगे कि कैलेमिटी रिलीफ फंड के अलावा क्या दे रहे हैं। मैं क्या जवाब दूंगा। एक परेशानी की बात है। यही बात हिमाचल प्रदेश के साथ हुई। हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने मुझे कहा।

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार)**:** जैसे आरुणाचल के बार्डर रोड फंड से सड़क बनाने का मौका दिया, उसी तरह दे सकते हैं। वैसे ही अरुणाचल में जो कुछ दिया है, सैंट्रल फंड से इधर भी दे सकते हैं।

श्री नीतीश कुमार : लगता है कि हम आपको समझा नहीं पाए। हमने कहा कि वहां से लौट कर आने के बाद हमने तमाम लोगों के साथ टेक अप किया और यह भी कहा कि इसे जल्दी किया जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है, उस पर कार्रवाई हो रही है, यह हमने कहा। हिमाचल प्रदेश के बारे में भी वहां के मुख्य मंत्री जी ने कहा, यहां हिमाचल प्रदेश के जितने साथी हैं, उन सब ने बताया कि आप वहां जायें। वहां भी एक टीम भेजी गई है, हमने कहा कि एक टीम जाये और वह असेसमेंट करके आये। इस बीच में 11वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आ गई, सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया और संसद में इसको रख दिया गया। इनकी अनुशंसा जो केलेमिटी रिलीफ फंड के बारे में है, उनकी अनुशंसा के हिसाब से आपने वित्त आयोग की रिपोर्ट को देख लिया होगा, लेकिन उसकी जो मुख्य बातें हैं, उनका हम उल्लेख करना चाहते हैं। केलेमिटी रिलीफ फंड उन्होंने रखा है, केलेमिटी रिलीफ फंड की राशि बढ़ा दी गई है। उसमें हिस्सा वही है, तीन चौथाई भारत सरकार देगी और एक चौथाई राज्य सरकार देगी। वह सिलसिला जारी है, आगे भी जारी रहेगी, इन्होंने यह सुझाव दिया है। लेकिन केलेमिट रिलीफ फंड को इन्होंने बन्द कर दिया। उसकी जगह पर इन्होंने कहा है कि:

[अनुवाद]

> ''केन्द्र या राज्य सरकार के किसी उल्लेख के बिना सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए कृषि मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केन्द्र की स्थापना की जाए। इस केन्द्र को प्रभावित राज्यों को आपदा राहत कोष से परे वित्तीय सहायता की आवश्यकता की सिफारिश करने की शक्ति हो।''

[हिन्दी]

यह इनकी अनुशंसा है। इसके आधार पर अब एक सेंटर बना देना होगा और उसके आधार पर उसके बाद कार्रवाई शुरू होगी। इस दृष्टि से हम इसके हिसाब से जो भी सम्भव होगा, वह करेंगे। उन्होंने राय दी है कि इसमें सैस लगाइये, जो सैण्ट्रल टैक्सेज हैं, अगर नेशनल केलेमिटी कहीं आ जाये तो सैण्ट्रल टेक्सेज पर सैस लगाया जाये। केन्द्र भी 500 करोड़ रुपया इसके लिए कंट्रीब्यूट करे। इसके लिए एक कानून भी संसद में लाना पड़ेगा। वित्त मंत्रालय भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। उसका जो कानूनी रूप है, उसको दिये जाने के बाद 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जो नेशनल केलेमिटी होगी, उसके लिए नये सिरे से कदम उठाये जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में हमारे पास जो केलेमिटी रिलीफ फंड वही है। जहां से भी मांग आती है, हम एक क्वार्टर के लिए उनकी इन्स्टालमेंट रिलीज कर देते हैं, लेकिन पूरे तौर पर इसको प्रभावी ढंग से 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा

[श्री नीतीश कुमार]

के आलोक में कदम उठाने में थोड़ा समय स्वाभाविक तौर पर लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ेगा। इसमें काफी कुछ सुविधा भी हो जायेगी। इसी प्रकार से जितने भी राज्य हैं, चाहे बिहार का सवाल हो या असम का सवाल हो, उत्तर प्रदेश का सवाल हो या पश्चिम बंगाल का सवाल हो, महाराष्ट्र का सवाल हो या अन्य किसी राज्य का सवाल हो, जिसके बारे में यहां चर्चा छेड़ी गई है, स्थाई समाधान की दिशा में हमारे साथी, सहयोगी, मित्र ने कहा कि ये कर रहे हैं और यह अच्छा होगा कि सभी लोगों की राय से सब कुछ हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि जहां तक बाढ़ का सवाल है, बाढ़ के प्रभाव को कम करने की दिशा में ही कदम उठाये जा सकते हैं। अगर कोई यह कहे कि बाढ़ को हम पूरी तौर पर रोक देंगे तो मेरी समझ में यह अप्राकृतिक बात होगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके प्रभाव को कैसे कम करें, कौन से उपाय करें, इसको लेकर जो इसके विशेषज्ञ हैं, उनमें भी मतभेद हैं। एनवायर्नमेंटलिस्ट लोग कहते हैं, जैसा अभी राम जीवन बाबू ने कहा कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करो, बहने दो। सरकार में भी जो काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने यह कहा है कि एम्बेंकमेंट दूर बनाये जायें। फिर जो आपने फ्लडप्रूफिंग के बारे में कहा, उसकी बात हो रही है। लोग फ्लड प्लेन जोनिंग की बात कर रहे हैं कि इस तरह से एक बना देंगे, पूरा सर्वेक्षण करके इनकी टीम बना देगी, सेठी जी के मंत्रालय के लोग बना देंगे और राज्य सरकारों को वह चीज देंगे कि कहां पर आबादी बसनी चाहिए, कहां पर आबादी नहीं बसनी चाहिए। हर चीज के बारे में जब फ्लड प्लेन जोनिंग हो जायेगी तो एक सुविधा होगी। कहां पर लोगों को बसने दीजिए, कहां पर लोगों को मत बसने दीजिए। इस प्रकार से कोई काम हो सकता है। एक तो फ्लड के लिए स्ट्रक्चरल मैजर्स होते हैं और दूसरे नॉन-स्ट्रक्चरल मैजर्स होते हैं। स्ट्रक्चरल मैजर्स में स्वाभाविक है कि एम्बेंकमेंट की बात आती है, ड्रेनेज चैनल की बात आती है, सारी बातें आयेंगी। नॉन-स्ट्रक्चरल मैजर्स में इस तरह के कदम उठाये जायें, लेकिन जहां तक बाढ़ का सवाल आ जायेगा, जो मानवता पर यह संकट उत्पन्न होता है तो हर हालत में इतना हम जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनकी सेवा के लिए जो भी सम्भव होगा, हम लोग कदम उठाएंगे। केलेमिटी रिलीफ फंड के अलावा भी जो 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा है, उस पर तेजी से हम लोग कदम उठाएंगे और जैसी कतिपय राज्य से यह बात आई है, खासकर बिहार से यह चर्चा आई है कि वहां पर टीम जानी चाहिए या असम की तरफ से भी यह सुझाव आया है कि वहां पर लोगों को जाना चाहिए। हम इसके बारे में प्रयास करेंगे कि वहां के डैमेज को असैस करने के लिए वहां की स्थिति को देखने के लिए टीम जाये। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आप हमारे यहां आयें और हमारे दुख को देखें।

श्री नीतीश कुमार : जिन राज्यों का नाम छूट गया है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : आप बोडोलैण्ड क्षेत्र में भी एक केन्द्रीय दल भेजें क्योंकि यह क्षेत्र बहुत उपेक्षित है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : चाहे बिहार का सवाल हो, असम का सवाल हो, हिमाचल प्रदेश में टीम भेज दी गई है।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): जब असम जाते हैं, गुवाहाटी से वापस आते हैं। लेकिन अन्दरूनी इलाकों में नहीं जाते हैं।

श्री महेश्वर सिंह (मंडी): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट निवेदन करना है। महोदय मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बात पूरी कर लेने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह : महोदय, वह अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। जिस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में घटना घटित हुई है, वही स्थिति हिमाचल प्रदेश की हुई है। वहां 31 जुलाई को ज्यादा बरसात नहीं थी। जो बाढ़ आई है, वह तिब्बत से आई है। भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो, इसके लिए क्या चीन सरकार से इस बात का पता लगाएंगे कि कौन सी घटना उस एरिया में घटित हुई, जिससे इतना नुकसान हुआ। हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी अनुरोध किया कि आप वहां का दौरा करें, लेकिन आपने कहा कि इससे कोई लाभ नहीं है। आपने 11वें वित्त आयोग की बात कही है। 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर कार्यवाही करने में समय लगेगा। किन्नौर जनजातीय क्षेत्र है, वह देश के बाकी भाग से कटा हुआ है। क्या आप वहां का प्रवास कार्यक्रम बनाएंगे, क्योंकि आपकी अनुशंसा के अनुसार चाहे प्रधान मंत्री राहत कोष से, चाहे कहीं से भी स्पेशल ग्रांट हो, वह दी जा सके। हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्भव नहीं है कि वह एकदम से 15-16 पुलों का निर्माण करे।

श्री नीतीश कुमार : हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति के बारे में जो जानकारी मिली है, अब तक की प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भारत की सीमा के अंदर घटी प्राकृतिक या अप्राकृतिक आपदा के कारण वह परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। यह अनप्रिजीडेंटेड फ्लड है, जिससे इतना नुकसान हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश में जो अनप्रिसीडेंटेड फ्लड आया है, उससे जो नुकसान हुआ है, जो स्थाई परिसम्पत्तियों का नुकसान हुआ है, उसके लिए विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं। केन्द्र की तरफ से मुख्य मंत्री जी के अनुरोध के हिसाब से भी प्लान का असिसटेंस कुछ किया गया है। बाढ़ टीम की रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर हम लोग इस मामले को टेकअप करेंगे। अन्य जगहों के मामले में भी जो भी कार्यवाही हो सकती है, सरकार की तरफ से पूरा प्रयत्न किया जाएगा, इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। एक सवाल प्रधान जी ने उठाया था कि पिछली बार पश्चिम बंगाल की तरफ से इतना रुपया मांगा गया और केन्द्र की तरफ से शायद 29 करोड़ रुपये दिए गए। जो नेशनल फंड फार केलेमिटी रिलीफ था, उसकी एक प्रक्रिया है। उसके हिसाब से वहां की राज्य सरकार को मेमोरंडम भेजा था। उसमें अगर प्राइमाफेसी पता चल जाए कि केलेमिटी रेअर सिवेयरिटी का है तो यहां से टीम विजिट करती थी, जो इंटर मिनिस्ट्रियल टीम थी। वह रिपोर्ट देती थी, उसके आधार पर इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप में विचार होता था। जो वह ग्रुप रिकमंड करता था वह नेशनल कमेटी जो रिलीफ से सम्बन्धित थी, उसमें उस पर विचार होता था और उसके आधार पर उनको पैसा मिलता था।

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार): राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए की मांग की थी और मिले केवल 29 करोड़ रुपए हैं।

श्री नीतीश कुमार : यह बात नहीं है। आप मुझे कहेंगे तो उसके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने क्या मांगा। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की सिफारिश होती है। वह कमेटी के लिए होती है और कमेटी में उसके आधार पर चर्चा होती है। मुझे आफहैंड जानकारी नहीं है कि इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने कितने की सिफारिश की थी और कितना दिया गया। लेकिन इस चर्चा से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वह फंड समाप्त हो चुका है। चूंकि आपने चर्चा की या रघुवंश बाबू ने कहा, उसके आधार पर चर्चा न करके आगे की सुधि लेनी चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : पैसा कितना दिया बंगाल को?

श्री नीतीश कुमार : मैं इसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं राय जी को बताना चाहता हूं कि उनके जिले में उत्तर और दक्षिण दीनाजपुर में जो फ्लड होता है, उसकी रिपोर्ट पश्चिम बंगाल की सरकार ने भारत सरकार को नहीं दी। दो बार हल्ला भी किया। जो रिपोर्ट हमें मिली भारत सरकार में, मैंने मुख्य मंत्री ज्योति बसु जी को खत लिखा कि वहां बाढ़ में आदमी डूबे हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट भी नहीं दी तो कैसे काम चलेगा।

जहां तक रिलीफ फंड का सवाल है, यह स्टेट को करना है। हम लोग उनकी मदद करते हैं लेकिन करना उन्हीं को है। कई जगह से बात आई है कि आप मोनीटरिंग कीजिए। केन्द्र सरकार हर किसी चीज की मोनीटरिंग कैसे कर सकती है? राज्य सरकार भी चुनी हुई सरकार होती है, वह भी संविधान के हिसाब से काम कर रही है। वित्त आयोग की अनुशंसा के हिसाब से केन्द्र का जो रोल है, वह रोल केन्द्र अपना अदा करता है। यह राज्यों का विषय है और राज्यों से उम्मीद की जाती है कि रिलीफ ठीक ढंग से बांटे। अगर हमारे पास कोई शिकायत आएगी तो हम उन्हीं के पास भेजेंगे कि आप इसमें जांच करिए और उचित कार्रवाई करिये क्योंकि यह सिलसिला केंद्र और राज्य के परस्पर सहयोग और परस्पर विश्वास की नींव पर ही देश चल सकता है। जो कुछ भी बात कही गई है, हो सकता है किसी-किसी जगह पर रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन केन्द्र की सरकार के सामने रिपोर्ट तो राज्य सरकारें ही भेजती हैं। सदन में भी जब किसी बात पर चर्चा होती है तो इस पर भी ध्यान दिया जाता है।

अब एक समस्या बिहार के लिए जरूर उत्पन्न हुई है। बिहार के लिए जो कैलेमिटी रिलीफ फंड का पैसा है, वह पैसा रिलीज नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के लिए भी रिलीज नहीं हुआ है। इसके बारे में एक दिक्कत है और वह दिक्कत यह है कि उनको एक सैपरेट एकाउंट खोलना है। सैपरेट एकाउंट में वह पैसा जाएगा। सी.ए.जी. ने इसमें कुछ एतराज किया है। उसके चलते उनको कहा गया है कि आप सैपरेट एकाउंट खोलें। इतनी बड़ी त्रासदी आई हुई है और हर साल आती है। रघुवंश बाबू ने ठीक ही कहा है कि यह तो पहला धक्का है। इसके बाद दो-तीन धक्के वहां आते हैं। हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं। जो कुछ इस तरह के इलाके हैं और वैसी स्थिति में अनवरत उन प्रभावित जगहों पर रिलीफ का काम करना है और रिलीफ का काम उनको इसी पैसे से करना है। ऐसी स्थिति में समस्या उनके सामने है। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि सरकार की तरफ से कहा गया है और रघुवंश बाबू बैठे हुए हैं, इनसे भी हम आग्रह करेंगे कि आप अपने प्रभाव को इस्तेमाल करिए, राज्य सरकार पर दबाव डालिए ताकि जहां सुस्ती हो रही होगी, उस पर तेजी से कार्रवाई करके, उसका सैपरेट एकाउंट, कैलेमिटी रिलीफ फंड खोल दें। वित्त मंत्रालय को यह पैसा रिलीज करना होता है। वह जब रिलीज करेंगे तभी आप वहां एकाउंट खोलिएगा क्योंकि यह कदम सी.ए.जी. के द्वारा उठाये गये सीरियस ऑब्जेक्शंस के आधार पर किया गया है। यही बात

[श्री नीतीश कुमार]

महाराष्ट्र के लिए है। महाराष्ट्र के लिए भी यही कदम उनको उठाना होगा। उनको अलग एकाउंट खोलना पड़ेगा ताकि यहां से जो केन्द्र का हिस्सा है, वह रिलीज होकर उनके पास पहुंचे ताकि रिलाफ का काम करने में मदद हो सके। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : महाराष्ट्र का कितना हिस्सा है?

श्री नीतीश कुमार : मैं बता देता हूं, उसकी फीगर्स मेरे पास उपलब्ध है। महाराष्ट्र का रिलीज नहीं हो सका है जिसकी हमने चर्चा की है लेकिन ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : असम के बारे में क्या है?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : इनको जानकारी चाहिए, हम इन्हें जानकारी दे देते हैं। यह साधारण जानकारी है और यह यहां उपलब्ध है तो उनको मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र का कैलेमिटी रिलीफ फंड 2000-2001 के लिए 157 करोड़ 20 लाख रुपये का है। इसमें केन्द्र का हिस्सा 117 करोड़ 90 लाख रुपये का है। राज्य का हिस्सा 29 करोड़ 30 लाख रुपये का है। इस प्रकार से समय लगेगा। हर राज्य का बताया जा सकता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जब श्री बैसीमुथियारी का नाम पुकारा गया था वे सभा में उपस्थित नहीं थे। मंत्री जी, वे कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ अति महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने का मौका देने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

[हिन्दी]

एक प्वाइंट है और वह डिस्क्रिपेंसी का है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किसी मुद्दे पर बहुत समय के बाद रिप्लाई दिया जाता है। हमेशा बोला जाता है कि राज्य सरकार का काम है लेकिन जहां-जहां स्टेट गवर्नमेंट है, कुछ रीजन्स हैं, कुछ जिले हैं, जिनके ऊपर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जाता है। उन एरियाज के लिए भारत सरकार की तरफ से अच्छे ढंग से पॉलिसी लेनी चाहिए। पूरी पूर्वोत्तर ब्रह्मपुत्र घाटी में भारी वर्षा होती है और निरंतर बाढ़ आती है।

भूटान से जितनी नदियां निकलती हैं, उन नदियों की कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करनी चाहिए। एक एक्सक्लुसिव सर्वे होना चाहिए और मल्टी परपज हाइडल प्रोजैक्ट बनाना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जिस प्रोजैक्ट से ट्राइबल लोगों को फायदा नहीं होता है, उस स्कीम को लिया जाता है, लेकिन जिस स्कीम से उनको फायदा होता है, वह टेकअप नहीं होती है। पगलादिया डैम प्रोजैक्ट के करने से कम से कम 27 ग्राम के लोगों को बसाना पड़ेगा, उससे बोडोलैंड के लोगों को फायदा नहीं होता है, इसलिए इस स्कीम को कैंसल करना चाहिए, जिस पर भारत सरकार 548 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। उस रुपए को दूसरी स्कीम में लगायें, जिससे वहां के लोगों को फायदा हो।

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए हैं। किसी राज्य विशेष में एक इलाके में क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, उसके बारे में राज्यों से जानकारी प्राप्त करके, उनको उपलब्ध करा दी जाएगी, ताकि वे अपने स्तर पर कार्यवाही कर सकें। जैसा प्रियरंजन दासमुंशी जी ने संसद में कहा, अगर उनके पास कोई जानकारी है, हमारे मंत्रालय को उपलब्ध करायेंगे, तो हम जरूर उसके संबंध में राज्य सरकार के साथ उस सवाल को रख सकते हैं और पूछ सकते हैं कि उन्होंने इसके बारे में कौन से कदम उठाए हैं। हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, पंचायती राज का पैसा नदियों के खनन के लिए रूरल डवेलपमेंट स्कीम में लगाया जाएगा, तो एक नेचुरल एसैट बिल्ट होगा। क्या आप इस बारे में विचार करेंगे?

श्री नीतीश कुमार : यह एक ऐसा सुझाव है, जो कई मंत्रालयों से संबंधित है। इसके बारे में बात की जा सकती है, लेकिन यह इनका अपना विचार है। जल संसाधन मंत्रालय, राज्य सरकारों की भी राय कि जल स्तर को उठाना है, सिल्टेशन और डिसिलटेशन के लिए कदम उठाया जाए और उस इलाके में जे.आर.वाई. या सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत, इसके लिए कोई गाइडलाइन्स हैं, इस पर अलग से चर्चा हो सकती है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, दो फन्ड्स हैं - एक, सी.आर.एफ., जिसमें दसवें आयोग के मुताबिक तीन भाग राज्य सरकार और एक भाग केन्द्र सरकार का है। एक रूटीन बना हुआ है और उसमें कमोबेश की गुंजाइश नहीं है और दूसरा है एन.आर.एफ., जिसमें सौ करोड़ का बजट है, जिसमें केन्द्रीय कृषि मंत्री अध्यक्ष होते हैं और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य

होते हैं और रिपोर्ट राज्य सरकार से इम्पलीमेंटेशन के लिए आती है। इसके लिए कहा था कि सौ करोड़ के स्थान पर 1000 करोड़ रुपए बढ़ायें, जिससे विभिन्न राज्यों को पैसा दें, तो उस पर कृषि मंत्री और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री बैठकर फैसला करें। इससे आपका पर्याप्त अधिकार रहता है। उसमें आप जब चाहें, तब मदद कर सकते हैं। इन दोनों फन्ड्स को आपने एक ही में मिला दिया है?

श्री नीतीश कुमार : हमने आपको बताया है, एक सी.आर.एफ. है और दूसरी आप जो कह रहे हैं, उसमें सौ करोड़ नहीं 700 करोड़ है, जिसमें 2800 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। इस फन्ड की अवधि 31.3.2000 को समाप्त हो गई। अब ऐसा कोई फन्ड नहीं है। हमने आपको बताया 11वें वित्त आयोग ने सलाह दी कि इसको डिसकन्टीन्यू करें। लेकिन सी.आर.एफ. कन्टीन्यू रहेगा। इसकी राशि बढ़ा दी गई है। एन.एफ.सी.आर., जिसको आप एन.आर.एफ. कह रहे हैं, वह समाप्त हो चुका है। इसकी अवधि 31.3.2000 को समाप्त हो गई।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : पिछले साल यह फंड सौ करोड़ रुपए का था, उसी को हम कह रहे हैं कि और बढ़ाइए। *...(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : उसे एक बार बढ़ाया था। *...(व्यवधान)* आपको यह मालूम था कि कृषि मंत्री जी उसके अध्यक्ष होते थे, फाइनेंस मिनिस्टर मेम्बर होते थे और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन तथा दो और केन्द्र के मंत्री मैम्बर होते थे। पांच मुख्य मंत्री भी बाइ रोटेशन उसमें होते थे। यह व्यवस्था पहले थी वह 31 मार्च, 2000 को समाप्त हो गई। *...(व्यवधान)* अब जो 11वें वित्त आयोग के हिसाब से एक नया इंतजाम नेशनल केलेमिटी के लिए रखा है, उसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। *...(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : 11वें वित्त आयोग ने तो उसे खत्म कर दिया। *...(व्यवधान)* यह आपदा देश में बढ़ रही है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, आप समझने की कोशिश करिए।

श्री नीतीश कुमार : 11वें वित्त आयोग ने जो नया सुझाव दिया है कि नेशनल केलेमिटी को कैसे टैकल करें, उसके लिए उसने कुछ सुझाव दिए हैं, लेकिन उनका सुझाव नेशनल फंड फॉर केलेमिटी रिलीफ का नहीं है, दूसरा है। उसके लिए संसद में एक कानून भी लाना पड़ेगा और उसके आधार पर फिर उसका ऑपरेशन शुरू होगा। जिसकी मैंने चर्चा की है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बारे में तो इन्होंने काफी विस्तार से बताया है।

...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : फाइनेंस मिनिस्ट्री उसके लिए कदम उठा रही है। *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): बिहार से बह कर सुवर्ण रेखा नदी उड़ीसा में मेरी कांस्टीट्यूएंसी में आती है। मैं तो जानता हूं, माननीय सेठी जी बोल चुके हैं और नीतीश जी भी बोल चुके हैं कि बाढ़ को एकदम बंद नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे घटाया जा सकता है। महोदय, बिहार में गालुडी और चंडेल, दोनों जगहों में दो प्रोजैक्ट बना रहे हैं, जो 20-30 साल से बना रहे हैं और उनका 95 प्रतिशत काम खत्म हो गया है, लेकिन जो पांच प्रतिशत बाकी रह गया है, उसे खत्म नहीं कर रहे हैं। सेठी जी खुद गए थे और वह आकर बोल रहे थे कि मैंने जब बिहार के अधिकारियों से बात की तो मुझे नहीं लगा कि वे इसे खत्म करेंगे। हम बाढ़ से हर साल मर रहे हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि एक नेशनल रीवर पालिसी क्यों न सैंट्रल गवर्नमेंट बनाए ताकि हर नदी के फ्लड को कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए सेंटर एक प्रोजैक्ट बनाए और स्टेट को जो कुछ करना है वह उसी प्रोजैक्ट से लेकर उसे बनाए, अन्यथा यह होगा कि एक एम.एल.ए. अगर पावरफुल बन गया तो वह बोलेगा कि यहां पत्थर का पैचिंग बना दो तो वहां पत्थर का पैचिंग बन गया। वे लोग बोलते हैं कि एक स्पर बना दो तो स्पर बना देते हैं। *...(व्यवधान)* इससे यह होता है कि जो दूसरा साइड होता है, वह जहां फ्लड नहीं होता है वहां जाता है। *...(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : माननीय सदस्य का सुझाव स्थाई समाधान की दिशा में है, जिसके बारे में प्रारम्भ में ही माननीय सेठी जी ने कहा है कि इस संबंध में अलग से चर्चा हो जाए, अभी जो बहस का विषय है, उसे अलग कर लीजिए।

अंत में कंक्लुड करने से पहले हम आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहते हैं कि पूरी स्थिति को देखते हुए कतिपय राज्यों में, जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, वेस्ट बंगाल में केलेमिटी फंड का सैकिंड इंस्टालमेंट रिलीज किया जा चुका है। गुजरात में थर्ड इंस्टालमेंट वहां की रिकवेस्ट पर रिलीज किया जा चुका है और राजस्थान में जो सूखे वाली स्थिति थी, वहां भी सरकार की रिकवेस्ट पर थर्ड इंस्टालमेंट रिलीज किया जा चुका है। *...(व्यवधान)*

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार): पश्चिम बंगाल में सैकिंड इंस्टालमेंट में कितनी राशि दी?

श्री नीतीश कुमार : पश्चिम बंगाल का फर्स्ट इंस्टालमेंट 16 करोड़ 6 लाख 56 हजार रुपए है और दूसरा इंस्टालमेंट भी 16 करोड़ 6 लाख 56 हजार रुपए का है। इसके अलावा जो भी माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं, उन पर हम गौर करेंगे और जिनका उत्तर हम नहीं दे सके हैं, उनके बारे में जहां आवश्यकता होगी वहां हम लिखित उत्तर उन तक पहुंचा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

रात्रि 8.54 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

बारहवां प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

रात्रि 8.55 बजे

सभा की अवमानना

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि सभा अवगत है, आज करीब 11.26 बजे खुद को वेलु चन्द्र कहने वाले 74 वर्षीय व्यक्ति, पुत्र स्वर्गीय चिन्ननन ने दर्शक दीर्घा से नारे लगाने की कोशिश की और पर्चे फेंकने का प्रयास किया। सुरक्षा अधिकारियों ने उसे तुरन्त पकड़कर उससे पूछताछ की। इस दर्शक ने बयान दिया है लेकिन अपने कार्य के लिए खेद व्यक्त नहीं किया है।

मैं इसे सभा द्वारा उचित समझी जाने वाली कार्रवाई के लिए सभा के ध्यान में लाता हूं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): मैं यह प्रस्ताव करता हूं:

> "कि यह सभा संकल्प करती है कि एक व्यक्ति जो अपने आपको वेलु चन्द्र सुपुत्र स्वर्गीय श्री चिन्ननन बताता है और जिसकी आयु 74 वर्ष है तथा जिसने आज लगभग पूर्वाह्न 11.25 बजे दर्शक दीर्घा से नारे लगाने और पत्र फेंकने का प्रयास किया जिसे सुरक्षा अधिकारियों ने तुरन्त हिरासत में ले लिया, ने एक गम्भीर अपराध किया है और वह सभा की अवमानना का दोषी है। सभा आगे संकल्प करती है कि उसे कड़ी चेतावनी देकर आज सभा के उठने पर छोड़ दिया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि यह सभा संकल्प करती है कि एक व्यक्ति जो अपने आपको वेलु चन्द्र सुपुत्र स्वर्गीय श्री चिन्ननन बताता है और जिसकी आयु 74 वर्ष है तथा जिसने आज लगभग पूर्वाह्न 11.25 बजे दर्शक दीर्घा से नारे लगाने और पत्र फेंकने का प्रयास किया जिसे सुरक्षा अधिकारियों ने तुरन्त हिरासत में ले लिया, ने एक गम्भीर अपराध किया है और वह सभा की अवमानना का दोषी है। यह सभा आगे संकल्प करती है कि उसे कड़ी चेतावनी देकर आज सभा के उठने पर छोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 10 अगस्त, 2000 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.57 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 10 अगस्त, 2000/29 श्रावण, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48/9/13/2000 (एन०)
280

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।